पंचदश माला, खंड 18, अंक 17

गुरुवार, 25 अगस्त, 2011
3 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 23 Sept. 2013

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

©2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 18, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 17, गुरुवार, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा निवेदन	
लोकपाल विधेयक पर श्री अन्ना हजारे के अनशन से उत्पन्न स्थिति	2-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321	4-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 340	7-166
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910	166-572
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	573-575
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
20वां प्रतिवेदन	575
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
7वां प्रतिवेदन	575.576
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
25वां प्रतिवेदन	576
कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	576
नियम 377 के अधीन मामले.	576-588
(एक) उत्तराखंड में श्रीनगर जल-विद्युत परियोजना पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता	
श्री सतपाल महाराज	577
(दो) न्यू सबरी और इडापल्ली-गुरुवायूर रेल लाइन के कार्य में तेजी लाए जाने तथा केरल के चलाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी धनपालन	577-578
(तीन) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा नदी से उत्पन्न बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु उपाय किए जाने तथा क्षेत्र के प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पन्ना लाल पुनिया	578-579
(चार) राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत बच्चों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री रघुवीर सिंह मीणा	579-580

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) दिल्ली में बहु-स्तरीय और भूमिगत पार्किंग परिसरों के निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री महाबल मिश्रा	580
(छह) महाराष्ट्र में गोसीखुर्द परियोजना कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने तथा उन किसानों, जिनकी जमीन परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई है, को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	580-581
(सात) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एफएम रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. क्रुपारानी किल्ली	582
(आठ) उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मास रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	582-583
(नौ) इलायची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.टी. थॉमस	583
(दस) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	583-584
(ग्यारह) मध्य प्रदेश में बारघाट से होकर सिवनी से कटंगी तक नई बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के.डी. देशमुख	584
(बाहर) बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ रोके जाने की आवश्यकता	
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	584-585
(तेरह) भूमि अपरदन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेन डेका	585
(चौदह) उत्तर प्रदेश में बदायूं के रास्ते बरेली से कासगंज तक और इटावा से मैनपुरी तक की रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिणत किए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्मेन्द्र यादव	585
(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के रणघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रणघाट मिशन गेट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर एक रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुचारु रंजन हल्दर	586
(सोलह) वस्त्र क्षेत्र को कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. शिवासामी	586-587

विषय	कॉलम
(सत्रह) पटना से होकर फरक्का बराज से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 को बड़े जहाजों के लिए नौवहनयोग्य बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदानन्द सिंह	587
(अठारह) जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय सरकार के रिक्त पदों को भरे जाने तथा कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. मिर्जा महबूब बेग	588
नियम 193 के अधीन चर्चा	588
(एक) देश में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति	588
श्री सतपाल महाराज	588-593
श्री हंसराज गं. अहीर	593-596
डॉ. मनमोहन सिंह	596-601
श्रीमती सुषमा स्वराज	601-602
(दो) श्रीलंका में तमिलों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके कल्याण हेतु अन्य उपाय	
श्री टी.आर. बालू	602-613
श्री जसवंत सिंह	613-618
श्री एन.एस.वी. चित्तन	618-623
श्री शैलेन्द्र कुमार	623-626
श्री धनंजय सिंह	626-628
श्री शरद यादव	628-631
श्री पी.आर. नटराजन	631-633
श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी	633-636
श्री एम. तम्बिदुरई	636-643
श्री पी. लिंगम	463-646
श्री ए. गणेशमूर्ति	646-651
श्री अधीर चौधरी	651-656
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	656-659
श्री अर्जुन राम मेघवाल	659
श्री नृपेन्द्र नाथ राय	659-661
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	661-662

विषय	कॉलम

श्री चार्ल्स डिएस 662-663

श्री तरुण मंडल 663-665

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 665

श्री थोल तिरूमावलावन 665-669

श्री वीरेन्द्र कुमार 669

श्री नारनभाई कछाड़िया 669-670

श्री एस.एस. रामासुब्बू 670-671

श्री ई. अहमद 671-677

सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011. 677

श्री उदय सिंह 677-686

श्री शैलेन्द्र कुमार 686-687

श्री विजय बहादुर सिंह 687-689

श्री अर्जुन राय 689-690

श्री आर. थामराईसेल्वन 691-692

डॉ. के.एस. राव 692-694

श्री पी.आर. नटराजन 694

श्री भर्तृहरि महताब 694-698

श्री एस. सेम्मलई 698-699

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 699-701

श्री नमो नारायण मीणा 701-705

खंड 2 और 1 705

पारित करने के लिए प्रस्ताव 705

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान कांचीपुरम विधेयक, 2011. 705

विचार करने के लिए प्रस्ताव ....

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 706

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 706-708

श्री पी. विश्वनाथन 708-709

श्री शैलेन्द्र कुमार 709-710

श्री विजय बहादुर सिंह 710-711

विषय	कॉलम
श्री पी. आर. नटराजन	711
श्री आर. थामराईसेल्वन	711-712
श्री एस. सेम्मलई	712-713
डॉ. के.एस. राव	713-714
श्री कपिल सिब्बल	715-720
खंड 2 से 34 और 1	720
पारित करने के लिए प्रस्ताव	720
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	747
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	748-756
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	757
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	757-760

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरूवार, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल प्रश्न सं. 321।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न काल के निलंबन हेतु सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैंने सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। प्रश्न काल चलने दीजिए: श्री भूपेन्द्र सिंह।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): यह सरकार स्पष्ट करें, हमने नोटिस दिया है। कार्य स्थगन एवं प्रश्नकाल स्थगन का ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय, श्री मनोहर तिरकी, शेख सैदुल हक और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदया: विपक्ष की नेता कुछ कहना चाहती हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। बसुदेव आचार्य जी आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

अध्यक्ष महोदया: करूणाकरन जी, कृपया वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैंने श्रीमती सुषमा स्वराज का नाम पुकारा है, उनकी बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

लोकपाल विधेयक पर श्री अन्ना हजारे के अनशन से उत्पन्न स्थिति

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, श्री अन्ना हजारे जी के अनशन से जो परिस्थिति देश में निर्माण हो रही थी...*(व्यवधान)* उसका हल ढूंढ़ने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने कल अपने आवास पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस सर्वदलीय बैठक के दो ही लक्ष्य थे, एक अण्णा जी का अनशन तुड़वाया जाए और दूसरा देश में प्रभावी और सशक्त लोकपाल लाया जाए। उस सर्वदलीय बैइक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अण्णा जी से यह अनुरोध किया गया कि वह अपना अनशन तोड़ दें और यह कहा गया कि जन लोकपाल बिल को डयू कंसिडरेशन देते हुए कए ऐसा फाइनल ड्राफ्ट लाया जाएगा, जिससे प्रभावी और सशक्त लोकपाल निकले। हम सब सोच रहे

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

थे कि इस प्रस्ताव के बाद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि उनका अनशन टूट जाए। लेकिन हमें हैरानी हुई कि जब अण्णा जी के प्रतिनिधि सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बात करने के बाद बाहर आए और उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि अगर अण्णा अनशन करते हैं तो करें, यह उनकी समस्या है।...*(व्यवधान)* देर रात प्रणब जी का बयान आया और सलमान खुर्शीद जी का इंटरव्यू आया कि यह सही नहीं है, हमारे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। सलमान जी ने यह कहा कि बात हो रही है और बात आगे होगी। मैं चाहूंगी कि नेता सदन यहां बैठे हैं, वह एक बार सही वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करा दें, ताकि सदन के माध्यम से देश को पता चल जाए की सही क्या है, क्योंकि बेवजह स्थिति भड़की हुई है। जो बात अण्णा जी के प्रतिनिधियों ने कही, उससे स्थिति भड़की हुई है।...*(व्यवधान)* नेता सदन की हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष का आभारी हूं कि वह मेरे वक्तव्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने के विषय को मेरे ध्यान में लाई हैं...*(व्यवधान)* वास्तव में बैठक के बाद जब सभी चले गए थे तो मैं अपने कार्यालय से बाहर आया और प्रतीक्षारत पत्रकारों को बताया कि हम श्री अन्ना हजारे से अनुरोध करते हैं कि वह अपना अनशन तोड़ दें। राष्ट्र चाहता है कि श्री अन्ना हजारे पूर्णत: सशक्त और स्वस्थ रहें और वह देश को अपनी सेवायें दें ...*(व्यवधान)* हम चर्चा कर रहे हैं और स्वावभाविक है कि इस प्रकार से चर्चाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा और मुझे नहीं पता कि यह बात कैसे सामने आयी। देर रात्रि में भी, रात्रि 13.30 बजे, जब मुझे पता चला तो मैंने स्थिति में सुधार किया...*(व्यवधान)*

दुर्भाग्यवश मेरे मित्र, मेरी आवाज को अन्य सदस्यों को नहीं सुनने दे रहे हैं। परंतु, मैं कार्यवाही वृत्तांत में यह सम्मिलित करना चाहता हूं कि जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह पूर्णत: तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। बैठक में भी एक शब्द नहीं कहा गया था। जब तक मुझे किसी ने यह बताया कि इसे तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है तब तक मुझे इसके बारे में अंशमात्र भी नहीं पता था। मैंने सोचा कि मुझे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम प्रश्न काल आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमें प्रश्न काल चलाने दीजिये। काफी समय से प्रश्न काल नहीं चला है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 321, श्री भूपेन्द्र सिंह।

[हिंदी]

न्यायाधीशों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

***321. श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कदाचार, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लगाए गए कथित आरोपों के मामलों की जांच के लिए विद्यमान संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में विधि आयोग सहित विभिन्न पक्षों से उपर्युक्त तंत्र/संविधि में संशोधन करने/उसकी समीक्षा करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कदाचार के आधार पर कितने न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई और कितनों को बर्खास्त कर दिया गया है;

(ङ) क्या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति/बर्खास्त किए गए न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस करने के मामलों का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर क्रमश: भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217

के अधीन उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया का अनुसरण करके और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् हटाया जा सकता है।

जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवचार आदि से संबंधित मामलों से बरतने के तंत्र का संबंध है, ऐसे न्यायालयों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे पर 1990 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और विचार-विमर्श से उदभूत आम सहमति के आधार पर स्थिति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार सारांशित किया था:

> "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उसके न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम हैं और जब उन्हें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह यह देखेंगे कि क्या उसकी ध्यानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। जहां उनका यह समाधान हो जाता है कि मामले की जांच करने की आवश्यकता है, तो वह तथ्यों को ऐसी रीति में अभिनिश्चित करेंगे जैसे कि वह आरोपों की प्राकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समझे और यदि उसकी यह राय है कि यह ऐसा मामला है जिसकी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को रिपोर्ट की जानी चाहिए, तो वह ऐसा करेगा। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आधार से संबंधित शिकायतों के संबंध में इसी रीति में कार्य करेगा। अभिनिश्चित किए गए तथ्यों के आधार पर यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायलय का मुख्य न्यायमूर्ति ऐसी समुचित कार्रवाई करेगा जैसा कि वह न्यायपालिका के हितों को सर्वोपरि रखकर उचित समझे।"

सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए समुचित विधायी युक्ति के लिए और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 का निरसन करने के लिए न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005 तैयार किया गया था। प्रारूप विधेयक को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भारत के विधि आयोग को भेजा गया था। आयोग ने अपनी 195वीं रिपोर्ट में प्रारूप न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005 की जांच की। विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 को तारीख 19.12.2006 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर "न्यायाधीश (जांच) संशोधन विधेयक, 2008" नामक नया विधेयक प्रारूपित किया गया जो न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 को बनाए रखने और एक नया अध्याय जोड़कर उसके उपबंधों का संशोधन करने के लिए था। न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 को वापस लेने का और इस नए विधेयक को पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया था। 14वीं लोक सभा के विघटन के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। अब तक किए गए प्रयासों और प्राप्त सुझावों के आधार पर एक पुनरीक्षित और समग्र, "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010", जिसमें उच्च्तम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने का तंत्र शामिल है, न्यायिक मानकों को अधिकथित करता है और न्यायाधीशों से उनकी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने की अपेक्षा करता है, लोक सभा में 1.12.2010 को पुरःस्थापित कर दिया गया है।

उच्च्तर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और पद से हटाने के लिए कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि यह संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की विषयवस्तु है।

[हिंदी]

श्री भूपेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्या बोलूं, हाउस में व्यवस्था नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग अपनी सीटों पर वापिस जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थापित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा साढ़े ग्यारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष महोदया: हम प्रश्नकाल जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने प्रश्नकाल के स्थगन की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.30½ बजे

इस समय, डॉ. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर-पूर्व क्षेत्र परियोजनाएं

***322. श्रीमती विजया चक्रवर्ती:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र की दुर्गमता, कठिन भू-भाग और वहां संपर्क का अभाव रेल परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कुछेक कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए स्वीकृत और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा इनके पूरा होने की लक्षित तिथि की तुलना में उक्त परियोजनाओं में कितनी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति हुई है;

(घ) क्या रेलवे का विचार रंगई से लखीमपुर तक मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करने सहित असम के विभिन्न स्थानों में सर्वेक्षण/नई रेल लाइनें बिछाने का कार्य शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने तथा परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने हेतु अन्य कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) जी हां। सड़क मार्ग से भलीभांति जुड़ा न होना, सड़क की खराब हालत, बार-बार मार्ग अवरुद्ध होना और कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति, परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित कर रही हैं।

(ख) रेलवे परियोजना स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार के साथ तथा सड़क/पुल अवसंरचना में सुधार के लिए सीमा सड़क संगठन/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय बनाए हुए हैं।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7349 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 344.8 कि.मी. लंबी 5 नई लाइन परियोजनाएं और 448 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 65.5 कि.मी. लंबी 2 दोहरीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और 31.03.2011 तक इन परियोजनाओं पर 380 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं और इन्हें पूरा किए जाने के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) रंगिया-लखीमपुर आमान परिवर्तन, पहले से ही स्वीकृत की गई रंगिया-मुरकांगसलेक (510 किमी) आमान परिवर्तन परियोजना का एक भाग है। परियोजना प्रगति पर है। रंगिया-रंगपाड़ा नॉर्थ खंड के मार्च, 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है और रंगपाड़ा नॉर्थ-नॉर्थ लखीमपुर खंड के मार्च, 2013 तक पूरा होने की संभावना है। अन्य खंडों के लिए, लक्ष्य तिथियां कार्य की प्रगति और निधियों की संभावित उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जा रही हैं।

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल परियोजना में निवेश बढ़ाने और कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल विकास निधि (एनईआरआरडीएफ) सृजित की गई है। एनईआरआरडीएफ एक गैर-व्यपगत निधि है जिसमें 25 प्रतिशत राशि रेलवे की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और 75 प्रतिशत राशि अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में वित्त मंत्रालय से ली गई है और इस निधि का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा।

वर्षा जल संचयन

***323. श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति वर्ष होने वाली कुल वर्षा की तुलना में किए जा रहे वर्षा जल संचयन की मात्रा तथा इसके उपयोग का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्षा जल संचयन को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करने

हेतु शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का परियोजना-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने वर्षा जल संचयन परियोजनाओं के कार्यान्वियन का मूल्यांकन/समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी-1999) की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण देश में औसतन वार्षिक वर्षा 1170 मि.मी. है जिसमें क्षेत्रीय आधार पर काफी विभिन्नता है। सतही भंडारणों और भूमि जल के पुनर्भरण के जरिए वर्षा जल संचयन किया जाता है। वृहद और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 225 बिलियन घन मीटर भंडारण क्षमता सृजित की गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भूमि जल पुनर्भरण के माध्यम से वर्षा जल संचयन की मात्रा 433 बिलियन घन मीटर है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय संलग्न विवरण-I में उल्लिखित के अलावा मानव निर्मित अवसंरचनाओं के जरिए संचित जल की मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) जल राज्य का विषय है, वर्षा जल संचयन की स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, केन्द्र सरकार ने जागरूकता पैदा करने और राज्यों को वर्षा जल संचयन परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

* ग्यारहवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूमिजल प्रबंधन एवं विनियमन की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात अति दोहित और गम्भीर क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ताकि समान जलविज्ञानीय परिस्थितियों वाली राज्य सरकारें इनका अनुकरण कर सकें। 31 जुलाई, 2011 को राज्यवार और वर्षवार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

* भूमिजल संवर्धन की नवीन पद्धतियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भूमिजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरूआत करना;

* भूमिजल विकास के विनियमन और नियंत्रण हेतु समुचित विधान बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'मॉडल विधेयक' परिचालित करना जिसमें छाजन वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था है। जब तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी ने भूमिजल विधान बना लिया है।

* राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने की सलाह दी गई है। इसके अनुसरण में 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने भवन निर्माण उपनियमों के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है।

* केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा अति दोहित प्रखंडो वाले 12 राज्यों के मुख्य सचिवों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी करना।

(घ) सरकार ने दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया है।

(ङ) प्रभाव आकलन के परिणाम का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिये गए हैं।

विवरण-I

भारत में राज्यवार भंडारण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पूरी हुई परियोजनाओं के तहत सक्रिय भंडारण
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27305.13
2.	असम	12.46
3.	अरूणाचल प्रदेश	-
4.	बिहार	1842.22
5.	छत्तीसगढ़	6217.24
6.	गोवा	44.3
7.	गुजरात	16137.8

1	2	3
8.	हरियाणा	-
9.	हिमाचल प्रदेश	13917.15
10.	जम्मू एवं कश्मीर	-
11.	झारखंड	2472.07
12.	कर्नाटक	33631.21
13.	केरल	5384.27
14.	मध्य प्रदेश	26906.28
15.	महाराष्ट्र	25523.01
16.	मणिपुर	396.5
17.	मेघालय	697.96
18.	मिजोरम	-
19.	नागालैंड	1220
20.	उड़ीसा	17224.61
21.	पंजाब	2368.75
22.	राजस्थान	8284.85
23.	सिक्किम	-
24.	तमिलनाडु	6500.47
25.	त्रिपुरा	312
26.	उत्तरांचल	5671.08
27.	उत्तर प्रदेश	15345.01
28.	पश्चिम बंगाल	1475.15
29.	अंडमान एवं निकोबार	-
30.	चंडीगढ़	-
31.	दादरा एवं नगर हवेली	-
32.	दिल्ली	-
33.	लक्षद्वीप	-
34.	पुडुचेरी	13.79
	कुल मिलियन घन मीटर	218903.31
	बिलियन घन मीटर में	218.90

टिप्पणी: केवल 10 बिलियन घन मीटर और इससे अधिक की सक्रिय क्षमता वाली परियोजनाएं शामिल हैं। 10 मिलियन घन मीटर से कम क्षमता वाली प्रत्येक मध्यम परियोजना के माध्यम से लगभग 6.241 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) की अतिरिक्त सक्रिय क्षमता के सृजन का अनुमान है। इस प्रकार, पूरी हुई परियोजनाओं में कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 225.14 (बीसीएम) है।

एमसीएम: मिलियन घ्न मीटर, बीसीएम: बिलियन घन मीटर

विवरण-II

राज्यवार वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन
(आकलन वर्ष 2004)

बीसीएम/वर्ष

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक पुनर्भरणीय भूमिजल संसाधन
1	2	3
	राज्य	
1.	दिल्ली	0.30
2.	पंजाब	23.78
3.	राजस्थान	11.56
4.	हरियाणा	9.31
5.	तमिलनाडु	23.07
6.	गुजरात	15.81
7.	कर्नाटक	15.93
8.	उत्तर प्रदेश	76.35
9.	उत्तराखंड	2.27
10.	मध्य प्रदेश	37.19

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	32.96
12.	केरल	6.84
13.	आंध्र प्रदेश	36.50
14.	पश्चिम बंगाल	30.36
15.	बिहार	29.19
16.	हिमाचल प्रदेश	0.43
17.	गोवा	0.28
18.	असम	27.23
19.	झारखंड	5.58
20.	छत्तीसगढ़	14.93
21.	उड़ीसा	23.09
22.	सिक्किम	0.08
23.	जम्मू एवं कश्मीर	2.70
24.	त्रिपुरा	2.19
25.	नागालैंड	0.36
26.	मिजोरम	0.04
27.	मणिपुर	0.38
28.	मेघालय	1.15
29.	अरूणाचल प्रदेश	2.56
	कुल राज्य	432.42
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	दमन एवं द्वीव	0.009
2.	पुडुचेरी	0.160
3.	लक्षद्वीप	0.012
4.	दादरा व नगर हवेली	0.063
5.	अंडमान एवं निकोबार	0.330
6.	चंडीगढ़	0.023
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.597
	कुल योग	433.02

विवरण-III

ग्यारहवीं योजना के दौरान भूमि जल कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के लिए केन्द्र क्षेत्र स्कीम के सतहत राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

(लागत करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं		20009-10 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं		2010-11 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं		2011-12 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं		कुल अनुमोदित परियोजनाए	
		सं.	लागत	सं.	लागत	सं.	लागत	सं.	लागत	सं.	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश			1	1.30	1	0.75	2	3.49	4	5.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	2.60							1	2.60
3.	बिहार							2	0.96	2	0.96
4.	चंडीगढ़					1	7.76			1	7.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	दिल्ली							1	0.43	1	0.43
6.	गुजरात					2	3.17			2	3.17
7.	हिमाचल प्रदेश							9	1.80	9	1.80
8.	जम्मू एवं कश्मीर							3	0.78	3	0.78
9.	झारखंड					1	0.16			1	0.16
10.	कर्नाटक			1	1.10	1	0.97	2	1.65	4	4.02
11.	केरल	4	0.39					2	0.13	6	0.52
12.	मध्य प्रदेश					2	4.32			2	4.32
13.	महाराष्ट्र					1	0.15			1	0.15
14.	नागालैंड							1	1.13	1	1.13
15.	उड़ीसा							14	4.64	14	4.64
16.	पंजाब	1	1.76					2	0.81	3	2.60
17.	राजस्थान							3	0.34	3	0.34
18.	तमिलनाडु	1	1.11	3	4.15					4	5.26
19.	उत्तर प्रदेश			1	7.20	1	10.60	1	9.91	3	27.71
20.	पश्चिम बंगाल	1	1.11							1	1.11
	कुल	8	7.00	6	13.75	10	27.88	42	26.37	66	75.00

टिप्पणी : 2007-08 के दौरान कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई थी।

विवरण-IV

दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का प्रभाव आकलन

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से चार राज्यों में किए गए प्रभाव आकलन और परिणाम का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	अवस्थिति	निर्मित पुनर्भरण अवसंरचनाएं	प्रभाव आकलन के परिणाम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	कड़प्पा जिले में लिंगाला, पुलीवेंडला	टपक टैंक और चेक बांध	* लगभग 5 से 6 हेक्टेयर सिंचित फसल क्षेत्र और फसल उत्पादन में वृद्धि।

1	2	3	4	5
				* पुनर्भरणीय क्षेत्र में बोरवेलों से प्राप्त जल की मात्रा में वृद्धि। * सूखे हुए कुओं को भी पुन: कारगर बनाया गया।
2.	कर्नाटक	कोला जिले का मालुर तालुका	चेक बांध, टपक टैंक, उप सतही डाईक	* डगवैलों और बोरवेलों में जल स्तर का 0. 53 से 4.58 मीटर बढ़ना। * सूखे हुए डगवेलों को पुन: कारगर बनाना। * जल की मात्रा में प्रति सेकेंड 0.25 से 6.0 लीटर की वृद्धि। * फसली क्षेत्र में 0.52 से 6.0 एकड़ की वृद्धि।
3.	मध्य प्रदेश	बैतूल जिले में बेल वाटरशेड, अमला एवं मुलतई प्रखंड और देवास जिले के सोनकच्छ एवं बगली के भागों में छोटी काली सिंध नदी के के ऊपरी क्षेत्र।	चेक बांध, पुनर्भरण शाफ्ट, टपक टैंक, गेबियन अवसंरचनाएं उपसतही डाइक, छाजन वर्षा जल संचयन	* बैतूल जिले में अगले वर्षों में मानसून के पहले (0.16 से 4.05 मीटर) और मानसूनोत्तर अवधि में (0.10 से 3.52 मीटर) पीजोमीटर में भूमि जल स्तर में वृद्धि हुई है। * देवास जिले में जो हैंडपंप सूख गए थे उनमें पानी आना शुरू हो गया। * मानसून पूर्व अवधि में जल स्तर में 1.97 से 23.82 मीटर की वृद्धि देखी गई है।
4.	तमिलनाडु	गंगावल्ली प्रखंड, सलेम जिला	चेक बांध, टपक टैंक, टैंकों का अवसादन	* जल स्तर में वृद्धि (मई 2007-08 के दौरान औसतन 1.16 मीटर) * फसली क्षेत्र में मामूली वृद्धि तथा गैर-धान वाली से धान वाली खेती में सराहनीय परिवर्तन। * उत्सर्जन और जल को पम्प करने की अवधि (घंटों) आदि में वृद्धि।

सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट

***324. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने सौर परियोजनाओं सहित अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं के दोहन के क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 5 से 10 मेगावाट के ग्रिड से जुड़े सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट की स्थापना करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) मुख्यत: तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के कार्य में लगी हुई हैं तथापि, हरित पहल के रूप में ओएनसीजी ने सौर परियोजनाओं सहित अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख) ओएनजीसी ने गुजरा में 51 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की पवन विद्युत परियोजना शुरू की है जो वर्तमान में प्रचालनरत है।

(ग) से (ङ) ओएनजीसी ने उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ 10 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजना शुरू करने के लिए अपनी ही कुछ संस्थापनाओं का अन्वेषण करके प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन किया हैं राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) को आरंभ करने से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया। व्यवहार्यता अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर ओएनजीसी ने उपयुक्त प्रौद्योगिकी के रूप में सोलर पीवी की पहचान की है। ओएनजीसी ने राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के तहत गुजरात में भरूच में एक 5 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की फेटोवोल्टेक (पीवी) परियोजना हेतु गंभीर प्रयास किए हैं और अपनी बोली प्रस्तुत की है। तथापि, ओएनजीसी सौर पीवी परियोजना हासिल करने में सफल नहीं हुई क्योंकि एनएसएम के तहत भावी विकासकर्ता को परियोजना का आबंटन प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया पर आधारित होता है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

***325. श्री उदय प्रताप सिंहः**
श्री लालचन्द कटारियाः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन रेल लाइनों का जोन-वार और खंड-वार ब्यौरा क्या है जिनका विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;

(ख) इन रेल लाइनों का समयबद्ध तरीके से विद्युतीकरण करने के लिए रेलवे द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना या उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार कटनी-इटारसी लाइन और थाकोलम-अराकोनाम लाइन का विद्युतीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) जोन-वार और खंड-वार उन रेल लाइनों का ब्यौरा, जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है, नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	विद्युतीकृत किए जाने वाले मार्ग किमी	वे प्रमुख खंड जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है (कार्य जो स्वीकृत नहीं किए गए)	वे प्रमुख खंड जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है (कार्य जो स्वीकृत किए गए)
1	2	3	4	5
1.	मध्य	2073	1. अमला-छिंदवाड़ा	1. दौंड-मनमाड
			2. पुणे-मिरज-कोल्हापूर	2. पुणे-दौंड-वाडी

1	2	3	4	5
			3. अचलपुर-मुर्तजपुर-यवतमाल	
			4. पनवेल-पेन-रोहा	
			5. लातूर-कुर्दुवाडी	
2.	पूर्व	1081	1. पाकुड़-बरहरवा-न्यू फरक्का-मालदा टाउन	1. खाना-सैंथिया सहित पांडाबेस्वर-सैंथिया पाकुड़
			2. बरहरवा-साहिबगंज-भागलपुर-कियूल	
			3. अजीमगंज-न्यू फरक्का	2. बर्द्धमान-कटवा
3.	पूर्व मध्य	1927	1. क्यूल-गया	1. छपरा-बरौनी-कटिहार
			2. पनियाहवा-नरकटियागंज-सुगौली-मुजफ्फरपुर	
			3. समस्तीपुर-दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल-नरकटियागंज	
			4. दरभंगा-जंघईपुर-फारबिसगंज	
			5. मानसी-सहरसा-पूर्णिया	
			6. गढवा रोड-चोपन-सिंगरोली	
4.	पूर्व तट	1050	1. टिटलागढ़-संबलपुर-झारसुगुड़ा	1. विजयानगरम-रायगडा-टिटलागढ़-रायपुर
			2. तालचेर-संबलपुर	
			3. दामनजोडी-रायगडा	
5.	उत्तर	5020	1. बठिंडा-श्रीगंगानगर सहित हिसार-जाखल-धूरी-लुधियाना	1. गाजियाबाद-मुरादाबाद 2. रोहतक-जींद-जाखल-बठिंडा
			2. राजपुरा-धूरी-बठिंडा	
			3. बठिंडा-फिरोजपुर-जालंधर कैण्ट	3. जम्मू तवी-ऊधमपुर
			4. फिरोजपुर कैण्ट-फाजिल्का कोटकपूर	4. रोसा-सीतापुर
			5. दिल्ली-शाहदरा-शामली-सहारनपुर	5. वाराणसी-जंघई-ऊंचाहार
			6. नरवाना-कुरूक्षेत्र और जींद-पानीपत	
			7. सीतापुर-बालामउ-उन्नाव-ऊंचाहार	
			8. बाराबंकी-फैज़ाबाद-जाफ़राबाद-जंघई	
			9. फ़ैजाबाद-सुल्तानपुर-फाफामऊ	

1	2	3	4	5
			10. ऊंचाहार-रायबरेली-उतरेतिया	
			11. रायबरेली-चिलबिला और प्रतापगढ़-जंघई	
			12. पठानकोट-अटारी	
			13. काजीगुंड-बारामूला	
6.	उत्तर मध्य	1663	1. झांसी-बांदा-मानिकपुर-इलाहाबाद	1. मथुरा-अलवर
			2. भिण्ड-ग्वालियर-श्योपुरकलां	
			3. आगरा (ईदगाह)-अछनेरा-बांदीकुई	
			4. शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद	
			5. चुनार-चोपन	
			6. भीमसेन-खैरार	
			7. बाढ़न-एटा	
7.	पूर्वोत्तर	3465	1. छपरा-कचेरी-फाफामऊ-वाराणसी-इलाहाबाद	1. सीतापुर-बुढवल 2. गोंडा-सीवान
			2. भटनी-मऊ-औंडिहार	
			3. फेफना-इन्दारा-शाहगंज	
			4. कल्याणपुर-फर्रुखाबाद-कासगंज	
			5. मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर और काशीपुर-लालकुआं	
			6. रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम	
8.	पूर्वोत्तर सीमा	3907	1. गुवाहाटी-लमडिंग-तिनसुकिया-लेखापानी	1. कटिहार-गुवाहाटी
			2. माकुम-तिरप	
			3. शिवसागर-मोरनहाट-तिनसुकिया	
			4. चापरमुखी-सिलघाट टाऊन	
			5. माकुम-डंगारी	
			6. मालदा-कुमेदपुर	
			7. कटिहार-जोगपानी	
			8. बारसोई-राधिकापुर	

1	2	3	4	5
			9. एकलाखी-बालुरघाट	
			10. ओल्ड मालदा-सिंघाबाद	
			11. सिलीगुडी-न्यू माल-अलीपुरद्वार	
			12. न्यू बोगाईगांव-रंगिया-गुवाहाटी	
9.	उत्तर पश्चिम	5459	1. रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-अजमेर-मारवाड़	1. अलवर-रेवाड़ी-मनहेरू
			2. जयपुर-सवाई माधोपुर	
			3. मुनाबाव-बाड़मेर-जोधपुर	
			4. श्रीगंगानगर-सूरतगढ़-बीकानेर-मेड़ता रोड-जोधपुर	
			5. अलवर-बांदीकुई-जयपुर	
			6. रेवाड़ी-भिवानी-हिसार-बठिण्डा	
			7. अजमेर-बीकानेर-उदयपुर-हिम्मतनगर	
10.	दक्षिण	2910	1. सेलम-वृद्धाचलम-कुड्डालोर	1. शोराण्णूर-मंगलौर
			2. ईरोड-करूर-तिरूचिरापल्ली-तिरूवरूर	2. वेल्लोर-विलुपुरम
			3. बोदीनायकन्नूर-मदुरै-मानमदुरै-रामेश्वरम	
			4. मानमदुरै-करईकुडी-तिरूचिरापल्ली	
			5. करईकुडी-तिरूतुरईपुंडी-करईकल	
			6. कुड्डालोर-मईलादुतुरई-अगस्तियमपल्ली और मईलादुतुरई-तंजावूर	
			7. कोल्लम-तेनकासी-तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर	
			8. विरुदुनगर तेनकासी	
			9. सेलम-करूर-दिण्डीगुल	
			10. कोयंबटूर-मेटुपलायम	
11.	दक्षिण मध्य	3723	1. सिकंदराबाद-मुदखेड-परभनी-मनमाड	1. गुंतकल-वाडी

1	2	3	4	5
			2. वाडी-विकाराबाद-परभनी	2. विजयवाडा-गुडीवाडा-भीमावरम-नरसापुर
			3. नालापाडु-गुंतकल	
			4. अकोला-पूर्णा	3. पांडेकल्लू-गूत्ती
			5. मुदखेड-अदिलाबाद	
			6. नालापाडु-पागिडीपल्ली	
			7. पकाला-मदनपल्ली	
12.	दक्षिण पूर्व	474	1. रांची-लोहरदगा	1. तामलुक-दिघा
			2. टाटानगर-बादामपहाड़	
			3. रूपसा-बांगरीपोसी	
			4. बांकुड़ा-मेशग्राम	
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	1202	1. बालाघाट-कटंगी सहित गोंदिया-बालाघाट-जबलपुर	1. गोंदिया-बल्लारशाह
			2. नागपुर-छिंदवाड़ा-नैनपुर-मांडला फोर्ट	
			3. मरौदा-दल्लीराजहरा	
			4. तुमसर रोड-तिरोडी	
14.	दक्षिण पश्चिम	2956	1. बैंगलुरू-ओमालूर	1. येलहंका-धर्मावरम-गूत्ती
			2. चिकबनावर-तुमकुर-बिरूर-तालगुप्पा	2. केनगेरी-मैसूर
			3. अरसीकेरे-हसन-मंगलौर	
			4. हसन-मैसूर-चामराजनगर	
			5. बिरूर-हुबली-वास्को-डी-गामा	
			6. लोंडा-मिरज	
			7. गुतकल-बेल्लारी-होस्पेट-हुबली	
			8. होटगी-बागलकोट-गदग	
15.	पश्चिम	4618	1. रतलाम-चित्तौड़गढ़-	1. मियागांव-करजन-दाभोई-समालया
			2. ओखा-राजकोट-सुरेन्द्रनगर-अहमदाबाद	
			3. अहमदाबाद-पालनपुर-समख्याली-न्यू भुज	

1	2	3	4	5
			4. मुंदड़ा पोर्ट-आदिपुर	
			5. समख्याली-धंरगधरा-वीरमगाम-मेहसाणा	
			7. सोमनाथ-जेतपुर-राजकोट और वंसजलिया-जेतपुर	
			8. पिपावाव पोर्ट-ढोला-बोटाड-सुरेंद्रनगर और ढोला-भावनगर	
			9. नादियाड-मोडासा	
16.	पश्चिम मध्य	1412	1. इटारसी-जबलपुर-कटनी-मानिकपुर	
			2. कटनी-सिंगरौली	
			3. सतना-रीवा	
			4. ग्वालियर-गुना-मकसी	
			5. कोटा-बूंदी-चित्तौड़गढ़	
17.	मेट्रो रेलवे	0	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल	42940	36447	6493

(ख) विद्युतीकरण परियोजनाओं को उत्तरोत्तर रूप से स्वीकृत किया जा रहा है। इस 6493 मार्ग किमी के विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है और वे निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) कटनी-इटारसी रेल लाइन के विद्युतीकरण के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। थाक्कोलम-अरक्कोणम रेल लाइन का विद्युतीकरण स्वीकृत हो गया है और कार्य प्रगति पर है।

भूमि अर्जन

***326. श्री दत्ता मेघे:**
श्री पुलीन बिहारी बासके:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूमि अर्जन अधिनियम/नीति और इससे संबंधित नियमों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में किसानों, भू-स्वामियों तथा अन्य हितधारकों के लिए जागरुकता कार्यक्रम शुरू करने का है ताकि उनके हितों के साथ-साथ लोक हित का संरक्षण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन किसानों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का है जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों/भू-स्वामियों की अर्जित की गई भूमि के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 तथा राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 को किसानों, भू-स्वामियों और अन्य हितधारकों की सूचना के लिए इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.doir.nic.in पर पब्लिक डोमेन में रखा गया है।

(ग) और (घ) वैकल्पिक रोजगार के संबंध में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 के पैरा 7.13.1 में यह व्यवस्था है कि:

(i) अर्जनकारी निकाय परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रति एकल परिवार कम से कम एक व्यक्ति की दर से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता देगा, बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और रोजगार के लिए प्रभावित व्यक्ति उपयुक्त हो,

(ii) जहां कहीं अपेक्षित हो, अर्जनकारी निकाय प्रभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य के लिए सक्षम बनाया जा सके,

(iii) अर्जनकारी निकाय प्रभावित परिवारों के पात्र व्यक्तियों को स्कॉलरशिप और मानदंड के अनुसार उपलब्ध करायेगा,

(iv) अर्जनकारी निकाय बहारी संविदाओं, दुकानों के आबंटन में अथवा परियोजना स्थल के भीतर या आस-पास उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों में प्रभावित व्यक्तियों या उनके समूहों या सहकारिताओं को प्राथमिकता देगा,

(v) अर्जनकारी निकाय निर्माण चरण के दौरान परियोजना में श्रमिकों को लगाने के समय पर इच्छुक भूमिहीन श्रमिकों तथा बेरोजगार प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा।

(ङ) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी विभिन्न मुद्दों को व्यापक रूप से हल करने के लिए भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2011 का एक मसौदा तैयार किया गया है और इसे विधि निर्माण-पूर्व परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 29 जुलाई, 2011 को पब्लिक डोमेन में रखा गया है। हितधारकों से 31 अगस्त, 2011 तक टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि

***327. श्रीमती सीमा उपाध्याय:**
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विकास कार्य की गति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने में विलम्ब के मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या धनराशि जारी करने में विलम्ब के कारण सड़कों के निर्माण की लागत तथा समय में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जा रही है। यह समीक्षा निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा समिति की बैठकों (राज्यों के समूह के साथ) के जरिए और एक या उससे अधिक राज्यों के लिए बुलाई गई अधिकारसंपन्न समिति की बैठकों के दौरान की जाती है। राज्यों से प्राप्त मासिक, तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए पीएमजीएसवाई की निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाता है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, जून, 2011 तक कुल 3,28,139 कि.मी. लंबाई (नई संपर्कता और उन्नयन) की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस पर 83,788 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(ग) से (च) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों को निधियां राज्य में कार्यान्वयन की गति, खर्च का स्तर और उसके पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार रिलीज की जाती है।

[अनुवाद]

वैगनों के संबंध में अनुसंधान और विकास

***328. श्रीमती दर्शना जरदोश:**
श्री हरिन पाठक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड्स आर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) और अन्य विभागीय एजेंसियों/संस्थाओं ने वैगनों के डिजाइन में सुधार, मानकीकरण और उनकी क्षमता/कार्यकुशलता/प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या रेलवे को विभिन्न राज्य सरकारों से वैगनों की भार वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उन्हें पुन: डिजाइन किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) जी हां। भारत वहन क्षमता बढ़ाने, गति संभाव्यता बढ़ाने आदि के लिए वैगनों के डिजाइन में सुधार हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यों को अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा नियमित रूप से किया जाता है और इन प्रयासों से खाद्यान्नों, कोयला, स्टील कोयल, ऑटोमोबाइल, एलपीजी आदि जैसी पण्यों के परिवहन के लिए अधिक कुशलता वाले अनेक बैगन डिजाइन प्राप्त हुए हैं।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) फरवरी, 2010 में गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था तथा जिसके पश्चात् अप्रैल, 2011 में गुजरात सरकार के प्रमुख सचिव से भी एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें नमक एवं अन्य पण्यों के लिए उच्चतर वहन क्षमता वाले हल्के वैगनों को विकसति किए जाने के लिए रेलों को सुझाव दिया गया था। रेलें, धड़ा भार को कम करके बैगनों की वहन क्षमता में सुधार करने का सतत् प्रयास करती हैं। हाल के वर्षो के दौरान, रेलों ने नए बीसीएनएचएल प्रकार के कवर्ड वैगनों की शुरूआत की है जिसमें पूर्ववर्ती बीसीएन डिजाइन के 27.20 टन के धड़ा भार की तुलना में धड़ा भार कम कर 20.80 टन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न पण्यों की अनुमेय वहन क्षमता 5 से 7 टन तक बढ़ गई है। वैगनों की भार क्षमता में सुधार के लिए इस प्रकार के डिजाइन और विकासात्मक प्रयास सतत् आधार पर किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत (हजार रु. में)	जुलाई, 2011 तक कुल व्यय (हजार रु. में)	2009-10 और 2010-11 में व्यय (हजार रु. में)
1	2	3	4	5
1.	समर्पित माल गलियारे के लिए 32.5 टन धुरा भार वैगन का डिज़ाइन और विकास	144034	1119	980
2.	मौजूदा प्रणाली के लिए 25 टन धुरा भार वैगन का डिज़ाइन और विकास	251825	17646	286
3.	मौजूदा अधिकतम मूविंग डायमेंशन के अनुसार डबल स्टैक कंटेनर और अन्य वैगनों के लिए भी कायनेमेटिक आमान का अनुमान	35360	0	0
4.	पेरामेटिक सिमुलेशनों का उपयोग करते हुए भारती रेल का बड़ी आमान पर माल स्टॉक के लिए अधिकतम अनुमेय ग्रेविटी सेन्टर का अनुमान	3843	58	58

1	2	3	4	5
5.	भारतीय रेल के फ्रेट स्टॉक के कार्टरिज टेपर रोलर बियरिंग का अध्ययन और डिज़ाइन में सुधार	2453	0	0
6.	बीओबीआरएन हॉपर वैगन की बॉटन डिस्चार्ज प्रणाली में सुधार	2475	1238	1238
7.	आईआईटी/रुड़की के साथ 25 टन धुरा भार वाले बीओएक्सएन 25 (स्टेशन स्टील वाला नया डिजाइन) के कोयला वैगनों के महत्त्वपूर्ण वैल्ड ज्वाइन्टों के डिज़ाइन के संबंध में परामर्श संबंधी कार्य	928	420	420
8.	खुले कोयला बैगनों के लिए प्रोटोटाइप साइड डोर का डिज़ाइन और सुधार तथा प्रापण	656	0	0

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केन्द्र

***329. श्री चार्ल्स डिएस:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य-वार कितने खुदरा बिक्री केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनेक खुदरा बिक्री केन्द्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के 23 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में हैं। इन बिक्री केन्द्रों में नौ (09) विभागीय बिक्री केन्द्र (डीएसओ) शामिल है जिन्हें ग्रामोद्योग भवनों के रूप में जाना जाता है और इन डीएसओ के अंतर्गत 14 शाखाओं का प्रचालन किया जाता है। भवनों और उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों (स्वयं भवनों में विद्यमान सहित) की राज्य-वार संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	केवीआईसी के भवनों की संख्या	कुल
1.	दिल्ली	2	8
2.	केरल	1	3
3.	बिहार	1	1
4.	पश्चिम बंगाल	1	4
5.	महाराष्ट्र	1	2
6.	गोवा	1	2
7.	मध्य प्रदेश	1	2
8.	त्रिपुरा	1	1
	कुल	9	23

(ख) और (ग) केवीआईसी के अनुसार, इन बिक्री केन्द्रों में से कुछ बिक्री केन्द्र अच्छी स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि ये बिक्री केन्द्र 20-50 वर्ष पुराने हैं और पुराने भवनों में अवस्थित है। इनमें नई दिल्ली, कोलकाता, एर्णाकुलम, मुंबई, गोवा, अगरतला और भोपाल में अवस्थित बिक्री केन्द्र/शाखाएं शामिल हैं।

(घ) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में केवीआईसी के माध्यम से केवीआईसी के बिक्री केन्द्रों सहित खुदरा

बिक्री केन्द्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल है: (i) 'वर्तमान कमजोर खादी संस्थाओं के ढांचे को मजबूत बनाना और विपणन ढांचे के लिए सहायता' योजना की शुरुआत करना जो अन्य बातों के साथ-साथ 11वीं योजना अवधि के दौरान केवीआईसी के स्वामित्व वाले कुछ बिक्री केन्द्रों सहित 30 खादी बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु सहातया उपलब्ध कराती है। (ii) पूर्ववर्ती बिक्री पर रिबेट प्रणाली के स्थान पर खादी के उत्पादन पर बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना, जिसके अंतर्गत बिक्री संस्थाओं को एमडीए के 45 प्रतिशत के उनके शेयर का उपयोग करने की नम्यता प्राप्त है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण, विक्रेताओं का प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, डिजाइनिंग, प्रचार, छूट प्रदान करना, आदि उपलब्ध है। (iii) वर्ष 2009-10 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 300 चयनित खादी संस्थाओं में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 150 कार्यान्वयन करना जो अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक निजी भागीदारी में एक विपणन संगठन की स्थापना के अतिरिक्त महानगरों एवं राज्यों की राजधानियों में नए बिक्री केन्द्र खोलने, बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करता है।

रेलवे की नई उत्पादन इकाइयां

***330. श्री नित्यानंद प्रधान:**
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इकाई-वार इनका क्षमता उपयोग कितना रहा;

(ख) क्या रेलवे का विचार इन इकाइयों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे को ओडिशा और केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में रेल डिब्बे कारखानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या इन परियोजनाओं की स्थापना राज्य-सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत या सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता और इसकी उपयोगिता को नीचे दर्शाया गया है:-

उत्पादन इकाइयां	संस्थापित उत्पादन क्षमता (चालू कार्यों के पूरा हो जाने पर)	वास्तविक उत्पादन 2009-10	2009-10 में क्षमता उपयोगिता	वास्तविक उत्पादन 2010-11	2010-11 में क्षमता उपयोगिता	वास्तविक उत्पादन 2010-11 (अप्रैल-जुलाई, 2011)
1	2	3	4	5	6	7
चितरंजन रेलइंजन कारखाना (सीएलडब्ल्यू) चितरंजन	200	220	110%	230	115%	72
डीजल रेलइंजन कारखाना (डीएलडब्ल्यू) वाराणसी	200	257	129%	267	133.5%	77
सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर, चेन्नै	1500	1433	95.5%	1503	100%	421

1	2	3	4	5	6	7
रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला	1500	1568	104.5%	1576	105%	499
डीजल रेलइंजन आधुनिकीकरण कारखाना (डीएमडब्ल्यू) पटियाला रि-बिल्डिंग न्यू लोकोमोटिव	72	112	155.5%	110	152.7%	36 1
रेल पहिया कारखाना, बैंगलुरू						
पहिए	200000	187450	93.7%	180810	90.4%	73028
धुरे	52000	65302	125.6%	83353	160.3%	27137

(ख) रेल उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इन इकाइयों के ग्रेडोन्नयन के लिए रेलों की आवश्यकता के अनुसार आवधिक रूप से इनमें निवेश किया जाता है।

(ग) उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण और संवर्द्धन और निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें शुरू कर दिया गया है:

(i) चितरंजन रेलइंजन कारखाना, चितरंजन-क्षमता 200 से 275 बिजली रेलइंजन प्रति वर्ष

(ii) सवारी डिब्बा कारखाना, पैरम्बूर-सवारी डिब्बों की उत्पादन क्षमता 1500 से बढ़कर 1700 सवारी डिब्बे प्रति वर्ष करते हुए प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार

(iii) डीजल रेलइंजन कारखाना, वाराणसी-प्रौद्योगिकी का अंतरण और 4000/3000 अश्व शक्ति वाले जनरल मोटर्स के रेलइंजनों का निर्माण (चरण I और चरण II)

(iv) डीज़ल रेलइंजन कारखाना, वाराणसी-100 उच्च अश्व शक्ति 100 परंपरागत रेलइंजनों के प्रोडक्ट मिक्स का 150 उच्च अश्व शक्ति 50 परंपरागत रेलइंजनों में बदलाव।

(v) रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला-एलएचबी स्टेनलैस स्टील कोच उत्पादन को पूर्णतया अपनाकर प्रतिवर्ष तक 1400 से 1500 कोच क्षमता संवर्द्धन (चरण I और चरण II)

(घ) जी हां। सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए उड़ीसा, केरल और असम की राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) रेल बजट में केरल में पालघाट में एक सवारी डिब्बा विनिर्माण कारखाने की घोषणा की गई है। मौजूदा और हाल ही में योजनाबद्ध की गई सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाइयों को रेलवे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझा जाता है और किसी अन्य सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाई की स्थापना की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(च) रेल बजट में पालघाट में संयुक्त उद्यम/निजी सार्वजनिक साझेदारी के आधार पर रेल सवारी डिब्बा विनिर्माण कारखाने की घोषणा की गई है।

(छ) 2008-09 के रेल बजट के भाषण में घोषणा किए जाने के बाद इस कारखाने को योजना आयोग ने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है और परियोजना का मूल्यांकन कर लिया है। रेल की विस्तारित बोर्ड ने भी इस परियोजना की सिफारिश की थी। केरल सरकार द्वारा पूर्व में दी गई वचनबद्धता के अनुसार इस कारखाने के लिए भूमि निःशुल्क दी जानी थी। बाद में केरल सरकार ने भूमि की लागत को राज्य सरकार की इक्विटी के रूप में मानने का अनुरोध किया था और इस इकाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के गठन के लिए अभिरूचि दर्शाई। यदि निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का संयुक्त उद्यम भागीदारी के रूप

में चयन होता है तो इस संबंध में भी केरल सरकार ने भूमि पट्टे संबंधी शर्तों एवं निबंधनों को सूचित किया है। इन मामलों की जांच की जा रही है और सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

मौसम विज्ञान विभाग में अवसंरचना

***331. श्री राजेन गोहैन:**
श्री धनंजय सिंह:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौसम संबंधी अनुसंधान और पूर्वानुमान कार्य में रत वैज्ञानिकों के कार्यकरण के स्तरोन्नयन के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि उक्त प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई गई विद्यमान अवसंरचना अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अवसंरचना के उन्नयन के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस कार्य हेतु नियोजित जनशक्ति से अपेक्षित कौशल प्राप्त नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभाग के वैज्ञानिकों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाने का है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): (क) कोई विशिष्ट स्कीम शुरू नहीं की गई है। परंतु मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान सहित वैज्ञानिक सेवाओं के लिए सुनम्य पूरक योजना (एफसीएस) कार्यान्वित की गई है।

एफसीएस का कार्यान्वयन वर्ष 1973 के तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था, इस स्कीम के तहत कोई रिक्ति उपलब्ध है या नहीं, इसका विचार किए बिना प्रमाणित योग्यता और प्रतिभा वाले वैज्ञानिकों के लिए निर्धारित सेवा अवधि के बाद एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति प्रदान की जाती है। बाद के वेतन आयोगों की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए सरकार द्वारा एफसीएस प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। हाल ही में, सरकार ने सितंबर, 2010 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिकों के लिए एफसीएस में संशोधन किए हैं।

परंतु, मंत्रालय में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में एफसीएस के कार्यान्वयन में अभी तक जो कुछ विसंगतियां थीं उन्हें दूर कर दिया गया है और उन्हें पूर्णतः एकसमान बना दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, परंतु सरकार महसूस करती है कि प्रेक्षणात्मक उच्च स्तरीय संगणन, संप्रेषण, पूर्वानुमान/चेतावनी प्रसारण अवसंरचना को अपग्रेड करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, जिससे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले उपकरण उन वैज्ञानिकों तक पहुंच सकें, जो सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान संबंधी कार्य में लगे हैं।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, सरकार द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-I का कार्यान्वयन 920 करोड की आबंटित राशि से किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आईएमडी के आधुनिकीकरण के चरण-I के अंतर्गत अत्याधुनिक प्रेक्षण, मॉनीटरन/पूर्व चेतावनी और डेटा दृश्यकरण/सूचना प्रसंस्करण और संप्रेषण प्रौद्योगिकियों को चालू किए जाने से मानव द्वारा किए जाने वाले कई कार्यों को पूर्णतया स्वचालित कर दिया गया है। पहले इस प्रकार के कार्य करने वाले सभी कामिर्को को न केवल उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों वाले उपयुक्त प्रचालन संबंधी कौशल प्राप्त करने, बल्कि क्षेत्र विशेष की चेतावनी और पूर्वानुमान सेवाओं को ग्राहक के अनुकूल बनाकर इनकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए कारगर ढंग से योगदान देने के लिए भी अनुकूलन, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं।

(च) उपर्युक्त के बावजूद, विभिन्न अनुसंधान एवं विकास पहलों की जरूरतों के अनुसार विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहु-पक्षीय तकनीकी सहयोग व्यवस्थाओं के अंतर्गत ईएसएसओ के वैज्ञानिकों को समुचित रूप से अधिक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अनिवार्य मतदान प्रणाली

***332. श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण विश्व के उन लोकतांत्रिक देशों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अनिवार्य मतदान प्रणाली शुरू की है;

(ख) क्या सरकार ने देश में उपर्युक्त प्रणाली शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) विश्व के प्रजातांत्रिक देशों के, जहां अनिवार्य मतदान की पद्धति आरंभ की गई है, सुनिश्चित ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भू-जल स्तर में गिरावट

***333. श्री जफर अली नकवी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में तेजी से गिरते हुए स्तर की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार तथा संघराज्य क्षेत्र-वार औसत भू-जल स्तर कितना है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों द्वारा समुचित विधान बनाने के साथ-साथ भू-जल के विकास और विनियमन के लिए योजनाएं/परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) एवं (ख) देश के कुछ भागों में भूमि जल स्तर में गिरावट आ रही है जैसा कि केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा 15640 प्रेक्षण कुओं के तंत्र की सहायता से नियमित रूप से (वर्ष में चार बार) मानीटर किए गए भूमि जल आंकड़ों के विश्लेषण में दर्शाया गया है।

(ग) मई, 2011 के दौरान संग्रहित जल स्तर आंकड़ों में दर्शाया गया है कि अधिकतर प्रेक्षण कुओं में जल स्तर भूमि स्तर से 2 से 20 मीटर कम है। मई, 2011 के दौरान मापी गई जल की गहराई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जल राज्य का विषय है अत: भूमि जल के विकास हेतु विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को प्रारंभ करना मुख्यकत: राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित भूमि जल कानून को अधिनियमित कराने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने भूमि जल के विकास का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए माडल बिल परिचालित किया है। अभी तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ने भूमि जल कानून को अधिनियमित कर लिया है।

- देश में भूमि जल के विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का भी गठन किया है।
- गुजरात सरकार ने एक संकल्प अर्थात संदर्भ सं. जीडब्ल्यूआर/1095/6/1.1/जेए-1 दिनांक 19.9.2001 द्वारा भूमि जल प्रबंधन, इसके विकास, नियंत्रण और विनियमन के सुव्यवस्थित संचालन हेतु नर्मदा एवं जल संसाधन प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गुजरात भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आदेश सं. एफ-8 (348/ईए/पर्या./09 दिनांक 31.3.2009 द्वारा भूमि जल विकास के विनियमन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी जिलों को अधिसूचित किया है।

विवरण-I

वर्ष 2011 की मानसून पूर्व अवधि हेतु जल की गहराई और कुओं की प्रतिशता के वितरण का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्लेषित कुओं की सं.	जल स्तर की गहनता (एमबीजीएल		निम्नलिखित स्तर पर जल की गहराई दर्शाते हुए कुओं की सं. एवं प्रशितता											
					0-2		2-5		5-10		10-20		20-40		40	
			न्यूनतम	अधिकतम	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	6.79	0.05	41.80	84	12.37	250	36.82	248	36.52	92	13.55	4	0.59	1	0.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	1.59	11.01	2	16.67	5	41.67	3	25.00	2	16.67	0	0.00	0	0.00
3.	असम	209	0.05	19.58	40	19.14	122	58.37	42	20.10	5	2.39	0	0.00	0	0.00
4.	बिहार	269	1.16	15.00	8	2.97	90	33.46	150	55.76	21	7.81	0	0.00	0	0.00
5.	चंडीगढ़	18	2.65	37.67	0	0.00	3	16.67	6	33.33	5	27.78	4	22.22	0	0.00
6.	छत्तीसगढ़	360	0.53	24.90	12	3.33	78	21.67	200	55.56	69	19.17	1	0.28	0	0.00
7.	दादरा एवं नगर हवेली	6	2.35	9.95	0	0.00	3	50.00	3	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	दिल्ली	142	0.96	66.45	8	5.63	35	24.65	38	26.76	33	23.24	18	12.68	10	7.04
9.	गोवा	44	1.21	26.09	3	6.82	20	45.45	14	31.82	6	13.64	1	2.27	0	0.00
10.	गुजरात एवं दमन दीव	665	0.34	64.58	27	4.06	141	21.20	239	35.94	199	29.92	53	7.97	6	0.90
11.	हरियाणा	315	0.53	63.30	22	6.98	80	25.40	79	25.08	90	28.57	41	13.02	3	0.95
12.	हिमाचल प्रदेश	77	0.38	29.95	8	10.39	24	31.17	23	29.87	19	24.68	3	3.90	0	0.00
13.	जम्मू एवं कश्मीर	134	0.82	37.40	17	12.69	68	50.75	27	20.15	12	8.96	10	7.45	0	0.00
14.	झारखंड	180	1.61	19.80	2	1.11	16	8.89	106	58.89	56	31.11	0	0.00	0	0.00
15.	कर्नाटक	901	0.38	30.68	79	8.77	259	28.75	374	41.51	186	20.64	3	0.33	0	0.00
16.	केरल	700	0.12	41.20	68	9.71	200	28.57	310	44.29	109	15.57	12	1.71	1	0.14
17.	मध्य प्रदेश	857	1.75	47.00	1	0.12	69	8.05	364	42.47	385	44.92	36	4.20	2	0.23
18.	महाराष्ट्र	812	0.10	62.58	40	4.93	192	23.65	423	52.09	141	17.36	13	1.60	3	0.37
19.	मेघालय	27	1.03	8.09	4	14.81	21	77.78	2	7.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	उड़ीसा	873	0.00	16.55	85	9.74	359	41.12	390	44.67	39	4.47	0	0.00	0	0.00
21.	पुडुचेरी	7	2.04	3.66	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	पंजाब	193	0.674	33.00	8	4.15	32	16.58	53	27.46	70	36.27	30	15.54	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.	राजस्थान	824	0.65	11.70	14	1.70	57	6.92	179	21.72	246	29.85	174	21.12	154	18.69
24.	तमिलनाडु	654	0.55	50.40	64	9.79	258	39.45	228	34.86	79	12.08	18	2.75	7	1.07
25.	त्रिपुरा	27	1.39	6.60	3	11.11	16	59.26	8	29.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	723	0.51	40.51	9	1.24	261	36.10	295	40.80	136	18.81	21	2.90	1	0.14
27.	उत्तरांचल	46	2.03	18.29	0	0.00	19	41.30	15	32.61	12	26.09	0	0.00	0	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	520	0.32	24.90	12	2.31	154	29.62	220	42.31	122	23.46	12	2.31	0	0.00
	कुल	10274			620	6.03	2839	27.63	4039	39.31	2134	20.77	454	4.42	188	1.83

टिप्पणी: छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में नक्सलवाद की समस्या के कारण लगभग 700 कुओं की मानीटरिंग नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

इंजनों और वैगनों का विनिर्माण

***334. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री सोमेन मित्रा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न इंजन और वैगन/सवारी डिब्बा कारखानों की विनिर्माण क्षमता का कारखाने-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनकी विनिर्माण क्षमता की तुलना में वर्ष-वार और कारखाने-वार कितने इंजनों, वैगनों/सवारी डिब्बों का विनिर्माण किया गया;

(ग) देश में इंजनों और वैगनों/सवारी डिब्बों की कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इंजनों/वैगनों/सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इन कारखानों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों की विनिर्माण क्षमता, उनके द्वारा विनिर्माण किये गए इंजनों और कोचों की संख्या नीचे दर्शाया गया है:-

उत्पादन इकाइयां	संस्थापित उत्पादन क्षमता (चालू कार्यों के पूरा होने पर)	उत्पादन		
		2008-09	2009-10	2010-11
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना चिरेका), चित्तरंजन	200 बिजली इंजन	220	220	230
डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका), वाराणसी	200 बिजली इंजन	257	258	267
सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर, चेन्नै	1500	1337	1433	1503
रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला	1500	1558	1568	1576

मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) और निजी उद्योग भी कोचों के उत्पादन की प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) भी भारतीय रेलवे को विद्युत इंजनों की आपूर्ति करता है।

वैगनों का विनिर्माण प्रमुख रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है। अमृतसर, समस्तीपुर, जमालपुर, गोल्डेन रोंक और हुबली स्थित रेल वर्कशॉप भी कुल मिलाकर इस समय प्रति वर्ष लगभग 1500 वैगनों का विनिर्माण कर इसमें प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में वैगनों का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
वैगन	15261	15597	16638

(ग) और अधिक गाडियों को चलाने की पूरी नहीं की जा सकी। मांग को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय रेलवे में कोचों और इंजनों की कमी है दीर्घ काल में परिवहन के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और अल्प काल अर्थात् प्रत्येक वित्त वर्ष में नवम्बर से मार्च तक व्यस्त सीजन में नाखुश मांग को बेहतर ढंग से हल करने के लिए अतिरिक्त कोचों और वैगनों की आवश्यकता है।

(घ) कोच विनिर्माण के संबंध में, सवारी डिब्बा कारखाने की मौजूदा क्षमता प्रतिवर्ष 1500 से बढ़ाकर 1700 कोच की जा रही है। रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला में एलएचबी स्टेनलेस स्टील कोच को संपूर्णत: अपनाने और उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 1400 से बढ़ाकर 1500 कोच करने का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है।

चितरंजन रेल इंजन कारखाना की उत्पादन क्षमता की प्रतिवर्ष 200 से बढ़ाकर 275 इंजन की जा रही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में 100 हाई हॉर्सपावर + 100 पारंपरिक इंजनों के उत्पादन मिश्रण को 150 हाई हॉर्सपावर + 50 पारंपरिक इंजनों के उत्पादन मिश्रण में परिवर्तित करने के कार्य के साथ-साथ तकनीक के हस्तांतरण का कार्य और 4000/3000 हॉर्सपावर जनरल मोटर्स लोकोमोटिव (चरण-I और चरण-II) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

रायबरेली में एक नई रेल कोच फैक्टरी स्थापित की जा रही है और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट/मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और डीजल मल्टीपल यूनिट के विनिर्माण के लिए दो कारखाने क्रमश: कांचरापाडा और हल्दिया में स्थापित करने की योजना है। पालघाट में एक नयी कोच फैक्टरी स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। मरहोवरा और मधेपूरा में लोकोमोटिव कारखाने स्थापित करने का कार्य चल रहा है। गुवाहाटी, काजीपेट और हल्दिया में सुयुक्त उपक्रम/सार्वजनिक निजी भागीदारी में नई वैगन फैक्टरियों को स्वीकृत किया गया हैं भुवनेश्वर/कालाहाण्डी, कोलार और अलापुझा में भी वैगन फैक्टरियां स्थापित करने की योजना है और उसकी घोषणा रेल बजट में की गई है।

[हिन्दी]

सस्ते होटल

***335. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पर्यटन और धार्मिक स्थानों पर स्थित रेलवे स्टेशनों से सृजित होने वाली राजस्व क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थान कहां-कहां हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार पर्यटन और धार्मिक स्थानों के महत्त्वपूर्ण रेलवे-स्टेशनों के निकट सस्ते होटलों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा महाराष्ट्र में शिरडी सहित इसके लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) इन होटलों को कब तक स्थापित/शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) बजट होटलों को इनकी बाजार संभावनाओं के आधार पर मल्टीफंक्शनल कॉम्पलेक्स (एमएफसी) और विश्व स्तरीय स्टेशन (डब्ल्यूसीएस) के भाग के रूप में स्थापित किया जा सकता है। जहां मल्टी-फंक्शनल कॉम्पलेक्स की स्थापना के लिए कार्य शुरू हो गया है, उनके अंतर्गत 24 स्टेशनों पर बजट होटल बनाने की योजना है। राज्य-वार ऐसे स्टेशनों का ब्यौरा, कार्य की मौजूदा स्थिति और उनको चालू करने की अनंतिम तारीख सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। साईनगर शिरडी स्टेशन पर मल्टी- फंक्शनल कॉम्पलेक्स का कार्य पूरा हो गया है। इसमें बजट होटल शामिल नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्टेशन	मौजूदा स्थिति	चालू करने की अनंतिम तारीख
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	गुंटूर	कार्य प्रगति पर है।	31.12.2012
2.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	31.12.2012
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर	अंतिम कार्य प्रगति पर है।	31.05.2012
4.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	कार्य प्रगति पर है।	31.12.2012
5.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू तवी	ड्राइंगों के अनुमोदन के लिए स्थानीय निकायों के नोटिस के कारण रेलवे द्वारा कार्य रोक दिया गया है।	31.03.2013
6.	कर्नाटक	हुबली	कार्य प्रगति पर है।	30.06.2012
7.	केरल	कन्नूर	कार्य प्रगति पर है।	30.06.2012
8.	केरल	कोजीकोड़	कार्य प्रगति पर है।	31.12.2012
9.	मध्य प्रदेश	इंदौर	उद्यान विभाग, नगर पालिका निगम, इंदौर के साथ निरंतर संवाद के ाबद भी पेड़ काटने के लिए अनुमति अभी नहीं मिली है।	31.03.2013
10.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	कार्य प्रगति पर है।	30.06.201
11.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	अंतिम कार्य प्रगति पर है।	31.05.2012
12.	राजस्थान	उदयपुर	अंतिम कार्य प्रगति पर है।	30.06.2012
13.	तमिलनाडु	मदुरई	अंतिम कार्य प्रगति पर है।	30.06.2012
14.	तमिलनाडु	रामेश्वरम	प्रारंभिक कार्य शुरू कर िए गए हैं।	31.12.2012
16.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली	स्थान का निर्धारण किया जा रहा है।	31.12.2012
17.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।	30.06.2012
18.	उत्तराखड	हरिद्वार	अंतिम कार्य प्रगति पर है।	30.06.2012
19.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	पूरा हो गया है। कॉम्पलेक्स को पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही है।	31.12.2011
20.	पश्चिम बंगाल	दीघा	कार्य प्रगति पर है।	31.10.2012
21.	पश्चिम बंगाल	न्यू अलीपुर	पूरा हो गया है। कॉम्पलेक्स को पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही है।	31.12.2012

1	2	3	4	5
22.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	बिल्डिंग के सभी सिविल कार्य पूरे हो गए हैं। बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। कॉम्पलेक्स को पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही है।	31.12.2012
23.	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार जंक्शन	कॉम्पलेक्स	31.12.2012
24.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	दोबारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं जिन्हें 22.07.2011 को खोला गया और मूल्यांकन करने के बाद इन्हें निरस्त कर दिया गया। पुन: आमंत्रित की जानी हैं।	31.12.2012

मिट्टी के तेल के कोटे में कमी

***336. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:** क्या **पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित अनेक राज्यों में मिट्टी के तेल के कोटे में कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटीज) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल का आबंटन भारत सरकार द्वारा खाना बनाने और प्रकाश प्रयोजनार्थ किया जाता है। राज्य के भीतर पीडीएस मिट्टी तेल का आगे विवरण राशन की दुकानों/खुदरा डीलरों के जरिए राशन कार्ड धारकों को करना राज्य सरकार के नियंत्रण में है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर हैं। और विगत तीन वर्षों के दौरान पीडीएम मिट्टी तेल उठाने के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण II पर है।

(ख) और (ग) भारत सरकार रसोई ईंधन-पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के लिए राजसहायता मुहैया कराती है। विगत कुछ वर्षों में देश में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त विस्तार हुआ है। 2011-12 के लिए पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन करते समय, घरेलू एलपीजी पैठ का विस्तार, पीडीएस मिट्टी तेल कोटा नहीं उठाए जाने के कारण समाप्त होने और वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रति व्यक्ति आबंटन (पीसीए) जैसे कारकों को ध्यान में रेखा गया था और परिणामस्वरूप पीडीएस मिट्टी तेल कोटा दिल्ली राज्य सहित विभिन्न राज्यों के लिए कम कर दिया गया था।

विवरण-I

मिट्टी के तेल के कोटे में कमी के संबंध में श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र द्वारा लोक सभा में दिनांक 25.8.2011 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 336 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्यों/संघ शासित प्रदेश को पीडीएस मिट्टी तेल का मीट्रिक टनों में आबंटन

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार दीप समूह	5640	5640	5659	5816
2.	आंध्र प्रदेश	413080	463658	517102	517158

1	2	3	4	5	6
3.	अरूणाचल प्रदेश	9049	9133	9170	9257
4.	असम	257360	257725	257893	258007
5.	बिहार	638381	641837	643786	647430
6.	चंडीगढ़	5706	7135	7181	9999
7.	छत्तीसगढ़	145214	145504	145822	146938
8.	दादरा और नगर हवेली	1933	2363	2785	2782
9.	दमन और दीव	1569	1812	2073	2118
10.	दिल्ली	47767	108093	135235	160935
11.	गोवा	15390	17650	19209	19212
12.	गुजरात	524190	716386	742668	743759
13.	हरियाणा	122381	134344	144830	145619
14.	हिमाचल प्रदेश	25270	31331	45466	49409
15.	जम्मू और कश्मीर	73994	73994	75326	76044
16.	झारखंड	210332	210780	210964	211175
17.	कर्नाटक	419879	437986	461340	461478
18.	केरल	153404	175172	216310	216308
19.	लक्षदीप	794	794	795	795
20.	मध्य प्रदेश	487480	487480	487845	488609
21.	महाराष्ट्र	979620	1217258	1276588	1276876
22.	मणिपुर	19723	19723	19743	19907
23.	मेघालय	20283	20339	20359	20401
24.	मिजोरम	6098	6163	6181	6217
25.	नागालैंड	13307	13307	13318	13312
26.	ओडिशा	312019	313728	314334	314977
27.	पुडुचेरी	8125	12243	12249	12257
28.	पंजाब	212106	222098	234700	237192

1	2	3	4	5	6
29.	राजस्थान	397980	398167	398431	398913
30.	सिक्किम	5127	5136	5566	5582
31.	तमिलनाडु	429068	493111	558428	558929
32.	त्रिपुरा	30556	30584	30740	30832
33.	उत्तर प्रदेश	1239455	1240286	1240789	1241772
34.	उत्तरांचल	83673	86428	89845	89849
35.	पश्चिम बंगाल	750761	751275	751536	752103
	कुल आबंटन	8066713	8758660	9104266	9151967

टिप्पणी: जम्मू और कश्मीर के आबंटन में लद्दाख को वार्षिक आधार पर आबंटित 426 कि.ली. सम्मिलित है।
2011-12 से लागू-लक्षद्वीप के लिए पूरे वर्ष के लिए आबंटन

विवरण-II

पीडीएस मिट्टी तेल का उठान मीट्रिक टनों में (अतिरिक्त सहित)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5640	5628	6094
2.	आंध्र प्रदेश	563532	518368	516991
3.	अरूणाचल प्रदेश	9040	9046	9212
4.	असम	257671	257612	257889
5.	बिहार	637643	6405303	652585
6.	चंडीगढ़	6683	6730	8401
7.	छत्तीसगढ़	145075	144648	145981
8.	दादरा और नगर हवेली	2352	2745	2756
9.	दमन और दीव	1704	1951	2058
10.	दिल्ली	105515	130725	140530

1	2	3	4	5
11.	गोवा	17640	19186	19190
12.	गुजरात	716170	742717	743717
13.	हरियाणा	133817	144705	143901
14.	हिमाचल प्रदेश	31181	44695	45941
15.	जम्मू और कश्मीर	70281	70938	71467
16.	झारखंड	209072	210527	210843
17.	कर्नाटक	437945	465075	461256
18.	केरल	175167	216293	216312
19.	लक्षदीप	794	794	710
20.	मध्य प्रदेश	474779	499835	487500
21.	महाराष्ट्र	1216127	1276388	1276257
22.	मणिपुर	10611	19716	19648
23.	मेघालय	20243	20314	20322
24.	मिजोरम	6096	6137	6194
25.	नागालैंड	13298	13310	13308
26.	ओडिशा	311639	312129	323768
27.	पुडुचेरी	12214	12252	12382
28.	पंजाब	221112	230650	233823
29.	राजस्थान	397593	298022	398263
30.	सिक्किम	5127	5554	5559
31.	तमिलनाडु	496562	558247	563722
32.	त्रिपुरा	30530	30460	30694
33.	उत्तर प्रदेश	1238991	1240255	1242002
34.	उत्तरांचल	86725	90316	88833
35.	पश्चिम बंगाल	750977	754058	751636
	कुल	8719546	9100529	9129745

टिप्पणी: उठान में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिया गया अतिरिक्त आबंटन सम्मिलित है।

नदी जल का उपयोग

***337. श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नदी जल की सिंचाई क्षमता तथा उसकी उपयोगिता के आकलन हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा हरियाणा और पंजाब होकर बहने वाली नदियों के जल का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और पंजाब तथा हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में इन नदियों के कारण आने वाली बाढ़ से तबाही होती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन नदियों के जल का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का क्षेत्र-वार और नदी-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) एवं (ख) केन्द्रीय जल आयोग ने सम्पूर्ण देश में सिंचाई क्षमता 139.89 मिलियन हेक्टेयर आकलित की थी। हिमालय क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने 1999 में अपनी रिपोर्ट में सम्पूर्ण देश हेतु 680 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) निवल सतही जल उपयोगिता की आवश्यकता का आकलन किया है। हिमालय क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु निवल सतही जल उपयोगिता की आवश्यकता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्षा/नदी प्रवाह में मौसमी एवं कालिक भिन्नता तथा अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण नदी जल का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मानसून के दौरान, पंजाब एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र नदियों द्वारा आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

(घ) 'राष्ट्रीय बाढ़ आयोग' (1980) में पंजाब तथा हरियाणा में बाढ़ प्रवण क्षेत्र क्रमशः 3.70 तथा 2.35 मिलियन हेक्टेयर आकलित किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब तथा हरियाणा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वर्ष 2010 में क्रमशः 0.016 तथा 0.221 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

(ङ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नदी जल के उपयोग हेतु अनेक स्कीमों की परिकल्पना, आयोजना तथा कार्यान्वयन किया जाता है। तथापि, भारत सरकार अनेक स्कीमों तथा कार्यक्रम के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास तथा कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम', 'कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम', 'जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार', 'बाढ़ प्रबंधन', इत्यादि अनेक स्कीमों/कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II से V में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिंचाई क्षमता (मिलियन हेक्टेयर)	निवल सतही जल आवश्यकता (घन कि.मी.)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	11.26	734
अरुणाचल प्रदेश	0.17	11.2
असम	2.87	31.8
बिहार (झारखंड सहित)	13.35	68.5
गोवा	0.12	0.5
गुजरात	6.10	32.5
हरियाणा	4.51	19.4
हिमाचल प्रदेश	0.35	5.2
जम्मू और कश्मीर	1.36	8.4
कर्नाटक	5.97	33.3
केरल	2.68	20.9

1	2	3
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	17.93	58.1
महाराष्ट्र	8.95	62.7
मणिपुर	0.60	2.4
मेघालय	0.17	1.3
मिजोरम	0.07	0.8
नागालैंड	0.09	5.7
ओडिशा	8.80	28.1
पंजाब	5.97	20.2
राजस्थान	5.13	31.2
सिक्किम	0.07	0.6
तमिलनाडु	5.53	31.5
त्रिपुरा	0.28	5.9
उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	30.50	86.4
पश्चिम बंगाल	6.92	37.9
संघ राज्य क्षेत्र	0.14	2.5
कुल	139.89	680.5

विवरण-II

एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	987.77	855.18	1300.728	22.792
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.18	33.96	30.780	48.635
3.	असम	77.34	405.95	589.973	406.403
4.	बिहार	62.24	109.70	77.913	55.754
5.	छत्तीसगढ़	96.96	193.04	60.885	174.811
6.	गोवा	32.48	39.23	20.250	20.000
7.	गुजरात	585.72	258.61	6.080	361.420
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	114.05	119.32	90.680	43.521
10.	जम्मू और कश्मीर	199.23	393.07	171.728	156.034
11.	झारखंड	9.22	3.72	0.00	242.887

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	349.90	442.42	823.828	567.759
13.	केरल	0.00	0.90	3.812	10.017
14.	मध्य प्रदेश	500.35	473.78	758.746	658.692
15.	महाराष्ट्र	972.25	2257.83	1395.395	2069.056
16.	मणिपुर	103.99	221.67	42.540	249.997
17.	मेघालय	1.16	24.80	22.502	110.195
18.	मिजोरम	34.34	50.72	36.450	51.092
19.	नागालैंड	40.51	48.60	57.286	70.000
20.	ओडिशा	624.36	724.44	871.572	591.681
21.	पंजाब	13.50	9.54	22.050	140.476
22.	राजस्थान	156.53	178.62	157.577	41.920
23.	सिक्किम	3.24	0.00	2.605	14.364
24.	त्रिपुरा	8.10	43.18	36.209	48.000
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	
26.	उत्तर प्रदेश	150.69	315.47	238.082	432.538
27.	उत्तराखंड	265.65	371.66	127.006	160.060
28.	पश्चिम बंगाल	8.95	22.81	0.914	89.100

विवरण-III

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जारी राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	238.59	250.00	0.00	40.98

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0.00	594.61	0.00	226.00
4.	बिहार	0.00	0.00	6095.19	2669.09
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	8285.09
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	80.56
7.	गुजरात	3057.66	0.00	0.00	893.86
8.	हरियाणा	2332.22	4411.19	5451.28	4767.24
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	
10.	जम्मू और कश्मीर	777.61	1292.83	1432.35	2250.19
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	
12.	कर्नाटक	5771.29	1500.00	3170.04	5341.51
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	106.25
14.	मध्य प्रदेश	490.07	0.00	589.67	1000.00
15.	महाराष्ट्र	622.27	2623.63	3404.79	
16.	मणिपुर	184.07	554.47	938.77	1200.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	3.56	25.52
18.	मिजोरम	6.43	0.00	0.00	
19.	नागालैंड	19.43	0.00	0.00	
20.	ओडिशा	1101.91	2976.25	1577.80	3563.07
21.	पंजाब	3589.24	6091.13	0.00	6000.00
22.	राजस्थान	1804.38	4630.31	2980.85	
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	
24.	तमिलनाडु	1740.48	0.00	4650.00	1500.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	
26.	उत्तर प्रदेश	5746.30	7094.76	9475.99	7000.00
27.	उत्तराखंड	0.00	409.92	0.00	
28.	पश्चिम बंगाल	231.58	0.00	1600.00	690.95
	कुल	27713.52	32429.10	41370.29	45640.31

विवरण-IV

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) स्कीमों के तहत राज्यों को जारी निधि

(रुपये करोड़ में)

राज्य का नाम	2009-10 के दौरान जारी निधि	2010-11 के दौरान जारी निधि
उड़ीसा	72.12	75.00
कर्नाटक	74.04	47.47
आंध्र प्रदेश		189
बिहार		25.00
उत्तर प्रदेश (बुन्देलखंड)		29.08
मध्य प्रदेश (बुन्देलखंड)		7.33
मेघालय यूनिमाम झील		1.78
कुल	146.16	250.41

टिप्पणी-वर्ष 2009-10 से इस स्कीम के तहत निधियन शुरू किया गया।

विवरण-V

भूमिजल के प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत जारी राज्यवार निधि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 के दौरान जारी निधि	2009-10 के दौरान जारी निधि	2010-11 के दौरान जारी निधि	2011-12 के दौरान जारी निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	91.014	52.64	283.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	77.9	0	103.867	0
3.	बिहार	0	0	0	67.21
4.	चंडीगढ़	0	0	543.221	0
5.	दिल्ली	0	0	0	30.41
6.	गुजरात	0	0	221.368	0

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	125.66
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	54.683
9.	झारखंड	0	0	11.543	0
10.	कर्नाटक	0	76.41	67.61	135.91
11.	केरल	11.715	0	10.815	9.44
12.	मध्य प्रदेश	0	0	302.302	0
13.	महाराष्ट्र	0	0	10.605	0
14.	नागालैंड	0	0	0	79.14
15.	उड़ीसा	0	0	0	325.04
16.	पंजाब	53.836	0	0	56.62
17.	राजस्थान	0	0	0	24.01
18.	तमिलनाडु	33.3	368.445	0	30.00
19.	उत्तर प्रदेश	0	504.44	728.5	909.24
20.	पश्चिम बंगाल	33.327	0	44.436	33.33
	कुल	210.078	1040.309	2096.907	2163.88

टिप्पणी: वर्ष 2007-08 में कोई राशि जारी नहीं की गई थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

***338. श्री पशुपति नाथ सिंह:**
श्री नीरज शेखर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया में हाल ही में कोई जागरूकता अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस जागरूकता अभियान की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस अभियान को आरंभ किए जाने के बाद लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों की जांच की गई तथा इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं/कितने अधिकारियों को अभियोजित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

योजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करता है। मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलापों को प्रति वर्ष आबंटित बजट में से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में व्यापक रूप से किया जाता है ताकि इन कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए देशभर में जागरूकता पैदा की जा सके।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ङ) हाल ही में योजना के अंतर्गत पारदर्शिता पैदा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:

(i) सार्वजनिक जांच के लिए आंकड़े, जिसमें जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगे गए रोजगार तथा कार्यदिवसों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां, सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायत दर्ज करने आदि शामिल हैं, उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित एमआईएस शुरू की गई है।

(ii) सभी राज्यों को शिकायत के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओमबड्समैन नियुक्त करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

(iii) मजदूरी संवितरण में पारदर्शिता लाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को उनके बैंक/डाकघरों खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने को अनिवार्य बनाया गया है

(iv) महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मजदूरी के भुगतान में सुगमता हेतु राज्य सरकारों को बिजनेस कोरेसपोंडेन्ट, ग्रामीण एटीएम, हस्तचालित उपकरण, स्मार्ट कार्ड, बॉयो-मीट्रिक्स, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसे आईसीटी आधारित माडलों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं की लेखा-परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित की गई है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को (सीबीआई) उड़ीसा में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार और निधियों के दुर्विनियोजन के आरोप के एक मामले की जांच करने के लिए अप्रैल, 2011 में आदेश दिए गए। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी नहीं की है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	रोजगार पाने वाले परिवारों की कुल संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 से
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5699557	6158493	6200423	643881
2.	अरुणाचल प्रदेश	80714	68157	134527	NR
3.	असम	1877393	2137270	1798372	353450
4.	बिहार	3822484	4127330	4738464	121790
5.	छत्तीसगढ़	2270415	2025845	2485581	1763395
6.	गुजरात	850691	1596402	1096223	291555

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	162932	156406	235281	84058
8.	हिमाचल प्रदेश	445713	497336	444247	146004
9.	जम्मू व कश्मीर	199166	336036	492277	10102
10.	झारखंड	1576348	1702599	1987360	764122
11.	कर्नाटक	896212	3535281	2224468	113796
12.	केरल	692015	955976	1175816	429073
13.	मध्य प्रदेश	5207665	4714591	4407643	819588
14.	महाराष्ट्र	906297	591547	451169	148711
15.	मणिपुर	381109	418564	433856	36540
16.	मेघालय	224263	300482	346149	10568
17.	मिजोरम	172775	180140	170894	16347
18.	नागालैंड	296689	325242	350815	NR
19.	उड़ीसा	1199006	1398300	2004815	477029
20.	पंजाब	147336	271934	278134	97953
21.	राजस्थान	6373093	6522264	5859667	2605022
22.	सिक्किम	52006	54156	56401	6214
23.	तमिलनाडु	3345648	4373257	4969140	3147150
24.	त्रिपुरा	549022	576487	557055	397255
25.	उत्तर प्रदेश	4336466	5483434	6431213	2678437
26.	उत्तरांचल	298741	522304	542391	67210
27.	पश्चिम बंगाल	3025854	3479915	4998239	1053121
28.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5975	20337	17639	1906
29	दादरा व नगर हवेली	1919	3741	2290	
30.	दमन व दीव	NR	NR	NR	NR

1	2	3	4	5	6
31.	गोवा	NR	6604	13897	4557
32.	लक्षद्वीप	3024	5192	4507	
33.	पुडुचेरी	12264	40377	38118	1260
34.	चंडीगढ़	NR	NR	NR	NR
	कुल	45112792	52585999	54947068	16290034

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई

***339. डॉ. कृपारानी किल्ली:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अब तक पूरी हुई तथा निर्माणधीन सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण अब तक सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तथा सिंचाई के अंतर्गत लाई गई अतिरिक्त भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच धनराशि की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कार्यक्रम की उपलब्धियों तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सहयोग के स्तर का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक पूरी की गई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं एवं सतही लघु सिंचाई स्कीमों और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत चालू परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ख) एआईबीपी के अंतर्गत लक्षित सिंचाई क्षमता के सृजन और मार्च, 2010 तक एआईबीपीके तहत सृजित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) केंद्र सरकार सूखा-प्रवण/जनजातीय क्षेत्रों, उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर, कालाहांडी (केबीके) जिलों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरांचल) को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना की लागत का 90% की दर से और अन्य परियोजनाओं को 25% की दर से केंद्रीय सहायता देती है। शेष राशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। एआईबीपी के अंतर्गत वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच निधि की हिस्सेदारी का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का निरीक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किया गया है। एआईबीपी के तहत परियोजनाएं त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र अर्थात परियोजना स्तर, राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर के अंतर्गत आती हैं, जिसके लिये राज्यों द्वारा निगरानी प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। केंद्र स्तर पर निगरानी केंद्रीय जल आयोग द्वारा अपने क्षेत्रीय फील्ड अधिकारियों के माध्यम से की जाती है। निगरानी तंत्र के अतिरिक्त परियोजना की प्रगति की निगरानी भी देश में परियोजनाओं के लिये एआईबीपी के अंतर्गत सिंचाई क्षमता सृजन के आकलन हेतु सीएआरटीओएसएटी सेटेलाइट आंकड़ों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा लिये गए सेटेलाइट चित्रों के माध्यम से चुनिंदा आधार पर की जाती है। अभी तक एनआरएससी द्वारा 53परियोजनाओं के अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं। दूसरे चरण में एआईबीपी के तहत वित्त पोषित 50 परियोजनाओं के लिये इसी प्रकार के अध्ययन का कार्य हाल ही में एनआरएससी, हैदराबाद को सौंपा गया है।

विवरण-I

एआईबीपी: वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (पूर्ण एवं चालू) का ब्यौरा

राज्य	क्र.सं.		परियोजना का नाम	एआईबीपी में शामिल किए जाने का वर्ष	स्थिति (पूर्ण/चालू) पूरा होने का वास्तविक वर्ष
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
	सी 1		श्रीराम सागर	1999-97	2005-06
	सी 2		चेव्येरू (अन्नामाया)	1996-97	2003-04
	सी 3		प्रियदर्शनी जुराला	1997-98	2006-07
	सी 4		सोमासिला	1997-98	2006-07
	सी 5		नागार्जुनसागर	1998-99	2005-06
	सी 6		मदुवालासा	1998-99	2005-06
	सी 7		गुंडालावागु	2000-01	2006-07
	सी 8		गड्डीगेड्डा	2000-01	2006-07
	× 9		कानुपूर नहर	2000-01	आस्थागित
	10.		येराकलवा जलाशय	2000-01	चालू
	सी 11		वम्सधारा चरण-I फेज-I	2003-04	2008-09
	12.		एसआरएसपी का बाढ़ प्रवाह नहर	2005-06	चालू
	13.		एसआरएसपी परियोजना-II	2005-06	चालू
	14.		ताडीपुडी एलआईएस	2006-07	चालू
	15.		पुष्कारा एलाअईएस	2006-07	चालू
	16.		रालीवागु	2006-07	चालू
	17.		गोल्लाबागू	2006-07	चालू
	18.		मथाडीवागू	2006-07	चालू
	19.		पेड्डावागू	2006-07	चालू
	20.		गुण्डलाकडम्मा जलाशय	2005-06	चालू
	सी 21.		वाल्लीगल्लू जलाशय	2006-07	2008-09

1	2	3	4	5	6
	सी 22		अली सागर एलआईएस	2006-07	2006-07
	23.		जे. चोकराव एलआईएस	2006-07	चालू
	सी 24.		गुथपा एलआईएस	2006-07	2008-09
	25.		निलवई	2006-07	चालू
	26.		श्रीखोमाराम भीमा	2006-07	चालू
	27.		थोटापल्ली वैराज	2005-06	चालू
	28.		ताराकर्मा तीरथ सागाराम	2005-06	चालू
	सी 29		स्वर्णमुखी	2005-06	2008-09
	30		पालेमवगु	2005-06	चालू
	31.		मसूरीमिल्ली	2007-08	चालू
	32.		राजीव भीमा एल आई एस	2007-08	चालू
	33.		इन्दिरा सागर (पोलावरम)	2008-09	चालू
असम					
	सी 1		पाहुमारा	1996-97	2008-09
	सी 2		हवाईपुर लिफ्ट	1996-97	2006-07
	सी 3		रूपाही	1996-97	2001-02
	4.		धनसिरी	1996-97	चालू
	5.		चम्पामती	1996-97	चालू
	6.		बोरोलिया	1996-97	चालू
	सी 7		कोलंग @	1996-97	2006-07
	8.		बूढ़ी दिहांग लिफ्ट	1997-98	चालू
	सी 9		बोरडीकराई	1997-98	2004-05
	सी 11		जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण	2001-02	2008-09
	सी 11		कोलंग बेसिन संयुक्त सिंचाई स्कीम	1997-98	2006-07
बिहार					
	1.		पश्चिमी कोसी	1996-97	चालू

1	2	3	4	5	6
	सी 2		ऊपरी किउल	1996-97	2006-07
	3.		दुर्गावती	1996-67	चालू
			बाणसागर	1997-98	चालू
	सी 4		ओरननी जलाशय	1997-97	2006-07
	सी 5.		बिलासी जलाशय	1997-98	2001-01
	सी 6		सोन्न नहर आधुनिकीकरण	1998-99	2008-09
	7.		बताने	2001-01	चालू
	8.		पुनपुन	2007-08	चालू
	9.		सृजित सिंचाई क्षमता को बनाए रखने के लिए कोसी बैराज और आनुषंगिक संरचनाओं का पुनरुद्धार (ईआरएम)	2008-09	चालू
छत्तीसगढ़					
	सी 1		हसदेव बांगो	1997-98	2006-07
	सी 2		शिवननाथ डाइवर्जन	1997-98	2002-03
	सी 3		जोंक डाइवर्जन	1999-00	2006-07
	4.		कोसेरटेडा	2002-03	चालू
	सी 5		महानदी जलाशय परियोजना	2005-06	2010-11
	सी 6		बरनाई	2002-03	2006-07
	सी 7		मिनीमाता (हसदेव बांगो फेज-IV)	2007-08	2010-11
	8.		केलो परियोजना	2008-09	चालू
	9.		खरूंग (ईआरएम)	2010-11	चालू
	10.		सुतियापट	2010-11	चालू
गोवा					
	सी 1		सलौली फेज-I	1997-98	2006-07
	2.		तिल्लारी	2000-01	चालू
गुजरात					
	1.		सरदार सरोवर	1996-97	चालू

1	2	3	4	5	6
	सी 2		झुज	1996-97	1999-2000
	सी 3		सिपु	1996-97	1999-200
	सी 4		मुवतेश्वर	1996-97	2006-07
	सी 5		हरनाद-II	1996-97	1997-98
	सी 6		उमरिया	1996-97	1996-97
	सी 7.		दमनगंगा	1997-98	1999-2000
	सी 8		कर्जन	1997-97	1999-2000
	सी 9		सुखी	1997-98	1997-98
	सी 10		देव	1997-98	1997-98
	सी 11		वतरक	1997-98	1999-2000
	सी 12		अजी-IV	2000-01	2009-10
	सी 13		ओजट-II	2000-01	2009-10
	14.		ब्राह्मणी-II	2000-01	चालू
	सी 15		भादर-II	2002-03	2010-11
हरियाणा					
	सी 1		गुड़गांव	1996-97	2003-04
	सी 2		डब्ल्यूआरसीपी	1996-97	2006-07
	X 3		जेएलएन लिफ्ट सिंचाई	1997-98	आस्थागित
हिमाचल प्रदेश					
	1.		शाहनहर सिंचाई परियोजना	1997-98	चालू
	2.		सिधाता	2000-01	चालू
	3.		चेंजर लिफ्ट	2000-01	चालू
	4.		बल्ह घाटी (बांया किनारा)	2009-10	चालू
जम्मू एवं कश्मीर					
	सी 1.		मारवाल लिफ्ट*	1996-97	2006-07
	सी 2		लेथपोरा लिफ्ट*	1996-97	2006-07

1	2	3	4	5	6
	सी 3.		कोयल लिफ्ट*	1996-97	2006-07
	4.		रणवीर नहर का आधुनिकीकरण*	1999-2000	चालू
	सी 5		नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	1999-2000	2006-07
	सी 6		कछुआ नहर का आधुनिकीकरण	1999-2000	2006-07
	7.		राजपुरा लिफ्ट	2000-01	चालू
	8.		तराल लिफ्ट	2000-01	चालू
	सी 9		इगेफेय	2000-01	2006-07
	10.		रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई	2001-02	चालू
	सी 11.		जैंगीर नहर का आधुनिकीकरण	2001-02	2006-07
	12.		दादी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	2006-07	चालू
	सी 13		मार्तण्ड नहर का आधुनिकीकरण	2006-07	2009-10
	सी 14		मवखुल का आधुनिकीकरण	2006-07	2009-10
	15.		बबुल नहर का आधुनिकीकरण	2007-08	चालू
	16.		कांडी नहर का आधुनिकीकरण	2007-08	चालू
	17.		पाराचिक खैस नहर	2007-08	चालू
	18.		अहजी नहरका आधुनिकीकरण	2008-09	चालू
झारखंड					
	1.		गुमानी	1997-98	चालू
	X 2		तोराई +	1997-98	आस्थागित
	सी 3.		लतरातु	1997-98	2002-03
	4.		कंसजोर	1997-98	चालू
	5.		सोनुआ	1997-98	चालू
	6.		सुरंगी	1997-98	चालू
	सी 7.		तपकरा जलाशय स्कीम	1997-98	2002-03
	8.		ऊपरी शंख	2004-05	चालू

1	2	3	4	5	6
	9.		पंचखेरो	2004-05	चालू
कर्नाटक					
	1.		ऊपरी कृष्णा चरण-I	1996-97	चालू
	2.		मालप्रभा	1996-97	चालू
	सी 3		हिरेहल्ला	1996-97	2006-07
	4.		घाटप्रभा	1997-98	चालू
	5.		करंजा	1997-98	चालू
	6.		ऊपरी कृष्णा चरण-II	2001-02	चालू
	7.		गंडोरीनाला	2001-02	चालू
	सी 8		मस्कीनाला	2002-03	2003-04
	सी 9		वोटेहोल	2007-08	2008-09
	10.		वाराही	2007-08	चालू
	11.		दुधगंगा	2008-09	चालू
	12.		भद्रा जलाशय नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	2008-09	चालू
	13.		हिप्पारगी एलआईएस	2008-09	चालू
	14.		भीमसमुद्र टैंक का पुनरूद्धार	2009-10	चालू
	15.		भीमा एलआईएस	2009-10	चालू
	16.		गुड्डादा मालापुरा लिफ्ट	2009-10	चालू
केरल					
	सी 1		कलड़ा परियोजना	1996-97	2004-05
	2.		मुवात्तुपुझा	2000-01	चालू
	3.		करापुझा	2006-07	चालू
	4.		कन्हिरापुझा	2008-09	चालू
	5.		चितुरपुझा	2010-11	चालू

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश					
	1.		इंदिरा सागर यूनिट-I	1996-97	चालू
			इंदिरा सागर यूनिट-II (सीसीए)	1996-97	चालू
	सी 2		बाणसागर यूनिट-I	1996-97	2007-08
			बाणसागर यूनिट-II (सीसीए)	2003-04	चालू
	सी 3		ऊपरी वेनगंगा	1996-97	2002-03
		सी	राजघाट बांध	1998-99	2004-05
	4.		सिंध फेज-II	1998-99	चालू
	सी 5		सिंध फेज-I	1999-2000	2007-08
	6.		माही	2000-01	चालू
	7.		बरियारपुर एलबीएस	2001-01	चालू
	सी 8		उर्मिल आरबीसी	2000-01	2002-03
	सी 9.		बंजर	2000-01	2002-03
	10.		वावनथाडी	2003-04	चालू
	11.		महान	2003-04	चालू
	12.		ओमकारेश्वर फेज-I (सीसीए)	2003-04	चालू
	13.		बारगी डाइवर्जन फेज-I	2001-02	चालू
			बारगी डाइवर्जन फेज-II	2002-03	चालू
			बारगी डाइवर्जन फेज-III	2007-08	चालू
	14.		पेच डाइवर्जन परियोजना फेज-I	2007-08	चालू
			ओमकारेश्वर फेज-II	2007-08	चालू
			ओमकारेश्वर फेज-III	2007-08	चालू
			इंदिरासागर नहर फेज-III	2007-08	चालू
	15.		ऊपरी बेदा	2008-09	चालू
	16.		पुनासा एलआईएस	2008-09	चालू
	17.		निचली गोई	2008-09	चालू
			इंदिरा सागर यूनिट-IV	2008-09	चालू
			बारगी डाइवर्जन फेज-IV	2008-09	चालू

1	2	3	4	5	6
	18.		जोबट	2010-11	चालू
महाराष्ट्र					
	1.		गोसीखुर्द	1996-97	चालू
	सी 2		सूर्या	1996-97	2006-07
	3.		वाधुर	1996-97	चालू
	सी 4.		भीमा	1997-98	2006-07
	सी 5		ऊपरी तापी #	1997-98	2004-05
	सी 6		ऊपरी वर्धा	1997-98	2009-10
	सी 7		वान	1998-99	2005-06
	सी 8		जायकवाडी चरण-II	2000-01	2004-05
	सी 9		विष्णुपुरी	2000-01	2005-06
	सी 10		बाहुला	2000-01	2006-07
	सी 11		कृष्णा	2007-03	2006-07
	सी 12		कुकाडी (सीसीए)	2002-03	2009-10
	13.		ऊपरी मनार (डब्ल्यू)	2002-03	चालू
	सी 14.		हेतवाने	2002-03	2009-10
	सी 15		चसकमान	2002-03	2009-10
	16.		ऊपरी पेनगंगा	2004-05	चालू
			बावन्नथाडी	2004-05	चालू
	17.		निचली दुधना (डब्ल्यू)	2005-06	चालू
			तिल्लारी (महाराष्ट्र का हिस्सा) (डब्ल्यू)	2005-06	चालू
	18.		वर्ना	2005-06	चालू
	19.		वान-II	2006-07	चालू
	20.		पुनाद	2006-07	चालू
	सी 21		पोथरा नाला	2006-07	2009-10
	सी 22		उतावली	2006-07	2009-10

1	2	3	4	5	6
	सी 23		पूर्णा (डब्ल्यू)	2006-07	2009-10
	24.		नंदुर माधमेश्वर	2006-07	चालू
	सी 25		कार (डब्ल्यू)	2006-07	2009-10
	26.		निचली वर्धा (डब्ल्यू)	2006-07	चालू
	सी 27		लाल नाला (डब्ल्यू)	2006-07	2009-10
	28.		खड़कपूर्णा (डब्ल्यू)	2006-07	चालू
	सी 29		अरूणावती (डब्ल्यू)	2006-07	2009-10
	सी 30		तजनपोर एलआईएस	2006-07	2009-10
	सी 31		खड़कवासला	2002-03	2004-05
	सी 32		कदवी	2002-03	2004-05
	सी 33		कसारसाई	2002-03	2004-05
	सी 34		जवल गांव	2002-03	2004-05
	सी 35		कुंभी	2002-03	2006-07
	सी 36		कसारी	2002-03	2004-05
	सी 37		पतगांव	2004-05	2006-07
	सी 38		मदन टैंक	2005-06	2008-09
	39.		डोगरगांव	2005-06	चालू
	सी 40		शिवना तकली	2005-06	2008-09
	सी 41		अमरावती	2005-06	2008-09
	42.		गुल	2005-06	चालू
	43.		बेम्बला	2007-08	चालू
	सी 44		चन्द्र चागा	2007-08	2009-10
	सी 45		सपन	2007-08	2009-10
	46.		उत्तराखंड	2007-08	चालू
	47.		संगोला शाखा नहर	2007-08	चालू
	सी 48		पेनतकली	2007-08	2009-10

1	2	3	4	5	6
	49.		तराली	2007-08	चालू
	50.		धोम बालकवाडी	2007-08	चालू
	51.		मोरना गुरेधर	2007-08	चालू
	52.		अर्जुन	2007-08	चालू
	सी 53		प्रकाश बैराज	2007-08	2008-09
	सी 54		सुलवाडे बैराज	2007-08	2008-09
	सी 55		सारंगखेडा बैराज	2007-08	2008-09
	56.		निचली पेधी	2008-09	चालू
	57.		ऊपरी कुंडालिका	2008-09	चालू
	58.		वांग परियोजना	2008-09	चालू
	59.		निचली पंजारा	2008-09	चालू
	60.		अरूणा	2009-10	चालू
	61.		कृष्णा कोयना लिफ्ट	2009-10	चालू
	62.		नरवादे (महाम्मादवाडी)	2009-10	चालू
	63.		गदनदी	2009-10	चालू
	64.		कुंडाली	2009-10	चालू
मणिपुर					
	1.		खुगा	1996-97	चालू
	2.		थोबल	1997-98	चालू
	3.		दोलाईथाबी बैराज	2002-03	चालू
मेघालय					
	x 1		रंगाई घाटी	2000-01	आत्थगित
उड़ीसा					
	1.		ऊपरी इंदिरावती (केबीके)	1996-97	चालू
	2.		सुवर्णरेखा	1996-97	चालू
	3.		रेंगाली	1996-97	चालू

1	2	3	4	5	6
	4.		आनंदपुर बेराज फेज-I/एकीकृत आनंदपुर वैराज	1996-97	चालू
	सी 5		ऊपरी कोलाब (केबीके)	1997-98	2004-05
	6.		तितलागढ़ चरण-II (केबीके)	1998-98	चालू
	7.		निचली इंद्रा (केबीके)	1999-2000	चालू
	8.		निचली सुकतेल (केबीके)	1999-2000	चालू
	सी 9		पोट्टेरू (केबीके)	2001-02	2004-05
	सी 10		नाराज बैराज	2001-02	2005-06
	11.		तेलनीगिरी (केबीके)	2003-04	चालू
	12.		रेत सिंचाई (केबीके)	2003-04	चालू
	13.		कानुपुर	2003-04	चालू
	14.		छेल्लीगाडा बांध	2003-04	चालू
	सी 15		ससोन नहर प्रणाली का सुधार	2002-03	2004-05
	सी 16		सालंदी बांया मुख्य नहर-6.84 किमी-14.33 किमी (अंबाहता नहर)	2002-03	2005-06
	सी 17		सल्की सिंचाई का सुधार	2003-04	2004-05
	18.		राकुरा-जनजातीय	2009-10	चालू
पंजाब					
	सी 1.		रंजीत सागर बांध	1996-97	2000-01
	सी 2		यूबीडीसी का रिमोंडलिंग $	2000-01	2006-07
	3.		हिमाचल प्रदेश को तलवारा से नीचे के क्षेत्र में सिंचाई	2000-01	चालू
	4.		शाहपुर कांडी बांध	2001-02	चालू
	5.		कांडी नहर विस्तार (फेज-II) $	2002-03	चालू
	6.		प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास	2007-08	चालू
	7.	आरएफ-एमएफ	राजस्थान फीडर नहर का और सरहिंद फीडर नहर का पुनः रेखन (आरडी 1790000 से आरडी 496000)	2009-10	चालू

1	2	3	4	5	6
राजस्थान					
	सी 1.		जैसमंद (आधुनिकीकरण)	1996-97	2001-02
	सी 2		छापी	1996-97	2004-05
	सी 3		पांचना	1997-98	2004-05
	4.		आईजीएनपी चरण-II	1997-98	चालू
	सी 5.		बीसपुर	1998-99	2006-07
	6.		नर्मदा नहर	1998-99	चालू
	सी 7.		गंभीरी (आधुनिकीकरण)	1998-99	2000-01
	सी 8		चौली	1999-99	2006-07
	सी 9		माही बजाज सागर	1999-2000	2006-07
	10.		गंग नहर का आधुनिकीकरण	2000-01	चालू
त्रिपुरा					
	1.		गुमती	1996-97	चालू
	2.		मानु	1996-97	चालू
	3.		खोवई	1996-97	चालू
तमिलनाडु					
	सी 1.		डब्ल्यूआरसीपी	1996-97	2003-04
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल					
	सी 1		मध्य गंगा नहर सहित ऊपरी गंगा	1996-97	2003-04
	सी 2		सारदा सहायक	1996-97	2000-01
	सी 3		सरयू नहर	1996-97	2009-10
	सी 4		एच.के. दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध कराना	1996-97	2004-05
	सी 5		राजघाट बांध	1996-97	1999-2000
	7.		बाणसागर नहर	1997-98	चालू
	x 8		लखवर व्यासी	1997-98	आस्थागित

1	2	3	4	5	6
	सी 9		टिहरी	1999-2000	2006-07
	सी 10		ज्ञानपुर पंप नहर	1999-2000	2001-02
	सी 11		पूर्वी गंगा नहर	1999-2000	2010-11
	सी 12		राजघाट नहर	2000-01	2009-10
	सी 13		आगरा नहर का आधुनिकीकरण	2002-03	2009-10
	सी 14		जरौली पंप नहर	2003-04	2006-07
	15.		लाचुरा बांध का आधुनिकीकरण	2005-06	चालू
	16.		हरदोई शाखा प्रणाली के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि	2006-07	चालू
	17.		मध्य गंगा नहर फेज-II	2007-08	चालू
	18.		कचनोदा बांध	2009-10	चालू
	19.		अर्जुन सहायक	2009-10	चालू
	20.		सारदा सहायक की क्षमता की पुनः प्राप्ति	2009-10	चालू
पश्चिम बंगाल					
	1.		तीस्ता बैराज	1996-97	चालू
	सी 2.		कंगसावती	1997-98	2001-02
	सी 3		डीवीसी के बैराज एवं सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	1997-98	2007-08
	4.		तटको	2000-01	चालू
	5.		पतलोई	2000-01	चालू
	सी 6		हनुमाता	2000-01	2009-10
	7.		सुवर्णरेखा बैराज	2001-02	चालू
	287.				

सी : पूर्ण

विवरण-II

एआईबीपी के अंतर्गत शामिल की गई, पूरी की गई और चालू लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा (23.08.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	शामिल की गई स्कीमों की कुल सं.	30.06.2011 तक पूरी की गई स्कीमों की सं.	चालू लघु सिंचाई स्कीमों की सं.
1	2	3	4	5
क.	विशेष श्रेणी राज्य			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1960	1829	131
2.	असम	1114	453	661
3.	मणिपुर	843	697	146
4.	मेघालय	198	106	92
5.	मिजोरम	317	269	48
6.	नागालैंड	1308	1235	73
7.	सिक्किम	658	433	225
8.	त्रिपुरा	1204	1180	24
9.	हिमाचल प्रदेश	447	228	219
10.	जम्मू एवं कश्मीर	532	344	188
11.	उड़ीसा (केबीके)	81	20	61
12.	उत्तराखंड	2482	1662	820
क	कुल	11144	8456	2688
ख.	गैर-विशेष श्रेणी राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	105	17	88
2.	छत्तीसगढ़	238	125	113
3.	मध्य प्रदेश	242	94	148
4.	महाराष्ट्र	186	90	96
5.	बिहार	92	60	32

1	2	3	4	5
6.	पश्चिम बंगाल	92	60	32
7.	राजस्थान	7	1	6
8.	कर्नाटक	305	33	272
9.	झारखंड	285	0	285
ख	कुल	1526	443	1083
	कुल जोड़	12670	8899	3771

विवरण-III

2009-10 तक एआईबीपी के अंतर्गत सृजित क्षमता

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में शुरू की गई)	एआईबीपी के अंतर्गत लक्षित क्षमता	मार्च, 2009 तक सृजित संचयी क्षमता
1	2	3	4
1.	श्रीराम सागर (चरण I) (III) (सी)	122.5630	117.9100
2.	चेय्येरू (अन्नमाया)(VI) (सी)	5.2610	5.2610
3.	जुराला (VI) (सी)	40.1600	40.1600
4.	सोमासिला (V) (सी)	32.2600	23.0070
5.	नागार्जुनसागर (II) (सी)	27.9440	25.0660
6.	मदुवालासा (V) (सी)	1.0450	1.0450
7.	गुंडालाबागु (V) (सी)	1.0450	1.0450
8.	मड्डीगेड्डा (V) (सी)	0.6050	0.0000
9.	कानुपुर नहर (III)	0.5610	0.0000
10.	येराकलवा (V)	9.9960	3.6400
11.	वम्सधारा चरण चरण I	17.1030	10.9260
12.	एसआरसीपी का बाढ़ प्रवाह नहर	89.0330	0.0000
13.	श्रीराम सागर परियोजना-II	178.0660	64.7510

1	2	3	4
14.	ताडीपुडी एलआईएस	83.6090	34.4030
15.	पुष्कारा एलाआईएस	75.2400	34.8410
16.	रालीवागु	2.4280	1.0120
17.	गोल्लावागू	3.8450	0.4050
18.	मथाडीवागू	3.4400	2.0240
19.	पेड्डावागू	5.2600	0.0000
20.	गुण्डलाकम्मा जलाशय	32.4000	24.2780
21.	वाल्लीगल्लू (सी)	9.7310	19.4250
22.	अली सागर (सी)	21.7700	21.7690
23.	जे. चोकाराव एलआईएस	266.2310	8.0940
24.	गुथपा एलआईएस (सी)	15.6990	15.6980
25.	निलवई	5.2600	0.0000
26.	खोमाराम भीमा	9.9150	0.0000
27.	थोटापल्ली बैराज	48.5630	4.0470
28.	ताराकर्मा तीरथ सागाराम परियोजना	10.0000	0.0000
29.	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना	4.6560	3.6820
30.	पालेमवगु	4.1000	0.0000
31.	मसूरीमिल्ली परियोजना	9.1600	0.0000
32.	राजीव भीमा एल आई एस	82.1500	0.0000
33.	इन्दिरा सागर (पोलावरम)	291.0000	0.0000
	(आंध्र प्रदेश) कुल	1518.4460	470.8360
	असम		
34.	पाहुमारा (ए.वी. 1978-80) (सी)	11.7550	11.7510
35.	हवाईपुर एल आई एस (VI) (सी)	3.0400	3.0400
36.	रूपाही एल आई एस (ए.पी. 1978-80) (सी)	0.000	0.2000
37.	धनसिरी (V)	68.3660	31.1000

1	2	3	4
38.	चम्पामती (VI)	24.9940	3.8050
39.	बोरोलिया (ए.पी. 1978-80)	13.5620	1.9000
40.	कोलंग (V) (सी)	2.6900	0.0000
41.	बूढ़ी विहांग एल आई एस (एधपी. 1978-80)	4.4900	1.9250
42.	बोरडीकराई (V) (सी)	8.5900	7.2030
43.	जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (IX)	13.7580	12.7000
44.	कोलंग बेसिन संयुक्त सिंचाई स्कीम (V) (सी)	9.2870	4.4150
	(असम) कुल	160.7320	78.0390
	बिहार		
45.	पश्चिमी कोसी नहर (III)	212.0500	150.0020
46.	ऊपरी किउल (V) (सी)	12.1800	12.1800
47.	दुर्गावती (V)	20.2970	3.3000
	बाणसागर (V)	0.000	
48.	ओरननी जलाशय (V) (सी)	9.5570	9.4590
49.	बिलासी जलाशय (V) (सी)	4.0000	4.0000
50.	सोन नहर आधुनिकीकरण (VII)	314.5800	308.0000
51.	बताने (V)	2.4900	0.8300
52.	पुनपुन बराज	13.6800	0.0000
53.	कोसों बैराज का पुनर्स्थापन		0.0000
	(बिहार) कुल	588.8340	487.7710
	छत्तीसगढ़		
54.	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978-80) (सी)	86.6000	86.5000
55.	शिवननाथ डाइवर्जन (V) (सी)	5.2380	5.2380
56.	जोंक डाइवर्जन (IV) (सी)	9.5690	7.7800
57.	कोसेरटेडज्ञ	11.1200	3.0000
58.	महानदी जलाशय	13.8830	13.0600
59.	बरनाई (सी)	1.5080	1.1350

1	2	3	4
60.	केलो	22.8100	0.0000
61.	मिनीमाता (हसदेव बांगो फैज-IV)	38.4000	18.0700
	(छत्तीसगढ़) कुल	189.1280	134.7830
	गोवा		
62.	सलौली फेज-1 (IV) (सी)	6.4390	6.2900
63.	तिल्लारी (V)	14.5210	8.0600
	(गोवा) कुल	20.9600	14.3500
	गुजरात		
64.	सदार सरोवर (IV)	1792.0000	485.9800
65.	झुज (वा.यो. 1978-80) (सी)	2.9070	2.9070
66.	सिपु (वा.यो. 1978-80) (सी)	1.0160	1.0160
67.	मुक्तेश्वर (VI) (सी)	5.0660	4.5660
68.	हरनाव-II (V) (सी)	0.0000	0.0000
69.	उमरिया (V) (सी)	0.1620	0.1620
70.	दमनगंगा (IV) (सी)	6.6860	6.6860
71.	कर्जन (V) (सी)	5.9890	5.9890
72.	सुखी (V) (सी)	3.4880	3.4880
73.	देव (V) (सी)	0.1030	0.1030
74.	वतरक कदाना आरबी नहर (वा.यो. 1978-80) (सी)	3.7140	3.7140
75.	अजी-IV (IX)	3.7500	0.9300
76.	ओजट-II (VIII)	1.8000	2.0600
77.	ब्राह्मणी-II (IX)	1.0000	0.0000
78.	भादर-II	1.5000	0.5000
	(गुजरात) कुल	1829.1810	517.1010
	हरियाणा		
79.	गुड़गांव नहर (III) (सी)	20.0000	0.0000

1	2	3	4
80.	डब्ल्यूआरसीपी (VIII) (सी)	131.9700	109.0860
81.	जेएनएन लिफ्ट सिंचाई (V) (सी)	69.0000	0.0000
	(हरियाणा) कुल	220.9700	109.0860
	हिमाचल प्रदेश		
82.	शाहनहर सिंचाई परियोजना (III)	24.7600	11.5018
83.	सिघाता (IX)	5.3480	0.6140
84.	चेंजर लिफ्ट (IX)	3.0410	1.7450
	(हिमाचल प्रदेश) कुल	33.1490	13.8608
	जम्मू एवं कश्मीर		
85.	मारवाल लिफ्ट @ (IV) (सी)	11.3900	0.0000
86.	लेथपोरा लिफ्ट @ (IV) (सी)	3,1980	3.1980
87.	कोयल लिफ्ट @ (IV) (सी)	2.1500	0.0000
88.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण (VIII)	13.6660	9.9090
89.	प्रताप नहर का आधुनिकीरकण (VII) सी	1.2300	1.3910
90.	कमुआ नहर का आधुनिकीकरण (VII) (सी)	3.2070	3.2070
91.	राजपुरा लिफ्ट (ए.पी. 1978-80)	2.4300	0.0000
92.	तराल लिफ्ट (ए.पी. 1978-80)	6.0000	0.0000
93.	इगोफेय (IX) (सी)	3.4730	3.4730
94.	रफियाबाद लिफ्ट सिंचाई (IX)	2.9320	0.8000
95.	जैंगीर नहर (IX) (सी)	2.1400	2.1400
96.	दादी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	2.5733	2.0730
97.	मार्तण्ड नहर का आधुनिकीकरण	6.4980	3.50000
98.	मवखुल का आधुनिकीकरण	9.3520	3.7300
99.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	3.0770	2.3500
100.	कांडी नहर का आधुनिकीकरण	3.2300	0.0000
101.	पाराचिक खैस नहर परियोजना	2.3500	0.0000

1	2	3	4
102.	अहजी नहरका आधुनिकीकरण (XI)	1.4198	0.0000
	(जम्मू और (कश्मीर)कुल	81.5351	36.9900
	झारखंड		
103	गुमानी (V)	16.1940	0.0000
104.	तोराई (V) (डी)	8.0000	0.0000
105.	लतरातु (VII) (सी)	6.1000	6.1000
106.	कंसजोर (VII)	6.2900	4.5000
107.	सोनुआ (V)	8.0100	0.0000
108.	सुरंगी (VII)	2.6010	0.0000
109.	तपकरा जलाशय स्कीम (VI) (सी)	1.8190	1.5200
110.	ऊपरी शंख	7.0690	1.8600
111.	पंचखेरो	3.0850	0.0000
	(झारखंड) कुल	59.1680	13.9800
	कर्नाटक		
112.	यूकेपी चरण-I (IV)	169.0050	147.2950
113.	मालप्रभा (III)	56.6340	41.9680
114.	हिरेहल्ला (VI) (सी)	8.3300	4.4210
115.	घाटप्रभा (V)	139.9620	109.3030
116.	करंजा (V)	30.9400	18.1220
117.	यूकेपी चरण-II (IX)	178.3210	119.3870
118.	गंडोरीनाला (VIII)	8.0940	9.9790
	यूकेपी चरण-I फेज III	148.5080	0.4880
119.	मस्कीनाला (सी)	3.0010	3.0010
120.	वोटहोल	0.0000	0.0000
121.	वाराही परियोजना	31.40000	0.0000
122.	दुग्धगंगा परियोजना	11.3670	0.0000
123.	भद्रा का आधुनिकीकरण	24.3720	0.0000

1	2	3	4
124.	हिप्पारगी परियोजना	67.4970	0.0000
	कर्नाटक-कुल	877.4310	453.9640
	केरल		
125.	कलड़ परियोजना (III) (सी)	9.2760	9.2760
126.	मुवात्तुपुझा (V)	28.2340	24.5520
127.	कारापुझा	8.7210	0.0000
128.	कन्हिरापुझा-ईआरएम	1.2470	0.0000
	मध्य प्रदेश		
129.	इंदिरा सागर (VI)	62.2000	22.2360
130.	वाणसागर (यूनिट-I) (V) (सी)	0.0000	0.0000
	बाणसागर (यूनिट-I) (V)	123.6340	65.9340
131.	ऊपरी वेनगंगा (V) (सी)	35.2530	30.5000
	राजघाट बांध (V)	0.0000	0.0000
132.	सिंध फेज-II (VI)	83.2880	72.9310
133.	सिंध फेज-I (IV) (सी)	10.5800	5.2120
134.	माही (VI)	26.4290	19.6710
135.	बरियारपुर (V)	43.8500	8.1000
136.	उर्मिल (V) (सी)	1.6920	1.6920
137.	बंजर (V) (सी)	1.0950	1.0950
138.	वावनथाडी (VI)	29.4120	0.0000
139.	महान (VI)	19.7400	0.0000
140.	ओमकारेश्वर (VIII)	283210	5.4000
141.	बारगी बांध आरबीसी 16 कि.मी.-63 कि.मी. (V)	21.1940	10.2480
	बारगी डाइवर्जन प्रो. नहर (63 किमी से 104 किमी)	31.8990	18.2840
	बारगी डाइवर्जन फेज-III	26.0000	0.0000
	बारगी डाइवर्जन फेज-IV	34.0000	0.0000
142.	पेच डाइवर्जन परियोजना फेज-I	28.2700	0.0000

1	2	3	4
	ओमकारेश्वर परियोजना फेज-II	19.5800	0.0000
	ओमकारेश्वर नहर फेज-III	48.5900	0.0000
	इंदिरासागर नहर फेज-III	20.7000	0.0000
	इंदिरासागर नहर फेज-IV		0.0000
	इंदिरासागर इकाई-II फेज-I एवं फेज-II		11.2940
143.	पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (X) 2008-09	35.0080	0.0000
144.	निचली गोई	15.6860	0.0000
145.	ऊपरी बेड़ा (XI)	9.9170	0.0000
	(मध्य प्रदेश) कुल	756.3380	272.5970
	महाराष्ट्र		
146.	गोसीखुर्द (VI)	18.9050	20.6400
	गोसीखुर्द-राष्ट्रीय परियोजना	231.0800	2.4000
147.	सूर्या (वा.यो. 1978-80) (सी)	2.9680	2.9500
148.	वाघुर (V)	26.3250	7.1800
149.	भीमा (III) (सी)	58.7580	58.7600
150.	ऊपरी तापी (IV) (सी)	1.3980	1.3980
151.	ऊपरी वर्धा (III)	37.2580	37.2600
152.	वान (VI) (सी)	15.2750	14.9210
153.	जायकवाडी (V) (सी)	7.2730	7.2730
154.	विष्णुपुरी (वा. यो. 1978-80) (सी)	2.6360	2.6360
155.	बाहुला (V) (सी)	4.3020	4.3000
156.	कृष्णा (III)	19.5880	17.5000
157.	कुकाडी (वा.यो. 66-69)	53.1430	51.7880
158.	ऊपरी मनार	8.2800	0.7000
159.	हेतवाने	6.1680	1.4640
160.	चसकमान	26.1890	24.9960

1	2	3	4
161.	ऊपरी पेनगंगा	24.6220	20.6810
	वावन्नथाडी	27.7080	4.9000
162.	निचली दुधना	29.1230	0.0000
	तिल्लारी	6.5000	2.4330
163.	वर्ना	54.7490	5.6030
164.	वान फेज-II	0.3540	0.3500
165.	पुनाद	10.8460	0.8100
166.	पोथरा नाला	5.9600	3.4500
167.	उतावली	5.0700	3.8980
168.	पूर्णा	7.5100	7.5280
169.	नंदुर मधमेश्वर	24.6230	17.0000
170.	कार	3.2440	1.5920
171.	निचली वर्धा	21.1190	12.2900
172.	लाल नाला	7.1440	4.0280
173.	खड़कपूर्णा	9.6400	5.2000
174.	अरूणावती	0.7690	0.7690
175.	तजनपोर	3.6220	1.9600
176.	खडकवासला (II) (सी)	0.6240	0.6240
177.	कदवी (सी)	0.3650	0.3650
178.	कसारसाई (सी)	3.0360	0.0360
179.	जवल गांव (सी)	1.8070	1.8070
180.	कुंभी (सी)	5.4340	5.4340
181.	कसारी (सी)	1.2350	1.2350
182.	पतगांव (सी)	1.9920	1.9920
183.	मदन टैंक (सी)	3.2800	3.2700
184.	डोंगरगांव	2.7660	1.6760

1	2	3	4
185.	शिवना तकली (सी)	6.3890	6.3900
186.	अमरावती (सी)	2.6060	2.6060
187.	गुल मध्यम सिंचाई परियोजना	3.0250	0.4710
188.	बेम्बला	52.5430	19.2920
189.	चन्द्र भागा	1.9200	1.9240
190.	सपन	4.4260	3.9950
191.	उत्तरामांड परियोजना	4.7300	0.1200
192.	संगोला शाखा नहर परियोजना	11.2900	3.7760
193.	पेनतकसी परियोजना	3.2200	2.4000
194.	तराली परियोजना	14.2800	0.0000
195.	धोम बालकवाडी	18.1000	1.7310
196.	मोरना गुरेघर	3.0800	0.1000
197.	अर्जुन	5.7000	0.0000
198.	प्रकाशा बैराज	10.3100	10.3070
199.	सुलवाडे बैराज	8.5800	8.5820
200.	सारंगखेडा बैराज	11.5200	11.5190
201.	निचली पेडी परियोजना (पीएमपी) (XI)	17.0230	0.0000
202.	वांग (XI) 2008-09	7.0680	0.0000
203.	ऊपरी कुंडलिका परियोजना (XI) 2008-09	2.8000	0.0000
	(महाराष्ट्र) कुल	971.2980	441.3100
	मणिपुर		
204.	खुगा (VI)	15.0000	5.0000
205.	थोबल (वा.यो. 1978-80)	29.4000	6.1400
206.	दोलाईथाबी बैराज परियोजना	7.5450	0.0000
	(मणिपुर) कुल	51.9450	11.1400

1	2	3	4
	उड़ीसा		
208.	ऊपरी इंद्रावती (आरबीसी) (वा.यो. 1978-80)	86.3900	51.0900
209.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय (VII)	105.7600	20.2310
210	रेंगाली (IV)	35.0200	7.2800
211.	आन्नंदपुर बैराज (IV)	5.8770	5.8770
	एकीकृत आन्नंदपुर बैराज	60.0000	0.0000
212.	ऊपरी कोलाब (V) (सी)	17.9500	17.9500
213.	तितलागढ़ (VIII)	2.2000	0.0000
214.	निचली इंद्रा (IX)	38.8700	0.0000
215.	निचली सुकतेल (IX)	40.4240	0.0000
216.	पोट्टेरू (IV) (सी)	4.0300	4.0300
217.	न्नराज बैराज (IX) (सी)	0.0000	0.0000
218.	तेलनगिरी सिंचाई परियोजना (केवीके)	13.8300	0.0000
219.	रेट सिंचाई परियोजना (केबीके)	9.7800	0.0000
220.	कानुपूर (VIII)	47.7100	0.0000
222.	सासन नहर का सुधार (सी)	16.2820	16.2820
223.	सालंदी बांयी मुख्य नहर (सी)	3.6500	3.6500
224.	सालकी सिंचाई परियोजना का सुधार (सी)	19.8910	19.8910
	(उड़ीसा) कुल	510.7840	146.2810
	पंजाब		
225.	रंजीत सागर बांध (VI) (सी)	0.0000	0.0000
226.	युबीडीसी पुन:माडलिंग (IX) (सी)	100.9900	100.9900
227.	हिमाचल प्रदेश में तलवाडा से नीचे की सिंचाई (IX)	0.0000	0.0000
228.	शहपुर कांडी (IX)	0.0000	0.0000
229.	कांडी नहर विस्तार चरण II	23.3260	2.8420

1	2	3	4
230.	पटियाला फीडर और कोटल शाखा का पुनर्वास	68.6200	24.6000
	यूबीडीसी का रिमॉडलिंग (IX)	17.0100	10.5000
	कांडी नहर का विस्तार चरण-II		4.6660
	(आरडी 59.50 किमी से 130.00 किमी)		
	(पंजाब) कुल	209.9460	143.5980
	राजस्थान		
231.	जैसमंद (आधुनिकी कारण) (VI) (सी)	2.3980	2.3980
232.	छापी (V) (सी)	1.7020	1.7020
233.	पंचाना (V) (सी)	2.3850	2.3850
234.	आईजीएनपी चरण-II (V)	964.0000	391.0000
235.	बिसालपुर (VII) (सी)	1.8000	1.8000
236.	नर्मदा नहर (VI)	246.0000	100.4600
237.	गंभीरी (आधुनिकीकरण) (VI) (सी)	0.9250	0.9250
238.	चौली (VIII) (सी)	8.9630	8.9630
239.	माहि बजाज सागर (IV) (सी)	27.2000	27.2000
240.	गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI) (सी)	69.6900	75.1900
	उपजोड	1325.0630	612.0230
	त्रिपुरा		
241.	गुमती (V)	5.3300	4.9600
242.	मानु (VI)	7.6000	4.5620
243.	खोवाई (VI)	9.3200	4.3600
	(त्रिपुरा) कुल	22.2500	13.8820
	तमिलनाडु		
244.	डब्ल्युआरसीपी (VIII) (सी)	0.0000	0.0000
	(तमिलनाडु) कुल	0.0000	0.0000

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
245.	ऊपरी गंगा एवं मध्य गंगा	17.2700	17.2700
	मध्य गंगा नहर चरण II	146.5320	0.0000
246.	शारदा सहायक (III) (सी)	388.4600	366.6800
247.	सरयू नहर (V)	545.0000	545.5600
248.	एच.के. दोआब में खरीफ चैनल (VII) (सी)	11.0400	11.0380
249.	राजघाट बांध (V) (सी)	0.0000	0.0000
250.	गुंता नाला बांध (VI) (सी)	3.8800	3.8800
251.	बाणसागर (V)	150.1320	0.0000
252.	लखवर व्यासी (V) (डी)	0.0000	0.0000
253.	टिहरी (VII) (सी)	270.0000	162.0000
254.	ज्ञानपुर पंप नहर (VII) (सी)	1.5000	1.5000
255.	पूर्वी गंगा नहर (V)	72.2860	72.2830
256.	राजघाट नहर (V)	43.3530	42.3450
257.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण (V) (सी)	35.0000	35.0000
258.	जरौली पंप नहर (1990-91) (सी)	39.7480	10.0000
259.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण	14.5760	0.0000
260.	हरदोई शाखा प्रणाली का सुधार	306.0000	71.3480
261.	कचनौडा बांध		
	उप जोड़	2044.7760	1338.9040
	पश्चिम बंगाल		
262.	तीस्ता बैराज (V)*	174.3900	71.2100
263.	कंग्साबती (II) (सी)	82.0600	17.8000
			4.8960
264.	डीवीसी की बैराज एवं सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकण (VI) (सी)	8.0000	0.0000

1	2	3	4
265.	तटको (V)	1.1980	0.5760
266.	पतलोई (V)	2.1580	0.1230
267.	हनुमाता (VII) (सी)	1.2540	1.1840
268.	सुवर्ण रेखा बैराज (VIII)+	136.0140	0.0000
	(पश्चिम बंगाल) कुल	405.0740	95.7890
	कुल जोड़	11929.2611	5485.9128
	सतही लघु सिंचाई स्कीमों में सृजित क्षमता		454.0000
	कुज लोजड़		5939.9128

2009-10 के दौरान सृजित क्षमता = 9.82 लाख हेक्टेयर*

*समन्वय के अंतर्गत

विवरण-IV

केन्द्र एवं राज्य के हिस्से के संबंध में एआईबीपी परियोजनाओं की वित्तपोषण पद्धति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/परियोजनाओं का नाम	शामिल किए जाने का वर्ष	वित्तपोषण पद्धति%	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	श्रीराम सागर	1996-97	एल	
2.	चेय्येरू (अन्नामाया)	1996-97	एल	
3.	प्रियदर्शनी जुराला	1997-98	*	
4.	सोमासिला	1997-98	एल	
5.	नागार्जुनसागर	1998-99	एल	
6.	मदुवालासा	1998-99	एल	
7.	गुंडातावागु	2000-01	एल	
8.	मड्डीगेड्डा	2000-01	एल	
9.	कानुपुर नहर	2000-01	डी	
10.	येराकलवा जलाशय	2000-01	एल	

1	2	3	4	5
11.	वम्सचारा चरण-। फेज-।	2003-04	*	
12.	एसआरएसपी का बाढ़ प्रवाह नहर	2004-05	25	
13.	एसआरएसपी परियोजना-।।	2005-06	33, 78	
14.	ताडीपुडी एलआईएस	2006-07	25	
15.	पुष्कारा एलआईएस	2006-07	25	
16.	रालीवागु	2006-07	25	
17.	गोल्लावागू	2006-07	90	
18.	मथाडीवागू	2006-07	90	
19.	पेड्डावागू	2006-07	90	
20.	गुण्डलाकडम्मा जलाशय	2005-06	25	
21.	वाल्लीगल्लू जलाशय	2006-07	90	
22.	अली सागर एलआईएस	2006-07	25	
23.	जे. चोकाराव एलआईएस	2006-07	25	
24.	गुथपा एलआईएस	2006-07	25	
25.	निलवई	2006-07	25	
26.	श्रीखोमाराम भीमा	2006-07	90	
27.	थोटापल्ली बैराज	2005-06	25	
28.	ताराकर्मा तीरथ सागाराम	2005-06	25	
29.	स्वर्णमुखी	2005-06	*	
30.	पालेमवगु	2005-06	253	
31.	मसुरीमिल्ली	2007-08	57.5	
32.	राजीव भीमा एल आई एस	2007-08	90	
33.	इन्दिरा सागर (पोलावरम)	2008-09	25	
	कुल			
	असम			
1.	पाहुमारा	1996-97	90	

1	2	3	4	5
2.	हवाईपुर लिफ्ट	1996-97	एल	
3.	रूपाही	1996-97	एल	
4.	धनसिरी	1996-97	90	
5.	चम्पामती	1996-97	90	
6.	बोरोलिया	1996-97	90	
7.	कोलंग	1998-97	एल	
8.	बूढ़ी दिहांग लिफ्ट	1997-98	90	
9.	बोरडीकराई	1997-98	एल	
10.	जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण	2001-02	90	
11.	कोलंग बेसिन संयुक्त सिंचाई स्कीम	1997-98	एल	
	बिहार			
1.	पश्चिमी कोसी	1996-97	90	
2.	ऊपरी किउल	1996-97	25	
3.	दुर्गावती	1996-97	25	
	बाणसागर	1997-98	25	
4.	ओरननी जलाशय	1997-98	25	
5.	बिलासी जलाशय	1997-98	एल	
6.	सोन्न नहर आधुनिकीकरण	1998-99	25	
7.	बताने	2000-01	25	
8.	पुनपुन	2007-08	25	
9.	सृजित सिंचाई क्षमता को बनाए रखने के लिए कोसी बैराज और आनुषंगिक संरचनाओं का पुनरूद्धार	2008-09	82	
	छत्तीसगढ़			
1.	हसदेव बांगो	1997-98	एल	
2.	शिवननाथ डाइवर्जन	1997-98	एल	
3.	जोंक डाइवर्जन	1999-2000	एल	

1	2	3	4	5
4.	कोसेरटेडा	2002-03	90	
5.	महानदी जलाशय परियोजना	2004-05	25	
6.	बरनाई	2002-03	एल	
7.	मिनीमाता (हसदेव बांगो फेज-IV)	2007-08	61	
8.	केलो परियोजना	2008-09	25	
9.	खरूंग (ईआरएम)	2010-11	25	
10.	सुतियापट	2010-11	90	
	कुल			
	गोवा			
सी 1	सलौली फेज-	1997-98	25	
2	तिल्लारी	2000-01	25	
	कुल			
	गुजरात			
1	सरदार सरोवर	1996-97	41	
2	झुज	1996-97	एल	
3	सिपुर	1996-97	एल	
4	मुक्तेश्वर	1996-97	एल	
5	हरनाव-II	1996-97	एल	
6	उमरिया	1996-97	एल	
7	दमनगंगा	1997-98	एल	
8	कर्जन	1997-98	एल	
9	सुखी	1997-98	एल	
10	देव	1997-98	एल	
11	वतरक	1997-98	एल	
12	अजी-IV	2001-01	25	
13	ओजट-II	2001-01	25	
14	ब्राह्मणी-II	2000-01	एल	
15	भादर-II	2002-03	25	
	कुल			

1	2	3	4	5
	हरियाणा			
1	गुड़गांव नहर #	1996-97	एल	
2	डब्ल्यूआरसीपी	1996-97	25	
3	जेएलएन लिफ्ट सिंचाई	1997-98	डी	
	कुल			
	हिमाचल प्रदेश			
1	शाहनहर सिंचाई परियोजना	1997-98	90	
2	सियाता	2000-01	90	
3	चेंजर लिफ्ट	2000-01	90	
4	बल्ह घाटी (बांया किनारा)	2010-11	90	
	कुल			
	जम्मू एवं कश्मीर			
1	मारवाल लिफ्ट*	1996-97	90	
2	लेयपोरा लिफ्ट*	1996-97	90	
3	कोयल लिफ्ट*	1996-97	7	
4	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण*	1999-2000	90	
5	नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	1999-2000	90	
6	कछुआ नहर का आधुनिकीकरण	1999-2000	90	
7	राजपुरा लिफ्ट	2000-01	90	
8	तराल लिफ्ट	2000-01	90	
9	इगोफेय	2000-01	90	
10	रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई	2001-02	90	
11	जेंगीर नहर का आधुनिकीकरण	2001-02	90	
12	दादी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	2006-07	90	
13	मार्तण्ड नहर का आधुनिकीकरण	2006-07	90	

1	2	3	4	5
14	मक्खुल का आधुनिकीकरण	2006-07	90	
15	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	2007-08	90	
16	कांडी नहर का आधुनिकीकरण	2007-08	90	
17	पाराचिक खैस नहर	2007-08	90	
18	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	2008-09	90	
	कुल			
	झारखंड			
1	गुमानी	1997-98	90	
2	तोराई +	1997-98	डी	
3	लतरातु	1997-98	एल	
4	कंसजोर	1997-98	25	
5	सोनुआ	1997-98	25	
6	सुरंगी	1997-98	25	
7	तपकरा जलाशय स्कीम	1997-98	एल	
8	ऊपरी शंख	2004-05	90	
9	पंचखेरो	2004-05	38	
	कुल			
	कर्नाटक			
1	ऊपरी कृष्णा चरण-	1996-97	90	
2	मालप्रभा	1996-97	90	
3	हिरेहल्ला	1996-97	एल	
4	घाटप्रभा	1996-97	73	
5	करंजा	1996-97	90	
6	ऊपरी कृष्णा चरण-II	2001-02	90	
7	गंडोरीनाला	2001-02	90	
8	मस्कीनाला	2002-03	एल	

1	2	3	4	5
9	वोटेहोल	2007-08	90	
10	बाराही	2007-08	25	
11	दुधगंगा	2008-09	90	
12	भद्रा जलाशय परियोजना की नहर प्रणाली का आधुनिकरण	2008-09	28	
13	हिप्पारगी	2008-09	85	
14	भीमसमुद्र टैंक का पुनरूद्धार	2009-10	90	
15	भीमा एलआईएस	2009-10	90	
16	गुड्डादा मातापुरा लिफ्ट	2009-10	90	
	कुल			
	केरल			
1	कलड़ा परियोजना	1996-97	एल	
2	गुवातुपुझा	2000-01	25	
3	कारापुझा	2006-07	25	
4	कन्हिरापुझा	2008-09	25	
5	चितुरपुझा	2010-11	25	
	कुल			
	मध्य प्रदेश			
1	इंदिरा सागर यूनिट-I	1996-97	90	
	इंदिरा सागर यूनिट-II		90	
2	बाणसागर यूनिट-I	1996-97	25	
	बाणसागर यूनिट-II	2003-04	39	
3	ऊपरी वेनगंगगा	1996-97	एल	
	राजघाट बांध	1998-99	एल	
4	सिंध फेज-II	1998-99	25	
5	सिंथ फेज-I	1998-99	एल	

1	2	3	4	5
6	माही	2000-01	86	
7	बरियारसुर एलबीएस	2000-01	25	
8	उर्मिल आरबीसी	2000-01	एल	
9	बंजर	2000-01	एल	
10	बावनथाडी	2003-04	25	
11	महान	2003-04	90	
12	ओमकारेश्वर फेज-I	2003-04	90	
13	बारगी डाइवर्जन फेज-I	2001-02	25	
	बारगी डाइवर्जन फेज-II	2002-03	25	
	बारगी डाइवर्जन फेज-III	2007-08	25	
14	पेंच डाइवर्जन परियोजना फेज-I	2007-08	25	
	ओमकारेश्वर फेज-II	2007-08	90	
	ओमकारेश्वर फेज-III	2007-08	90	
	इंदिरासागर नहर फेज-III	2007-08	90	
15	ऊपरी बेदा	2008-09	90	
16	पुनासा एलआईएस	2008-09	90	
17	निचली गोई	2008-09	90	
	इंदिरा सागर यूनिट-IV	2008-09	90	
	बारगी डाइवर्जन फेज-IV	2008-09	25	
18	जोबट	2010-11	90	
	कुल			
	महाराष्ट्र			
1	गोसीखुर्द	1996-97	25	अब 90% हिस्सा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में है।
2	सूर्या	1996-97	एल	
3	वाधुर	1996-97	80	

1	2	3	4	5
4	भीमा	1997-98	एल	
5	ऊपरी तापी	1997-98	एल	
6	ऊपरी वर्धा	1997-98	90	
7	वान	1998-99	एल	
8	जायकवाडी चरण-II	2000-01	एल	
9	विष्णुपुरी	2000-01	एल	
10	बाहुला	2000-01	25	
11	कृष्णा	2002-03	90	
12	कुकाडी	2002-03	90	
13	ऊपरी मनार	2002-03	25	
14	हेतवाने	2002-03	एल	
15	चसकमान	2002-03	90	
16	ऊपरी पेनगंगा	2004-05	44	
	बावनथाडी (आईएस)	2004-05	25	
17	निचली दुधना	2005-06	25	
	तिल्लारी	2005-06	25	
18	वर्ना	2005-06	25	
19	वान-II	2006-07	*	
20	पुनाद	2006-07	90	
21	पोथरा नाला	2006-07	90	
22	उतावली	2006-07	90	
23	पूर्णा	2006-07	90	
24	नंदुर मद्यमेश्वर	2006-07	90	
25	कार	2006-07	25	
26	निचली वर्धा	2006-07	25	
27	लाल नाला	2006-07	85.9	

1	2	3	4	5
28	खड़कपूर्णा	2006-07	83.8	
29	अरूणावती	2006-07	90	
30.	तजनापोर एलआईएस	2006-07	90	
31.	खडकवासला	2002-03	एल	
32	कदवी	2002-03	एल	
33	कसारसाई	2002-03	एल	
34	जवल गांव	2002-03	एल	
35	कुंभी	2002-03	एल	
36	कसारी	2002-03	एल	
37	पतगांव	2004-05	*	
38	मदन टैंक	2005-06	*	
39	डोंगरगांव	2005-06	90	
40	शिवना तकली	2005-06	90	
41	अमरावती	2005-06	90	
42	गुल	2005-06	25	
43	बेम्बला	2007-08	80	
44	चन्द्र भागा	2007-08	90	
45	सपन	2007-08	90	
46	उत्तरामांड	2007-08	25	
47	संगोला शाखा नहर	2007-08	90	
48	पेनतकली	2007-08	90	
49	तराली	2007-08	65.3	
50	धोम बालकवाडी	2007-08	44.5	
51	मोरना गुरेघर	2007-08	25	
52	अर्जुन	2007-08	25	
53	प्रकाश बैराज	2007-08	68.3	

1	2	3	4	5
54	सुलवाडे बैराज	2007-08	78.8	
55	सारंगखेडा बैराज	2007-08	80.8	
56	निचली पेथी	2008-09	90	
57	ऊपरी कुंडालिका	2008-09	90	
58	वांग परियोजना	2008-09	25	
59	निचली पंजारा	2009-10	90	
60	अरूणा	2009-10	25	
61	कृष्णा कोयना लिफ्ट	2009-10	89.5	
62	नरवादे (महाम्मादवाडी)	2009-10	25	
63	गदनदी	2009-10	25	
64	कंडली	2009-10	25	
	नंदुर मचमेश्वर फेज-	2009-10	90	
	कुल			
	मणिपुर			
1	खुगा	1996-97	90	
2	थोबल	1997-98	90	
3	दोलाईथाबी बैराज	2002-03	90	
	कुल			
	मेघालय			
1	रंगाई घाटी	2000-01	डी	
	कुल			
	उड़ीसा			
1	ऊपरी इंदिरावती (केबीके)	1996-97	90	
2	सुवर्णरेखा	1996-97	81.1	
3	रैंगाली	1996-97	25	
4	आनंदपुर बैराज फेज-I/ एकीकृत आनंदपुर बैराज	1996-97	25	

1	2	3	4	5
5	ऊपरी कोलाब (केबीके)	1998-99	एल	
6	तितलागढ़ चरण-II (केबीके)	1998-99	90	
7	निचली इंद्रा (केबीके)	1999-2000	90	
8	निचली सुकतेल (केबीके)	1999-2000	90	
9	पोट्टेक (केबीके)	2001-02	एल	
10	नराज बैराज	2001-02	एल	
11	तेलनीगिरी (केबीके)	2003-04	90	
12	रेत सिंचाई (केबीके)	2003-04	90	
13	कानुपुर	2003-04	90	
14	छेल्लीगाडा बांध	2003-04	25	
15	ससोन नहर प्रणाली का सुधार*	2002-03	एल	
16	सालंदी बांया मुख्य नहर अंबाहता*	2002-03	एल	
17	सल्की सिंचाई का सुधार*	2003-04	एल	
18	राकुरा-जनजातीय	2009-10	90	
	कुल			
	पंजाब			
1	रंजीत सागर बांध	1996-97	एल	
2	यूबीडीसी का रिमॉडलिंग	2000-01	एल	
3	हिमाचल प्रदेश को तलवारा से नीचे के क्षेत्र में सिंचाई	2000-01	25	अब हिमाचल प्रदेश में 90% की दर से शाहनहर के साथ मिला दी गई है।
4	शाहपुर कांडी बांध (एनपी)	2001-02	25	अब 90% हिस्सा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में है।
5.	कांडी नहर विस्तार (फेज-II)	2002-03	25	
6	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास	2007-08	25	
7	राजस्थान फीडर नहर और सरहिंद फीडर नहर का पुनः रेखन (आरडी 179000 से आरडी 496000)	2009-10	90	
	कुल			

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
1	जैसमंद (आधुनिकीकरण)	1996-97	एल	
2	छापी	1996-97	एल	
3	पांचना	1997-98	एल	
4	आईजीएनपी चरण-II	1997-98	*	राज्य द्वारा 2006-07 से कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई है।
5	बीसलपुर	1998-99	एल	
6	नर्मदा नहर	1998-99	90	
7	गंभीरी (आधुनिकीकरण)	1998-99	एल	
8	चौली	1998-99	*	
9	माही बजाज सागर	1999-2000	*	
10	गंग नहर का आधुनिकीकरण	2001-01	25	
	कुल			
	त्रिपुरा			
1	गुमती	1996-97	90	
2	मानु	1996-97	90	
3	खोदई	1996-97	90	
	कुल			
	तमिलनाडु			
1	डब्ल्यूआरसीपी	1996-97	सल	
	कुल			
	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल			
1	मध्य गंगा नहर सहित ऊपरी गंगा	1996-97	एल	
2	सारदा सहायक	1996-97	एल	
3	सरयू नहर	1996-97	25	
4	एच.के. दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध कराना	1996-97	एल	

1	2	3	4	5
5	राजघाट बांध	1996-97	ण्ल	
6	गुटानाला बांध	1996-97	एल	
7	बाणसागर नहर	1997-98	36	
8	लखवर व्यासी	1997-98	डी	
9	टिहरी	1999-2000	25	
10	ज्ञानपुर पंप नहर	1999-2000	एल	
11	पूर्वी गंगा नहर	1999-2000	25	
12	राजघाट नहर	2000-01	25	
13	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	2002-03	25	
14	जरौली पंप जहर	2003-04	25	
15	लाचुरा बांध का आधुनिकीकरण	2005-06	33	
16	हरदोई शाखा प्रणाली के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि	2006-07	25	
17	मध्य गंगा नहर फेज-II	2007-08	25	
18	कचनोदा बांध	2008-09	25	
19	अर्जुन सहायक	2009-10	90	
20	सारदा सहायक की क्षमता की पुनः प्राप्ति	2009-10	25	
	कुल			
	पश्चिम बंगाल			
1	तीस्ता बैराज	1996-97	25	अब 90% हिस्सा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में है।
2	कंग्सावती	1997-98	एल	
3	डीवीसी के बैराज एवं सिंचाई	1997-98	एल	
4	तटको	2000-01	90	
5	पतलोई	2000-01	90	

1	2	3	4	5
6	हनुमाता	2000-01	90	
7	सुवर्णरेखा बैराज	2000-02	एल	
	कुल			
287				

* केन्द्रीय सहायता/केन्द्रीय ऋण सहायता 2006-07 तक जारी की गई जिसके बाद दिसम्बर, 2006 के दिशानिर्देशों में प्रतिशत 25 और 90 निर्धारित कर दिया गया

एल ऋण 2004-05 तक दिया गया जिसके बाद ऋण बंद कर दिया गया।

डी राज्य द्वारा आस्थगित

नैनो मिशन शुरु करना

***340. श्री विजय बहादुर सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग हैं और इसका प्रमुख क्षेत्रों में दूरगामी प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नैनो मिशन शुरु किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि, शुरु की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा उनके परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नैनो प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय स्तर का विनियामक ढांचा बनाये जाने की तत्काल आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो नैनो प्रौद्योगिकी तथा इस क्षेत्र में भौतिक तथा मानव अवसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): (क) जी, हां।

(ख) नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से अनेक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है। उदाहरण के लिए, नैनो-मेम्ब्रेन और नैनो सिल्वर से पहले ही अपेक्षाकृत और नई जल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं। माइक्रोबायल-रोधी वैंडेजों, वस्त्रों और अन्य माइक्रोबायल-रोधी अनुप्रयोगों में भी नैनो सिल्वर के अनुप्रयोग होते हैं। कार्बन नैनोटयूब और नैनो साइज की अन्रू सामग्रियों ने हाइड्रोजन भंडारण सामग्री के रूप में आशाजनक गुण दर्शाए हैं जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग होगा। विभिन्न सामग्री के नैनो साइज के कण विशिष्ट रोगग्रस्त अंगों तक औषध पहुंचाने में सक्षम हैं, जिसके परिणामस्वरूप औषध के सेवन में कमी आती है और स्वस्थ अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाता है। अन्य सामग्री के साथ मिश्रित नैनोसामग्री यौगिकों का निर्माण करती हैं जिनमें अपेक्षाकृत काफी अधिक शक्ति है और सिविल निर्माण से लेकर विमान निर्माण तक के क्षेत्रों में इनके अनुप्रयोग हैं। नैनो संवेदकों से पादपों, पशुओं और मानव में रोगों के लिए अपेक्षाकृत सस्ते और आसानी से प्रयोग किए जाने वाले नैदानिक उपकरणों का निर्माण होगा। नैनोसामग्री अत्यंत प्रभावी उत्प्रेरक हैं जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्नत उत्प्रेरक परिवर्तित्र हैं। कंप्यूटर चिपों पर इलेक्ट्रानिक यंत्र काफी समय से नैनो क्षेत्र में रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के संभव अनुप्रयोगों की सूची काफी लंबी है। यह सचमुच एक बहुविषयी और "समर्थ" प्रौद्योगिकी है जिससे अनेक उत्पादों और प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ 3 मई, 2007 को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) शुरु किया है। नैनो मिशन अनुसंधान के इस उभरते और उच्च प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) को बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। नैनो मिशन के उद्देश्य इस प्रकार है:

- ❖ आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा

❖ नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास

❖ मानव संसाधन विकाय

❖ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31 जुलाई, 2011 तक) के दौरान आबंटित धनराश, शुरू की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा उनके परिणामों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	आबंटित निधियां (करोड़ रु. में)	स्वीकृत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की संख्या	जरनलों में प्रकाशित/प्रस्तुत शोध पत्रों की संख्या	सम्मेलन दस्तावेजों की संख्या	सम्पन्न/ चालू पी.एच.डी. की संख्या	प्रशिक्षित की गई अन्य मानव शक्ति की संख्या	अनुमोदित /दर्ज पेटेंटों की संख्या
2008-09	130.00	21	72	31	25	66	8
2009-10	70.00	31	134	81	48	79	19
2010-11	99.00	40	5	3	3	5	-
2011-12	100.00	5	-	-	-	-	
कुल	399.00	97	211	115	76	150	27

(ङ) जी, हां। देश में प्रयोगशालाओं में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सक्रिय अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। और बाजार में आ रहे नैनो-सक्षम उत्पादों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, इसलिए नैनों प्रौद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के विनियामक ढांचे का मौजूद होना महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि नैनो प्रौद्योगिकी के बहुत से क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग होते हैं, अतः एक उपयुक्त विनियामक ढांचे का विकास काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। विश्व भर के देश इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत में भी, नैनो मिशन ने भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के लिए विनियामक ढांचे हेतु एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रस्तरीय अन्तर-एजेंसी कार्रवाई शुरु की है।

(च) सरकार ने इस क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी तथा भौतिक एवं मानव अवसंरचना के विकास के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और सतत रूप से उठा रही है।

<u>नैनो मिशन की पहलें</u>

- नैनो विज्ञान पर 12 यूनिटों की स्थापना।
- संगणनात्मक पदार्थ विज्ञान के लिए एक केन्द्र के साथ-साथ नैनो प्रौद्योगिकी के लिए 7 केन्द्रों की स्थापना।
- मोहाली में एक नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
- इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेटेरियल्स साइंस, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ट साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर), बेंगलूर में राष्ट्रीय सुविधा के तौर पर एक अल्ट्रा हाई रिजोल्युशन अबेरेशन-करेक्टेड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप की स्थापना।
- फोटोन फैक्टरी, सुकुबा, जापान में भारत-जापान बीम लाइन की स्थापना।
- हम्बर्ग, जर्मनी स्थित पीईटीआरए III सिंक्रोट्रान रेडिएशन सोर्स में एक बीम लाइन की स्थापना करना तथा सभी बीम लाइनों तक पहुंच।

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐक्सलरेटर आधारित 3 अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना।
- देशभर के विभिन्न संस्थानों में विशिष्ट विषयों पर उत्कृष्टता की 08 थिमेटिक यूनिटों की स्थापना।
- विदेशों में विभिन्न सिंकोट्रोन रेडिएशन स्रोतों एवं न्यूट्रान स्रोतों में प्रयोग करने में वैज्ञानिकों को समर्थ बनाना।
- इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स (एआरसीआई), हैदराबाद में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक ज्ञान प्रबंधन केंद्र (सीकेएमएनटी) की स्थापना।
- इंटर युनिवर्सिटी ऐक्सलरेटर सेंटर, नई दिल्ली में अनुरूपण एवं आंकड़ा विश्लेषण हेतु संगणन संथानों का संवर्धन।
- देशभर के 17 संस्थानों में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी./एम.टेक. कार्यक्रमों को सहायता।
- जेएनसीएएसआर, बेंगलूर के माध्यम से पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों की मंजूरी।
- 249 वैयक्तिक वैज्ञानिक-केन्द्रिक अनुसंधान परियोजनाओं का निधिकरण।
- 5 अनुप्रयोग-उन्मुख उद्योग संस्थान-सहयोगात्मक परियोजनाओं का निधिकरण।
- भारत-कनाडा वैज्ञानिक आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत।
- 5 उन्नत स्कूलों का संगठन।
- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि को सहायता।
- नैनों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वार्षिक राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार प्रारंभ करना।

अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की पहलें:

नैनो मिशन के उपर्युक्त कार्यकलाप के अतिरिक्त, अन्य ऐजेंसियां भी इस क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी तथा भौतिक एवं मानव अवसंरचना के विकास के लिए कदम उठाती रही हैं। उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने पदार्थों, उपकरणों, संवेदकों, आदि सहित नैनोइलेक्ट्रॉनिकी एवं उनके लक्षण वर्णन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप शुरु करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर में नैनो इलेक्ट्रॉनिकी केन्द्रों की स्थापना की है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में एक नैनोमेट्रोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना की गई है जो कई प्रकार की अंशशोधन सुविधाएं प्रदान करती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास में भी कुछ अन्य प्रमुख अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इन सुविधाओं का उपयोग 40 अन्रू संस्थानों के भारी संख्या में वैज्ञानिकों द्वारा इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम (आईएनयूपी) के अंतर्गत किया जा रहा है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कुछ नूतन एवं उपयोगी संवेदकों का विकास तथा जनशक्ति प्रशिक्षण संभव हो पया है। सीएसआईआर (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) की प्रयोगशालाओं द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी पर व्यापक अनुसंधान किया जा रहा है जिससे बौद्धिक पूंजी एवं बहुमूल्य मानव संसाधन का सृजन हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनों जैव प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास काय्र कर रहा है जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) कृषि एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर कार्य कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआइडीओ), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा प्रासंगिक क्षेत्रकों में सुयोजित और केन्द्रित नैनो प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है।

वाणिज्य-पीठें

3681. श्री पी. विश्वनाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के समस्त उच्च न्यायालयों में वाणिज्य-पीठों के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि देश की 90 प्रतिशत आबादी को अभी तक विधिक सहायता सुलभ नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे लाइन हेतु सर्वेक्षण

3682. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोरबा-लोहारदागा रेलवे लाइन हेतु अब तक कितने सर्वेक्षण किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इस पर सर्वेक्षण-वार कितनी निधियां व्यय की गई हैं; और

(ग) उक्त मार्ग पर रेलवे लाइन न बिछाये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कोरबा-लोहारदागा नई बड़ी लाइन हेतु टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण केवल 13.05 लाख रु. की लागत पर वर्ष 2001-02 में किया गया था। इसके अलावा, 8.4 लाख रु. की लागत पर वर्ष 2010-11 में अद्यतन सर्वेक्षण किया गया था। अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत (-; 7.37 प्रतिशत प्रतिफल के साथ 2443.74 करोड़ रु. आंकी गयी है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

3683. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण रोजगार के सृजन के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में एक मिलियन डॉलर का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोजगार कार्यक्रम की शुरूआत के लिए किन-किन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को चिन्हित किया गया है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम हेतु इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अब तक कितनी राशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) भारत सरकार और विश्व बैंक ने सर्वाधिक गरीबी वाले 12 राज्यों में विशेष अतिरिक्त निवेश के जरिए एनआरएलएम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) के लिए 1 बिलियन डॉलर (लगभग 4600 करोड़ रुपए) के ऋण करार पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) एनआरएलपी के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्य हैं : बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु।

(घ) एनआरएलएम के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए राज्यों को एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए मानदंड में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

(i) स्वायत निकाय के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) स्थापित करना अथवा एसआरएलएम के रूप में मौजूदा सोसायटी को पदनामित करना।

(ii) राज्य सकरार से राज्य मिशन निदेशक नियुक्त करना।

(iii) राज्य एवं जिला स्तर पर बहु-विषयक पेशेवर स्टाफ तैनात करने के लिए योजना

(iv) मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष राज्य संदर्भ एवं कार्यान्वयन योजना और वार्षिक कार्य-योजना प्रस्तुत करना।

चूंकि किसी राज्य ने अब तक इन शर्तों का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया है, इसलिए किसी राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

राष्ट्रीय निधि विश्वविद्यालयों में मूल निवासी छात्रों के लिए आरक्षण

3684. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में संबंधित राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं;

(ग) क्या जोधपुर विधि विश्वविद्यालय में राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए स्थान आरक्षित नहीं रखे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान कब तक किया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री आरक्षण प्रणाली हेतु भर्ती

3685. श्री रामकिशुन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यात्री आरक्षण प्रणाली के ऐसे पटलों का रेल जोन-वार तथा डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है जहां कर्मियों की भर्ती न किए जाने के कारण वहां काम ठप्प पड़ा है; और

(ख) उक्त यात्री आरक्षण पटलों पर कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों की भर्ती न होने के बावजूद इस समय सभी कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर कार्यरत हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

3686. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग निमग लि. (बीबीयूएनएल) और उसकी अनुषंगी कंपनियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बीबीयूएनएल के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्तमान में भारत भारी उद्योग निमग लि. (बीबीयूएनएल) की केवल एक प्रचालनरत सहायक कंपनी है, ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंपनी लि. (बीबीजे)। बीबीयूएनएल तथा बीबीजे दोनों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान लाभ अर्जित किया है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार के पास बीबीयूएनएल का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, सरकार ने दिनांक 06.08. 2010 को बीबीयूएनएल तथा बीबीजे के विलय को अनुमोदित कर दिया है।

सूक्ष्म जलसंभर योजना

3687. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सूक्ष्म जलसंभर योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त परियोजना की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक मंजूर होने की संभावना है और इसके लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पोखरन रेलवे स्टेशन

3688. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोखरन रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस सिलसिले में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त स्टेशन का कार्य समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पोखरण रेलवे स्टेशन पर 37 लाख रुपए की लागत पर वन-बे प्लेटफार्म शैल्टर सहित रेल लेवल यात्री प्लेटफार्म को ऊंचा करने का कार्य स्वीकृत किया गया है। फिलहाल, प्लेटफार्म की दीवार का कार्य पूरा हो गया है और मिट्टी भर कर उसे समतल कर दी गयी है।

(ख) से (घ) निधि की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है और जून, 2012 तक पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

नई रेलगाड़ियां

3689. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का नागौर-मैसूर, नागौर-चेन्नै, नागौर-कोल्लम, नागौर-गोवा और नागौर-मुंबई रेलमार्गों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) फिलहाल, नागौर-मैसूर, नागौर-चेन्नै, नागौर-कोल्लम, नागौर-मुंबई और नागौर-गोवा मार्गों पर रेलगाड़ियां चलाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, रेल बजट 2011-12 में घोषित वास्को-डि-गामा-वेलंकन्नी एक्सप्रेस नागौर-गोवा मार्ग के यात्रियों को सेवित करेगी, जो इसके चलाए जाने पर नागापट्टिनम (जो कि नागौर से लगभग 7 किमी दूर है) तक इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) रेल बजट 2011-12 में घोषित रेलगाड़ियां उसी वित्तीय वर्ष में चलाई जाती हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

3690. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शोधन-क्षमता बढ़ाने तथा आगामी वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख पेट्रोलियत उत्पादों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(हजार मीट्रिक टन में)

उत्पाद	2008-09	2009-10	2010-11 (पी)
1	2	3	4
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	109.0	131.0	158.0
नापथा	7601.0	9911.0	10667.0
पेट्रोल	5433.0	9762.0	13581.0
विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)	3701.0	4588.0	4478.0

1	2	3	4
मिट्टी तेल	77.0	46.0	34.0
डीजल	14693.0	18419.0	20354.0
लाइट डीजल तेल (एलडीओ)	0.4	41.0	125.6
ल्यूब्स	140.0	24.0	8.0
ईंधन तेल	6201.0	5173.0	6734.0
बिटुमिन	45.0	39.0	21.0
अन्य	902.0	2839.0	2973.0
कुल निर्यात	38,902.4	50,974.0	59,133.6

पी = अनंतिम

(ख) से (घ) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा इसकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए भारत में कहीं पर भी एक रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। परिशोधन क्षमता को अप्रैल, 2008 में 148.968 एमएमटीपीए से बढ़ाकर जून, 2011 में 193.386 एमएमटीपीए कर दिया गया है। भारत की पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातक के रूप में उभर रही स्थिति को ध्यान में रखते हुए और घरेलू मांग से अधिक क्षमता हेतु ग्यारहवीं योजना के अंत में 234 एमएमटीपीए की परिकल्पित परिशोधन क्षमता से आगामी वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा।

वन क्षेत्रों के लिए धनराशि का आबंटन

3691. श्री रामसिंह राठवा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि आपका मंत्रालय ऐसे वन क्षेत्रों के उपचार के लिए धनराशि आबंटित नहीं कर रहा है जिन्हें स्वयं विभाग द्वारा परिभाषित मानदण्डों के आधार पर, जलसंभर परियोजनाओं के अभिन्न भागों में रूप में प्राथमिकीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में धनराशि आबंटित न किए जाने से वनवासियों की आजीविका समाप्त हो जाने की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कार्यनीति बनाई गई है;

(ङ) क्या इस प्रकार के अपवर्जन से सरकार द्वारा वर्ष 2008 में जारी सामान्य मार्गनिर्देशों के मुख्य सिद्धांत की अनदेखी होगी और इसके फलस्वरूप जलसंभर कार्यक्रमों के खण्डित, सीमित तथा त्रुटिपूर्ण परिणमा सामने आयेंगे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या विभाग का उक्त निर्णय पर पुनर्विचार का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, नहीं। भूमि संसाधन विभाग वन क्षेत्रों, जो चयनित वाटरशेड क्षेत्र के अभिन्न भाग हैं, को विकसित करने के लिए निधियां आबंटित कर रहा है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

केरोसिन थोक विक्रेताओं की नियुक्ति

3692. श्री जयराम पांगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणक कंपनियों द्वारा ओडिशा के 314 ग्रामीण ब्लाकों में केवल 189 थोक केरोसिन विक्रेताओं की ही नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों द्वारा ऐसे शेष ब्लाकों में जहां थोक विक्रेताओं को नियुक्त करना अभी लंबित है, छोटे डिपो खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) ओडिशा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 177 मिट्टी तेल के थोक विक्रेता हैं। मिट्टी तेल के ये थोक विक्रेता 113 ब्लोंकों में स्थित हैं और राज्य सरकार द्वारा सभी ब्लोंकों में नियुक्त उप-थोक विक्रेताओं को मिट्टी तेल की आपूर्ति कर रहे हैं। परंपरानुसार, थोक विक्रेता जिला/ब्लॉक मुख्यालय और प्रमुख शहरों में संकेंद्रित होते हैं। ब्लोंकें को आपूर्ति उप-थोक विक्रेताओं के द्वारा की जाती है। संभारतंत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ओडिशा राज्य सरकार उप-थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं से जोड़ती है।

शिमोगा-हरिहर रेलमार्ग

3693. श्री बी.वाई. राघवेंद्र: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिमागो-हरिहर रेलखंड पर नए रेलपथ के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त रेलपथ का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) शिमोगा-हरिहर नई लाइन परियोजना बजट 2011-12 में शामिल कर ली गयी है और इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ करने से पहले अंतिम स्थान सर्वेक्षण, विस्तृत आकलन तैयार करने इत्यादि जैसी गतिविधयां प्रगति पर हैं।

(ख) इस परियोजना को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारिंत नहीं की गयी है।

विदेशों में तेल तथा गैस क्षेत्र की परिसंपत्तियों का अर्जन

3694. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय में वित्त मंत्रालय से एक ऐसे कोष के गठन पर विचार करने का आग्रह किया है जो देश की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में तेल तथा गैस क्षेत्र की परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु सहायता मुहैया कराए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बताया गया है कि चूंकि विदेशी बाजारों में कठिन प्रतिस्पर्धा है अत: वहां पैर जमाने के लिए त्वरित निर्णय के अलावा बड़े पैमाने पर निवेश की भी आवश्यकता होगी;

(ग) क्या कार्यनीतिक रूप से ऐसे अर्जन हेतु एक केन्द्र स्थल की भी अपेक्षा रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) संसद में दिनांक 4.6.2009 को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार, सरकार, भारत की तेल कूटनीति को जोरदार ढंग से बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है जिनमें संबंधित एजेंसियों/पणधारियों के साथ परामर्श करना सम्मिलित है। देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया है कि विदेश में स्रोत परिसंपत्ति के अर्जन पर संकेन्द्रित सार्वभौम निधि बनाने की योजना का विचार किया जाए। वर्तमान, में, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा समुद्र पार अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) परिसंपत्तियों का अर्जन और उनका वित्तपोषण, संबंधित तेल पीएसयूज द्वारा अपनाई गई कार्यनीति पर आधारित वाणिज्यिक दृष्टिकोणों पर आधारित है।

[हिन्दी]

घाघरा नदी में बाढ़ नियंत्रण

3695. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित घाघरा नदी के दोनों किनारों पर तटबंध निर्माण तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी अन्य निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से वर्ष 2009-10 के दौरान घाघरा नदी पर 110.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "बहराइच, बाराबंकी, गोन्डा, बस्ती, फैजाबाद और मऊ जिलों में घाघरा नदी के बांये एवं दांये तट के साथ-साथ सीमान्त तटबंधों एवं बाढ़ संरक्षण कार्य का निर्माण" नामक एक संयुक्त बाढ़ संरक्षण स्कीम शुरू की गई है जिसमें 25 उप-स्कीमें हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संयुक्त स्कीम का लगभग सम्पूर्ण कार्य जनवरी, 2011 में पूरा कर लिया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा स्कीम के पूरा होने की रिपोर्ट अभी तक गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) को प्रस्तुत की नहीं की गई है।

(ग) उपर्युक्त स्कीम की अनुमानित लागत 110.00 करोड़ रुपये है।

(घ) जीएफसीसी में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस स्कीम पर 81.52 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम

3696. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कंपनी अधिनियम, 1956 का निरसन करते हुए नया कंपनी अधिनियम बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कंपनी अधिनियम बदलने से कंपनियों द्वारा निवेशकों से की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने में कहां तक मदद मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीयय घटनाओं के मद्देनजर एवं सुविचारित विनियमन द्वारा कार्पोरेट क्षेत्र की संरचना के आधुनिकीकरण की दृष्टि से वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 के संशोधन का निर्णय लिया गया। नया कंपनी विधेयक लागू होने के पश्चात, वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 निरसित हो जाएगा।

(ग) कंपनी विधेयक, 2009 धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों के विरूद्ध अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के लिए अधिक कड़े प्रावधानों का उपबंध करता है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा स्वतः स्फूर्त जांच प्रारंभ करने, जांच के दौरान विशेष न्यायालय से आदेश प्राप्त किए बिना ही तलाशी एवं जब्ती की अनुमति देने, ट्रिब्यूनल के आदेश पर जांचाधीन कंपनी की परिसम्पतियां फ्रीज करने जैसे उपबंधों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विधेयक प्रकटीकरण एवं निरोधक अर्थदंड पर जोर देता है तथा इसमें व्यापक प्रवर्तन प्रावधान रखे गए हैं।

उर्वरक इकाइयों की सब्सिडी

3697. श्री रवनीत सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सब्सिडी का लाभ पाने वाली उर्वरक इकाइयों की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक को विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी-कितनी सब्सिडी प्रदान की गई; और

(ख) सब्सिडी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा इन इकाइयों की दक्षता ओर बढ़ाने के लिहाज से इनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) 80 एसएसपी इकाइयों सहित 130 इकाइयां राजसहायता प्राप्त कर रही हैं। इनमें से प्रत्येक को विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान दी गई राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

(ख) सरकार पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति (एनबीएस) को लागू करके राजसहायता ढांचे को तर्कसंगत बनाने का प्रया कर रही है। पीएण्डके उर्वरकों के लिए एनबीएस अप्रैल, 2010 से लागू है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह योजना पोटाशयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों (एनपीके) के संदर्भ में एन.पी.के.एस. पोषकतत्वों और सूक्ष्म पोषकतत्वों के आधार पर राजसहायता के निर्धारण की परिकल्पना की गई है। हालांकि राजसहायता दर निश्चित है फिर भी यदि मूल्यों में वहनीयता से अधिक परिवर्तन होता है, तो सरकार ने हस्तक्षेप करने का विकल्प भी रखा है और खुदरा मूल्य को स्वतंत्र कर दिया गया है। यह कंपनियों द्वारा प्रतिस्पधात्मक मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है।

विवरण-I

स्वदेशी पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में जारी किया गया कंपनी-वार भुगतान

क्र.सं	कंपनी का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.07.11) तक
	स्वदेशी डीएपी/मिश्रित				
1.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि.	7176.89	2929.14	3977.64	1075.67
2.	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो	119.66	66.81	135.28	73.89
3.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	1215.92	653.44	1185.37	246.93
4.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लि.	175.80	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	699.98	160.24	180.37	99.36
6.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लि.	3347.48	1185.31	1943.43	529.44
7.	हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि.	564.09	259.53	400.37	126.68
8.	इंडियन फर्मार्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि.	10007.45	5142.21	5935.22	2594.12
9.	इंडरून पोटाश लिमिटेड	0.00	0.00	34.44	8.09
10.	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	692.85	316.51	351.82	118.96
11.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	1.02	0.00	0.00	0.00
12.	ओसवाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लि.	7.33	0.00	0.00	0.00
13.	पारादीप फॉस्पेट लि.	2961.93	1526.84	1860.77	659.67
14.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	740.93	560.38	716.59	242.71
15.	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कॉर्पो. लि.	50.88	97.52	206.31	126.31
16.	जैडआईएल इण्डस्ट्रीज लि.	1840.07	993.90	1190.77	349.28
17.	टाटा केमिकल्स लि. (एचएलएल)	2311.85	984.33	1024.35	291.61
	योग	31914.13	14876.16	19142.73	6542.92
18.	एसएसपी को कुल भुगतान	1040.73	1122.98	1498.95	482.23
19.	अक्तूबर, 2000 पूर्व संभावित	0.00	0.00	8.32	13.56
20.	विशेष भाड़ा संभावित	2.24	0.86	0.00	0.00
	सकल योग	32957.10	16000.00	20650.00	7038.71

विवरण-II

स्वदेशी यूरिया पर इकाई-वार/वर्ष वार राजसहायता भुगतान

क्र.सं	इकाई	2008-09*	2009-10	2010-11	2011-12 (31.07.11) तक
1	2	3	4	5	6
1.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.नामरूप-II	33.38	21.81	56.10	86.03
2.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.नामरूप-III	42.83	26.37	114.13	43.26
3.	चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड-I	561.28	441.77	546.69	314.15
4.	चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड-II	842.34	769.33	753.72	336.24
5.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	664.13	964.56	489.55	264.92
6.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कार्पोरेशन	121.37	181.13	88.95	109.55
7.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., आंवला-I	721.41	593.16	376.49	195.97
8.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., आंवला-II	764.19	624.56	380.32	226.13
9.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., कलोल	1483.21	670.91	315.28	161.88
10.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., फूलपुर-I	604.96	692.09	626.30	260.03
11.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., फूलपुर-II	702.64	1144.54	764.96	377.43
12.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स	596.30	700.43	453.20	224.46
13.	कृषक भारती को-ऑपरेटिव लि.	1050.35	649.61	460.80	374.19
14.	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लि.	1188.80	448.82	410.32	232.35
15.	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	988.59	916.98	837.63	270.45
16.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	1045.66	1147.82	1290.71	597.09
17.	नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि.-I	352.80	208.78	260.16	213.77
18.	नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि.-II	879.12	566.14	393.47	189.35
19.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-पानीपत	873.00	846.27	801.39	480.21
20.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-विजयपुर-I	384.97	255.88	289.41	190.76
21.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-विजयपुर-II	508.52	324.18	44314	204.57

1	2	3	4	5	6
22.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-भठिण्डा	892.72	983.62	923.88	463.44
23.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-नंगल	639.58	930.77	748.96	392.72
24.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-थाल	2217.27	1227.656	705.35	433.42
25.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-ट्राम्बे.		66.02	313.94	110.75
26.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स	649.46	466.76	223.40	108.18
27.	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन	19.87		637.67	752.69
28.	टाटा केमिकल्स लि.	817.62	573.78	595.76	285.85
29.	जुआरी इण्डस्ट्रीज लि.	1066.19	1036.68	780.26	293.52
	योग	20914.76	17580.25	15080.73	8193.34

*एसबीएफए ब्याज के अलावा

[हिन्दी]

जातियों/समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा

3698. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न जातियों और समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किए जाने संबंधी कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) उक्त जातियों और समुदायों के नाम क्या है और उनके प्रस्ताव/मांगें सरकार के पास कब से लंबित हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव/मांगों पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1998-99 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में जैनों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने संबंधी निस्तारणीय मुद्दे का उल्लेख किया है।

(ग) जैनों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने संबंधी मुद्दा वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में समीक्षाधीन है, इसलिए ऐसी स्थिति में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

विधान सभा सदस्यों का चुनाव खर्च

3699. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित विधान सभाओं के लिए निर्वाचित कई सदस्यों ने अपने-अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विधान सभा सदस्यों ने चुनाव आयोग के सामने अपना शून्य चुनाव खर्च विवरण प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विवरण की सत्यता जांचने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन में हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन दो तारीखों में से पश्चातवर्ती

तारीख से तीस दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उक्त अधिनयिम की धारा 77 के अधीन रखा है, जिला निर्वाचन ऑफिसर के पास दाखिल करेगा। निर्वाचन के खर्चों के लेखों को दाखिल करने के लिए उक्त धारा 78 में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात, यथाशीघ्र जिला निर्वाचन ऑफिसर, प्रत्येक लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के लेखों के दाखिल किए जाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों के अपने लेखा को दाखिल किया है और यदि ऐसा है तो वह समय के भीतर और उक्त अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में है। सभी जिला निर्वाचन ऑफिसरों से असम, केरल, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी-2011 की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों की बाबत निर्वाचन व्ययों के लेखों के प्रस्तुत किए जाने से संबंधित रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात् निर्वाचन आयोग यह विनिश्चय करेगा कि क्या निर्वाचन व्ययों के लेखा को समय में और विहित रीति में दाखिल किया गया है।

(ग) और (घ) भारत के निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि किसी नए निर्वाचित विधान-सभा के सदस्य द्वारा शून्य खर्च लेखा के फाइल किए जाने के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जिला निर्वाचन ऑफिसर की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यदि निर्वाचन आयोग यह विनिश्चय करता है कि कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी समय के भीतर और पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में निर्वाचन व्ययों के लेखा को दाखिल करने में असफल रहता है तो वह लिखित में सूचना द्वारा अभ्यर्थी को कारण बताने की मांग करेगा कि क्यों न उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निर्रहित कर देना चाहिए।

नहर का पुनरुद्धार

3700. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत नहर-पुनरुद्धार का 'एक-समय-में-एम ही नहर' संबंधी नियम पंजाब में नहर अवसंरचना के पुनरुद्धार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकरार को इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों की नहर अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी, नहीं।

सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करती रही है। तथापि, निर्माण के अंतिम चरण वाली ईआरएम परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं को पात्रता शर्तों के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल किया जा सकता है जिसके अंतर्गत पंजाब में सिंचाई परियोजनाओं को मानदंडों के अनुसार केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ग) और (घ) पंजाब की आर डी-179000 से 496000 परियोजनाओं से राजस्थान फीडर के पुन:सरेखन को एआईबीपी में नई परियोजना को शामिल करने के लिए 'एक समय-में-एक' मानदंड में छूट देते हुए एआईबीपी में शामिल किया गया है तथा वर्ष 2010-11 के दौरान इस परियोजना के लिए 105.84 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

भूकंपों का अध्ययन

3701. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकंपों के अध्ययन हेतु महाराष्ट्र में एक प्रयोगशाला स्थापित करने की रूपरेखा बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोगशाला के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) विशेष रूप से महाराष्ट्र के कायेना क्षेत्र की भूकंपी सक्रियश्ता को और विस्तार से समझने के लिए जमीन के नीचे गहरे वेध-छिद्र करके भूकंपी संवदेकों का नेटवर्क तैयार करने के लिए एक नई वैज्ञानिक पहल शुरू करने के प्रयास किए जा रहे

हैं। इस प्रयोजन से 7 जनवरी, 2011 को प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय वैज्ञानिक वेधन कार्यक्रम (आईसीडीपी) की ओर से जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र (जीएफजेड) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। कोयला क्षेत्र की भूकंपनीयता से संबंधित अध्ययन शुरू करने के लिए एक वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए 21-25 मार्च, 2011 के दौरान हैदराबाद और कोयना में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

ईंधन राजसहायता

3702. श्री के. सुगुमार:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने ईंधन राजसहायता के भुगतान से छूट देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए अपनाई जा रही भार हिस्सेदारी प्रणाली के तहत सभी पणधारकों द्वारा निम्नलिखित तरीके से अल्पवसूलियां बांटी जा रही हैं:

(i) सरकार द्वारा नगद सहायता देकर

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियां नामत: ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ओर गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल और उत्पादों पर मूल्य में छूट देकर। गेल केवल पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर अल्पवसूलियों का भार वहन कर रही हैं।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अल्पवसूलियों का एक हिस्सा वहन करके।

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने भार हिस्सेदारी प्रणाली की समीक्षा करने और उसे "अपस्ट्रीम तेल कंपनियों" की श्रेणी से बाहर रखने का अनुरोध किया है ताकि इस आधार पर कि, वह ओएनजीसी और ओआईएल जैसी अपस्ट्रीम अन्वेषण और उत्पादन कंपनी नहीं है, यह बढ़ रहे कच्चे तल और पेट्रोलियम मूल्यों के कारण लाभ प्राप्त नहीं कर रही हैं, राजसहायता हिस्सेदारी के लिए शामिल नहीं किया जाए।

दादरी बाई-पास पर रेलवे क्रासिंग

3703. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को हरियाणा में दादरी बाई-पास को पूरा करने के लिए 57/9-10 किमी. पर चौकीदार रहित एल-क्रासिंग सं. सी.-36 को बंद करने के बदले आरई-बीटीआई खंड पर 57.565 किमी. पर चौकीदारयुक्त सी-क्लास रेल समपार के लिए अनुमोदन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार ने रेवाड़ी-भटिंडा खंड पर किमी. 57.565 पर राज्य राजमार्ग को जोड़ने के लिए अपने 4 लेन वाले बाई पास रोड के लिए सरफेस क्रासिंग का प्रस्ताव किया है। उच्च यातायात वाली सड़क पर एक समपार का प्रावधान सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी परिचालन की संरक्षा दृष्टि से वांछनीय नहीं है। बहरहाल, मांग किए गए स्थान पर एक ग्रेड सेपरेटर पर विचार किया जा सकता है जिसके लिए राज्य सरकार को निक्षेप शर्तों पर ऊपरी/निचले सड़क पुल के लिए प्रस्ताव को प्रायोजित करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

स्कूटर इंडिया लिमिटेड

3704. श्री धर्मेन्द्र यादव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूटर इंडिया लि. में अपनी 95 प्रतिशत शेयरधारिता को खत्म करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या स्कूटर इंडिया लि. देश का एक अग्रणी विनिर्माण एकक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में रणनीतिक भागीदारी की पहचान कर ली है और निबंधन और शर्तों का निर्धारण कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्कूटर इंडिया लि. के पुनरुद्धार के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): जी, हां। सरकार ने विनिवेश विभाग के माध्यम से उपयुक्त स्ट्रैटेजिक भागीदार को सम्पूर्ण सरकारी इक्विटी हस्तांतरित करने के जरिए स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एसआईएल) के पुनरूद्धार का 19.5.2011 को अनुमोदन कर दिया है।

(ख) यह कंपनी पिछले कुछ समय से अच्छा निष्पादन नहीं कर रही है तथा 2002-03 से प्रचालन हानि और 2006-07 से शुद्ध हानि उठा रही है। एसआईएल के कमजोर निष्पादन के बहुत से कारण हैं जिनमें पुरानी और अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार, एसआईएल के उत्पादों का खराब पोर्टफोलियो, कुशल जनशक्ति की कमी, अपर्याप्त क्षमताएं, अत्यधिक निम्न उत्पादकता, तकनीकी ज्ञान की अनुपलब्धता, कमजोर विपणन व्यवस्था और आधुनिक विनिमार्ण प्रक्रियाओं की कमी शामिल हैं। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए उद्योग में कंपनी के लिए अपने दम पर बने रहना मुश्किल था। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, बीआरपीएसई (लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड) ने 28.7.2010 को कंपनी के पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार किया और सिफारिश की कि कंपनी के पुनरूद्धार के लिए संभावित संयुक्त उद्यम भागीदार की तलाश हेतु अंतिम गंभीर प्रयास किया जाए, अन्यथा कंपनी को बंद कर दिया जाए।

(ग) जी, नहीं। एसआईएल का तिपहियों के सम्पूर्ण बाजार में बहुत कम भाग है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) 2001-02 से 2010-11 तक कंपनी को बजटीय सहायता के रूप में 10412.86 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इसमें 2893. 00 लाख रुपए योजना ऋण और 7519.86 लाख रुपए गैर योजना ऋण के रूप में शामिल हैं। उत्पादन गुणवत्ता, उत्पादन, आपूर्ति शृंखला और मानव संसाधन में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने हेतु 18.63 करोड़ रुपए की लागत से जागृति परियोजना नामक एक अल्पावधि व्यवसाय योजना को 2006 में मंजूरी दी गई थी। सरकार 2009 से कंपनी के कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयताओं को पूरा करने के लिए गैर योजना बजटीय सहायता भी दे रही है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

3705. श्री अंजन कुमार एम. यादवः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद जिले में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद जिले में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है और विभिन्न स्थलों को नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स खोलने के लिए व्यवहार्य पाया गया है। इन स्थलों में नाम नीचे दिए गए हैं:-

1. चेरलापल्ली/चेंगीचेरला

2. शेकपेट/मणिकोंडा

3. हबसीगुडा

4. नूरखान बाजार/दरूशिफा

5. संतोषनगर

6. अफजलगंज

ओएमसीज ने उपर्युक्त स्थलों को अगली विपणन योजना में शामिल करने पर विचार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेलमार्ग

3706. श्री के.डी. देशमुखः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधीन टिरोदी-कंटागी और एमेजन-लाउजी-किरणपुर खंड पर नई रेल लाइन बिछाने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त लाइनों से संबंधित कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कंटागी-टिरोदी नई लाइन का कार्य 2011-12 में 119.64 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण सहित प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

एमेजन-लाउजी-किरणपुर खंड के लिए कोई स्वीकृत सर्वेक्षण नहीं है। बहरहाल, लाजी से किरणपुर तक सर्वेक्षण 2011-12 में स्वीकृत किया गया है।

(ख) परियोजना को कार्यान्वित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) कार्य पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

रेलवे लाइन

3707. श्री नवीन जिन्दलः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिछाए गए तथा यातायात के लिए चालू किए गए नए रेलमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रेलमार्गों में से प्रत्येक पर किए गए निवेश के प्रतिफल की अनुमानित/वास्तविक दर क्या है;

(ग) इन रेलमार्गों को लाभप्रद बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) देश में आर्थिक रूप से हानि में चल रहे रेलमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रेलमार्गों को बंद करने या उन्हें लाभकारी बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रमशः 357 किमी., 258 मी. और 709 किमी. नई लाइनें जोड़ी गई थीं। अधिकांश नई लाइनों का कार्य समाप्त हो गए हैं और चरणों में यातायात के लिए खोल दी गयी है जिससे उन पर किए गए निवेश पर प्रतिफल शीघ्रता से मिलना शुरू हो सकते हैं। चूंकि प्रतिफल की दर को परियोजना के स्वीकृत होने से पहले पूरी परियोजना के लिए आकलित किया जाता है, इन नई लाइनों के प्रतिफल को इनके पूरी तरह परिचालनिक होने के बाद ही आकलित किया जा सकता है।

(घ) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में अलापभप्रद शाखा लाइनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद करने के लिए रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार, तत्कालिक रेल मंत्री श्री बंसी लाल ने अलाभप्रद शाखा लाइनों के बंद करने की सहमति देने, अन्यथा हानि को 50:50 अनुपात में वहन करने पर सहमति के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के मुख्य-मंत्रियों को एक पत्र लिखा था। चिन्हित अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद करने में मुख्य समस्या विभिन्न आकर्षक प्रस्तावों को देने के बावजूद संबंधित राज्य सरकारों का प्रतिरोध है।

परिचालन व्ययों को घटाने के लिए, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा, जहां कही आवश्यक हो, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

(क) स्टेशनों का ठेकेदार द्वारा परिचलित स्टेशनों में अवनयन।

(ख) 'वन इंजन ऑनली' प्रणाली की शुरूआत करना जिससे कि एक समय पर खंड में एक गाड़ी ही चल सकती है। यह ब्लॉक वर्किंग की आवश्यकता को समाप्त करता है और इसलिए कर्मचारियों की आवश्यकता को घटाता है।

(ग) इसे व्यवहार्य बनाने के लिए कालका-शिमला खंड के पेटर्न पर पर्यटक पैकेजों को शुरू करना।

(घ) केवल दिन के समय गाड़ी को चलाना, रविवार और अन्य अवकाशों के दिन गाड़ियों को रद्द करना आदि सहित गाड़ी सेवाओं में कटौती करना।

(ङ) खंड पर चलने वाली गाड़ियों में चल/बुकिंग क्लर्कों द्वारा यात्री टिकटों को जारी करना।

(च) साइडिंगों को हटाना।

(छ) सिगनल उपस्करों को हटाना।

कुछ शाखा लाइनों पर आमदनी बढ़ाने की संभावना को खगालने के लिए, इस पर विचार किया गया है:

(क) घटे हुए भार के साथ रेल कार सेवाओं को शुरू करना

(ख) गाडियों के फेरे बढ़ाना

संबंधित राज्य सरकारों को जहां उपरोक्त उपाय उपयोगी नहीं हो रहे है, अलाभप्रद शाखा लाइनों पर सहमति के लिए मनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र. सं.	शाखा लाइन का नाम
1	2
	मध्य रेलवे
1.	नरेता-माथेरान (छोला-21 किमी.)
2.	करजत-खोपली (बला-15 किमी.)
3.	पचौरा-जामनेर (छोला-56 किमी.)
4.	कुर्दुवाड़ी-मिराज-लातूर (छोला-327 किमी.)
5.	जलंब-खमगांव (बला-13 किमी.)
6.	चालीसगांव-धुले (बला-57 किमी.)
7.	दौंड-बारामती (बला-44 किमी.)
	पूर्व रेलवे
8.	शिवराफुली-तारकेश्वर (बला-35 किमी.)
9.	बरूईपुर-लक्ष्मीकांतपुर (बला-37 किमी.)
10.	शांतिपुर-नबाद्वीपघाट (छोला-27.5 किमी.)
11.	कल्याणी-कल्याणी सिमंता (बला-4 किमी.)
12.	सोनारपुर-केनिंग (बला-29 किमी.)
13.	जमालपुर-मुंगेर (बला-10 किमी.)
14.	भागलपुर-मंदारहिल (बला-50 किमी.)
15.	भीमगढ़-पलस्थली (बला-27 किमी.)
16.	बर्धमान-कटवा (छोला-53 किमी.)
	पूर्व मध्य रेलवे
17.	नरकटियागंज-भिख्नातोरी (मीला-47 किमी.)
18.	दिलदार नगर-तारीघाट (बला-19 किमी.)
19.	झंझरपुर-लौखा बाजार (मीला-43 किमी.)
20.	फल्हुआ-इस्लामपुर (बला-43 किमी.)
21.	पटना-दीघा (बला-9 किमी.)
22.	बख्तियारपुर-राजगीर (बला-54 किमी.)
23.	बनमंखी-बिहारीगंज (मीला-27 किमी.)
	पूर्व तट रेलवे
24.	बोब्बली-सलूर (बला-18 किमी.)
	उत्तर रेलवे
25	दरयापुर-दालमऊ (बला-24.78 किमी.)
26.	रोहतक-गोहाना (बला-31.88 किमी.)
27.	जलंधर-होशियारपुर (बला-38.22 किमी.)
28.	अमृतसर-अट्टारी (बला-25.21 किमी.)
29.	फगवाड़ा-नवांशहर-दोआबा (बला-35 किमी.)
30.	बाटला-क्वादियां (बला-19.44 किमी.)
31.	वर्का-डेराबाबानानक (बला-43 किमी.)
32.	अमृतसर-खेमकरण (बला-77.27 किमी.)
33.	अंबाला-कालका (बला-69.97 किमी.)
34.	कालका-शिमला (छोला-96.54 किमी.)
35.	पठानकोट-जोगिंदर नगर (छोला-165.92 किमी.)
36.	सरहिंद-नांगलडैम (बला-103.95 किमी.)
37.	शामली-सहारनपुर (बला-63.80 किमी.)

1	2
38.	दिल्ली शाहदरा-शामली (बला-87.45 किमी.)
39.	गोहाना-पानीपत (बला-29.26 किमी.)
40.	तुगलकाबाद-शकूरबस्ती (बला-26.60 किमी.)
	उत्तर मध्य रेलवे
41.	धौलपुर-तंतपुर-सिरमुत्रा (छोला-88.91 किमी.)
42.	ग्वालियर-भिंड (बला-81.93 किमी.)
43.	ग्वालियर-शिवपुर कलां (छोला-199.8 किमी.)
44.	ऐंट-कोंच (बला-13.68 किमी.)
45.	मथुरा-वृंदावन (मीला-12.48 किमी.)
	पूर्वोत्तर रेलवे
46.	सलेमपुर-बरहज बाजर (बला-31 किमी.)
47.	मंधाना-ब्रहमवर्त (मीला-8 किमी.)
48.	काशीपुर-रामनगर (बला-27 किमी.)
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
49.	न्यू जलपाईगुडी-दार्जिलिंग (धोला)
50.	कटिहार-मणिहारीघाट (मीला)
51.	कटिहार-जोगबनी (बला)
52.	सिंगबाद-ओल्ड माल्दा (बला)
53.	बरसोल-राधिकापुर (बला)
54.	अलीपुरद्वार-बामनहाट (मीला)
55.	तेजपुर-रंगापाड़ा नार्थ (मीला)
56.	फकीराग्राम-धुब्री (मीला)
57.	करीबगंज-महिशाशन (मीला)
58.	बाओईग्राम-डल्लोक्सचेर (मीला)
59.	कटखल-लालबाजार (मीला)
60.	चपरमख-हैबरगांव (बला)

1	2
61.	सिमुलगुडी-नगिनीमारा (मीला)
62.	सिमुलगुडी-मोरनहाट (बला)
63.	मकुम-दंगरी (बला)
	उत्तर पश्चिम रेलवे
64.	मवली जं.-बड़ी सदरी (माला-81 किमी.)
65.	मेड़ता रोड़ जं.-मेड़ता सिटी (मीला-14.5 किमी)
66.	रत्नगढ़-सरदार शहर (मीला-43.13 किमी.)
67.	पीपीआर-बारा (बला-41 किमी.)
	दक्षिणी रेलवे
68.	शोराणुर-नीलांबुर (बला-66 किमी.)
69.	तिरूथुरईपूंडी-कोडिक्करई (मीला-46 किमी.)
70.	मेट्टुपलयम-उदगमंडलम (मीला-90 किमी.)
71.	मोदुरई-बोडिनायकक्कनुर (मीला-90 किमी.)
72.	तिरूनेकवेली-तिरूचेंदुर (बला-62 किमी.)
	दक्षिण पूर्व रेलवे
73.	संतरागाछी-बारागछिया-आम्टा (बला-52 किमी.)
74.	रूपसा-बांगरीपोसी (बला-88.7 किमी.)
75.	तमलुक-दीघाघाट (बला-88.3 किमी.)
	दक्षिण मध्य रेलवे
76.	भीमावरम-नरसापुर (बला-29.48 किमी.)
77.	नाडिकुडे-मचरेला (बला-35 किमी.)
	द.पू.म. रेलवे
78.	रायपकुर-धमतारी (छोला-88.6 किमी.)
79.	सतपुडा रेलवे (छोला-715 किमी.)
	द.प. रेलवे
80.	येलहंका जं.-चिक बल्लापुर (बला-47 किमी.)
81.	बांगरपेट-मरिकुप्पम (बला-16.57 किमी.)

1	2
	पश्चिम रेलवे
82.	बिलीमोरा-वघई (छोला)
83.	छुछापुरा-तेनखला (छोला)
84.	चोरंदा-मोतिकोरल (छोला)
85.	साम्मी-दाहेज (छोला)
86.	ब्रोच जंबुसर-कवि (छोला)
87.	छोटा उदयपुर-जंबुसर (छोला)
88.	चंदोड-मलसर (छोला)
89.	नडियाड-भद्रन (छोला)
90.	अंकलेश्वर-राजपीपला (छोला)
91.	कोसंबा जं.-उमेरपदा (छोला)
92.	रंजु-पाटन (मीला)
93.	मेहसाणा-तरंग हिल (मीला)
94.	हिम्मत नगर-खेद ब्रहमा (मीला)
95.	प्रांची रोड-कोडिनार (मीला)
96.	तलाला-दवलडा (मीला)
97.	गांधीधाम-कांडला पोर्ट (बला)
98.	गांधीधाम-न्यू भुज (बला)
99.	बोरीयवी-बदतल-स्वामीनारायण (बला)
100.	आनंद-खंभात (बला)
101.	नडियाड-कपडवंज (बला)
102.	सिहोर-पलिताना (बला)

श्रमिकों के लिए सुविधाएं

3708. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के गोदामों तथा शेड़ों में बड़ी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे हैं और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का उन्हें रेल कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेलवे के गोदामों/माल शेडों में परेषक/परेषिती अथवा ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए गए बहुत अधिक संख्या में मजदूर कार्य करते हैं और इन स्थानों पर उन्हें अपेक्षित मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं।

(ग) माल शेडों में पीने में पानी, शौचालयों, विश्राम स्थल की सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा श्रमिकों के स्नान करने के उद्देश्य से मामला दर माला आधार पर ऊंचे नल लगाने पर भी विचार किया गया है जो जन साधारण कल्याण की भावना के रूप में स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

राजद्रोह कानून पर प्रतिबंध

3709. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राजद्रोह संबंधी कानून पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बी.एच.ई.एल. में कार्यरत श्रमिक

3710. श्री कैलाश जोशी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत हेवी इलेकिट्रकल्स लि., भोपाल में कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों को नियमित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत हेवी इलेकिट्रकल्स लि. (बीएचईएल) लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी भर्ती संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है। डीपीई का.ज्ञा. सं. 24(11)/96 (जीएल010)/जीएम दिनपांक 02. 11.1998 के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को विशिष्ट वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सभी रिक्तियों को अखिल भारतीय आधार पर अधिसूचित करना है। तथापि, पात्रता मानंदडों को पूरा करने वाले ठेका श्रमिकों को आयु में 84 महीने तक की छूट की अनुमति है।

सराय रोहिल्ला स्टेशन पर सुविधाएं

3711. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-सराय रोहिल्ला स्टेशन पर यात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर सभी मूलभूत सुविधाएं कब तक विकसित कर दी जाएंगी;

(ग) इस स्टेशन से रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस स्टेशन से कुछ रेलगाड़ियों को स्थानांतरित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में यात्रियों को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर किये जाने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर सभी आधारभूत यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, इस स्टेशन 12 जोड़ी गाडियां आरंभ/टर्मिनेट होती हैं।

(घ) हाल ही में कोई गाड़ी शिफ्ट नहीं की गयी है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैसोलीन का निर्यात करने वाली कंपनियां

3712. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गैसोलीन का निर्यात करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा जिन्हें वे गैसोलीन की आपूर्ति कर रहे हैं उन देशों के नाम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): वर्ष 2010-11 के दौरान जिन देशों को गैसोलीन की आपूर्ति की जा रही है उनके नामों सहित गैसोलीन का निर्यात करने वाली कंपनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी का नाम	मात्रा (टीएमटी)*	देश का नाम
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20	इण्डोनेशिया
मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	225.0	मारीशस, ओमान, यूएई और सिंगापुर
रिलायंस इंडस्ट्रीज	11426.0	बाहमास, इण्डोनेशिया, इराक, जोर्डन, केन्या, मलेशिया, माल्टा, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तन्जानिया, यूएसए और यूएई
एस्यार ऑयल लिमिटेड	1763.0	इण्डोनेशिया और सिंगापुर

नये यूरिया संयंत्रों की स्थापना

3713. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में यूरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्रों की स्थापना में कितनी राशि का निवेश किया जाएगा और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(घ) क्या उक्त संयंत्रों द्वारा यूरिया का उत्पादन शुरू करने के पश्चात् देश यूरिया की मांग और आपूर्ति के माले में आत्मनिर्भर हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी हां। मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2007 में एचएफसीएल और एफसी आईएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया था। अक्तूबर 2008 में, मंत्रिमंडल ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने और सीसीईए के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिशों करने के अध्यादेश सहित सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) के गठन को अनुमोदित किया था। ईसीओएस ने विभिन्न विकल्पों पर विचार किया और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। ईसीओएस की सिफारिश के आधार पर, सीसीईए के विचारार्थ एक नोट को अंतिम रूप दिया गया और उसे 10 जून, 2011 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है ताकि इसे आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। मंत्रिमंडल ने 8 अगस्त, 2011 को प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है जिसमें यह शर्त रखी है कि बीआईएफआर कार्यवाहियों में शीघ्रता लाई जाए तथा तत्पश्चात् बोली मानदण्डों में अपेक्षित परिवर्तन, यदि कोई हो, सहित मामले को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष रखा जाए। प्रस्तावित प्रत्येक यूरिया संयंत्र की क्षमता 1.15 एमटीपीए है और प्रत्येक की अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, गैस की मांग-आपूर्ति लगभग 7.5 लाख मी. टन प्रतिवर्ष हैं देश यूरिया में तभी आत्म-निर्भर होगा जब प्रस्तावित पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, विस्तार परियोजनाएं तथा ग्रीनफील्ड परियोजना चालू हो जाएंगी।

पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना

3714. श्रीमती जे. शांता: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना का इसके कार्यान्वयन से पहले परीक्षण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अपरीक्षित योजना का कार्यान्वयन किए जाने का क्या कारण है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में देश में उर्वरकों के बढ़ते उपयोग की तुलना में कृषि उत्पादकता के घटने तथा उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति लागू की है। सरकार द्वारा एनबीएस नीति को मंत्रियों के समूह की सिफारिश और राज्य सरकारों तथा उर्वरक उद्योग से परामर्श करने तथा अंतर-मंत्रालय परामर्श के बाद लागू किया गया है। सरकार ने कृषि उत्पादकता, संतुलित उर्वरण तथा स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने और मौजूदा उर्वरक राजसहायता व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने संबंधी सभी विकल्पों की जांच करने के बाद इस नीति को लागू किया है।

एर्नाकुलम-कायमकुलम रेलखंड में रेल उपरिपुल

3715. श्री जोस के. मणि: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने केरल राज्य में एर्नाकुलम-कायमकुलम बड़ी लाइन के करितास जंक्शन, कुमारानाल्लूर तथा मूलेदाम में रेल उपरिपुल के निर्माण तथा उक्त खंड में रेल लाइनों के दोहरीकरण में विलंब से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त रेल उपरिपुलों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक रेल उपरिपुल के लिए आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख जी हां। केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली

चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि उपलब्धता और अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।

केरल राज्य में एर्णाकुलम-कायनकुलम बला खंड में कुमारनल्लुर और मूलेदम पर ऊपरी सड़क पुल के कार्य को वर्ष 2005-06 में स्वीकृत किया गया है। पहुंच मार्गों के लिए भूमि न मिलने के कारण निर्माण कार्य रूके हुए हैं। केरिटस जंक्शन पर ऊपरी सड़क पुल के कार्य को भी रेल निर्माण कार्यक्रम 2010-11 में शामिल किया गया है। राज्य सरकार से सामान्य प्रबंध आरेखण के जमा किए जाने की प्रतीक्षा है।

एर्णाकुलम-मुलंथुरूथी और कायनकुलम-मवेलिक्करा खंड में दोहरीकरण को शुरू किया गया हैं मवेलिक्करा-चेंगन्नुर खंड में निर्माण कार्य प्रगति पर है। चेंगन्नुर-मुलंथुरूर्थी और मुलंथुरूथी-पीरावाम रोड खंडों में दोहरीकरण कार्य को भूमि की उपलब्ध होने पर शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त ऊपरी सड़क पुलों के लिए भूमि को अभी भी अधिग्रहीत किया जाना है।

(ङ) आबंटित किए धन (रुपए लाखों में) का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	समपार संख्या	समपार संख्या	समपार संख्या
	30	33	36
2011-12	25	50	25
2010-11	-	50	25
2009-10	-	45	45

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आदर्श स्टेशन

3716. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में आदर्श स्टेशनों का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है और उसके लिए आबंटित तथा खर्च की गयी निधियों का स्टेशन-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन स्टेशनों पर कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में 63 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है जिनमें से अभी तक 20 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जा चुका है। आदर्श स्टेशन के विकास का कार्य योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत किया जाता हैं धन की स्वीकृति रेलवे वार की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाली 5 (पांच) क्षेत्रीय रेलों, जिनके लिए वर्ष 2011-12 में धन का आबंटन और जून, 2011 तक व्यय नीचे दिए अनुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	बजट आबंटन	व्यय (जून, 2011 तक)
पूर्व मध्य	83.93	08.82
उत्तर मध्य	80.68	13.81
पूर्वोत्तर	25.12	06.29
उत्तर	85.25	31.66
पश्चिम मध्य	38.99	06.85

(ख) आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने वाले 43 स्टेशनों में से 30 स्टेशनों को 2011-12 के दौरान पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

कर शुल्क

3717. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अपने खान-पान और विज्ञापन सेवाओं पर सेवा कर प्रभारित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार से संग्रहित करों का सरकारी राजस्व में भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय ने रेलवे से रॉलिंग स्टॉक पर सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क जमा करने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुख्य कार्यकारियों का वेतन

3718. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 में कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वेतन पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वेतन की उच्चतम सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियां अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के अंतर्गत एकमात्र पूर्णकालिक निदेशक पारिश्रमिक, कंपनी के निवल लाभ का 5% है एवं एक से अधिक पूर्णकालिक निदेशकों या प्रबंधकों वाली कंपनी के बोर्ड स्तर के सभी निदेशकों को देय कुल पारिश्रमिक, कंपनी के निवल का लाभ 10% है। कंपनी को अपर्याप्त लाभ होने या हानि होने के मामले में पारिश्रमिक, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIII में दिए गए निदेशों के अनुरूप निर्धारित होता है।

(ग) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार की अनुमति से कंपनियां बोर्ड स्तर पर पद धारण करने वाले अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को विहित सीमा से अधिक भुगतान कर सकती है।

[हिन्दी]

सह-जीवन को मान्यता

3719. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सह-जीवन को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय ने सह-जीवन जी रहे जोड़ों के बीच किसी असामंजस्य/विवाद के मामले में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता को मान्यता दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार का संबंध बना कर रह रहे व्यक्तियों को कानूनी, सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता मुहैया कराए जाने की दृष्टि से एक कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के कानून के कब तक लागू होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वेलुसामी बनाम डी. पैचियाम्मल के मामले में 2010 की दांडिक अपील संख्या 2028-2029 को अनुज्ञात करते समय, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:-

"33 हमारी राय में "विवाह के स्वरूप में संबंध" निर्णयज विधि विवाह से सदृश है। निर्णयज विधि विवाह यह अपेक्षा करते हैं कि यद्यपि वे औपचारिक रूप से विवाहित नहीं हैं, तथापि:-

(क) युगल को समाज में स्वयं को पति या पत्नी के सदृश अवश्य रखना चाहिए।

(ख) उनकी विवाह करने की विधिक आयु अवश्य होनी चाहिए।

(ग) उन्हें विधिक विवाह करने के लिए अन्यथा अर्हित अवश्य होना चाहिए, जिसमें अविवाहित भी सम्मिलित है।

(घ) उन्होंने स्वेच्छा से सहवास अवश्य किया हो और समय की महत्वपूर्ण अवधि के लिए स्वयं को पति या पत्नी के सदृश के रूप में जगत के समक्ष रखा हो।

हमारी राय में 2005 के अधिनियम के अधीन 'विवाह के स्वरूप में संबंध' को उपरोक्त अपेक्षाएं आवश्यक पूरी करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2(ध) में यथा परिभाषित

''साझी गृहस्थी' में साथ-साथ अवश्य रहना चाहिए। केवल सप्ताहांत साथ गुजारने या एक सरात्रि मिलन से यह 'घरेलू संबंध' नहीं बन जाएगा।

34. हमारी राय में सभी सहजीवन संबंध 2005 के अधिनियम का फायदा प्राप्त करने के लिए विवाह के स्वरूप में संबंध की कोटि में नहीं आएंगे। ऐसा फायदा पाने के लिए, हमारे द्वारा ऊपर वर्णित शर्तों का समाधान अवश्य किया जाना चाहिए और इसे साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है। यदि कोई पुरुष 'रखैल' को रखता है जिसका वह वित्तीय रूप से भरण-पोषण करता है और मुख्य रूप से लैंगिक प्रयोजन के लिए और/या सेवक के रूप में उसका उपयोग करता है तो यह हमारी राय में विवाह के स्वरूप में संबंध नहीं होगा''।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान सामाजिक दशाओं के अधीन किन्हीं विधायी परिवर्तनों का किया जाना समुचित नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

अधिवक्ताओं द्वारा वकालत

3720. श्री के. सुधाकरणः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को अधिसूचित कर अधिवक्ताओं को देश के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति प्रदान की है फिर चाहे उनका पंजीकरण किसी भी बार काउंसिल में हो, उन्हें अपने वांछित राज्य के लिए लाइसेंस का अंतरण करने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धारा किस तिथि से प्रभाव में आएगी?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। अधिववक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंध के अध्यधीन प्रत्येक अधिवक्ता, जिसका नाम राज्य नामावली में दर्ज है, समस्त राज्यक्षेत्रों में, जिनको यह अधिनियम विस्तारित होता है, व्यवाय करने के लिए साधिकार का पात्र होगा।

(ग) यह धारा, 15 जून, 2011 से प्रवृत्त हो चुकी है।

[हिन्दी]

ठेके पर पेट्रोल पंप चलाया जाना

3721. डॉ. संजय सिंहः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों की सांठगांठ से कई स्थानों पर पेट्रोल पंप ठेके पर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पेट्रोल पंप मिलावटी तेल बेचने, माप में कमी करने तथा अन्य अनियमितताओं में शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) देश में कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) को कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) आधार पर प्रचालित करती हैं। प्रांगण पर कर्मचारी, सेवा प्रदाता द्वारा मुहैया कराए जाते हैं जो कर्मचारियों की ऐसी सेवाएं देने के लिए कार्पोरेशन के पास संविदा पर होता है। ऐसे कोको आरओज का प्रचालन संबंधित ओएमसीज के नामजद अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाता है।

(ग) से (ङ) तीनों ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि मिलावट, कम सुपुर्दगी आदि सहित अनियमिताओं की कोई घटना न तो प्रकाश में आठ है और न ही कोको आरजोज पर पाई गई है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

3722. श्रीमती परमजीत कौर गुलशनः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होने के कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

मकान मालिक-किराएदार आदर्श समझौता

3723. चौधरी लाल सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने मकान मालिक-किरायेदार आदर्श समझौते हेतु दिशानिर्देश विहित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जैवकीय सैम्पल का संरक्षण

3724. श्री वरुण गांधी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपराधिक मामलों में जैवकीय सैम्पल का संरक्षण करने हेतु कोई कदम उठाये हैं जिससे उन्हें अपराधिक परीक्षण हेतु भेजने से पहले नष्ट होने से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट

3725. श्री मनीष तिवारी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 184वें आयोग की रिपोर्ट की उस सिफारिश से सहमत है जो 'प्रोब्लम मेथड' पर है तथा जिसकी मांग परीक्षा प्रणाली में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 75 प्रतिशत तक की है' सैद्धान्तिक प्रश्न में 25 प्रतिशत से अलग जिससे तार्किकता जैसी बातों को स्पष्टत: बढ़ावा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विधिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन हेतु प्रस्तावों तथा विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 के संबंध में 184वें विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी. सी.आई.) द्वारा पूरे देश में नये विधि महाविद्यालय शुरू करने हेतु स्वीकृत आदेशों में से कितने आदेश वापस ले लिये गये; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि बीसीआई द्वारा केवल उन्हीं विधि महाविद्यालयों को अनुमति स्वीकृत की जाए जिनके पास इन संभाव्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों, रिपोर्ट स्टाफ एवं अवसंरचना के पर्याप्त साधन, संपत्ति और संसाधन हों?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधनों को करने के लिए "विधिक शिक्षा और वृत्तिक प्रशिक्षण और प्रस्ताव" पर विधि आयोग की 184वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशें, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ परामर्श में जांच की जा रही हैं।

(घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सूचित किया है कि सम्यक् निरीक्षण तथा सुधार के लिए दिए गए अवसर के पश्चात्, महाविद्यालयों को, उनके द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश को रोकने के निदेश दिए गए थे। ऐसे विधि महाविद्यालयों की संख्या, जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद् से संबद्ध करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया था परंतु इसके पश्चात, संबद्ध करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया था किंतु इसके पश्चात्, पिछले तीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा संबद्धता के अनुमोदन के विस्तार के लिए उनके अनुरोध नामंजूर कए गए थे, जो निम्नानुसार है:-

2008-09	8
2009-10	1
2010-11	21

(ङ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सूचित किया है कि इस बात को सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक महाविद्यालय, भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम, 2008 का, जो, देश में सभी संस्थाओं द्वारा अंगीकृत किए जाने वाली विधिक शिक्षा के न्यूनतम मानकों से संबंधित है, अनुसरण करता है।

एसकेओ डीलर

3726. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर केरोसीन आयल (एसकेओ) डीलरों ने फुटकर विक्रेताओं को वितरण हेतु केरोसीन आयल कोटा नहीं रखा है जो उन्हें दिल्ली क्षेत्र में आबंटित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को एस.सी./एस.टी एसकेओ डीलरों से कोई वैकल्पिक तेल व्यापार योजना जैसे सीएनजी पंप/फुटकर दुकान/पेट्रोल पंप आदि प्रदान किये जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटीज) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल का आबंटन भारत सरकार द्वारा खाना बनाने और प्रकाश प्रयोजनार्थ किया जाता है। राज्य के भीतर पीडीएस मिट्टी तल का आगे वितरण राशन की दुकानों/खुदरा डीलरों के जरिए राशन कार्ड धारकों को करना राज्य सरकार के नियंत्रण में है। तथापि, विगत कुछ वर्षों में देश में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त विस्तार हुआ है। वर्ष 2011-12 के लिए पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन करते समय, घरेलू एलपीजी पैठ का विस्तार, पीडीएस मिट्टी तेल कोटा नहीं उठाए जाने के कारण समाप्त होने और वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अपेकक्षाकृत अधिक प्रति व्यक्ति आबंटन (पीसीए) जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया था और परिणामस्वरूप पीडीएस मिट्टी तेल कोटा दिल्ली राज्य सहित विभिन्न राज्यों के लिए कम कर दिया गया था।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस मंत्रालय को दिल्ली एससी/एसटी एसकेओ डीलर संगठन सहित विभिन्न केरोसीन डीलर संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/सीएनजी पंप/खुदरा बिक्री केन्द्र जैसी कोई वैकल्पिक तेल कारोबार योजनाएं मुहैया कराई जाएं। सरकार ने इस मामले में निर्णय नहीं लिया है।

एस.एफ.आई.ओ.

3727. श्री कोडीकुन्नील सुरेश: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) को अत्यधिक अधिकार देने तथा शीघ्र ही धनी बनाने वाली योजनाएं चलाने वाली कंपनियों के बारे में जागरूकता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उन गैर-पंजीकृत कंपनियों द्वारा अपनाई गई ऑनलाइन एवं ऑफलाइन धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में आम जनता में जागरूकता लाने हेतु कोई कदम उठाया गया है जो लंबे-चौड़े दावे करके निर्दोष लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपॉरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी. एन. सिंह): (क) से (ग) जी, हां। वेपा कामेसम समिति की अनुसंशाओं के मद्देनजर एसएफआईओ को सांविधिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, एसएफआईओ के प्रवर्तन फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु संशोधित कंपनी विधेयक में अपेक्षित

अनुमोदनों के अधीन इसके जांच प्रतिवेदन को पुलिस अधिकारी द्वारा दायर प्रतिवेदन मानने, देश के बाहर व्यवसाय/हित रखने वाली कंपनियों के मामले में इसे अनुरोध पत्र (लेटर रोगेटरी) जारी करने की शक्ति देने एवं 'धोखाधड़ी' पद की परिभाषा के साथ-साथ इसके दंड का उपबंध भी शामिल करने का प्रस्ताव है। उचित निवेश निर्णय लेने में उनकी सहायता हेतु आम जनता के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत एंव संकर्म लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) तथा व्यापार मंडलों के साथ भागीदारी में मंत्रालय देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यशालाएं एवं सेमीनार आयोजित कर रहा है। मंत्रालय संभावित निवेशकों को किसी भी एनटिटी की सामूहिक योजनाओं में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कोई जमा/निवेश करने से पूर्व सतर्क करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी अभियान चला रहा है और प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों में परामर्श के रूप में विज्ञापन जारी कर रहा है।

पत्रकारों की सुरक्षा

3728. श्री एस.आर. जेयदुरई:

श्री एल. राजगोपाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पत्रकारों को अपराधियों एवं उनके अन्य दुश्मनों से बचाने वाला कोई नया कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित विधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) ऐसा अधिनियम कब तक अधिनियमित किये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जन औषधि फुटकर दुकानें खोलना

3729. डॉ. तरूण मंडल:

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार लोगों को वहनीय मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराने हेतु देश में और जन औषधि फुटकर दुकानें खोले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। लोगों को वाजिब मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन औषधि बिक्री केंद्र उस जगह खोले जा रहे हैं जहां सरकारी अस्पतालों में जगह आबंटित करने, इन जन औषधि बिक्री केंद्रों की प्रबंध व्यवस्था के लिए एजेंसियों की पहचान करने तथा संबंधित डॉक्टरों द्वारा गैर ब्रांड जेनरिक औषधियां प्रेसक्राइब करने का समर्थन करने में खोलना, जन औषधि बिक्री केंद्रों के लिए स्थान आबंटित करने, इन बिक्री केंद्रों की प्रबंध व्यवस्था के लिए एजेंसी की पहचान करने और गैर ब्रांड वाली जेनरिक दवाइयां प्रेसक्राइब करने में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग और समर्थन पर निर्भर है।

सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के संयुक्त उद्यम समझौते

3730. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सरकार क्षेत्र उपक्रमों और निजी उद्यमों के बीच संयुक्त उपक्रमों समझौतों की लेखापरीक्षा करने या उनका पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के समझौतों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष रखे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एवं (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में निगमित ऐसे संयुक्त उद्यम जिनकी सरकारी चुकता पूंजी में हिस्सेदारी 51% से कम न हो, वे उद्यम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबंधों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा के दायरे में आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करता है और ऐसी कंपनियों के लेखों की पूरक/परीक्षण लेखा परीक्षा आयोजित करता है।

(ग) और (घ) धारा 619 (ए)(1) के अनुसार उपर्युक्त ऐसी कंपनियों के कार्यों और मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी या पूरक रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3731. श्री सोहन पोटाई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को सूखा प्रवण क्षेत्र-विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त धनराशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) डीपीएपी को 16 राज्यों में 195 जिलों के 972 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। डीपीएपी के अंतर्गत कवर किए गए राज्य है: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा परियोजना-वार निधियां वर्ष 2002-03 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए 7 किस्तों में तथा वर्ष 2003-04 ये 2006-07 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए 5 किस्तों में जारी की जाती हैं।

कार्यक्रम के मांग आधारित होने के कारण, बाद की किस्तें मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित समर्थक दस्तावेज सहित राज्य सरकारों से परियोजना-वार दावा प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं। इस प्रकार प्रस्ताव की प्राप्ति तथा निधियां जारी करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि प्रस्तावों को किसी कारण से अपूर्ण पाया जाता है, तो अनुपालन के लिए उन्हें राज्य सरकार को वापस भेजा जाता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (31.07.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान डीपीएपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष-वार जारी की गई केन्द्रीय निधियां				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	55.87	37.38	44.27	1.96	139.48
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	24.38	20.76	14.92	0.49	60.55
4.	गुजरात	39.33	51.31	18.65	0.67	109.96
5.	हिमाचल प्रदेश	8.59	4.04	19.36	1.06	33.05
6.	जम्मू व कश्मीर	6.40	3.87	9.61	3.22	23.10
7.	झारखंड	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
8.	कर्नाटक	57.76	54.06	40.39	2.18	154.39

1	2	3	4	5	6	7
9.	मध्य प्रदेश	56.97	47.56	37.48	0.86	142.87
10.	महाराष्ट्र	64.03	79.79	80.93	1.42	226.17
11.	उड़ीसा	25.13	43.29	27.45	0.51	96.38
12.	राजस्थान	18.10	18.71	21.93	4.98	63.72
13.	तमिलनाडु	35.49	14.48	16.18	2.91	69.06
14.	उत्तर प्रदेश	39.72	25.11	12.52	0.00	77.35
15.	उत्तराखंड	7.07	4.11	15.01	0.00	26.19
16.	पश्चिम बंगाल	6.57	0.00	0.00	0.00	6.57
	योग	448.31	404.47	358.70	20.26	1231.74

टिप्पणी: डीपीएपी को केवल 16 राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

सस्ती दवाओं की उपलब्धता

3732. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अत्यधिक पारदर्शिता लाने एवं भारतीय बाजार में सस्ती दवाओं विशेषकर महंगी कैंसर एवं एचआईवी औषधियों की उपलब्धता के लिये देश की प्रत्येक पेटेंट की गई दवा के बारे में सबको जानकारी देने की जनता की लंबित मांग पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन रक्षक दवाओं के निर्माताओं को पेटेंट धारकों द्वारा उसका सस्ता प्रतिरूप शुरू करने से रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) भारत में दिए गए पेटेंटो के ब्यौरे पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेड-मार्क्स महा नियंत्रक की वेबसाइट www.ipindia.nic.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस समय कैंसर और एचआईवी के इलाज के लिए प्रयुक्त दवाइयों सहित अन्य दवाइयों के मूल्य औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होने हैं। सभी विनिर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित औषधियों के संबंध में एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों का अनुपालन करें। जहां तक गैर अनुसूचित औषधियों का संबंध है कोई भी व्यक्ति मूल्य नियंत्रण श्रेणी वाली किसी भी फार्मूलेशन (औषधि) को एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी उपभोक्ता को नहीं बेच सकता। जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। ऐसे मूल्य सामान्यत: विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, एक्सीपिएंटों की लागत, अनुसंधान तथा विकास लागत, उपयोगिता/पैकिंग सामग्री लागत, बिक्री संवर्धन लागत, व्यापार मार्जिन, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत आदि।

मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस (अब आईएमएस स्वास्थ्य) की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित

करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 48 के अनुसार यह अधिनियम:

(क) जहां पेटेंट की विषय वस्तु उत्पाद है वहां ऐसे तीसरे पक्षों को, जिनके पास पेटेंट प्राप्तकर्ता की सम्मति नहीं है, उस उत्पाद को बनाने, उसका उपयोग करने, उसे बिक्री के लिए प्रस्तुत करने, उन प्रयोजनों के लिए उस उत्पाद की बिक्री करने अथवा उसका भारत में आयात करने से रोकने का अनन्य अधिकार पेटेंट प्राप्तकर्ता को देता है।

(ख) जहां पेटेंट की विषय वस्तु प्रक्रिया है वहां ऐसे तीसरे पक्षों को, जिनके पास पेटेंट प्राप्तकर्ता की सम्मति नहीं है, उस प्रक्रिया का उपयोग करने और इस्तेमाल करने, उसे बिक्री के लिए प्रस्तुत करने, उस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त उत्पाद को बेचने अथवा उसका भारत में आयात करने से रोकने का अनन्य अधिकार पेटेंट प्राप्तकर्ता को देता है।

[हिन्दी]

राजसहायता प्राप्त केरोसीन तेल के उपयोग पर सीमा निर्धारित करना

3733. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता प्राप्त केरोसीन तेल के उपयोग पर सीमा निर्धारित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मात्स्यिकी, आम उत्पादन, विशेष कृषि, आंगनववाड़ी आदि के लिये राजसहायता प्राप्त केरोसीन तेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल के इस्तेमाल को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विगत कुछ वर्षों में, देश में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त विस्तार किया गया है। 2011-12 के लिए पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन करते समय, घरेलू एलपीजी की पैठ का विस्तार करने, पीडीएस मिट्टी तेल का कोटा नहीं उठाए जाने के कारण कोटा समाप्त करने और 2010-11 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रति व्यक्ति आबंटन (पीसीए) करने जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया था और इसके परिणामस्वरूप बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीडीएस मिट्टी तेल कोटा युक्तियुक्त बनाया गया।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा खाना बनाने और प्रकाश के प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के मिट्टी तेल का आबंटन किया जाता है। तथापि, पीडीएस मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1993 के खंड 3(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ हेतु मिट्टी तेल का इस्तेमाल करने के लिए आदेश, अनुमति दे सकती है जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो। वर्तमान में इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का आबंटन

3734. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक लाख रुपये से कम आय वाले उन परिवारों जो प्राकृतिक आपदा एवं अग्नि से प्रभावित हैं, को बीपीएल सूची में नामांकन की अनिवार्य दशा को हटाते हुये वरीयता के आधार पर इंदिरा आवास योजना के अधीन आवास आबंटित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईएवाई के अंतर्गत आबंटित कुल निधियों में से 5% को प्राकृतिक आपदाओं तथा दंगे, आगजनी, आग, पुनर्वास आदि जैसी अन्य आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के लिए अलग रखा जाता है। जिला स्तर पर, जिले के वार्षिक

आबंटन में से 10% या 70 लाख रुपये, जो भी ज्यादा हो, का इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आईएवाई के अंतर्गत मकानों के लिए लक्षित समूह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं। गैर-बीपीएल परिवार इस योजना के अंतर्गत इकाई सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल गैस त्रासदी मामले में दोषी व्यक्तियों को दण्ड

3735. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है तथा उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): आपराधिक मामला सं. 8460/1995 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भोपाल के न्यायालय द्वारा 07.06.2011 के निर्णय के माध्यम से दोषी पाए गए व्यक्तियों/कंपनियों को दिए गए दंड की प्रकृति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आरोपी का नाम	कानून की धाराएं	दिए गए दंड (दंड एवं जुर्माना)
1.	श्री केशव महिन्द्रा	304-ए/35 आईपीसी	02 वर्ष, रुपये 1 लाख
		336 आईपीसी	03 माह, रुपये 250/-
		337/35 आईपीसी	06 महा, रुपये 500/-
		338/35 आईपीसी	01 वर्ष, रुपये 1000/-
2.	श्री वी.पी. गोखले	-वही-	-वही-
3.	श्री किशोर कामदार	-वही-	-वही-
4.	श्री जे. मुकुन्द	-वही-	-वही-
5.	श्री एस.पी. चौधरी	-वही-	-वही-
6.	श्री के.वी. शेट्टी	-वही-	-वही-
7.	श्री एस.आई. कुरैशी	-वही-	-वही-
8.	यूसीआईएल इंडिया	304-ए आईपीसी	रुपये 5 लजाख
		336 आईपीसी	रुपये 250/-
		337/35 आईपीसी	रुपये 500/-
		338/35 आईपीसी	रुपये 1000/-

साथ ही, जुर्माने की राशि अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।

उर्वरकों के मूल्य

3736. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
श्री हरीश चौधरी:
श्री राकेश पाण्डेय:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री राधे मोहन सिंह:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री अशोक कुमार रावत

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार साथ ही उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करके राजसहायता में वृद्धि करने का क्या औचित्य है;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर कितनी राजसहायता दी गई;

(छ) क्या उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने हेतु भारी निधियां व्यय करने के बाद भी उर्वरकों का उत्पादन नहीं बढ़ा है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) भारत सरकार किसानों को वहनीय मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यूरिया के लिए नई मूल्य-निर्धारण नीति-III तथा नियंत्रणमुक्त पोटाशयुक्त और फॉस्फेटयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के 22 ग्रेडों नामत: डीएपी, एमएपी, टीएसपी, डीएपी लाइट, एमओपी, एसएसपी, अमोनियम सल्फेट (फैक्ट और जीएसएफसी द्वारा उत्पादित के प्रोलैक्टम ग्रेड) और मिश्रित उर्वरकों के 15 ग्रेडों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायात नीति का कार्यान्वयन कर रही है। किसानों को यूरिया राजसहायता प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्य 5310/- रुपए प्रति मी.टन पर प्रदान किया जाता है जबकि पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को खुला रखा गया है और उत्पादकों/विणनकर्ताओं को उचित स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। एनबीएस योजना के अंतर्गत, पीएण्डके उर्वरकों के लिए राजसहायता का निर्धारण उनमें निहित पोषक-तत्वों की मात्रा (अर्थात् नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर) के आधार पर वार्षिक तौर पर किया जाता है। एनबीएस का निर्धारण किसानों की वहनीयता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(च) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उर्वरकों पर प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

अवधि/उर्वरक	पीएण्डके उर्वरक	यूरिया	सभी उर्वरकों का योग
2008-09	65554.79	33939.92	99494.71
2009-10	39452.06	24580.23	64032.29
2010-11	41500.00	24336.68	65836.68
2011-12 (बजट अनुमान)	29706.87	23883.00	53589.87

(छ) और (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों का उत्पादन इस प्रकार है:-

वर्ष/उर्वरक	2008-09	2009-10	2010-11
यूरिया	199.22	211.12	218.80
डीएपी	29.93	42.46	35.37
मिश्रित उर्वरक	68.48	80.39	87.27
एसएसपी	25.34	30.93	37.07

पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन रोंक फास्फेट (आरपी) और पोटाश की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारत पोटाश के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर है क्योंकि देश में पोटाश का कोई भी ज्ञात स्रोत नहीं है। देश में रॉक फॉस्फेट का भी बहुत कम स्रोत है और वह भी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है जिसका केवल एसएसपी के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत में उपलब्ध आरपी की मात्रा इतनी कम है कि यह एसएसपी उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, पीएण्डके उर्वरकों के लिए स्वदेशी कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण इन उर्वरकों के उत्पादन में केवल मामूली वृद्धि हो रही है। उर्वरकों पर राजसहायता में उत्पादन में प्रयोग किए जा रहे आदानों (ईंधन और फीड स्टॉक) की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हो रही है। कुछ पुनरुद्धार परियोजनाओं के अलावा ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड के रूप में कोई नया क्षमता संवर्द्धन नहीं हुआ है, परिणामस्वरूप यूरिया के उत्पादन में किसी भी प्रकार की महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त अन्य केरोसीन कोटा

3737. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मछुआरे समुदाय के कमजोर तबकों हेतु मछली पकड़ने के लिये आउटबोर्ड यंत्रीकृत इंजन वेसेल के प्रचालन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त विशेष केरोसीन कोटा को मंजूद दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त अन्य केरोसीन कोट स्वीकृत किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु राज्य को मछुआरों द्वारा उनकी नावों में प्रयोग करने के लिए गैर-राजसहायता दर पर 3200 किलोलीटर प्रति माह मिट्टी तेल का अतिरिक्त आबंटन किया गया था, जो राजकोषीय राजसहायता घटक और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की अल्पवसूलियों के अलावा था।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार से इस मंत्रालय को पीडीएस के अलावा मत्स्य सहकारी समितियों को वितरण करने हेतु मिट्टी तेल का कोटा प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में राज्य सरकार से गैर राजसहायता मिट्टी तेल की अपेक्षित मात्रा का निर्धारण करके इस मंत्रालय में एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

एनएसएसओ की रिपोर्ट

3738. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ ने "सम करेक्टरस्टीक्स ऑफ अरबन स्लम 2008-09" के बारे में रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्लम सांख्यिकी/जनगणना आदि जैसा कि उक्त रिपोर्ट में बताया गया है के पहलुओं पर ध्यान देने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन पर अभी तक सरकार द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां। रिपोर्ट मई, 2010 में जारी की गई थी।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त रिपोर्ट, में, स्लम सांख्यिकी/गणना के पहलुओं की जांच करने के लिए, समिति गठित करने का उल्लेख नहीं है। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा स्लम की परिभाषा का अध्ययन करने तथा उपलब्ध डाटा के आधार पर पूरे देश में शहरी स्लम जनसंख्या का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

(घ) जी हां।

(ङ) समिति की सिफारिशों का सार निम्नानुसार है:

(i) 20000 से भी कम जनसंख्या वाले शहरों में स्लम जनसंख्या की गणना करना।

(ii) स्लम बस्तियों जैसी निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त 20-25 घरों वाले संकरे क्षेत्र को स्लम क्षेत्र के रूप में माना जाए:

- छत के आम तौर पर उपयोग की जानी वाली सामग्री: कंकरीट (आरबीसी/आरसीसी) के अलावा अन्य किसी सामग्री का उपयोग करना
- पीने के पानी के स्रोत की उपलब्धता: गणना में शामिल घर के परिसर में न होना
- शौचालय की उपलब्धता: गणना में शामिल घर के परिसर में न होना
- जल निकासी: जल निकासी का कोई साधन न होना या खुली नाली होना

(च) समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जनगणना 2011 के दौरान देश के सभी वैधानिक शहरों/कस्बों चाहे उनका आकार कैसा भी हो, की स्लम जनसंख्या की गणना की गई है।

विवरण

शहरी स्लम की विशिष्टताओं पर एनएसएसओ रिपोर्ट (2008-09) की मुख्य बातें

❖ 2008-09 में शहरी भारत में करीब 49 हजार स्लम बस्तियों के होने का अनुमान था जिनमें से 24% नालों एवं नालियों के निकट तथा 12% रेलवे लाइनों के निकट स्थित थीं।

❖ लगभग 57% स्लम बस्तियों का निर्माण उस सार्वजनिक भूमि पर किया गया था, जिनका ज्यादातर मालिकाना हक स्थानीय निकायों, राज्य सरकार के पास था।

❖ 64% अधिसूचित स्लम बस्तियों में बड़ी संख्या में पक्के मकान बने हुए थे, जबकि इसी तरह की गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों का प्रतिशत 50% था।

❖ 95% स्लम बस्तियों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत या तो नल या फिर नलकूप था।

❖ केवल 1% अधिसूचित और 7% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे।

❖ 78% अधिसूचित स्लम बस्तियों तथा 57% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों के अंदर पक्की सड़क बनी हुई थीं।

❖ 73% अधिसूचित एवं 58% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में वाहन योग्य पहुंच मार्ग बने हुए थे।

❖ मानसून में जल भराव से लगभग 48% स्लम बस्तियां आम तौर पर प्रभावित थीं जिनमें से 32% स्लम बस्तियों के अंदर एवं पहुंच मार्ग दोनों में जल भराव की समस्या थी, 7% स्लम बस्तियों में जलभराव होता थ परंतु पहुंच मार्ग में यह समस्या नहीं थी तथा केवल 9% में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या थी।

❖ 68% अधिसूचित तथा 47% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में सैप्टिक टैंक (अथवा समान सुविधाएं) युक्त शौचालय उपलब्ध थे। वही दूसरी ओर 10%

अधिसूचित तथा 20% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में किसी भी प्रकार की शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

- लगभग 10% अधिसूचित तथा 23% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में किसी भी प्रकार की ड्रेनेज सुविधा नहीं थी। 39% अधिसूचित तथा 24% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में भूमिगत ड्रेनेज प्रणाली अथवा पक्की सामग्री से बनी ड्रेनेज प्रणाली उपलब्ध थी।

- 33% अधिसूचित स्लम बस्तियों तथा 19% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में भूमिगत सीवरेज प्रणाली उपलब्ध थी।

- 75% अधिसूचित तथा 55% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों से सरकारी एजेंसियों द्वारा कड़ा इकट्ठा किया जा रहा था। इन स्लम बस्तियों में से 93% अधिसूचित स्लम बस्तियों 92% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में से कम से कम 7 दिनों में एक बार कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था। लगभग 10% अधिसूचित तथा 23% गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों में कूड़ा निपटाने का कोई नियमित तंत्र नहीं था।

तटीय क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग

3739. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों विशेषक गुजरात में उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजिटल मैपिंग किया है जिससे सुनामी, चक्रवात आदि के मामले में पूर्व चेतावनी दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इसके परिणाम क्या रहे; और

(ग) देश में तटीय क्षेत्रों के इस डिजिटल मैपिंग के अन्य उपयोग क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकॉइस) ने: (i) बहु-जोखिम संवेदनशीलता संबंधी मानचित्र तैयार करने (ii) वास्तविक-समय सुनामी आप्लावन संबंधी मॉडल तैयार करने तथा (iii) सुनामी और चक्रवात से पैदा हुई तूफान महोर्मियों के कारण होने वाले तटीय आप्लावन के विस्तार तथा गहराई की मात्रा ज्ञात करने के विशिष्ट प्रयोजनों से सर्वाधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के भीतर सड़कों पर होने वाल आप्लावन के आकलनों के लिए त्रिआयामी जीआईएस जैसे उच्च-स्तरीय अनुसंधान क्षेत्रों पर कार्य प्रारंभ किया है।

वर्तमान में चेन्नै स्थित एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आईसीएमएएम) परियोजना निदेशालय द्वारा रियल टाइम काइनेमेटिक (आरटीके) जीपीएस सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त स्थलाकृतिक डेटा का प्रयोग करके गुंजरात के मांडवी तथा द्वारका क्षेत्रों के लिए सुनामी आप्लावन मॉडलिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुदूर संवदेन केंद्र (एनआरएससी) आप्लावन मॉडलिंग में प्रयोग के लिए, तटीय क्षेत्रों के लिए संख्यात्मक स्थलाकृतिक सूचना तैयार करने के उद्देश्य से वायुवाहित लेजर भूभाग मैपर (एएलटीएम) सर्वेक्षण कर रहा है। अब तक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से डेटा प्राप्त किए गए हैं। नागापट्टनम (तमिलनाडु) से पुरी (उड़ीसा) के बीच स्थित तटीय क्षेत्रों के लिए अब तक एएलटीएम-आधारित डिजिटल स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। त्रि-आयामी जीआईएस के लिए विस्तृत वैज्ञानिक कार्य प्रणालियां तैयार कर ली गई हैं तथा तमिलनाडु के नागापट्टनम-कुडुलौर क्षेत्र में प्रयोगिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। देश के सार्वधिक संवदेनशील क्षेत्रों के पास के शेष तटीय क्षेत्रों के लिए कार्य चल रहा है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में लघु-पैमाने के स्थालाकृतिक डेटा तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया है। गुजरात तट सहित समग्र भारतीय तटरेखा के लिए योजना बनाने के प्रयोजनों से दीर्घ-पैमाने पर इंकॉइस ने बहु-संकटों के लिए तटीय संवेदनशीलता संबंधी मानचित्र बनाने का कार्य पूरा कर लिया है।

(ग) मंत्रालय की देश के तटीय क्षेत्रों के पास के सभी संवदेनशील क्षेत्रों के लिए लघु-पैमान के संवेदनशीलता संबंधी मानचित्र तैयार करने की योजना है। इन मानचित्रों का उपयोग जान-माल की रक्षा के लिए प्रशासकों और जोखिम प्रबधकों द्वारा लघु-स्तरीय बहु-संकट संबंधी लचीली विकास योजना बनाने, आईसीजेडएम, के लिए किया जा सकता है।

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन योजना

3740. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुछ कितनी निधियां आबंटित और व्यय की गई;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत, राज्य-वार, कुल कितने लाभग्राही हैं; और

(घ) इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किये जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित हैं। आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत 60-78 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए प्रति लाभार्थी 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष की उम्र वाले लाभार्थियों के लिए प्रति लाभार्थी 500 रुपये प्रति माह की दर से राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संसाधनों से कम से कम समान धनराशि का अंशदान करें। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों की अलग पात्रता मानदंड वाली अपनी-अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं।

(ख) आईजीएनओएपीएस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है जिसे वर्ष 2002-03 में राज्य योजना में अंतरित कर दी गई। एनएसएपी के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए सम्मिलित रूप से अतिरिक्त केन्द्रीय सहातया के रूप में एनएसएपी के अंतर्गत निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को और गृह मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियां नीचे दिए अनुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	उपयोग
2008-09	4500.00	3875.31
2009-10	5200.00	4718.83
2010-11	5162.00	5480.60
2011-12	6158.00	894.68*

*जुलाई, 2011 तक 2100.60 करोड़ रुपये रिलीज किए गए। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार व्यय।

(ग) आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का निर्धारण एवं पेंशन का विवरण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जहां व्यवहार्य हो, लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से पेंशन वितरित करें। एनएसएपी के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा और वार्षिक जांच भी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार करें और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखें ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि की जा सके।

विवरण

आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2011 की स्थिति के अनुवार आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की सं.
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	971709
2	बिहार	2341267
3	छत्तीसगढ़	530193
4	गोवा	2734
5	गुजरात	298519
6	हरियाणा	130306

1	2	3
7	हिमाचल प्रदेश	90619
8	जम्मू व कश्मीर	129000
9	झारखंड	650145
10	कर्नाटक	782538
11	केरल	185316
12	मध्य प्रदेश	1166199
13	महाराष्ट्र	1072113
14	उड़ीसा	1193176
15	पंजाब	159792
16	राजस्थान	574828
17	तमिलनाडु	1014172
18	उत्तर प्रदेश	3274780
19	उत्तराखंड	191168
20	पं. बंगाल	1271631
21	अरुणाचल प्रदेश	14500
22	असम	598965
23	मणिपुर	50714
24	मेघालय	48112
25	मिजोरम	23747
26	नागालैंड	40462
27	सिक्किम	15169
28	त्रिपुरा	136592
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1063
30	चंडीगढ़	4094
31	दादरा व नगर हवेली	944
32	दमन व दीव	130
33	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	94000
34	लक्षद्वीप	36
35	पुडुचेरी	15523
	जोड़	17074256

[अनुवाद]

कोयला आधारित उर्वरक इकाइयों का स्वरूप परिवर्तन

3741. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोयला आधारित उर्वरक इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ताल्चर उर्वरक संयंत्र का प्रचालन कब तक किये जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) वर्तमान में ऐसी कोई रुग्ण पीएसयू उर्वरक इकाई नहीं है जो कोयले से चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 4 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और एफसीआईएल की तलचर इकाई सहित फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया था। चूंकि पुनरुद्धार प्रक्रिया में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) का अनुमोदन लेना, नामांकित पीएसयू द्वारा उपयुक्त अनुबंधित पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत करना, नामांकित पीएसयू द्वारा उपयुक्त अनुबंधित पुनरुद्धार प्रस्तावों के लिए सीसीईए का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करना आदि शामिल है, इसलिए इस स्तर पर तलचर उर्वरक संयंत्र के प्रचालनरत होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

साबरमती रेलवे स्टेशन

3742. श्री सी.आर. पाटिलः
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने साबरमती स्टेशन पर वाहन यातायात को कम करने हेतु साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास किये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) साबरमती के विकास के लिए दो विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे उच्च सतह प्लेटफार्म, संख्या 1 एवं 2/3 को जोड़ने वाला पैदल ऊपरी पुल, स्टेशन के प्रवेश और निकास को चौड़ा करना, परिपथन क्षेत्र में पत्थर और ईंटे लगाना, स्टेशन भवन के सम्मुख भाग का सुधार और नए प्रतीक्षालयों के प्रावधान जैसे विभिन्न कार्यों को पूरा किया गया है।

साबरमती रेलवे स्टेशन को एक टर्मिनल स्टेशन के रूप में और अधिक विकसित करने के लिए अन्य कतिपय निर्माण कार्य योजना चरण में विचाराधीन है।

उर्वरक नीति

3743. श्री गुरुदास दासगुप्तः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आई रिपोर्टों से यह ज्ञात हुआ है कि सरकारी उर्वरक नीति घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने एवं भारतीय किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक राजसहायता की निष्पादन लेखा परीक्षा की सीएजी रिपोर्ट में पाया गया है कि उर्वरकों के उत्पादन में केवल मामूली वृद्धि हुई है और राजसहायता व्यवस्था एनपीएस चरण-I से III सहित, में किए गए परिवर्तन उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और क्षमता वृद्धि को प्रोत्साहन देने में विफल रहे हैं।

नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) को दक्षता मानदण्डों को प्रोत्साहन देने, सबसे दक्ष फीडस्टॉक और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने, उपर्युक्त मानदण्डों में व्यवहार्य प्रतिलाभ दर सुनिश्चित करने, अधिक पारदर्शिता/सरलीकरण सुनिश्चित करने तथा प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए यूरिया इकाइयों द्वारा स्वयं लागत कम करने के उपाय करने हेतु लागू किया गया था। इसलिए, राजसहायता नीति को आरपीएस से एनपीएस में परिवर्तित करने का उद्देश्य क्षमता वृद्धि और यूरिया उत्पादन को प्रोत्साहन देना नहीं था। यूरिया के घरेलू उत्पादन और यूरिया इकाइयों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नया निवेश लगाने और विदेश में संयुक्त उद्यम के जरिए यूरिया का उठान करने के लिए 4 सितम्बर, 2008 को अलग से एक नीति/योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य मौजूदा यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार, पुनरुत्थान करना और ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड परियोजनाएं लगाना है।

मानार्थ पास

3744. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री सुखदेव सिंहः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सामान्य श्रेणी के लोगों सहित सरकारी और गैर-सरकारी दोनों श्रेणी के लोगों के लिए मानार्थ/मुफ्त पास जारी करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियत मानदंड/मार्गनिदेश क्या हैं;

(ग) अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-वार जारी किए गए पासों की संख्या और उनकी वैधता अवधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुफ्त पासों की स्कीम को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(ख) मानार्थ कार्ड पासों को जारी करने के लिए मानदंड/दिशानिदेश निम्नानुसार है:

1. भारत सरकार के स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सैनिक/उनकी विधवाएं (गृह मंत्रालय द्वारा लागत को वहन किया जाता है;)।

2. खिलाड़ी जो अर्जुन पुरस्कार विजेता/ओलंपिक पदक विजेता/एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता/द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हो।

3. चक्र श्रृंखला बहादुरी पुरस्कार विजेता अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले रक्षाकर्मी।

4. बहादुर के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और बहादुरी के लिए पुलिस पदक पाने वाले पुलिसकर्मी।

5. रेलवे हिंदी सलाहाकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य।

6. हिंदी के प्रचार में लगी चार संस्थाएं अर्थात केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नागरिक प्रचारिणी सभा/वाराणासी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति/वर्धा और अखिल भारतीय हिंदी संस्थान प्रत्येक का एक अधिकारी।

7. रेलवे के पूर्व मंत्री/रेलवे के राज्य मंत्री/उप रेल मंत्री

8. भारत रत्न पुरस्कार विजेता

9. रेल मंत्रालय की विवेकपूर्ण शक्तियों के अंतर्गत मानार्थ कार्ड/चैक पास

आयातित उर्वरकों का आबंटन/जारी करना

3745. श्री जगदानंद सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य को आयातित उर्वरकों की कितनी मात्रा आबंटित/जारी की गई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 और मौजूदा वर्ष 2011-12 (अप्रैल 2011 से जुलाई 2011) के दौरान आयातित यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार मात्रा को सलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान राज्यों को आयातित उर्वरकों की वर्षवार मात्रा

(आंकड़े लाख मी. टान में)

राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				मिश्रित			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	11.93	10.30	12.65	2.30	7.24	4.08	6.84	1.84	6.30	5.82	6.04	0.68	0.00	0.00	3.52	1.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
असम	0.26	0.10	0.11	0.03	0.12	0.14	0.13	0.03	1.15	0.85	0.99	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.73	0.89	2.09	0.10	2.48	2.20	2.35	0.35	2.17	2.10	2.00	0.13	0.00	0.00	0.36	0.09
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	1.00	0.54	0.71	0.31	1.20	1.20	1.13	0.28	0.91	0.91	0.91	0.16	0.00	0.00	0.00	0.14
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	7.03	5.54	7.84	2.10	4.06	2.05	3.58	0.98	2.24	2.83	1.85	0.62	0.00	0.00	0.22	0.02
हरियाणा	2.20	2.63	3.30	0.83	6.04	4.26	7.08	1.80	0.50	0.80	0.67	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.38	0.77	0.22	0.14	0.18	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	0.00	0.00	0.03	0.00	0.23	0.26	0.26	0.05	0.19	0.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
कर्नाटक	4.11	5.07	5.31	1.19	4.76	3.76	4.94	0.84	5.08	6.00	4.21	0.65	0.00	0.00	1.62	1.25
केरल	0.95	0.99	0.74	0.36	0.13	0.18	0.253	0.08	1.50	1.55	1.54	0.51	0.00	0.00	0.18	0.11
मध्य प्रदेश	1.86	3.54	4.73	1.21	7.02	7.43	9.34	1.72	1.14	1.39	1.142	0.18	0.00	0.00	0.19	0.05
महाराष्ट्र	5.55	5.06	5.30	2.36	6.41	7.40	10.02	1.82	4.97	6.80	6.52	0.50	0.00	0.00	2.31	0.99
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.81	1.07	1.13	0.23	0.11	0.41	0.19	0.11	1.49	1.12	1.32	0.21	0.00	0.00	0.00	0.16
पुडुचेरी	0.05	0.04	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.10	0.10	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	2.52	1.99	4.78	2.52	7.95	6.10	8.37	2.17	1.00	0.89	1.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	2.61	2.28	3.77	0.69	4.82	4.37	6.22	1.39	0.29	0.49	0.22	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00
तमिलनाडु	5.65	4.27	3.42	0.67	3.13	2.55	2.18	0.38	5.87	5.07	4.69	0.94	0.00	0.00	0.76	0.24
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	8.98	5.72	7.62	2.61	10.94	11.10	12.09	1.87	2.67	3.15	2.16	0.22	0.00	0.00	0.60	0.26
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.11	0.23	0.10	0.08	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	2.01	1.17	1.40	0.52	1.23	1.65	1.46	0.24	4.79	4.79	3.29	0.26	0.00	0.00	1.06	0.11
सकल योग	58.25	51.20	64.98	18.12	68.61	59.66	77.45	16.27	42.70	45.13	39.05	5.43	0.00	0.00	10.94	4.45

* आंकडें जुलाई 2011 तक हैं

डीएपी में टीएसपी और एमएपी शामिल हैं

एर्नाकुलम-नगरकोयल मेमू सेवा

3746. श्री ए. सम्पतः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि रेल बजट 2011-12 में घोषित अधिकांश रेलगाड़ियां अभी शुरू की जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी को शुरू करने हेतु नियत लक्षित तारीख, यदि कोई हो, क्या है; और

(ग) एर्नाकुलम-कोतलाम-नगरकोयल खंड में प्रचालनरत मेमू सेवा का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) एर्णाकुलम-कोलल्म-नागरकोइल खंड के लिए रेल बजट 2011-12 में घोषित मेमू सेवाओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) एर्णाकुलम-कोल्लम मेमू

(ii) कोल्लम-नागरकोइल मेमू

रेल बजट 2011-12 में घोषित 131 जोड़ी नई गाड़ियों में से 33 जोड़ी नई गाड़ियां शुरू कर दी गई हैं। रेल बजट 2011-12 में घोषित नई गाड़ियों को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चलाया जाता है।

अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग सुविधाएं

3747. श्री संजय निरूपमः क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुम्बई में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने कोचिंग केन्द्रों पर उक्त छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है; और

(ग) सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में उक्त कोचिंग केन्द्रों के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुम्बई में कोचिंग संस्थानों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए कोचिंग संस्थानों से आवदेन आमंत्रित किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान सहायता प्रदत्त मुम्बई के कोचिंग संस्थानों के ब्यौरे:-

क्र.सं.	वर्ष	नाम	स्वीकृत छात्रों की संख्या	जारी धनराशि (रुपयों में)
1.	2008-09	एमटी एजुकेयर प्रा. लि. 317, कोर्पोरेट सेंटर, निर्मल लाइफस्टाइल, एलबीएस रोड, मुलुंद (पं.), मुम्बई	730	8603500

वर्ष 2009-10 के दौरान सहायता प्रदत्त, मुम्बई के कोचिंग संस्थानों के ब्यौरे:-

1.	2009-10	मौलाना आजाद एजुकेशन सोसायटी, 3-सीलैंड, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई	50	675500

वर्ष 2010-11 के दौरान सहायता प्रदत्त, मुम्बई के कोचिंग संस्थानों के ब्यौरे:-

1.	2010-11	सी-डैक, पुणे-मुम्बई सेंटर	28	938000

[हिन्दी]

तटीय कटाव

3748. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादडिया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने दक्षिण गुजरात के समुद्री तटों पर भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में उक्त प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) इस दिशा में उक्त अवधि में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) समुद्र कटाव-रोधी कार्य संबंधी स्कीमों की आयोजना एवं कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक एवं प्रोत्साहक प्रकृति की होती है। ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता देने के लिये मंत्रिमंडल द्वारा एक राज्य क्षेत्र स्कीम नामत: "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" अनुमोदित की गई है जिसके अंतर्गत संबंधित राज्यों के विशेष अनुरोध पर गंभीर क्षेत्रों में समुद्र कटाव-रोधी कार्यों सहित बाढ़ नियंत्रण एवं नदी प्रबंधन कार्य शुरू करने के लिये अनुदान सहायता पर विचार किया जा सकता है।

(ख) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 794.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत से "जामनगर जिले में द्वारका तालुके में संगम नारायण मंदिर से गायत्री मंदिर तक कटाव को रोकने के लिये तटीय सुरक्षा उपलबध कराना/समुद्री दीवार बनाने" नामक एक स्कीम शामिल की गई है जिसके लिये वित्त मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य सरकार को जनवरी, 2011 में 200.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष : 2011-12 के दौरान उपर्युक्त स्कीम के लिये केंद्रीय सहायता की अगली किस्त हेतु कोई प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

टी एस सी के अंतर्गत आबंटन

3749. श्री एम.बी. राजेश: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने समग्र स्वच्छता अभियान (टी एस सी) के तहत आबंटित राशि पूर्णतया उपयोग में नहीं लाई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में वर्ष-वार/राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निधियों के उपयोग के बारे में मार्गनिदेश जारी करने का है ताकि टी एस सी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) तथा (ख) भारत सरकार खुले में शौच करने की प्रथा को दूर करने तथा स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1999 में शुरू किये गये व्यापक कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान को संचालित करती है। यह परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाता है और जिसे मांग आधारित मोड में संचालित किया जाता है। अंत शेष, अर्थात्, विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, उपयोग नहीं की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) टीएससी के अंतर्गत, प्रत्येक जिले परियोजना के लिए एक अनुमोदित परियोजना परिव्यय है। टीएससी दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि पहले रिलीज की गई निधियों के कम से कम 60 प्रतिशत के उपयोग करने के पश्चात ही पात्र जिलो के राज्यों को अगली किस्त की निधियां रिलीज की जाएंगी। पहले रिलीज की गई निधियों में से 80 प्रतिशत का उपयोग जिले परियोजना की अंतिम किस्त की रिलीज के लिए पात्र मानदंड है। अभियान में इसलिए निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्निहित प्रावधान है ताकि परियोजना जिलों द्वारा टीएसएसी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

अंत शेष, अर्थात्, विगत तीन वर्ष के प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, उपयोग नहीं की गई निधियां राज्य-वार अनुबंध में दी गई हैं

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	2721.42	9884.81	16925.37
2	अरूणाचल प्रदेश	1434.34	1178.68	685.84
3	असम	9431.43	6724.32	9449.60
4.	बिहार	9226.68	9258.77	7997.00
5	छत्तीसगढ़	2555.34	1135.77	4084.78
6	दादरा व नगर हवेली	1.48	1.48	1.48
7	गोवा	22.39	22.39	22.39
8	गुजरात	3524.87	1407.44	2766.82
9	हरियाणा	1890.26	1388.32	2339.40
10	हिमाचल प्रदेश	1220.99	926.35	1735.93
11	जम्मू व कश्मीर	1995.35	945.10	2635.68
12	झारखंड	3432.99	3502.74	5316.06
13	कर्नाटक	3436.60	4190.70	2408.42
14	केरल	953.74	583.00	2060.82
15	मध्य प्रदेश	8609.45	5864.80	7440.82
16	महाराष्ट्र	3373.13	1525.51	7173.71
17	मणिपुर	450.35	1218.31	437.60
18	मेघालय	667.25	1060.57	2943.43
19	मिजोरम	492.75	486.46	858.05
20	नागालैंड	44.68	132.36	1096.85
21	उड़ीसा	11065.50	10838.08	12746.59

1	2	3	4	5
22	पुडुचेरी	23.87	18.68	15.77
23	पंजाब	1004.05	793.66	1489.41
24	राजस्थान	3616.17	4751.23	6664.45
25	सिक्किम	258.95	0.00	112.86
26	तमिलनाडु	1963.63	2722.95	5304.16
27	त्रिपुरा	452.72	753.64	1104.70
28	उत्तर प्रदेश	26785.30	4707.78	4562.86
29	उत्तराखंड	941.79	613.55	1161.59
30	पश्चिम बंगाल	10019.57	5456.52	6129.45

[हिन्दी]

रेकों की आवश्यकता

3750. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**
श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे लौह-अयस्क, उर्वरक, रसायनों इत्यादि की ढुलाई के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त रेकों की मांग/अनुरोध का वर्ष-वार, राज्य-वार/जोन-वार/मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित राज्यों की मांग के अनुरूप उन्हें उपलब्ध कराए गए रेकों का वर्ष-वार/राज्य-वार/जोन-वार/मंडल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी मांगों को उपयुक्त रूप से पूरी करने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रेलवे के पास रेलवे बोर्ड स्तर, क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर और मंडल स्तर पर दैनिक कान्फ्रेंस करने की प्रणाली है जिसमें रेकों की मांग और आपूर्ति की मॉनीटरिंग की जाती हैं। इन कान्फ्रेंस में मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों/मंडलों में रेकों और इंजनों की स्थिति दी जाती है। दीर्घकालीन आधार पर रेलवे मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए, स्थिर और चल दोनों में, अपनी अवसंरचना को निरंतर रूप से अद्यतन करती है। रेलपथ पुलों, सिगनल प्रणाली को अपग्रेड करना नई लाइनों का निर्माण, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण आदि अतिरिक्त स्थाई क्षमता के सृजन में सहायता करते हैं जबकि उच्च डिजाइन के माल डिब्बों और उच्च क्षमता के इंजनों की बढ़ी हुई खरीद चल स्टाक अवसंरचना में सहायता करते हैं। ये उपाय पर्याप्त रूप से मांग को पूरा करने में रेलवे की सहायता करते हैं।

यात्री डिब्बों की स्थिति

3751. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राजधानी एक्सप्रेस विशेष रूप से गुवाहाटी/डिब्रूबढ़ एक्सप्रेस के यात्री डिब्बे बहुत पुराने और जीर्ण-शीर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन डिब्बों को बदलकर इनके स्थान पर नए डिब्बे लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी नहीं। इस समय नई दिल्ली-गुवाहाटी/डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस गाडियां एलएचबी डिजाइन के सवारी डिब्बों, जो अभी केवल 5 साल ही पुराने हैं, के साथ चलाई जा रही हैं।

कुछ और राजधानी गाड़ियां यथा मुम्बई-नई दिल्ली, मुम्बई-निजामुद्दीन, हावड़ा-नई दिल्ली, सियालदह-नई दिल्ली, भुवनेश्वर-नई दिल्ली, नई दिल्ली-पटना और निजामुद्दीन-तिरूवनंतपुरम आदि को भी एलएचबी डिजाइन वाले सवारी डिब्बों के साथ चलाया जा रहा है।

इस समय परंपरागत आईसीएफ डिजाइन वाले सवारी डिब्बों के साथ चलाई जा रही अन्य राजधानी गाड़ियों के डिब्बों का बदलाव धीरे-धीरे नए एलएचबी रेकों से करने की योजना है।

[अनुवाद]

रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

3752. श्री एस. सेम्मलई: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र को रुग्ण इकाइयों और उनकी अनुषंगी इकाइयों का ब्यौरा क्या है और उनके पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उनप मानदंडों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को रुग्ण इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

(ग) क्या उपर्युक्त रुग्ण इकाइयों में से किसी इकाई का बाद में पुनरुद्धार किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) दिनांक 24.2.2011 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार 31.3.2010 तक 69 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को रुग्ण अभिनिर्धारित किया गया है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्गठन पर सरकार को परामर्श देने हेतु एक परामर्शी निकाय के रूप में दिसम्बर, 2004 में एक संकल्प के माध्यम से सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की थी।

(ख) बीआरपीएसई संकल्प में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम को तब "रुग्ण" माना जाएगा जब इसके किसी वित्त वर्ष में उस वर्ष से तत्काल पहले के 04 वर्षों के दौरान इसका संचित घाटा इसके औसत निवल मूल्य का 50% या इससे अधिक हो जाता है और/या कोई एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के अनुसार रुग्ण उद्यम हो जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर 42 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार को अनुमोदन प्रदान किया है। इन 42 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 13 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ब्यौरा संलग्न विवरणों में सरकार के अनुमोदन के पश्चात 2010-11 तक निरन्तर 03 वर्षों या इससे अधिक वर्षों तक लाभ अर्जित किया है।

विवरण

उन 13 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची, जिन्होंने लगातार तीन या इससे अधिक वर्षों तक लाभ अर्जित किया।

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम
1.	भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लि.
2.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
3.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.
4.	एण्ड्रू युले एण्ड कम्पनी लि.
5.	बी बी जे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.
6.	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इण्डिया) लि.
7.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.
8.	मेकॉन लि.
9.	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
10.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.
11.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि.
12.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
13.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.

[हिन्दी]

जिला मुख्यालयों के लिए रेलवे संपर्क

3753. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बजट में की गई घोषणा के अनुसार देश में सभी जिला मुख्यालयों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) देश में, बिहार सहित, राज्य-वार, उन जिला मुख्यालयों के नाम, जो अभी तक रेल नेटवर्क से जोड़े नहीं गए हैं; और

(घ) शिवहर जिला मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। वर्तमान में देश में प्रत्येक जिले को रेल संपर्कता मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं जिले-वार रेल संपर्कता के आंकड़े-नहीं रखे जाते हैं।

(घ) शिवहर के रास्ते बापूधाम (मोतिहारी) से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए परियोजना पहले ही स्वीकृत है। प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए है और वे प्रगति के विभिन्न चरणों पर हैं।

[अनुवाद]

के वी आई उत्पादों का निर्यात

3754. श्री संजय धोत्रे: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग को, उनके अधिक से अधिक उत्पाद निर्यात करने हेतु, विशेष प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कितने मूल्य के उत्पादन, उनकी मात्रा सहित निर्यात किए गए?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) के उत्पादों के निर्यात के संवर्द्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें (i) केवीआई की मदों के सीधे निर्यात पर संस्थानों/केवीआई यूनिटों को फ्री-ऑन-बोर्ड (एफओबी) के 5% की दर से अधिकतम 10.00 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाना तथा (ii) सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के दिशानिर्देशों के अनुसार खादी उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संवर्द्धन के लिए केवीआईसी, जिसका स्तर निर्यात संवर्द्धन परिषद के समकक्ष है, के माध्यम से समर्थन प्रदान करना शामिल है। निर्यात संवर्द्धन परिषद व्यापारिक सूचना, प्रोफेशनल सलाह प्रदान करती है, विदेश में बाजार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपने सदस्यों के शिष्टमंडलों के दौरों का आयोजन करती है, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा भारत एवं विदेश में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेती है, निर्यातक समुदाय के बीच आपसी संवाद को बढ़ाती है तथा निर्यातकों/आयातकों का डाटाबेस बनती है।

(ग) केवीआई द्वारा निर्यात किए गए प्रमुख उत्पाद में हस्तनिर्मित कागज, पापड़, रेडीमेड गारमेंट, एम्ब्राइडरी की वस्तुएं, शहद तथा सिल्क एवं मुस्लिम खादी के वस्त्र शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए केवीआई उत्पादों का मूल्य निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वर्ष	केवीआई उत्पादों का मूल्य (लाख रु. में)
1.	2008-09	10484.23
2.	2009-10	8282.68
3.	2010-11 (अनंतिम)	7196.74

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वरोजगार

3755. श्री सुदर्शन भगत: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्व-रोजगार स्कीम से केवल 20 प्रतिशत जिलों को लाभ मिल पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के विशेष परियोजना घटक/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के जरिए नियोजन से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए) 18.35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को विभिन्न पेशों में उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें मजदूरी रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पीआईए द्वारा 75% नियोजन का आश्वासन दिया जाता है। ऐसी परियोजनाएं देश में किसी भी जिले/जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की जाती हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला/क्षेत्र का चयन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है और परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। 31.03.2011 तक, मंत्रालय ने देश में 400 से अधिक जिलों को कवर करते हुए नियोजन से जुड़ी 148 कौशल विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

(ग) से (घ) मंत्रालय ने नियोजन से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(i) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों की रिलीज की प्रक्रिया विधि।

(ii) राज्य और केन्द्र स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा।

(iii) निगरानी प्रपत्र। कार्यान्वयन प्राधिकरण को चल रही परियोजनाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में भेजने की जरूरत होती है।

(iv) लेखा परीक्षा। परियोजना की वित्तीय लेखा परीक्षा पीआईए के चार्टर्ड एकाउंटेंट या राज्य सरकार/समन्वयन एजेंसी द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कराई जाती है। केन्द्रीय निधि की दूसरी और तीसरी किस्त की रिलीज के समय लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई तथा परियोजना के तहत् वास्तविक प्रगति की रिपोर्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करनी होती है।

दक्षिण पूर्वी रेलवे में नई रेलगाड़ियां

3759. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार बारिपद और पुरी के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने और दक्षिण-पूर्व रेलवे के तहत हावड़ा-बेलदा ईएमयू सेवा को डान्टन रेलवे स्टेशन तक विस्तारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बरीपाड़ा और पुरी के बीच नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने और हावड़ा-बेलदा मेमू को दंतन तक चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेलवे क्वार्टर/कालोनियां

3757. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकतर रेलवे क्वार्टर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) क्या आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन इस बारे में रेलवे को ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) देश में, राज्य-वार उन रेलवे कालोनियों का ब्यौरा जहां पीने के लिए आपूर्ति किया जा रहा पानी पीने हेतु सुरक्षित नहीं है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। रेलों के पास लगभग 6.2 लाख आवास हैं। इनमें

से कई आवास काफी पुराने हैं जो उस समय के प्रचलित मानकों के हिसाब से बने हुए हैं। बाद में, रेलवे ने पुराने आवासों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया और ऐसे आवासों का पुनर्स्थापन किया जो अपनी आयु पूरी कर चुके थे। आवासों का पुनर्स्थापना/सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और ये कार्य निधियों की उपलब्धता के आधार पर हर साल चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी हां। ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने भी रेलवे आवासों की स्थिति में सुधार करने के साथ अन्य मामलों को उठाता है। इन मामलों की जांच की गई है और आवासों में सुधार कार्यों को उच्च प्राथमिकता देने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) रेलवे कॉलोनियों में पीने योग्य पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और निवारक कार्यवाही की जाती है।

राजेन्द्र सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3758. श्री पी.के. बिजू:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2010-11 की अन्तिम तिमाही और 2011-12 की प्रथम तिमाही के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन मंत्रालयों ने कार्योन्वयन हेतु नियत लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए हैं; और

(ङ) इन मंत्रालयों/विभागों को सिफारिशों के लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हेतु प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर गठित प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय समिति (न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर कमेटी) के अनुशंसाओं पर लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित कर रहे विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में जैसा किया गया है ठीक उसी प्रकार सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई स्वरूप लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी सचिव समिति तथा मंत्रिमंडल द्वारा अर्धवार्षिक तौर पर किए जाने का निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया है।

विवरण

सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कार्यान्वियन की विभाग/मंत्रालय-वार स्थिति

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुशंसाओं पर सरकारा द्वारा निर्णय लिया गया था। सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है:-

(I) वित्तीय सेवा विभाग:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007-08 में ऐसे लिों में 523 शाखाएं खोली गई है। वर्ष 2008-09 में 537 नई शाखाएं खोली गई। वर्ष 2009-10 में 243 नई शाखाएं खोली गई हैं। वर्ष 2010-11 में सितम्बर, 2010 तक कुल 645 बैंक शाखाएं खोल गईं। वर्ष 2007-08 से मार्च, 2011 तक कुल 2448 बैंक शाखाएं खोली गईं।

(ii) भारतीय रिवर्ज बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा बढ़ाने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 5 जुलाई, 2007 को संशोधित किया है। वर्ष 2007-08 से मार्च, 2011 तक 1,43,396.70 करोड़ रुपये का ऋण अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.16 प्रतिशत है।

(iii) प्रमुख बैंकों की जिला परामर्शन समितियों (डीसीसी) को अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं।

(iv) महिलाओं में लघु ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 5,57,088 खाते खोले गए तथा वर्ष 2010-11 में उन्हें 3984.72 करोड़ रुपये का लघु ऋण दिया गया।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जारूकता अभियान चलाने का निदेश दिया गया है। वर्ष 2010-11 में ऐसे क्षेत्रों में 1976 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।

(vi) प्रमुख बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में 1219 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय:

सच्चर समिति द्वारा यथाइंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु-आयामी कार्यनीति, जैसा नीचे दिया गया है, अपनाई गई है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी ब्लॉकों (53.67% : वर्ष 2001 की जनगणना) को योजना में शामिल किया जा सके। 490 विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(क) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता दी जानी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें।

(ख) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक-एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं।

(ग) सब-मिशन ऑफ पालीटेक्नीक्स योजना के तहत अन-सर्व्ड और अन्डर-सर्व्ड जिलों में पालीटेक्नीक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 जिले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक अल्पसंख्यक बहुल 36 जिलों को पालीटेक्नीक्स की स्थापना के लिए शामिल किया गया है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम बहुल जिलों/ब्लॉकों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों के प्रावधान को वरीयता दी गई है। यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में 239 महिला छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है।

(ङ) क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 325 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलबध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया हैं इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं। दूसरी योजना, सहायता प्राप्त/सहायता रहित निजी अल्पसंख्यकों संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 125 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ शुरू किया गया है।

(च) उच्चत्तर शिक्षा और रोजगार सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण-पत्रों और अर्हताओं को संबद्ध राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण-पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष माना जाएगा।

(छ) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामत: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमी खोले गए हैं।

(ज) संशोधित योजना के तहत ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश-कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(झ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। वर्श 2009-10 में साक्षर भारत के तहत अल्पसंख्यक बहुल 19 जिलों को शामिल किया गया।

(ञ) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ट) वर्ष 2008-09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार दिया गया है तथा इसमें उच्चतर प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ठ) सभी राज्य सरकरों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ड) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं।

(ढ) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक आमेलन और बहिष्कार नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्र की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के दौरान 51 विश्वविद्यालयों में 1280 समान अवसर केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमश: 1345 और 1367 केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

(iii) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय:

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। इस रिपोर्ट पर तथा विविधता सूचकांक से संबंधित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ख) वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन संबंधी एक विधेयक लोक सभा में 27 अप्रैल, 2010 को प्रस्तुत किया गया तथा 7 मई, 2010 को पारित हुआ। इसके बाद इसे राज्य सभ को भेजा गया। विधेयक को राज्य सभा में चयन समिति को भेजा गया है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को सिद्धांतत: स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित 338 नगरों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबद्ध मंत्रालय/विभागों से इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामत:-पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पीएचडी तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2007-05 से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 72.09 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, एम.फिल और पीएचडी के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति नामक योजना भी शुरू की गई है तथा वर्ष 2009-10 के दौरान 757 अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं।

(च) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की 100 करोड़ रुपये की संचित निधि को दिसम्बर, 2006 में दूना बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया था। संचित निधि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की गई है, जो अब 700 करोड़ रुपये है। वर्ष 2011-12 के बजट में संचित निधि में 50 करोड़ की वृद्धि के लिए धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। प्रतिष्ठान की योजनाओं के हत वर्ष 2007-08 से अब तक 280 गैर-सरकारी संगठनों को शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किया गया है तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्राओं को 31145 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(छ) वर्ष 2006-07 में एक संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी जिसके तहत वर्ष 2010-11 में दिसम्बर, 2010 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 4725 छात्र/अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं।

(ज) वर्ष 2008-09 में अल्पसंख्यक बहुल 90 अभिनिर्धारित जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। योजना की शुरूआत से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्यों में अल्पसंख्यक बहुल 89 जिलों की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई हैं तथा मार्च, 2011 तक राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को 2026.41 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(iv) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय:

सामाजिक-धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है।

(v) योजना आयोग:

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में *स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण* स्थापित किया गया है।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस तंत्र में शामिल है-नेशनल कॉउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।

(vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग:

(क) सरकारी कर्मचारियों की जानकारी के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। माड्यूल को कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजा गया है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने भी संगठित सिविल सेवाओं की जानकारी के लिए एक माड्यूल तैयार किया है जिसे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकरों और संघ राज्य-क्षेत्रों को सलाह दी है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें।

(ग) सरकारी, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अल्पसंख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिए जाने से संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक दिशा निर्देश 08 जनवरी, 2007 को जारी किए गए थे। तब से प्रतिवर्ष अल्पसंख्यकों की भर्ती को स्थिति पर वार्षिक आधार पर नियमित निगरानी रखी जा रही है।

(vii) गृह मंत्रालय:

(क) परिसीमन, अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च शक्तिप्राप्त समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) साम्प्रदायिक सद्भाव पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबद्ध कार्यबल ने "साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011 का प्रारूप तैयार किया है। गृह मंत्रालय की टिप्पणी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को दी जा चुकी है।

(viii) शहरी कार्य मंत्रालय और आवास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालयः

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं ताकि ऐसे नगरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हो।

(क) लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसरंचना विकास की योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों के लिए कुल 12928.93 करोड़ रुपये लागत की परियोजनों में से 2620.31 करोड़ रुपये लागत की 108 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

(ख) आई.एच.एस.डी.पी. के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों के लिए कुल 9637.99 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं में से 1817.38 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक बहुल 132 नगरों/शहरों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, लक्षदीप, पुडुचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है।

(ix) श्रम और रोजगार मंत्रालयः

असंगठित क्षेत्र में, जिमसें अन्य के साथ-साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है।

(x) संस्कृति मंत्रालयः

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्किलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठक हो चुकी है।

(xi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयः

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

(xii) पंचायती राज मंत्रालयः

पंचायती राज मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

(xiii) सूचना और प्रसारण मंत्रालयः

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-09 में एक मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया था। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भी अपने लक्ष्यगत लाभार्थियों के लिए सूचना के अधिक प्रभावी प्रचार हेतु समाचार पत्रों, रेडियो और टी.वी. के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया। अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय की वेबसाईट को इसके प्रयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया गया है। इस वेबसाइट पर योजनाओं, बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, लाभार्थियों की सूची, फोटोग्राफ, वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों आदि के विवरण उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में नए जोन

3759. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को देश में नए जोन बनाने के बारे में विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) नए जोन बनाने हेतु रेलवे द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर मुख्यालय सहित नए जोनों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

राज्य	जोन मुख्यालय का स्थान
1	2
आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
गुजरात	अहमदाबाद; गांधीनगर

1	2
झारखंड	धनबाद; रांची
केरल	तिरूवनंतपुरम, कोजीकोड
मध्य प्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	नागपुर
उड़ीसा	सम्बलपुर
पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार; मालदा; न्यू जलपाईगुडी

इसके अलावा, खासतौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एक नए जोन के सृजन के लिए असम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

नए जोनों के सृजन हेतु निर्धारित मानदंड के आलोक में प्रस्ताव की जांच की गई तब इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) आकार, कार्यभार, पहुंच, यातायात पैटर्न और अन्य प्रशासनिक/पारिचालनिक आवश्यकता, अर्थव्यवस्था की मांग और सक्षमता की जरूरत जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए नए जोनों की स्थापना की जाती है न कि किसी क्षेत्र को ध्यान में रखकर।

[अनुवाद]

लाइसेंस जारी करने हेतु मार्ग-निदेश

3760. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों और अन्य हाईड्रोकार्बन संसाधनों की खोज हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों और अन्य अनुसंधान संगठनों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नए मार्ग-निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) तेल और गैस का अन्वेषण करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) और सीबीएम का अन्वेषण करने के लिए कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति सरकार द्वारा 1997 में अनुमोदित की गई थी और देश में तेल और गैस संसाधनों का अन्वेषण करने के लिए ब्लॉक प्रदान करने संबंधी और कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत जॉब कार्ड

3761. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईसीजएस) के तहत सृजित मानव-दिवसों और उन व्यक्तियों का, वर्ष-वार/राज्य/संघ राजय क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त स्कीम के तहत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया;

(ख) क्या उक्त स्कीम के तहत धनराशि की मंजूरी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली में डाटा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सॉफ्टवेयर में खराबी आने के कारण उक्त स्कीम के तहत कुछ राज्यों द्वारा प्रगति रिपोर्ट भेजने में विलम्ब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सृजित श्रमदिवस तथा 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पारदर्शिता तथा स्वप्रेरित अभिव्यक्ति के संबंध में एमजीएनआरईजी अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 13, 15, 16 तथा 17 के अनुपालन में, प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एमआईएस) पर व्यय की रिपोर्ट देने को मनरेगा के अंतर्गत निधियों की रिलीज के लिए एक पूर्वापेक्षित शर्त के रूप में निर्धारित किया गया था। तथापि, राज्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए उन मामलों में भी 2011-12 में निधियों की पहली किस्त रिलीज की गई थी जहां पूर्वापेक्षित शर्त का अनुपालन नहीं किया गया था, इस शर्त के साथ कि एमआईएस आंकड़ों के आधार पर 2011-12 में निधियों की अगली/दूसरी किस्त रिलीज की जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मनरेगा: सृजित श्रम दिवस तथा परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए

क्र.सं.	राज्य	सृजित श्रम दिवस (लाख में)				परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए (संख्या में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 जून, 11 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 जून, 11 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2735.45	4044.30	3351.61	75.09	483058	1395537	964713	548
2.	अरूणाचल	34.98	16.98	31.12	0.00	12788	276	602	0
3.	असम	751.07	732.95	470.52	51.72	176778	130457	45490	465
4.	बिहार	991.75	1136.88	1602.62	30.44	102597	282797	284063	946
5.	छत्तीसगढ़	1243.18	1041.57	1110.35	497.54	251674	160851	184497	19522
6.	गुजरात	213.07	585.09	491.84	76.58	49160	103752	67653	3740
7.	हरियाणा	69.11	59.04	84.20	17.19	9855	8837	9077	448
8.	हिमाचल प्रदेश	205.28	284.94	219.46	30.15	50193	48283	22052	127
9.	जम्मू एवं कश्मीर	78.80	128.71	210.68	2.24	7643	21360	60224	97
10.	झारखंड	749.97	842.47	830.90	174.12	95473	133296	131149	2931
11.	कर्नाटक	287.64	2003.43	1097.85	25.84	27009	445930	131575	634
12.	केरल	153.75	339.71	480.34	20.21	14344	43596	67970	3
13.	मध्य प्रदेश	2946.97	2624.00	2198.18	185.93	979026	678717	467119	4505
14.	महाराष्ट्र	419.85	274.35	200.00	35.53	32510	22630	28240	4407
15.	मणिपुर	285.62	306.18	295.61	3.88	137006	101	109339	0
16.	मेघालय	86.31	148.48	199.81	1.35	26323	13453	19576	6
17.	मिजोरम	125.82	170.33	165.98	3.83	91758	7059	131970	0
18.	नागालैंड	202.70	284.27	334.34	0.00	34070	103436	190261	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	उड़ीसा	432.58	554.09	976.57	113.40	52459	82710	204229	2670
20.	पंजाब	39.89	77.17	75.40	17.30	3970	7702	5243	154
21.	राजस्थान	4829.55	4498.10	3026.22	616.29	2631892	1514420	495830	9065
22.	सिक्किम	26.34	43.27	48.14	1.68	2863	12633	25695	88
23.	तमिलनाडु	1203.59	2390.75	2685.93	460.53	508122	760689	1102070	708
24.	त्रिपुरा	351.12	460.22	374.51	47.18	56930	214218	81442	8
25.	उत्तर प्रदेश	2272.21	3559.23	3348.97	508.31	647525	796929	600559	4738
26.	उत्तरांचल	104.33	182.41	230.20	13.29	12633	20664	25412	188
27.	पश्चिम बंगाल	786.61	1551.68	1553.08	116.50	23050	72123	104967	400
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.00	5.83	4.03	0.26	12	657	174	0
29.	दादरा व नगर हवेली	0.48	0.70	0.47	0.00	66	24	0	0
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
31.	गोवा	0.00	1.85	3.70	0.80	0	121	412	0
32.	लक्षद्वीप	1.82	1.41	1.34	0.00	481	20	71	0
33.	पुडुचेरी	1.64	9.07	11.27	0.09	0	385	137	0
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	कुल	21632.48	28359.46	25715.24	3127.26	6521268	7083663	5561812	56398

[हिन्दी]

छपरा एक्सप्रेस दुर्घटना

3762. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के काशीराम नगर जिले में पटियाली-दरियागंज रेलवे स्टेशन के बीच छपरा एक्सप्रेस की चौकीदार रहित समपार पर एक बस के साथ टक्कर हो जाने के कारण हुई दुर्घटना में अनेक लोग मोर गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को रेलवे द्वारा किए गए मुआवजे और दुर्घटना में घायलों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख जी हां। 07.07.2011 को 01.49 बजे जब गाड़ी सं. 15108 डाउन मथुरा-छपरा एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर

मंडल के कासगंज-कानपुर-अनवरगंज खंड के पटियाली-दरयावगंज स्टेशनों के बीच चल रही थी तभी यह बिना चौकीदार वाले समपार संख्या 209/सी पर एक बस के साथ टकरा गई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, बस में यात्रा कर रहे 39 व्यक्तियों ने अपनी जानें गवाईं और 33 व्यक्ति घायल हो गए थे। रेल गाड़ी के किसी भी यात्री को कोई भी चोट नहीं आई थी।

लखनऊ स्थित नागर विमानन के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त (सी आर सस)/पूर्वोत्तर सर्कल द्वारा उपर्युक्त दुर्घटना की सांविधिक जांच की गई है। अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन्होंने अनंतिम रूप से निष्कर्ष दिया है कि बस ड्राइवर द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई। तदनुसार, उन्होंने दुर्घटना का कारण 'रेलवे कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की चूक' ठहराया है।

(ग) सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के मामले में, जिनमें रेलवे यात्री शामिल नहीं होते हैं, क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 अथवा दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत रेलवे की कोई सांविधिक जिम्मेदारी नहीं है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 161 के अंतर्गत लापरवाही से समपार पार करना एक दंडनीय अपराध है। मोटर व्हीकल ऐक्ट, 1988 की धारा 131 के अनुसार भी मोटर वाहन के ड्राइवर को भी रेलपथ पार करते समय विभिनन सावधानियां अपनानी होती हैं। बहरहाल, पीड़ित अथवा उसका आश्रित मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण से संपर्क करके क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है और क्षतिपूर्ति का तभी भुगतान किया जाएग जब रेलवे प्रशासन के भाग की कोई भी लापरवाही सिद्ध हो जाती है।

बहरहाल, दुर्घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मानवीय आधार पर, प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2,00,000/- रुपए, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000/- रुपए और मामूली रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 10,000/- रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। तदनुसार, रेलवे द्वारा अब तक 84,80,000/- रुपए की राशि वितरित की गई है।

एमएसएमई को ऋण

3763. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा बार-बार ब्याज दर बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईजी) के लिए ऋण के धीमे प्रवाह की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं कि इन उद्योगों को कम ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) मध्य मार्च 2010 से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट को कुल 325 बेसिस प्वाइंटों द्वारा ग्यारह बार बढ़ाया है क्योंकि 2010-11 के अधिकांश हिस्से और 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति लगातार आरबीआई की सहजता स्तर से ऊपर रही है। मुद्रास्फीति संबंधी दबाव विधि कारणों से बने रहे हैं।

आरबीआई द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण प्रवाह बढ़ा है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से एनएसएमई के लिए बकाया ऋण मार्च 2010 में 3,75,412 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2011 (अनंतिम) में 4,85771 करोड़ रुपये हो गया। (स्रोत: आरबीआई)

(ग) आरबीआई द्वारा ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त किया गया है और बैंकों के ऋण दरों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) व्यवस्था को बदलते हुए 1 जुलाई, 2010 से बेस रेट सिस्टम लाया गया है।

प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एमएसएमई पर कार्य दल की सिफारिशों के संबंध में, आरबीआई ने जून 2010 में बैंकों को सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण में 20 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की सलाह दी है। इसके अलावा, बैंकों को सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई एडवांसों का 60 प्रतिशत आबंटित करने की सलाह दी गई है, जिसे चरणों में प्राप्त किया जाना है, अर्थात वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत। सरकार एमएसई को ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और निष्पादन व क्रेडिट रेटिंग योजना जैसी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

नई रेलगाड़ियों के लिए प्रस्ताव

3464. श्री सज्जन वर्मा:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री समीर भुजबल:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री मानिक टैगोर:

श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री जे. रमेश:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत एक वर्ष में नई एक्सप्रेस इंटरसिटी/ ईएमयू/ मेमू/राजधानी/गरीब रथ/दूरोन्तो/एसी डबल डैकर रेलगाड़ियां शुरू करने के बारे में विभिन्न राज्यों से राज्य-वार/जोन-वार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और उक्त रेलगाड़ियां शुरू करने हेतु नियत समय सहित प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भारतीय रेलें नई गाड़ियां राज्यों के आधार पर नहीं चलती हैं क्योंकि रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर एक्सप्रेस/इंटरसिटी/ईएमयू/मेमू/राजधानी/गरीब रथ/दुरांतो/एसी डबल डैकर गाड़ियों सहित नई गाड़ियां चलाने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात औचित्य के आधार पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। बहरहाल, इन अभ्यावेदनों के आंकड़ों के विस्तृत विवरण नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत में विदेशी कंपनियां

3765. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों से विभिन्न दस्तावेज भरने/पंजीकृत करने हेतु शुल्क/प्रभार के रूप में राजस्व प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कंपनियों से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 820 विदेशी कंपनियां पंजीकृत की गई हैं।

(ग) एवं (घ) सरकार को पिछले तीन वर्षों (2008, 2009 एवं 2010) में फाइलिंग/पंजीकरण शुल्कों के रूप में क्रमशः 6. 91 करोड़ रुपए, 9.56 करोड़ रुपए एवं 8.24 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

विवरण

वर्तमान में भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों की राज्य-वार सूची

राज्य	विदेशी कंपनियों की संख्या (18.8.2010 के अनुसार)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	74
असम	1
चंडीगढ़	3
छत्तीसगढ़	2
दिल्ली	1521
गोवा	3
गुजरात	40
हरियाणा	179
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू एवं कश्मीर	1
झारखंड	2
कर्नाटक	248
केरल	17

1	2
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	744
उड़ीसा	10
पुदुचेरी	1
पंजाब	2
राजस्थान	6
तमिलनाडु	187
उत्तर प्रदेश	40
पश्चिम बंगाल	54
कुल	3138

अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण

3766. श्री निशिकांत दुबे: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड सहित देश में नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसके आरंभ से प्रशिक्षित की गई अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है।

पी.यू.आर.ए. योजना

3767. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं (पी.यू.आर.ए.) योजना के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं से रोजगार तथा साथ ही प्रशिक्षण के द्वारा कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में पुरा योजना को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया है। योजना के कार्य क्षेत्र में चयनित ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों के समूहों में आजीविका अवसरों, शहरी सुविधाओं तथा अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए निजी सहभागियों का चयन करना आता है। निजी सहभागियों को उनकी क्षेत्र से पहचान और जमीनी स्तर पर कार्य करने के उनके पुराने अनुभव के आधार पर पुरा परियोजनाओं को लेने के लिए ग्राम पंचायत को चिन्हित और चयन करने में लचीलापन प्रदान किया गया है। तथापि, संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति और राज्य सरकार से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है।

निजी क्षेत्र के सहभागिकयों की पहचान के लिए दो-स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद मंत्रालय ने संलग्न विवरण में दिए गए राज्य वार ब्यौरे के अनुसार देशभर में 9 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 संगठनों को अर्हता दी है।

वर्तमान में, विभिन्न निजी डेवल्परों द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही हैं। मंत्रालय द्वारा डीपीआर के मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद परियोजनाओं को पूरी तरह सौंपा जाएगा। विभिन्न परियोजना संबंधी करारों के बाद कार्यान्वयन चरण शुरू होगा।

विवरण

डीपीआर की तैयारी के लिए अर्हता प्राप्त संगठन (वर्णानुक्रम में)

क्र.सं.	निजी सहभागियों के नाम	प्रस्तावित पुरा योजना के लिए जिला एवं राज्य का नाम
1.	आईएल एण्ड एफएस लि.	जयपुर जिला, राजस्थान
2.	आईएल एण्ड एफएस लि.	राजसमंद जिला, राजस्थान
3.	आईएल एण्ड एफएस लि.	देहरादून जिला, उत्तरांचल
4.	इंफ्रास्ट्रक्चर केरल लि.	थिरूसुर जिला, केरल
5.	इंफ्रास्ट्रक्चर केरल लि	मल्लापुरम जिला, केरल
6.	माग्र लि.	कराईकल जिला, पुदूचेरी
7.	मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश
8.	सरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि.	संगली जिला, महाराष्ट्र
9.	एसवीईसी कंस्ट्रक्शंस लि.	वारांगल जिला, आंध्र प्रदेश

उर्वरकों की भंडार स्थिति

3768. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार के पास प्रत्येक राज्य विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में डीएपी, काम्पलेक्स, यूरिया और एमओपी की भंडार स्थिति संबंधी ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों की सहायता हेतु प्रत्येक राज्य में ऐसे आंकड़े कब तक सुनिश्चित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अप्रैल 2011 से जुलाई 2011) के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की आंध्र-प्रदेश सहित राज्य-वार तुलनात्मक स्टॉक स्थिति (उपलब्धता) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान राज्यों को आयातित उर्वरकों की वर्षवार मात्रा

(आंकड़े लाख मी.टन में)

राज्य का नाम	वर्ष	यूरिया उपलब्धता	डीएपी उपलब्धता	एमओपी उपलब्धता	मिश्रित उपलब्धता
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	2008-09	27.84	9.97	6.27	16.50
	2009-10	26.16	8.89	6.07	18.69

1	2	3	4	5	6
	2010-11	31.73	10.40	6.09	22.12
	2011-12*	7.26	3.86	0.72	6.82
कर्नाटक	2008-09	12.88	8.12	5.14	8.44
	2009-10	13.77	8.46	6.12	10.95
	2010-11	14.28	8.46	4.24	13.78
	2011-12*	5.13	3.79	0.74	7.18
केरल	2008-09	12.88	8.12	5.14	8.44
	2009-10	13.77	8.46	6.12	10.95
	2010-11	1.44	0.42	1.58	2.28
	2011-12*	0.67	0.17	0.53	0.88
तमिलनाडु	2008-09	11.28	3.85	5.95	3.55
	2009-10	9.98	2.94	5.14	6.18
	2010-11	10.23	3.20	4.74	6.91
	2011-12*	2.81	1.32	0.95	2.25
गुजरात	2008-09	18.69	8.24	2.26	4.92
	2009-10	18.21	7.64	2.86	4.20
	2010-11	21.26	8.11	2.02	6.62
	2011-12*	6.37	3.54	0.62	2.40
मध्य प्रदेश	2008-09	13.83	8.31	1.17	2.20
	2009-10	16.00	9.52	1.67	2.48
	2010-11	17.05	10.94	1.36	3.55
	2011-12*	4.26	3.87	0.22	1.50
छत्तीसगढ़	2008-09	5.23	2.31	0.95	1.23
	2009-10	5.27	2.65	0.96	1.04
	2010-11	5.56	2.41	0.96	1.32
	2011-12*	2.62	1.19	0.19	0.99

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	2008-09	22.84	10.19	5.17	10.40
	2009-10	22.87	13.83	7.07	11.25
	2010-11	25.52	14.35	6.52	17.98
	2011-12*	9.87	4.84	0.65	7.96
राजस्थान	2008-09	13.21	5.90	0.32	0.67
	2009-10	13.37	5.86	0.55	0.78
	2010-11	15.73	7.20	0.35	1.40
	2011-12*	3.68	2.29	0.07	0.33
हरियाणा	2008-09	17.59	6.69	0.47	0.31
	2009-10	18.05	6.66	0.90	0.48
	2010-11	18.75	7.40	0.66	0.69
	2011-12*	6.15	2.61	0.11	0.34
पंजाब	2008-09	26.28	8.82	0.98	0.59
	2009-10	24.65	8.08	1.00	0.57
	2010-11	27.61	9.04	1.06	1.05
	2011-12*	10.71	2.48	019	0.50
उत्तर प्रदेश	2008-09	55.74	15.12	2.79	7.44
	2009-10	53.64	16.51	3.47	9.47
	2010-11	55.08	17.71	2.17	10.61
	2011-12*	17.04	3.76	0.46	4.82
उत्तराखंड	2008-09	2.22	0.31	0.08	0.51
	2009-10	2.33	0.38	0.04	0.41
	2010-11	2.24	0.28	0.05	0.57
	2011-12*	1.00	0.12	0.01	0.17
जम्मू और कश्मीर	2008-09	1.28	0.59	0.14	0.07
	2009-10	1.22	0.48	0.18	0.00

1	2	3	4	5	6
	2010-11	1.28	0.81	0.19	0.00
	2011-12*	0.40	0.25	0.00	0.00
बिहार	2008-09	18.33	4.12	2.28	2.59
	2009-10	17.04	3.98	2.26	2.68
	2010-11	16.96	4.60	2.00	3.14
	2011-12*	4.37	0.95	0.15	0.90
झारखंड	2008-09	1.57	0.80	0.16	0.38
	2009-10	1.50	0.82	0.17	0.69
	2010-11	1.36	0.66	0.08	0.36
	2011-12*	0.69	0.23	0.02	0.18
उड़ीसा	2008-09	4.74	1.89	1.53	2.66
	2009-10	4.74	2.20	1.36	2.33
	2010-11	4.74	2.20	1.36	2.33
	2011-12*	1.68	0.80	0.25	1.27
पश्चिम बंगाल	2008-09	11.94	4.03	4.80	7.29
	2009-10	11.71	4.56	4.97	8.39
	2010-11	11.26	4.64	3.29	8.95
	2011-12*	3.24	1.31	0.31	2.17
असम	2008-09	2.30	0.14	1.08	0.06
	2009-10	2.56	0.22	0.97	0.06
	2010-11	2.50	0.29	0.96	0.11
	2011-12*	0.77	0.13	0.11	0.09
अखिल भारत	2008-09	270.88	99.78	43.34	72.26
	2009-10	265.97	104.09	47.60	83.38
	2010-11	284.62	113.09	39.83	104.39
	2011-12*	89.34	37.56	6.36	40.90

*आंकड़े जुलाई 2011 तक हैं।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि पर पौधरोपण

3769. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे की भूमि पर पौधरोपण कार्यक्रम को विशेष बल प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु जोन-वार/राज्य-वार निर्धारित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु क्या लक्ष्य/उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पौधारोपण द्वारा पर्यावरण में सुधार करने की रेलवे की वचबद्धता ओ रेल भूमि को अनाधिकृत कब्जे से बचाने के दृष्टिगत रेलवे पेड़ लगाने के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करती हैं खाली रेल भूमि सामान्यत: रेलपथ के साथ पतली पट्टियों के रूप में है। जहां-कहीं व्यावहारिक होता है, वहां रेलवे खाली भूमि पर इस तरीके से बड़े पैमाने पर पौधारोपण शुरू करती है कि इससे रेलपथ की दृश्यता और गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन बाधित न हो।

2009-10 और 2010-11 के दौरान हर साल लगभग 94 लाख छोटे पौधे लगाए गए थे। 2011-12 के दौरान, 100 लाख छोटे पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

रेलवे लाइनों हेतु सर्वेक्षण

3770. श्री अशोक अर्गल:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भिंड-उरई-रथ-महुआ और सीतापुर-लखनऊ मार्ग के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बुदेलखंड को भिंड-महुआ मार्ग से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त मार्गों पर रेल लाइनें बिछाने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त कार्य से कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भिंड-ओरई-रथ-महोबा नई लाइन के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत हो गया है और सर्वेक्षण शुरू हो गया है। लखनऊ, डालीगंज के रास्ते और बलामऊ के रास्ते दो वैकल्पिक मार्गों से सीतापुर से पहले ही जुड़ा हुआ है।

(ख) और (घ) फिलहाल भिंड, ग्वालियर और झांसी के रास्ते महोबा से जुड़ा हुआ है। इस रेल मार्ग से बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए कोई नई लाइन का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

औषधियों को बढ़ावा देने हेतु सांठगांठ

3771. डॉ. बलीराम:
डॉ. अनूप कुमार साहा:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषधियों को बढ़ावा देने हेतु डाक्टरों, दवा की दुकानों और औषध विनिर्माताओं के बीच कथित सांठगांठ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औषधियों को बढ़ावा देने हेतु इस प्रकार के अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए इस मुद्दे का औषध विनिर्माताओं के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार ने भेषज विपणन आचार की एक समान संहिता के प्रारूप को परिचालित किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने के पश्चत् तैयार की गई संहिता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए हैं?

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (छ) औषधि कंपनियों द्वारा किए जाने वाले संवर्धन खर्चों के संबंध में हाल ही में समाचार पत्रों से कुछ खबरें छपी थीं। इन खबरों में यह कहा गया था कि कतिपय औषधि कंपनियों द्वारा कुछ अनुचित विपणन परिपाटियां अपनाई जा रही

हैं। खबरों में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस विभाग ने उपभोक्ताओं/मरीजों के हित में इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता समझी, क्योंकि डॉक्टरों को दिए जा रहे इस प्रकार के संवर्धन व्यय का दवाइयों के मूल्यों तथा उनकी वहनीयता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फर्मा एसोसिएशनों/उद्योग के साथ इन मामलों पर चर्चा करने के बाद औषध विभाग ने समान भेषज विपणन परिपाटी (यूसीपीएमपी) संहिता का प्रारूप तैयार किया है जिसे पहले स्वेच्छा से अपनाया जाना है। सभी संबधित पक्षों के अभिमत प्राप्त करने के लिए यूसीपीएमपी को औषध विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है। अभिमत प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

ओएनजीसी द्वारा आरंभ किया गया अन्वेषण कार्य

3772. श्री सी.एल. रूआला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा देश में विशेष रूप से मिजोरम में गत तीन वर्षों के दौरान आरंभ किए गए अन्वेषण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त कंपनियों द्वारा इस संबंध में पूर्ण किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों से तेल और गैस की संभाव्यता के संबंध में कुल कितना आकलन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में संबंधित राज्य हेतु लाभ में कितनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां पूर्वी और पश्चिमी अपतट, अंडमान अपतट, असम, अरूणाचल, प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में अन्वेषण कार्य कर रही हैं। देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 540 कूपों का वेधन किया गया है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान 324492 जीएलके द्विआयामी और 172865 वर्ग कि.मी. त्रिआयमी सर्वेक्षण किया गया है।

जहां तक मिजोरम का संबंध है, इस राज्य में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के विभिन्न दौरों के तहत उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के अंतर्गत कुल तीन ब्लाक प्रदान किए गए हैं।

(ग) देश में तेल और गैस के सिद्ध और संभाव्य भंडार 728.3 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तेल और 1228.8 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) गैस है।

(घ) पीएससी व्यवस्था के तहत संबंधित राज्य सरकारें जमीनी ब्लाकों से तेल और गैस उत्पादन पर पीएससी प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रायल्टी दरों के अनुसार रायल्टी तथा अन्य लागू सांविधिक शुल्क, उद्ग्रहण और कर प्राप्त करती हैं।

इच्छामती नदी

3773. डॉ. सुचारु रंजन हल्दर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इच्छामती नदी को बारहमासी और परिवहन योग्य बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में जून, 2011 में बारनाबेरिया से कालांची सेतु तक बांग्लादेश की सीमा के साथ इच्छामती नदी के लगभग 20 किलोमीटर के सामन्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तलकर्षण का काम पूरा कर लिया गया है, तथापि, खुदाई की मिट्टी को हटाने का कार्य प्रगति पर है। तलकर्षण कार्य की अनुमोदित लागत 38.23 करोड़ रुपए हैं। भारत सरकार 100 प्रतिशत उत्तरी परगना और नादिया जिलों के प्रतिप्रवाह क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से राहत प्रदान करने के साथ-साथ नदी को बारहमासी बनने में भी इससे सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई, 2006 में भारतीय सीमा में कालांची से तेंतुलिया सेतु तक इच्छामती नदी क्षेत्र में गाद निकालने (अवसादन) कार्य भी किया है।

रूस में आईईसी तेल क्षेत्रों की खरीद

3774. श्री उदय सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा 10320 करोड़ रुपये की लागत पर रूस में इम्पीरियल एनर्जी कार्प (आईईसी) तेल क्षेत्रों की खरीद किए जाने के परिणास्वरूप इसके प्रचालन के पहले दो वर्षों के दौरान भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने यह पाया है कि उनके द्वारा रूस में खोदे गए अधिकांश तेल कुएं सूखे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने रूस में ऐसे तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए किन्हीं तकनीकी परामर्शदाताओं की राय ली थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) 2009-10 के दौरान इम्पीरियल एनर्जी समूह को कर उपरांत 200.72 मिलियन अमरीकी डालर बही खाता हानि हुई थी जो 2010-11 के दौरान घट कर 161.37 मिलियन अमरीकी डालर रह गई थी। तथापि, 2009-10 के दौरान, इम्पीरियल एनर्जी समूह को 8.97 मिलियन अमरीकी डालर का प्रचालन लाभ हुआ था जो 2010-11 के दौरान बढ़ कर 43.37 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

इस परियोजना की अवधि 20 वर्ष से अधिक है। परियोजना की साध्यता, परियोजना के जीवनकाल में नकद प्रवाह आधार पर मानी जाती है न कि मात्र प्रथम दो वर्षों के प्रचालन के आधार पर।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वेधित कूपों से सफलता का अनुपात 95 प्रतिशत तक है। ओवीएल ने अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यथोचित परिश्रम करने के लिए, तकनीकी परामर्शदाता के रूप में एक स्वतंत्र रूसी कंपनी मै. पैनजिया को नियुक्त किया था।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत मजदूरी

3775. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों में दी जा रही मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित मजूदरी दर की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत मजदूरी दर के रूप में अपनाया गया था और इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। मनरेगा के अंतर्गत स्थापित मजदूरी नीति के अनुसार मजदूरी दरों में सभी प्रकार के परवर्ती संशोधनों का आधार यही दर है। अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार, सरकार ने कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए अधिसूचित मजदूरी दर की सूची बनाकर मनरेगा के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में मजदूरी में संशोधन किया था। चूंकि सभी राज्यों ने 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार श्रम की मांग और आपूर्ति, अपनी आर्थिक क्षमता और अन्य राज्य विशिष्ट परिवर्तनों के आधार पर अलग-अलग मजदूरी दरें निर्धारित की थीं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में मजदूरी दरें अलग-अलग हैं। मनरेगा की अनुसूची I के पैरा 7, 8 और 8क में निहित प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी का भुगतान किए गए कार्यों के अनुसार और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के हिसाब से किया जाता है। सभी राज्य सरकारों को मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार ही श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना होता है।

[हिन्दी]

कालका-शिमला मार्ग हेतु ट्रेन कार

3776. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ऐतिहासिक कालका-शिमला मार्ग पर पर्यटकों की भारी मांग के दृष्टिगत चार और यात्री ट्रेन कार खरीदने की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ट्रेन का विनिर्माण कंपनियों ने अब इन कारों का विनिर्माण करना बंद कर दिया है जिसके कारण इन कारों की खरीद में कठिनाइयां आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इन कारों की खरीद के लिए किसी वैकल्पिक तरीके पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेलवे कालका-शिमला मार्ग के लिए ट्रेन कारें (रेल कारें) खरीदने की तैयारी कर रही हैं। 5 अदद रेल कार की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली गई है। बाजार से सीधे खरीदने के विकल्प अथवा आंतरिक निर्माण हेतु पता लगाय जा रहा है।

(ग) कालका-शिमला खंड पर मौजूदा ट्रेन कारें (रेल कार) 1927 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनरल मोटर्स द्वारा तैयार की गयी थीं। भारत में रेल कारों के कोई भी विनिर्माता नहीं है। रेल कारें नियमित रूप से निर्माण करने से संबंधित मद नहीं है, लेकिन इन्हें आदेश के आधार पर विशेष तौर पर प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकता के मद्देनजर तैयार किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां, इस मार्ग में सामान्य गाड़ी सेवाएं चल रही हैं।

[अनुवाद]

एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग

3777. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस एजेंसियां विशेष रूप से हरियाणा में पिछले सिलेंडर की आपूर्ति से 21 दिनों से पहले गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के अनुरोध को दर्ज नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रिफिल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में औसत कितना समय लगता है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुड़गांव और अन्य शहरों में पाइप गैस आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास आपूर्ति की कोई बाधा नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी आपूतियां, ओएमसीज द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार की जा रही हैं। हरियाणा सहित देश में ग्राहकों द्वारा रीफिल बुकिंग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है या समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

रीफिल बुकिंग की सामान्य प्रणाली के अतिरिक्त, ग्राहक लघु संदेश सेवा (एसएमएस) बुकिंग और इन्टेरेक्टिव वाइस रिस्पास प्रणाली (आईवीआरएस) बुकिंग के माध्यम से संबंधित ओएमसीज के पास सीधे अपने रीफिल बुक कर सकते हैं। जब कभी ग्राहकों द्वारा रीफिल बुकिंग के लिए अनुरोध किया जाता है, ये प्रणालियां उसे स्वीकार करती हैं।

गुजरात राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए थे कि ग्राहक पिछली आपूर्ति के केवल 21 दिनों के बाद ही रीफिल बुक कर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा रीफिल बुकिंग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ग) ओएमसीज ने अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को सामान्य परिस्थितियों के तहत वास्तविक पंजीकृत घरेलू ग्राहकों को रीफिल बुकिंग के 48 घंटों में एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। तथापि, उत्पादन बाधाओं, हड़ताल, सड़क टूटने, बाढ़, आकस्मिक बंदी, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण कई बार रीफिल आपूर्तियों में विलंब होता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। गुड़गांव और विभिन्न कस्बों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरों तक पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) सुविधाओं का विस्तार हाथ में लिया गया है, तथापि, इसके कार्यान्वयन की समयसीमा तकनीकी व्यवहार्यता और विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमति जैसे नगर प्राधिकारियों से खुदाई की अनुमति आदि की उपलब्धता के अधीन है।

[हिन्दी]

दूरस्थ क्षेत्रों में एमजीएनआरईजीएस

3778. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हाल ही में कुछ पहल की है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) मंत्रालय नियमित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की समीक्षा करता है। देशभर में इसके निष्पादन की निगरानी के लिए निम्नलिखित तंत्र शुरू किया गया है। विशिष्ट शिकायतों के मामलों में राष्ट्रीय स्तर की निगरानीकर्ताओं और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन किया जाता है। गंभीर मुद्दों की जांच के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में केंद्रीय दल भी नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यों द्वारा निष्पादन की समीक्षा के लिए दौरे भी किए जाते हैं। महात्मा गांधी नरेगा सहित मंत्रालय की सभी योजनाओं के निष्पादन के लिए तिमाही आधार पर आयोजित निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में समीक्षा की जाती है। अंतिम पीआरसी दिनांक 6.6.2011 को आयोजित हुई थी।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित है और देश के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(1) के अनुसार अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के अनुसार एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए इस तरह का कार्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को प्रावृत करने के लिए योजना की अधिसूचना जारी करेगी। सभी राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना तथा मजदूरी देनी होती है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान दिनांक 31.3.2011 तक महात्मा गांधी नरेगा के लिए 121861.19 करोड़ रुपये का परिव्यय (संशाधित अनुमान) आबंटित किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के लिए 40000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का आयात

3779. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरकों के आयात में वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरकों के नाम क्या हैं और वर्ष 2011-12 के दौरान कितनी मात्रा में उनका आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उनका आयात किए जाने के कारण कितनी अतिरिक्त राजसहायता की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार के समक्ष बहुत सारे आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रणाधीन है और इसका आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कृषि प्रयोग के लिए आयात किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार और ओमिफ्को के बीच दीर्घावधि यूरिया उठान करार (यूओटीए) के अंतर्गत ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को), सुर, ओमान से सरकार लगभग 2 मिलियन मी. टन दानेदार यूरिया का प्रति वर्ष आयात करती है। उर्वरक विभाग प्रत्येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ और रबी के दौरान मांग-आपूर्ति स्थिति की समीक्षा करता है और अन्तर के आधार पर यूरिया के आयात की मात्रा निर्धारित करता है। यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों का आयात उनके वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किया जाता है। तथापि, सरकार इन उर्वरकों की समुचित और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी मुख्य उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी कर रही है। सरकार आयातित पीएण्डके उर्वरकों जैसे डीएपी, एमएपी, टीएसपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत राजसहायता का भुगतान कर रही है।

(ग) सरकार उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान के लिए बजट में पर्याप्त निधि का आबंटन कर रही है। प्रत्येक वर्ष निधि की स्थिति की समीक्षा की जाती है और संशोधित अनुमान तैयार करते समय आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) कंपनियां अपनी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना करने का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। इन नई यूरिया परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित कंपनियां नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना करना चाहती है:-

(i) मैसर्स मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल।

(ii) मैसर्स डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड/कानपुर/जेपी समूह।

(iii) जीएमएफसी दाहेज।

(iv) ओसवाल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।

(v) इफ्को-नेल्लौर फर्टिलाइजर्स परियोजना।

खादी उत्पादों का विपणन

3780. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:
श्री सी. शिवासामी:
श्री पी. कुमार:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग निगम (केवीआईसी) ने देश के कुछ वाणिज्यिक केंद्रों में 20 नए खादी प्लाजा की स्थापना करने के लिए प्रसिद्ध विपणन फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन स्थलों की पहचान की गई;

(ग) क्या इससे घाटे में चल रही खादी इकाइयों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में खादी उत्पादों के लिए बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) तथापि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार 2009-10 से तीन वर्षों की अवधि में 300 चुनिंदा खादी संस्थानों में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के साथ केवीआईसी के माध्यम से एक विस्तृत 'खादी सुधार व विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) चला रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विपणन को सुगम बनाने, उत्पाद विकास, बिक्री केंद्रों के नवीनीकरण, आदि में प्रोफेशनल सहायता के साथ संयुक्त उद्यम के तहत एक विपणन संगठन की स्थापना के अलावा महानगरों में और राज्यों की राजधानियों में 20 नए बिक्री केंद्रों के खोले जाने और लगभग 1200 संस्थागत बिक्री केंद्रों की मरम्मत तथा आधुनिकीकरण में सहायता में सहायता का प्रावधान है। केवीआईसी ने पहले ही एक संयुक्त उद्यम के रूप में विपणन संगठन की स्थापना के लिए एक उपयुक्त निजी भागीदार के चयन हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित कर दिया है।

मिनरल वाटर रिफिलिंग मशीन

3781. **श्री समीर भुजबल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे यात्रियों की सुविधा हेतु प्रत्येक स्टेशन पर मिनरल वाटर रिफिलिंग मशीन लगाने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित स्टेशनों की सूची क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए वेब पोर्टल में खराबी

3782. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के आरंभ किए गए नए वेब पोर्टल ने हाल ही में टिकट जारी करने के पश्चात् बैंक खाते से आवश्यक धनराशि की कटौती नहीं की;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए की भविष्य में ऐसी चूकें न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) भुगतान प्रवेशद्वार की तकनीकी समस्या के कारण कुल 1367 रुपए राशि की 5 टिकटों का लेखा-जोखा नहीं रखा जा सका।

(ग) वेब-पोर्टल पर ई-टिकट की सुविधा अस्थाई रूप से रोक दी गई है ताकि भुगतान प्रवेशद्वार में तकनीकी समस्याओं का निवारण किया जा सके।

[अनुवाद]

पीसीपीआईआर की स्थापना

3783. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी अब तक पहचान की गई है और उक्त निवेश क्षेत्र की स्थापना की गई है तथा राज्य-वार अनुमोदन हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पीसीपीआईआर की स्थापना करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में कितनी सहातया प्रदान की गई है?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) अब तक भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य सरकारों के पीसीपीआईआर प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

(ग) पीसीपीआईआर नीति के अनुसार:

पेट्रोलियम रसायन एवं पेट्रोल्रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन के घरेलू एवं निर्यात उन्मुख उत्पादन के लिए सेवाओं एवं अवसंरचना के साथ विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु एक सुनियोजित 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फेला हुआ एक विशेष रूप से चिन्हित निवेश क्षेत्र होगा।

पीसीपीआईआर के लिए न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र कुल चिन्हित क्षेत्र का लगभग 40% अर्थात् लगभग 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र होगा। प्रसंस्करण क्षेत्र मुख्य क्षेत्र से सटा हुआ या नहीं सटा हुआ भी हो सकता है।

पीसीपीआईआर में एक या एक से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, मुक्त व्यापार एवं भंडार क्षेत्र, निर्यात उन्मुख इकाई, या वृद्धि उन्मुख उद्योग केन्द्र हो सकते हैं जो कि संगत केन्द्रीय या राज्य के कानून या नीति के अधीन विधिवत् रूप से अधिसूचित होंगे। पीसीपीआईआर का हिस्सा बनने के बाद भी उक्त क्षेत्रों या पार्कों को उपलब्ध संगत कानून या नीति में उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त होते रहेंगे।

संबंधित राज्य सरकार को पीसीपीआईआर के लिए आवश्यक संपूर्ण क्षेत्र के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए समुचित योजना एवं क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए प्रासंगिक अधिनियम के अधीन इसे अधिसूचित करेगी।

प्रत्येक पीसीपीआईआर में एक एंकर टीनेंट प्रमुख भागीदार के रूप में रिफाइनरी/पेट्रोरसायन फीडस्टॉक कंपनी होगी।

भारत सरकार पीसीपीआईआर के रेल, रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग), पत्तन, हवाईअड्डा एवं दूरसंचार सहित वाह्य भौतिक आधारभूत अवसरंचना की उपलब्धता समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करेगी। जहां तक संभव होगा, ये अवसंरचनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से सृजित/उन्नत की जाएंगी। केन्द्र सरकार मौजूदा स्कीमों के माध्यम से आवश्यक व्यवहार्यता निधि अंतर को पूरा करेगी। आवश्यकता पड़ने पर, जहां तक संभव होगा सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन लिंकेजो के सृजन के लिए अपेक्षित बजटीय सहायता भी दी जा सकती है।

पीसीपीआईआर में वैश्विकरण निवेश के साथ-साथ घरेलू निवेश भी सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण में भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार एवं इसकी एजेंसियों को सूचना के प्रचार-प्रसार में सहयोग करेगी।

जल संसाधन प्रबंधन में पीपीपी

3784. श्री एम.आई. शानवास: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जल संसाधन की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे भागीदारी प्रयासों की लागत के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति 2002 देश में जल संसाधनों की आयोजना, विकास तथा प्रबंधन में नजी क्षेत्र की भागीदारी के विषय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुबंधित करती है:

''विविध उपयोगों हेतु जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास तथा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को जहां कहीं भी संभव हो, बढ़ावा देना चाहिए। निजी क्षेत्र भागीदारी से नवीन विचारों को आगे लाने, वित्तीय संसाधनों के सृजन तथा निगमित प्रबंधन आरंभ करने एवं उपयोगकर्ताओं की सेवा क्षमता और जवाबदेही में सुधार करने में सहयोग मिलेगा। विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर, जल संसाधन सुविधाओं के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, पट्टे पर देने तथा स्थानांतर में निजी क्षेत्र भागीदारी के अनेक संयोजनों पर विचार किया जा सकता है।''

(ख और (ग) जल राज्य का एक विषय होने के कारण, राज्य सरकारें अपने-संबंधित राज्यों में जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास तथा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

[हिन्दी]

न्यायालयों की संख्या

3785. योगी आदित्यनाथ:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री अधीर चौधरी:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत ग्राम न्यायालयों, निचली अदालतों, परिवार न्यायालयों, न्यायाधिकरणों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यों को राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गईं; और

(ग) देश में लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु कुल अनुमातिन कितने न्यायालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में कुटुंब न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों की संख्या संलग्न का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस संबंध में, राज्यवार जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः उच्च न्यायालयों के परामर्श से निम्न न्यायालय सृजित करती हैं।

अधिकरणों के संबंध में केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 62 अधिकरण/प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः उच्च न्यायालयों के परामर्श से सृजित किए गए निम्न न्यायालयों का ऐसा कोई निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

विवरण-I

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, कुटुंब न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य में कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की संख्या	ग्राम न्यायालयों की संख्या	
			अधिसूचित	कार्यरत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	27		

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	2	–	–
4.	बिहार	30	–	–
5.	छत्तीसगढ़	19	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–
7.	दिल्ली	5	–	–
8.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	–	–	–
9.	गोवा	–	–	–
10.	गुजरात	9	–	–
11.	हरियाणा	–	–	–
12.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
13.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–
14.	झारखंड	8	–	–
15.	कर्नाटक	10	–	–
16.	केरल	16	–	–
17.	लक्षद्वीप	–	–	–
18.	मध्य प्रदेश	15	89	40
19.	महाराष्ट्र	22	9	8
20.	मणिपुर	1	–	–
21.	मेघालय	–	–	–
22.	मिजोरम*	–	–	–
23.	नागालैंड	2	–	–
24.	उड़ीसा$	5	8	1
25.	पंजाब	–	–	–
26.	पुडुचेरी	1	–	–

1	2	3	4	5
27.	राजस्थान#	6	45	0
28.	सिक्किम	1	–	–
29.	तमिलनाडु	6	–	–
30.	त्रिपुरा	3	–	–
32.	उत्तराखंड	7	–	–
33.	पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	–	–
	योग	212	151	47

* चार कुटुंब न्यायालय अधिसूचित।

\# सात और कुटुंब न्यायालय अधिसूचित।

$ सात और कुटुंब न्यायालय अधिसूचित।

विवरण-II

ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता

(रुपये लाख में)

राज्य	जारी की गई राशि			कुल
	वर्ष	अनावर्ती	आवर्ती	
मध्य प्रदेश	2009-10	504.00	128.00	632.00
	2010-11	745.00	0.00	745.00
राजस्थान	2009-10	567.00	0.00	567.00
उड़ीसा	2009-10	12.60	3.20	15.80
	2011-12	88.20	0.00	88.20
महाराष्ट्र	2009-10	113.40	19.20	132.60
कुल		2030.20	150.40	2180.60

2011-12 के लिए आबंटन - रुपये 150 करोड़

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए जारी राशियों का ब्यौरा

वर्ष	राज्य का नाम	अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए योजना के अधीन जारी किया गया रुपये लाख में)	आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए गैर-योजना के अधीन जारी अनुदान (रुपये लाख में)
2008-09			
	बिहार		100.00
	कुल	शून्य	100.00
2009-10			
	महाराष्ट्र	-	90.00
	मिजोरम	-	10.00
	कुल	शून्य	100.00
2010-11			
	महाराष्ट्र	-	195.00
	मिजोरम	40.00	10.00
	उड़ीसा	80.00	25.00
	राजस्थान	70.00	-
	उत्तराखंड	-	210.00
	कुल	190.00	440.00

विवरण-III

तारीख 30 जून, 2010 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या

उच्च न्यायालय	कुल न्यायालय (जिला + तालुक न्यायालय)
1	2
इलाहाबाद	2053
आंध्र प्रदेश	937
बंबई	1843
कलकत्ता	759
छत्तीसगढ़	313
दिल्ली	303
गुजरात	800
गुवाहाटी	378
मध्य प्रदेश	1018
जम्मू-कश्मीर	172

1	2
झारखंड	532
राजस्थान	789
कर्नाटक	773
केरल	402
मद्रास	779
उड़ीसा	399
पटना	1060
पंजाब और हरियाणा	589
शिमला	108
सिक्किम	10
उत्तराखंड	232
कुल	14249

[अनुवाद]

भूमिगत जल ढांचा

3786. **श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कीमती संसाधन (भूजल) के बेहतर प्रबंधन, तार्किक उपयोग तथा उपलब्धता हेतु नए भूजल कानून या भूजल ढांचा बनाने की संभावना के संबंध में अंतमंत्रालयी परामर्श करने की प्रक्रिया से गुजर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय में इस कीमती संसाधन के बेहतर प्रबंधन, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग और उपलब्धता हेतु नए भूजल कानून या ढांचा बनाने की संभावना के संबंध में कोई अंतमंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल की मांग

3787. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों से अब तक यमुना नदी से रा.रा. क्षेत्र दिल्ली की जल की मांग क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पेयजल की वर्ष-वार मात्रा क्या है;

(ग) क्या आपूर्ति मांग के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली की जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान जल की मांग में भारी वृद्धि होती है; और

(च) यदि हां, तो दिल्ली को यमुना नदी से मांग के मुताबिक पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीन्सेंट एच. पाला): (क) दिल्ली जल बोर्ड की सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यमुना नदी से लगभग 330 मिलियन गेलन प्रति दिन जल की मांग की गई है।

(ख) से (घ) दिल्ली को यमुना नदी से जल की आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जाती परंतु इसका विनियमन वर्ष 1994 में बेसिन राज्यों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड की सूचना के अनुसार दिल्ली सामान्यत: 330 मिलियन गेलन जल प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है तथा आपूर्ति मांग के अनुसार है।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड की सूचना के अनुसार यह सच है कि दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जल की मांग से अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(च) जल की कमी के मौसम के दौरान दिल्ली सहित बेसिन राज्यों हेतु मानसून जल का भंडारण करने तथा जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों पर तीन भंडारण परियोजनाएं-रेणुका, किशाऊ और लखवर-व्यासी अभिनिर्धारित

की गई है। भारत सरकार ने इन प्रतिप्रवाह भंडारण परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया है जो उनकी सिंचाई एवं पेयजल घटकों की लागत हेतु 90% केन्द्रीय सहायता की पात्र होंगी।

[अनुवाद]

गायब होती कंपनियां

3788. श्री एस. अलागिरी:
श्री संजय सिंह:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी पहचान गायब होती कंपनियों के रूप में की गई है;

(ख) क्या सरकार ने कार्यरत कंपनियों के गायब होने के कारणों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी गायब हुई कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें देश में वर्तमान में कार्यरत पाया गया है; और

(ङ) इन कंपनियों में प्रोमोटरों/निदेशकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) 238 कंपनियों की पहचान गायब होने वाली कंपनियों के रूप में की गई है।

(ख) से (ङ) जी, हां। इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से निधि उगाहने वाली कंपनियों की निम्नलिखित कारणों से गायब होने वाली कंपनियों के रूप में पहचान की गई

(i) अपने पंजीकृत कार्यालय नहीं बनाना;

(ii) निदेशकों का अता-पता न होना;

(iii) संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों-स्टॉक एक्सचेंजों में 2 वर्षों तक सांविधिक विवरणी/लिस्टिंग अपेक्षाओं की गैर-फाईलिंग। गायब होने वाली कंपनियों के रूप में पहचान की गई 238 कंपनियों में से, 119 कंपनियां अब अपने संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों के पास नियमित रूप से अपनी विवरणी दर्ज कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, 32 कंपनियां परिसमापन में चली गई हैं। अत: आज की स्थिति के अनुसार 87 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पहचान गायब होने वाली कंपनियों के रूप में की गई है। गायब होने वाली 87 कंपनियों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कंपनी एवं उसके निदेशकों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63/68 तथा 628 के तहत विवरीणका में गलत-बयानी, लोगों को कपटपूर्ण तरीके से धन निवेश करने हेतु प्रेरित करने तथा गलत विवरण आदि के लिए 86 अभियोजना दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियों एवं उनके निदेशकों के ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस में 82 एफआईआर भी दायर किए गए हैं।

विवरण

लुप्त कंपनियों की सूची (राज्य-वार)

क्र.सं.	लुप्त कंपनियों के नाम	राज्य
1	2	3
1.	आशी इंडस्ट्रीस लिमिटैड (पूर्व में आशी फार्मकैम लिमिटेड)	गुजरात
2.	भावना स्टील कास्ट लिमिटेड	गुजरात
3.	सिटीजन यार्न्स लिमिटेड	गुजरात

1	2	3
4.	क्रोमाकेम लिमिटेड	गुजरात
5.	फ्रंटलाइन फाइनेशियल सर्विस लिमिटेड	गुजरात
6.	जेन्विन कोमोडिटीज डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	गुजरात
7.	गिरिश होटल्स, रिसोर्टस एंड हेल्थ फार्म लिमिटेड	गुजरात
8.	ग्रोथ ऐग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात
9.	केसर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल लिमिटेड	गुजरात
10.	लियोंस इंडस्ट्रियल एस्टेट इंटरप्राईजेज लिमिटेड (पूर्व में लियोंस रेंज फाईनेंस लिमिटेड)	गुजरात
11.	मानव फर्मा लिमिटेड	गुजरात
12.	मेरीन कारगो केपनी लिमिटेड	गुजरात
13.	नैसर्गिक एग्रीटेक (इंडिया) लिमिटेड	गुजरात
14.	नेचुरो पेस्ट लिमिटेड	गुजरात
15.	निषु फिनकैप लिमिटेड (पूर्व में मेधा फाईनेंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड)	गुजरात
16.	पुर ओपेल क्रिएशेंस लिमिटेड (पूर्व में न्यूलाईन ग्लासवेयर (इंडिया लिमिटेड)	गुजरात
17.	प्रोटेक सर्किट बेक्रर्स लिमिटेड	गुजरात
18.	प्रोटेक स्विचगियर्स लिमिटेड	गुजरात
19.	श्री यक्ष फर्म एंड कॉस्मेटिक्स लिमिटेड	गुजरात
20.	श्रीजी डायकैम लिमिटेड	गुजरात
21.	श्री महालक्ष्मी पेग्रीकल्चरल डवलपमेंट लिमिटेड	गुजरात
22.	स्पिल फाईनेंस लिमिटेड	गुजरात
23.	सुपर डोमेस्टिक मशीन्स लिमिटेड	गुजरात
24.	सुशील पैकेजिंग्स (इंडिया) लिमिटेड	गुजरात
25.	तीर्थ प्लास्टिक्स लिमिटेड	गुजरात
26.	आदित्य एल्केलोंयइस लिमिटेड	गुजरात
28.	केनरा क्रेडिट लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
29.	डेजी सिस्टम्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
30.	आईमैप टेक्नोलॉजिज लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
31.	कामाक्षी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (वर्तमान में किशा इमपेक्स लिमिटेड)	आन्ध्र प्रदेश

1	2	3
32.	डेक्कन पेट्रोलियम लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
33.	ओरपाईन सिस्टम्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
34.	छाकरी टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड या रायनो टायर्स लिमिटेड (वर्तमान में राम टायर्स लिमिटेड)	आन्ध्र प्रदेश
35.	सिक्वन सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
36.	साइबर मीडिया लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
37.	साइबर सॉफ्टवेयर सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
38.	स्वाल कम्प्यूटर्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
39.	विजि साइबर टेक लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
40.	अंबूजा जिंक लिमिटेड	बिहार
41.	बोध गया सिरामिक्स लिमिटेड	बिहार
42.	सिलसन ओर्गेनिक्स लिमिटेड	बिहार
43.	श्री वैष्णवी प्रिंटिंग एंड डाईंग लिमिटेड	बिहार
44.	केयरवेल हाइजीन प्राडक्ट्स लिमिटेड	चंडीगढ़
45.	सुखचैन सीमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में गणपति सीमेंट्स प्रा. लिमिटेड)	चंडीगढ़
46.	केडिया इंफोटेक लिमिटेड (पूर्व में ग्रीव्ज होटल्स) लिमिटेड	दिल्ली
47.	हॉफलैंड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में वाद्रा इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड)	दिल्ली
48.	सिम्प्लेक्स होल्डंग्स लिमिटेड	दिल्ली
49.	स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	दिल्ली
50.	जेड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड	दिल्ली
51.	फ्लोरा वाल कवरिंग्स लिमिटेड	कर्नाटक
52.	ओशियन निट्स लिमिटेड	कर्नाटक
53.	हाई-टेक ड्रग्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
54.	मध्यावर्त एक्जोंइल लिमिटेड	मध्य प्रदेश
55.	राजाधिराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
56.	साउथ एशियन मशरूम्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश

1	2	3
57.	स्टलिंग काल्क सैंड ब्रीक्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
58.	काल्डाइन एयरकॉन लिमिटेड	महाराष्ट्र
59.	ग्लोबल एक्जीबीशंस लिमिटेड (पूर्व में ग्लोबल नेटवर्क लिमिटेड)	महाराष्ट्र
60.	हितेश टेक्साटइाल मिल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
61.	इच्छाकालनजी सोया लिमिटेड	महाराष्ट्र
62.	पशुपति केबल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
63.	रीयलटाइम फिनलीज लिमिटेड	महाराष्ट्र
64.	रुसोडे एंड कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
65.	स्पार्कल फूड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
66.	विपुल सिक्योरिटी लिमिटेड	महाराष्ट्र
67.	यूनीवर्सल वीटा एलीमेंटेयर लिमिटेड	उड़ीसा
68.	हॉलमार्क ड्रग्स एंड केमीकल्स लिमिटेड (पूर्व में लाइफलाइन ड्रग्स लिमिटेड)	पंजाब
69.	एमिगो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	तमिलनाडु
70.	क्रेस्टवर्ल्ड मेरीज लिमिटेड	तमिलनाडु
71.	मॉ कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड	तमिलनाडु
72.	नागार्जुन जियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	तमिलनाडु
73.	पीके वादूवम्मल फाईनेंस एंड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड (वर्तमान में नोवेल फईनेंस (आई) लिमिटेड	तमिलनाडु
74.	पनगो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	तमिलनाडु
75.	साई ग्रह फाईनेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	तमिलनाडु
76.	श्याम प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स लिमिटेड	तमिलनाडु
77.	एवीआर सिक्योरिटी लिमिटेड	तमिलनाडु
78.	ग्लोबल ब्लूम्स इंडिया लिमिटेड	तमिलनाडु
79.	रिजवी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
80.	शेफाली पेपर्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
81.	सिद्धार्थ फार्मकेम लिमिटेड	उत्तर प्रदेश

1	2	3
82.	विदियानी एग्रीटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
83.	एशियन वेजप्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
84.	कीव फाईनेंस लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
85.	आरियेंटल रेमेडीज एंड हर्बल्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
86.	एसएसके फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
87.	साकेत एक्सदूजन्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की स्थापना

3789. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली एवं रा.रा. क्षेत्र में 65 सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की स्थापना प्रस्तावित थी जिनमें से 42 को राष्ट्रमंडल खेलों के पहले चालू किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो अब तक भी उक्त स्टेशनों की स्थापना या आरंभ न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में चल रहे सीएनजी फिलिंग स्टेशन पूरी क्षमता से कार्य नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) आईजीएन ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के प्रारंभ होने से पहले न्यूनतम 50 सीएनजी स्टेशनों को निर्मित और चालू करने की योजना बनाई थी।

(ख) आईजीएन ने वित्त वर्ष 2009-10 में दिल्ली तथा एनसीआर में 60 सीएनजी स्टेशनों का कार्य पूरा कर लिया था और इन्हें चालू कर दिया था जिससे मार्च, 2009 में मौजूदा 181 सीएनजी स्टेशनों की संख्या मार्च, 2010 में बढ़कर 241 हो गई थी। अप्रैल, 2010 से अक्तूबर, 2010 की अवधि में अर्थात् राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व आईजीएन ने 11 और सीएनजी स्टेशन चालू किए। इसके पश्चात् 31 मार्च, 2011 तक आईजीएन ने 27 अन्य स्टेशनों को चालू किया।

वर्ष 2009-10 आर 2010-11 में स्थापित इन 98 सीएनजी स्टेशनों में से केवल 44 स्टेशनों पर प्रचालन कार्य शुरू हो पाया है क्योंकि शेष 54 सीएनजी स्टेशनों के लिए सांविधिक अनुमोदन जैसे डीसीपी (लाईसेंसिंग) से अनुमोदन, जिलाधिकार से अनापति प्रमाणपत्र और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के कार्यालय से लाइसेंस की प्रतीक्षा है।

(ग) आईजीएल ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में दिल्ली और एनसीआर में 225 सीएनजी स्टेशन प्रचालनरत हैं और ये पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लैश फ्लड स्ट्रीम्स

3790. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नदियों से निकलती फ्लैश फ्लड स्ट्रीम्स को चैनलाइज करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कीम कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1977 में प्रारंभ की गयी इस स्कीम के कार्य को रोकने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार नदी जल से सिंचाई क्षमता बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वींसेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल राज्य का एक विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य योजना निधियों से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

(घ) वर्ष 1977 में आरंभ की गई किसी योजना के संबंध में सूचना जल संसाधन मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ङ) एवं (च) सिंचाई राज्य का एक विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन तथा अनुरक्षण सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा भंडारण परियोजनाएं तथा डाईवर्जन स्कीमें आरंभ कर उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग हेतु निरंतर प्रयास किए जाते हैं। केन्द्र सरकार समय-समय पर लागू कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी) के अंतर्गत चालू सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा विद्यमान जल निकायों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु "जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार (आरआरआर)" नामक एक स्कीम भी आरंभ की गई है।

साधारण श्रेणी के यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाना

3791. श्रीमती मीना सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य श्रेणी के यात्री डिब्बों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या की तुलना में सामान्य श्रेणी के यात्री डिब्बों की कमतर संख्या रखने के कारण का निर्धारण करने के लिए रेलवे द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अध्ययन के अनुसार यात्री डिब्बों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भविष्य में कब तक पर्याप्त संख्या में साधारण श्रेणी के यात्री डिब्बों में वृद्धि किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मौजूदा गाड़ी सेवाओं में स्थान के उपयोग को ध्यान में रखते हुए यात्री मांग का आकलन करने के लिए सभी श्रेणियों के यात्री यातायात का रेलवे द्वारा समय-समय पर विश्लेषण किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

राजधानी, शताब्दी, दुरन्तो आदि जैसी विशेष प्रकार की रेलगाड़ियों को छोड़कर सभी नई मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां उनकी कंपोजिशन में कम-से-कम छः अनारक्षित सवारी डिब्बों सहित चलाई जाती हैं। जन-साधारण एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस आदि जैसी लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियां और छोटी दूरी वाली इंटरसिटी और पैसेंजर रेलगाड़ियां भी केवल सामान्य श्रेणी के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों सहित चलाई जाती है। भारतीय रेल में रेलगाड़ियों में सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित सवारी डिब्बों का जोड़ा जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यावहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

3792. श्री पूर्णमासी राम:
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आईएवाई के अंतर्गत आवास पाने की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी हैं;

(ग) पिछले बजट में आईएवाई हेतु सरकार द्वारा आबंटित धनराशि क्या है तथा अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गयी धनराशि कितनी है;

(घ) सरकार को आईएवाई के क्रियान्वयन में अनियमितताओं तथा आईएवाई उद्देश्यों से इतर धनराशि के विपथन संबंधी प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंदिरा आवास योजना हेतु केन्द्रीय अंश तथा पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत शामिल शौचालयों के आबंटन में वृद्धि हेतु मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि सिमेंट, श्रम शुल्कों तथा अन्य विनिर्माण सामग्रियों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(छ) आईएवाई के अंतर्गत आवासों के निदेशन तथा टीएससी स्कीम के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य, देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कुल कमी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

(ग) वर्ष 2011-12 के बजट में आईएवाई सहित ग्रामीण आवास के लिए 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। दिनांक 23.8.2011 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 4044.28 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।

(घ) योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं अथवा निधियों के दुर्विनियोग और उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में वर्ष 2010-11 तथा चालू वर्ष 2011-12 में प्राप्त शिकायतों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) आईएवाई के अंतर्गत सहायता राशि बढ़ाने के लिए अनेक राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हैं। आईएवाई के अंतर्गत इकाई सहायता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग से अनुरोध किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण आवास संबंधी कार्यकारी समूह के समक्ष भी इस मामले को रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में मंत्रालय ने दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से इकाई सहायता को संशोधित कर मैदानी क्षेत्रों में 25000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 27500 रुपये से बढ़ाकर 37500 रुपये कर दिया हैं इसे दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से पुनः संशोधित कर क्रमशः 45000 रुपये और 48500 रुपये कर दिया गया है।

जहां तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संबंध है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के लिए केंद्रीय अंश के आबंटन में वृद्धि के लिए संबंधित मंत्रालय अर्थात पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। चूंकि टीएससी एक मांग प्रेरित परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को इकाई के रूप में लिया जाता है, इसलिए कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के लिए निर्धारित केंद्रीय अंश का विशिष्ट वार्षिक आबंटन नहीं किया गया है। सरकार ने समय-समय पर प्रोत्साहन राशि में संशोधन की आवश्यकता स्वीकार की है ताकि स्वच्छता सुविधाएं सृजित एवं उपयोग करने में बीपीएल परिवारों को पर्याप्त रूप से प्रेरित किया जा सके। तदनुसार, विगत वर्षों में बीपीएल परिवारों को उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि में केंद्र एवं राज्य अंश में वृद्धि की गई है जो इस प्रकार है:

वर्ष	द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि	
	केंद्र	राज्य
2004	375 रुपये	125 रुपये
2006	900 रुपये	300 रुपये
2008	1500 रुपये (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 2000 रुपये)	700 रुपये
2011	2200 रुपये (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 2700 रुपये)	700 रुपये

(छ) आईएवाई के अंतर्गत मकानों के निर्माण में अनियमितताओं को रोकने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न तंत्रों यथा मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरा और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के दौरों के जरिए योजना के निष्पादन की निगरानी करता हैं राज्य एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति जिसमें अन्य के साथ-साथ सदस्य के रूप में उनर प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, के जरिए भी योजना की निगरानी की जाती है। कार्यक्रम में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) आवास सॉफ्ट शुरू किया गया है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान में आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, राज्य और जिला स्तरों पर निगरानी एवं सतर्कता समितियों के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं उके प्रभाव की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली भी है। इसके अतिरिक्त राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे पांच-सूत्री कार्यनीति अपनाएं जिनमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन भागीदारी, (iv) जवाबदेही/सामाजिक लेखा-परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी करना शामिल है। टीएससी के लिए व्यापक वेब आधारित ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली भी कार्यरत है। विभाग स्वच्छता सुविधाओं के सृजन में लाभार्थियों की हिस्सेदारी भी शामिल करता है ताकि निर्मित शौचालय का उपयोग किया जा सके और जो दीर्घकाल के लिए टिकाऊ हो सके।

विवरण-I

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार मकान की कमी तथा निर्धारित लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मकान की कमी (संख्या में)	लक्ष्य (संख्या में)			
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1350282	192132	371982	257104	249013
2.	अरूणाचल प्रदेश	105728	6770	10873	7726	7548
3.	असम	2241230	149699	240446	170849	166913
4.	बिहार	4210293	567125	1098001	758904	737486
5.	छत्तीसगढ़	115528	29712	57520	39759	37466
6.	गोवा	6422	1183	2291	1584	1547
7.	गुजरात	674354	94226	182429	126090	123168
8.	हरियाणा	55572	13229	25611	17703	17293
9.	हिमाचल प्रदेश	15928	4242	8212	5793	5659
10.	जम्मू व कश्मीर	92923	13176	25508	17995	17578

1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखंड	105867	50585	97926	167691	63477
12.	कर्नाटक	436638	74023	143311	99055	96760
13.	केरल	261347	41164	79695	55084	53808
14.	मध्य प्रदेश	207744	59091	114396	79073	76135
15.	महाराष्ट्र	612441	115869	224323	155052	151063
16.	मणिपुर	69062	5877	9439	6707	6552
17.	मेघालय	148657	10235	16440	11681	11412
18.	मिजोरम	30250	2181	3504	2489	2432
19.	नागालैंड	97157	9773	10878	7730	7552
20.	उड़ीसा	655617	111422	215715	149100	142082
21.	पंजाब	75374	16361	31674	21893	21386
22.	राजस्थान	258634	47350	91670	63362	61894
23.	सिक्किम	11944	1295	2080	1478	1444
24.	तमिलनाडु	431010	76925	148929	102939	100553
25.	त्रिपुरा	174835	13187	21182	15050	14704
26.	उत्तर प्रदेश	1324028	254729	493156	340868	332804
27.	उत्तराखंड	53521	11610	22476	15856	15488
28.	पश्चिम बंगाल	974479	153697	297564	205671	199176
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	17890	1828	2750	2446	2389
30.	दादरा व नगर हवेली	1926	305	458	407	398
31.	दमन व द्वीव	787	136	205	182	178
32.	लक्षद्वीप	190	118	229	158	154
33.	पुडुचेरी	7778	910	1370	1218	1190
	कुल	14825436	2127165	4052243	2908697	2726702

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनियमितताओं/निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सूची

1. बिहार

की गई कार्रवाई

(क) श्री शशिभूषण हजारी, विधायक से दिनांक 14.12.2010 को उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 78-कुशेशवास्थन पूर्वी, बिहार में आईएवाई अनुदानों के दुरूपयोग के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कारवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को बिहार राज्य सरकार को दिनांक 15.2.2011 को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ख) आईएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में बताई गई अनियमितताओं के बारे में श्री उमेश कुमार त्रिवेदी, महासचिव, पंचायत समिति, मुजफ्फरपुर, बिहार की शिकायत जो दिनांक 6. 1.2011 को श्री सागर राक्या, सचिव, अखिल भारत कांग्रेस समिति के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को संलग्नकों के साथ बिहार राज्य सरकार को दिनांक 31.1.2011 को अगेषित कर दिया गया है।

2. झारखंड

बीडीओ, जरमुंडी, दुमका द्वारा गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके बरती गई अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 23.2.2011 को श्री जुली यादव, पार्षद, जिला-दुमका, झारखंड से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए दिनांक 07.04.2011 को झारखंड राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की दी गई है।

3. उत्तर प्रदेश

(क) आईएवाई के कार्यान्वयन में गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके बरती गई अनियमितताओं के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार सिंह सुपुत्र श्री राजबख्श सिंह, ग्राम पंचायत-कपरावल कयामपुर, ब्लॉक-महासी, जिला-बहरीच, उत्तर प्रदेश से दिनांक 08.02.2011 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें काफी अनियमितताओं का पता चला। दिनांक 21.07.2011 को रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई है।

(ख) गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके आईएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में हुई अनियमितताओं के बारे में श्री भोपाल उर्फ कलवा, ग्राम पंचातय-घाकरोली, ब्लॉक-जहांगीरबाद, जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई तथा मामले की जांच के लिए दिनांक 24.2.2011 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित कर दी गई है।

4. असम

आईएवाई आवासों के आबंटन में जालसाजी के आरोप लगाने संबंधी श्री असब उद्दीन, गांव व डाकखाना-बाजारघाट, जिला-करीमगंज, असम से दिनांक 29.11.2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई तथा मामले की जांच के लिए दिनांक 17.2.2011 को शिकायत असम राज्य सरकार को भेज दी गई है।

5. जम्मू एवं कश्मीर

(क) जिला-कुलगाम, जम्मू एवं कश्मीर में आईएवाई के अंतर्गत निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में श्री बशीर अहमद, जिला मुख्य आयोजक, कांग्रेस सेवादल, जिला-कुलगाम, जम्मू एवं कश्मीर से दिनांक 6.7.2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार मामले की जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिनांक 5.8.2011 को शिकायत जम्मू एंव कश्मीर सरकार को भेज दी गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्राम न्यायालय

3793. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(इस संबंध में देरी के क्या कारण है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1132 ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुरोध किया है जिसमें प्रतिवर्ष प्रति ग्राम न्यायालय आवर्ती व्यय रुपये 15.00 लाख और प्रति ग्राम न्यायालय अनावर्ती व्यय के मद्दे रुपये 25.00 लाख के उपबंध के साथ रुपये 452.80 करोड़ की कुल लागत पर शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता भी है।

(ग) और (घ) विद्यमान स्कीम के अनुसार, सरकार प्रति ग्राम न्यायालय रुपये 18.00 लाख की दर पर अनावर्ती लागत और इसके प्रचालन के पहले तीन वर्षों के लिए प्रति ग्राम न्यायालय रुपये 3.20 लाख वार्षिक की दर पर आवर्ती लागत को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार, विद्यमान स्कीम के अधीन प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्र

3794. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री प्रदीप माझी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री किशनभाई वी. पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पूरे देश में जैव डीजल संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा पवन-ऊर्जा संयंत्रों आदि जैसे विभिन्न विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमानित लागत तथा तत्संबंधी विद्युत उत्पादन क्षमता का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे ने बॉयो-डीजल पावर प्लांट स्थापित करने का विनिश्चय नहीं किया है। बहरहाल, बॉयो डीजल के उत्पादन के लिए चार बॉयो डीजल एस्ट्रीफिकेशन प्लांट स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अलावा, सोलर फोटो-वोलटीय (पीवी) माड्यूलों और पवन चक्की ऊर्जा-संयंत्रों की साधारणत: व्यवस्था की जाती है जो पर्याप्त सूर्य की रोशनी की उपलब्धता, हवा की अपेक्षित गति और सघनता, तकनीकी वाणिज्यिक व्यावहार्यता और धन की उपलब्ध पर आधारित है।

(ख) और (ग) पहले दो बॉयो-डीजल एस्टेरीफिकेशन संयंत्र रायपुर और टोंडियारपेट्टै पर स्थापित किए जाने हैं। शेष दो संयंत्रों के लिए स्थान के निर्धारण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय रेलों का स्वीकृत सोलर पीवी माड्यूलों और पवन चक्की ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित कार्य के लिए स्थान, क्षमता और अनुमानित लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सोलर पीवी माड्यूलों और पवन चक्की ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन अगले दो-तीन वर्षों में होने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

विवरण

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सोलर पीवी माड्यूलों तथा पवन चक्की ऊर्जा संयंत्रों के स्थान, क्षमता और अनुमानित लागत का ब्यौरा

I. सोलर फोटो वोल्टीय (पीवी) माड्यूल

क्र.सं.	राज्य	स्थान	के डब्ल्यू पी में सोलर पैनल की क्षमता	अनुमानित लागत (रु./लाख)
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी प्रधान कार्यालय	10	32.72
2.	पश्चिम बंगाल	पूर्व रेलवे, कोलकाता प्रधान कार्यालय	10	32.72

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली	उत्तर रेलवे, नई दिल्ली प्रधान कार्यालय	10	32.72
4.	उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद प्रधान कार्यालय	10	32.72
5.	उत्तर प्रदेश	पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, प्रधान कार्यालय	10	32.72
6.	असम	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे गुवाहाटी, प्रधान कार्यालय	10	32.72
7.	राजस्थान	उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	10	32.72
8.	तमिलनाडु	दक्षिण रेलवे, चेन्नै प्रधान कार्यालय	10	32.72
9.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद प्रधान कार्यालय	10	32.72
10.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता प्रधान कार्यालय	10	32.72
11.	महाराष्ट्र	पश्चिम रेलवे, मुंबई प्रधान कार्यालय	10	32.72
12.	पश्चिम बंगाल	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन प्रधान कार्यालय	10	32.72
13.	गुजरात	रेलवे स्टॉफ कॉलेज, वडोदरा प्रधान कार्यालय	10	32.72
14.	महाराष्ट्र	सोलापुर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
15.	महाराष्ट्र	नागपुर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
16.	महाराष्ट्र	भुसावल मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
17.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
18.	पश्चिम बंगाल	मालदा मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
19.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
20.	हरियाणा	अंबाला मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
21.	दिल्ली	दिल्ली मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
22.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
23.	पंजाब	फिरोजाबाद मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
24.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ सिटी मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
25.	उत्तर प्रदेश	इज्जतनगर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72

1	2	3	4	5
27.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
28.	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
29.	बिहार	कटिहार मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
30.	असम	लमडिंग मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
31.	केरल	तिरूचिरापल्ली मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
32.	केरल	पालघाट मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
33.	तमिलनाडु	मदुरै मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
34.	केरल	त्रिवेन्द्रम मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
35.	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
36.	आंध्र प्रदेश	गुंतकल मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
37.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
38.	पश्चिम बंगाल	आद्रा मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
39.	झारखंड	चक्रधर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
42.	गुजरात	अहमदाबाद मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
43.	गुजरात	राजकोट मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
44.	गुजरात	रतलाम मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
45.	बिहार	सोनपुर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
46.	उत्तर प्रदेश	मुगलसराय मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
47.	उड़ीसा	खुर्दा रोड मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
48.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
49.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
50.	राजस्थान	जयपुर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
51.	राजस्थान	जोधपुर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
52.	राजस्थान	बीकानेर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72

1	2	3	4	5
53.	राजस्थान	अजमेर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
54.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
55.	कर्नाटक	हुबली मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
56.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
57.	राजस्थान	कोटा मंडल, प्रधान कार्यालय	10	32.72
58.	महाराष्ट्र	इरीन, नासिक प्रधान कार्यालय	30	98.12
59.	उत्तर प्रदेश	ऑक ग्रोव स्कूल, झारीपानी	30	98.12
60.	दिल्ली	रेल भवन, नई दिल्ली	30	98.12
61.	पश्चिम बंगाल	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन प्रधान कार्यालय	100	214.00

II. पवन चक्की संयत्र

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षमता	लागत
1.	तमिलनाडु	त्रिनूवेल्वि (दक्षिण रेलवे)	10.5 एम डब्ल्यू	7307.13
2.	राजस्थान	जैसलमेर (सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत)	10.5 एम डब्ल्यू	6650.00

रोजगार योजनाओं में योगदान

3795. **श्री सी. शिवासामी:**
श्री पी. कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को आसान बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि के दो प्रतिशत को लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस कदम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने तथा मजदूरी भुगतान की सत्यनिष्ठा को बढ़ाने की दृष्टि से, बैंकों तथा डाकघरों में संस्थागत खाते खोलने के जरिए माहत्मा गांधी नरेगा कामगारें को मजदूरी वितरण करना सांविधिक आवश्यकता है जिसके लिए महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-II को संशोधित किया गया। महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी वितरण के लिए संस्थागत पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित करके बैंकों से प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधार पर ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के साथ बैंकों के जरिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए बिजनेस कारेसपोडेंट्स मॉडल लागू करें। प्रति खाते पर निर्धारित प्रभार या लेन-देन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बैंक/बिजनेस कारेसपोडेंट्स, आदि को भुगतान किया जाने वाला

शुल्क/प्रेषण प्रभार, को प्रति सक्रिय खाते के लिए प्रति वर्ष 80 रुपयों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके जरिए वर्ष के दौरान मनरेगा कामगारों के लिए लेन देन किया गया है। यदि राशि प्रति चालू खाते पर प्रति वर्ष 80 रुपए की सीमा से अधिक होती है तो इसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से की जाएगी। भुगतान किए जाने वाले सेवा प्रभार को महात्मा गांधी नरेगा में स्वीकार्य 6% प्रशासन खर्च में मिलाया जा सकता हैं सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपेक्षित क्षेत्रों जहां बीसी मॉडल की आवश्यकता हो सकती है को निर्धारित करें तथा उपरोक्त प्रक्रियाविधि के अनुसार बिजनेस कॉरेसपोंडेंट्स मॉडल लागू करें।

[हिन्दी]

उर्वरकों की उत्पादन लागत

3796. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रकार के ईंधन के इस्तेमाल से उर्वरकों की लागत में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के ईंधन क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) उर्वरकों के उत्पादन के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों (ईंधन) जैसे प्राकृतिक गैस, नेफ्था, ईंधन ऑयल और आयातित एलएनजी का फीडस्टॉक और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग कुछ संयंत्रों में केवल भाप के लिए ईंधन के रूप में और बिजली उतपादन के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस सबसे सस्ता ईंधन/फीड है तथा नेफ्था सबसे महंगा है। इसलिए, प्राकृतिक गैस से किए गए उत्पादन की लागत सबसे कम होती है। ईंधन तेल के प्रयोग पर लागत अधिक आती है और नेफ्था के प्रयोग पर लागत और भी अधिक आती है। उत्पादन की वास्तविक लागत ईंधन के मूल्य के अनुसार अलग-अलग होती है जो समय-समय पर बदलती रहती है। इसके अलावा, उत्पादन की लागत संयंत्र विशेष में इन ईंधनों के खपत स्तर पर भी निर्भर करती है।

जलाशयों की क्षमता

3797. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में प्रमुख जलाशयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित देश में जलाशयों में जल स्तर कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिंधु बेसिन में जल स्तर पिछले दस वर्षों से सतत रूप से कम हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वींसेंट एच. पाला): (क) केन्द्रीय जल आयोग देश में 81 महत्त्वपूर्ण जलाशयों अर्थात कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 11, गुजरात में 8, उड़ीसा में 7, तमिलनाडु में 6, आन्ध्र प्रदेश, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में प्रत्येक में 5, राजस्थान में 3, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक में 2 तथा पंजाब एवं त्रिपुरा में प्रत्येक में एक, में जल संसाधन की स्थिति की निगरानी कर रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 18.8.2011 को 81 जलाशयों में पिछले वर्ष 74 बिलियन घन मीटर के भंडारण और पिछले 10 वर्षों के 77.811 बिलियन घन मीटर के औसत भंडारण की तुलना में सक्रिया भंडारण 101.538 बिलियन घन मीटर था।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सिन्धु बेसिन में पिछले 10 वर्षों-2001 से 2010 के सितम्बर अंत तक जलाशयों में भंडारण स्थिति क्रमशः 9.42, 8. 028, 10.185, 5.781, 13.893, 10.269, 13.582, 7.328 और 14. 177 बिलियन घन मीटर थी।

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

3798. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाली दोषी कंपनियों पर सरकार द्वारा कितने अभियोजन प्रारंभ किए गए हैं;

(ख) उन पर दर्ज मामला में क्या प्रगति है;

(ग) क्या सकरार ने उल्लंघन के लंबित मामलों के संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दर्ज किए गए एवं निपटाए गए अभियोजनों की संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	मामलों की संख्या	
	दर्ज	निपटाए गए
2007-08	17080	6993
2008-09	13971	10506
2009-10	9021	7647

वे मामले जो देश में विभिन्न दंडाधिकारी न्यायालयों में लंबित हैं, वे विभिन्न स्तरों पर हैं, जैसे, प्रतिवादी द्वारा उत्तर दर्ज करना, गवाहों की जांच आदि। यह न्यायालयों में सुनवाइयों की एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। उल्लंघन 'आर्थिक अपराध' प्रकृति के हैं, जो दंडाधिकारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, कंपनी विधि बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं।

[हिन्दी]

मनरेगा पर एनएसी की सिफारिशें

3799. श्री अर्जुन राय:
श्री रामकिशनु:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद (एनएसी) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यकरण संबंधी कई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक स्वीकार की गयी सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सहित प्रमुख कार्यक्रमों के नीति सुधारों तथा कार्यान्वयन की जांच करते समय महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए कुछ उपायों की सिफारिशें की हैं। इनमें सामाजिक लेखा परीक्षा नियमावली की शीघ्र अधिसूचना, मंत्रालय और केन्द्रीय रोजगार परिषद में संस्थागत और तकनीकी सहायता को सुदृढ़ करना तथा संसाधन समूहों के माध्यम से मजदूरी भुगतान, पारदर्शिता और जवाबदेही, शिकायत निपटान, आयोजना, प्राकृतिक संस्थान प्रबंधन, तालमेल, अनुमेय कार्यों का विस्तार, कार्य के लिए मांग, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, स्टाफ, प्रबंधन इत्यादि में राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त पहलुओं पर उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) महात्मा गांधी नरेगा के लिए समर्पित स्टॉफ की तैनाती, सामाजिक लेखा-परीक्षा, शिकायत निवारण एवं आईसीटी अवसंरचाओं हेतु प्रबंधन एवं प्रशासनिक सहायता संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकार्य प्रशासनिक व्यय सीमा को 4% से बढ़ाकर 6% किया गया था।

(ii) राज्यों को एमजीएनआरईजीए हेतु निधियों के प्रबंधन में और अधिक लोचनीयता हेतु राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

(iii) एमजीएनआरईजीए के समान लक्ष्य समूहों वाले अन्य सरकारी विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल के लिए मंत्रालय ने तालमेल दिशानिर्देश तैयार किए हैं और कई अन्य विकास योजनाओं के लिए प्रचारित किए है।

(iv) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 1 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, ताकि शुरू किए जाने वाले कार्यों तथा कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके।

(v) सार्वजनिक जांच जिसमें जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगें गए रोजगार तथा कार्यदिवसों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां, सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायत दर्ज करने आदि शामिल हैं, करने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी पर आधारित एमआईएस शुरू की गई है।

(vi) महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मजदूरी के भुगतान में सुगमता हेतु राज्य सरकारों को बिजनेस कोरेसपोंडेन्ट, ग्रामीण एटीमए, हस्तचालित उपकरण, स्मार्ट कार्ड, बॉयो-मीट्रिक्स, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसे आईसीटी समर्थक माडलों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

(vii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं की लेखा-परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित की गई है।

(viii) सभी राज्यों को शिकायत के निपटान के लिए जला स्तर पर ओमबड्समैन नियुक्त करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

3800. **श्री गोरख प्रसाद जायसवालः**
श्रीमती रमा देवीः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के यात्री डिब्बों तथा शौचालयों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में मालूम है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार संपर्क क्रांति के सवारी डिब्बों एवं शौचालयों में साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। इस दिशा में निम्नांकित कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं।

(i) दरभंगा स्थित बेस डिपों में सभी सवारी डिब्बों की मशीनों द्वारा नियमित रूप से सफाई।

(ii) गाड़ियों के चालन के दौरान सवारी डिब्बों के शौचालयों, चौखटों, गलियारों, पैसेंजर कंपार्टमेंट की बार-बार सफाई करने के लिए गाड़ी के आरक्षित डिब्बों में ऑन बोर्ड हाऊस कीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस)।

(iii) 'क्लीन ट्रेन स्टेशन्स' पर गाड़ी के ठहराव के दौरान आरक्षित सवारी डिब्बों की मशीनों द्वारा सफाई करना।

(iv) व्यावसायिक एजेंसियों के जरिये कीट एवं कृन्तकों पर अंकुश लगाना।

[अनुवाद]

एनसीएम के अंतर्गत लंबित मामले

3801. **श्री अब्दुल रहमानः** क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों, अभ्यावेदनों तथा सुझावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से निपटाए गए तथा लंबित मामलों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) इन मामलों में अधिक लंबन के क्या कारण हैं; और

(घ) एनसीएम द्वारा मालों के त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या इस प्रकार है-

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	2008-09	2250
2.	2009-10	2268
3.	2010-11	2378
4.	1/45/2011 से 31/7/2011	942

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा शिकायतों के समुचित निवारण के लिए शिकायतों को अपेक्षानुसार संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निस्तारित एवं लंबित मामलों की संख्या संबंधी ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा। तथापि, दिनांक 01.4.2011 से 31.7.2011 तक की अवधि के दौरान निस्तारित मामलों की संख्या इस प्रकार है:

(i)	बंद किए गए मामले	-	152
(ii)	संबद्ध प्राधिकारियों को भेजे गए एवं बंद किए गए मामले	-	384
(iii)	संबद्ध प्राधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट	-	180
(iv)	प्रक्रियाधीन मामले	-	306

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा शिकायतों को जांच हेतु संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उनके मेरिट के आधार पर उठाया जाता है। शिकायतों का निस्तार संबद्ध प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने की दृष्टि से आयोग द्वारा गहन निगरानी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज

3802. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लाडः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि रेलवे द्वारा कुछ रेलवे ओवरब्रिजों (आरओबी) का निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माणाधीन ऐसे आरओबी तथा उसके पूरे किए जाने की संभावित तिथि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि कुछ आरओबी का निर्माण कार्य समयानुसार प्रगति पर नहीं है;

(घ) क्या रेलवे ने उन आरओबी के निर्माण लागत को संशोधित किया है जो समय पर पूरे नहीं किए जा सके;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध रेलवे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र.सं.	निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुल का ब्यौरा	पूरा किए जाने की संभावित तिथि
1.	हावड़ा-नागपुर मेन लाइन पर किमी 690/32-34 पर समपार सं. 355 के स्थान पर अकलतारा में ऊपरी सड़क पुल	मार्च 2012
2.	उसलापुर- बिलासपुर-उसलापुर के बीच किमी 726/1-2 पर समपार सं. बीके-4 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	दिसम्बर, 2011
3.	रायगढ़-कोटारलिया स्टेशनों (सारनगढ़ बस स्टेण्ड के पास) के बीच सं. 288 पर ऊपरी सड़क पुल	दिसम्बर, 2011
4.	रायपुर के दाधा-पारा और बेल्हा के बीच किमी 728/13-15 पर समपार सं. 370 पर ऊपरी सड़क पुल और निचले सड़क पुल का निर्माण	मार्च, 2012

(ग) जी हां।

(घ) इन रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की अंतिम लागतों (विस्तृत अनुमान) में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कुछ ठेकों को रद्द किए जाने सहित ठेका समझौता शर्तों के अनुसार दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

एलपीजी एवं डीजल पंपों के लिए निविदाएं

3803. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों में एलपीजी एवं डीजल पंपों को प्रारंभ करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए एलपीजी एवं डीजल पंपों को कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर जिलों में राजवी गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) के अंतर्गत 15 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को स्थापित करने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया है।

इसी प्रकार ओएमसीज ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (कैराना सहित), बिजनौर, मेरठ और सहानपुर जिलों में 71 किसान सेवा केन्द्रों (केएसके) सहित 192 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	जिले का नाम	आरजीजीएलवीवाई डिस्ट्रीब्यूटर/आरओज केएसकेज की संख्या
1	2	3
1.	मुजफ्फरनगर	2 (आरजीजीएलवीवाई)
		52 (आरओज)
		25 (केएसकेज)
2.	बिजनौर	2 (आरजीजीएलवीवाई)
		41 (आरओज)
		14 (केएसकेज)
3.	मेरठ	5 (आरजीजीएलवीवाई)
		55 (आरओज)
		19 (केएसकेज)
4.	मुजफ्फरनगर	6 (आरजीजीएलवीवाई)
		44 (आरओज)
		13 (केएसकेज)

ओएमसीज ने कैराना में एलपीजी डिस्ट्रब्यूटरों के चयन के लिए नोटिस जारी नहीं किया है। तथापि, ओएमसीज ने कैराना ब्लॉक, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में एक आरओज और एक केएसके स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ग) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप स्थापित करने की एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विज्ञापन देना, आवेदन पत्र प्राप्त करना, उनकी छानबीन करना, उम्मीदवारों का चयन, चयनित उम्मीदवार के प्रत्यय-पत्रों का क्षेत्रीय सत्यापन, बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, विभिन्न अनिवार्य लाइसेंसों और अनुमोदनों की प्राप्ति और शिकायतों/मुकद्दमेंबाजी यदि कोई हों, का निपटान शामिल है। यह प्रक्रिया पूरी हाने के बाद आबंटन कार्य किया जाएगा।

खादी हेतु राजसहायता

3804. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग निगम (केवीआईसी) द्वारा खादी को बढ़ावा देने हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी के नाम पर कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा राजसहायता लेने की बात सरकार का पता चली है;

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी के संवर्द्धन के लिए बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। इनमें शामिल हैं (i) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रामाणपत्र योजना (आईएसईसी) रियायती दर पर खादी इकाइयों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए (ii) खादी संस्थानों को उत्पादन मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से सहायता, जिसे कताईकारों/बुनकरों, उत्पादक संस्थानों और विक्रेता संस्थानों के बीच 25:30:45 के अनुपात में शेयर किया जाना है, के साथ बाजार विकास सहायता (एमडीए) की नई योजना लाते हुए खादी व पेलिवस्त्र के उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहित करना, (iii) बेहतर कार्य वातावरण के लिए वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना (iv) अप्रचलित और पुरानी मशीनरी और उपकरणों को बदलते हुए अधिक बाजार प्रेरित के साथ खादी आयेग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में खादी संस्थानों की सहायता के लिए खादी उद्योगों और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना (v) खादी बिक्री केंद्रों की मरम्मत और मौजूदा 100 कमजोर चुनिंदा की अवसंरचना मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सशक्तिकरण और विपणन तंत्र हेतु सहायता (vi) एक व्यापक खादी सुधार और विकास कार्यक्रम जिसके तहत भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 150 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त करने का समझौता किया है ताकि खादी क्षेत्र का नवीनीकरण किया जा सके। (केआरडीपी) 2009-10 से 3 वर्षों की अवधि में चुने गए खादी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। (एसएफयूआरटीआई) (vii) खादी सहित परंपरागत उद्योग क्लस्टरों के विकास के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना और (viii) बेहतर बाजार स्वीकृति के लिए खादी वस्त्रों के डिजाइन और पैकेजिंग में सुधार के लिए 'उत्पाद विकास, हस्तक्षेप ओर पैकेजिंग' (पीआरओडीआईपी)।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान खादी के संवर्द्धन के लिए केवीआईसी को दी गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है

क्र.सं.	वर्ष	खादी के प्रोत्साहन के लिए केवीआईसी को आबंटित निधियां
1.	2008-09	244.45
2.	2009-10	250.60
3.	2010-11	481.09

(ग) से (ङ) केवीआईसी के अनुसार सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 के तहत पंजीकृत सोसाइटी एक्ट और केवीआईसी/केवीआई बोर्ड में सूचीबद्ध अन्य ऐसे निकायों को ही खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दी जाती है। निजी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां खादी कार्यकलाप के लिए पात्र नहीं होती। इसलिए खादी के नाम पर सब्सिडी लेने वाली नकली कंपनियों का सवाल नहीं उठता। तथापि केवीआईसी ने यह सूचित किया है कि पंजीकृत खादी संस्थानों द्वारा की गई अनियमितताओं की घटनाओं की सूचना उन्हें मिली है जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। चार खादी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(i) विनोबा सेवा समिति, जयपुर: गैर खादी कपड़ों की आपूर्ति के रूप में करने सहित अनियमितताओं के लिए इस संस्थान की वित्तीय सहायता रोक दिया गया है।

(ii) आदर्श ग्रामोद्योग समिति, दिल्ली: आडिट के अनुसार बाजार विकास सहायता के दावे में अनियमितताओं के आधार पर इस संस्थान में वसूली के आदेश दिए गए हैं।

(iii) देबीपुर रेशम खादी ग्रामोद्योग समिति, बर्दवान, पश्चिम बंगाल: कच्चे माल की खरीद आदि में अनियमितताओं आदि के लिए 2008-09 में इस संस्थान का खादी प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।

(iv) खादी और ग्रामीण शिल्प समिति, बेहरामपुर, मर्शिदाबाद: नकदी खादी के उत्पादन के लए इस संस्थान का खादी प्रमाणपत्र 2009 में रद्द कर दिया गया है।

[अनुवाद]

महत्त्वपूर्ण औषधियों के उत्पादन में रसायनों का प्रयोग

3805. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न महत्त्वपूर्ण औषधियों के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी रसायन विशेष का देश में कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कब इस कमी की रिपोर्ट की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने उन रसायनों का आयात करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किन देशों से आयात किए जाने की संभावना है एवं इन रसायनों की कीमत क्या है और इन्हें किन औषधियों में इस्तेमाल किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) विभिन्न महत्त्वपूर्ण औषधियों के उत्पादन में आवश्यक किसी रसायन विशेष के उत्पादन में कमी के ऐसे किसी मामले की सरकार को सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

एआईबीपी के अंतर्गत अनुदान

3806. डॉ. ज्योति मिर्धा:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) जिलों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान की तुलना में मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) जिलों हेतु केवल 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को डीपीएपी एवं डीडीपी जिलों के लिए अनुदान एवं सिंचाई सुविधाओं को समान करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वींसेंट एच. पाला): (क) से (ख) दिसंबर, 2006 से लागू एआईबीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी जाएगी जो विशेष श्रेणी राज्यों तथा डीपीएपी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, केबीके जिलों और अन्य राज्यों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 90% तथा गैर विशेष श्रेणी राज्यों में 25% है। परियोजना की बकाया लागत की राज्य के हिस्से के रूप में व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से की जानी होती है। एआईबीपी के तहत मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

मरूस्थल विकास योजना (डीडीपी) क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली तीन परियोजनाएं (पंजाब से 2 तथा कर्नाटक से 1 परियोजना) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से डीपीएपी क्षेत्रों के बराबर अनुदान प्राप्त करने की पात्र हैं।

[हिन्दी]

निजी सुरक्षा एजेंसियां

3807. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का रेलवे में निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही रेलवे द्वारा ऐसी सेवाएं किस उपबंध के अंतर्गत प्राप्त की जाती हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। रेलों में सुरक्षा ड्यूटियों के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियुक्त किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, कुछ कम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में, चुनिंदा और सीमित आधार पर रेलवे अस्पतालों, साइकिल स्टैण्डों, स्टेडियमों आदि के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। यह समिति स्थानीय कवायद रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण का गठन

3808. डॉ. अनूप कुमार साहा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औषध और चिकित्सा शास्त्र प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्राधिकरण के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इस प्राधिकरण के सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

तोरी स्टेशन पर रेल उपरि पुल

3809. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि झारखंड के तोरी स्टेशन पर रेल उपरि पुल का निर्माण वर्ष 2010-11 में आरंभ होना था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अभी तक कुछ भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पायी है और अधिकांश समय रेलवे समपार बंद रहता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालयम में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) तोरी-महुमिलन खंड में समपार संख्या 24/ए/टी के स्थान पर एक ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) को रेलवे और झारखंड राज्य सरकार के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर रेलवे निर्माण कार्यक्रम 2011-12 में स्वीकृति दी गई है। नया कार्य होने के कारण अभी यह नियोजन और अनुमान चरण पर है।

स्वचालित मौसम केंद्र

3810. श्री प्रेम दास राय: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में आधुनिक स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मौसम केंद्रों को किसानों हेतु सूक्ष्म बीमा कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु कदम उठाए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में मानसून पद्धति की प्रकृति को समझने के लिए कोई सरकारी कार्यक्रम हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए आधुनिक स्वचालित मौसम केन्द्र (एडब्ल्यूएस) तथा स्वचालित वर्षा मापी (एआरजी) की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्वचालित मौसम केन्द्र एडब्ल्यू एस	कृषि-स्वचालित मौसम केन्द्र (एडब्ल्यूएस)
1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	7	1
असम	21	6
मणिपुर	10	1
मेघालय	7	1

1	2	3
मिजोरम	8	1
नागालैंड	8	1
सिक्किम	1	0
त्रिपुरा	6	1
राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्वचालित वर्षा मापी (एआरजी)	
अरूणाचल प्रदेश	14	
असम	43	
मणिपुर	5	
मेघालय	12	
मिजोरम	14	
नागालैंड	5	
त्रिपुरा	1	
सिक्किम	11	

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि एडब्ल्यूएस तथा एआरजी नेटवर्क केवल मौसम मॉनीटरिंग तथा चेतावनी प्रयोजनों के लिए है।

(ङ) जी हां।

(च) जलवायु परिवर्तन विज्ञान के क्षेत्र में अंतर-विधात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएसम), पुणे में सुसज्जित अत्याधुनिक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र (सीसीसीआर) स्थापित करने के साथ-साथ वैश्विक और प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक उच्च प्राथमिकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से उपर्युक्त बदलावों के कारणों को अच्छी तरह से समझने तथा सभी समय पैमानों के वर्षा पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता वाले अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क (आईएनसीसीए) के तत्वावधान में नवंबर 2010 के दौरान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन और भारत: एक 4-4 मूल्यांकन-2030 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक मूल्यांकन" नाम रिपोर्ट जारी की गई। देश के जलवायु के प्रति संवदेनशील चार क्षेत्रों, अर्थात्, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी प्रदेश, तटीय क्षेत्रों में सीसीसीआर द्वारा भारत में तैयार किए गए प्रादेशिक जलवायु मॉडल फील्डों का प्रयोग करते हुए चार क्षेत्रों अर्थात कृषि, जल, वन तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए अध्ययन किए गए।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत

3811. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य निर्धारण करने हेतु स्वीकार किए गए आधार/प्रविधि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कच्चे तेल और डीजल के शोधन की लागत का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) रिफाइनरियों को डीजल की खरीद के लिए व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) तथा पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात समता मूल्य (आईपीपी) का भुगतान करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर आईपीपी/टीपीपी निर्धारित की जाती है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में भारी मूल्य वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी स्थितियों के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपीज) को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है और इन पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान आरएसपीज अपेक्षित बाजार मूल्य से कम हैं। परिणामत:, वर्तमान रिफाइनरी द्वार मूल्यों के अनुसार, ओएमसीज डीजल की बिक्री पर 4.97 रुपए प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 23.74 रुपए प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी पर 247.00 रुपए प्रति सिलिंडर की अल्प-वसूली झेल रही हैं। इन दरों पर ओएमसीज को रोजाना 235 करोड़ रुपए की अल्प-वसूली झेलनी पड़ रही है।

डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों का खुदरा बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा संशोधित किए जाते हैं।

(ख) कच्चे तेल का शोधन एक प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें कच्चे तेल का हिस्सा कुल लागत का लगभग 98% होता है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण कई प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। इनमें से प्रत्येक इकाई द्वारा अन्तस्थ उत्पाद स्ट्रीम्स का उत्पादन किया जाता है जिसके लिए विस्तृत पुन: प्रसंस्करण और मिश्रण अपेक्षित होता है। इसके परिणामत: यथोचित परिशुद्धता के साथ कुछ लागतों में से परिशोधित उत्पाद विशेष के लिए लागत निकालने में कठिनाई होती है। अत:, उत्पाद विशेष-वार लागतों को अलग नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

रेल नेटवर्क का विकास/प्रसार

3812. श्री गणेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे क्षेत्र/जोन से अर्जित आय के समानुपात में संबंधित रेल नेटवर्क के विकास/प्रसार की संकल्पना को स्वीकार करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उन जोनों/मंडलों का ब्यौरा क्या है जो अधिक राजस्व अर्जित कर रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे का पश्चिम मध्य रेल में अर्जित आय के समानुपात में सतना, रीवा, कटनी और सिंगरौली में अपने नेटवर्क का विकास/प्रसार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यातायात के प्रवाह और भावी यातायात संभाव्यता के आधार पर पश्चिम मध्य रेलवे के सतना, रीवा, कटनी और सिंगरौली क्षेत्र में रेल नेटवर्क के विकास/विस्तार के लिए निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं।

(1) रीवा और सिंगरौली के बीच नई लाइन

(2) कटनी-सिंगरौली खंड में स्टेशनों और सिगनलिंग प्रणालियों का उन्नयन

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्यों को स्वीकृत किया गया है:

(1) कटनी-सिंगरौली खंड का दोहरीकरण

(2) सतना-रीवा खंड का दोहरीकरण

(3) कटनी-बीना के बीच तीसरी लाइन।

[अनुवाद]

कार्य समूह का गठन करना

3813. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद ने अल्पसंख्यक मामलों के संबंध में एक एक नए कार्य समूह के गठन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों के रहन-सहन की दशा सुधारने के उद्देश्य से उक्त समूह गठित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण विषय पर एक कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल द्वारा विचारणीय मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ एक मुद्दा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कायर्यक्रम, जिसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, पर विचार करना है।

[हिन्दी]

कमथी रेलवे स्टेशन पर ठहराव

3814. डॉ. पदमसिंह बाजीराव पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ध्यान बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी रेलगाड़ी, विदर्भ एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस का कमथी (महाराष्ट्र) में ठहराव के संबंध में लोगों की मांग की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 12856 नागपुर-बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का कैंपटी स्टेशन पर पहले से ही ठहराव है। 12855 बिलासपुर-नागपुर इंटरसिंटी एक्सप्रेस, 12105/12106 मुंबई-गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस और 12409/12410 रायगढ़-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस को कैंपटी स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की जांच की गई है परंतु इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का दुरूपयोग/विपथन

3815. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधियों का दुर्विनियोग हुआ है और कतिपय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में निधियों का उचित उपयोग नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधियों के दुरूपयोग/विपथन के संबंध में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु निर्धारित निधियों के ऐसे दुरूपयोग/विपथन की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीन्सेंट एच पाला): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15सूत्री कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई योजनाएं चलायी जाती हैं। इस मंत्रालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत धनराशि के दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रधानमंत्री के नए 15सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को कारगार बनाने की दृष्टि से अल्पसंख्यक, कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा राज्य और जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है। इन समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, विधायक तथा अल्पसंख्यक कार्य से जुड़े गैर-सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केन्द्र स्तर पर प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है। सरकार में उच्च स्तर पर तथा सचिव समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर भी समीक्षा की जाती है। हाल ही में मंत्रालय द्वारा एमआईएस-एमएसडीपी सॉफ्टवेयर नामक विशेष कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का कार्य शुरू किया गया है। लाभार्थियों के चयन तथा छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से इनकी सूची को मंत्रालय तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है। मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष से ***ऑनलाइन स्कॉलरशीप मैनेजमेंट सिस्टम (ओएसएमएस)*** का शुभारंभ किया गया है। इच्छुक लाभार्थियों के मार्गनिर्देशन और सहायता के लिए मंत्रालय में एक हेल्पलाइन स्थापित की गयी है। विभिन्न योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश, प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्यों से संबंधित फोटोग्राम आदि से संबंधित सूचनाएं भी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री रेल विकास निधि

3816. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का सामाजिक योजनाओं के लिए प्रधान मंत्री रेल विकास योजना निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कवर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है साथ ही इसमें से अभी तक व्यय की राशि का परियोजना-वार और जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। प्रधानमंत्री रेल विकास योजना निधि का सृजन करने की योजना को इस समय तैयार किया जा रहा है। चूंकि इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। इसलिए अभी कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है।

पोटाश और फास्फेट उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि

3817. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक उद्योग ने पोटाश और फास्फेट उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि की सशर्त अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किसानों के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी नहीं। भारत सरकार किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएडके) उर्वरकों नामत: डीएपी, एमएपी, टीएसपी, डीएपी लाइट, एमओपी, एसएसपी, अमोनियम सल्फेट (फैक्ट और जीएसएफसी द्वारा उत्पादित कैप्रोलैक्टम ग्रेड) के 22 ग्रेडों तथा मिश्रित उर्वरकों के 15 ग्रेडों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति कार्यान्वित कर रही है। एनबीएस के अंतर्गत उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य को खुला रखा गया है और उत्पादकों/विपणनकर्ताओं को उचित स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है।

एनबीएस योजना के अंतर्गत, पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता को इसके पोषक तत्वों (अर्थात नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर) के आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है। एनबीएस को किसानों की वहनीयता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। यह देखा गया है कि पीएण्डके उर्वरकों की वर्तमान एमआरपी के अनुसार किसान इन उर्वरकों की अनुमानित सुपुर्दगी लागत का केवल 27% से 58% का ही भुगतान कर रहे हैं।

हाल्ट स्टेशन

3818. श्री प्रबोध पांडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत गोकुलपुर और मेदिनीपुर के बीच एक हाल्ट स्टेशन बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्टेशन को अभी तक आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया है जिसके कारण रेल यात्रियों को कठिनाई हो रही है;

(ग) इस स्टेशन के प्रचालनात्मक हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। गोकुलपुर और मिदनापुर स्टेशन के बीच यात्री हाल्ट खोलने को परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इसके अलावा, प्रस्तावित हाल्ट वाणिज्यिक दृष्टि से भी औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरकों की ढुलाई

3819. डॉ. भोला सिंह:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों केन्द्र सरकार का ध्यान यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की ढुलाई हेतु परिवहन सुविधाओं के अभाव की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त टैंकर/रेकस उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही अन्य व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) रेल मंत्रालय पत्तनों/संयंत्रों से मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित सभी राज्यों को उर्वरकों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में रैक उपलब्ध करा रहा है। परिणामस्वरूप, चालू खरीफ 2011 मौसम (अप्रैल से जुलाई) के दौरान यूरिया, डीएपी/एनपीके की संचयी उपलब्धता निम्नानुसार आकलित मांग से अधिक रही है:

(000 मी.टन)

मध्य प्रदेश

खरीफ' 2011 (अप्रैल 11' से जुलाई' 11 तक)

उत्पाद	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
यूरिया	420.57	425.52	405.86
डीएपी/एनपीके	502.02	537.02*	515.47

कर्नाटक

खरीफ' 2011 (अप्रैल 11' से जुलाई' 11 तक)

उत्पाद	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
यूरिया	410.00	512.69	498.84
डीएपी/एनपीके	760.80	1097.07*	1081.89

[अनुवाद]

रायबाग रेलवे स्टेशन पर ठहराव

3820. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को यशवंतपुर-दादर-चालुक्य एक्सप्रेस और मैसूर-दादर शरावती रेलगाड़ी का कर्नाटक के बेलगाम जिले के रायाग रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने के संबंध में आम जन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां, रायबाग स्टेशन 111017/11018 यशवंतपुर-दादर चालुक्य एक्सप्रेस और 11035/11036 मैसूर-दादर शरावती एक्सप्रेस के ठहराव के संबंध में आभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल हैं। इसकी जांच की गई लेकिन व्यवहार्य नहीं पाया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें

3821. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में वहां लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु पृथक् उच्च न्यायालय स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उच्च न्यायालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) सरकार ने, पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक के लिए पृथक् उच्च न्यायालयों को स्थापित करने का विनिश्चय लिया है। पृथक् उच्च न्यायालयों की स्थापना, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक अवसरंचना प्रसुविधाओं के सृजन का विषय है। वर्तमान में, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा की सरकारों ने, अपने राज्यों में पृथक् उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रसुविधाओं को सृजित किया है। इन तीन राज्यों में पृथक् उच्च न्यायालयों की औपचारिक स्थापना तथा उनके कृत्यों के लिए तद्नुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन अब अपेक्षित है।

डीजल हेतु दोहरी मूल्य निर्धारण नीति

3822. **श्री ए. गणेश मूर्ति:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का निकट भविष्य में डीजल हेतु दोहरी मूल्य निर्धारण नीति कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोहरी मूल्य नीति निर्धारित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) वर्तमान में डीजल के दोहरे मूल्य निर्धारण के बारे में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

3823. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु बिहार सहित अन्य राज्यों को आबंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

रेल लाइन

3824. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वीकृत नई रेल लाइनों की संख्या का झारखंड सहित राज्य-वार/जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या झारखंड में गया-डालटेनगंज, चंद्रपुरा-राजबेरा, आरा-भभुआ रोड और गया-शेरघाटी-गढ़वा रोड-बरास्ता डालटेनगंज खंड पर नए रेल मार्गों को स्वीकृति दे दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन रेल लाइनों पर कब तक कार्य आरंभ और समाप्त होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा रेलवे जोन-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार। भारतीय रेल में चालू नई रेल लाइन परियोजनाओं की रेलवे जोन-वार संख्या संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) और (ग) रफीगंज के रास्ते गया-डाल्टनगंज और आरा-भबुआ रोड नई लाइन परियोजनाएं और चंद्रपुरा-राजाबेरा पर दोहरीकरण के कार्य को भी शुरू किए जाने के लिए स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। चूंकि शेरघाटी, गया से डाल्टनगंज तक 136 किमी वाली नई लाइन परियोजना के भीतर ही है और गढ़वा रोड पहले ही डाल्टनगंज से जुड़ा हुआ है, इसलिए डाल्टनगंज के रास्ते गया-शेरघाटी-गढ़वा रोड पर नई लाइन के निर्माण के लिए कोई अलग से प्रस्ताव नहीं है। सभी स्वीकृत की हुई परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है और यह संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।

विवरण

भारतीय रेल में चालू नई रेल लाइन परियोजनाओं की रेलवे जोन-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	रेलवे जोन	चालू परियोजनाओं की संख्या
1.	मध्य	4
2.	पूर्व तट	6
3.	पूर्व मध्य	26
4.	पूर्व	10
5.	उत्तर	8
6.	उत्तर मध्य	4
7.	पूर्वोत्तर	5
8.	पूर्वोत्तर सीमा	18
9.	उत्तर पश्चिम	2
10.	दक्षिण	9
11.	दक्षिण मध्य	16
12.	दक्षिण पूर्व	5
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	2
14.	दक्षिण पश्चिम	10
15.	पश्चिम मध्य	1
16.	पश्चिम	3
	कुल	129

[अनुवाद]

ओखला बैराज से जल बंटवारा

3825. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई-सितम्बर, 2010 के दौरान ओखला पर यमुना में जल की कुल उपलबधता क्या थी; और

(ख) जुलाई-सितम्बर, 2010 के दौरान राजस्थान का हिस्सा क्या था?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) ने सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार यमुना नदी के ओखला बराज में जुलाई से सितंबर 2010 तक जल की कुल उपलब्ध मात्रा 11.11 बिलियन घन मीटर थी।

(ख) यूवाईआरबी की सूचना के अनुसार ओखला बराज से जुलाई से सितंबर, 2010 तक राजस्थान का यमुना जल का हिस्सा 46.886 मिलियन घन मीटर आंका गया है।

नेडूम्बसेरी रेलवे स्टेशन

3826. श्री के.पी. धनपालन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में नेडूम्बरसेरी रेलवे स्टेशन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन प्रयोजनार्थ आबंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ख) नेडूम्बसेरी हाल्ट स्टेशन का कार्य 93 लाख रु. की लागत पर तिरुवनंतपुरम मंडल के मंडल निर्माण कार्यालय 2010-11 में शामिल किया गया है। इस हाल्ट स्टेशन के निर्माण के कार्य निष्पादन के लिए ठेका देने की कार्रवाई की गई है।

यह कार्य तिरुवंतपुरम मंडल के मंडल निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के लिए यात्री सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत आबंटित 2. 9 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि में से धनपोषित किया जाएगा।

(ग) यह कार्य 2012-13 के दौरान पूरा होने की संभावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स का विस्तार

3827. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के विस्तार हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने 13,964 करोड़ रुपए के कुल निवेश परिव्यय के साथ एक पोलीप्रोपलीन इकाई स्थापित करने सहित रिफाइनरी विस्तार और उन्नयन परियोजना को हाथ में लिया है। इस परियोजना से शोधन क्षमता में 3 एमएमटीपीए तक की वृद्धि, बेहतर आसवन उत्पादन, उच्च टेन (कुल एसिड नंबर) वाले कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने के लिए अधिक लचीलेपन और मूल्य वर्धित उत्पादों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

यूरिया के उत्पादन हेतु नाफ्था का उपयोग

3828. श्री एंटो एंटोनी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लि. (फैक्ट) यूरिया उत्पादन हेतु नाफ्था का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाफ्था गैस की तुलना में यूरिया के उत्पादन हेतु लागत प्रभावी कच्चा माल है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की फैक्ट को नाफ्था से गैस आधारित यूरिया उत्पादन इकाई में बलदने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं और क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी नहीं। फैक्ट इकाई में यूरिया का उत्पादन वर्ष 2003 में रोक दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) यूरिया उत्पादक इकाइयों हेतु नई मूल्य निर्धारण योजना (चरण-III) नीति को सरकार द्वारा दिनांक 8 मार्च 2007 को अधिसूचित किया गया था जिसे अगला आदेश होने तक अनंतिम आधार पर बढ़ा दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सभी गैर-गैस आधारित संयंत्रों को तीन वर्ष की अवधि में गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित कर दिया जाए।

निजी कंपनियों द्वारा स्थापित पेट्रोल पंप

3829 श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक निजी कंपनियों द्वारा कितने पेट्रोल पम्प स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि निजी कंपनियों द्वारा चलाये जा रहे पेट्रोल पम्पों को लगातार घाटे के चलते बंद किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो 1 फरवरी, 2011 से आज तक कितने पेट्रोल पम्पों को बंद किया गया है साथ ही कंपनी-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 01.08.2011 की स्थिति के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्री लि. (आरआईएल), मै. एस्सार ऑयल लि. (ईओएल), मै. शेल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट् लि. (एसआईएमपीएल) ने देश में क्रमश: 1400, 1381 और 99 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) स्थापित किए हैं।

(ख) ईओएल और एसआईएमपीएल ने सूचित किया है कि उन्होंने 01.02.2011 से अब तक अपने आरओज बंद नहीं किए हैं। आरआईएल ने रिपोर्ट दी है कि लम्बी अवधि में हुई हानियों के बाद, उन्होंने अप्रैल, 21008 में सभी आरओज को आपूर्तियां अस्थायी तौर पर पूरी तरह से बंद कर दी थीं। अप्रैल, 2009 के प्रारंभ से आरआईएल ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम में चुनिंदा आरओज चालू किए हैं। राज्य में स्थित आरओज अभी जर्जर हालत में हैं और सुपुर्दगियां अभी तक बंद हैं। इन राज्यों में पुन: प्रचलन, सरकार द्वारा हाई स्पीड डीजल के मूल्य निर्धारण को विनियंत्रित करने के बाद संभव हो पाएगा।

(ग) आरआईएल ने सूचित किया है कि उन्होंने 01.02.2011 से अब तक की अवधि के दौरान, देश में 29 आरओज बंद किया हैं। आरआईएल द्वारा बंद किए गए जारओज के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार है:

राज्य	आरओज की संख्या
आंध्र प्रदेश	4
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	20
झारखंड	1
महाराष्ट्र	2
पश्चिम बंगाल	1

(घ) निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियां वाणिज्यिक दृष्टिकोणों पर मूल्य निर्धारण का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वे 8 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प के अनुसार राजसहायता भागीदारी व्यवस्था के तहत कवर नहीं होती हैं।

एमजीएनआरईजीएस के तहत लोकपाल

3830. श्री पी. लिंगम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) की घोषणा के समय, एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए लोकपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान की भी घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास किसी जिले में किसी भी लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में कोई ब्यौरा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा) दिनांक 2.2.2006 को पहले चरण में देश के 200 अभिज्ञात जिलों में शुरू किया गया था तथा दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 के दौरान 130 अतिरिक्त जिलों को इसमें शामिल किया गया था। दिनांक 1.4.2008 से तीसरे और अंतिम चरण में अधिनियम के अंतर्गत देश के सभी शेष ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया गया था। वर्ष 2008 में गठित शिकायत निवारण विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर पारदर्शिता तथा जन जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के लिए एक स्वतंत्र ओम्बड्समैन का शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। मनरेगा के अंतर्गत ओम्बड्समैन की नियुक्ति की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	जिलों की संख्या	उन जिलों की संख्या जहां ओम्बड्समैन है	ओम्बड्समैन की नियुक्ति की स्थिति
1	2	3	4
पंजाब	20	20	ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई
सिक्किम	4	4	पूरे राज्य के लिए एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई
मणिपुर	9	9	प्रत्येक जिले के लिए एक ओम्बड्समैन और एक उप ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई
मिजोरम	8	8	8 जलों के लिए 4 ओम्ब्ड्समैन की नियुक्ति की गई (प्रत्येक 2 लिों के लिए 1 ओम्ब्ड्समैन)
हिमाचल प्रदेश	12	12	सभी जिलों में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त, चंबा जिले में एक उपेओम्बड्समैन की नियुक्ति की जाएगी। कुल्लू के लिए नियुक्त ओम्बड्समैन लाहौल स्पीति के प्रभारी होंगे।
महाराष्ट्र	33	26	26 जिलों में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई
उड़ीसा	30	16	11 जिलों में ओम्ब्ड्समैन की नियुक्ति की गई अर्थात् अंगुल, बोलांगिर, बारगढ़, कटक, क्योंझार, देवगढ़, खुरदा, कालाहंडी, मलकनगिरि, भद्रक, पुरी, मयूरभंज, कंधमाल, रायगढ़, गंजम तथा सुवर्णपुर। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
छत्तीसगढ़	18	18	16 जिलों में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई अर्थात् कोरबा, कोरिया, सरगुजा, दामतारी, रायपुर, राजनंदनगांव, जशपुर, जांजगिर-चंपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम, महासमुंद्र, सरगुजा। बीजापुर तथा नारायणपुर जिलों के संबंध में क्रमशः दंतेवाड़ा तथा बस्तर के ओम्बड्समैन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	22	21	21 जिलों (श्रीकाकुलम, विजयनगरम, प्रकाशम, चित्तूर, आदिलाबाद, अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, करनूल, कृष्णा, महबूब नगर, मेडक, नेल्लूर, निजामाबाद, आर.आर. जिला, विशाखापत्तनम, वारंगल, पूर्व गोदावरी, प. गोदावरी, खम्मम, नलगोंडा) में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
गुजरात	26	19	19 जिलों (मेहसाना, वडोदरा, कच्छ, साबरकंठा, अमरेली, आनंद, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, अहमदाबाद, खेड़ा, जामनगर, सुरेंद्र नगर, गांधी नगर, नर्मदा, नवसारी, भरूच, वलसाद, पोरबंदर) में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों के संबंध में पुनः विज्ञापन किया गया।
कर्नाटक	30	15	15 जिलों (बैंगलूर (ग्रामीण), बेलगांव, बीजापुर, चिकमंगलूर, मेंगलोर, धारवाड़, गड़ग, गुलबरगा, हासन, हवेरी, कोलार, कोप्पल, रायचूर, शिमोगा, चिक्काबलपुरा) में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
राजस्थान	33	20	20 जिलों (भरतपुर अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, श्रीगंगानगर, जालोर, झालावार, झुनझुनु, जोधपुर, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़ तथा टोंक) में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
झारखंड	24	24	24 जिलों के लिए तीन ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई (प्रति 8 जिलों के लिए एक)
नागालैंड	11	11	सभी जिलों के लिए ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई
पश्चिम बंगाल	19	19	19 जिलों के लिए सात ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई

एपीएम दर पर प्राकृतिक गैस

3831. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुंबई में परिवहन क्षेत्र में सीएनजी उपलब्ध कराने हेतु शासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) की दर पर प्राकृतिक गैस आबंटित की जाती है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में परिवहन क्षेत्र हेतु एपीएम गैस के आबंटन का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से गुजरात सरकार के इन अनुरोधों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.

सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से परिवहन क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) गैस के आबंटन के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, एपीएम गैस की उपलब्धता से कमी के कारण कोई एपीएम गैस आबंटित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

3832. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कार्यालयों के ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 अप्रैल, 2009 से जुलाई, 2011 के बीच भारतीय गैस प्राधिकारण लि. (गेल) तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के अधिकारियों द्वारा किये गये विदेशी दौरों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय किया गया;

(ग) प्रत्येक मामले में विदेशी दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(घ) इन विदेशी दौरों से कंपनियों को क्या लाभ पहुंचा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल उपक्रमों के विदेशों में निजी कार्यालयों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

कम्पनी का नाम	देश	कार्यालयों की संख्या
1	2	3
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल)	रूस	3
	वियतनाम	1
	इरान	1
	क्यूबा	1
	वेनेजुएला	1
	कजाखस्तान	2
	कोलंबिया	1
	नीदरलैण्ड्स	1
	उत्तरी सूडान	1
	दक्षिणी सूडान	1
	ब्राजील	1
	लीबिया	1
	इराक	1
	सीरिया	1
ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआइएल)	लीबिया	1
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	श्रीलंका	1

1	2	3
	मॉरिशस	1
	यू.ए.ई.	1
	स्वीडन	1
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)	मिस्र	1

(ख) दिनांक 01.04.2009 से 01.07.2011 की अवधि के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं और उन पर किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नवत् है:

नाम	यात्राओं की संख्या	व्यय
गेल	462	5.20 करोड़
ओएनजीसी	1650	30.45 करोड़

(ग) और (घ) ये यात्राएं विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं जैसे कार्य संगठनों और विदेश प्रचालनों, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, संगोठियों/सम्मेलनों में भाग लेने और अभिपत्र प्रस्तुत करने के लिए की गई। व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के अतिरिक्त इन यात्राओं से अधिकारियों के कौशल/ज्ञान को बढ़ाने में भी सहायता मिली है।

[अनुवाद]

केरल-कोंकण बेसिन में तेल अन्वेषण

3833. श्री पी.टी. थॉमसः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल-कोंकण क्षेत्र में तेल अन्वेषण की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) अन्वेषण हेतु कितने ब्लॉक प्रदान किये गये तथा प्रचालकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान समय में प्रचालनरत ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ओर (ख) उत्पादन हिस्सेदरी संविदा (पीएससी) प्रणाली के तहत केरल-कोंकण बेसिन में उथले और गहरे समुद्री क्षेत्रों में 19 अन्वेषण ब्लाक निम्न रूप से प्रदान किए गए:

* आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) और इसके परिसंघ भागीदारी के 11 ब्लाक प्रदान किए गए,
* रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को 8 ब्लाक और
* बीएचपी बिल्लिटन और जीवीके आयल एण्ड गैस लि. को 1 ब्लाक।

अब तक द्वि-आयामी भूकंपीय क्षेत्र के लगभग 47,657 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) और त्रि-आयामी भूकंपीय क्षेत्र के 12,667 वर्ग किमी का डाटा अर्जित कर लिया गया है और प्रदान किए गए ब्लाकों में 7 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन कर लिया गया है। अब तक हाइड्रोकार्बन की कोई खोज नहीं की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ओएनजीसी ने केरल-कोंकण बेसिन में नामांकित क्षेत्रों में द्वि-आयामी भूकंपीय क्षेत्र के 98885 एलकेएम और त्रि-आयामी भूकंपीय क्षेत्र के 222 वर्ग किमी का डाटा अर्जित कर लिया है।

(ग) प्रदान किए गए 19 ब्लाकों में से अब तक 12 ब्लाक परित्याग कर दिए गए हैं और 7 ब्लाक वर्तमान में प्रचालन में हैं। उक्त प्रचालनरत ब्लाक निम्नवत् है:

* ओएनजीसी और इसके परिसंघ भागीदारी के तहत 4 ब्लाक
* रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के तहत 2 ब्लाक और
* बीएचपी बिल्लिटन और जीवीके आयल एण्ड गैस लि. के तहत 1 ब्लाक 19 ब्लाकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

दिनांक 31-03-2011 के स्थिति के अनुसार पीएसपी व्यवस्था के तहत केरल-कोंकण बेसिन में प्रदान किए गए और प्रचालनरत/त्याग दिए गए ब्लाकों की स्थिति

क्र.सं.	बेसिन	प्रकार	ब्लाक	प्रचालनरत/त्याग दिए गए	प्रचालक/परिसंघ
1.	केरल-कोंकण	गहरे समुद्री	केकेडीडब्ल्यूएन-2000/2	त्याग दिए गए	ओएनजीसी 85%, गेल 15%
2.			केकेडीडब्ल्यूएन-2000/1	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
3.			केकेडीडब्ल्यूएन-2000/3	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
4.			केकेडीडब्ल्यूएन-2001/1	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
5.			केकेडीडब्ल्यूएन-2001/2	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
6.			केकेडीडब्ल्यूएन-2001/3	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
7.			केकेडीडब्ल्यूएन-2002/2	प्रचालनरत	आरआईएल 80, एचपीसीएल-20
8		गहरे समुद्री	केकेडीडब्ल्यूएन-2002/3	प्रचानरत	आरआईएल 80, एचपीसीएल-20
9.			केकेडीडब्ल्यूएन-2003/2	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
10.			केकेडीडब्ल्यूएन-2003/2	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
11.			केकेडीडब्ल्यूएन-2000/4	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
12.			केकेडीडब्ल्यूएन-2004/1	प्रचालनरत	ओएनजीसी 45% केर्न 40% टाटा 15%
13.			केकेडीडब्ल्यूएन-2004/1	प्रचालनरत	बीएचपी बिल्लिटन पेट्रालियम इंटरनेशनल प्रा.लि. 26% और जीवीके ऑयल एण्ड गैस लि. 74%
14.			केकेडीडब्ल्यूएन-2005/2	प्रचालनरत	ओएनजीसी 90%, जीएसपीसी 10%
15.			केकेडीडब्ल्यूएन-97/2	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
16.			केकेडीडब्ल्यूएन-97/3	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
17.		उथले समुद्री	केकेडीडब्ल्यूएन-2000/1	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
18.			केकेडीडब्ल्यूएन-2001/2	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%
19.			केकेडीडब्ल्यूएन-2001/3	त्याग दिए गए	आरआईएल 100%

टिप्पणी : प्रचालकों को बड़ी अक्षरों में निर्दिष्ट किया गया है।

मालभाड़ा टर्मिनल/डीएफसी

3834. श्री बाल कुमार पटेल:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मालभाड़ा टर्मिनल रेकों की सामान्य विहित सीमा से कहीं अधिक मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्षमता बढ़ाने के लिए तथा बेहतर रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या समर्पित मालभाड़ा गलियारे में कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है चूंकि इस प्रयोजनार्थ भू-अर्जन कार्य चिरकाल से लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात स्वरूप और मांग के आधार पर भारतीय रेल नेटवर्क पर नए माल यातायात टर्मिनलों का क्षमता आवर्धन/विकास एक सतत् प्रक्रिया है। फिलहाल, रेलों पर 119 माल यातायात टर्मिनल पर अपग्रेडेशन कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों में लदान/उतराई क्षेत्रों का विकास, बेहतर प्रकाश सुविधाएं, परिचलन पहुंच मार्ग में सुधार और लदान/उतराई लाइनों के सृजन के अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था जैसे कार्य शामिल हैं।

(घ) जी नहीं। अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और अच्छी प्रगति पर है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नोटरी पब्लिक

3835. श्री सुखदेव सिंह:
श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:
श्री नवीन जिंदल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नोटरी पब्लिक लाइसेंस प्रदान किये जाने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) नोटरी अधिनियम के तहत राज्य तथा केन्द्रीय नोटरी लाइसेंस प्रदत्त व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान नोटरी पब्लिक लाइसेंस हेतु राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा निपटाये गये;

(घ) लंबित आवेदनों पर उचित निर्णय लिये जाने में विलम्ब के क्या करण हैं;

(ङ) सभी आवेदनों का कब तक निपटान किये जाने की संभावना है; और

(च) विभिन्न राज्यों में नोटरी पब्लिक हेतु नियुक्ति के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के अधिवक्तओं हेतु कोटे का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार नोटेरी पब्लिक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या से संबंधित जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नोटेरी पब्लिक अनुज्ञप्तियों के लिए प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों की संख्या को दर्शित करने ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) नोटेरी अधिनिमय, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार नेटेरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए आवेदन गहन संवीक्षा की मांग के लिए लंबित है।

(ङ) आवेदनों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है। तथापि, आवेदन के तीव्र निपटान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिवक्ताओं के लिए कोटा का उपबंध करने के लिए, नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 में कोई उपबंध नहीं है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अनुज्ञप्त केंद्रीय नोटेरियों की संख्या
1	2
अंदमान और निकोबार	-
आन्ध्र प्रदेश	262
अरुणाचल प्रदेश	-
असम	02
बिहार	41
चंडीगढ़	60
छत्तीसगढ़	08
दिल्ली	460
दादरा और नगर हवेली	01
दमन और दीव	-
गोवा	12
गुजरात	425
हिमालच प्रदेश	04
हरियाणा	764
झारखंड	08
जम्मू-कश्मीर	-
केरल	492
कर्नाटक	523
लक्षद्वीप	-
मेघालय	-
महाराष्ट्र	1607
मणिपुर	-
मिजोरम	-
मध्य प्रदेश	60
नागालैंड	-
उड़ीसा	18
पंजाब	728
पुडुचेरी	91
राजस्थान	503
सिक्किम	-
तमिलनाडु	552
त्रिपुरा	07
उत्तर प्रदेश	1298
उत्तराखंड	27
पश्चिमी बंगाल	168

विवरण-II

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वर्ष 2010-11 में आवेदनों की संख्या		वर्ष 2011-12 में आवेदनों की संख्या	
	प्राप्त किए गए	निपटाए गए	प्राप्त किए गए	निपटाए गए
1	2	3	4	5
अंदमान और निकोबार	-		-	

1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	216	136	54	-
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
असम	41	20	12	-
बिहार	11	07	12	-
चंडीगढ़	06	03	04	-
छत्तीसगढ़	61	40	20	-
दिल्ली	-	-	-	-
दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
दमन और दीव	-	-	-	-
गोवा	01	01	-	-
गुजरात	628	342	151	-
हिमाचल प्रदेश	04	03	-	-
हरियाणा	189	123	51	-
झारखंड	17	07	02	-
जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-
केरल	207	141	32	-
कर्नाटक	342	236	80	-
लक्षद्वीप	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	-
महाराष्ट्र	657	377	359	-
मणिपुर	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	19	10	12	-
नागालैंड	-	-	01	-
उड़ीसा	11	08	02	-
पंजाब	107	72	28	-

1	2	3	4	5
पुडुचेरी	07	06	01	–
राजस्थान	210	156	112	–
सिक्किम	–	–	–	–
तमिलनाडु	564	399	108	–
त्रिपुरा	11	04	03	–
उत्तर प्रदेश	340	229	119	–
उत्तराखंड	15	12	03	–
पश्चिम बंगाल	18	11	03	–

एमजीएनआरईजीएस के तहत जॉब कार्डधारक

3836. श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र-वार जॉब कार्डधारकों की संख्या क्या है तथा कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या सरकार ने योजना के तहत सभी जॉब कार्डधारकों को रोजगार मुहैया न कराये जाने के कारणों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव उन जॉब कार्डधारकों को विवर्जित करने का है जिन्होंने लंबे समय से रोजगार की मांग नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों चालू वर्ष के दौरान महामा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत जॉब कार्ड पाने वाले परिवारों की संचयी संख्या ओर रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मनरेगा में अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा की अनुसूची-II के पैरा 1 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, जॉब कार्ड पाने के लिए अपने परिवार के पंजीयन के लिए आवेदन दे सकते हैं। तथापि, अधिनियम के अंतर्गत केवल जॉब कार्ड पाने मात्र से कोई परिवार रोजगार पाने का हकदार नहीं बन जाता। अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 9 के तहत् परिवार को रोजगार पाने का हकदार बनने के लिए कार्य के लिए आवेदन भी करना पड़ता है। इसलिए, जॉब कार्ड रखने वाले और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या को रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या की तुलना में देखा जाना होता हैं चूंकि रोजगार मांग के आधार उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या रोजगार की मांग पर निर्भर करती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महात्मा गांधी नरेगा का कार्य निष्पादन (रोजगार सृजन)

क्र.सं.	राज्य	परिवारों की संचयी सं. जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए (सं. में) (2011-12, जून, 11 तक)				रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (सं. में) (2011-12, जून, 11 तक)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11347815	11722646	11991323	11703122	5699557	6158493	6200423	643881
2.	अरूणाचल प्रदेश	154957	135140	170350	35359	80714	68157	134527	NR
3.	असम	2970522	3611714	4369561	3824432	1877393	2137270	1798372	353450
4.	बिहार	10284009	12403792	13044879	11433429	3822484	4127330	4738464	121730
5.	छत्तीसगढ़	3354795	3574607	3911126	4170939	2270415	2025845	2485581	1763395
6.	गुजरात	2877792	3570123	3955998	3908242	850691	1596402	1096223	291555
7.	हरियाणा	377568	459367	582737	592465	162932	156406	235281	84058
8.	हिमाचल प्रदेश	849993	994969	1050602	1053259	445713	497336	444247	146004
9.	जम्मू व कश्मीर	497175	664494	1001681	459175	199166	336036	492277	10102
10.	झारखंड	3375992	3697477	3920922	3953929	1576348	1702599	1987360	764122
11.	कर्नाटक	3420945	5220895	5294245	5271750	896212	3535281	2224468	113796
12.	केरल	1897713	2599453	2915670	752208	692015	955976	1175816	429073
13.	मध्य प्रदेश	11229547	11292252	11384370	11562701	5207665	4714591	4407643	819588
14.	महाराष्ट्र	4814593	5699877	5832823	5864944	906297	591547	451169	148711
15.	मणिपुर	385836	426533	444886	338723	381109	418564	433856	36540
16.	मेघालय	298755	372523	398226	416535	224263	300482	346148	10568
17.	मिजोरम	172775	180803	170894	195309	172775	180140	170894	16347
18.	नागालैंड	296738	325242	350815	364228	296689	325242	350815	NR
19.	उड़ीसा	5267853	5802442	6025230	6042546	1199006	1398300	2004815	477029
20.	पंजाब	524928	704874	821076	829525	147336	271934	278134	97953
21.	राजस्थान	8468740	8827935	9274312	9922664	6373093	6522264	5859667	2605022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	सिक्किम	77112	70050	73575	75625	52006	54156	56401	6214
23.	तमिलनाडु	5512827	6535710	7347187	7876185	3345648	4373257	4969140	3147150
24.	त्रिपुरा	600615	607010	584900	586753	549022	576487	557055	397255
25.	उत्तर प्रदेश	10652018	11698780	13052850	13283486	4336466	5483434	6431213	2678437
26.	उत्तरांचल	817753	893496	974529	975426	298741	522304	542391	67210
27.	पश्चिम बंगाल	9556067	10351948	10731538	10815829	3025854	3479915	4998239	1053121
28.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	23313	12763	44406	51772	5975	20337	17636	1906
29.	दादरा व नगर हवेली	8100	10923	11135	NR	1919	3741	2290	NR
30.	दमन व द्वीप	NR	NR	NR	NR	0	0	0	NR
31.	गोवा	10244	14279	21032	23725	0	6604	13897	4557
32.	लक्षद्वीप	3313	6079	7787	6781	3024	5192	4507	NR
33.	पुडुचेरी	15547	60780	63769	63427	12264	40377	38118	1260
34.	चंडीगढ़	NR	NR	NR	NR	0	0	0	0
	कुल	100145950	112548976	119824434	116454493	45112792	52585999	54947068	16290034

एनआर-असूचित

[अनुवाद]

महिला यात्रियों की संरक्षा

3837. श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री वैजयंत पांडा:
शेख सैदुल हक:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्रीमती अश्वमेध देवी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को हाल ही में घटित एक घटना की जानकारी है जिसमें एक खिलाड़ी महिला को चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंके जाने के बाद उसे अपनी टांगें गंवानी पड़ीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार महिला यात्रियों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के संबंध में दी गई सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने अपराधियों को सजा देने के लिए कोई कदम उठाये हैं और क्या खिलाड़ी महिला को कोई वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चलती रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 11.04.2011 को, 4.10 बजे से 4.20 बजे के बीच एक महिला यात्री सोनू उर्फ अरूणिमा सिन्हा पत्नी रोबिन चित्रवंशी, निवासी अल्पकापुरी, कुर्सी रोड, थाना गुडंबा, जिला लखनऊ की निवासी के साथ गाड़ी सं. 14205 से यात्रा करने के दौरान उस

समय एक घटना घटी जब गाड़ी छनेकी रेलवे स्टेशन से आगे निकल कर फैजाबाद और दिल्ली के बीच चल रही थी। वह बगल वाले ट्रैक से गुजर रही गाड़ी संख्या 13010 देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस के नीचे आ गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी बाईं टांग गंवानी पड़ी। उसे रेलवे कर्मचारियों द्वारा बरेली के सिविल अस्पताल ले जाया गया था। इस घटना के कारणों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

उपरोक्त महिला यात्री द्वारा की गई शिकायत के आधार पर राजकीय रेलवे पुलिस/बरेली ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 393 के तहत अपराध सं. 121/2011 के तहत एक मामला दर्ज किया है। अभी तक किसी अपराधी की पहचान नहीं की गई है। तत्काल राहत के अलावा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ के आदेशों के अनुसार अंतरिम मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। यह भुगतान माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के माध्यम से दिनांक 21.04. 2011 के चेक सं. 791618 के तहत किया गया था।

चलती गाड़ियों में महिला यात्रियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

(घ) चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करते हैं। अत: रेलों में अपराध के ऐसे मामलों के बारे में राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किया जाता है और उनके द्वारा इन्हें दर्ज किया जता है और इनकी जांच की जाती है। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में मार्गरक्षण करके और महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल करके राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता प्रदान करती है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रोजाना 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, संवेदनशील और चिह्नित मार्गों/खंडों पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

2. 202 संवदेशील और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदढ़ बनाने के लिए क्लोज़ सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क के माध्यम से भेद्य स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़ निरोधक जांचों से युक्त एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली अनुमोदित की गई है।

3. महिला यात्रियों के लिए महानगरों में महिला विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं।

4. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा अपराधों का उचित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस के साथ सभी स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5. महिला कंपार्टमेन्टों में यात्रा करने वाले पुरुषों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं और दोषियों पर रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत मुकदमा दर्ज किया जता है।

6. यात्रियों से जुड़े अपराधों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को समर्थ बनाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

7. रेलगाड़ी मार्गरक्षकों को अधिक सतर्क रहने और जब कभी गाड़ी मध्यवर्ती स्टेशनों पर रूकती है, तो उन्हें महिला कंपार्टमेन्टों पर नजर रखने के अनुदेश दिए गए हैं।

विवरण

रेलवे	वर्ष	चलती रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराधों के मामलों की संख्या			गिरफ्तारी
		चलती रेलगाड़ियों से नीचे फेंकना	कत्ल और बलात्कार	अन्य छोटे अपराध	
1	2	3	4	5	6
मध्य	2009	0	0	0	0
	2010	1	0	0	1

1	2	3	4	5	6
	2011*	0	2	0	1
पूर्व	2009	1	0	4	8
	2010	0	0	12	12
	2011*	0	0	4	2
पूर्व मध्य	2009	0	0	4	8
	2010	0	1	15	13
	2011*	0	0	2	1
पूर्व तट	2009	0	0	2	0
	2010	0	0	2	0
	2011*	0	0	2	2
उत्तर	2009	0	0	24	28
	2010	0	0	24	31
	2011*	1	1	15	35
उत्तर मध्य	2009	0	0	17	13
	2010	0	0	25	24
	2011*	0	0	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	2009	0	0	3	2
	2010	0	0	2	2
	2011*	0	0	1	1
उत्तर पश्चिम	2009	0	0	32	10
	2010	0	0	27	16
	2011*	0	1	33	26
दक्षिण	2009	0	1	19	27
	2010	0	0	20	20
	2011*	0	1	27	28
दक्षिण मध्य	2009	0	0	1	5

1	2	3	4	5	6
	2010	0	1	4	6
	2011*	0	0	3	4
दक्षिण पूर्व	2009	0	0	1	2
	2010	0	0	1	3
	2011*	0	0	1	2
दक्षिण पूर्व मध्य	2009	0	0	1	1
	2010	0	0	2	4
	2011*	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	2009	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0
	2011*	0	0	0	0
पश्चिम	2009	0	0	6	8
	2010	0	0	5	7
	2011*	0	0	0	0
पश्चिम मध्य	2009	0	0	20	15
	2010	1	0	15	22
	2011*	0	0	8	3
कुल	2009	1	1	136	133
	2010	2	2	154	162
	2011*	1	5	117	120

* वर्ष 2011 के आंकड़े जून तक के हैं।

यात्री सुविधाएं तथा मूलभूत सुविधाएं

3838. **प्रो. रामशंकर:**
श्री जगदानंद सिंह:
श्री ए. सम्पत:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में विभिन्न यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में पेयजल तथा स्वच्छ शौचालय जैसी यात्री तथा जन सुविधाओं की निगरानी की प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सेवाओं के खराब रखरखाव के संबंध में प्राप्त शिकायतों का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का बाराबंकी, आगरा कैंट, मंगलौर जंक्शन तथा मंगलौर सैंट्रल स्टेशनों सहित जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे स्टेशनों को यात्री यातायात से आमदनी के आधार पर सात कोटियों ('ए-1' से 'एफ') में बांटा गया है। स्टेशनों पर सुविधाएं की प्रत्येक कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार मुहैया करायी जाती हैं।

यात्री डिब्बों में सुविधाओं और सुख-सुविधाओं को भारतीय रेल में सवारी डिब्बों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार मुहैया कराया जाता है।

(ख) स्टेशनों और गाड़ियों पर पीने का पानी और स्वच्छ शौचालयों सहित सुविधाओं के प्रावधान की निगरानी और अनुरक्षण, अपर क्षेत्रीय महाप्रबंधक (क्षेत्रीय स्तर) और अपर मंडल रेल प्रबंधक (मंडल स्तर) द्वारा किया जाता है। यात्री सुविधाओं में सुविधाओं का निरीक्षण करने और कमियों/खामियों में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय उठाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवा सुधार समूहों का गठन किया गया है।

(ग) विभिन्न स्टेशनों और गाड़ियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए आम जनता और जनता के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में अनुरोध/सुझाव/शिकायतें प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार के अनुरोधों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान यात्री सेवाओं/सुविधाओं में से कुछेक जैसे पानी की अनुपलब्धता, स्टेशनों पर स्वच्छता, सवारी डिब्बों के अनुसरक्षण/स्वच्छता, विद्युत उपकरणों का खराब होना, श्यनयान श्रेणी से संबंधित शिकायतें और बिस्तरों की अनुपलब्धता/घटिया गुणवत्ता, खराब अनुरक्षण से संबंधित शिकायतों का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बाराबंकी, आगरा कैंट, मंगलौर जंक्शन और मंगलौर सेंट्रल स्टेशनों सहित क्षेत्रीय रेलों पर प्राप्त शिकायतों पर निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(i) सभी क्षेत्रीय रेलों में स्टेशनों पर मौजूदा यात्री सुविधाओं की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है। अधिकारियों और सेवा सुधार समूहों के निरीक्षणों के दौरान यात्री सुविधाओं में पाई गई खामियों में सुधार किया जाता है।

(ii) लापरवाह पाए गए कर्मचारियों को सलाह, चेतावनी दी जाती है और/अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(iii) स्टेशनों पर स्वचछता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभियान चलाये जाते हैं।

(iv) यद्यपि जहां तक संभव होता है, रेलवे हो अधिक से अधिक सुझावों को शामिल करने का प्रयत्न करती है तथापि कार्यों को संभाले गए यातायात, स्टेशनों की सापेक्ष महत्वत्ता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जाता है।

(v) क्षेत्रीय रेलों को अपने वार्षिक निर्माण कार्यक्रम को तैयार करते समय इन सभी सुझावों को ध्यान में रखने के लिए निदेश दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान यात्री सेवाओं/सुविधाओं में से कुछ जैसे पानी की अनुपलब्धता, स्टेशनों पर स्वच्छता, सवारी डिब्बों का अनुरक्षण/स्वच्छता, विद्युत उपकरणों का खराब होना, शयनयान श्रेणी से संबंधित शिकायतें और बिस्तरों की अनुपलब्धता/घटिया गुणवत्ता और खराब अनुरक्षण से संबंधित शिकायतों का जोनवार विवरण:

रेलवे	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
मध्य	738	780	592
पूर्व	173	240	494

1	2	3	4
पूर्व मध्य	172	325	328
पूर्व तट	481	700	611
उत्तर	2277	516	216
उत्तर मध्य	111	139	142
पूर्वोत्तर	128	115	101
पूर्वोत्तर सीमा	98	173	293
उत्तर पश्चिम	135	187	92
दक्षिण	352	348	310
दक्षिण मध्य	135	171	243
दक्षिण पूर्व	187	254	184
दक्षिण पूर्व मध्य	123	342	216
दक्षिण पश्चिम	61	81	94
पश्चिम	775	765	513
पश्चिम मध्य	92	156	92
जोड़	6038	5292	4521

एमएसएमई का निष्पादन

3839. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री मनीष तिवारी:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन उद्यमों द्वारा सृजित रोजगार का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कुल औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा कोई रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम और उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर सूचना का आकलन वर्तमान में क्षेत्र के लिए आवधिक तौर पर अखिल भारतीय गणना आयोजित करते हुए किया जाता है। एमएसएमई की नवीतनम

अखिल भारतीय गणना (चौथी अखिल भारतीय गणना) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित की गई। चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 के अनुसार, पंजीकृत एमएसएमई का राज्य व संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 के अनुसार, सृजित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2008-09 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) का योगदान 44.86 आकलित किया गया था। निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2007-08 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए देश के कुल निर्यातों में सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) का आकलित योगदान 30.80% था। राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरे केंद्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय विभिन्न प्लान योजनाओं के तहत देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन तथा वर्तमान वित्तीय वर्षों के दौरान प्लान योजना के तहत इस उद्देश्य के लिए आबंटित निधियां इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबंटन
2008-09	1794
2009-10	1794
2010-11	2400
2011-12	2700

निधियां योजनावार आबंटित की जाती हैं, राज्य/संघ शासित प्रदेश वार नहीं। सरकार देश में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए उद्यमिता व कौशल विकास, ऋण, अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विपणन से संबंधित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिनमें से सभी रोजगार अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। कार्यान्वित की जा रही कुछ मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम है, क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी योजना, निष्पादन व क्रेडि रेटिंग योजना, कलस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और बाजार विकास सहायता योजना।

विवरण-I

पंजीकृत चालू उद्यमों का राज्य-वार वितरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोड	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	योग
1	2	3	4	5	6
01	जम्मू व कश्मीर	14572	408	13	14993
02	हिमाचल प्रदेश	11522	384	25	11931
03	पंजाब	45345	2675	90	48110
04	चंडीगढ़	967	28	1	996
05	उत्तरांचल	23349	389	27	23765
06	हरियाणा	30741	2329	80	33150
07	दिल्ली	3510	236	8	3754
08	राजस्थान	52241	2541	103	54885

1	2	3	4	5	6
09	उत्तर प्रदेश	184503	3089	150	187742
10	बिहार	49867	157	12	50036
11	सिक्किम	110	12	0	122
12	अरूणाचल प्रदेश	399	16	2	417
13	नागालैंड	1298	33	1	1332
14	मणिपुर	4480	12	0	4492
15	मिजोरम	3663	51	1	3715
16	त्रिपुरा	1296	43	4	1343
17	मेघालय	2972	37	1	3010
18	असम	19238	599	27	19864
19	पश्चिम बंगाल	41420	1758	81	43259
20	झारखंड	17699	471	20	18190
21	उड़ीसा	18840	745	21	19606
22	छत्तीसगढ़	22402	356	10	22768
23	मध्य प्रदेश	105998	950	49	106997
24	गुजरात	196894	31676	1260	229830
25	दमन एवं दीव	413	167	14	594
26	दादरा व नगर हवेली	1671	45	0	1716
27	महाराष्ट्र	73936	12459	191	86586
28	आंध्र प्रदेश	42708	2949	35	45692
29	कर्नाटक	133524	2562	100	136186
30	गोवा	2395	207	19	2621
31	लक्षद्वीप	2	0	0	2
32	केरल	148497	1611	80	150188
33	तमिलनाडु	226285	7349	247	233881
34	पुडुचेरी	1275	165	11	1451
35	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	736	14	0	750
	अखिल भारतीय	1484768	76523	2683	1563974

विवरण-II

पंजीकृत चालू उद्यमों का राज्य-वार वितरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोड	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	योग
1	2	3	4	5	6
01	जम्मू व कश्मीर	71438	16201	2519	90158
02	हिमाचल प्रदेश	39673	20281	5194	65148
03	पंजाब	279233	123636	12969	415838
04	चंडीगढ़	10045	985	675	11705
05	उत्तरांचल	57189	20184	2568	79941
06	हरियाणा	214246	137399	30129	381774
07	दिल्ली	41200	15818	1105	58123
08	राजस्थान	244541	84673	12476	341690
09	उत्तर प्रदेश	603987	132071	18850	754908
10	बिहार	142473	4811	491	147775
11	सिक्किम	792	367	0	1159
12	अरूणाचल प्रदेश	2846	1903	662	5411
13	नागालैंड	14506	1639	136	16281
14	मणिपुर	19862	98	0	19960
15	मिजोरम	25491	538	3	26032
16	त्रिपुरा	17084	5878	204	23166
17	मेघालय	12023	530	148	12701
18	असम	115279	77452	17776	210507
19	पश्चिम बंगाल	261467	87210	11578	360255
20	झारखंड	59999	12783	2352	75134
21	उड़ीसा	138414	30919	3755	173088
22	छत्तीसगढ़	64160	10496	438	75094
23	मध्य प्रदेश	251293	38643	8111	298047

1	2	3	4	5	6
24	गुजरात	730358	343740	170883	1244981
25	दमन एवं दीव	9730	13167	2621	25518
26	दादरा व नगर हवेली	23919	2557	0	26476
27	महाराष्ट्र	656180	395544	37066	1088790
28	आंध्र प्रदेश	279485	95087	8405	382977
29	कर्नाटक	596621	172427	20311	789359
30	गोवा	14896	16593	1841	33330
31	लक्षद्वीप	2	0	0	2
32	केरल	545950	66530	8943	621423
33	तमिलनाडु	973240	403757	49059	1426056
34	पुडुचेरी	11075	9013	998	21086
35	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	5490	103	0	5593
	अखिल भारतीय	6534187	2343033	432266	9309486

खादी के लिए बाजार विकास सहायता योजना

3840. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खादी के विकास हेतु बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना छूट प्रणाली के क्रम में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एमडीए के तहत सूत कातने वालों तथा बुनकरों को दी जाने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ताकि खादी कारीगरों की आय में वृद्धि की जा सके;

(च) क्या एमडीए के तहत कतिपय धनराशि को खादी संस्थानों के लिए उत्पादन तथा विपणन संबंधी क्रियाकलापों हेतु भी निर्धारित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने खादी उत्पादों के बाजार के संवर्द्धन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआईसी) के मार्फत वर्ष 2009-10 तक खादी और खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट की नीति को जारी रखा। सामान्य छूट बिक्री की 10% दर से वर्ष भर दी जाती थी जबकि विशेष अतिरिक्त छूट 10% गांधी जयंती तथा/अथवा स्थानीय त्योहारों के समरूप 108 विशेष दिनों के लिए दी जाती थी। तथापि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों एवं प्रायोगिक परियोजनाओं के प्रयासों के पश्चात तथा स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद सरकार ने खादी उत्पादों पर मौजूदा बिक्री पर छूट स्कीम के स्थान पर 1 अप्रैल 2010 से अधिक लचीली स्कीम, विपणन विकास सहायता (एमडीए) स्कीम प्रारंभ की। एमडीए स्कीम को खादी एवं पॉलीवस्त्रों के उत्पादन मूल्य पर 20% दर की वित्तीय

सहायता को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसको कामगारों, उत्पादन संस्थानों तथा बिक्री संस्थानों में 25:30:45 के शेयर के रूप में दिया जाएगा।

(ङ) नई एमडीए स्कीम के प्रावधानों में कामगारों को उनके बैंक खातों अथवा डाकघर खातों के मार्फत वेतन के अतिरिक्त 25% सहायता (एमडीए) इन्सेटिव अथवा बोनस के रूप में होगी।

(च) जी, हां।

(छ) एमडीए स्कीम के तहत उत्पादक संस्थान एमडीए का 30% रखने का हकदार है और एमडीए का 45% बिक्री संस्थानों को देंगे जिनको आवश्यकतानुसार आउटलेट के सुधार, बिक्री कर्ताओं के प्रशिक्षण, डिजाइनिंग, विज्ञापन, ग्राहकों को छूट देने आदि के साथ-साथ अपने हिस्से का उपयोग लचीले रूप में करने दिया जाएगा।

योजनाओं का समेकन किया जाना

3841. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं तथा कृषि क्रियाकलापों को समेकित किये जाने पर विचार कर रही है ताकि वैश्विक मंदी के प्रभाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार तथा स्वरोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसजीएसवाई/एनआरएलएम) का कार्यान्वयन करता है।

मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक की गारंटी मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराता है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। अधिनियम में सुझाव गए कार्यों से कृषि संबंधी समस्याओं जैसे सूखा, वन की कटाई तथा मृदाक्षरण जैसी समस्याओं को दूर किया जता है ताकि रोजगार सृजन की प्रक्रिया के स्थायित्व आधार चलाया जा सके। वास्तव में, मनरेगा पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन के जरिए खाद्य तथा आजीविका सुरक्षा तथा दीर्घकालिक स्थाई विकास को पाने के अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर दिखाई पड़ता है।

एसजीएसवाई बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के जरिए कृषि सहित आय सृजन संबंधी आर्थिक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले (स्वरोजगारी) ग्रामीण गरीब परिवारों को सहायता देने वाली एक प्रमुख चालू योजना है। योजना में प्रमुख क्रियाकलापों का चयन, क्रियाकलाप समूहों का नियोजन, गरीबों को स्वसहायता समूहों में संगठित करना तथा प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के जरिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, आधारभूत संरचना का सृजन, प्रौद्योगिकीय तथा विपणन सहायता आदि शामिल हैं। एसजीएसवाई को इस मुख्य विश्वास से एनआरएलएम के रूप में पुनर्सृजित किया गया है कि गरीबों के पास स्वभाविक क्षमता तथा गरीबी से बाहर आने की दृढ़ इच्छाशक्ति है।

बाल विवाह

3842. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने बाल विवाह को अवैध घोषित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने, वर्ष 2008 में "बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य अनुषंगी विधियों के संशोधन के लिए प्रस्ताव" पर प्रस्तुत अपनी

205वीं रिपोट द्वारा सिफारिश की है कि कतिपय आयु से नीचे बाल विवाह अर्थात् 16 वर्षों से नीचे को शून्य बना दिया जाना चाहिए और यह भी सिफारिश की कि 16 और 18 वर्षों के बीच के सभी विवाहों को किसी भी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय बना दिया जाना चाहिए।

(ग) 16 वर्षों से नीचे की आयु के विवाहों को शून्य घोषित करने की सिफारिशें प्रदर्शित करती हैं कि बालक की परिभाषा को 16 वर्षों तक निर्बाधित कर दिया गया है जो कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में अंतर्विष्ट के उपबंधों के विरूद्ध है। अत: यह विनिश्चय किया गया था कि इन अधिनियमों के विद्यमान उपबंधों को रहने दिया जाए।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों का चिकित्सा पुनर्वास

3843. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के चिकित्सीय पुनर्वास हेतु 500 करोड़ रुपये की कायिक निधि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि को कब तक राज्य को उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जून, 2008 में एक कार्य योजना प्रस्तुत की थी जिसमें रुपये 982.75 करोड़ खर्च होना था। इस योजना में आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए रुपये 500 करोड़ की कायिक निधि शामिल थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के दीर्घावधि चिकित्सा पुनर्वास के लिए निधि और इसे पूरा करने के लिए रुपये 500 करोड़ की कायिक नीधि की आवश्यकता के बारे में 21 दिसम्बर, 2010 को व्यापक संशोधित प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश सरकार के उक्त प्रस्ताव पर भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में दिनांक 24.03.2011 को विचार किया गया था। मंत्रियों के समूह ने निदेश दिया की रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात् इसे योजना आयोग को भेजेगा जो ऐसे प्रस्तावों की जांच के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानक पैरामीटरों को लागू करते हुए नए सिरे से इसकी जांच करेगा। तत्पश्चात, इस मामले को निर्णय के लिए मंत्रियों के समूह के समक्ष लाया जाएगा। कायिक निधि के लिए रुपये 500 करोड़ प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव की विधिवत् जांच करने के पश्चात् रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने इसे 07 अप्रैल, 2011 को योजना आयोग को उनकी जांच एवं उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया है।

[अनुवाद]

मिनी रत्न दर्जा प्रदान किया जाना

3844. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिज एंड रुफ कंपनी तथा भारत पम्प एंड कम्प्रेशर्स को मिनी रत्न दर्जा प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों कंपनियों के निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी वर्षों के दौरान महारत्न/नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए इसके निष्पादन में और सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) तथा भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) को दिनांक 21.09.2010 को मिनिरत्न-I तथा मिनिरत्न-II का दर्जा दिया गया।

बीएंडआर तथा बीपीसीएल का गत तीन वर्षो का निष्पादन निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

निष्पादन पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2008-09	2009-10	2010-11 (अलेखापरीक्षित अनंतिम)
कारोबार	940.32	1165.31	1327.70
करपूर्व लाभ (पीबीटी)	33.26	64.11	85.30
आर्डर बुकिंग	947.81	1353.15	1331.73

भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

(करोड़ रुपए)

निष्पादन पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2008-09	2009-10	2010-11 (अलेखापरीक्षित अनंतिम)
कारोबार	236.36	271.12	210.21
करपूर्व लाभ (पीबीटी)	19.64	31.09	14.26
आर्डर बुकिंग	227.64	104.18	159.59

(ग) और (घ) जब ये कंपनियां महारत्न/नवरत्न कंपनियों के लिए पात्र बनने हेतु निर्धारित पैरामीटर्स को पूरा कर लेंगी तब इन्हें इसका दर्जा दे दिया जाएगा।

[हिन्दी]

नकली/घटिया उर्वरकों की बिक्री तथा वितरण

3845. श्री देवजी एम. पटेल:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नकली/घटिया उर्वरकों की बिक्री और वितरण के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस समस्या से निपटने के लिए कानून के संगत उपबंध पर्याप्त और प्रभावी है अथवा कानून में कतिपय संशोधनों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है। किसानों के उचित मूल्य पर उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ) 1985 की घोषणा की है। एफसीओ उर्वरकों के मूल्य, वितरण और गुणवत्ता को नियमित करने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करता है। एफसीओ के खण्ड 19 के अंतर्गत

ऐसे उर्वरकों की बिक्री/उत्पादन करने पर कड़ा प्रतिबंध है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। एफसीओ के खण्ड 8 के अंतर्गत, उर्वरकों की बिक्री के लिए अधिसूचित प्राधिकारी से प्राधिकार-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

भारत सरकार के ध्यान में मिलावटी और घटिया उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन/बिक्री करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

राज्य सरकारों को अवमानक उर्वरकों की बिक्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। एफसीओ के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराधियों को सजा देने सहित दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ईसीए के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर प्राधिकार प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने के अलावा अपराधी को सात साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। फरीदाबाद, कल्याणी, मुम्बई और चेन्नई में भारत सरकार की चार प्रयोगशालाओं सहित 74 उर्वरक जांच प्रयोगशालाएं हैं जिनकी वार्षिक विश्लेषण क्षमता 1.32 लाख नमूने हैं। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान अखिल भारत स्तर पर अवमानक घोषित किए गए उर्वरकों के नमूनों का प्रतिशत क्रमशः 5.5% और 5.2% है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान अवमानक घोषित किए गए नमूनों की राज्य-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकरों को एफसीओ मानकों के अनुरूप उर्वरकों की बिक्री, उत्पादन, वितरण ओर गुणवत्ता के संबंध में समय-समय पर जानकारी दी जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 के दौरान विश्लेषण किए गए तथा अवमानक पाए गए उर्वरकों के नमूनों का राज्यवार/उत्पादवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	यूरिया/ए/एस और ए/सी		सीएएन		एसएसपी		डीएपी		एमओपी/एसओपी		एनपीके (सी)		एनपीके(एम)		एमएनएफ		अन्य		कुल	
		विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	असम	39	-	-	-	49	3	36	-	30	1	18	-	8	1	22	2	5	-	206	5
2.	बिहार	92	1	-	-	66	9	776	17	332	1	540	5	18	12	36	1	-	31	1860	46
3.	झारखंड	354	-	-	-	12	1	302	-	95	-	115	2	2	1	-	-	-	-	880	4
4.	उड़ीसा	1209	0	0	0	8	5	363	20	647	6	444	19	294	19	0	0	0	0	2965	69
5.	पश्चिम बंगाल	547	1	1	-	344	96	383	37	431	1	642	70	20	13	200	12	43	5	2611	235
6.	मिजोरम	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-
7.	गुजरात	1894	0	272	0	192	14	1722	2	513	0	992	6	243	4	147	13	247	4	6220	13
8.	मध्य प्रदेश	639	11	7	1	1163	239	1279	112	307	9	853	178	9	5	19	5	-	-	4276	560
9.	छत्तीसगढ़	582	1	3	-	668	56	384	78	297	-	203	16	202	41	5	3	159	27	2503	222
10.	महाराष्ट्र	1068	8	11	0	1150	255	943	15	573	37	1608	75	2327	861	-	-	1839	369	9519	1620
11.	राजस्थान	815	8	7	0	5237	272	972	23	158	2	203	17	-	-	532	76	178	8	8102	406
12.	हरियाणा	39	3	1	0	18	2	1240	5	105	1	109	0	-	-	255	9	320	7	2087	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13.	हिमाचल प्रदेश	676	0	31	0	82	0	0	0	31	0	378	0	0	0	7	0	60	39	1265	39
14.	जम्मू और कश्मीर	761	-	-	-	-	-	392	-	86	-	-	-	60	-	-	-	16	9	1315	9
15.	पंजाब	38	-	-	-	2	-	1387	1	475	-	64	-	1	-	1047	13	131	1	3145	15
16.	उत्तर प्रदेश	1000	9	3	-	466	77	3781	124	1434	11	1390	80	124	44	-	-	1256	211	9454	666
17.	उत्तराखंड	102	-	-	-	5	5	31	5	23	3	24	2	13	4	18	2	-	-	216	21
18.	आंध्र प्रदेश	2374	42	23	1	486	37	1840	37	2224	34	4524	141	307	46	1727	59	681	110	14186	507
19.	कर्नाटक	967	2	27	0	45	24	1177	87	752	13	1316	151	293	101	191	30	30	2	4697	410
20.	केरल	1144	0	-	-	1	0	64	1	1101	8	377	11	838	124	-	-	760	72	4285	216
21.	पुडुचेरी	204	-	-	-	23	-	78	-	123	-	114	1	7	3	-	-	-	-	549	4
22.	तमिलनाडु	4336	7	33	1	270	30	989	18	3134	7	1533	78	1651	191	295	3	246	44	12487	379
	भारत सरकार	2638	3	9	5	344	96	2916	57	3702	2	1237	60	49	18	280	66	492	1	11667	336
	सकल योग	18880	96	419	8	10288	1221	21054	639	12871	136	16684	912	6418	1488	4501	294	6463	909	104498	5729
	% अवमानक		0.5		2.02		11.9		3		1.1		5.5		23.2		6.5		14.1		5.5

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान विश्लेषण किए गए तथा अवमानक पाए गए उर्वरकों के नमूनों का राज्यवार/उत्पादवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	यूरिया/ए/एस और ए/सी		सीएएन		एसएसपी		डीएपी		एमओपी/एसओपी		एनपीके (सी)		एनपीके(एम)		एमएनएफ		अन्य		कुल	
		विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक	विश्लेषित	अवमानक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	असम	61	-	-	-	83	6	19	-	47	-	4	1	10	2	6	-	2	-	232	9
2.	बिहार	95	-	-	-	100	23	762	22	386	-	693	8	15	8	92	6	-	-	2143	67
3.	झारखंड	231	-	-	-	20	4	222	-	67	1	138	4	-	-	-	-	-	-	678	9
4.	उड़ीसा	952	1	-	-	51	26	572	29	450	1	506	29	272	38	-	-	-	-	2803	124
5.	पश्चिम बंगाल	454	4	2	1	477	145	360	26	363	2	590	68	1	1	125	23	6	-	2378	270
6.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.	गुजरात	1275	1	180	-	786	11	1147	4	292	-	724	10	126	5	-	-	118	18	4658	49
8	मध्य प्रदेश	440	6	8	2	1615	372	1144	85	233	10	649	154	5	5	37	18	11	7	4142	659
9.	छत्तीसगढ़	345	5	3	-	859	89	444	20	233	-	146	9	51	12	115	8	110	6	2306	149
10.	महाराष्ट्र	659	4	10	2	1644	408	799	26	333	47	843	40	7645	1278	-	-	1947	282	13880	2082
11.	राजस्थान	521	-	12	-	7961	117	704	14	131	1	89	3	-	-	280	25	129	1	9827	161
12	हरियाणा	123	6	1	-	103	7	2439	5	399	14	116	6	-	-	825	15	390	32	4099	85
13.	हिमाचल प्रदेश	843	-	41	-	49	-	36	0	55	-	531	-	-	-	9	-	54	44	1618	44
14.	जम्मू और कश्मीर	745	6	3	3	6	3	398	-	114	-	-	-	54	1	-	-	12	-	1332	13
15.	पंजाब	11	0	-	-	18	4	1478	4	415	-	51	1	1	-	940	9	153	6	3067	24
16.	उत्तर प्रदेश	519	9	7	-	803	163	5028	151	1316	14	1439	52	134	31	1331	194	296	48	10873	662
17.	उत्तराखंड	97	3	-	-	9	9	74	8	15	-	15	-	8	1	49	7	7	2	274	30
18.	आंध्र प्रदेश	2024	8	1	0	933	31	2692	13	1881	1	5017	135	271	58	1609	18	4	-	14432	265
19.	कर्नाटक	1242	3	21	-	90	28	1672	50	838	3	1906	172	315	119	188	17	33	3	6305	395
20.	केरल	1027	0	0	0	4	0	62	3	918	0	366	4	733	58	-	-	751	40	3860	105
21.	पुडुचेरी	151	-	-	-	27	-	62	-	116	-	126	1	8	2	-	-	1	-	491	3
22.	तमिलनाडु	4460	26	32	5	616	58	1039	20	3456	16	4054	148	3360	258	635	27	430	36	18082	594
	भारत सरकार	2472	1	26	1	454	212	2104	19	3602	5	171	66	50	29	304	62	1652	10	10832	405
	सकल योग	18747	83	347	14	16718	1711	23257	499	15660	115	18173	911	13059	1906	6245	409	6106	535	118312	6203
	% अवमानक		04		40		10.2		21		07		50		14.6		69		88		52

[अनुवाद]

भेल की इकाई स्थापित किया जाना

3846. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के नागापट्टिनम के लोगों की मांग है कि स्थान के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए नागापट्टिनम में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) की एक अनुषंगी इकाई की स्थापना की जाये;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस मांग पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में भेल की अनुषंगी इकाई को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) इससे क्षेत्र के लोगों को किस हद तक लाभ पहुंचेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो कारण क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम के लोगों से नागापट्टिनम में कंपनी की किसी अनुषंगी इकाई की स्थापना के संबंध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से लागू नहीं।

राजस्थान ऑन व्हील्स

3847. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रायल्स राजस्थान ऑन व्हील्स ने देश का दौरा करने वाले पर्यटकों में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने पर्यटकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया;

(ग) क्या सरकार को इस सेवा को चलाये जाने के घाटे की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) देश का दौरा करने वाले पर्यटकों के बीच इस सेवा को लोकप्रिय बनाने तथा आगामी वर्षों में इस पर्यटक रेलगाड़ी को और लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स देश में आने वाले पर्यटकों के बीच धीरे-धीरे प्रसिद्ध हो रही है। पिछले तीन सीजनों के दौरान इस सुविधा का लाभ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या 2008-09 में 126, 2009-10 में749 और 2010-11 में 890 थी।

(ग) से (ङ) इस रेलगाड़ी के चालन पर लाभ/हानि, तत्संबंधी कारण और इस गाड़ी को लोकप्रिय बनाने के लिए किए जा रहे विपणन प्रयास राजस्थान पर्यटन विकास निगम की परिधि में हैं, जो कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

[हिन्दी]

रेल ईंजन

3848. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीजल इंजनों और विद्युत इंजनों के साथ पृथक रूप से कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या विद्युत इंजनों की बजाय रेलगाड़ियों को डीजल इंजनों के साथ चलाना अधिक महंगा पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे का शेष रेलगाड़ियों को विद्युत इंजनों से सुसजित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) डीजल और बिजली कर्षन पर गाड़ियां परिचालनिक आवश्यकता के अनुसार चलाई जाती हैं और इनका कोई डाटा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, भारतीय रेलवें पर डीजल गाड़ी किमी. 44.7% है और बिजली गाड़ी किमी. 55.3% है।

(ख) जी हां।

(ग) बिजली कर्षण प्रारंभ करने के लिए रेलपथ के विद्युतीकरण की आवश्यकता होती है। भारतीय रेलवे धीरे-धीरे अपने मार्गों को विद्युतीकृत कर रही है जो परिचालनिक आवश्यकताओं और विद्युतीकरण प्रस्तावों की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है और 2010-20120 की अवधि के दौरान 14000 मार्ग किमी. विद्युतीकृत करने का लक्ष्य विजन 2020 प्रलेख में दिया गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए हैं जो धन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) संपूर्ण भारतीय रेलवे पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि रेलपथों का विद्युतीकरण परिचालनिक आवश्यकताओं और विद्युतीकरण प्रस्तावों की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

3849. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार ने यूरिया क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए सितम्बर, 2008 में यूरिया के क्षेत्र में और विदेशों में संयुक्त क्षेत्र से यूरिया का उठान करने के लिए नई निवेश नीति (प्रति संलग्न) की घोषणा की है। नई निवेश नीति का उद्देश्य मौजूदा यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार और पुनरुत्थान करना तथा ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना करना है। यह नीति आईपीपी बैंचमार्क पर आधारित है और इसे उद्योग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है।

सं. 12012/12/2007-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 4 सितम्बर, 2008

सेवा में

मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/कृभको/इफ्को/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एसएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टीएईएल/जैडआईएल/इंडो-गल्फ/स्पिक/केएसएफएल/एमसीएफएल/फैक्ट/एफसीआईएल/एचएफसीएल/आईपीएल

सभी यूरिया उत्पादन इकाइयां

विषय: यूरिया क्षेत्र में नए निवेश और विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों से यूरिया की दीर्घावधि उठान संबंधी नीति

महोदय,

मुझे दिनांक 29 जनवरी, 2004 के पत्र सं. 12019/11/2003-एफपीपी (1) द्वारा जारी यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं में किए गए निवेश के लिए मौजूदा नीति के अतिक्रमण में स्वदेशी और विदेशी दोनों यूरिया क्षेत्रों में नए निवेश की सरकारी नीति के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है। नई निवेश नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

1. **आयात सममूल्य:** माह के लिए आयात सममूल्य रिपोर्ट के विचाराधीन माह के तीन महीने पूर्व के प्रचलित मूल्यों के आधार पर निम्नानुसार निकली जाएगी:

<u>आयात सममूल्य (आईपीपी):</u> किसी विशेष महीने के लिए आयात सममूल्य (आईपीपी) पिछले तीन महीनों के दौरान भारत में आयात किए गए यूरिया के वास्तविक औसत सीआईएफ मूल्य तथा पिछले तीन महीनों में उर्वरक पत्रिकाओं में दिए दिए गए आईपीपी में से जो कम होगा उस पर आधारित होगा, विवरण नीचे दिया गया है:

आईपीपी X = पोत पर्यन्त अरब की खाड़ी+मालाभाड़ा

जहां,

आईपीपी X = मास के लिए आयात सममूल्य (X)

पोत पर्यन्त अरब की खाड़ी = पिछले तीन महीनों के दौरान (X-1) से (X-3) नीचे दी गई तीन पत्रिकाओं में एजी के लिए यूरिया का औसत पोत पर्यन्त मूल्य।

मालभाड़ा = पिछले तीन महीनों (X-1) से (X-3) तक के दौरान नीचे दी गई तीन पत्रिकाओं में एजी के लिए औसत मालभाड़ा

भारतीय रुपए में मूल्य निकालने के लिए विनिमय दर को तीन महीनों की औसत के रूप में लिया जाएगा। आईपीपी मूल्य निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तीन उर्वरक पत्रिकाएं नीचे दी गई हैं:

(क) फर्टिलाइजर मार्किट बुलेटिन यूके;

(ख) फर्टिलाइजर वीक बाय ब्रिटिश सल्फर, यूके; और

(ग) फर्टिकोन वीकली नीइट्रोजन फाक्स, यूके।

2. न्यूनतम और अधिकतम मूल्यः यूरिया का न्यूनतम मूल्य 250 अमेरीकी डॉलर प्रति टन रखा जाएगा। यूरिया का अधिकतम मूल्य 425 अमरीकी डॉलर/मी.टन निर्धारित किया गया है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों की सिफारिश 4.88 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के फीडस्टॉक मूल्य पर आधारित है जो अनुमानित कर सहित आरआईएल गैस का मूल्य है। भविष्य में फीडस्टॉक के मूलय में कोई तीव्र वृद्धि (मौजूदा मूल्य के दुगने से अधिक) होने के मामले में नियत और अधिकतम सीमा मूल्यों को उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए समायोजित की जाएगी। इसके अलावा, उपर्युक्त की मौजूदा गैस मूल्यों और निवेश लागत को देखते हुए पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। यदि सरकार उर्वरक क्षेत्र/इकाई को गैस के सुनिश्चित मूल्य (राजसहायता प्राप्त मूल्य) की गारंटी देती है तो जिस अवधि के लिए सुनिश्चित मूल्य मौजूद रहता है, उसके न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों की तदनुसार दोबारा गणना की जाएगी।

3. पुनरुद्धार परियोजनाएं: अमोनिया-यूरिया उत्पादन की मौजूदा ट्रेन में 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश से वर्तमान संयंत्रों की क्षमता में की गई वृद्धि को मौजूदा इकाइयों के पुनरुद्धार के रूप में माना जाएगा। मौजूदा इकाइयों के पुनरुद्धार से उत्पादित अतिरिक्त यूरिया को उपर्युक्त पैरा 2 में दर्शाए अनुसार न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सहित 85% आयात सममूल्य की मान्यता दी जाएगी। एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा इकाइयों द्वारा उनकी पुन: आकलित क्षमता से उत्पादित यूरिया या पिछले चार वर्षों (2003-07) में 330 दिनों के लिए इकाई द्वारा अधिकतम प्राप्त क्षमता, जो भी अधिक हो (सीमित मात्रा) को मौजूदा इकाई के पुनरुद्धार उपर्युक्त छूट के लिए तभी पात्र होगा जब इकाई का कुल उत्पादन निर्धारित मात्रा के 105% या पुन: आकलित क्षमता के 110% जो भी अधिक हो, से पार हो जाए। विभिन्न इकाइयों के लिए निर्धारित मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

4. विस्तार परियोजनाएं: कुछ सामान्य उपयोग वस्तुओं का उपयोग करके मौजूदा उर्वरक संयंत्रों के परिसर में नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र (एक अलग नया अमोनिया-यूरिया ट्रेन) की स्थापना को विस्तार परियोजना माना जाएगा। इसमें निवेश 3000 करोड़ रुपए की न्यूनतम सीमा से अधिक होना चाहिए। मौजूदा इकाइयों के विस्तार से प्राप्त यूरिया को आईपीपी के 90% तक मान्यता दी *जाएगी*, इसके न्यूनतम और अधिकतम मूल्य उपर्युक्त पैरा-2 में दर्शाए गए हैं।

5. पुनरुद्धार/ब्राउनफील्ड परियोजनाएं: एचएफसीएल और एफसीआईएल की पुनरुद्धार इकाइयों से प्राप्त यूरिया को आईपीपी के 95% तक मान्यता दी जाएगी, जिसका न्यूनतम और अधिकतम मूल्य उपर्युक्त पैरा-2 में दर्शाया गया है, बशर्ते कि बंद इकाइयों का पुनरुद्धार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाए।

6. ग्रीनफील्ड परियोजनाएं: ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से प्राप्त यूरिया का मूल्य बोली के जरिए निर्धारित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित का पालन किया जाएगा:

(i) विभाग ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्थान (कमी वाले राज्य) की पहचान कर सकता है या तटीय क्षेत्रो में अपनी उत्पादन सूचियों में डीएपी/मिश्रित उर्वरकों को जोड़ने के लिए यूरिया इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ii) ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को न्यूनतम मूल्य (250 अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन) के साथ बोली का प्रस्ताव किया जाएगा, जिसका निर्धारण घरेलू गैस मूल्यों और आईपीपी और एक उपयुक्त अधिकतम मूल्य (425 अमेरिकी डॉलर/मी.टन) के आधार पर बोली के समय किया जाएगा। यदि आईपीपी न्यूनतम मूल्य से नीचे चला जाता है तो इकाई के उत्पादन के कम से कम 50% उठान की वचनबद्धता सरकार द्वारा दी जाएगी।

(iii) बोलीदाता को यूरिया के लिए मौजूदा आईपीपी से नीचे प्रतिशत छूट के रूप में मूल्य दर्शाना होगा। फीडस्टॉक संपर्क और मूल्य पूर्णत: बोलीदाता पर निर्भर करेगा।

(iv) इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों को अलग से परिचालित किया जाएगा।

7. गैस परिवहन प्रभार: नियामक (गैस) द्वारा यथा निर्धारित वास्तविक (यूरिया के प्रति मी. टन 5.2 जी. कैलोरी तक) के आधार पर विस्तार और पुनरुद्धार का कार्य करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त गैस परिवहन लागत का भुगतान किया जाए बशर्ते कि वह यूरिया के 25 अमेरिकी डॉलर प्रमि मी. टन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो। यह सीमा मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक

के अधीन होगी जैसा कि माल-भाड़ा नीति के अंतर्गत सड़क परिवहन लागतों के संबंध में लागू है। तथापि, सभी पुनरुद्धार परियोजना के मामले में डीपीआर द्वारा स्थान चयन के परिणाम के रूप में प्रोद्भूत अन्य बचतों के हिसाब से उच्च गैस परिवहन, लागतों, यदि कोई है, को न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए।

8. गैस का आबंटन: जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, नए निवेश से होने वाले उत्पादन के लिए किसी प्रकार की एपीएम की एपीएम गैस का आबंटन नहीं किया जाएगा। सभी एपीएम गैसों का आबंटन हाल ही में अनुमोदित नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-III और इसके बाद के संशोधनों के द्वारा मौजूदा संयंत्रों में उत्पादन हेतु किया जाएगा। एपीएम गैस को छोड़कर वास्तविक मिश्रण पुनरुद्धार के अंतर्गत उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

9. कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया परियोजनाएं: इसे ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड परियोजना, जैसी भी स्थिति हो, के तुल्य माना जाएगा। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई अन्य प्रोत्साहन या कर लाभ इन परियोजनाओं को भी दिया जाएगा।

10. विदेशों में संयुक्त उद्यम: गैस सम्पन्न दूसरे देशों में संयुक्त उद्यम को विद्यमान बाजार स्थितियों और संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर निर्णीत मूल्य के साथ सुनिश्चित उठान करारों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। तथापि, अधिकतम मूल्य के निर्णय का सिद्धांत प्रति मी.टन 405 अमेरिकी डॉलर सीआईएफ भारत और प्रति मी. टन 225 अमेरिकी डॉलर सीआईएफ भारत के न्यूनतम के साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त मूल्य या ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के किसी ग्रीनफील्ड परियोजना की अनुपस्थिति में, के लिए लागू आईपीपी के 95% के अंतर्गत प्राप्त मूल्य होगा। नई संयुक्त उद्यम परियोजनाओं से उठाना वचनबद्धता अधिकतम 5 मिलियन टन तक सीमित होगी। तथापि, इस सीमा की समीक्षा की जा सकती है और उर्वरक विभाग द्वारा व्यय विभाग के परामर्श से अतिरिक्त वचनबद्ध उठाना और उस पर मूल्य सिद्धांत से किसी विचलन पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह देश में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना की बाधक न बने।

11. प्रस्तावित निवेश नीति के लिए समयावधि: यह प्रस्ताव है कि केवल नई नीति के अधिसूचना से चार वर्षों के अंदर अतिरिक्त क्षमताओं को उत्पादन शुरू करने वाली पुनरुद्धार परियोजना इस छूट की पात्र होगी। इसी तरह केवल विस्तार और पुनरुद्धार (ब्राउनफील्ड) इकाइयों से उत्पादन, जो नई नीति की अधिसूचना के पांच वर्षों के भीतर होता है, इस नीति में प्रदत्त छूट के लिए पात्र होगा। यदि इस समय-सीमा के भीतर उत्पादन शुरू नहीं होता है, तो ऐसे ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को ग्रीनफील्ड परियोजना के समान माना जाएगा, जिसमें मूल्य का निर्धारण सीमित बोली विकल्पों के जरिए होगा। नई नीति के अंतर्गत नए संयुक्त उद्यमों की स्थापना के समयावधि भी पांच वर्ष रखी जाएगी। दी गई समयावधि में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पादन शुरू होते ही उर्वरक राजसहायता व्यवस्था के जारी रहने और इसके अंतर्गत यूरिया की बिक्री तक मूल्य छूट उपलब्ध होगी।

12. यह नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी। तथापि, पुनरुद्धार के अंतर्गत होने वाले निर्धारित मात्राओं से अधिक अतिरिक्त उत्पादन की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी।

भवदीय,

हस्ता./-

(राजेश अग्रवाल)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23381294

प्रतिलिपि:

1. सचिव-व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय कार्य विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन योजना आयोग।

2. महा निदेशक फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067

3. उर्वरक विभाग और एफआईसीसी कार्यालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती विन्नी महाजन, संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विवरण

पुनरूद्धार क्षमता के लिए इकाईवार अंतिम सीमा का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	उर्वरक इकाई का नाम	पुन: आकलित/आठ वीपीपी यूरिया क्षमता	उत्पादन की प्राप्त अधिकतम दर अधिकतम दर 2003-07	330 दिनों के लिए प्राप्त अधिकतम उत्पादन (वर्ष 2003-04 से 2006-07	पुनरुद्धार क्षमता के लिए अधिकतम निर्धारण सीमा	अधिकतम निर्धारण क्षमता से अधिक मूल्य के आधार पर आईपीपी प्राप्त करने के लिए उत्पादन लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
		एमटी/वर्ष	एमटीडीपी			
समूह-1: गैस 1992 से पूर्व						
1.	बीवीएफसी-नामरूप-III	315000	855	256500	315000	3465000
2.	इफको आंवला-I	864600	2783	918390	918390	964310
3.	इण्डोगल्फ-जगदीशपुर	864600	3000	990000	990000	1039500
4.	कृभको हजीरा	1729200	5335	1760550	1760550	1902120
5.	एनएफएल-विजयपुर-I	864600	2731	901230	901230	951060
समूह-II: गैस 1992 के उपरांत						
1.	एनएफसीएल-काकीनाडा-I	597300	2173	717090	717090	752945
2.	सीएफसीएल-गडेपान-I	864600	2862	944460	944460	991683
3.	टीसीएल बबराला	864600	2901	957330	957330	1005197
4.	केएसएफएल-शाहजहांपुर	864600	2757	909810	909810	955301
5.	एनएफसीएल-काकीनाड-II	597300	2083	687390	687390	721760
6.	इफको-आंवला-II	864600	2776	916080	916080	961884
7.	एनएफएल-विजयपुर-II	864600	2731	901230	901230	951060
समूह-II: 1992 से पूर्व नाफ्था						
1.	एसएफसी-कोटा	379500	1158	382140	382140	417450
2.	इफको-फूलपुर-I	551100	1764	582120	582120	611226
3.	एमसीएफएल-मंगलौर	379500	1228	405240	405240	425502
4.	एमएफएल-मद्रास	486750	1480	488400	488400	535425
5.	स्पिक-तूतीकोरिन	620400	2036	671880	671880	705474

1	2	3	4	5	6	7
6.	जेडआईएल-गोवा	399300	1330	438900	438900	460845
समूह-IV: 1992 के बाद नाफ्था						
1.	इफको-फूलपुर-II	864600	2864	945120	945120	992376
2.	सीएफसीएल-गडेपान-II	864600	2731	901230	901230	951060
समूह-V: एफओ/एलएसएचएस 25						
1.	जीएनवीएफसी-भरूच	636900	2050	676500	676500	710325
2.	एनएफएल-नांगल	478500	1548	510840	510840	536382
3.	एनएफएल-बठिण्डा	511500	1589	524370	524370	562650
4.	एनएफएल-पानीपत	511500	1629	537570	537570	564449
समूह-VI: मिश्रित फीडस्टॉक						
1.	जीएसएफसी-बड़ौदा	370590	1155	381150	381150	407649
2.	इफको-कलोल	544500	1707	563310	563310	598950
3.	आरसीएफ-थाल	1706760	5363	1769790	1769790	1877436

नोटः 2. सभी इकाइयों के लिए वर्ष 2003-04 से 2006-07 के लिए यूरिया उत्पादन के वास्तविक दर के आंकड़ों को पूर्णांकित कर दिया गया है।

मशीन टूल उद्योग

3850. श्री धनंजय सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मशीन टूल उद्योग की वर्तमन स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मशीन टूल उद्योग में उत्पादन, आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में मशीन टूल उद्योग की वृद्धि को बढ़ाने के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्तमान में, भारतीय मशीन टूल्स उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद मुख्य रूप से मैनुअल तथा लोवर एंड कम्प्यूटरीकृत न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड (सीएनसी) मशीनों में स्टैंडर्ड तथा मिड साईज के मशीन टूल्स की मांगों को पूरा करता है। इस उद्योग के कुछ क्षेत्रों जैसे ग्राईंडिंग, गीयर कटिंग, हाई प्रिसिजन मशीन टूल्स, मल्टी-एक्सेस तथा मल्टी-फंक्शन मशीन, लार्ज/हेवी डयूटी मशीन तथा मेटल फॉर्मिंग मशीनों में प्रौद्योगिकी संबंधी कमियां है।

(ख)

	2008-2009 (करोड़ रुपए)	2009-2010 (करोड़ रुपए)	2010-2011 (करोड़ रुपए)
उत्पादन	1424.00	1656.00	3624.00
आयात	6271.00	4842.00	6703.00
निर्यात	89.00	81.00	135.00

(स्रोतः भारतीय मशीन टूल्स विनिर्माता एसोसिएशन)

(ग) और (घ) विभाग ने 'कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्द्धात्मकता विकास स्कीम'' बनाई है जिसमें मशीन टूल्स सेक्टर भी शामिल है। व्यय वित्त समिति, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 10.01.2011 को स्कीम पर विचार किया तथा विभाग को सुझाव दिया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विचार किए जाने हेतु कैपिटल

गुड्स सेक्टर की मांग को पूरा करने के लिए पुनः संशोधित स्कीम प्रस्तुत करें। संशोधित स्कीम तैयार की जा रही है।

औद्योगिक गलियारा

3851. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न रेलवे लाइनों के विकास के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या रेलवे को पश्चिमी समर्पित माल-भाड़ा गलियारे के साथ औद्योगिक गलियारे के विकास का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) अधिकांश प्रस्तावित कार्यों के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं, कुछ कार्य शुरू कर दिए गए हैं जबकि कुछेक कार्यों का ब्यौरा, यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले संबंधित मंत्रालय/सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में नई रेलवे लाइन

3852. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि टनकपुर/खटीमा से दिल्ली के लिए यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद टनकपुर खटीमा रेलवे लाइन (उत्तराखण्ड) का किच्छा-दिल्ली रेलवे लाइन से कोई रेल संपर्क नहीं है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तराखंड में खटीमा से किच्छा तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) खटीमा-टनकपुर एक मौजूदा मीटर आमान लाइन है जहां भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में आमान परिवर्तन परियोजना प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त,, किच्छा-खटिमा (51.48 किमी.) से नई लाइन के निर्माण को भी इस प्रावधान के साथ बजट 2003-04 में शामिल किया गया है कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भूमि को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को राज्य सरकार के पास जमा करा दिया गया है। बहरहाल भूमि को अभी भी उपलब्ध कराया जाना है। आयुक्त/कुमाऊ मंडल ने लालकुआं-खटिमा के बीच एक नए संरेखण का प्रस्ताव किया है और नए संरेखण के अनुसार अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के विवरण सहित परियोजना की सारांश लागत के लिए अनुरोध किया है। इस नए संरेखण के विवरण राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने अंतिम निर्णय से अवगत कराएं।

[हिन्दी]

वाशिंग लाइनों का निर्माण

3853. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का पूरे देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नई वाशिंग लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार चिह्नित स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर आवर्धन कार्यों सहित कोच अनुरक्षण सुविधाएं प्रगति पर हैं/स्थापित करने का प्रस्ताव है:

राज्य	स्थान			
आंध्र प्रदेश	गुंटूर	हैदराबाद	काचेगुडा	काकीनाडा पोर्ट
	मचलीपटनम	नरसापुर	तिलपति	विजयवाड़ा
	विशाखापट्टनम			
बिहार	भागलपुर	गया	इस्लामपुर	जयनगर
	किशनगंज	राजेंद्रनगर	रक्सौल	सहरसा
छत्तीसगढ़	दुर्ग	कोरबा		
दिल्ली	आनंद विहार	दिल्ली	हजरत निजामुद्दीन	
गोवा	वास्को डि गामा			
गुजरात	अहमदाबाद	वलसाड		
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू तवी			
झारखण्ड	हटिया	टाटानगर		
कर्नाटक	अर्सीकेरे	चिकजाजूर	हुबली	शिमोगा टाउन
	यशवंतपुर			
मध्य प्रदेश	भोपाल	इटारसी	जबलपुर	
महाराष्ट्र	अजनी	बल्लारशाह	घोरपुरी	गोंदिया
	मुंबई (लोकमान्य	नांदेड	सोलापुर	वाडी बंदर
	तिलक (टर्मिनस)			
उड़ीसा	भुवनेश्वर	माचेश्वर	पुरी	
पंजाब	अमृतसर			
राजस्थान	बाड़मेर	कोटा	मादर	
तमिलनाडु	बेसिन ब्रिज	मेट्टूपलायम	तूतीकोरीन	
उत्तर प्रदेश	आगरा कैंट	इलाहाबाद मंडल	आजमगढ़	बरेली
	झांसी	कानपुर	कानपुर सेंट्रल	काशीपुर
	काठगोदाम	लखनऊ	मडुंआडीह	मथुरा
	रायबरेली			
उत्तरांचल	ऋषिकेश			
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	बर्धमान	बैद्यनाथधाम	हावड़ा
	लिलुआ	मालदा	पदमापुकुर	संतरागाछी
	सियालदह	शालीमार	टिकियापाड़ा	

(ग) कार्यों को उनके विस्तृत अनुमान स्वीकृत होने और ठेका दिये जाने के तीन वर्षों के बाद पूरा किये जाने की संभावना है।

लंबित मामले

3854. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्तों, विधवाओं तथा मृत व्यक्तियों के संबंधियों के न्यायाधीन मामलों की शीघ्र सुनवाई और निर्णय का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 जून, 2011 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसी श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(धा) वर्ष 2009 और 2010 के दौरान ऐसे न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (क) और (ख) न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर है। तथापि, सरकार ने सभी उच्च न्यायालयों से 01.07.2011 से 31.12.2011 तक न्यायालयों में लंबित मामलों के कम करने के लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों से भी ज्येष्ठ नागरिकों, अप्राप्तवय, नि:शक्त और अन्य सीमांत समूहों से संबंधित दीर्घकाल से लंबित मामलों के निपटान को पूर्विकता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

रेलवे के अंतर्गत अस्पताल/औषधालय

3855. श्री तूफानी सरोजः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के अंतर्गत जोन-वार कुल कितने अस्पताल और औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) इन अस्पतालों और औषधालयों में मेडिकल ओर पैरा मेडिकल कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या तथा तैनात किये गये कर्मचारियां की संख्या कितनी है; और

(ग) इनमें से रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा):

(क) और (ख) अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे	अस्पतालों की संख्या	स्वास्थ्य इकाइयों और डिस्पेंसरियों की संख्या	मेडिकल स्वीकृत	मेडिकल ऑन रोल	पेरामेडिकल स्वीकृत	पेरामेडिकल ऑन रोल
1	2	3	4	5	6	7
मध्य रेलवे	11	32	199	177	711	524
पूर्व रेलवे	9	52	223	213	2197	1919
पूर्व मध्य रेलवे	9	40	130	110	1150	958
पूर्व तट रेलवे	4	27	67	45	981	849
उत्तर रेलवे	12	63	296	268	2295	1980
उत्तर मध्य रेलवे	5	29	98	88	1077	973
पूर्वोत्तर रेलवे	7	26	128	121	932	832

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	10	47	192	129	1162	988
उत्तर पश्चिम रेलवे	8	30	126	110	1087	999
दक्षिण रेलवे	11	42	262	242	1932	1515
दक्षिण मध्य रेलवे	6	44	156	147	2710	2406
दक्षिण पूर्व रेलवे	7	38	167	157	1762	1561
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	5	20	56	53	384	339
दक्षिण पश्चिम रेलवे	4	20	82	79	353	290
पश्चिम रेलवे	9	58	221	184	1923	1746
पश्चिम मध्य रेलवे	7	19	86	76	421	398
मेट्रो रेलवे	1	0	7	6	50	42
कुल	125	587	2496	2205	21127	18319

(ग) रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। डॉक्टरों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित संयुक्त मेडिकल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाती है। जब तक नियमित उम्मीदवारों की भर्ती नहीं हो जाती तब तक अंश-कालिक रिक्तियों के लिए ठेका आधार पर भी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं ली जाती हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में पंजीकृत कंपनियां

3856. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पंजीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके निदेशक विदेशी और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) हैं;

(ग) उन कंपनियों के पंजीकरण के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है जिनके निदेशक विदेशी और अप्रवासी भारतीय होते हैं;

(घ) क्या ऐसी कंपनियों के निदेशकों द्वारा अनिवार्य विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले कंपनी रजिस्ट्रार की जानकारी में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 1.4.2008 से 31.7.2011 की अवधि में गुजरात में 12983 कंपनियां पंजीकृत हुईं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार 1.4.2008 से 31.7.2011 के दौरान (विदेशी एवं अप्रवासी भसारतीय निदेशकों वाली पंजीकृत कंपनियां)।

(ग) विदेशी एवं एनआरआई निदेशकों वाली कंपनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया भारतीय निदेशकों वाली कंपनियों के समान ही है। तथापि, यदि विदेशी/एनआरआई प्रस्तावित कंपनी के एमओए एवं एओए के सब्सक्राइबर भी हैं तो मंत्रालय के परिपत्र संख्या-1/2004 दिनांक 7.1.2004 में दिए निदेशों के अनुरूप निम्नलिखित अनुपालन भी सुनिश्चित किए जाते हैं:

(i) यदि एमओए पर विदेशी नागरिकों द्वारा भारत के बाहर हस्ताक्षर किए गए हैं तो उनका हस्ताक्षर जिस देश में निवास करते हैं उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के समक्ष अभिप्रमाणित होना चाहिए।

(ii) यदि एमओए पर विदेशी नागरिकों द्वारा (जो भारत के निवासी नहीं हैं एवं भारत अस्थायी दौरे पर आए हैं) भारत में हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ऐसे हस्ताक्षर भारत में किसी व्यक्ति (चार्टर्ड अकाउटैंट, सचिव, अधिवक्ता जैसे व्यावसायिकों) द्वारा अभिप्रमाणित किये जा सकते हैं और उनके भारत दौरे के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट एवं वीजा जैसे दस्तावेज भी सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

(iii) यदि एमओए पर भारत में कई वर्षों से/स्थायी तौर पर निवास कर रहे विदेशी नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जो उपर (ii) में यथावर्णित प्रक्रिया अपनाई जाएगी एवं सब्सक्राइबर के भारत में निवास का दस्तावेजी प्रमाण भी अपेक्षित होगा।

(घ) विदेशी/एनआरआई निदेशकों वाली 447 कंपनियों में से 87 पंजीकृत कंपनियों ने अपने वार्षिक विवरण एवं तुलन पत्र दायर नहीं किए हैं।

(ङ) उपरोक्त उल्लंघनों हेतु कार्रवाई की सूचना कंपनी पंजीयकों को हाल ही में प्राप्त हुई है।

विवरण

विदेशी एवं अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) निदेशकों वाली कंपनियों के नाम

I 01.04.2008 से 31.03.2009 तक पंजीकृत कंपनियां

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1.	एंग्लो गुजू बिजनेस प्रा.लि.
2.	लानसेन किरी कैमिकल इंडस्ट्रीज लि.
3.	ओमन कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.
4.	जे फॉक्स सॉक्स प्रा.लि.
5.	एच एण्ड एल गैसेस प्रा.लि.
6.	बारडोली एसिटीलेनी प्रा.लि.
7.	कारबोनेक्स इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा.लि.
8.	विनायक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
9.	इवो इन्फोटेक प्रा.लि.
10.	सीवी डॉक्टर वेन्टीलेटर्स प्रा.लि.
11.	एडर एग्रीटेक प्रा.लि.
12.	आवास सेवा प्रा.लि.
13.	कॉस्टास फूड्स प्रा.लि.
14.	स्पैन निहोन कोहडेन डायग्नोस्टिक प्रा.लि.
15.	टेर्राम जियोसैथोटिक्स प्रा.लि.
16.	फ्लो-टेक टेक्निकल सर्विसेज प्रा.लि.
17.	बर्स्ट इंडिया प्रा.लि.
18.	नूवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
19.	नर नारायण टेक्सटाइल प्रा.लि.
20.	एक्सनोमिक्स इंडिया प्रा.लि.
21.	चैमऑयल अदानी प्रा.लि.
22.	ओम पाइल प्रा.लि.
23.	किनभूषी डेनके रिसोर्स प्रा.लि.
24.	डाउ-गेसल सॉलवेन्चर लि.
25.	विनी इम्मीग्रेशन एण्ड एजूकेशन सर्विसेज प्रा.लि.
26.	मकाउ कैमिकल्स एण्ड मैकनिकल प्रा.लि.
27.	एम यू प्लास्टिक्स प्रा.लि.
28	जीरो आईटी सैल्यूशन्स प्रा.लि.
29.	एम यू एस्टेट्स प्रा.लि.
30.	पार्क लेन इन्फ्रास्टेट प्रा.लि.

1	2
31.	इडायोस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.
32.	वर्ल्डवाइड मैटीरियल्स सोर्सिंग (इंडिया) प्रा.लि.
33.	लिटिल फ्लावर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रा.लि.
34.	सेरेंडीपिटी इन्पैक्स प्रा.लि.
35.	जेएम निटवेयर प्रा.लि.
36.	इंडियन सेंटर फॉर क्लाइमेट एण्ड सोसाइटल इम्पैक्ट्स रिसर्च
37.	शैवरले सैल्स इंडिया प्रा.लि.
38.	परफैक्ट पाउडर कोटर्स (इंडिया) प्रा.लि.
39.	समता रियलटी प्रा.लि.
40.	रेडकिल्फ रियल एस्टेट प्रा.लि.
41.	डच बिजनेस पार्टनर्स इंडिया प्रा.लि.
42.	मिलेनियम निट प्रा.लि.
43.	डेल्टा विंड एनर्जी प्रा.लि.
44.	विस्टाप्रिन्ट टेक्नोलोजीज प्रा.लि.
45.	रोटेट ब्लैक (इंडिया) प्रा.लि.
46.	टॉपर एजूकेशन प्रा.लि.
47.	जिंक साबरमती होटल प्रा.लि.
48.	एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज प्रा.लि.
49.	सीएलपी विंड फोर्म्स (इंडिया) प्रा.लि.
50.	ग्लोबल गूरमे प्रा.लि.
51.	इनेट प्रोसेस इंडिया प्रा.लि.
52.	एनडीटीस टेक्नोलोजीज (इंडिया) प्रा.लि.
53.	साइनीज फूड्स प्रा.लि.
54.	ड्रा (इंडिया) लि.
55.	आमीन कॉर्न मिल्क प्राडक्ट्स (इंडिया) प्रा.लि.

1	2
56.	एफ्लूएंट ट्रेड मैनेजमेंट प्रा.लि.
57.	वोवान्टिस लेब्रोटिरीज प्रा.लि.
58.	सिद्धी टेलीकोम प्रा.लि.
59.	मेडीफारमेसी बीपीओ प्रा.लि.
60.	पैराफिक कम्पोजिट्स प्रा.लि.
61.	ट्राइ-फोर्स कन्सल्टिंग सर्विसेज प्रा.लि.
62.	रॉक्सल राकवूल इन्सूलेशन इंडिया प्रा.लि.
63.	प्लाज्मा एनर्जी अप्लाइड टेक्नोलीज अंक्लेश्वर प्रा.लि.
64.	सुरांश इन्फोटेक प्रा.लि.
65.	सुकान इन्फोटैक प्रा.लि.
66.	सीमा श्याम स्प्रिंग्स प्रा.लि.
67.	सैंडी एक्जिम प्रा.लि.
68.	ओड्राओड क्लोदिंग प्रा.लि.
69.	थियेटर सोल्यूशन्स (इंडिया) प्रा.लि.
70.	मेरीधुन इंटरटेनमेंट प्रा.लि.
71.	ब्लूवायर इन्फोटेक प्रा.लि.
72.	ट्रांसमिशन काम्पोनेंट्स (इंडिया) प्रा.लि.
73.	टक्कनी सिरामिक प्रा.लि.
74.	प्रसाद क्रीलेक ऑओमेशन प्रा.लि.
75.	इंडसफेस टेलीकाम प्रा.लि.
76.	लूवापंडित इन्पैक्स प्रा.लि.
77.	प्रोएक्टिव इसाइकलर प्रा.लि.
78.	जेड डाटा ड्राइव प्रा.लि.
79.	गोरबा इन्टीया सिस्टम्स प्रा.लि.
80.	चैमाटेक अनार मार्केट्स प्रा.लि.
81.	एन्जी सोलर लि.

1	2
82.	हैफे कार्प इंडिया प्रा.लि.
83.	गीपेज (इंडिया) इन्फोसिस्टम प्रा.लि.
84.	सीमोस सेंसर प्रा.लि.
85.	एक्यूमेग सर्किट प्रा.लि.
86.	एसस सिर्वसेज प्रा.लि.
87.	ग्रोथ कॉन्टीनेंटल मैन्यूफेक्चरिंग प्रा.लि.
88.	आर्यन ऑटोमोटिव फेब्रिक्स प्रा.लि.
89.	एनविजन साइन्टीफिक प्रा.लि.
90.	इमाओन साइन्टीफिक रिसर्च प्रा.लि.
91.	सीपीएल बायोलोजिकल्स प्रा.लि.
92.	गुजरात सिनर्जी प्रा.लि.
93.	कन्सेप्ट मेडिकल रिसर्च प्रा.लि.
94.	लक्सोली लाइट्स प्रा.लि.
95.	लेस्ली ई. रोबर्टसन एसोसिएट्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स (इंडिया) प्रा.लि.
96.	अमेरी कोट्स इंडिया प्रा.लि.
97.	सप्तिगिरी हॉस्पिटालिटी प्रा.लि.
98.	रोहन बीआरसी गैस इक्यूपमेंट प्रा.लि.
99.	पास्क ग्लास-टैक प्रा.लि.
100.	कैनसिंग्टन इंटप्राइज प्रा.लि.
101.	चूयान यूरेका इंटरनेशनल प्रा.लि.
102.	जनाब इम्पैक्स प्रा.लि.
103	एडवेंटस लेब्रोट्रीज (इंडिया) प्रा.लि.
104.	टियॉगओन प्रोजेक्ट एण्ड कॉन्ट्रेक्टिंग (इंडिया) प्रा.लि.
105.	एसटीएल इम्पैक्स (इंडिया) प्रा.लि.
106.	साल्विट इन्फोटेक प्रा.लि.

1	2
107.	के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
108.	जाइडस टेक्नोलीज लि.
109.	ईस्ट गार्डेन्स प्रा.लि.
110	लवी ओसा ट्राइमैक्स इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
111.	प्लेटिनम एनीमेशन एण्ड गैम्स प्रा.लि.
112.	ड्रोन एनर्जी प्रा.लि.
113.	पीच टेक्नोवेशन्स प्रा.लि.
114.	अललिंक फाइनेशियल सॉफ्टवेयर प्रा.लि.
115.	ओनेक्स नेचुरा प्रा.लि.
116.	सनबोर्न एनर्जी गुजरात वन प्रा.लि.

II दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान पंजीकृत कंपनियां

1.	साई इन्फो-एक्ट प्रा.लि.
2.	डी-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
3.	एनटीग्रेशन प्वाइंट कंसलिटंग प्रा.लि.
4.	सायरा एशिया इंटीरियश प्रा.लि.
5.	प्रिज्य थ्रेड प्रा.लि.
6.	हुजूर होटल प्रा.लि.
7.	मेट्रो प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रा.लि.
8.	मेस्कॉन फार्मवर्क सिस्टम प्रा.लि.
9.	मेलडे जेसा इम्पैक्स प्रा.लि.
10.	प्राइसस्कोप डायमंड्स प्रा.लि.
11.	बिटप्लस सोल्यूशन्स प्रा.लि.
12.	कोरोनेशन आईएनएफएस प्रा.लि.
13.	श्रद्धा बुयिलन रिफाइनरी प्रा.लि.
14.	आईएस इंडस्ट्रीज प्रा.लि.

1	2
15.	इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हैल्थ साइंसेज प्रा.लि.
16.	बायोजेनो डायग्नोस्टिक प्रा.लि.
17.	एलियंस एम्यूजमेंट्स प्रा.लि.
18.	सिया टेक्नोलोज प्रा.लि.
19.	जैम मेटल प्रा.लि.
20.	किन्दूजो फाइनेंशियल सोल्यूशंस प्रा.लि.
21.	वायब्रेंट एयर सर्विसेज प्रा.लि.
22.	रोटेक फ्लूइड हैंडलिंग इक्यूपमेंट प्रा.लि.
23.	बियॉड एप्लीकेशनस (इंडिया) प्रा.लि.
24.	डोजो सर्विसेज प्रा.लि.
25.	रशमी स्ट्रिप्स प्रा.लि.
26.	क्लीन क्वीसिन कुववेयर प्रा.लि.
27.	इटेलिया इम्पैक्स प्रा.लि.
28.	इमेजिंन इंटरप्राइसे (इंडिया) प्रा.लि.
29.	डीवीएस एफोडेबल होम स्ट्रेटेजी लि.
30.	आक्यूपेसी गुरू प्रा.लि.
31.	धीरूभाई प्रोडक्शन प्रा.लि.
32.	मार-टेक मेन्यूफैक्चरिंग (इंडिया) प्रा.लि.
33.	अभय इंडक्शन टेक प्रा.लि.
34.	मिट स्पंज एण्ड पावर प्रा.लि.
35.	रोजी रॉयल मिनिरल्स लि.
36.	एमसीए फिलोडेन स्पेशालिटी कैमिकल्स प्रा.लि.
37.	होलीस्टार इंटरप्राइज प्रा.लि.
38.	अन्वेषण कैटालिस्ट प्रा.लि.
39.	रवि एजूकेशनल कन्सेप्ट्स प्रा.लि.
40.	गम ट्री कैम्प्स प्रा.लि.

1	2
41.	गैस अलार्म माकेटिंग प्रा.लि.
42.	कोस्टविन इंडिया कंपन प्रा.लि.
43.	जुरासिक एकवेंचर्स एण्ड प्रा.लि.
44.	मिनेरेरिया सेसोलीज इंडिया प्रा.लि.
45.	एनचीलाडा कार्मशियल प्रा.लि.
46.	पर्पल मेडो रिटेल प्रा.लि.
47.	ब्रे कन्ट्रोल्स इंडिया प्रा.लि.
48.	कैमीलाइन्स हैल्थकेयर इंडिया प्रा.लि.
49.	एमएसपी सॉफ्टवेयर प्रा.लि.
50.	पोशिया ग्लास लि.
51.	एवांगार्दे डिजाइन स्टॅडियों प्रा.लि.
52.	तान्या एस्टेट्स प्रा.लि.
53.	अश्रिशा एल्लोयज प्रा.लि.
54.	लेसार्ड आर्कीटेक्चर प्रा.लि.
55.	रागा लोजिस्टिक्स सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि.
56.	ओम निविर्वाद न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रा.लि.
57.	एनपे ट्रांस्फार्मर काम्पोर्नेंट्स इंडिया प्रा.लि.
58.	सिलिस लैब्स प्रा.लि.
59.	यूरेका इंडिया इन्फ्रा सर्विसेज प्रा.लि.
61.	डच वाटर सोल्यूशन्स इंडया प्रा.लि.
61.	लोजिक फैक्टर इंडिया प्रा.लि.
62.	डॉक्टर जिलेट लेब्रोटिरी (इंडिया) प्रा.लि.
63.	डम्क कन्सल्टेंट्स प्रा.लि.
64.	एडवांस्ड एडहेसिव्स लि.
65.	लेबल सेवन रियलटी सर्विसेज प्रा.लि.
66.	रियो-जीपीडी इंडक्टिव काम्पोर्नेट्स प्रा.लि.

1	2
67.	मार्सडेन एण्ड मूर टेक्नोलोजी प्रा.लि.
68.	प्रशांत फर्बर लोजिस्टिक्स ऑटोमेशन प्रा.लि.
69.	कॉम्पैक्ट सॉफ्टेक प्रा.लि.
70.	सुमित रसिर्च लैब (इंडिया) प्रा.लि.
71.	डिवाइन नेचर क्योर प्रा.लि.
72.	कीस्ट्रेक टेक्नोलोजी सेंटर प्रा.लि.
73.	जियोस्टार रिसर्च प्रा.लि.
74.	वोडाफोन एस्सार शेयर्ड सर्विसेज लि.
75.	आइनेक ब्रास प्रा.लि.
76.	लकनार इंटरप्राइसेज प्रा.लि.
77.	मेपेल अर्गेनाइर प्रा.लि.
78.	श्री अंबिका इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
79.	वाईजेपी जियोसाइंस प्रा.लि.
80.	लंदन एनर्जी प्रा.लि.
81.	ड्यूसे एनर्जी प्रा.लि.
82.	आई एनर्जी प्रा.लि.
83.	श्री दुर्गा इन्फ्रास्पेस प्रा.लि.
84.	ओम 4एन प्रॉसेपेक्टस प्रा.लि.
85.	दलाल एण्ड गिशा आर्केड प्रा.लि.
86.	वारंटी इंडिया प्रा.लि.
87.	राधे नेचुरल्स एण्ड स्पाइसेस प्रा.लि.
88.	इन्वेस्टिस कार्पोरेट कम्यूनिकेशन प्रा.लि.
89.	नोसेक हैल्थकेयर प्रा.लि.
90.	सिपेको कॉमर्शियल्स प्रा.लि.
81.	ग्लोबल डिस्करवरी एकेडमी प्रोपर्टी प्रा.लि.
92.	ग्लोबल डिस्करवरी एकेडमी सर्विसेज प्रा.लि.
93.	हाउन एण्ड लाइफ टेक्नोलोजी प्रा.लि.
94.	पैन गुजरात स्पोर्ट्स वेयर प्रा.लि.
95.	ओरलैंडी थर्मल सिस्टम्स इंडिया प्रा.लि.
96.	बवेरिया एनर्जी प्रा.लि.
97.	नेक्संस पोलीकैब प्रा.लि.
98.	वर्औलेस स्पेशिथलिटी मटेरियल्स (इंडिया) प्रा.लि.
99.	परदेसी फिल्म्स प्रा.लि.
100.	ड्रीम एकेडमी एजूकेशन प्रा.लि.
101.	टैन कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा.लि.
102.	केनडल डाटा एण्ड टेक्नोलोजी (इंडिया) प्रा.लि.
103.	नरिस्पा ग्रैंड होटल प्रा.लि.
104.	एटलांस्टिक्स इंफ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि.
105.	टीजे प्रोजेक्टस प्रा.लि.
106.	रोजलैब्स बायोसाईंस प्रा.लि.
107.	मेरा डिजाईनर कलेक्सन्स प्रा.लि.
108.	मिनरवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
109.	एरीज एविएशन सर्विसेज प्रा.लि.
110.	एडीटच सोल्यूशन्स प्रा.लि.
111.	सॉफकान इंजीनियरिंग टेक्नोलोजीस इंडिया प्रा.लि.
112.	यू.के. ज्वेलरी इंडिया प्रा.लि.
113.	केएमवी टेक्नोलोजीस प्रा.लि.
114.	वोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूसन प्रा.लि.
115.	प्रयोशा एग्रो कोमोडिटीज प्रा.लि.
116.	इंडच कॉम्पोजिट्स टैक्नोलोजीस प्रा.लि.
117.	सिम्पैक मरीन (इंडिया) प्रा.लि.
118.	सेवेन टेलीकॉम प्रा.लि.

1	2
119.	रॉक्सल रॉकवूल टेक्निकल इंसूलेशन इंडिया प्रा.लि.
120.	आइवा एर्जी प्रा.लि.
121.	सीएलपी विंड फार्मस (थेनी-प्रोजेक्ट I ii) प्रा. लि.
122.	सीएलपी विंड फार्मस (थेनी-प्रोजेक्ट I v) प्रा. लि.
123.	सीएलपी विंड फार्मस (थेनी-प्रोजेक्ट I i) प्रा. लि.
124.	ट्राई कंट्री डेंटल सप्लाई (इंडिया) प्रा. लि.
125.	शिशुकुंज इंटरनेशनल फाउंडेशन
126.	लेजी एलीवेटर्स इंडिया प्रा. लि.
127.	बेस्टोबेल वाल्वस (इंडिया) प्रा. लि.
128.	इंडिया नाइट फेसिलिटीज मैनेजमेंट प्रा. लि.
129.	अदीवा ईकॉमर्स सोल्यूशंस प्रा. लि.
130.	पर्ल वीकाकेयर (इंडिया) प्रा. लि.
131.	वर्नी बिल्डकेयर प्रा. लि.
132.	न्यू प्रिती आईट्रेडईमेक्स प्रा. लि.
133.	चेरविलब इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
134.	एस.वी. ट्रॉनिक्स असेंबलिंग (इंडिया) प्रा. लि.
135.	डबल केम प्राइवेट लिमिटेड
136.	ए.एस. डायमंड (इंडिया) प्रा. लि.
137.	पीपल्स ट्रेडकॉम एक्सिम प्रा. लि.
138.	सेवेन डेज होटल प्रा. लि.
139.	आर 3 रिसोर्सेज प्रा. लि.
140.	एटारएक्सिम एक्सट्रूसंश प्रा. लि.
141.	ब्रिटिश कैलिवरेशन एंड इंस्पेक्शन प्रा. लि.
142.	केरी-आईटीएस टर्मिनल (कांडला) प्रा. लि.
143.	कॉनटैक्ट एक्जिम प्रा. लि.
144.	ऑटोमेशनल एनीवेयर सॉफ्टवेयर प्रा. लि.

II दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान पंजीकृत कंपनियां

1	2
1.	जिबांका मीडिया सर्विस प्रा. लि.
2.	चॉकलेट मर्चेंट्स प्रा. लि.
3.	श्री समुद्धि इंडस्ट्रियल पेपर्स प्रा. लि.
4.	रेज टेक्सर्व प्रा. लि.
5.	जार्जिया ग्रीन एनर्जी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट लैब्स प्रा. लि.
6.	रेजिग्सन इंजीनियरिंग प्रा. लि.
7.	टैब्स बाय इंडिया सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
8.	सॉलिड-टैक इंडिया कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.
9.	यूनिकल कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि.
10.	इंटरग्लोब रीन्यूएबुल एनर्जी प्रा. लि.
11.	एक्सडॉक वर्क्स प्रा. लि.
12.	के.आर.जी. रिसोर्ट्स एण्ड स्पा प्रा. लि.
13.	स्मिथ क्लिंटन रिक्रुटमेंट कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
14.	कालिन्टिस फार्मा प्रा. लि.
15.	परसेग ओ.एम. मेटल्स प्रा. लि.
16.	आर्ची सॉफ्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
17.	गुजरात स्टेट माइनिंग एण्ड रिसोर्सेज कार्पोरेशन लि.
18.	आरके फ्यूचर टेक्सॉफ्ट प्रा. लि.
19.	पीआरजी एजीटेटर्स प्रा. लि.
20.	उवेक टेक्नोलोजीज इंडिया प्रा. लि.
21.	मेशन इंडिया प्रा. लि.
22.	पारिख वर्ल्डवाइड मीडिया प्रा. लि.
23.	कनेक्शन्स इन्फोसिस्टम्स लि.
24.	सहज एनर्जी प्रा. लि.

1	2
25.	ऑप्टिमम डाइग्नोस्टिक्स एण्ड रिसर्च प्रा. लि.
26.	स्टाइलिस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
27.	आस्ट्रा पावर प्रा. लि.
28.	साइनोर्गकेम टेक्नोलोजी इंडिया प्रा. लि.
29.	एक्सेंटर सोल्यूसंश प्रा. लि.
30.	एल्ट्रोमेट ऑटोमेशन साउथ एशिया प्रा. लि.
31.	हाई टेक इलेक्ट्रो रिपेयर प्रा. लि.
32.	एस4ई ग्रीन पावर प्रा. लि.
33.	सनबॉर्न एनर्जी पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.
34.	जेएसपी एल्यूमीनियम प्रा. लि.
35.	कैमरॉक स्पेशलिटी पॉलीमर्स लि.
36.	सायरटैक्स-कैमरॉक इंडिया प्रा. लि.
37.	एवनकॉस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
38.	एमनार फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.
39.	क्रेम्स स्पेशलिटी कैमिकल्स प्रा. लि.
40.	किंग्स फोल्ड प्रोपर्टी प्रा. लि.
41.	आरेनको इंजीनियर्स एण्ड कन्सट्रक्शंस (इंडिया) प्रा. लि.
42.	यूरेकैट इंडिया कैटालिस्ट सर्विसेज प्रा. लि.
43.	लोट्स कार्डेयिक केयर प्रा. लि.
44.	कैम्फ मशीनरी इंडिया प्रा. लि.
45.	राइनो रियल एस्टेट प्रा. लि.
46.	इनसिग्नो क्यिपमेंट टेक्नोलोजीज (इंडया) प्रा. लि.
47.	कन्सेप्ट लर्निंग टैक्नोलोजीज प्रा. लि.
48.	इन्ट्रेक ऑर्गेनिक होंस प्रा. लि.
49.	रेयर अर्थ ज्वैल्स प्रा. लि.

1	2
50.	इजी पार्किंग इंडिया प्रा. लि.
51.	हंट्समैन परफॉरमेंस प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.
52.	त्रीना हैल्थ बाय नेचर प्रा. लि.
53.	एमीकस सोल्यूसंश (आईटीएस) प्रा. लि.
54.	डीमिस्टीफाइंग इंडिया मीडिया प्रा. लि.
55.	पेनाशे सेलीब्रेशन्स प्रा. लि.
56.	एमबीम प्रॉपर्टीज प्रा. लि.
57.	पी + डब्ल्यू सायलो सिस्टम इंडिया प्रा. लि.
58.	एरोमैन हॉस्पिटालिटी प्रा. लि.
59.	हिन्दू टुडे मीडिया प्रा. लि.
60.	खुर्जी भाई राम जी कन्सट्रकशन प्रा. लि.
61.	एगीलेट्री इन्फोवयर प्रा. लि.
62.	फीबा न्यू फील्ड गैस टेक्नोलोजी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
63.	कोटेक ट्रेड्स प्रा. लि.
64.	हीरा लीजर प्रा. लि.
65.	एस.जे. ग्रीन पार्क एनर्जी प्रा. लि.
66.	मेहता स्पोर्ट्स प्रा. लि.
67.	एसपी प्रीकॉस्ट टेक्नोलोजीज इंडिया प्रा. लि.
68.	ऑनटॉस इन्फॉरमेशन सिस्टम्स प्रा. लि.
69.	आसदी आउटसोर्सिंग इंडिया प्रा. लि.
70.	जिप्रो सिस्टम प्रा. लि.
71.	सीताराम इन्फ्रान्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
72.	येट्स स्टील्स प्रा. लि.
73.	आइरिस प्रोफेशनल सर्विसेज प्रा. लि.
74.	कुरिता मशीनरी एशिया प्रा. लि.
75.	एक्सेस थेरेपीज (इंडिया) प्रा. लि.

1	2
76.	लोगीकेयर टैक लैब्स प्रा. लि.
77.	इशी इंटरप्राइजेज प्रा. लि.
78.	केसी पेट्रोकैम प्रा. लि.
79.	डब्ल्यूवी मैजिक वेव डिजाइन प्रा. लि.
80.	कॉस्टॉस मीडिया प्रा. लि.
81.	ट्रांसलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
82.	मार्क एनर्जी ग्रीन एलायंस प्रा. लि.
83.	ग्रीनर बायो-वन (इंडिया) प्रा. लि.
84.	लाइसेंशिया इ-कॉमर्स प्रा. लि.
85.	शिव संकल्प वेलफेयर फाउंडेशन
86.	पोस्को-जोजीनेम इलेक्ट्रिकल स्टील प्रा. लि.
87.	क्वेस्टा केयर फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.
88.	स्काई-हाइट्स इन्फ्रा स्पेस प्रा. लि.
89.	इन्फोडेस्क इंडिया प्रा. लि.
90.	साउंडिन लाइफसाइंस प्रा. लि.
91.	इनोवेटिव हीलिंग सिस्टम्स इंडिया प्रा. लि.
92.	सोल्यूसंश आउटसोर्सिंग प्रा. लि.
93.	गेडेक एण्ड ऐसोशिएट्स आईटी सर्विसेज प्रा. लि.
94.	पेरोनी पंप्स इंडिया प्रा. लि.
95.	ए टू जेड इन्फोटेक प्रा. लि.
96.	गौरी हैल्थ केयर प्रा. लि.
97.	रीलोड मीडिया प्रा. लि.
98.	एरीमेट्क्सि इन्फ्राइंग प्रा. लि.
99.	जेएच-वेल्टेक मशीन्स (इंडिया) प्रा. लि.
100.	बीजीआई इंजीटेक प्रा. लि.
101.	शामल इन्फ्राकॉन प्रा. लि.

1	2
103.	हर्षा एबाकस सोलर प्रा. लि.
104.	सोनीवर्ग प्लास्टिक सिस्टम्स इंडिया प्रा. लि.
105.	सेलाइज लेबोरेटरीज प्रा. लि.
106.	नेक्सेस पोलीप्लास्ट प्रा. लि.
107.	निशटेक कम्प्यूटर सोल्यूसंश प्रा. लि.
108.	इंडो कनाडा प्लास्टिक टेस्टिंग लैब एण्ड इंस्टीच्यूट प्रा. लि.
109.	जैपलिन प्रीसीजन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
110.	राजू बाउसानो एक्सदूजन प्रा. लि.
111.	दूर्निक एग्जिम प्रा. लि.
112.	सिगनेट प्लास्टिक्स प्रा. लि.
113.	एलएफडब्ल्यू हेयर प्रा. लि.
114.	एली एग्रो एण्ड बायो एनर्जी प्रा. लि.
115.	दिलविस रियलटीज प्रा. लि.
116.	मुन्द्रा हैल्थकेयर प्रा. लि.
117.	एलाइंस वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि.
118.	जेआरएम फर्टीलाइजर प्रा. लि.
119.	सर्वमंगल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
120.	क्रिभा हैंडीक्राफ्ट्स प्रा. लि.
121.	आर्टा ब्रोच सिरामिक्स प्रा. लि.
122.	ट्रायो सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.
123.	रिचमोन्ड इम्पैक्स प्रा. लि.
124.	ओमनिज्म टैक्नोलोजीज प्रा. लि.
125.	एलकोर्प मेटल्स एण्ड ट्यूब्स प्रा. लि.
126.	थर्मोलोन मेटलरूफ प्रा. लि.
127.	लेगूदा इन्फोटेक प्रा. लि.

1	2
128.	एइयोन नॉनवूवेन्स प्रा. लि.
129.	शाह एण्ड किशोर इमीग्रेशन प्रा. लि.
130.	एवरेस्ट हाइटेक सर्विलेंस प्रा. लि.
131.	एम एण्ज वी आर्ट वाइज इनीसिएटिव्स प्रा. लि.
132.	स्टर्लिंग इस्पात लि.
133.	सीबीसीस ग्लोबल रिसर्च इंडिया प्रा. लि.
134.	एमीकन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.
135.	एप्सिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रा. लि.
136.	इसान प्रेम इन्फोसॉफ्ट प्रा. लि.
137.	दोषी अकाउंट्स (एस) प्रा. लि.
138.	स्मार्ट ग्रीन ऑटोमेशन डिस्ट्रीव्यूसन एण्ड स्वीच गियर लि.

IV दिनांक 01.04.2011 से 31.07.2011 की अवधि के दौरान पंजीकृत कंपनियां

1.	बूची ऑपरेशन्स इंडिया प्रा. लि.
2.	रेशिल्प इक्यिपमेंट्स (इंडिया) प्रा. लि.
3.	देसाई इनोवेंचर्स प्रा. लि.
4.	रिलीजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.
5.	गुजरात इन्वोशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
6.	इलेक्ट्रोथर्म इम्मोडो रिन्यूएवुल्स लि.
7.	सीव्ज प्रोपर्टीज प्रा. लि.
8.	प्रोटेक्टिव टेक्साटाइल्स प्रा. लि.
9.	एलाइड रेफ्रेक्टरी प्राडक्ट्स इंडिया प्रा. लि.
10.	कामाख्या कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
11.	एवर प्योर हाइटेक वाटर सोल्यूशन प्रा. लि.
12.	राधेकृष्णा मेटाकास्ट प्रा. लि.
13.	एफएचटी फिश एण्ड प्रॉन प्रा. लि.

1	2
14.	ग्लोबल टाइज प्रा. लि.
15.	सीव्स एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
16.	बार्सीलोना लाइफसाइंसेज इंडिया प्रा. लि.
17.	इंडो बेजीन कैमिकल्स प्रा. लि.
18.	बाजू मोबाइल प्रा. लि.
19.	पावर ड्राइव बियरिंग्स प्रा. लि.
20.	कामधेनु रिट्रीट प्रा. लि.
21.	ऐसोर टेक्नोलोजीज प्रा. लि.
22.	वीएनसी डेवलपमेंट्स (इंडिया) प्रा. लि.
23.	फ्लाइट लोवारा इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा. लि.
24.	क्लीयर सेल इंडिया प्रा. लि.
25.	अपतीरा आईटी सर्विसेज प्रा. लि.
26.	मेजीकुक किचनवेयर प्रा. लि.
27.	ऑप्टीमिस्टा सर्विसेज प्रा. लि.
28.	इन्क्राउड मार्केटिंग प्रा. लि.
29.	एक्सोन रिसर्च सर्विसेज प्रा. लि.
30.	क्लीको इंजीनियरिंग प्रा. लि.
31.	नाटेक मेडिकल प्रा. लि.
32.	बीवी फिक्शन प्रा. लि.
33.	आश्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
34.	स्वीमित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
35.	अजमेरा कार्पोरेट सर्विसेज प्रा. लि.
36.	बिकाबो मीडिया प्रा. लि.
37.	वीवीएन मनी चेंजर प्रा. लि.
38.	स्टेमोन्स बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि.
39.	फिफ्टीवन डिग्रीज मोबाइल प्रा. लि.

1	2
40.	सिया इन्फोटेक सोल्यूशंन्स प्रा. लि.
41.	सनगोल्ड इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि.
42.	इन्ट्रेकटर्म सोल्यूशंस प्रा. लि.
43.	परफार्मर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
44.	बीडब्ल्यूई इंडिया लि.
45.	युक्ति एनालिटिक्स प्रा. लि.
46.	टेकऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लि.
47.	व्हाइट सेंड इंटरटेनमेंट प्रा. लि.
48.	कनेडियन हैल्थवेयर प्रा. लि.
49.	कैम्पस इकोटेक प्रा. लि.

[हिन्दी]

हिन्दी में जनहित याचिकाएं

3857. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार की जानकारी से आया है कि उच्चतम न्यायालय हिन्दी में प्रस्तुत जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को विचारार्थ स्वीकार नहीं करता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) यह उपबंध करता है कि जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायलय और प्रत्येक न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी संसद् द्वारा इस संबंध में तब से कोई विधि नहीं बनाई गई है। अत: उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है।

[अनुवाद]

कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य

3858. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका के सुचारू रूप से कार्यकरण के लिए समन्वय समूह गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में संविधान में संशोधन करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं। सरकार के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूकंपीय सर्वेक्षण के लिए ठेका

3859. श्री नीरज शेखर:
श्री एम.के. राघवन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय तटरेखा पर भूकंपीय सर्वेक्षण कराने के लिए 2005 में अमरीकी फर्म जी एक्स टैक्नोलॉजी को ठेका दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह ठेका बिना किसी निविदा के आमंत्रण के और अधिक दर पर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकारी धन की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) केरल सहित देश में ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण के लिए ठेके दिए गए हैं; और

(च) हाइड्रोकार्बन की संभावित उपलब्धता सहित सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2005 में जीएक्स टेक्नॉलोजीज को गैर-अनन्य आधारित सैद्धांतिक व्यवसाय मॉडल के आधार, अर्थात् यदि अन्य पक्षकार ऐसा सर्वेक्षण करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उन्हें भी अनुमति दी जा सकती है, पर भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर परिकल्पी 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण-एपीआई (अर्जन, प्रसंस्करण और निर्वाचन) की अनुमति दी गई थी। गैर-अनन्य आधार पर परिकल्पी व्यवसाय मॉडल के तहत भूकंपीय आंकड़े संग्रहीत करने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता है। इसके अलावा, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को इन भूकंपीय आंकड़ों का प्रतिबंधरहित प्रयोग करने और ब्लॉकों का उत्कीर्णन करने और प्रोन्नत करने के लिए बिना किसी प्रभार के भूकंपीय आंकड़ों का प्रयोग करने का अधिकार है।

(ग) और (घ) विभिन्न भूभौतिक सेवाएं चलाने के लिए 9 करारों के तहत जीएक्स टैक्नोलोजीज सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं को अधिकार प्रदान किए गए थे। सभी इच्छुक सेवा प्रदाताओं को अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इसलिए निविदा देना संभव नहीं है।

चूंकि परिकल्पी सर्वेक्षण में सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था इसलिए सरकारी धन की हानि का प्रश्न नहीं उठता है। इसवे विपरीत सरकार को उपर्युक्त संदर्भित परिकल्पी सर्वेक्षण से निम्नलिखित रूप में लाभ हुआ है:

I. उच्च गुणवत्ता आंकड़ा समूह का सृजन करने के लिए भूकंपीय-एपीआई सर्वेक्षणों के लिए व्यय की बचत।

II. नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति (एनईएलपी) दौरों के अधीन अन्वेषण ब्लाकों का उत्कीर्णन करने के लिए इन आंकड़ा समूहों का उपयोग किया गया।

III. इसके अलावा, सरकार को संविदा प्रावधानों के तहत आंकड़ों की बिक्री करने पर आकस्मिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

(ङ) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत विगत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) के दौरान राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, मिजोरम, पूर्वी अपतट, पश्चिमी अपतट और अंडमान अपतट जैसे राज्यों/क्षेत्रों में विभिन्न अन्वेषण ब्लाकों में द्विआयामी और त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण कराए गए हैं।

केरल राज्य में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत अभी तक कोई भी ब्लाक प्रदान नहीं किया गया है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में केरल-कोंकण बेसिन में कुछ अन्वेषण ब्लॉकों में भूकंपीय सर्वेक्षण कराए गए थे।

ठेकेदारों द्वारा कराए गए उपर्युक्त सर्वेक्षणों के अलावा, डीजीएच ने भी विगत तीन वर्षों में पश्चिमी और पूर्वी अपतट, अण्डमान, अपतट और कच्छ के जमीनी क्षेत्रों में द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण कराए हैं।

(च) द्विआयामी/त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े के अर्जन, प्रसंस्करण और निर्वचन (एपीआई) के आधार पर ठेकेदारों द्वारा अन्वेषणात्मक वेधन के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाती है। डीजीएच द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षणों का एनईएलपी के तहत अन्वेषण ब्लॉकों के उत्कीर्णन करने में प्रयोग किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीएच द्वारा कराए गए भूकंपीय सर्वेक्षणों के आधार पर कुल 71 ब्लॉकों का उत्कीर्ण किया गया और इन्हें बोली (एनईएलपी-VII के तहत 24 ब्लॉक, एनईएपपी-VIII के तहत 32 ब्लॉक और एनईएलपी-IX के हत 15 ब्लॉक) के लिए प्रस्तावित किया गया।

ई.वी.एम.

3860. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडोनेशिया गणराज्य से निर्वाचन प्रणाली को देखने के लिए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके बाद दोनों देशों द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त शिष्टमंडल ने अपनी निर्वाचन प्रणाली हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को खरीदने तथा शुरू करने में रुचि दिखाई है) और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) 3 मई, 2011 को प्रतिनिधियों के सदन के आयोग-2 के अध्यक्ष एच.ई. श्री एच. चिरुमन हरापप के नेतृत्व में इंडोनेशिया गणराज्य से एक उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल ने भारत के निर्वाचन आयोग से भेंट की थी। शिष्टमंडल में संसद् के ग्यारह सदस्य, प्रतिनिधियों सदन के आयोग-2 के दो सचिव और नई दिल्ली में इंडोनेशिया गणराज्य के सम्मिलित थे। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया पर भारत के निर्वाचन आयोग ने शिष्ट मंडल को संक्षिप्त जानकारी दी थी।

(ग) भारत के निर्वाचन आयोग ने कथन किया है कि यह विनिश्चय किया गया था कि प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पक्षों द्वारा निर्वाचन प्रबंध के क्षेत्र में सहयोग के पारस्परिक आदान-प्रदान और सर्वोत्तम व्यवहारों पर और जोर दिया जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग और इसके तत्स्थानी इंडोनेशिया गणराज्य ने तब से इस विषय में समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विनिश्चय किया है।

(घ) और (ङ) शिष्टमंडल ने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ई.वी.एम.) में अधिक रुचि दर्शित की है किंतु अभी ऐसी मशीनों को उपाप्त करने के किसी आशय के संबंध में कोई कथन या संप्रेक्षण नहीं किया था।

[हिन्दी]

अन्नपूर्णा योजना

3861. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध कराया गया सस्ता खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है और बल्कि यह खुले बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्य को रोकने के लिए सकरार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) अन्नपूर्णा दिनांक 1 अप्रैल, 2000 को 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के उन निराश्रित व्यक्तियों को प्रति माह मुफ्त में 10 किग्रा खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो यद्यपि पात्र थे परंतु उस समय की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए थे। अन्नपूर्णा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है जिसे वर्ष 2002-03 में राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सरकारों को योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरक निगरानी प्रणाली

3862. श्री वरुण गांधी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2007 में शुरू की गई ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली जागरूकता की कमी के कारण अपना लक्ष्य पाने में असफल रही;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जागरुकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई कदम उठा रही हैं जो ऑनलाइन एफएमएस को लोकप्रिय बनाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार जागरुकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आबंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): वर्ष 2007 में शुरू की गई उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) उर्वरक विभाग के लिए अत्यधिक लाभदायक है। वर्तमान में सभी उर्वरकों की जिला स्तर पर उपलब्धता और संचलन का पता वास्तविक समय के आधार पर उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से लगाया जा रहा हे। राजसहायता (भाड़ा राजसहातया सहित) को इस प्रणाली की सहायता से जारी किया जा रहा है।

(ख) से (घ) एफएमएस के विभिन्न भागीदार नामत: उर्वरक विभाग, राज्य कृषि विभाग और कंपनियां प्रणाली का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। आम जनता द्वारा जिलास्तर पर उर्वरक की उपलब्धता को यूआरएल www.urvarak.co.in पर देखा जा सकता है।

उर्वरक विभाग, फर्टिलाइजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के परामर्श से भागीदारों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें और सम्मेलन आयोजित करता है। उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी ऑनलाइन टूल के माध्यम से करने के लिए सभी भागीदारी को मानने में विभाग को दो वर्ष का समय लग गया। तथाप, एफएमएस की लोकप्रियता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष निधि का आबंटन नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए व्यवस्था

3863. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षित बर्थ की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आरक्षण प्रभार वापस नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे का प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आरक्षण प्रभारों को वापस करने पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) आरक्षित बर्थों की अनुपलब्धता की स्थिति में वे यात्री, जिनके टिकट आरक्षण चार्ट तैयार होने के पश्चात प्रतीक्षारत रहते हैं, उनको निर्धारित नियमों के अनुसार रिफंड दे दिया जाता है। इसके अलावा, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अनारक्षित स्थान का उपयोग भी यात्रियों द्वारा अपनी यात्रा के लिए किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं। आरक्षण प्रभार सहित किराये की राशि उन यात्रियों को वापिस कर दी जाती है जो चार्ट की तैयारी के पश्चात प्रतीक्षाबद्ध रहते हैं। बहरहाल, रेलवे द्वारा 20/- रुपये प्रति यात्री एक मामूली प्रभार वसूल किया जाता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

3864. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का मध्य प्रदेश में इटारसी-जबलपुर खंड, दिल्ली-शाहदरा-शामली-सहारनपुर, खड़गपुर-मेदिनीपुर वाया गिरी मैदान, कायमकुल्लम-ईलेपी-अर्नाकुलम और कोट्टायम-अर्नाकुलम मार्गों का दोहरीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त कार्य के पूर्ण होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन मार्गों पर दोहरीकरण के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इटारसी-जबलपुर मार्ग पर प्रस्तावित पुलों के निर्माण का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) दोहरीकरण प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1.	इटारसी-जबलपुर	कार्य स्वीकृत नहीं किया गया।
2.	दिल्ली-शाहदरा-शामली-सहारनपुर	दिल्ली-शाहदरा-शामली एकल लाइन के दोहरीकरण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा।
3.	गिरी मैदान के रास्ते खड़ग-पुर-मेदिनीपुर	इस कार्य को बजट 2011-12 में शामिल किया गया। प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं।

1	2	3
4.	कायमकुलम-एलेप्पी-एर्णाकुलम और	इस मार्ग पर कहीं-कहीं दोहरीकरण को स्वीकृत किया गया था।
	कोट्टयम-एर्णाकुलम	एर्णाकुलम-मुलानतुरुत्ती (17.37 किमी), मावेलिकारा-चेंगन्नूर (12.3 किमी), कायनकुलम-मावेलिकारा (7.89 किमी), चेप्पड-कायनकुलम (7.76 किमी) और चेप्पड-हरिपद (5.28 किमी) खंडों में दोहरीकरण पूरा हो गया है। शेष खंडों में दोहरीकरण का का कार्य प्रगति पर है और इन्हें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) चूंकि इस लाइन पर कोई दोहरीकरण स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिए किसी नए पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

तेल कंपनियों/संस्थानों में पद

3865. श्री अब्दुल रहमान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और अन्य उपक्रमों में संवग-वार स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के लिए क्रमश: कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/तेल विपणन कंपनियों में कितने आरक्षित पद भेरे जाने बाकी हैं;

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक क्या कार्रवाही की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पीएसयूज) में संस्वीकृत पदों की कुल संख्या के साथ-साथ अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी में बैकलॉग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैकलॉग का मुख्य कारण इन श्रेणियों में अपेक्षित अनुभव के साथ उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता का होना है। अ.जा. और अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित बैकलॉग पदों को उनके आरक्षित कोटा की तुलना में भरने के लिए सभी प्रयास किए गए। इन पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए और बैकलॉग को समाप्त किया गया।

विवरण

स. क्षे.उ. का नाम	प्रबंधन संवर्ग			गैर प्रबंधन संवर्ग		
	योग	अ.जा. (बैकलॉग पदों की संख्या)	अ.ज.जा. (बैकलॉग पदों की संख्या)	योग	अ.जा. (बैकलॉग पदों की संख्या)	अ.ज.जा. (बैकलॉग पदों की संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14497	2372 (16)	982 (22)	19680	3773 (3)	1601 (4)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5192	794 (21)	288 (47)	8808	1476 (0)	533 (0)

1	2	3	4	5	6	7
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5050	227 (0)	107 (0)	5670	478 (0)	264 (0)
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	22134	3461 (0)	1533 (0)	10875	1745 (0)	1372 (0)
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	3048	509 (15)	103 (49)	380	117 (1)	15 (0)
चैन्ने पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	200	30 (0)	15 (7)	1215	220 (0)	27 (14)
बीको लॉरी कंपनी लिमिटेड	80	06 (0)	00 (10)	711	81 (10)	00 (11)
बामर लॉरी कंपनी लिमिटेड	391	28 (0)	05 (1)	1026	174 (44)	47 (33)
गेल (इंडिया) लिमिटेड	2937	440 (4)	220 (5)	1193	178 (10)	79 (13)
नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	472	54 (0)	26 (0)	458	30 (0)	49 (0)
मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	251	43 (1)	15 (2)	283	38 (12)	09 (5)
ऑयल इंडिया लिमिटेड	1230	127 (21)	101 (0)	7133	435 (8)	772 (2)

आंग्ल-भारतीय समुदाय की जीवन स्थिति

3866. श्री चार्ल्स डिएस: क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आंग्ल-भारतीय और आर्थिक रूप से पिछड़ा है तथा इस समुदाय के बहुत से सदस्य खराब जीवन स्थिति में रहे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समुदाय के शैक्षणिक और आर्थिक विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) आंग्ल-भारतीय समुदाय के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के संदर्भ में इस मंत्रालय द्वारा कोई अलग से अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य उन विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है, बशर्ते कि वे पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करते हों।

ग्रामीण आजीविका मिशन

3867. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित अल्प विकसित राज्यों, जहां विश्व बैंक के सहयोग से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मिशन मोड के रूप में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, में ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना का स्थिति क्या है; और

(ग) उन जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां उक्त परियोजना को शुरू किया गया है अथवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर भारत के सभी जिलों में कार्यान्वित किए जाने के लिए दिनांक 3.6.2011 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। भारत सरकार और विश्व बैंक ने सर्वाधिक गरीबी वाले उड़ीसा सहित 12 राज्यों में विशेष अतिरिक्त निवेश के जरिए एनआरएलएम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) के लिए 1 बिलियन डॉलर (लगभग 4600 करोड़ रुपए) के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) एनआरएलएम को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा और राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे 5-7 वर्षों की अवधि में सभी जिलों को कवर करें। एनआरएलएम के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए राज्यों को एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए मानदंड में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

(i) स्वायत निकाय के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) स्थापित करना अथवा एसआरएलएम के रूप में मौजूदा सोसायटी को पदनामित करना।

(ii) राज्य सरकार से राज्य मिशन निदेशक नियुक्त करना।

(iii) राज्य एवं जिला स्तर पर बहु-विषयक पेशेवर स्टाफ तैनात करने के लिए योजना

(iv) मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष राज्य संदर्भ एवं कार्यान्वयन योजना और वार्षिक कार्य-योजना प्रस्तुत करना।

चूंकि किसी राज्य ने अब तक इन शर्तों का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया है, इसलिए किसी राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता

3868. श्री राजेन गोहैन:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि देश के लिये समग्र रूप से सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता में पिछले पांच वर्ष में गिरावट आई है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्ट दर्शाती हैं कि देश में सकल सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे अधिनियम और रेलवे सर्वेन्ट रूल्स

3869. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी विशेष रूप से नर्सिंग स्टॉफ संगत नियम के अधीन निर्धारित घंटे से अधिक कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या रेलवे का रेलवे अधिनियम, 1989 तथा रेलवे सर्वेंट (आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट) रूल्स, 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। नर्सिंग स्टॉफ सहित सभी रेल सेवक

रेलवे अधिनियम, 1989 और रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 में विनिर्धारित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप रोस्टर के आधार पर कार्य करते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ई-टिकटों के लिए टीडीआर

3870. श्री जफर अली नकवी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई-टिकटों से संबंधित टिकट डिपोजिट रिसीप्ट (टीडीआर) के अंतर्गत रेल यात्रियों को भुगतान प्राप्त करने के तीन महीने या उससे अधिक का समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ एजेंसियों द्वारा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अधिकारियों की सांठ-गांठ से वित्तीय अनियमितताओं के कुछ मामले रेलवे के सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेलवे के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामान्यत: टिकट डिपॉजिट रसीद (टीडीआर) वापसी का निपटान तीन महीनों के भीतर किया जाता है। यह समय इसलिए लगता है क्योंकि वे ये टिकटें होती हैं जिनके लिए वापसी का दावा यात्रियों द्वारा रेलगाड़ियों के प्रस्थान की निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् किया जाता है। ऐसे मामलों में, इन्हें गाड़ी की यात्रा समाप्त होने पर रेलगाड़ी के वास्तविक यात्रा चार्टों से सत्यापित किए जाने की आवश्यकता होती है अर्थात् उस गंतव्य पर, जहां यात्रा चार्टों को जमा कराया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, कर्मचारियों को उस गंतव्य पर भेजा जाता है और वह स्वयं चार्ट देखकर यह सत्यापित करता है कि यात्री ने यात्रा की है या नहीं ताकि फर्जी दावों से बचा जा सके। इस प्रक्रिया में, कुछ मामलों में निर्धारित तीन महीनों की अवधि से अधिक समय भी लग जाता है।

(ग) से (ङ) रेलवे द्वारा सत्यापन के समय कुछ ऐसे मामले भी ध्यान में आए हैं, जहां यात्रा किए जाने के बाद भी वापसी के लिए आवेदन किया गया है। जोनल रेलों द्वारा ऐसे दावों को खारिज कर दिए गए हैं।

इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) फर्जी दावों के मामलों को पकड़ने और सतत् जांच किए जाने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा एक एंटी फ्रॉड स्कवॉड का भी गठन किया गया है।

(ii) किसी भी फर्जी गतिविधि में संलिप्त पाए गए एजेंटों के विरुद्ध पहचान को निष्क्रिय करने और दंडित किए जाने के रूप में कार्रवाई की जाती है।

(iii) लंबित मामलों को क्लियर किए जाने के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु विशेष अभियान चलाए गए हैं।

(iv) ज़ोनल रेलों और रेलवे बोर्ड द्वारा भी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

प्लेटफार्मों का उन्नयन

3871. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुजफ्फरपुर-मोतिहारी तथा कटनी-जबलपुर खंड के अंतर्गत प्लेटफार्म की ऊंचाई काफी कम है जो कि पुराने मीटर गेज लाइन के लिए बने थे;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन प्लेटफार्मों में उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन खंडों पर स्टेशनों, विशेषकर मोतीपुर में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेय जल आदि का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मुजफ्फरपुर-मोतीहारी और कटनी-जबलपुर खंड के रेलवे स्टेशनों पर संभाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर मानदंडों के अनुसार स्टेशनों की कोटि के आधार पर ऊंची सतह/मध्यम सतह/रेल पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म मुहैया कराए गए हैं। स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की सतह को ऊंचा उठाने

के साथ यात्री सुविधाओं का उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं के अधीन यात्री यातायात की मात्रा में वृद्धि के आधार पर जब कभी आवश्यकता होती है तो इस संबंध में कार्य शुरू किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइन हेतु सर्वेक्षण

3872. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री जितेन्द्र सिंह: बुन्देला:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ललितपुर-सिंगरौली परियोजना के अंतर्गत-नासिक, पुणे, अकोला और बेलापुर और नेवासा परली वैद्यनाथ के रास्ते मनमाड़-शाहपुर तथा पन्ना-सतना खंड नई लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन मार्गों पर कार्य को पूरा किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन मार्गों पर कार्य को समय से पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अब तक आबंटित/खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नासिक और पुणे (265 किमी.) के बीच एक नई बड़े आमान की लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया। एक बार सर्वेक्षण के समाप्त होने के बाद और सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों को अंतिम रूप देने के बाद ही प्रस्ताव पर और आगे विचार करना व्यवहार्य होगा। अकोला के रास्ते मनमाड़-शाहपुर और नेवासा पर्ली वैजनाथ के रास्ते बेलापुर के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण स्वीकृत नहीं है। पन्ना-खजुराहो और सतना-खजुराहो, चालू ललितपुर-सिंगरौली नई लाइन परियोजना के भाग हैं।

(ग) पन्ना-सतना खंड को छोड़कर अभी तक कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं जहां कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है।

(घ) 2011-12 के दौरान ललितपुर-सिंगरौली नई लाइन परियोजना के लिए 34 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है और मार्च, 2011 तक कुल व्यय 697.44 करोड़ व्यय किया गया है।

[अनुवाद]

समुद्र जल का प्रदूषण

3873. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंद महासागर में जल प्रदूषण के बारे में कोई अनुसंधान और विकास कार्य/परियोजना/योजना/वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उपमहाद्वीप में समुद्री तट पर जल प्रदूषकों का आकलन करने तथा समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली पर प्लास्टिक अपशिष्ट के पाटन के दुष्प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अध्ययन पर कितना व्यय किया गया;

(च) क्या सरकार के पास देश के सभी समुद्री तटों की जांच और इसे साफ करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं, हिन्द महासागर में जल प्रदूषण पर अब तक किसी भी प्रकार का अनुसंधान तथा विकास अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 1991 से अब तक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्री पारि-प्रणालियों के स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रदूषकों के प्रभाव का

आकलन करने के लिए भारतीय उप-महाद्वीप के तटीय समुद्र के लिए तटीय समुद्र मॉनीटरन एवं पूर्वानुमान प्रणाली (कोमेप्स) नामक समर्पित कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। नमूने के रूप में चुने गए इन स्थानों के लगभग 20 वर्ष तक लिए गए अलग-अलग समय के डेटा के समुद्री क्षेत्रों में इन प्रदूषकों के प्रभाव का क्षेत्रीय विस्तार सीमित रहा है।

(ङ) कोमेप्स कार्यक्रम पद दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17 करोड़ तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ का व्यय हुआ है।

(च) जी नहीं।

(छ) जैसा कि उपर्युक्त पैरा (घ) में उल्लेख किया गया है, समुद्री क्षेत्र पर इन प्रदूषकों का क्षेत्रीय प्रभाव समुद्र-तट से थोड़ी दूरी तक ही सीमित रहा है। फिर भी, राज्य प्रशासन को इस संबंध में अपने स्तर पर कार्रवाई करने हेतु (यदि अपेक्षित हो तो) अपेक्षित डेटा उपलबध कराए गए हैं।

भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना

3874. श्री जगदानंद सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ओमान सरकार के साथ संविदा पर किए गए हस्ताक्षर के अनुसार देश को इससे आपूर्ति किए जाने वाले प्रस्तावित गैस का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए अंतर्जलीय समुद्री परियोजना के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) ओमान से भारत को पाइपलाइन के माध्यम से 56.6 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए मुख्य शर्तों के संबंध में ओमान सरकार और भारत सरकार के बीच 1994 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। उपर्युक्त के अनुसार गेल और ओमान आयल कंपनी ने ओमान-भारत डीपवाटर गैस पाइपलाइन का संयुक्त रूप से व्यवहार्यता अध्ययन किया। तथापि परियोजना, अन्य के साथ-साथ परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध नहीं होने और परियोजना के लिए अपर्याप्त गैस भंडारों के कारण आगे नहीं बढ़ सकी।

हाल ही के वर्षों में मध्य-पूर्व क्षेत्र से भारत तक डीपसी गैस पाइपलाइन में नए सिरे से रुचि दिखाई है। गेल (इंडिया) लि. ने ऐसी पाइपलाइन परियोजना का विकास करने के लिए जुलाई, 2009 में सहयोग के सिद्धांत का करार किया है।

(घ) ऐसी परियोजनाओं में दीर्घकालिक विचार-विमर्श शामिल होता है क्योंकि सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और संबंधित पार्टियों की संतुष्टि के लिए उन पर विचार-विमर्श करना होता है। अत: इस समय परियोजना शुरू करने और साथ इसे पूरा करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लगाया जाना

3875. श्री ए. सम्पत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत जिन वर्षों के दौरान विभिन्न मंडलों में लोकेटर, एलसीडी आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लगाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या विभिन्न स्टेशनों पर उक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कार्य नहीं करने के संबंध में रेलवे के पास कोई आंकड़े मौजूद हैं;

(ग) यदि हां, तो मंडल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके रखरखाव और मरम्मत हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितना व्यय किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंडलों पर इलेक्ट्रॉनिक लोकेटरों, एलसीडी आदि की स्थापना पर व्यय की गई राशि नीचे दिए अनुसार है:

2010-11	2009-10	2008-09
55.1 करोड़	56.77 करोड़	41.1 करोड़

(ख) मंडलीय दोष नियंत्रण प्रतिदिन इन इलेक्ट्रॉनिक मदों की चालन स्थिति की जानकारी लेता है और किसी भी पता चलने वाले दोष/चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है, इन दोषों से संबंधित सभी डाटा मंडल कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं, खराब उपस्कर की मरम्मत करना दोष की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें समय भी लग सकता है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों का अनुरक्षण या तो वार्षिक मरम्मत/रखरखाव ठेका माध्यम से या विभागीय स्तर पर किया जाता है। कभी-कभी मरम्मत मदों की प्रकृति के आधार पर भी की जाती है। इसकी मंडल-वार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में इन उपस्करों की मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय की गई राशि नीचे दिए अनुसार है:

2010-11	2009-10	2008-09
3.27 करोड़	1.75 करोड़	1.18 करोड़

विवरण

रेलवे	मंडल	गाड़ी संकेतक बोर्ड	एलसीडी बोर्ड	डिब्बा संकेतक प्रणाली	इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां	उद्घोषणा प्रणाली	सर्विलेंस प्रणाली
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य	भुसावल	एएमसी*	एएमसी	एएमसी	विभागी	एएमसी	विभागीय
	मुंबई	एएमसी	वारंटी	एएमसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी
	नागपुर	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	पुणे	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	एएमसी	विभागीय
	सोलापुर	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	एएमसी	एएमसी
पूर्वतट	खोरदा रोड़	वारंटी	लागू नहीं	एएमसी	एएमसी	विभागीय	लागू नहीं
	सम्बलपुर	विभागीय	लागू नहीं	एएमसी	एएएमसी/ विभागीय	विभागीय	लागू नहीं
	वालतेरू	एएमसी/वारंटी	एएमसी/वारंटी	एएमसी/वारंटी	एएमसी	एएमसी/वारंटी	लागू नहीं
पूर्व मध्य	दानापुर	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	धनबाद	एएमसी/वारंटी	लागू नहीं	एएमसी/वारंटी	एएमसी/वारंटी	विभागी	लागू नहीं
	मुगलसराय	एएमसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी	लागू नहीं
	समस्तीपुर	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	सोपनुर	विभागीय	लागू नहीं	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
पूर्व	आसनसोल	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय
	हावड़ा	एएमसी/	एएमसी/	एएमसी/	एएमसी/	एएमसी/	एएमसी/

1	2	3	4	5	6	7	8
		विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	मालदा	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय
	सियालदह	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय
उत्तर मध्य	आगरा	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	इलाहाबाद	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	झांसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	लागू नहीं	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय	लागू नहीं
	लखनऊ	एएमसी/ विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एमसी
	वाराणसी	लागू नहीं	एएमसी/ विभागीय	लागू नहीं	विभागीय	एएमसी/ विभागीय	लागू नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	अलीपुरद्वार	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	कटिहार	एएमसी/ विभागीय	विभागीय	एएमसी/ विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	लमडिंग	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	रंगिया	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	तिनसुखिया	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
उत्तर	अंबाला	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	दिल्ली	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	फिरोजपुर	एएमसी/वारंटी	लागू नहीं	एएमसी/वारंटी	विभागीय	एएमसी	एएमसी/वारंटी
	लखनऊ	एएमसी	एएमसी	वारंटी	विभागीय	एएमसी	एएमसी
	मुरादाबाद	वारंटी	वारंटी	वारंटी	वारंटी	वारंटी	एएमसी
उत्तर पश्चिम	अजमेर	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	बीकानेर	एएमसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय
	जयपुर	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	जोधपुर	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय

1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण मध्य	गुंतकल	एएमसी/वारंटी	विभागीय	एएमसी/वारंटी	विभागीय	एएमसी/वारंटी	वारंटी
	गुंटूर	एएमसी/वारंटी	विभागीय	एएमसी/वारंटी	वारंटी	वारंटी	विभाग
	हैदराबाद	एएमसी	विभागीय	एएमसी	विभागीय	विभागीय	वारंटी
	नादेड	वारंटी	विभागीय	वारंटी	वारंटी	विभाग	वारंटी
	सिकंदराबाद	एएमसी/वारंटी	विभागीय	एएमसी/वारंटी	वारंटी	विभागीय	वारंटी
	विजयवाड़ा	एएमसी/वारंटी	एएमसी/वारंटी	एएमसी/वारंटी	वारंटी	विभागीय	वारंटी
दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर	एएमसी	लागू नहीं	एएमसी	विभागीस	एएमसी	विभागीय
	नागपुर	एएमसी	लागू नहीं	एएमसी	एएमसी	अंशत: एएमसी	एएमसी
	रायपुर	एएमसी	लागू नहीं	विभागीय	विभागीय	विभागीय	एएमसी
दक्षिण पूर्व	आद्रा	एएमसी/वारंटी	एएमसी/वारंटी	एएमसी/वारंटी	लागू नहीं	विभागीय	लागू नहीं
	चक्रधरपुर	वारंटी	लागू नहीं	वारंटी	वारंटी	विभागीय	लागू नहीं
	खड़गपुर	एएमसी	लागू नहीं	एएमसी	एएमसी	विभागीय	एएमसी
	रांची	एएमसी	विभागीय	एएमसी	लागू नहीं	वारंटी	लागू नहीं
दक्षिण	चैन्नई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	लागू नहीं
	मदुरै	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	लागू नहीं
	पालघाट	विभागीय	लागू नहीं	वारंटी	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	वारंटी
	त्रिरूच्चिरापल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	लागू नहीं
	त्रिवेन्द्रम	विभागीय	विभागीय	विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	विभागीय
	सेलम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	लागू नहीं
दक्षिण पश्चिम	बैंगलोर	एएमसी	लागू नहीं	एएमसी	विभागीय	एएमसी	एएमसी
	हुबली	वारंटी	वारंटी	वारंटी	वारंटी	वारंटी	वारंटी
	मैसूर	विभागीय	एएमसी	विभागीय	विभागीय	एएमसी	एएमसी
पश्चिम मध्य	भोपाल	विभागीय	विभागीय	एएमसी	एएमसी	विभागीय	विभागीय

1	2	3	4	5	6	7	8
	जबलपुर	एएमसी	एएमसी	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	कोटा	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	अहमदाबाद	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय
	मुंबई	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	एएमसी/ विभागीय	विभागीय	विभागीय	एएमसी
		राजकोट	एएमसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी	एएमसी
	रतलाम	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय	विभागीय
	वडोदरा	एएमसी	विभागीय	एएमसी	विभागीय	विभागीय	विभागीय

1. एएमसी-एजुअल मैंटेलेंस कॉन्ट्रेक्ट

मुफ्त मासिक सीजन टिकट

3876. श्री संजय निरुपम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसी स्कीम प्रचलन में है जिसके अंतर्गत छात्रों को लोकल ट्रेन में मुंबई में स्थानीय यात्रा हेतु मुफ्त पाए दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्कीम के तहत मेडिकल इंजीनियरिंग और टैक्निकल छात्र भी आते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उक्त छात्रों को भी इस स्कीम के तहत लाने के लिए रेलवे ने क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) नि:शुल्क मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) की सुविधा छात्रों और छात्राओं के लिए उनके आवास ओर स्कूल/कॉलेजों/मदरसा से सर्विंग स्थानों के स्टेशनों के बीच सभी पैसेंजर/लोकल रेलगाड़ियों के दूसरे दर्जे में यात्रा करने के लिए उपलब्ध है। छात्रों के मामलों में यह सुविधा 12वीं कक्षा तक उपलब्ध है जबकि छात्राओं के मामलों में यह सुविधा स्नातक स्तर तक उपलब्ध है जिसमें व्यावसायिक/वोकेशनल पाठ्यक्रमों यथा बी. टेक, बीएससी (इंजीनियरिंग), एमबीबीएस आदि भी शामिल हैं।

ऋण गारंटी योजना

3877. श्री एस. सेम्मलई: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत उद्यमियों के लाभ हेतु ऋण गारंटी योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों के लिए भी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन क्षेत्रों के संवर्धन हेतु अन्य तथा नवोन्मेषी योजनाएं शुरू की गयी हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को जोखिम अवधारणा को न्यूनतम करते

हुए सूक्ष्म व लघु उद्यमों को ऋण का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 30 अगस्त 2000 को आरंभ की गई थी। यह सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा ट्रस्ट के सदस्य ऋणदाता संस्थानों के द्वारा संचालित किया जाता है।

(ख) इस योजना में नए तथा मौजूदा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा 100 लाख रुपये प्रति उधारदाता इकाई तक प्रदत्त कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधा (आवधिक ऋण और/या कार्यशील पूंजी) शामिल है। यह योजना ऋण के 85 प्रतिशत तक का अधिकतम गारंटी कवर प्रदान करती है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष (15.8.2011 तक) के दौरान, ट्रस्ट ने 4504.26 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि के लिए गारंटी कवर हेतु 80641 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं।

(घ) और (ङ) एमएसएमई उद्यमियों के लिए अलग से विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, एक एसईजेड स्थापित किया जा सकता है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी स्थापित किए जा सकते हैं।

(च) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सवंर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। मुख्य योजनाओं में क्रेडिट योजनाओं में क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, निष्पादन व क्रेडिट रेटिंग योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शामिल है।

विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित/परियोजनाएं

3878. श्री संजय धोत्रे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफ.आई.आई.) द्वारा वित्तपोषित चालू रेल परियोजनाओं की परियोजना-वार तथा जोन-वार वर्तमान स्थिति तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें अंतर्ग्रस्त लागत, इन संस्थाओं से प्राप्त निधि तथा अब तक उपयोग की गई निधि का परियोजना-वार, जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राशि का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

(घ) क्या रेलवे को उपयोग नहीं की गई धनराशि के लिए प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान करना होता है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में अब तक भुगतान की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा):

(क) विदेशी वित्त संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित चालू रेल परियोजनाओं का विवरण और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) विश्व बैंक: मुंबई रेल विकास निगम लि. (एमआरवीसी) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-चरण-I (रेल पूर्जा) और एमयूटीपी चरण-II का निष्पादन विश्व बैंक से ऋण लेकर कर रही है। ये दोनों परियोजनाएं पश्चिम और मध्य रेलवे में है। दोनों परियोजनाओं के घटकों और उनकी स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

एमयूटीपी चरण I परियोजना के घटक:

(i) कुर्ला-थाणे के बीच 5वीं और छठी लाइन

(ii) 5वीं लाइन की व्यवस्था-पश्चिम रेलवे

(iii) बोरीवली-विरार चौहरीकरण

(iv) डीसी का एसी में परिवर्तन

(v) विरार कार शेड

(vi) ईएमयू की खरीद

(vii) पुनर्स्थापन और पुनर्वास

एमयूटीपी चरण II परियोजना के घटक:

(i) ईएमयू रेकों की खरीद,

(ii) डीसी-एसी परिवर्तन,

(iii) ईएमयू अनुरक्षण सुविधा

(iv) स्टैबलिंग लाइनें

(v) तकनीकी सहायता के अंतर्गत अध्ययन

इस परियोजना के लिए, विश्व बैंक का ऋण 8 अक्टूबर, 2010 से प्रभावी हो गया है और यह परियोजना जून, 2015 तक पूरा होने की आशा है।

(i) **एशिया विकास बैंक:** भारतीय रेलों पर 8 रेल परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है। ये परियोजनाएं रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति निम्नानुसार है:

	परियोजना का नाम	रेलवे जोन	स्थिति
1.	महानदी पर दूसरा पुल	पूर्व तट रेलवे	परियोजना पूरी हो गई है और 18.07.08 को चालू कर दी गई है।
2.	रजतगढ़-बरांग दोहरीकरण	पूर्व तट रेलवे	11 किलोमीटर को 2010-11 में चालू कर दिया गया है। शेष खण्डों में कार्य चल रहा है।
3.	कटक-बरांग दोहरीकरण	पूर्व तट रेलवे	कार्य प्रगति में है।
4.	बरांग-खुर्दा रोड तीसरी लाइन	पूर्व तट रेलवे	खुर्दा-भुवनेश्वर का 19 किलोमीटर 2010-11 में पूरा कर दिया गया है। शेष खंडों में कार्य चल रहा है।
5.	भटापाड़ा-उरकुरे तीसरी लाइन	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	भटापाड़ा-हाथबंध-टिल्डा (29 किलोमीटर) को 2010-11 में पूरा कर दिया गया है। शेष खंडों में कार्य चल रहा है।
6.	गुत्ती-पलमपेट पैच दोहरीकरण	दक्षिण मध्य	पलमपेट-भकरापेट (43 किलोमीटर) को फरवरी, 2010 में चालू कर दिया गया, कडोपा-कमलापुरम (24 किलोमीटर) को दिसम्बर, 2010 में चालू कर दिया गया, मुड्डानूरू-कमलापुरम (32 किलोमीटर) और कोण्डापुरम-तपीपत्री (28 किलोमीटर) को क्रमशः जनवरी, 2011 में और मार्च, 2011 में पूरा कर दिया गया। तापीपत्री-रोयालचेरुवू (24 किलोमीटर) के शेष खण्ड पर कार्य चल रहा है।
	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	उत्तर रेलवे	खुर्जा-अजायबपुर-दादरी (45 किलोमीटर) को 2010-11 में चालू कर दिया गया है। शेष खण्डों में कार्य चल रहा है।
8.	थिरूवलूर-अराक्कोणम तीसरी लाइन	दक्षिण रेलवे	परियोजना को पूरा कर दिया गया है और 10.03.2010 को चालू कर दिया गया है।

(ii) **क्रेडिटांस्टाल्ट फर वेडराफबाउ बैंक:** उत्तर मध्य रेलवे कें कानपुर-गाजियाबाद खण्ड पर "गिनल एवं दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण" परियोजना को मुख्य जर्मनी के क्रेडिटॉस्टाल्ट फर वेडराफवाउ बैंक, फ्रैंकफर्ट द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। इस परियोजना की स्थिति निम्नानुसार है:

	घटक	स्थिति
1.	ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क	50% स्थापन कार्य पूरा कर दिया गया है।
2.	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग	47 स्टेशनों में से 19 स्टेशनों को चालू कर दिया गया है।
3.	ऑटोमेटिक सिगनल प्रणाली	47 ब्लॉक सेक्शनों में से 26 ब्लॉक सेक्शनों में चालू कर दिया गया है।
4.	ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन-रेलवे (जीएसएम(आर) और सिंक्रोनस डिजिटल हैरारकी (एसडीएच) उपकरण के लिए टॉवर्स/शेल्टर्स आदि स्थापित करना।	प्रगति पर है।

(iv) **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए जेआईसीए और विश्व बैंक:** डीएफसी परियोजना में पूर्वी (दानकुनी-लुधियाना) और पश्चिमी कॉरिडोर (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल-तुगलकाबाद/दादरी) शामिल है। पश्चिमी कॉरिडोर को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है और पूर्वी कॉरिडोर को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है। डीएफसी परियोजना अनेक जोनों में फैला है और रेलवे के किसी एक जोन से संबंधित नहीं है। परियोजना की स्थिति परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) निहित लागत, विदेशी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त धनराशि और अब तक प्रयुक्त धनराशि का परियोजनावार, जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(iv) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एमयूटीपी-I और एमयूटीपी-IIए

परियोजना	कुल परियोजना लागत	विश्व बैंक अंश	विश्व बैंक ऋण का भुगतान	
एमयूटीप-I	4175 करोड़ रुपये	350 मिलियन यूएस डॉलर	330.07 मिलियन यूएस डॉलर	परियोजना पूरी हो गई है और 15.10.11 तक व्यय कर दिया जायेगा। ऋण को 15.06.11 को पूरा कर दिया गया। विश्व बैंक खर्च करने के लिए ऋण पूरा करने की तारीख के बाद चार माह का समय देता है।
एमयूटीप-I	1910 करोड़ रुपये	430 मिलियन यूएस डॉलर	2.71 मिलियन यूएस डॉलर	परियोजना क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरण में है।

(ii) **एडीबी:** एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारतीय रेलों पर 8 रेल परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है जिसमें यूएस डॉलर 212.3 मिलियन की राशि शामिल है आज की तारीख में उस ऋण से लगभग 188.67 यूएस डॉलर प्रयुक्त की जा चुकी है। एडीबी बैंक द्वारा वित्तपोषण की जा रही 8 परियोजनाओं में 15 पैकेज है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम/पैकेज	रेलवे जोन	मिलियन रुपये में अनुमानित पैकेज लागत	एडीबी ऋण द्वारा वित्तपोषित प्रतिशता	अब तक प्रयुक्त एडीबी का ऋण	
1.	महानदी पर दूसरा पुल	पूर्व तट रेलवे	1297.4	57%	17.40	739.5
2.	तिरुवल्लूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन	दरे	778.6	80%	14.31	622.9
3.	गुत्ती-पुल्लमपेट दोहरीकरण (सिविल)	दमरे	1999.1	80%	33.14	1489.2
4.	गुत्ती-पुल्लमपेट दोहरीकरण (गिनल)	दमरे	1060.0	80%	15.25	671.3
5.	भाटापाड़ा-उरकुरा तीसरी लाइन	दपूमरे	1361.0	80%	18.66	817.5
6.	रजतगढ़/खुर्दा/कटक/बारंग रोडबैड	पूतरे	1416.0	80%	20.81	921.2
7.	रजतगढ़/खुर्दा/कटक/बारंग रेलपथ इंस्टालेशन	पूतरे	1547.7	80%	23.51	1048.2
8.	रजतगढ़/खुर्दा/कटक/बारंग बड़े पुल	पूतरे	11481.9	80%	20.38	909.7
9.	पुल्लमपेट-रायलाचेरुवू के बीच एफओबी और सीओपी का निर्माण	दमरे	89.15	80%	0.70	31.1
10.	गुत्ती-पुल्लमपेट के बीच पुल सं. 601, 743, 744 का निर्माण	दमरे	114.55	80%	1.66	73.8
11.	कटक-बारंग के बीच पुल सं. 553 (काठजोडी नदी) का निर्माण	पूतरे	262.55	80%	1.50	66.97
12.	रेल आईआरएस 52		275.7	100%	6.69	275.7
13.	थिक वेब स्विच		532.9	100%	11.65	532.9
14.	सीएमएस क्रॉसिंग		84.4	100%	2.11	84.4
15.	उप-परियोजना निगरानी परामर्श		6.3	100%	0.11	4.8
			0.315 (मिलियन यूएस डॉलर)	100%	0.21	-
	कुल		22307.25	188.67	8289.17	

परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर ऋण का उपयोग किया जा रहा है। कुछ परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से इनमें देरी हुई है जैसे जोनल रेलों द्वारा नक्शों आदि को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब, साफ मौसम में भी भारी वर्षा, ठेकों का खराब निष्पादन, कार्य को रोकने के लिए स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवरोध आदि।

(iii) **केएफडब्ल्यू:** इस परियोजना की लागत 212.3 मिलियन डीएम (108.5 मिलियन यूरो के बराबर) आंकी गई थी जिसमें ऋण की राशि 185.0 मिलियन डीएम (94.58 मिलियन यूरो के बराबर) है। 30.06.2011 तक प्रत्यक्ष वितरण के रूप में रेलवे ने अभी तक 30.23 यूरो मिलियन प्राप्त किए हैं और 1.25 मिलियन यूरों का अभी वितरण किया जाना है। इस प्रकार उपयोग किए जाने वाले ऋण की शेष राशि 63.1 मिलियन यूरो है। शेष ऋण के उपयोग न किए जाने का मुख्य कारण परिचालनिक और संरक्षा विचारों के कारण कार्य के स्वरूप में कुछ बदलाव किया जाना है।

(iv) **डीएफसी:** पश्चिमी गलियारे डीएफसी की अनुमानित लागत 38503 करोड़ रुपए ओर पूर्वी गलियारे डीएफसी की लागत 39127 करोड़ रुपए है। पश्चिमी गलियारा चरण-I (रेवाड़ी-वडोदरा) के लिए जेआईसीए ऋण की राशि 2606 मिलियन येन और चरण-II (जवाहर लाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल-वडोदरा और रेवाड़ी-दादरी) के लिए 90262 मिलियन येन है। अभी तक 38 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गई है और इसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। कानपुर से खुर्जा तक पूर्वी डीएफसी के निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा 975 मिलियन यूएस डॉलर की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके लिए अभी ऋण करार पर हस्ताक्षर किया जाना है, अतएव अभी तक कोई वितरण नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू और जेआईसीए ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान किया हैं प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है न कि रेल मंत्रालय द्वारा। प्रतिबद्धता प्रभारों को ऋण की राशि के अनाहरित शेष पर लगाया जाता है, जो कि डोनर बैंक के पास ही रहता है और यह सरकार के खाते में नहीं आता है। 17.08.2011 तक भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों की राशि नीचे दी गई है:

(i)	विश्व बैंक-एमयूटीपी-1 (रेल एवं रोड कंपोनेंट सहित)	वित्त मंत्रालय द्वारा 7.397 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया गया।
(ii)	एडीबी	वित्त मंत्रालय द्वारा 5.804 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया गया।
(iii)	केएफडब्ल्यू ऋण	वित्त मंत्रालय द्वारा 2.969 मिलियन यूरो का भुगतान किया गया।
(iv)	डीएफसी के लिए जेआईसीए ऋण	वित्त मंत्रालय द्वारा 3.106 मिलियन जेपीवाई का भुगतान किया गया।

विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में 25.08.2011 को लोक सभा में श्री संजय धोत्रे द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3878 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट:

समर्पित माल गलियारा (डीएफसीस) परियोजना की स्थिति

1.0 पूर्वी डीएफसी (1839 किमी.)

दानकुनी-सोननगर-मुगलसराय-भाउपुर-खुर्जा-दादरी-लुधियाना

1.1 लुधियाना-खुर्जा-दादरी-भाउपुर-मुगलसराय (1183 किमी) को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक परियोजना की लागत का लगभग 65 प्रतिशत भाग का वित्तपोषण करेगा और इस वित्तपोषण की राशि 2.725 बिलियन यूएस डॉलर आंकी गई है।

1.2 विश्व बैंक का ऋण एडेपटेबल प्रोग्राम ऋण है, जिसमें उत्तरवर्ती खंडों के लिए ऋण को पिछले खंडों में शुरू किए गए कार्यों (भूमि अधिग्रहण, सिविल ठेके देने इत्यादि से संबंधित कार्य) की प्रगति के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। 31.05.2011 को विश्व बैंक बोर्ड ने पूर्वी गलियारे के लिए खुर्जा-भाउपुर (एपीएल-I) खंड के लिए 975 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण अनुमोदित किया है। एपीएल-I के लिए सिविल और ट्रेक कार्यों हेतु पीक्यू मूल्यांकन विश्व बैंक के अनुमोदन के लिए दिनांक 14 जून, 2011 को प्रस्तुत कर दिया गया है। एपीएल-I के लिए सिविल और ट्रेक कार्यों हेतु बोली दस्तावेज पर फरवरी, 2011 से विश्व बैंक के साथ चर्चा की जा रही है। एपीएल-I के लिए सिविल और ट्रेक कार्यों हेतु ठेके प्रदान करने की लक्ष्य तिथि अप्रैल, 2012 है। आगामी एपीएल निम्नानुसार है:

- भाउपुर-मुगलसराय-एपीएल-3
- खुर्जा-दादरी-लुधियाना-एपीएल-3

एपीएल-2 और एपीएल-3 खंडों के लिए सामान्य परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 1 जून, 2011 को खोली गई। एपीएल-2 ओर एपीएल-3 खंडों के लिए ईजाईए/एसआईए/आरएपी अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

1.3 मुगलसराय-सोनगर (122 किमी.)

- इस खंड का वित्तपोषण रेलवे के अपने संसाधनों द्वारा किया जा रहा है।
- 109 किमी. खंड (न्यू गंजख्वाजा से न्यू करवंडिया) के लिए सिविल निर्माण ठेके (781 करोड़; रुपये मूल्य के) दिसंबर, 2008 में प्रदान किए गए थे।
- चंदौली परिवर्तित मार्ग, जहां पर भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति है, पर गंजख्वाजा-दुर्गावती खंड पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य दुर्गावती-कावंडिया खंड पर कार्य चल रहा है। इस खंड के सरेखण की पुन:समीक्षा की गई ओर 3 मार्च, 2011 को सामानांतर सरेखण पर निर्णय लिया गया। सरेखण के पुन-समीक्षा वाले हिस्से और करवंडिया से सोननगर तक शेष खंड के लिए निष्पादन योजना तैयार कर ली गई है।
- जुलाई, 2011 तक समग्र वास्तविक प्रगति 50 प्रतिशत है।

1.4 दान्कुनी सोननगर (534 किमी.)

- इस खंड को पीपी मोड के जरिये निष्पादित करने की योजना है।
- पीपीपी मॉड को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।

2.0 पश्चिमी गलियारा (1634 किमी.)

- चरण-I (रेवाड़ी-वड़ोदरा, 950 किमी;)
- चरण-II (ऐएनपीटी-वड़ोदरा और रेवाड़ी-दादरी, तुगलकाबाद-पिर्थला-584 किमी.)
- इस गलियार का वित्तपोषण जापान की सहायता से किया जा रहा है।
- जेआईसीए इस परियोजना की 80 प्रतिशत लागत का वित्तपोषण करेगा। जेआईसीए के इस वित्तपोषण का मूल्य 32,500 रु. आंका गया है (चरण-I-21000 करोड़ रुपये, चरण-II-11500 करोड़ रुपये)

2.1 अभी तक तीन ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- 26.07.2010-चरण-II के इंजीनियरी सेवाएं ऋण समझौता-1.6 बिलियन जापानी येन (लगभग 80 करोड़ रुपये)
- 31.03.2010-चरण-I के लिए मुख्या ऋण (404.2 बिलियन जापानी येन(90.262 बिलियन जापानी येन (लगभग 4500 करोड़ रुपये) की पहली किस्त।
- 27.10.2009-चरण-I के लिए इंजीनियरी सेवाएं ऋण समझौता-2.6 बिलियन जापानी येन (लगभग 130 करोड़ रुपये)

2.2 आगामी ऋण समझौता जिस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं

लगभग 236 बिलियन जापानी येन (11,500 करोड़ रुपये) के चरण-II हेतु मुख्य ऋण करार पर मार्च, 2012 में हस्ताक्षर किए जाने का लक्ष्य है। जेआईसीए ने इस चरण के लिए अक्टूबर, 2010 में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना शुरू करने के लिए प्रारंभिक सर्वे शुरू किया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को नवंबर, 2011 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली डीएफसी लाइन के लिए वन्य जीव/वन संबंधी क्लीएरेंश एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

2.3. ठेका देना

- चरण-I के लिए कंसलटेंशी ठेका मई, 2010 में दिया गया है।

- चरण-II के लिए ईएस कंसलटेंशी ठेके को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- चरण-I के रेवाड़ी-अजमेर, 301 किमी. (पैकेज 1) और अजमेर-इकबालगढ़, 339 किमी. (पैकेज 2) के सिविल और ट्रेक कार्यों हेतु पीक्यू आवेदन 15.06.2011 को प्राप्त किए गए और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। सिविल ठेकों को मार्च, 2012 तक प्रदान करने का लक्ष्य है।
- चरण-I के इकबालगढ़-वडोदरा, 290 किमी. (पैकेज 3) के लिए सिविल ठेका नवंबर, 2012 तक देने का लक्ष्य रखा गया है। इकबालगढ़-कलोल खंड, 120 किमी. (बलराम-अंबाजी सेंचुरी सहित) पर संरेखण का पुनःसर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और संशोधित सामानांतर संरेखण को मई, 2011 में अंतिम रूप दे दिया गया है।

2.4 पश्चिमी गलियारे पर 54 बड़े और महत्त्वपूर्ण पुलों का निर्माण-

इस कार्य का वित्तपोषण रेलवे द्वारा अपने संसाधनों से किया जा रहा है। डीएफसीसीआईएल द्वारा वैतरणा-भरूच खंड पर 54 बड़े और महत्त्वपूर्ण पुलों के डिजायन और निर्माण हेतु 604 करोड़ रुपये के ठेके फरवरी, 2009 में प्रदान किए गए। जुलाई, 2011 तक कार्य की वास्तविक प्रगति 29 प्रतिशत है।

3.0 भूमि अधिग्रहण की स्थिति (31.07.2011 तक)

क. अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि-10703 हेक्टेयर (3373),

पश्चिम-5860 हेक्टेयर, पूर्व (सोननगर-दानकुनी सहित)-4873 हेक्टेयर (1839)

ख. 20क के मामले की प्रगति-8819 हेक्टेयर (2529)

पश्चिम-4993 हेक्टेयर, (1310), पूर्व-3827 हेक्टेयर (1289)

ग. 20ड़ के मामले की प्रगति-6627 हेक्टेयर (2202)

पश्चिम-3719 हेक्टेयर, (1040), पूर्व-2908 हेक्टेयर (1162)

घ. 20च के मामले की प्रगति-4608 हेक्टेयर (1607)

पश्चिम-3097 हेक्टेयर, (855), पूर्व-1510 हेक्टेयर (752)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े लंबाई को किलोमीटर में निरूपित करते हैं।

बी.पी.एल. परिवारों की गणना

3879. श्री मनीष तिवारीः
श्री रमाशंकर राजभरः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री पूर्णमासी रामः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री के. सुगुमारः
श्री कमल किशोर 'कमांडो':
कुमारी सरोज पाण्डेयः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन करने वाले लोगों की गणना करने कार्यविधि के संबंध में गठित विशेषज्ञ समूह समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में बीपीएल परिवारों की गणना करने हेत कार्यविधि को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(घ) उन राज्यों/सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बी.पी.एल. परिवारों की गणना को समय से पूर्व कराने का आग्रह किया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए बीपीएल परिवारों की संख्या के बीच काफी अंतर है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान बीपीएल परिवारों के बीच वितरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी है; और

(ज) बीपीएल परिवारों की कल्याण और उन्नयन हेतु बनाई गई और लागू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों से कितने लोगों को लाभ हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) 11वीं पचंवर्षीय योजना के लिए बीपीएल जनगणना कराने के तौर-तरीकों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय को सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों में बीपीपएल सूची में से कतिपय ग्रामीण परिवारों का स्वत: अपवर्जन, बीपीएल सूची में स्वत: समावेशन और शेष बसावटों की ग्रेडिंग शामिल है।

(ख) और (ग) सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 (एसईसीसी 2011) के तहत बीपीएल परिवारों के निर्धारण के प्रस्तावित मानदण्ड में बीपीएल सूची से ग्रामीण परिवारों का स्वत: अपवर्जन, बीपीएल सूची में स्वत: समावेशन और कतिपय वंचनों के आधार पर शेष परिवारों का श्रेणीकरण के मानदण्ड शामिल है। व्यय वित्त समिति ने संयुक्त जनगणना के लिए 3543.29 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय अनुमोदित किया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के परामर्श से सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 (एसईसीसी, 2011) कराने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ङ) और (च) बीपीएल परिवारों का निर्धारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और न कि केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय बीपीएल परिवारों के निर्धारण की दृष्टि से बीपीएल जनगणना कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(छ) विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न के उठान एवं आबंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ज) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों के लाभ के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनएसएपी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का कार्यान्वयन कर रहा है। एसजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान 5646347 स्वरोजगारियों की सहायता की गई है। इंदिरा आवास योजना 1985-86 से चल रही है और इसके प्रारंभ होने से लेकर अब तक बीपीएल परिवारों के लिए 266.82 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 चल रहा है और वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों की व्यवस्था किए जाने से 4.27 करोड़ बीपीएल परिवार लाभान्वित हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा-ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पांच योजनाएं है, जिनके अंतर्गत केवल बीपीएल परिवारों के व्यक्तियों को ही पेंशन/वित्तीय सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या

आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस*	आईजीएनडीपीएस*	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
34177170	6638857	2027990	1074110	2862576

*आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस फरवरी 2009 में ही शुरू की गई।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत बीपीएल (एएवाई सहित) परिवारों के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन और उठान

(000 टन में मात्रा)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1706.376	1680.226	1706.376	1650.443	1706.376	1699.242

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	41.496	41.169	41.496	40.161	41.496	35.279
3.	असम	770.916	768.799	770.916	767.732	770.916	759.330
4.	बिहार	2739.792	1511.293	2739.792	2046.389	2739.792	2568.864
5.	छत्तीसगढ़	787.632	774.638	787.632	781.231	787.632	779.121
6.	दिल्ली	171.780	141.520	171.780	134.758	171.780	150.522
7.	गोवा	11.568	10.816	11.568	11.045	11.568	11.773
8.	गुजरात	826.549	786.101	822.048	745.960	890.448	896.543
9.	हरियाणा	331.392	309.824	331.392	306.522	331.392	327.897
10.	हिमाचल प्रदेश	215.880	208.786	215.880	207.206	215.880	202.007
11.	जम्मू व कश्मीर	309.084	315.781	309.084	299.014	309.084	305.677
12.	झारखंड	1005.492	872.709	1005.492	962.831	1005.492	930.366
13.	कर्नाटक	1302.756	1303.546	1314.276	1336.451	1314.276	1275.636
14.	केरल	652.608	653.043	652.608	651.541	652.608	667.256
15.	मध्य प्रदेश	1732.476	1803.040	1732.476	2069.260	1732.476	1914.209
16.	महाराष्ट्र	2744.304	2448.383	2744.304	2554.243	2744.304	2601.188
17.	मणिपुर	69.732	60.177	69.732	77.015	69.732	43.580
18.	मेघालय	76.860	77.760	76.860	76.235	76.860	74.917
19.	मिजोरम	28.560	25.510	28.560	25.760	28.560	26.377
20.	नागालैंड	52.080	55.621	52.080	57.445	52.080	55.694
21.	उड़ीसा	1696.692	1691.215	1696.692	1702.484	1696.692	1639.940
22.	पंजाब	196.536	150.764	196.536	162.423	196.536	166.816
23.	राजस्थान	1021.020	991.742	1021.020	1012.119	1021.020	1019.846
24.	सिक्किम	18.240	19.059	18.240	18.301	18.240	16.941
25.	तमिलनाडु	2042.376	2177.007	2042.376	1996.013	2042.376	2029.006
26.	त्रिपुरा	123.900	126.676	123.900	122.241	123.900	117.280
27.	उत्तर प्रदेश	4485.180	4065.288	4485.180	4297.378	4485.180	4496.098

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तराखंड	209.172	180.811	209.172	210.551	209.172	221.363
29.	पश्चिम बंगाल	2175.264	1894.480	2175.264	1978.934	2175.264	2027.122
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6.840	5.459	6.915	4.364	7.140	4.080
31.	चंडीगढ़	3.828	3.510	4.196	3.639	4.380	3.657
32.	दादरा व नगर हवेली	6.720	6.720	6.720	2.240	7.224	1.832
33.	दमन व दीव	1.680	0.335	1.680	0.757	1.680	0.513
34.	लक्षद्वीप	1.248	1.248	1.254	1.260	1.260	1.490
35.	पुडुचेरी	35.112	17.364	35.112	25.836	35.112	32.865
	कुल	27601.141	25180.420	27608.609	26339.782	27677.928	27104.327

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का वितरण

3880. श्री एन.चेलुवरया स्वामी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में छोटे और सीमांत किसानों को हो रही समस्या के मद्देनजर राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के वितरण संबंधी नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सरकार के आंशिक संचलन ओर वितरण नियंत्रण के अधीन है। अन्य सभी उर्वरक अर्थात् डीएपी, एमओपी, एसएसपी और उनपीके आदि 1992 से नियंत्रणमुक्त/असरणीबद्ध हैं। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की उपलब्धता का निर्णय मांग और आपूर्ति की बाजार ताकतों द्वारा लिया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी करती है और राज्य सरकारें उत्पादकों और आयातकों के साथ इनका अनुबंध करने तथा राज्य में इनका आगे वितरण करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। वर्तमान वर्ष 2011-12 (अप्रैल, 2011 से जुलाई, 2011) के दौरान प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार मांग (आवश्यकता) और आपूर्ति (उपलब्धता) संलग्न विवरण का ब्यौरा में दी गई है।

इसके अलावा, देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा देश भर में निगरानी की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है;

(ii) यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयातकों के जरिए पूरा किया जाता है;

(iii) राज्य सरकारों को आपूर्तियों को कारगर चलाने के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातक के साथ समन्वयन करने के लिए राज्य संस्थागत अभिकरणों को निर्देश देने की सलाह दी गई है;

(iv) सरकार ने 1.4.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के संबंध में पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस के अंतर्गत राज्य सरकारों को उत्पादकों/आयातकों के साथ समन्वय

करने के लिए अधिक सह-क्रियाशील भूमिका निभानी पड़ती है ताकि वे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्तियों हेतु अनुबंध कर सकें।

(v) उर्वरक विभाग तथा कृषि एंव सहकारिता विभाग प्रति सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य कृषि विभाग के साथ उर्वरक उपलब्धता की संयुक्त रूप से समीक्षा कर रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, तत्काल की जाती है ताकि किसानों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(vi) एनबीएस के अंतर्गत, उर्वरक कंपनियां को उर्वरक बैगों पर स्पष्ट रूप से विद्यमान लागू राजसहायता सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करना होता है। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक पर बिक्री करना आवश्यकत वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है।

(vii) उर्वरक विभाग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल तथा एनजी/एलएनजी के अन्य भावी आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उर्वरक उद्योग की गैस आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(viii) सरकार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में उर्वरकों के उत्पादन को हमेशा से प्रोत्साहन देती रही है। सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 सितंबर, 2008 को एक नई नीति घोषित की गई थी। यह नीति आयात सममूल्य (आईपीपी) बैंचमार्क पर आधारित है जिसमें वर्तमान यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार, पुनरुत्थान करने और ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से उपयुक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। देश फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर पूर्णतया निर्भर है। सरकार ने पीएण्डके क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए डीएपी के स्वदेशी उत्पादकों को आयात सम-मूल्य की अनुमति देकर पहल की है। सकार ने पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादकों को उचित मूल्य पर इस महत्त्वपूर्ण आदान को खरीदने में सक्षम बनानेके लिए फॉस्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को 5% से घटकर 2% कर दिया है। सरकार पीएण्डके क्षेत्र को उर्वरक आदानों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना की तलाश करने हेतु निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रही है; और

(ix) उर्वरक विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी संभव उपाय किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2011-12 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(मात्रा ('000) मी. टन में)

2011-12

राज्य	यूरिया			एमओपी			डीएपी + एनपीके				
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आववश्यकता	पूर्व निर्धारित स्टॉक	उपलब्धता	पूर्व निर्धारित स्टॉक सहित कुल उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	800.00	725.82	682.79	150.00	72.43	71.13	940.00	159.68	907.86	1067.54	1022.08
कर्नाटक	410.00	512.69	498.84	161.00	74.47	73.78	763.80	385.20	711.87	1097.07	1081.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केरल	63.00	66.52	60.46	63.90	53.31	53.13	112.00	11.81	93.66	105.47	101.17
तमिलनाडु	275.00	280.57	272.13	127.00	94.91	94.65	272.75	65.01	292.48	357.49	350.40
गुजरात	665.00	636.51	626.11	68.00	62.28	62.27	522.00	114.71	479.85	594.56	584.70
मध्य प्रदेश	420.57	425.52	405.86	47.70	21.58	21.49	502.02	189.88	347.14	537.02	515.47
छत्तीसगढ़	335.00	261.80	261.72	59.50	18.69	18.42	258.75	64.47	152.94	217.41	217.22
महाराष्ट्र	1000.00	986.68	980.09	205.00	65.25	64.79	1311.50	265.07	1015.01	1280.08	1250.88
राजस्थान	335.00	367.86	356.68	17.00	6.52	6.50	270.10	70.45	191.84	262.29	260.40
हरियाणा	585.00	615.20	604.13	25.00	11.11	11.10	225.00	72.98	221.51	294.49	284.01
पंजाब	1050.00	1070.55	1050.35	36.00	19.40	19.37	360.00	51.95	246.79	298.74	293.50
हिमाचल प्रदेश	32.50	31.23	31.16	0.35	0.00	0.00	7.90	2.00	7.96	9.96	9.58
जम्मू और कश्मीर	54.50	39.98	39.41	9.00	0.00	0.00	35.00	0.99	23.56	24.55	24.53
उत्तर प्रदेश	2125.00	1703.65	1584.45	90.00	46.12	46.03	984.00	256.93	600.46	857.39	772.27
उत्तराखंड	91.00	100.34	99.90	4.50	0.79	0.79	42.00	0.00	28.85	28.85	22.12
बिहार	515.00	437.43	427.45	50.00	15.18	15.17	300.00	0.40	184.73	185.13	176.10
झारखंड	88.00	68.97	66.69	15.00	1.83	1.83	85.50	0.55	40.47	41.02	40.24
उड़ीसा	180.00	168.26	161.43	69.50	25.15	24.74	236.25	7.88	198.85	206.73	196.98
पश्चिम बंगाल	256.50	323.78	296.55	97.05	31.48	31.45	442.45	27.12	321.51	348.63	319.12
असम	92.40	76.69	73.97	39.690	10.60	10.58	18.15	7.50	14.37	21.87	21.85
अखिल भारत	9445.997	8933.755	8612.27	1343.53	636.10	632.72	7720.40	1754.57	6091.05	7845.62	7555.13

गुजरात को सिन्धु नदी जल का आबंटन

3881. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात को सिन्धु नदी जल के आबंटन के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) माननीय जलापूर्ति, जल संसाधन, शहरी विकास तथा शहरी आवास मंत्री, गुजरात सरकार ने माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को दिनांक 07.02.2008 को संबोधित अपने पत्र से गुजरात के कच्छ क्षेत्र को सिंधु जल (अर्थात रावी-व्यास-सतलुज जल) के आबंटन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उचित कार्रवाई का अनुरोध करने संबंधी राज्य सरकार के दिनांक 23.3.04 तथा 01.08.05 के

पूर्व पत्रों का हवाला दिया है। तत्कालीन माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 18.03.08 के अपने उत्तर में पूर्वोत्तर नदी राज्यों के वर्तमान लाभार्थियों के मध्य व्याप्त जल संबंधी मुद्दों को इंगित किया है, जिनमें से कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है जिनमें पंजाब विधान सभा द्वारा अधिनियमित पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004 पर राष्ट्रपतीय संदर्भ शामिल है। आगे यह उल्लेख किया जाता है कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यमान मुद्दों का निराकरण होने तथा वर्तमान लाभार्थी राज्यों द्वारा कुछ जल छोड़ देने की स्थिति में होने तक जल के पुन:आबंटन संबंधी किसी भी मुद्दे को आरंभ करना उचित नहीं होगा।

इन जल के पुन:आबंटन हेतु कोई भी नया सुझाव शीर्षस्थ न्यायालय के निर्णय तथा वर्तमान लाभार्थी राज्यों के कुछ जल छोड़ देने हेतु सहमति पर निर्भर करता है।

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और टी.एस.सी.

3882. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री नीरज शेखर:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री बदरुद्दीन अजमल:
श्री यशवीर सिंह:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों को राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाने के राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और टी.एस.सी. के अंतर्गत जारी अनुदान का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और टी.एस.सी. के अंतर्गत अनुदान का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका संबंधित योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) **एनआरडीडब्ल्यूपी:** विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राज्य में कार्यक्रम का कार्यान्वयन सामान्यत: संतोषप्रद है। तथापि, कुछ राज्य प्रापण प्रक्रिया में विलंब, बहु-ग्रामीण योजनाएं शुरू करना, जिसे पूरा होने में 2-3 वर्ष का समय लगता है, काल्पनिक लक्ष्यों का निर्धारण आदि जैसे कारणों की वजह से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए थे।

टीएससी: भारत सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का संचालन करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1999 में शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को दूर करना और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना है। यह मांग आधारित मोड में क्रियान्वित किया जाने वाला परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। इसलिए, इसमें कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के संबंध में टीएससी के अंतर्गत हुई उपलब्धियां का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दी गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 21.9% थी। टीएससी के प्रभावी कार्यान्वयन से, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑन लाइन निगरानी प्रणाली के जरिए सभी राज्यों द्वारा बताई गई प्रगति के अनुसार जुलाई 2011 तक बढ़कर लगभग 73% हो गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निधियों की रिलीज को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टीएससी के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के लिए दिनांक 31 मार्च को अंतशेष अर्थात् उपयोग के लिए शेष बचे अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। ये योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करती क्योंकि अंतशेष का इन एनआरडीब्डल्यूपी योजनाओं के लिए अगले वर्ष में उपयोग किया जा सकता है।

वर्ष के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की दूसरी किस्त उपलब्ध निधियों की 60% राशि के उपयोग करने पर ही जारी की

जाती है। इसके अलावा, अधिक मात्रा में बची अथशेष राशि के लिए हतोत्साहन के रूप में राज्यों को जारी की जाने वाली दूसरी किस्त में से अथशेष की 10% की राशि की कटौती कर दी जाती है।

टीएससी: विगत तीन वर्षों के लिए वित्त वर्ष के 31 मार्च, की स्थिति के अनुसार उपयोग न की गई निधियां अर्थात् अंतशेष का ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया हैं टीएसीस के अंतर्गत, प्रत्येक जिला परियोजना में अनुमोदित परियोजना परिव्यय होता है जो वार्षिक बजट से जुड़ा नहीं होता। टीएससी दिशानिर्देशों में यह उल्लेख है कि पूर्व में रिलीज की गई निधियों की कम से कम 60% राशि कय उपयोग करने के बाद ही राज्यों को केवल पात्र जिलों के लिए निधियों की अगली किस्त रिलीज की जाएगी। पूर्व में रिलीज की गई निधियों की 80% राशि के उपयोग के बाद ही परियोजना की अंतिम किस्त की रिलीज जाएगी। इस प्रकार, इस अभियान में परियोजना जिलों द्वारा निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने का अंतनिर्मित प्रावधान है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आवासीय लक्ष्य और कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	15889	15647	8500	5374	6673	6971	5634	287
2.	अरूणाचल प्रदेश	2390	905	2400	567	534	601	300	3
3.	असम	23099	8703	23000	12004	8157	6467	6073	555
4.	बिहार	39956	25785	40508	26622	18749	14221	15810	1259
5.	छत्तीसगढ़	4408	8178	3551	12002	9948	7847	8409	2146
6.	गोवा	3	4	0	0	0		0	0
7.	गुजरात	4232	2374	1396	1441	1100	1079	1125	181
8.	हरियाणा	635	965	950	885	1007	752	862	108
9.	हिमाचल प्रदेश	5184	6390	5000	5204	5000	5094	2557	628
10.	जम्मू व कश्मीर	4704	2234	4700	424	962	903	923	0
11.	झारखंड	7170	6832	1552	14605	1099	11399	19110	1225
12.	कर्नाटक	12950	5586	13000	11625	8750	6130	9000	898
13.	केरल	4596	7650	395	241	744	405	824	56
14.	मध्य प्रदेश	3718	5302	4500	10781	13300	13937	16715	5743
15.	महाराष्ट्र	19877	17128	8605	7465	9745	8987	6407	1044
16.	मणिपुर	0	115	730	158	330	227	330	105
17.	मेघालय	1881	1116	500	407	840	380	535	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	305	46	600	124	124	121	125	3
19.	नागालैंड	170	584	200	84	105	128	85	0
20.	उड़ीसा	16492	13507	3452	9525	5494	7525	4725	1567
21.	पंजाब	4933	1523	1651	1874	2023	1658	1630	163
22.	राजस्थान	25654	7434	10929	10388	7764	7254	6073	1265
23.	सिक्किम	300	27	300	110	175	100	200	14
24.	तमिलनाडु	4602	9097	7000	8206	8009	7039	6000	20
25.	त्रिपुरा	138	555	3132	843	825	976	982	161
26.	उत्तर प्रदेश	1639	1190	2000	1874	2142	1879	23300	22
27.	उत्तरांचल	1450	1351	1199	1200	1565	1324	1341	229
28.	पश्चिम बंगाल	11460	2747	9093	4806	6630	5967	6094	203
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34	0	42	0	8	8		
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0				
31.	दमन और दीव	0		0					
32.	दिल्ली	0		0					
33.	लक्षद्वीप	10		0		10	10		
34.	पुडुचेरी	18	15	4	40		12		
35.	चंडीगढ़	0		0		0		0	
	कुल	217898	152990	158589	148879	121812	119401	145169	18021

31.7.2011 को आईएमआईएस आंकड़ों के अनुसार

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	292697	606277	1049704	209707
2.	अरूणाचल प्रदेश	3399	16682	19799	14617

1	2	3	4	5	6
3.	असम	206256	489334	498849	99568
4.	बिहार	756465	640359	717792	186843
5.	छत्तीसगढ़	305456	460320	236164	18617
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	18753	0	800	0
8.	गुजरात	984200	607078	515224	97290
9.	हरियाणा	367097	191242	132137	42927
10.	हिमाचल प्रदेश	313872	239576	216571	18357
11.	जम्मू और कश्मीर	39415	55390	125228	6154
12.	झारखंड	362573	335592	296678	24564
13.	कर्नाटक	409816	1087674	810104	161777
14.	केरल	81865	68302	20241	0
15.	मध्य प्रदेश	1105250	1354632	1166016	270226
16.	महाराष्ट्र	854563	934879	562183	128465
17.	मणिपुर	4590	15941	49576	9895
18.	मेघालय	30004	47256	65417	13772
19.	मिजोरम	8973	7639	1611	0
20.	नागालैंड	5543	25993	18224	26949
21.	उड़ीसा	323802	539077	853303	165392
22.	पुडुचेरी	227	208	77	0
23.	पंजाब	262194	158060	118415	0
24.	राजस्थान	889762	665660	750948	161097
25.	सिक्किम	3712	0	0	0
26.	तमिलनाडु	421967	533108	473647	103316
27.	त्रिपुरा	62971	27346	30392	8606
28.	उत्तर प्रदेश	2415154	2669547	2915407	332714
29.	उत्तराखंड	98884	115071	132913	36794
30.	पश्चिम बंगाल	636422	515535	466311	197409
	कुल	11265882	12407778	12243731	2335056

विवरण-III

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत रिलीज धनराशि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	395.05	537.37	558.74	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	162.46	178.20	199.99	31.95
3.	असम	187.57	323.50	487.48	0.00
4.	बिहार	452.38	186.11	170.73	0.00
5.	छत्तीसगढ़	125.26	128.22	122.01	0.00
6.	गोवा	0.00	3.32	0.00	0.00
7.	गुजरात	369.44	482.75	609.10	121.28
8.	हरियाणा	117.29	206.89	276.90	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	141.51	182.85	194.37	21.19
10.	जम्मू और कश्मीर	396.49	402.51	468.91	72.27
11.	झारखंड	80.33	111.34	129.95	0.00
12.	कर्नाटक	477.85	627.86	703.80	0.00
13.	केरल	106.97	151.89	159.83	37.54
14.	मध्य प्रदेश	380.47	379.66	388.33	2.56
15.	महाराष्ट्र	648.24	647.81	718.42	0.00
16.	मणिपुर	45.23	38.57	52.77	11.86
17.	मेघालय	63.38	79.40	84.88	0.39
18.	मिजोरम	54.19	55.26	61.58	0.00
19.	नागालैंड	42.53	47.06	77.52	25.51
20.	उड़ीसा	298.68	226.66	294.76	0.00
21.	पंजाब	86.56	88.81	106.59	20.61
22.	राजस्थान	971.83	1012.16	1099.48	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	32.45	20.60	23.20	0.00
24.	तमिलनाडु	287.82	317.95	393.53	62.24
25.	त्रिपुरा	41.01	77.40	74.66	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	615.78	956.36	848.68	177.56
27.	उत्तराखंड	85.87	124.90	136.41	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	389.39	394.30	499.19	15.36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	7056.02	7989.72	8941.81	600.32

*16.8.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण-IV

टीएससी के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1391.81	11078.44	14218.46	4828.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	1530.16	404.97	119.26	102.44
3.	असम	8310.66	6729.84	9437.36	6125.59
4.	बिहार	7150.57	9046.72	11259.76	8609.55
5.	छत्तीसगढ़	1144.14	5018.42	5479.58	2702.42

1	2	3	4	5	6
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0
8.	गुजरात	978.81	3036.91	4692.36	2154.29
9.	हरियाणा	1069.09	718.15	2361.49	335.27
10.	हिमाचल प्रदेश	778.76	1017.74	2939.78	469.57
11.	जम्मू और कश्मीर	1115.82	332.9	2792.51	912.17
12.	झारखंड	3188.2	3941.66	5466.98	3632.46
13.	कर्नाटक	3176.18	5571	4458.66	4354.64
14.	केरल	388.99	975.45	2286.34	158.89
15.	मध्य प्रदेश	9767.83	9987.48	14402.6	7538
16.	महाराष्ट्र	3526.29	9894.05	12911.7	5799.94
17.	मणिपुर	99.83	1177.54	80.3	0
18.	मेघालय	578.3	1378.78	3320.2	557.86
19.	मिजोरम	694.27	412.98	653.4	31.38
20.	नागालैंड	99.78	1059.27	1229.45	174.06
21.	उड़ीसा	7204.33	5031.55	6836.73	5585.85
22.	पुडुचेरी	0	0	0	0
23.	पंजाब	223.18	116.02	1116.39	283.18
24.	राजस्थान	2516.85	4352.64	5670.74	3443.79
25.	सिक्किम	254.86	0	112.86	0
26.	तमिलनाडु	473.31	6166.18	7794.35	3831.03
27.	त्रिपुरा	158.76	836.66	925.14	133.92
28.	उत्तर प्रदेश	38284.24	11579.77	22594	8389.68
29.	उत्तराखंड	861.89	773.98	1707.61	402.38
30.	पश्चिम बंगाल	3047.06	3246.26	8327.5	7062.1

विवरण-V

31 मार्च की स्थिति के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत अंतशेष

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	139.91	275.27
2.	अरूणाचल प्रदेश	27.47	10.12	33.56
3.	असम	0.00	48.43	55.36
4.	बिहार	671.45	572.68	317.50
5.	छत्तीसगढ़	27.59	50.65	63.15
6.	गोवा	0.00	2.82	1.66
7.	गुजरात	86.73	60.51	59.12
8.	हरियाणा	0.00	74.54	149.87
9.	हिमाचल प्रदेश	0.02	28.69	57.47
10.	जम्मू और कश्मीर	237.91	256.17	218.56
11.	झारखंड	61.48	86.78	88.54
12.	कर्नाटक	32.05	184.74	314.61
13.	केरल	1.19	1.23	23.09
14.	मध्य प्रदेश	33.50	58.09	121.48
15.	महाराष्ट्र	192.26	222.65	227.59
16.	मणिपुर	26.69	24.10	7.60
17.	मेघालय	0.18	10.01	24.41
18.	मिजोरम	17.43	20.48	24.04
19.	नागालैंड	29.61	4.59	1.48
20.	उड़ीसा	25.56	50.37	134.02
21.	पंजाब	6.54	0.00	0.00
22.	राजस्थान	3.88	342.12	588.78
23.	सिक्किम	10.33	6.94	10.63

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	57.24	5.10	95.22
25.	त्रिपुरा	17.85	17.18	24.64
26.	उत्तर प्रदेश	173.71	159.47	74.87
27.	उत्तराखंड	37.06	98.13	179.10
28.	पश्चिम बंगाल	20.94	46.47	125.44
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
	कुल	1798.69	2582.97	3297.06

विवरण-VI

31 मार्च की स्थिति के अनुसार विगत तीन वर्षों के लिए अंतशेष अर्थात अप्रयुक्त निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2721.42	9884.81	16925.37
2.	अरूणाचल प्रदेश	1434.34	1178.68	685.84
3.	असम	9431.43	6724.32	9449.6
4.	बिहार	9226.68	9258.77	7997
5.	छत्तीसगढ़	2555.34	1135.77	4084.78
6.	दादरा और नगर हवेली	1.48	1.48	1.48
7.	गोवा	22.39	22.39	22.39
8.	गुजरात	3524.87	1407.44	2766.82

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	1890.26	1388.32	2339.4
10.	हिमाचल प्रदेश	1220.99	926.35	1735.93
11.	जम्मू और कश्मीर	1995.35	945.1	2635.68
12.	झारखंड	3432.99	3502.74	5316.06
13.	कर्नाटक	3436.6	4190.7	2408.42
14.	केरल	953.74	583	2060.82
15.	मध्य प्रदेश	8609.45	5864.8	7440.82
16.	महाराष्ट्र	3373.13	1525.51	7173.71
17.	मणिपुर	450.35	1218.31	437.6
18.	मेघालय	667.25	1060.57	2943.43
19.	मिजोरम	492.75	486.46	858.05
20.	नागालैंड	44.68	132.36	1096.85
21.	उड़ीसा	11065.5	10838.08	12746.59
22.	पुडुचेरी	23.87	18.68	15.77
23.	पंजाब	1004.05	793.66	1489.41
24.	राजस्थान	3616.17	4751.23	6664.45
25.	सिक्किम	258.95	0	112.86
26.	तमिलनाडु	1963.63	2722.95	5304.16
27.	त्रिपुरा	452.72	753.64	1104.7
28.	उत्तर प्रदेश	26785.3	4707.78	4562.86
29.	उत्तराखंड	941.79	613.55	1161.59
30.	पश्चिम बंगाल	10019.57	5456.52	6129.45

बांधों से रिसाव

3883. **श्री पी.के. बिजू:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बांधों से जल का कोई रिसाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण अवधि के दौरान उक्त बांधों की निर्धारित की गई जीवन अवधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुराने बांधों की जगह नए बांधों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) बांधों में अनुमत्य सीमा तक रिसाव (सीपेज) आम बात है। परियोजना प्राधिकारी अधिकांशतया बांधों में जल के टपकने/रिसाव के संबंध में सूचना एकत्रित करते हैं तथा अनुमत्य सीमा से अधिक रिसाव की स्थिति में उपचारी उपाय करते हैं। तथापि, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एसीडीएस) को कुछ बड़े बांधों से रिसाव होने की सूचना दी गई है। ब्यौरा निम्नलिखित है-

क्र.स.	बांध का नाम	राज्य	निर्माण वर्ष	परियोजना का उद्देश्य
1.	कोहीरा	बिहार	192	सिंचाई
2.	चांडिया	मध्य प्रदेश	1926	सिंचाई
3.	रणजीत सागर	पंजाब	1999	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
4.	मौदाहा	उत्तर प्रदेश	2003	सिंचाई
5.	मारो	उत्तर प्रदेश	1975	सिंचाई

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 12182 सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्य जीवन अवधि क्रमशः 100 और 70 वर्ष से कम नहीं होगी।

(ग) केवल बांध से रिसाव होने के कारण उसके स्थान पर नया बांध बनाने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति तभी बन सकती है जब बांध की सुरक्षा तथा उसकी कार्यक्षमता के पुनरुद्धार का कोई भी उपाय बचा न हो। राज्य सरकारों/बांध स्वामियों द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सभी संभव विकल्पों की जांच की जानी होती है। सिंचाई राज्य का विषय होने के नाते, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना; निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकाओं के अनुरूप किया जाता है।

एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत तेल और गैस ब्लॉकों की पहचान

3884. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः
श्री हरीश चौधरीः
श्री एस. अलागिरीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत स्थान-वार और कंपनी-वार कितने अन्वेषण ब्लॉकों की पहचान की गयी और आबंटित किए गए;

(ख) एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत कंपनियों को ब्लॉक दिए जाने तथा सरकार के राजस्व हित की सुरक्षा हेतु प्रावधान क्या है;

(ग) अद्यतन नीलामी में विभिन्न कंपनियों को दिए गए ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नीलामी हेतु कुछ कंपनियों को कार्योत्तर छूट दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) अब तक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) बोली के हुए आठ दौरों के तहत, कुल 326 ज़मीनी, उथले समुद्री और गहरे अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक प्रस्तावित किए गए थे, इनमें से 235 ब्लॉक राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज), निजी और विदेशी कंपनियां को प्रदान किए गए थे। प्रदान किए गए ब्लॉकों के स्थल-वार और कंपनी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एनईएलपी ब्लॉक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसमें एनओसीज, निजी और विदेशी कंपनियों

सभी के लिए निबंधन और शर्तें एक समान होती हैं। बोली मूल्यांकन मानदंड (बीईसी) विभिन्न एनईएलपी दौरों के सूचना आमंत्रण प्रस्तावों (एनआईओ) में निर्धारित रहते हैं। बोली मूल्यांकन प्राचलों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

- बोलीयोग्य कार्य कार्यक्रम
- राजकोषीय पैकेज
- तकनीकी क्षमता

उपरोक्त प्रत्येक प्राचल में ज़मीनी, उथले समुद्री तथा गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए निर्दिष्ट भार शामिल होता है। सबसे अधिक भार प्राप्त करने वाले और एनआईजो में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने वाले बोलीदाता को ब्लॉक प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, निवेश गुणक (आईएम) भी सरकार को अधिक लाभ अर्जित करने में मदद करता है जब रिज़र्वायर में अचानक आने वाले परिवर्तनों के कारण जारी उच्च पेट्रोलियम मूल्यों और/या उच्च उत्पादन परिमाणों से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता है।

केन्द्र और राज्य सरकारों को एनईएलपी के तहत क्रमश: अपतटीय और जमीनी क्षेत्र में प्रदान किए गए ब्लॉकों के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क प्राप्त होता है।

(ग) एनईएलपी के नौंवे बोली दौर (एनईएलपी-IX) के तहत, जो एनईएलपी का अद्यतन दौर है, 34 ब्लॉक प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 33 ब्लॉकों के लिए बोलियां प्राप्त की गई हैं। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा प्रारंभिक बोली मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है ओर ब्लॉक प्रदान करने की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) और (ङ) एनईएलपी बोली प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रक्रिया है और ब्लॉकों को प्रदान किए जाने के बाद किसी कंपनी को कोई कार्योत्तर छूट नहीं दी गई है।

(च) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) बोली के प्रत्येक दौर की शुरुआत से पूर्व एनईएलपी बोली दौरों के निबंधनों और शर्तों में सुधार लाने के लिए, सभी पणधारकों के साथ परामर्श करके, विभिन्न निबंधनों और शर्तों के साथ-साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

विवरण

एनईएलपी के तहत तेल और गैस ब्लॉकों की पहचान के संबंध में दिनांक 25.08.2011 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3884 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

एनईएलपी दौरों के तहत कंपनी-वार (प्रलाचक के तौर पर) प्रदान किए गए ब्लॉक

क्र.सं.	कंपनी (प्रचालक)	ज़मीनी	उथले समुद्री	गहरे समुद्री	योग
1	2	3	4	5	6
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम				
1.	ओएनजीसी	36	28	42	106
2.	ओआईएल	14	2	0	16
3.	आईओसीएल	2	0	0	2
4.	जीएसपीसीएल	6	2	0	8
5.	एनटीपीसी	1	0	0	1
6.	गेल	1	0	0	1
	उप-योग	60	32	42	134

1	2	3	4	5	6
	निजी कंपनियां				
7.	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2	12	24	38
8.	हिन्दुस्तान ऑयल एक्स कं.	1	1	0	2
9.	एस्सार ऑयल लिमिटेड	2	1	0	3
10.	ज्यूबिलेंट ऑयल एण्ड गैस प्रा. लिमिटेड	6	0	0	6
11.	फोकस एनर्जी लिमिटेड	1	1	0	2
12.	अडानी इन्टरप्राइजेज	2	1	0	3
13.	क्वेस्ट पेट्रोलियम	1	0	0	1
14.	डीप एनर्जी	1	0	0	1
15.	मकेटर पेट्रोलियम	2	0	0	2
16.	ऑकार नेचुरल रिसोर्सिज	2	0	0	2
17.	वसुंधरा रिसोर्सिज	1	0	0	1
18.	बंगाल एनर्जी इंटरनेशनल	0	1	0	1
19.	हरीश चन्द्र (इंडिया) लिमिटेड	2	0	0	2
20.	एसवीजी स्टील (गुजरात) प्रा. लिमिटेड	3	0	0	3
21.	जय पॉलिकैम (इंडिया) लिमिटेड	1	0	0	1
	उप-योग	27	17	24	68
	विदेशी कंपनियां				
22.	कैर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई लि. यू.के.	3	2	2	7
23.	ज्योग्लोबल रिसोर्सिज इंक कनाडा/बारबाडोस	2	0	0	2
24.	ईएनआई (इंडिया) लिमिटेड इटली	2	0	1	3
25.	सानटोस इंटरनेशनल आपरेशन्स पीटीवाई लि. आस्ट्रेलिया	0	0	2	2
26.	पेट्रोगैस, ओमान	0	1	0	1
27.	नैफ्तोगैस, रूस	1	0	0	1
28.	नाइको रिर्सोसिज कनाडा	2	0	0	2
29.	बीएचपी बिलिटोन पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया	0	3	7	10
30.	बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) यू.के.	0	0	1	1

1	2	3	4	5	6
31.	गाजप्रोम, रूस	0	1	0	1
32.	प्राइज पेट्रोलियम यू.के.	1	0	0	1
33.	ज्योपेट्रोल इंटरनेशनल इंक,	1	0	0	1
34.	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) लिमि.	0	0	1	1
	उप-योग	12	7	14	33
	समय योग	99	56	80	235

पी.एच.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का उन्नयन

3885. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निर्मित सड़कों के, इसकी गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद, उन्नयन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात सहित प्रत्येक राज्य में उक्त सड़कों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) आज की तारीख तक पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित राज्य सरकारों के प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है और सड़क निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र सरकार की एक बारगी विशेष पहल है। पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों का रखरखाव संविदा अवधि के दौरान और उसके बाद भी राज्यों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) दिनांक 12 जून, 2009 की एडवाइजरी के अनुसार वर्तमान में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है:

(i) भारत निर्माण के चरण-I के अंतर्गत परिकल्पित शेष नए सड़क-संपर्क की कवरेज।

(ii) विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक की सहायक से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं।

(iii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/एकीकृत कार्रवाई योजना (आईएपी) वाले 60 चिन्हित जिलों में नई बसावटों में सड़क-सम्पर्क।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए घोषित विशेष सड़क-सम्पर्क पैकेज।

[हिन्दी]

राजसहायता में कटौती

3886. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और एम.ए.पी. जैसे उर्वरकों के विपणन पर प्रदान किया जा रहे अनुदान में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो अनुदान में कमी के कारण इसके मूल्य में होने वाली संभावित वृद्धि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश के किसानों को सस्ती दरों पर और समय से उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): जी नहीं।

(ख) से (ङ) भारत सरकार दिनांक 1.4.2010 से नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों नामतः डीएपी, एमएपी, टीएसपी, डीएपी लाइट, एमओपी, अमोनियम सल्फेट (फैक्ट और जीएसएफसी द्वारा उत्पादित कैप्रोलैक्टम ग्रेड) के 22 ग्रेडों तथा मिश्रित उर्वरकों के 15 ग्रेडों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति कार्यान्वित कर रही है ताकि किसानों को वहनीय मूल्यों कपर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सके।

एनबीएस योजना के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहायता को उसके पोषक-तत्वों (अर्थात् नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर के आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है। एनबीएस को किसानों की वहनीयता तथा अंतर्राष्ट्रीय बजार में उर्वरकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को खुला रखा गया है और उत्पादकों/विपणनकर्ताओं को एमआरपी को उचित स्तर पर निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है। यह देखा गया है कि पीएण्डके उर्वरकों की वर्तमान एमआरपी के अनुसार किसान इन उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत का केवल 27% से 58% का ही भुगतान कर रहे हैं। यूरिया पर राजसहायता नई मूल्य निर्धारण नीति-III (एनपीएस-III) के अंतर्गत प्रदान की जा रही है और किसानों को यूरिया राजसहायता-प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्य 5310/- रुपए प्रति मी.टन पर उपलब्ध कराया जाता है जो कि यूरिया की सुर्पुदगी लागत से बहुत कम है।

विभाग राज्य सरकारों के परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा आकलित मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। उर्वरकों की उपलब्धता के मुद्दे को हल करने के लिए विभाग दैनिक आधार पर प्रत्येक राज्य के कृषि विभाग के सचिव/आयुक्त/निदेशक से भी बातचीत करता है।

[अनुवाद]

गेल द्वारा संयुक्त उद्यम

3887. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने देश में विशेषकर दक्षिणी भारत में प्राकृतिक गैस संबंधी व्यवसाय कार्यकलापों को करने के लिए विभिन्न संयुक्त उद्यम समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पाइपलाइनों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन पाइपलाइनों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) गेल (इंडिया) लि. द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ केरल ओर कर्नाटक राज्य सरकार की कंपनियों के साथ 100 करोड़ रुपये प्रत्येक की प्रारंभिक/प्राधिकृत पूंजी के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) करार पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे, दिनांक 15.06.2011 के आंध्र प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन (जीओएम) सं. 10 के सार के अनुसार गेल गैस लि., गेल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 25% तक एपीजीडीसी और सार्वजनिक/निजी भागीदारों के 50% तक पण सहित एपीजीडीस (आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूसन कार्पोरेशन लि.) में 25% तक पण प्राप्त करेगी। उक्त शेयर धारित करार और अन्य औचारिकताएं शुरू की गई हैं। उक्त जेवी कंपनियां निर्माण के चरण में हैं और पाइपलाइन की अनुमानित लागत, पाइपलाइन परियोजना को प्रदान करने के पश्चात ही पता लग पाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन

3888. श्री सज्जन वर्माः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में उज्जैन-झालावार-रामगंजमंडी वाया अगार खंड पर रेल लाइन को बिछाने संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान सर्वेक्षण को पूरा कर लिए जाने के बावजूद इस कार्य को पूरा करने में हुए अत्याधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त लाइन पर कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस कार्य में कब तक होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) रामगंज मंडी-झालावाड़-उज्जैन नई लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण को वर्ष 2007-08 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 190 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर 2.76% के साथ 860 करोड़ रुपये आंकी गई है। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका था। बहरहाल, रामगंज मंडी-झालावाड़ नई लाइन का कार्य (27 किमी.) जो रामगंजमंडी-झालावाड़-भोपाल नई लाइन के स्वीकृत कार्य का हिस्सा है, को वर्ष 2010-11 के दौरान पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

अपर्याप्त मानसून

3889. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई भागों में जुलाई, 2011 माह के दौरान सामान्य से कम मानसून था; और

(ख) यदि हां, तो अपर्याप्त मानसून से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) जुलाई 2011 के दौरान देशभर में मानसून वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 14% कम दर्ज की गई है। पैमाने के अनुसार क्षेत्रवार स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है-

क्षेत्र	वास्तविक वर्षा (मिमी)	सामान्य वर्षा (मिमी)	एलपीए से % प्रत्यंतर
पूरे देश में	247.2	288.9	-14
उत्तरपश्चिम भारत	167.0	218.2	-23
मध्य भारत	296.9	324.2	-8
दक्षिणी प्रायद्वीप	212.5	219.5	-3
पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत	340	436.6	-22

जुलाई 2011 के दौरान मानसून वर्षा में उप-क्षेत्रीय कमी का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/उप-क्षेत्र	एलपीए से % प्रत्यंतर
1	2
जम्मू तथा कश्मीर	-36
हिमाचल प्रदेश	-46
पंजाब	-52
हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली	-53
पूर्वी उत्तर प्रदेश	-27
बिहार	-27
छत्तीसगढ़	-28
झारखंड	-46

1	2
विदर्भ	-20
गांगेय पश्चिमी बंगाल	-32
उड़ीसा	-40
असम तथा मेघालय	-28
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा	-36
केरल	-25

पी.पी.पी. पद्धति के साथ रेल परियोजना

3890. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री गणेश सिंह:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले बजट में घोषित की गई और अब तक आरंभ नहीं की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन्हें कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ग) देश में सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन रेल परियोजनाओं का राज्य-वार, जोन-वार/मंडल-वार ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) निजी भागीदारी की तुलना में ऐसी परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन प्रक्रिया को किस प्रकार अंतिम रूप दिया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सलंग्न विवरण पर रेल बजट 2011-12 में घोषित सभी परियोजनाओं पर कार्य पहले ही शुरू हो गए है और प्रारंभिक गतिविधियां प्रगति के विभिन्न चरणों पर हैं। इन परियोजनाओं का पूरा होना पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के द्वारा संभावित निष्पादन के लिए चिन्हित क्षेत्रों में विश्व श्रेणी स्टेशनों का विकास, इंजनों, सवारी डिब्बों और चल स्टॉक उपस्करों, कंटेनर, गाड़ियों और विशेष मालयातायात गाड़ियों के परिचालन, पत्तनों और अन्य संपर्कता वाले कार्यों में निवेश, निजी मालयातायात टर्मिनलों और आटोमोबाइल एवं अनुषांगिक हबों, स्वच्छ जल के लिए बोतलबंद संयंत्रों आदि के लिए विशेष प्रयोज्य वाहनों की स्थापना शामिल है।

पीपीपी परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है और इन्हें आवश्यकताबद्ध तरीके से शुरू किया गया है।

विशेष प्रयोजना वाहन माध्यम के अंतर्गत निम्नलिखित रेल संपर्क परियोजनाओं को पूरा किया गया है।

पूरी की गई परियोजना का नाम	राज्य	मंडल	रेलवे
सुरेंद्र नगर-पीपावाव आमान परिवर्तन (267 किमी)	गुजरात	भावनगर	पश्चिम रेलवे
हॉसन-मंगलौर आमान परिवर्तन (183 किमी)	कर्नाटक	मैसूर	दक्षिण पश्चिम रेलवे
गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन (301 किमी)	गुजरात	अहमदाबाद	पश्चिम रेलवे

चार चालू रेल संपर्क परियोजनाएं है:

पूरी की गई परियोजना का नाम	राज्य	मंडल	रेलवे
हरिदासपुर-परादीप नई लाइन (82 किमी)	उड़ीसा	खुर्दा रोड	पूर्व तट रेलवे
ओबुलावरीपल्ले-कृष्णापटनम नई लाइन (112 किमी)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	दक्षिण मध्य रेलवे
भारूच-दाहेज आमान परिवर्तन (62 किमी)	गुजरात	वडोदरा	पश्चिम रेलवे
अंगुल-सुकिंदा नई लाइन (98 किमी)	उड़ीसा	खुर्दा रोड	पूर्व तट रेलवे

(घ) उद्योग और राज्य सरकार की भागीदारी से भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चार परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है।

विवरण

रेल बजट 2011-12 में शामिल की गई नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी. में)
1	2	3
	नई लाइन	
1.	हंसदिहा-गोइडा	30
2.	मुर्कोगसेलेक-पासीघाट	30.62
3.	गुडुर-दुरर्गाराजपटनम	41.55
4.	नाडिकुडे-श्रीकलाहस्ती	309
5.	वडसा-गढचिरोली	49.5
6.	लालगढ़ के रास्ते बाबूतोला-झारग्राम	54
7.	अरूप्पुक्केट्टई के रास्ते मदुरै-टुटीकोरिन	143.5
8.	शिमोगा-हरिहर	78.66
9.	तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावनगेरे	199.7
10.	व्हाइटफील्ड-कोलार	52.9
11.	बांसवाड़ा के रास्ते रतलाम डुंगरपुर	176.47
	आमान परिवर्तन	
1.	विद्युतीकरण सहित मियांगांम-करजन-दभोई-समलाया आमान परिवर्तन	96.46
2.	सीतापुर, लखीमपुर के रास्ते लखनऊ-पीलीभीत	262.76
	दोहरीकरण	
1.	भूसावल-जलगांव तीसरी लाइन	24.13
2.	कल्याण-कसरा तीसरी लाइन	67.62
3.	किरनडुल-जगदलपुर	150
4.	सिम्हाचलम नार्थ-गोपालापटनम बाईपास लाइन का दोहरीकरण	2.07
5.	बंडेल-बोइंची तीसरी लाइन	30.53

1	2	3
6.	बोइंची-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	25.83
7.	पीरपैंती-भगलपुर	59.06
8.	प्लॉसी-जियागंज	54.29
9.	सर्कुलर रेलवे का प्रिंसेपघाट-माजेरहाट	4.98
10.	सैंथिया-तारापीठ तीसरी लाइन	22
11.	औनरिहार-मंडुडीह-कहीं-कहीं दोहरीकरण	38.8
12.	अंबरी-फलकाटा-न्यू मोयनगुडी	36.54
13.	न्यू कूच बिहार-समुक्तला रोड	29.02
14.	कठुआ-माधोपुर-पुल संख्या 16, 18 एवं 19 का आर-पार दोहरीकरण	0.26
15.	मिरथल-भनला-व्यापत पुल के पार दोहरीकरण	0.665
16.	उतरेटिया-रायबरेली	65.6
17.	अजमेर-बांगुरग्राम	48.43
18.	गुरिया-मारवाड़ (43.5 किमी) और करजोदा-पालनपुर (5.4 किमी)	48.9
19.	रानी-केशवगंज	59.5
20.	रेवाड़ी-मनहेरू	69.02
21.	विद्युतीकरण सहित गुंटुर-तेनाली	24.38
22.	विद्युतीकरण सहित कृष्णपटनम-वैंकटचलम	23
23.	मुदखेड़-परभनी	81.43
24.	विद्युतीकरण सहित विजयवाड़ा-गुडिवाडा-भीमवरम-नरसापुर, गुडिवाडा- मछलीपटनम और भीमवरम-नदादावोलु दोहरीकरण	221
25.	भोजुडीह-मोहुदा	23
26.	गिरिमैदान के रास्ते खड़गपुर-गोकुलपुर	6
27.	कॉबलम-थरूवुर कहीं-कहीं दोहरीकरण	15.59
28.	विद्युतीकरण सहित ओमलुर-मेत्तुर डैम दोहरीकरण	29.03
29.	शिवानी-हॉस्दुर्गा	9.98
30.	तोरनगल्लु-रंजीथपुरा	22.9
31.	बीना-कोटा	282.66
32.	वीरमगांव-समलख्याली	182.23

मेगा रसोई

3891. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यही सही है कि रेलवे रेलों में खाद्य-आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधारने के लिए 170 मेगा रसोइयां स्थापित करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित ऐसी रसोइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में होटल प्रबंधन संस्थान खानपान संस्थानों, फूड क्राफ्ट, संस्थानों इत्यादि से कोई मदद ली जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। फिलहाल रेलवे ने गाड़ियों में भोजन की आपूर्ति के लिए 12मेगा बेस किचन परिचालित करने की योजना बनाई है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में सिकंदराबाद, काजीपेट और वारंगल में मेगा किचनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी हां। ठेका प्रदान करने के लिए मानक बोली दस्तावेज तैयार करके इन बेस किचनों की स्थापना और प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता के लिए इस प्रकार के पेशेवर संस्थानों की सहायता ली जा रही है।

उर्वरक कंपनियों के विरुद्ध बकाया राशि

3892. श्री रामसिंह राठवा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरक कंपनियों के विरुद्ध बकाया राशि कितनी है;

(ख) क्या ऐसी बकाया राशि के कारण उर्वरकों का उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में उर्वरक कंपनियों को किए जाने वाले भुगतान की बकाया राशि दिनांक 31.03.2011 को लगभग 7836.32 करोड़ रुपए थी।

(क) चूंकि राजसहायता का भुगतान करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कंपनियों को दी जाने वाली राजसहायता का कुछ न कुछ बकाया हमेशा बना रहता है। तथापि, इसके कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले कुछ वर्षो में अग्रेनीत देनदारियां वर्ष दर वर्ष कम हो रही हैं और इसलिए बकाया राशि वर्ष 2008-09 से 2010-11 में 17134.00 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2010-11 में 7836.32 करोड़ रुपए रह गई है।

मूल्य स्वीकृति के बिना औषधियों की बिक्री

3893. डॉ. बलीराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्यकरण निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के सामने कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां लेवोसलबुटामोल सल्बुटामोल अस्थमा रोधी और नाइफ्लोक्सिंट मेट्रोकसीडाजोल फार्मूलेशनों को मूल्य स्वीकृति के बिना या अधिसूचित मूल्य से उच्च दरों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो संबधित कंपनियों, उत्पादों, उच्चतम खुदरा मूल्य की संरचना और ओवरचार्ज्ड राशि संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनपीपीए द्वारा ओवरचार्ज्ड राशि की वसूली हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को यह पता चला है कि लियो-सल्बूटामोल, सल्बूटामोल एंटि अस्थमेटिक नारफ्लोक्सासिंट मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशनों का निर्माण करने वाली कुछ कंपनियां अपने उत्पादों को मूल्य अनमोदन के बिना अथवा अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेच रही हैं।

प्राप्त सूचना के आधार पर एनपीपीए ने इन फार्मूलेशनों के लिए अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य लेने के कारण कुछ

कंपनियों को कारण बताओ नोटिस/मांग नोटिस जारी किए हैं। एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें इन कंपनियों, फार्मूलेशनों, अनुमानित अधिप्रभारित रकम और वसूली की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है। कई मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण न्यायाधीन है इसलिए ऐसे मामलों में अधिप्रभारित रकम की वसूली संबंधित न्यायालयों के निर्देश के अनुसार तय होगी।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम (मैसर्स)	फार्मूलेशन का नाम	अनुमानित अधिप्रभारित रकम तथा ब्याज (लाख रुपये)	वसूल हुई रकम (लाख रुपये	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स सिपला लि.	सल्बूटमोल	6438.99	-	मामला न्यायाधीन है
2.	एसजीएस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.	सल्बूटामोल टेबलेट्स	0.17	0.12	मामला प्रक्रियाधीन है।
3.	मनीष फार्मा लेब	सल्बुटामोल सल्फेट	0.23	0.23	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
4.	कोप्रान लि.	सल्बुटोमाल आधारित फार्मूलेशन	698.9	-	मामला न्यायाधीन है
5.	यूएस विटामिन्स लि./नियो फार्मा	सल्बुटोमाल आधारित फार्मूलेशन	32.76	32.76	रकम वसूल हो चुकी है
6.	बिडल स्वायर लि.	सल्बुटोमाल आधारित फार्मूलेशन	32.47	32.47	रकम वसूल हो चुकी है
7.	सिपला लि.	सल्बुटोमाल आधारित फार्मूलेशन	45064.61	-	मामला न्यायाधीन है
8.	खंडलेवाल लैब्स	सल्बुटोमाल आधारित फार्मूलेशन	2.74	2.74	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
9.	एसके फार्मास्युटिकल्स लि.	डेक्सारेस टेबलेट और सल्बूटामोल सल्फेट टेबलेट	14.75	-	मामले को सरकारी परिसमापक पास भेज दिया गया है
10.	मैसर्स करनानी फार्मा प्रा. लि.	सल्बेक्सिन टेबलेट	0.08	0.08	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
11.	इरोस फार्मा	सल्बीड 4 एमजी तथा 8 एमजी	1.62	1.62	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
12.	सिपला लि.	लिवोसल्बूटामोल आधारित फार्मूलेशन	1731.24	-	मामला न्यायाधीन है

1	2	3	4	5	6
13.	रूसोमा लैब	मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन	0.91	0.91	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
14.	मेडो फार्मा	मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन	0.52	0.52	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
15.	मेट्रो गोल्डन	मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन	0.92	0.92	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
16.	एमीत फार्मास्युटिकल्स	मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन	18.07	-	मामला प्रक्रियाधीन है
17.	अस्त्रा फार्मास्युटिकल्स	मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन	0.95	0.95	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
18.	ओकासा लि.	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	168.16	-	मामला न्यायाधीन है
19.	सिपला लि.	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	380.89	-	मामला न्यायाधीन है
20.	टोरेंट फार्मास्युटिकल्स	नोरफ्लोकसासिन आधारित फार्मूलेशन	12.37	12.37	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
21.	मेडिकामेन बॉयोटेक लि.	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	0.85	0.85	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
22.	सिपला लि.	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	39575.37	-	मामला न्यायाधीन है
23.	टारगॉफ प्योर ड्रग्स	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	51.94	-	मामला प्रक्रियाशील है (बीआईएफआर कंपनी)
24.	निकोलस पिरामल	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	20.67	20.67	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
25.	कोप्रान लि.	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	179.91	-	मामला न्यायाधीन है
26.	आईपीसीए लैब्स	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	228.35	-	मामला न्यायाधीन है
27.	रेनबेक्सी लेब्स	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	188	-	मामला न्यायाधीन है
28.	रेनबेक्सी लेब्स	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	161.62	-	मामला न्यायाधीन है

1	2	3	4	5	6
29.	इंदू ड्रग्स	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	1.07	1.07	मामला बंद हो गया है क्योंकि रकम वसूल हो चुकी है
30.	डॉ. रेड्डी	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	2849.84	1071.49	मामला न्यायाधीन है
31.	ओकासा फार्मा लि.	नोरफ्लोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	7611.84	-	मामला न्यायाधीन है

खादी संस्थानों के पुनरूद्धार हेतु पैकेज

3894. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्कराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच विकेन्द्रीकृत खादी संस्थानों हेतु पुनरूद्धार पैकेज स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनरूद्धार पैकेज प्रदान करने हेतु अन्य खादी संस्थानों पर भी विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा खादी संस्थानों संवर्द्धन हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (घ) केवीआईसी द्वारा बिहार के निम्नलिखित पांच कमजोर खादी संस्थानों को चरखों, करघों के प्रतिस्थापन और कार्यशील पूंजी के लिए सहायता प्रदान की गई है:

1. मधुबनी जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, मधुबनी
2. भागलपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, भागलपुर
3. सहरसा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, सहरसा
4. पटना जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, पटना
5. समस्तीपुर अनुमंडलीय खादी ग्रामोद्योग समिति, समस्तीपुर

पांचों खादी संस्थानों को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	सहायता का विवरण	राशि (लाख रुपये में)
1.	8 स्पिंडल नए मॉडल के चरखे प्रदान करना	6.00
2.	बेहतर करघे प्रदान करना	3.00
3.	वार्पिंग यूनिट प्रदान करना	3.00
4.	बैंक के माध्यम से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी) जारी करना	14.25

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार केवीआईसी के माध्यम से ग्यारहवीं योजना अवधि में 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना के सशक्तीकरण और विपणन तंत्र के लिए सहायता' नामक योजना भी कार्यान्वित कर रही है, जिसमें मौजूदा 100 कमजोर चुनिंदा खादी संस्थानों का नवीनीकरण शामिल है। 2010-11 के दौरान, इस योजना के तहत 13 खादी संस्थानों को नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई।

(ग) खादी संस्थानों के संवर्धन के लिए, सरकार ने केवीआईसी के माध्यम से कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं (i) बेहतर कार्य वातावरण के लिए वर्कशेडों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 'खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड योजना', (ii) अप्रचलित तथा पुरानी मशीनरी व उपस्करों को बदलते हुए अधिक बाजार प्रेरित तथा लाभदायक उत्पादन के साथ खादी उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 200 खादी संस्थानों की सहायता हेतु 'खादी उद्योगों को उत्पादन मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से सहायता, जिसे कताईकारों/बुनकरों, उत्पादक संस्थानों और विक्रेता संस्थानों के बीच 25:30:45 के अनुपात में शेयर किया जाना है, के साथ बाजार विकास सहायता (एमडीए) की नई योजना लाते हुए खादी व पोलिवस्त्र के उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहित करना, (iv) 300 चुनिंदा खादी संस्थानों के माध्यम से खादी सुधार व पोलिवस्त्रप के बचे भंडार पर खादी संस्थानों को एकमुश्त प्रोत्साहन तथा वर्ष 2009-10 से पहले की बिक्री से संबंधित उनके पुराने छूट बकायों के निपटान के लिए निधियों का प्रावधान।

[हिन्दी]

रेलवे में अपशिष्ट प्रबंधन

3895. श्री वीरेन्द्र कश्यपः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलों, रेल ट्रेकों, स्टेशनों के आस-पास विशेषकर कालका-शिमला रेल मार्ग के आस-पास प्लास्टिक और अन्य अपशिष्टों तथा इसके साथ-साथ कूड़ा-कचरा के निपटान के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अपशिष्ट को साफ करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के उन्नयन और रेलगाड़ियों, ट्रेकों और स्टेशनों को बिल्कुल साफ रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) कालका-शिमला रेल मार्ग सहित गाड़ियों में, रेल पथों पर, रेलवे स्टेशनों में और आसपास उत्पन्न होने वाली रद्दी और कूड़े की मात्रा का ठोस आकलन नहीं किया गया है;

(ग) और (घ) उत्पन्न होने वाले कूड़े और आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों तथा स्टेशन परिसरों, प्लेटफामों, गाड़ियों और रेलपथ आदि से नियमित रूप से कूड़ा हटाने की उचित व्यवस्था है।

विशेषकर कालका-शिमला मार्ग पर निम्न के लिए उचित व्यवस्था है:-

- सभी स्टेशनों पर रेल पथ और परिसरों की सफाई के लिए कूड़ा उठाने का ठेका।
- पाइलट परियोजना के रूप में शिवालिक एक्सप्रेस गाड़ी में आधुनिक कूड़ेदान।

कूड़ा प्रबंधन को अपग्रेड करने और गाड़ियों, रेलपथों ओर स्टेशनों को साफ रखने के लिए उठाए गए कदम एक सतत् प्रक्रिया है। इस दिशा में उठाए गए कदम निम्न हैं:

- सवारी डिब्बों/गाड़ियों और कोचिंग डिपो परिसरों में उत्तरोत्तर रूप से यांत्रिकृत सफाई अपनाना
- क्लीन ट्रेन स्टेशन पर नामित गाड़ियों के मार्ग के मार्ग में यांत्रिकृत सफाई
- चिन्हित गाड़ियों के चालन समय बोर्ड हाउसकिपिंग सेवा
- स्टेशन क्षेत्र में प्लेटफार्मों, रेलपथों, नालों आदि की यांत्रिकृत उच्च प्रेशर जेट सफाई
- उचित संख्या में कूड़ादानों, कूड़ा घरों और कूड़ा निपटान मशीनों की संतोषजनक व्यवस्था करना
- शैक्षिक प्रचार अभियान चलाना और स्टेशनों पर उद्घोषणा करना तथा विशेष सफाई अभियान चलाना

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल का उत्पादन

3896. डॉ. एम. तम्बिदुरईः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में तेल परिशोधन कंपनियों द्वारा उत्पादित पेट्रोल और डीजल की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या उक्त उत्पादों को खुदरा तेल कंपनियों को कच्चे तेल के आयात मूल्य के आधार पर बेचा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तेल कंपनियों

द्वारा उत्पादित पेट्रोल और डीजल की मात्रा नीचे दी गई है:

(मिलियन मीट्रिक टन)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11*
पेट्रोल	16.37	22.55	25.80
डीजल	64.14	73.25	77.68

*अनंतिम

आंकड़ों में प्रभाजकों से प्राप्त डीजल उत्पादन के आंकड़े भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) डीजल की खरीद के लिए, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) रिफाइनरियों को व्यापार समता मूल्य का भुगतान करती हैं। जो 80:20 के अनुपात में आयात समता और निर्यात समता मूल्यों का भारित औसत है। पेट्रोल के संबंध में भी ओएमसीज ने रिफाइनरियों को दिनांक 25.06.2010 तक की अवधि के व्यापार समता मूल्यों का भुगतान कर दिया था। तथापि, दिनांक 26.06.2010 से पेट्रोल के मूल्य को रिफाइनरी द्वार और खुदरा स्तर, दोनों पर ही बाजार निर्धारित बना दिया गया है।

टेराकोटा की मांग

3897. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के टेराकोटा उत्पादों की यूरोपियन देशों में अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों के छोटे कारीगरों की सहायता के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि पोटर्स को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां। टेराकोटा उत्पाद यूरोपीय बाजारों में काफी मांग में बताए जाते हैं।

(ख) इन राज्यों से टेराकोटा उत्पादों की यूरोपीय बाजारों में मांग की मात्रा उपलब्ध नहीं है। तथापि, अब कारीगर और उद्यमी निर्यातकों के माध्यम से टेराकोटा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने पॉटर्स को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन राज्यों के छोटे कारीगरों की सहायता के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इन राज्यों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्लस्टरों में टेराकोटा कारीगरों के लिए विभिन्न कार्यकलाप जैसे डिजाइन विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, एक्सपोजर दौरे, आदि आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, देश के भीतर और बाहर दोनों जगह आधुनिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों के विनिर्माण में पॉटर्स की मदद के लिए डिजाइन विकास कार्यक्रम आयोजित करने में प्रोफेशनल संगठनों जैसे सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट और नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डिजाइन को लगाया गया हैं टेराकोटा कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य/जिला स्तर की प्रदर्शनियां प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं। कारीगरों को अपने उत्पादों की विपणन क्षमता विस्तृत करने के लिए राज्य के बाहर दूसरी एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भागीदारी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

उर्वरकों का उत्पादन

3898. श्री हरिन पाठक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी मांग तो है परन्तु कोई उत्पादन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उर्वरकों की अपेक्षित किस्मों के उत्पादन में देश कब तक स्व-निर्भरता प्राप्त कर लेगा?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) भारत में डीएपी, एनपीके, यूरिया और एमओपी जैसे प्रमुख उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें से भारत में एमओपी का उत्पादन बिलकुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि देश में पोटाश का कोई व्यवहार्य स्रोत नहीं है, इसलिए एमओपी की पूरी मांग को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

(ग) सरकार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में यूरिया के उत्पादन को हमेशा से प्रोत्साहन देती रही है। सरकार ने नए

निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 सितंबर, 2008 को एक नई नीति घोषित की थी। यह नीति आयात सममूल्य (आईपीपी) बैंचमार्क पर आधारित है जिसमें वर्तमान यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार, पुनरुत्थान करने और और ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से उपयुक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। देश फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर लगभग पूर्णतया निर्भर है। सरकार ने पीएण्डके क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए डीएपी के स्वदेशी उत्पादकों को आयात सम-मूल्य की अनुमति देकर पहल की है। सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादकों को उचित मूल्य पर इस महत्त्वपूर्ण आदान को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को 5% से घटकर 2% कर दिया हैं सरकार पीएण्डके क्षेत्र को उर्वरक आदानों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना की तलाश करने हेतु निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रही है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आबंटन

3899. **श्री समीर भुजबल:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के लिए मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित राशि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त राशि में से प्रयुक्त राशि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) यह मंत्रालय किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

केटरिंग और वेंडिग स्टॉल

3900. **श्री बिभू प्रसाद तराई:**
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री पी. लिंगम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में रेलवे प्लेटफार्मों पर विविध वस्तु ठेकेदारों द्वारा अतिरिक्त पदों जैसे लिफाफाबंद स्नैक्स/बिस्कुट, पेय, रेल नीर और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित अन्य बोतलबंद पेयजल और चॉकलेट आदि की बिक्री हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त मदों की निशक्त व्यक्तियों द्वारा प्रचालित पीसीसओ/एसटीडी बूथ पर बिक्री की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या रेलवे को नई खानपान नीति, 2010 में परिवर्तन करने और भारतीय रेल के समस्त डिपार्टमेंटल स्टॉलों सहित सभी केटरिंग/वेंडिग स्टॉलों द्वारा विविध वस्तुओं की बिक्री की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मौजदा एसटीडी/पीसीओ बूथों से विविध प्रकार की मदों की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, एसटीडी/पीसीओ बूथों के आबंटन एक विशेष उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन बूथ धारकों को अन्य क्रियाकलापों को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ङ) और (घ) खानपान/वेंडिग स्टॉलों पर विविध प्रकार के सामान बेचने के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए है। नई खानपान नीति, 2010 के अनुसार खानपान/वेंडिग पर विविध सामान/मदें बेचने की अनुमति नहीं है।

पीएनजी हेतु खुदरा विस्तार लाइसेंस

3901. **श्री रवनीत सिंह:**
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:
श्रीमती जे. शांता:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का विचार औद्योगिक क्षेत्र और ऊर्जा संयंत्रों हेतु संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) तथा घरों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) हेतु खुदरा विस्तार लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु पहचान किए गए शहरों का पंजाब सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विस्तार योजना से लाभान्वित होने वाली औद्योगिकी और विद्युत इकाइयों की पंजाब साहित राज्य-वार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पीएनजीआरबी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नगर गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकार जारी करता है। पीएनजी और सीएनजी नगर गैस वितरण नेटवर्क का एक भाग हैं। पीएनजी कनेक्शन जारी करना और सीएनजी स्टेशनों को स्थापित करने का कार्य उस कंपनी द्वारा किया जाता है जिसे उस भौगोलिक क्षेत्र में सीजी डी नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

(ख) से (घ) पीएनजीआरबी ने बोर्ड को प्रस्तुत हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) और स्वत: स्फूर्त आधार पर देश में 300 से अधिक संभावित भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा सीजीडी नेटवर्क के विकास की एक रोल आउट योजना की परिकल्पना की हैं पीएनजीआरबी के पास पंजाब के लिए रोल आउट योजनाएं है, जिनके तहत आगामी 3-5 वर्षों में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए इसके अमृतसर, भटिण्डा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मण्डी गोविन्दगढ़, पठानकोट, पटियाला, राजपुरा, नांगल और संगरूर के भौगोलिक क्षेत्रों/शहरों का पता लगया गया है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकृत कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विनियम, 2008 के अध्यधीन मौजूदा और आगामी औद्योगिक और विद्युत संयंत्रों को जोड़ने के लिए नेटवर्क तैयार करती हैं।

ओएनजीसी द्वारा केजी बेसिन में गैस क्षेत्र का विकास

3902. श्री सोमेन मित्रा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का विचार रिलायंस के प्रोलिफिक डी-6 ब्लॉक के समीप केजी बेसिन में अपना गैस क्षेत्र विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्याा ओएनजीसी ने सरकार से ब्लॉक में आठ अतिरिक्त कुओं को खोदने की अपनी योजनाओं की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है;

(घ) सरकार की ओएनजीसी के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस गैस क्षेत्र से गैस उत्पादन की लक्षित मात्रा कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत पूर्वी तट में गहरे समुद्री ब्लाक केजी-डीब्ल्यूएन-98/2 की प्रचालक आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने इस ब्लाक के "दक्षिणी खोज क्षेत्र" में यूडी-1 गैस खोज के लिए वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) प्रस्तुत कर दी है जिस पर प्रबंधन समिति (एमसी) की दिनांक 17.06.2010 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। एमसी एमसी के निदेशों के अनुसार प्रचालक ने दो मूल्यांकन कूपों के पेट्रोभौतिक प्राचलों ओर वेधन आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद संशोधित वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

ओएनजीसी द्वारा ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के "उत्तर विकास क्षेत्र" की वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) भी दिनांक 15.07.2010 को प्रस्तुत कर दी गई थी। चूंकि यह डीओसी प्रचालन समिति (ओसी) द्वारा अनुमोदित नहीं थी अत: इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सका और प्रचालक को अनुमोदित डीओसी प्रस्तुत करने को कहा गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। ओएनजीसी ने ब्लाक केजी-डीब्ल्यूएन-98/2 में आठ अतिरिक्त अन्वेषण/मूल्यांकन कूपों का वेधन करने की अनुमति और इन कूपों के वेधन के लिए अन्वेषण अवधि बढ़ाने के लिए भी अनुरोध करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डीजीएच) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ङ) इस ब्लाक से गैस उत्पादन लक्ष्य का पता प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा डीओसी/क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) के अनुमोदन के बाद ही लगेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पेयजल का मानक

3903. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री के. सुधाकरण:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में देश में ग्रामीण/जनजातीय गांवों के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) ने डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ''पेयजल गुणवत्ता के लिए दिशा-निर्देश'' जारी किए हैं। दिशा-निर्देश प्रमुख रूप से जल और स्वास्थ्य नियामकों, नीति निर्माताओं और उनके सलाहकारों की सहायता तथा राष्ट्रीय मानकों के विकास में सहायता के लिए हैं। अन्यों से सहायता के साथ-साथ पेयजल गुणवत्ता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों से सहायता लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अपने मानक आईएस-10500 में पेयजल के उद्देश्य से पानी की अपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए जांच हेतु अपेक्षित आवश्यक और वांछित विशेषताओं के लिए जरूरतों को विहित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में इंगित है कि पेयजल को सुरक्षित पेयजल परिभाषित किया जाएगा यदि रासायनिक और जीवाणु-विज्ञान-संबंधी मानदंड बीआईएस मानक आईएस-10500 में विहित मानकों के अनुरूप हो।

[हिन्दी]

डीआरडीए की समीक्षा

3904. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में देश में जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (डीआरडीए) के कार्यकरण की समीक्षा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जिलों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के कार्यकरण की राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों तथा राज्यों और जिलों के अन्य अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा करता है। मंत्रालय ने वर्ष 2008 में एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से डीआरडीए के कार्यकरण के मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु एक मूल्यांकन अध्ययन भी कराया था। उक्त अध्ययन की प्रमुख सिफारिशों में डीआरडीए स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सभी रिक्तियों पर भर्ती करना, डीआरडी एजेंसियों में पेशेवरों को शामिल करना, डीआरडीए स्टॉफ का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल है।

(ख) से (घ) जी, हां। अनुसूचित जिलों में डीआरडी एजेंसियों सहित समस्त देश में डीआरडी एजेंसियों के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए मंत्रालय ने वी. रामाचन्द्रन, अध्यक्ष,एमेरिट्स, सेन्टर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तिरूवनंतपुरम की अध्यक्षता में वर्ष 2010 में डीआरडी एजेंसियों के पुनर्गठन संबंधी समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा डीआरडी एजेंसियों के स्वरूप का अध्ययन करके नीचे दिए ''विचारार्थ विषयों'' के अनुसार सिफारिशें की जानी हैं:-

(i) समिति नमूना आधार पर डीआरडी एजेंसियों के स्वरूप का अध्ययन करेगी।

(ii) समिति विभिन्न राज्यों में डीआरडी एजेंसियों की मांग के सदर्भ में उनके लिए उपयुक्त स्वरूप का सुझाव देगी।

(iii) समिति डीआरडी एजेंसियों के स्टॉफ सदस्यों के लिए व्यावसायिक योग्ताओं का सुझाव देगी।

(iv) समिति डीआरडीए स्टॉफ की नियुक्ति के तरीकों तथा अन्य सेवा शर्तों का सुझाव देगी।

(v) समिति डीआरडी एजेंसियों के वित्तपोषण के तरीके सुझाएगी।

(vi) समिति विभिन्न राज्यों में निर्धनों के स्वयं के संगठनों (एसएचजी एवं परिसंघ) की भावी भूमिका पर विचावर करेगी और इन संगठनों की सुदृढ़ता हेतु इनके

पोषण हेतु नियम निर्धारित करेगी। इसी प्रकार, समिति निर्धनों के जीवन में सामुदायिक संस्थानों की न्यायसंगत भूमिका को ध्यान में रखते हुए निर्धनों की संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच सदभावपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करने हेतु तरीके सुझाएगी।

(vii) समिति डीआरडी एजेंसियों की जिला परिषदों तथा जिला प्रशासनों के साथ सम्बद्धता हेतु उपाय सुझाएगी।

गैस पाइपलाइनों को बिछाना

3905. योगी आदित्यनाथ:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक और रासायनिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु गैस पाइपलाइनों के आबंटन/को बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य को प्रारंभ करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार उर्वरक और रासायनिक उद्योगों को उनको मांगों के अनुसार गैस का आबंटन करने में समर्थ रही है; औरा

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) (क) से (ङ) पाइपलाइनें सरकार द्वारा नहीं बिछाई जाती हैं, ये यह कार्य करने के लिए प्राधिकृत कंपनियों द्वारा बिछाई जाती हैं। आठ बंद पड़े उर्वरक संयंत्र हैं जो क्रमशः समागुंडम, सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया, तालचेर और कोरबा में स्थित हैं। उपर्युक्त में से रामागुंडम को काकिनाडा-हैदराबाद-अहमदाबाद पाइपलाइन जो पहले ही प्रचालनरत है, के जरिए जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, सरकार ने गेल (इंडिया) लि. और रिलायंस गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (आरजीटीआईएल) को क्रमशः जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन और काकीनाडा-हल्दिया पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकार जारी कर दिया है। इन पाइपलाइनों को चालू करने के बाद कोरबा को छोड़कर शेष सभी इकाइयों को जोड़ना संभव होगा। जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन और काकीनाडा-हल्दिया पाइपलाइन के लिए परियोजना-पूर्व कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ नई अन्वेषण लाइसेन्स नीति (एनईएलपी) के तहत प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उपयोग के संबंधित मुद्दों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए गठित शक्ति प्रदत्त मंत्री समूह (ईजीओएम) ने विद्यमान गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। एनईएलपी के तहत केजी-डी6 क्षेत्रों से अप्रैल, 2009 से उत्पादन शुरू हो गया है। ईजीओएम के निर्णय के अनुसार केजी-डी6 से उत्पादिता 15.705 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) गैस, विद्यमान गैस आधरित उर्वरक संयंत्रों को गैस की मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए आबंटित की गई है ताकि वे पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें।

एनईएलपी के तहत गैस के मूल्य निर्धारण और वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में शक्ति प्रदत्त मंत्री समूह (ईजीओएम) की 28 मई, 2008 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 2008-09 के बाद उर्वरक संयंत्रों की अड़चनों को दूर करने और उनके विस्तार, नाफ्था आधारित और ईंधन तेल आधारित उर्वरक संयंत्रों के परिवर्तन और बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार से उत्पन्न मांग को उस समय सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसे बाद के वर्षों में हुए उत्पादन से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, ईजीओएम की 27.10.2009 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे संयंत्रों को, जब भी वे गैस का उपयोग करने के लिए तैयार होंगे, उपलब्धता की शर्त पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी।

स्वास्थ्य देख-भाल स्मार्ट कार्ड

3906. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे दवारा प्रारंभ की गई स्वास्थ्य देख-भाल स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत सम्मिलित न की गई बीमारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत ऐसी बीमारियों को सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) पुराने और संघातिक रोगों को उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित करके इस योजना को अधिक लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) फिलहाल कार्डिओ-वसकुलर डिसआर्डर, कैंसर और डायलेसिस के संबंध में होने वाली आपातलकालीन बीमारियां पायलट परियोजना के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेल्थ केयर स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत आती हैं जैसे ही हमें अनुभव होगा, अतिरिक्त बीमारियों को कवर करने के प्रयास किए जाएंगे।

सहानरपुर स्टेशन पर ठहराव

3907. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेलगाड़ी संख्या 2287/2288 के सहारनपुर/टापरी जंक्शन पर ठहराव प्रदान किए जाने के संबंध में और शालीमार एक्सप्रेस (4646/4647) में सामान्य कोचों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): जी हां।

(ख) और (ग) 12287/12288 कोचुवेली-देहरादून एक्सप्रेस सहारनपुर से होकर नहीं गुजरती है। तापड़ी पर 12287/12288 कोचुवेली-देहरादून एक्सप्रेस के ठहराव की जांच की गई है लेकिन फिलहाल इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

फिलहाल, 14645/14646 दिल्ली-जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस साधारण श्रेणी यात्रियों के लिए 7 सवारी डिब्बों सहित 23 सवारी डिब्बों के साथ चल रही है। इस गाड़ी में सवारीडिब्बों की संख्या में और वृद्धि करना परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

प्रगत प्रशिक्षण केन्द्र

3908. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में विभिन्न प्रगत प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे लोको पायलट प्रशिक्षण केन्द्र, स्थायी मार्ग प्रशिक्षण केंद्र, बहु-विधा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केंद्रों की स्थाना हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां,

(ख) रेल बजट 2009-10 में स्वीकृत ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों के ब्यौरे निम्नानुसार है

मद सं.	विवरण	स्थान
1.	उन्नत लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र	खड़गपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे
2.	उन्नत रेलवे ट्रैक प्रशिक्षण केंद्र	बेलियाचाट/पूर्व रेलवे
3.	मल्टी-डिसीप्लीनरी प्रशिक्षण केन्द्र	कटक/पूर्वतट रेलवे
4.	मल्टी-डिसीप्लीनरी प्रशिक्षण केंद्र	कूचबिहार/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
5.	मल्टी-डिसीप्लीनरी प्रशिक्षण केंद्र	मालदा/पूर्व रेलवे
6.	मल्टी-डिसीप्लीनरी प्रशिक्षण केंद्र	निशातपुरा/पश्चिम मध्य रेलवे

(ग) उपर्युक्त कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और इस स्तर पर कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्यम संबंधी कार्य बल

3909. श्री एल. राजगोपाल:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संबंधी पी.एम. के कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के संबंध में उक्त कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए नीतिगत/कार्यक्रम सहयोग, संस्थागत मामलों और कानूनी/विनियमक उपायों से संबंधित सिफारिशें की हैं। की गई सिफारिशों में ऋण, कर निर्धारण, श्रम संबंधी मुद्दों, अवसंरचना/प्रौद्योगिकी/कौशल विकास, विपणन, पुनर्वास और एक्जिट नीति के मुख्य क्षेत्र शामिल हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष उपाय शामिल हैं। एमएसएमई पर प्रधानमंत्री कार्य दल की विस्तृत रिपोर्ट एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट msme.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) कार्य बल ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ (i) सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण में 20 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (ii) सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई ऋण के 60 प्रतिशत के आबंटन का सख्त अनुपालन और (iii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, शामिल हैं।

[हिन्दी]

इथेनॉल का उत्पादन

3910. श्री हरीश चौधरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ दूसरे देशों के दबाव के कारण मांग के अनुरूप इथेनॉल का उत्पादन करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान इथेनॉल का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, देश में एथनॉल का उत्पादन अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में, सम्पूर्ण एथनॉल गन्ने के शीरे से तैयार किया जाता है। इसलिए, भारत में एथनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से चीनी और गन्ने के उत्पादन पर निर्भर जो उनकी चक्रीय प्रकृति के कारण घटता-बढ़ता रहता है। गन्ना विकास निधि नियमावली, 1983 के अंतर्गत सरकार चीनी मिलों को अपने उप-उत्पाद नामत: शीरे के मूल्यवर्द्धन के माध्यम से अपनी अर्थक्षमता के सुधार के लिए एथनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% तक सरल ऋण प्रदान करती है।

(ग) पिछले 3 वर्ष के दौरान एथनॉल के उत्पादन की यथा-उपलब्ध मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन लीटर में)
2008-09	2264.86
2009-10	1830.40
2010-11	2046.47*

*अनुमानित

चालू वर्ष के लिए एथनॉल का उत्पादन उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी मौसम जारी है।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थानीय होती है।

[तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिये स्थागित हुई]

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2011-12 का संख्यांक 3)-मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4986/15/11]

(2) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4987/15/11]

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदया, मैं भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) प्रतिवेदन संख्या 235-अन्य धर्म में संपरिवर्तन/पुनः संपरिवर्तन-साक्ष्य का तरीका-दिसम्बर, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4988/15/11]

(दो) प्रतिवेदन संख्या 236-निगमित वाद की तुलना में उच्चतम न्यायालय में न्यायालय शुल्क-दिसम्बर, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4989/15/11]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): महोदया, में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4990/15/11]

(3) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4991/15/11]

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत, चार्टर्ड अकाउटेंट (वृत्तिक तथा अन्य कदाचार और आचरण के मामलों के अन्वेषण की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2011 जो 22 मार्च, 2011

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत, लागत और संकर्म अकाउंटेंट गुणवता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों की सेवा तथा भत्तों की शर्ते (संशोधन) नियम, 2011 जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4993/15/11]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत, कंपनी लॉ बोर्ड (सदस्यों की अर्हता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 2 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4994/15/11]

अपराह्न 12.01 बजे

[हिन्दी]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

20वां प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): अध्यक्ष महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01$^{1}/_{2}$

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

7वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदया, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

25वां प्रतिवेदन

श्री राव इन्द्रजीत सिंह (गुड़गांव): महोदया, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत डाकघरों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा 24 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 24 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। उन सदस्यों जिन्हें आज सभा 377 के अधीन मामले उठाने के लिए अनुमति प्रदान की

*सभा पटल पर रखे माने गए।

गई है और यदि वे उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्ची दे दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिसके लिए पर्ची निर्धारित समयावधि के अंदर सभा पटल पर प्राप्त हो गई है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) उत्तराखंड में श्रीनगर जल-विद्युत परियोजना पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं इस सदन का ध्यान श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो मैसर्स अलकनंदा हाइड्रो कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन थी कि तरफ दिलाना चाहता हूं। श्रीनगर जलविद्युत परियोजना के निर्माण पर केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 30 जून, 2011 के आदेश से रोक लगा रखी है। परियोजना का निर्माण रुकने से इससे होने वाले लाभ व स्थानीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लोहारी नागपाला प्रोजेक्ट के निर्माण के समय भी व्यवधान उत्पन्न होने से प्रोजेक्ट की प्रगति पर राज्य में विपरीत प्रभाव पड़ा।

श्रीनगर परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1985 में ही क्लियर कर दी गई थी और इस बात को सब अच्छी तरह जानते थे कि धारी देवी मंदिर किसी दूसरे स्थान पर पुर्नस्थापित कर दिया जाएगा। इस प्रकार टिहरी डैम के निर्माण के समय में बहुत से मंदिर डूब गए थे और उनकी पुनस्र्थापना भी नहीं हुई परन्तु यहां तो धारी देवी मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए कंपनी भी तैयार है, और पहले भी कई मंदिरों को इस प्रकार का पुर्नस्थापन हो चुका है। उत्तराखंड राज्य जो कि जल विद्युत की अपार संभावना रखता है, जोकि भविष्य में ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, ऐसे में इस प्रकार परियोजनाओं को रोका जाना राज्य के साथ-साथ राष्ट्र विकास को भी प्रभावित करता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए शीघ्र आदेश जारी करवाएं जिससे कई गुणा अधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा और उत्तराखंड के साथ-साथ संपूर्ण राष्ट्र को इसका लाभ प्राप्त होगा तथा इन परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनका जीवनस्तर भी ऊंचा उठेगा।

(दो) न्यू सबरी और इडापल्ली-गुरुवायूर रेल लाईन के कार्य में तेजी लाए जाने तथा केरल के चलाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.पी. धनपालन (चलाकुडी): मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नई सबरी और इदापल्ली-गुरूवायूर रेल लाइन के सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए कार्यवाही करे और इस उद्देश्य के लिये भूमि अर्जन के कार्य में तेजी लाए और उन लोगों को मुआवजा बढ़ाकर दें जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है और इस कार्य के लिए धन आबंटित करें।

में अलूवा, अंकामली और चलाकुडी मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें आदर्श स्टेशन घोषित किया गया था। ये तीनों स्थान किसी-न-किसी रूप में मशहूर हैं। अलूवा एक तीर्थ स्थल है और मन्नार पर्यटन केन्द्र का प्रवेश द्वार है तथा यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निकट है। अलूवा और अंकामली रेलवे को आधुनिक बनाया जाना बिल्कुल उपयुक्त है। क्योंकि यह मलायात्तूर जाने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों के लिये प्रवेश द्वार है तथा यह सेंट थॉमस चर्च और कालाडी (आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान) का भी मार्ग सशक्त करता है तथा इसे भी आधुनिक बनाया जाना चाहिए।

चलाकुडी रेलवे स्टेशन अथरापिल्ली-वन्याचल वाटर फॉल और थूम्पूर मुझी पर्यटन केन्द्र का भी प्रवेश द्वार है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य को पूरा करने तथा इसमें तेजी लाने के लिए कदम उठाया जाए। यह पहले ही अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त स्टेशनों पर दूरंतो और राजधानी गाड़ियों को छोड़कर इन स्टेशनों से गुजरने वाली बाकी गाड़ियों का ठहराव दिया जाए तथा इस पर तत्काल विचार यिका जाए।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह अंगमाली-कुरुकुट्टी (चम्पानूर), कोराट्टी, चलाकुडी, अलूरमाला, पुर्नव्ययानम चौरा तथा नेदुवानूर में रेल उपरी पुल/अंदर ब्रिज के काम को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि नेदूम्बाली रेलवे स्टेशन, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, को पूरी सुविधाओं के साथ शुरू किया जाए जिसमें उपयोगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्राथमिकता दी जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा नदी उत्पन्न बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु उपाय किए जाने तथा क्षेत्र के प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): दो दिन पहले घाघरा नदी में तेज बहाव के कारण जनपद-बाराबंकी की रामनगर तहसील

के ग्राम मांझा रामपुर, माझा परसावल, बेहटा, पारा, बांस गांव, अटवा, किचुली के पास स्थित बांध टूट गया है, जिससे यहां के हजारों किसान एवं मजदूर विपदा झेल रहे हैं। फसल तथा कृषि योग्य भूमि को नुकसान हुआ है, लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आर्थिक नुकसान तो अत्यधिक हुआ ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष नुकसान के रूप में बाढ़ से क्षेत्रीय शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विकास भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश से होकर देश की विभिन्न नदियां बहती हैं तथा पड़ोसी देश नेपाल द्वारा भी अति वर्षा होने पर उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर पानी छोड़ दिया जाता है जिसके कारण प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपदों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी में घाघरा नदी बहती है जिसका प्रवाह वर्षा काल में बहुत तेज हो जाता है, जिससे हर वर्ष राम नगर ब्लॉक के अलावा सूरतगंज तथा सिरोली गौसपुर ब्लाक के लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इस नदी की चौड़ाई भी लगभग 6-7 कि.मी. है तथा यह सर्पनुमा आकार में बहती है जिससे कुछ जगहों पर अधिक फैलने से रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया गया है। नदी के आस-पास के क्षेत्र में गरीब किसान खेती करते हैं और पक्के/कच्चे मकान बनाकर रहते हैं।

मैं माननीय प्रधामंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में तत्काल केन्द्रीय टीम भेजकर आवश्यक सभी सुविधाएं एवं मदद उपलबध कराई जाए और घाघरा नदी के बहाव क्षेत्र एवं उस पर बने सभी ब्रिज, बांध, बांधों एवं रेलवे और ब्रिजों के रख-रखाव तथा अलाईनमेटों का सर्वे भी किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से आसानी से निपटा जा सके। घाघरा नदी के किनारे जहां-जहां आवश्यक हो पक्की ठोकर बनाई जाए तथा पक्के मजबूत बांधों का निर्माण कराया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो।

(चार) राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत बच्चों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह मीणा (उदयपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर, राजस्थान में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2006 से 30 अप्रैल, 2010 तक 79 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय संचालित किए गए थे। प्रत्येक विद्यालय में 50 बाल श्रमिक नामांकित किए गए थे। विद्यालयों में नामांकित प्रत्येक बाल श्रमिक को रुपये 100/- प्रतिमाह स्टाईपेण्ड दिए जाने का प्रावधान है। यह स्टाईपेण्ड प्रत्येक बाल श्रमिक के नाम से बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाए गए बचत खाते में जमा कराया जाता है। मुझे जिलाधिकारी, उदयपुर से जानकारी मिली है कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के स्टाईपेण्ड का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है लेकिन केन्द्र के श्रम मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए अनुदान राशि जारी नहीं किए जाने के कारण बाल श्रमिकों को इन वर्षों की स्टाईपेण्ड राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। अत: मेरी सरकार से मांग है कि इन दो वर्षों की अनुदान राशि राज्य को तुरन्त जारी की जाए ताकि बाल श्रमिक को उनके बकाया स्टाईपेण्ड का भुगतान शीघ्र किया जा सके।

(पांच) दिल्ली में बहु-स्तरीय और भूमिगत पार्किंग परिसरों के निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): दिल्ली में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। लगातार वाहन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इससे होने वाली दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। वाहनों की संख्या के हिसाब से पार्किंग बनाने के लिए योजना तैयार की गई थी। इस योजना को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत स्वीकार किया गया था। लेकिन अब तक यूनाइटेड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीरियरिंग) सेंटर से योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिली है राजधानी में बनने वाली मल्टीलेवल व अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए जो 8027 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। यदि इस योजना पर 2012 तक काम शुरू नहीं किया गया तो वह पैसा बेकार चला जाएगा।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजा गार्डन, राजौरी गार्डन आदि जहां भी मल्टीलेवल व अंडरग्राउंड पार्किंग बननी है उन्हें यूनाइटेड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर से यथाशीघ्र मंजूरी दी जाए ताकि राजधानी में पार्किंग के बढ़त संकट को दूर किया जा सके।

(छह) महाराष्ट्र में गोसीखुर्द परियोजना कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने तथा उन किसानों, जिनकी जमीन परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना से संबंधित मुद्दा उठा रहा हूं। अर्थात् गोसीखुर्द परियोजना (इंदिरा सागर बांध) जो विदर्भ के लोगों की चिरकाल

से चली आ रही आकांक्षा को पूरा करने के लिए बनी है। यहां के लोगों को इस कार्य को पूरा होने पर एक आशा की किरण दिख रही है जिसका इस क्षेत्र के समग्र विकास पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इससे बहुआयामी लाभ होंगे। अर्थात् जलापूर्ति को बढ़ाना, जलस्तर को बढ़ाना लगभग 10 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं और बड़े पैमाने पर सम्पन्नता और हरित क्रांति लाना विशेषकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़ चिरौली भंडारा और गोंडिया जिलों में तथा इस क्षेत्र के लोगों की पेयजल की जरूरत को पूरा करना।

तथापि, इस परियोजना के क्रियान्वयन, इसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी धीमी गति से चल रहा है। इस परियोजना की शुरूआत 1988 में हुई थी और इसे 2000 तक पूरा किया जाना था। इस परियोजना के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया था और इसके लिए 5000 करोड़ रुपये आबंटित किए थे जिसका 10% राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना 2012 तक पूरी की जानी थी लेकिन जिस गति से कार्य हो रहा है, इस लक्ष्य को पाना दूर-दूर संभव नहीं लगता। पहे ही भारी लागत में भारी वृद्धि हो चुकी है, और अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार और 800 करोड़ रुपये इसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी होंगे। ऐसा लगता है कि इस परियोजना के निष्पादन की समुचित निगरानी नहीं हो रही है और जरुरी निधि समय पर जारी नहीं की जाती है।

यह बहुत ही चिंता का विषय है कि इस परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई उनको अभी तक उचित रूप से पुनर्वासित नहीं किया गया है और उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। लगभग 300 गांवों के 8000 लोग जो विस्थापित हो गए थे, उचित कारणों के लिये आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार की वर्त्तमान नीति के अनुसार जिन लोगों की जगह खाली कराई गई है उन्हें उचित रूप में कहीं और बताया जाना है और समुचित मुआवजा दिया जाना है। लेकिन यह मामला लम्बे समय से अधर में लटका हुआ है और इस संबंध को कोई भी सही कदम नहीं उठाए गए हैं। जितना मुआवजा देने के बारे में सोचा गया था वह नागपुर के आस-पास के जिलों के लिए जाने वाले मुआवजे की तुलना में बहुत कम था। इससे वहां के उन भू-स्वामियों के बीच काफी रोष है जो लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को वहां के लोगों की सही शिकायतों की छानबीन करें जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस परियोजना के कार्य में और विलंब न हो, एक मान्य समझौता करें।

(सात) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एफएम रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. क्रुपारानी किल्ली (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला राज्य के तथा देश के सबसे अधिक पिछड़े जिलों में से एक है। आजादी के 60 सालों के बाद भी इस जिले में कोई विकास नहीं हुआ है। जिले को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए केन्द्र सरकार ने 2006 में श्रीकाकुलम जिले में एक एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। मैं यह समझता हूं कि स्टेशन की स्वीकृति के बाद वर्ष 2008 में इसकी नींव रखी गई थी। तत्पश्चात सिविल कार्यों की भी स्वीकृति दी गई और 2008 में पूरी कर ली गई। पूरा किए गए सिविल कार्यों में रेडियो स्टेशन के भवन और कार्यालय थे। स्टाफ क्वाटरों का निर्माण भी शुरू हुआ था और उनका कार्य पूरा हुआ और एफएम रेडियो स्टेशन चालू किए जाने के लिए अब संरचना तैयार है। तथापि, दुर्भाग्य से स्टेशन की शुरूआत नहीं हुई। स्टेशन के लिए तकनीकी उपकरण अभी तक नहीं खरीदे गए है और स्टेशन चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। यह बहुत खराब स्थिति है खासकर एक पिछड़े जिले के मामले में।

इसलिए, मैं माननीय सूचना और प्रसार मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करें कि श्रीकाकुलम जिले में एफएम रेडियो स्टेशन शीघ्र शुरू हो जाए।

(आठ) उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नया मास रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): वर्तमान जनगणना के अनुसार राजधानी दिल्ली का उत्तर-पूर्वी जिला देश में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला है। इस क्षेत्र में यातायात सहित अन्रू मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। इस क्षेत्र में मैट्रो की दो अलग-अलग हिस्सों में सेवाएं दिए जाने हेतु योजना तैयार की जानी चाहिए और सोनिया बिहार व हर्ष विहार के पीछे से वजीराबाद रोड के समानांतर एक बाइपास निकला जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारी यातायात बाहर-बाहर ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आता-जाता रहेगा और वजीराबाद रोड पर यातायात का दबाव भी कम होगा। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में यहां के लोगों के लिए नौकरी के अधिक अवसर सुलभ कराए जाने हेतु भी एक योजना तैयार की जानी चाहिए, जिससे कुछ लोग उन क्षेत्रों में ट्रांसफर हो सके।

इस क्षेत्र में एक अन्य बड़ी समस्या वजीराबाद पुल के दोहरे लेन की भी है। यहां सिग्नेचर पुल बनाने पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इतनी राशि में कई पुल बनाए जा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप 2 या 3 पुल बनाकर बाकी धनराशि को क्षेत्र के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उपरोक्तानुसार कार्य योजना तैयार करके उसे शीघ्र किक्रयान्वित किए जाने हेतु जरूरी कदम उठाए।

(नौ) इलायची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): केरल की अर्थव्यवस्था में इलायची उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के कुल इलायची उत्पादन का 67% इस राज्य में होता है। इदुक्की जिले की ऊंची पहाड़ियां राज्य में मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्र है। हाल के समय में इलायची की कीमत अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। इलाचयी उत्पादकों में एक भय व्याप्त है कि कीमतों में और गिरावट हो सकती है। उत्पादन लागत में वृद्धि और इसके साथ ही कीमतों में अचानक गिरावट ने इलायची उत्पादको के कष्ट को बढ़ा दिया है। आज स्थिति ऐसी है कि आज किसानों को उत्पादन लागत भी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार का ध्यान इलायची की कीमत संबंधी मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों को बचाने के लिए इलायची के समर्थन मूल्य पर विचार करें।

(दस) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो देश की एक मात्र ग्रामीण विकास की योजना हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण विकास का है, प्रथम चरण में जहां जीएसबी सड़कों, कपिल धारा के कुएं बनाए जाने का काम हो चुका है, वहां की जीएसबी सड़कें अब चलने लायक नहीं बची, जो गड्ढों में तब्दील हो गई है, इसी तरह कपिल धारा के कुएं से पर्याप्त गहरे न होने के कारण तथा जल स्रोत नीचे जाने के कारण सूखे पड़े हैं, इनकी उपयोगिता पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा है, इनके सुधार एवं मरम्मत तथा सड़कों को डब्ल्यूबीएम सड़कें बनाने एवं भवन आदि निर्माण कार्यों का प्रावधान किया जाना योजना में आवश्यक है, अन्यथा जहां एक और उक्त योजना उपहास का शिकार होगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र का विकास अधूरा रहेगा, इसके साथ-साथ इसमें सांसद निधि का पक्के कार्यों एवं तालाबों के गहरीकरण में कनवर्जन का प्रावधान रखा जाना आवश्यक है, ताकि कार्यों को मूर्त रूप दिया जा सके एवं वे उपयोगी हो सके।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में बारघाट से होकर सिवनी से कटंगी तक नई बड़ी रेल लाईन बिछाए जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): मध्य प्रदेश में दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत सिवनी-बारघाट-कटंगी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की आवश्यकता है। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित और अति पिछड़ा जिला है। इस नई रेल लाइन के निर्माण से बालाघाट-नागपुर मार्ग जुड जाएगा। जिससे इलाके की आम जनता, व्यापारियों, किसानों, उद्यमियों को काफी राहत मिल जाएगी। इस रेल लाइन की मांग जनता द्वारा वर्षों से की जा रही है।

अतएव माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि आगामी रेल बजट में सिवनी-बारघाट-कटंगी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(बारह) बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): देश के पूर्वी भाग, विशेषकर असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार बढ़ती संख्या ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी ने अवैध शरणार्थियों के वापस भेजने, उनको विरूद्ध करने के मामलों में की जा रही कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया था।

हालंकि यह सुविदित सत्य है कि जो लोगा असम में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं वे वहीं बस जाते हैं और पुलिस या कोई अन्य एजेंसी उनकी पहचान करने की दिशा में बहुत कम ध्यान देती हैं। जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ आते हैं वे भी कभी भी वापस नहीं जाते हैं। विदेशी अधिनियम अक्ष्यश: लागू किया जाना चाहिए। उन विदेशी नागरिकों के लम्बित मामलों में केन्द्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जो बिना वैध दस्तावेजों के पकड़े गए हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थिति पर गंभीरता से विचार को और बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

(तेरह) 'भूमि अपरदन' को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): सन् 1950 के भूकंप के बाद असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा कटाव वहां आपदा का एक मुख्य कारण है। बाढ़ के समय में यह हरसास होने वाली घटना है। असम के बहुत से गांव शहर इस अवधि के दौरान कटाव में बह जाते है। हजारों लोग अभी भी अपनी भूमि और सम्पत्तियों के नष्ट हो जाने के कारण सड़क और तटबन्धों पर रह रहे हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नदी द्वारा कटाव को एक राष्ट्रीय आपादा घोषित करें और इस कटाव से निपटने के लिए एक दीर्घावधि नीति बनाए।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में बदायूं के रास्ते बरेली से कासगंज तक और इटावा से मैनपुरी तक की रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिणत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं): वर्ष 1997-98 में बरेली से बदायूं होते हुए कासगंज तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। हमारा जनपद बदायूं देश में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर बड़े और छोटे सरकार की ज्यारत करने प्रत्येक वर्ष देश और विदेश से लाखों लोग आते हैं। लेकिन रेल लाइन से इस जनपद को लगातार वंचित रखा गया है। कई बार लोक सभा में मैंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई लेकिन किसी भी रेल मंत्री के द्वारा आज तक आमान परिवर्तन के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

इसी प्रकार इटावा-मैनपुरी लाइन का 1996 में तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है।

मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त रेल परियोजनाओं को शीघ्र ही क्रियान्वित करने की दिशा में कार्यवाही करें।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के रणघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रणघाट मिशन गेट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर एक रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. सुचारू रंजन हल्दर (रणघाट): राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 उत्तर बंगाल से होकर गुजरता है और यह कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत से जोड़ता है। इस पर मालवाहक कंटेनर वाहनों, ट्रेलर ट्रकों की जिससे चाय, लकड़ी के लठ्ठे आदि ढोए जाते हैं, की काफी भीड़ रहती है। इसके अतिरिक्त लम्बी दूरी की यानी बसें, पर्यटक बसें सालों भर दिन-रात इस पर चलती रहती हैं।

यह सड़क राजघाट शहर से होकर गुजरती है और इस कारण सभी तरह के वाहन जैसे-स्कूल बस, बैलगाड़ी, पूरे दिन इस पर चलते रहते हैं।

इस प्रकार के भारी यातायात वाली सड़क पर मिशन गेट के बड़ी लाइन पर एक रेल समपार है। यह रेल मार्ग बहुत ही व्यस्त रेलमार्ग है जिससे होकर दैनिक यात्री गाड़ियां सियालदह से बानपुर, कृष्णानगर, शांतिपुर, बोंगांव, लासगोला तक चलती हैं तथा मालवाहक रेलगाड़ियां रणघाट, जो एक बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन है से होकर बांग्लादेश तक जाती हैं। इसलिए रणघाट मिशनगेट पर एक रेल उपरि पुल तत्काल में अति आवश्यक है।

(सोलह) वस्त्र क्षेत्र को कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. शिवसामी (तिरूपुर): तिरूपुर बुने और सिले सिलाए परिधानों के निर्यात में वर्ष 2010-11 में 12,500 करोड़ रुपए का रिकार्ड कारोबार हुआ। रंजक एककों के संकट और बढ़ते ब्याज दरों के साथ अमेरिका और यूरोपीय समुदाय में मंदी के कारण तिरूपुर का बुनाई निर्यात चालू वर्ष में 30% की गिरावट आएगी।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में बार-बार वृद्धि ने बैंकों को अपने ब्याज दर में संशोधन करने के लिए बाध्य किया है। 1 जुलाई, 2010 से बैंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेल सिस्टम से बेज रेट सिस्टम में परिवर्तित क्षेत्र के बाद 7.75% और 8.25% के बीच अधिकांश बैंको की बेस दर 75-180 बेसिस वृद्धि हो गई और अब बैंकिंग प्रणाली में औसत ऋण ब्याज दर 10.5% से 11.5% है।

तिरूपुर में बुने तथा सिले सिलाए वस्त्र निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी हो रही है और इसके कारण विदेशी खरीददार दूसरे देशों की ओर रूख करेंगे।

मौद्रिक नीति में निर्यात क्षेत्र हेतु एक पृथक प्रावधान की आवश्यकता है और निर्यात क्षेत्र को बैंको द्वारा अपनाई जा रही बेटा दर प्रणाली से अलग किया जाना चाहिए।। निर्यातकों को दिए जाने वाले बैंक ऋण दर को 7% निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा वाले देश चीन में 6% है।

मैं अनुरोध करता हूं कि बुने परिधान उद्योग को बचाने के लिए केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को 2% की ब्याज के रूप में दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ बुने वस्त्र उद्योग को प्रदान करें तथा कतिपय बुने वस्त्रों को एक ओर वर्ष के लिए मार्च 2012 तक शुल्क मुफ्त रखा जाए।

(सत्रह) पटना से होकर फरक्का बराज से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जल राजमार्ग संख्या 1 को बड़े जहाजों के लिए नौवहनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): बिहार राज्य चारो तरफ से इस तरह पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है कि इसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। अर्थात बिहार एक भू-आवेष्ठित प्रदेश है।

प्राचीन काल में बिहार का अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गंगा के रास्ते कलकत्ता पोर्ट से होता था। कलकत्ता एवं हल्दिया बंदरगाह नदी बंदरगाह है अर्थात गंगा नदी में स्थित दोनों बंदरगाह समुद्री सीमा से 200 किमी. ऊपर है जिसकी देखरेख तथा पर्याप्त गहराई बनाए रखने का कार्य पोर्ट प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है मगर फरक्का बराज से ऊपर पटना तथा इलाहाबाद तक गंगा नदी में नेवीगेशन का कार्य पर्याप्त गहराई नहीं होने के कारण नहीं हो पाता है।

इलाहाबाद-पटना-फरक्का राष्ट्रीय जलमार्ग नं. 1 के रूप में घोषित है जिसके माध्यम से बड़े जलयानों द्वारा व्यापार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। प्रकृति क इतनी बड़ी धरोहर गंगा नदी के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने वाली सुविधा से वंचित होना एक राष्ट्रीय क्षति है। सड़कों पर बोझ बढ़ता है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होता है। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1 इलाहाबाद-पटना-कलकत्ता को व्यापारिक दृष्टि से बड़े जलयानों के संचालन के लिए पर्याप्त जल प्रवाह उचित गहराई के साथ बनाया जाए।

(अठारह) जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय सरकार के रिक्त पदों को भरे जाने तथा कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग): जम्मू और कश्मीर राज्य में 5 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार नौकरियां हेतु राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं क्योंकि विशेषकर कश्मीर में सरकार ही एकमात्र नियोजक है और राज्य में शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों को नौकरी देने में गंभीर चुनौती का सामना कर रही हैं। राज्य के सभी केन्द्रीय सिविल कार्यालयों और राष्ट्रीकृत बैंकों में भारी संख्या में अराजपत्रिता और चतुर्थ श्रेणी के पक्ष खाली पड़े हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के अराजपत्रिता संवर्ग के सिविल कार्यों में लिखित परीक्षा हेतु शामिल होने के लिए कश्मीर में कोई परीक्षा केन्द्र नहीं है। लिपिकीय संवर्ग के लिए केन्द्रीय कार्यालयों में अनेक युवा ठैके और दिहाड़ी कामगार के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुला सहित इस तरह की नौकरियों हेतु कार्यरत कामगारों को नियमित करने पर विचार कर सकती है ऐसी नौकरियों के लिए परीक्षा केन्द्र के रूप में कश्मीर में श्रीनगर, अंनतनाग और बारामुला को शामिल करें तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कश्मीरी युवकों को भर्ती करने हेतु विशेष भर्त्ती अभियान भी शुरू करे। ऐसा राजनीतिक स्थिति को सुलझाने हेतु विश्वास कायम करने संबंधी एक बड़े उपाय के रूप में किया जा सकता है।

अपराह्न $12.03^1/_2$ बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 13

[हिन्दी]

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): आज देश में भ्रष्टाचार एक आदत बन गया है। भ्रष्टाचार की परिभाषा भी इतना विस्तृत रूप ले चुकी है कि उसको परिभाषित करना भी वर्तमान में आसान नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार का संबंध हर छोटे-बड़े स्तर पर इतना व्यापक हो गया है कि रावग की भांति इसके भी कई मुख हो गए हैं ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में ही है, यह तो एक वैश्विक घटना है और सर्वव्यापी है। समय के साथ-साथ भ्रष्टाचार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है जो कि चिन्ता का विषय है और आज हमारे समाज में यह बड़े पैमान पर है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत में भ्रष्टाचार, नौकरशाही, राजनीति और अपराधियों के बीच गठजोड़ का परिणाम है। भारत में आज भ्रष्टाचार के उन्मूल की बात, उसे जड़ से खत्म करने की बात, भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात हर तरफ हो रही है। एक नई विचारधारा की शुरूआत देश में हो गई है जो कि आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। परन्तु जागरुकता का यह विचार कही विचार ही बनकर न रह जाए, उसके लिए जरूरी है, धरातल पर आकर एक ऐसे कानून का निर्माण करने की जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। एक ऐसा कड़ा कानून देश में आए कि व्यक्ति भ्रष्टाचार तो दूर उसके विषय में भी सोचने से पहले सोचे। एक समय में किसी को गलत साबित करने क लिए रिश्वत का भुगतान किया जाता था। परन्तु अब तो रिश्वत सही सयम पर सही चीजें प्राप्त करने के लिए सुविधा शुल्क हो गया है।

विश्व के 106 देशों की सूची में जो कि भ्रष्ट है उसमें भारत का 54वां नम्बर है। भारत में भ्रष्टाचार के पहिए नहीं पंख हैं। लोग भ्रष्टाचार के लिए नए-नए तरीके का अविष्कार करते रहते हैं।

भ्रष्टाचार के कारण कई और जटिल हैं जिन पर गौर करना अत्यंत आवश्यक है। मुनाफा कमाने के इरादे से लोगों द्वारा अर्थव्यवस्था में बनाई गई कृत्रिम कभी भी भ्रष्टाचार के बढ़ावे में सहायक है।

नैतिक गुणों में परिवर्तन के कारण भ्रष्टाचार को बल मिला है। आज लोग सेवा, त्याग, ईमानदारी और आत्मसंतोष जैसी विरासत में मिली सभ्यता, संस्कृति को भूल गए हैं। जिनके ह्रास से ही भ्रष्टाचार बढ़ा है। पुराने आदर्श, सात्विक गुणों के लोप से ही समाज में इस राक्षस ने अपनी जड़े फैलाई हैं।

एक विशाल जनसंख्या और व्यापक निरक्षता, गरीबी ने भ्रष्टाचार के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक उच्च मुद्रास्फीति की अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों के कम वेतन ने इस राक्षस को उत्साही किया।

भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग है कि समय के साथ-साथ बढ़ा परन्तु अब समाज में आई जागरूकता ने इसे खत्म करने के लिए जो पहल शुरू की है वह सराहनीय है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बुराई को समाप्त करने में समय लगेगा। यदि कोई है कि यह एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में खत्म हो जाएगा, तो में कहना चाहता हूं ऐसा संभव नहीं है। भ्रष्टचार समाप्त करने के लिए राष्ट्र भक्ति और आत्मिक शक्ति चाहिए।

भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आत्मसंतोष जरूरी है। जिस प्रकार शबरी आत्मसंतोष के साथ भगवान राम के आने का इंतजार करती रही उसे आशा थी कि एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे और उसकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की और उसकी कुटिया पर जा उसे दर्शान दे कृतार्थ किया। इसी प्रकार बालक प्रह्लाद ने सैकड़ों दुखों को झेलते हुए भगवान के दर्शन प्राप्त किए और अत्याचारी हिरण्याकश्यप का अंत हुआ। इसी प्रकार आज इस बुराई के खात्मे के लिए आध्यात्म शक्ति एवं चेतना आवश्यक है। केवल एक व्यक्ति से नहीं अपितु समस्त समाज को इस कालिया नाग रूपी भ्रष्टाचार का फन कुचलने के लिए मिलकर आपसी सद्भाव से कार्य करना होगा तब हम जाकर इस भ्रष्टाचार रूपी नाग का फन कुचल पाएंगे।

जिस प्रकार शरीर में रोग लगने पर हम उसे उपचार देते हैं, उसी प्रकार भ्रष्टाचार रूपी इस कैंसर को खत्म करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। हमें आत्म संकल्प से इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर का उपचार करना होगा, तब जाकर दृढ़ संकल्प से इसका अंत होगा। लेकिन यह एक सामयिक प्रक्रिया है।

भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित अविकसित और विकासशील देश हैं एक कच्चे लाभ के कारण लोग भ्रष्टाचार की गर्त में धंसते जाते हैं। भ्रष्टाचार के बारे में कुछ मिथक भी प्रचलित हैं जिनको तोड़ना होगा जैसे भ्रष्टाचार जीवन एक एक तरीका है और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। जल्दी अमीर बनना है तो भ्रष्टाचार करो जैसी भावनाओं को समाप्त करना होगा। इन सब बातों से लड़ने के लिए एक रणनीति बनानी होगी और उस पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा तब जाकर भ्रष्टाचार की जड़े हिलेंगी।

निचले स्तर के प्रशासनिक कर्मचारियों से लेकर उच्चतम स्तर के अधिकारियों के लिए श्रेणियां वर्गीकृत की जानी चाहिए तथा अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कानून बनाने चाहिए, फिर उसी के अनुरूप भ्रष्टाचार करने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही रिश्वत लेने वाला ही नहीं रिश्वत देने वाला भी सजा के दायरे में आना चाहिए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि जब रिश्वत देने वाले को भी सजा का प्रावधान होगा तो लोग अपने आप रिश्वत देनी बंद करेंगे तथा यह बुराई समाप्त होगी। लोगों का सहयोग ही सफलतापूर्वक भ्रष्टचार को समाप्त कर सकता है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक पारदर्शी जवाबदेह एकरूप प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है, जो जनभावनाओं व जनआंकाक्षाओं के अनुरूप बने। अच्छी नौकरशाही और अच्छा प्रशासन किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक यह हड्डी ही मजबूत नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार रूपी

दानव बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले देश की रीढ़ की हड्डी अर्थात सिस्टम को मजबूत व परदर्शी बनाना अत्यंत आवश्यक है।

मैं विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां आए दिन भूस्खनन, बाढ़, बादल फुटने जैसे घटनाओं के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था न होने के कारण आम आदमी को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं भी दूरभर हो जाती है। वर्तमान राज्य सरकार ने तो वहां भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया हैं। भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर वहां के सुप्रसिद्ध लोकगायक श्री नरेन्द्र सिंह नेगी ने तो गढ़वाली भाषा के एक पूरा गीत ही भ्रष्टाचार पर बना दिया जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है-

कमीशन की मीट भात, रिश्वत को रैलो।

बसकर भन्डि ना सपोड़ अब कथगा खैल्यो।

नयु-नयु राज उत्तराखंड आस मा छन लोग-लोग रे।

बियाणा छन डाम यख, लेन्दा को तेरो जोग।

कुम्भ नहयेगे भुलू, अब आपना नहयेल्यो रे।

नियुक्त्यूं की रसमलाई, ट्रांसफरूको हलुवा-हलुवा।

मालदार विभागगुना तेरा चेलों को जलुवा।

भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है। इस संदर्भ में उत्तराखंड के जन कवि श्री नरेन्द्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड सरकार पर एक गीत लिखा है कि कमीशन का मीट और भात अर्थात चावल रिश्वत का रेला है बस अब ज्यादा मत खा कितना खाओगे, कितना पचाओगे। ज्यादा खाने से दुखी हो जाओगे। नया-नया उत्तराखंड राज्य हैं लोग आशा में है कि विकास होगा, डामो में खाया, कुम्भ में भी खाया, आपदा में भी खाया, ट्रांसफार्मरों व नियुक्तियों में भी खा रहे हो।

यह तो बात हुई उत्तराखंड राज्य की, जाहां एक कवि ने भी वहां की जनता के दर्द को इस प्रकार खूबसूरत शब्दों में उकेरा है।

मेरे अनुसार भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अधिक से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्टो का गठन किया जाना चाहिए जिससे न्याय में तेजी आए। जनता के लिए सस्ते न्याय की व्यवस्था हो। स्थानीय निकायों, लोकपालों, लोक अदालतों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए।

एक नया मौलिक अधिकार होना चाहिए जो नागरिकों को सशक्त बनाए जो जानकारी वह चाहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिन्ताओं को छोड़कर उन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए। जोकि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़े हथियार के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार एक असभ्य समस्या है। यह मधुमेह की तरह है, जिसे केवल नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं। ऐसी कुछ लोगों की राय है कि सभी स्तर से भ्रष्टाचार का सफाया संभव· नहीं होगा। परन्तु मेरा मानना है कि अध्यात्मिक शक्ति द्वारा आत्म संतुष्टि के गुण का विकास कर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। यह कैंसर समाप्त किया जा ससकता है। जरूरी है ईमानदारी से, सदभावना से, लगन से एकनिष्ठ होकर प्रयास करने की। अपने स्वार्थों को त्याग समाज में अनैतिकता, अराजकता से लड़ने की। राष्ट्रभक्ति और आपसी सौहार्द की भावना अपने अंदर बलवती करने की सभी को एक समान समझने की। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विरासत में मिले मूल्यों को जीवन में धारण करने से इस अर्थप्रधान युग में संत कबीर दास से शिक्षा लेते हुए उसे चरितार्थ करने की।

साई इतना दीजिए जा में कुटुम्ब समाय।

मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए।।

हमें हमारे समाज में फन फैला रहे इस विकराल नाग को मारना होगा। सबसे पहले आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने को इस भ्रष्टाचार से बाहर निकालना होगा। यही नहीं शिक्षा में कछ ऐसा अनिवार्य अंश जोड़ जाए। जिससे हमारी नई पीढ़ी प्राचीन संस्कृति तथा नैतिक प्रतिमानों को संस्कार स्वरूप लेकर विकसित हो। न्यायिक व्यवस्था को कठोर करना होगा तथा सामान्य ज्ञान को आवश्यक सुविधाएं भी सुलभ करनी होगी। इसी आधार पर आगे बढ़ना होगा तभी इस स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है।

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता को और अधिक जागरूक बनना होगा और शुरूआत खुद से करनी होगी, बात-बात से सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, जब हम खुद रिश्वत देने को तैयार रहेंगे तो सरकार क्या कर लेगी? हमें रिश्वत देना बन्द करना होगा, चुनाव के समय अधिक सावधानी बरतनी होगी और समझदारी से काम लेना होगा। हमें हर स्तर पर गलत बात का विरोध करना होगा। जब सिविल सोसायटी की जागरूकता से जेसिका लाल और रुचिका जैसी लड़कियों को न्याय मिल सकता है, तो भ्रष्टाचार को अपने देश की शासन-प्रणाली से उखाड़ फेंकना कौन सी बड़ी बात

है। हमारे पास मतदान का अधिकार और सूचना के अधिकार जैसे कानून के रूप में हथियार पहले से ही है जरूरत है तो उस हिम्मत की जिससे हम भ्रष्टाचार रूपी दानव से लड़ सके।

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दिश भर में लोग आंदोलित हो रहे हैं। आदरणीय अन्ना जी द्वारा पिछले 9 दिनों से अनशन भी इस मुद्दे को लेकर है ओर हम आज नियम 193 के अंतर्गत लोक सभा में देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। लोक सभा में चल रही भ्रष्टाचार पर चर्चा में देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा होने के बजाए भ्रष्टाचार को छिपाने का सरकार द्वारा प्रयास हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीए के शासन काल में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, गोदावरी बेसीन गैस घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, राशन घोटाला उजागर हुआ। देश के नियंत्रक और महालेखाकार (कैग) ने तथा उच्चतम न्यायालयों के निर्देशों के बाद ये सभी घोटाले उजागर हुए, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने में विलम्ब से सरकार का भ्रष्टाचार के विरोध में कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति दिखाई नहीं दे रही है।

मैंने स्वयं देश के कायेला तथा अन्य खान सामग्री के मुफ्त तथा अंधाधुन्ध दोहन का मामला उठाकर इस पर सरकार से कार्रवाई का आग्रह किया लेकिन इसका संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है। यह लिपापोती किसके लिए और क्यों की जा रही, यह सवाल खड़ होता है। देश के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टचार फैलता जा रहा है। इसका सामना सभी को करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर 100, 200, 1000 रुपए की घूस लेने वाले चतुर्थ, तृतीय स्तर के कर्मचारी को भ्रष्टचार प्रतिबंधक विभाग और पुलिस घेरे में ले सकती है। लेकिन 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपए के 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में शामिल लोग इससे अछुते रहते हैं। सारा देश इस दोहरेपन को देख रहा है। कॉमनवेल्थ गेम पर सरकार ने बिठाई शुंगलू कमेटी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को आरोपित करने और बाद में कैग ने भी इसकी पुष्टी करने के बाद भी यह आज भी अपने पद पर बनी रह सकती है। कर्नाटक में लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद अगर येदीयुरप्पा को हटाया जाता है तो फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर यही तरका अपनाने का विरोध क्यों होता है। उनके समर्थन में सरकार पक्ष से दलीले दी जाती हैं कि उनका भ्रष्टाचार उतना बड़ा नहीं है। हम स्थानीय स्तर के कर्मचारी को नहीं बक्शते तो इन बड़े लोगों को बक्शने का क्या कारण है। इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नहीं जा रही है। अब जनता का यह मानना यूपीए सरकार द्वारा सही ठहराया जा रहा है। अगर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें बगैर पक्षपात के तथा पूर्वाग्रह से दूर रहकर भ्रष्टाचार कोई भी हो उसे दंडित करना चाहिए। मगर खेद से कहना पड़ता है कि यह होता नहीं दिख रहा है, इससे जनता में आक्रोश पनप रहा है। आदरणीय अन्ना जी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया तो जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, इसका कारण भी आम जनता के मन में जो भ्रष्टाचार के विरोध में टीप पनपी है उसे दिया जाना चाहिए वह भुक्तभोगी है। आज भी राशन कार्ड, गैस, किरोसीन, तहसीलों में प्रमाण पत्र, जन्म-मरण प्रमाणपत्र बगैर घूस दिए मिलना असंभव सा हो गया। जनता का यह असंतोष आज जनाक्रोश के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस पर हमें ध्यान देना होगा, हमने अगर जनता में पनपे रोष की अनदेशी की तो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसे उखाड़ने के लिए कई अन्ना जी सामने आ सकते हैं। सरकार ने भी अन्ना जी के जनलोकपाल के मुकाबले ढीला-ढाला लोकपाल विधेयक लाकर भ्रष्टाचार को बगल देने की कोशिश की सरकार अगर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने का मुद्दा रखती है तो जनलोकपाल विधेयक को सदन में क्यों नहीं लाया गया। अब तो सरकार इसमें किए गए उपबंधों के तहत प्रधानमंत्री को शामिल करने समेत सभी बातें सुनने के लिए तैयार हैं क्या देश की जनता की बातें सुनने के लिए आंदोलन ही पर्याप्त रह गया है। क्या सरकार संवदेना विहीन हो गई है। अगर यह स्थिति बनी रही तो सरकार को सत्ता में बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में घटित आदर्श घोटाले में कैग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार की असफलता को दर्शाया है। सैनिकों की विधवा, उनके लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावास और कारगिल शहीदों के परिवारों के नाम से सरकार से भूमि का आबंटन कर सीआरजेड तथा अन्य नियमों को तोड़-मरोड़ कर बड़े लोगों, नौकरशाहों को यहां पर फ्लैट आबंटित किए गए, फिर भी यह मामला कानूनी पेंच में फंसाकर लटकाया जा रहा है। अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो दोषियों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं, आज तक बड़े भ्रष्टाचारी के अपराधियों पर दंडनीय कार्रवाई नहीं की गई। यूनियन कार्बाइड मामले के अपराधी एंडरसन को विदेश जाने की छूट किसने दी, बोफोर्स मामले के अपराधी क्वात्रोची को विदेश किसने जाने दिया। भ्रष्टचार मामलों में सरकार द्वारा की जा रही लीपापोती को देखते हुए यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में असक्षम है, यह धारणा अब जनता में भी और पकड़ती जा रही है। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें करती हैं और इस सरकार के कार्यकाल में ही आज तक के सबसे बड़े घोटाले उजागर हुए हैं इस मायने में यह सरकार आज तक की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है। पहले एक नारा हुआ करता था, जब-जब कांग्रेस आती है, साथ में महंगाई लाती है। अब इसमें यह जोड़ना पड़ेगा, जब-जब कांग्रेस आती है बड़े-बड़े भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ही भ्रष्टाचार के हिमायती

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दिखाई दे रहे हैं और हम आज जो भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं उसमें संजिदगी न दिखाकर एक-दूसरे पर प्रहार करने का काम किया जा रहा है। आज के संदर्भ में खड़े भ्रष्टाचार के उजागर मामलों में कार्रवाई करने और प्रशासन को पारदर्शी बनाने के बजाए अगर आरोप का जवाब प्रत्यारोप में दिया गया तो इस चर्चा का क्या औचित्य रह जाएगा। आज सारे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में माहौल बन रहा है लेकिन हमने इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की तो हम सभी संदर्भहीन हो सकते हैं। अगर सरकार को अपनी और संसद की गरिमा का ख्याल है तो उसे तर्क-वितर्क से बाहर निकल कर भ्रष्टचार के खिलाफ ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी, नहीं तो जनता का फिर वही नारा गूंजेगा की 'अब जनता आती है, सिंहासन खाली करो''। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि बहुत दिनों के बाद अंततः इस सदन में भ्रष्टचार के मुद्दे पर बहस हुई। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया।

महोदया, भ्रष्टचार एक मुख्य राष्ट्रीय मुद्दा है, इस बारे में सारा देश एकमत है। हमें इस समस्या से निपटने के लिय विश्वसनीय दृष्टिकोण विश्वसनीय हल निकालने के लिये सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिये, यह भी हमारे देश में प्रबुद्ध जनमत के सभी वर्गो को एकजुट करने वाला मामला है।

महोदया, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं और हमारी सरकार की ओर से मैं इस सम्मानित सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ढ़ाई वर्ष जो हमारे पास बचा है, उस अवधि में हम देश में तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने में अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे।

महोदया, डॉ. मुरली मनोहर जोशी यहां नहीं है। कल उन्होंने एक बहुत प्रभावी भाषण दिया था और उसे मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले के रूप में बदल दिया जैसाकि मैं भ्रष्टाचार के शीर्ष पर हूं और अपने कुछ सहकर्मी के भ्रष्टाचार में जानबूझकर संलिप्त रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहे। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया मैं इन मुद्दों पर जो लोक लेखा समिति या न्यायालय में विचाराधीन हैं पर तर्क करना अपनी मर्यादा के अनुकुल नहीं समझता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे सात वर्षो के दौरान, यहां तक कि जब विपक्षी सदस्यों ने भी मुझ पर कई अपराधों के आरोप लगाए तब भी मैंने इस सदन के सदस्यों के आचरण का वर्णन करने में कभी भी कठोर भाषा का उपयोग नहीं किया।

महोदया, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मेरा लगभग 41 वर्ष तक का सार्वजनिक जीवन देश की सेवा में बीता है। इन 41 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में संसद में अपने 20 वर्ष के दौरान मैंने यथासंभव देश की सेवा करने का प्रयास किया है।

एक वित्त मंत्री के रूप में मुझे एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली *जिसमें खजाना था, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो चुके थे,* हमारे देश की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया था। हम *अर्थव्यवस्था को प्रगति के रास्ते पर लाये। हमने सुनिश्चित किया कि यह अर्थव्यवस्था जो दिवालिया हो चुकी थी जो हमें विरासत में मिली थी, वह विश्व की सर्वाधिक तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बन गई।*

महोदया, विपक्षी सदस्य जो भी कहें, वस्तुस्थिति यह है कि भारत का विश्वभर में आदर किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह हमारी अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था की अन्तर्निहित सुदृढता चाहे भले ही सीमा रेखा पर हो के कारण इन सात वर्षों के दौरान या पहले वित्त मंत्री के रूप में मैंने इस देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में अपना संक्षिप्त योगदान दिया है और इसलिए जब मेरे उपर आरोप लगे हैं तो मुझे पीड़ा होती है। परंतु मैं इस मंच को किसी न किसी रूप में आरोप-प्रत्यारोप लगाने के मंच के रूप में नहीं बदलना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं नेता, विपक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वे मेरी सम्पत्ति की जांच करें जो मैंने इन 41 वर्षों में इकट्ठी की है या मेरे परिवार के सदस्यों ने इकट्ठी की है...*(व्यवधान)*

मैं विपक्ष की नेता के निर्णय को स्वीकार करूंगा यदि वे यह पाते हैं कि मैंने अपने लिए अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए धन जमा करने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग किया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, सात वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए, मैंने गलतियां की होंगी। गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां करना मानव स्वभाव है परंतु भ्रष्टाचार में दूसरों का साथ देने के बुरे इरादे रखने का आरोप एक ऐसा आरोप है जिसको मैं पूर्णतया अस्वीकार करता हूं।

महोदया, यह एक-दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है और मैं इस मामले पर कार्रवाई नहीं करने जा रहा क्योंकि यह न्यायालय के समक्ष या संसद के विभिन्न समितियों के समक्ष विचाराधीन है और वे अपना निष्कर्ष निकालेंगे। तथापि, मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामी समस्या है। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में हमें इसका निदान करने के लिए व्यवहार्य प्रगतिशील परंतु प्रभावी तरीके ढूंढने होंगे और यह केवल केन्द्र सरकार का दायित्व ही नहीं है। राज्य सरकारें देश के कुल व्यय के 50 प्रतिशत के लिए जवाबदेह है और राज्य सरकारों का आचरण जो लोगों के सरकार के साथ सम्पर्क का माध्यम है आवश्यक रूप से राज्यों का दायित्व है। देश में गुस्सा है। सरकारी पदों के दुरूपयोग के बारे में गुस्सा है।

इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों के स्तर पर हमारा दायित्व है कि हम शासन तंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करें और उसमें सुधार लायें तथा यह सुनिश्चित करें कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लोक प्रशासन का ऐसा तंत्र विकसित कर पाएं जो इक्कीसवी सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। मैं अपनी सरकार को ठीक ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध करता हूं।

लाल किले की प्राचीर से देश को अपने सम्बोधन में मैंने कई ऐसे क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया था जिन पर आगामी कुछ महीनों में मैं चाहूंगा कि सरकार पहल करे और लाल किले की प्राचीर से मैंने जो वादा किया उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।

महोदया, भ्रष्टाचार के असंख्य स्रोत हैं। 90 के दशक की शुरूआत में लाइसेंस प्रणाली, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात नियंत्रण तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत था। हमने जो उदारीकरण लाया उससे भ्रष्टचार की इस कहानी का अंत कर दिया।

भ्रष्टाचार का एक मुख्य क्षेत्र कर की दरें हैं जो अत्यन्त ऊंची थीं जिससे लोग अपने कर-दायित्व को कम करने के लिए भ्रष्ट आचरण करते थे। हमने और हमारी सरकारों ने कर प्रणाली को सरल बनाते हुए उसे व्यवस्थित करने के लिए कड़ा परिश्रम किया और जहां तक कराधान संबंधी मामलों का संबंध है इनमें भ्रष्टाचार की गुंजाईश कम है। यद्यपि में मानता हूं कि अभी गुंजाईश है और हमें विभिन्न प्रणालियां, जिनमें वस्तु तथा सेवा कर भी शामिल है, के माध्यम से जोकि सार्वजनिक है और मैं समझता हूं कि एक उत्तरदायित्व है जिसे हमारे देश को पूरा करना ही पड़ेगा यदि वह आगे बढ़ना चाहता है। परंतु कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भ्रष्टाचार अभी भी विद्यमान है। हमें कई तरीके से इस समस्या से निपटना है।

केन्द्र सरकार के कई कार्यक्रम हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है परंतु कई जगह खामियां हैं। इसलिए हमें लोक प्रशासन की व्यवस्था में सुधार लाने के उपायों को खोजना होगा ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक तरीके से कार्य नहीं करने पर काफी अधिक टिप्पणी की जा चुकी है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित किए जाने के लिए नए तरीके ढूंढ़ने चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

यह एक ऐसा दायित्व है जिसका निर्वहन हम सिर्फ राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से ही कर सकते हैं और हमें इसका निवर्हन करना ही चाहिए, परंतु मैं चाहूंगा कि यह सभा सार्वजनिक विवरण प्रणाली में सुधार का समर्थन करे जहां आम जनता सरकारी तंत्र के संपर्क में आती है अथवा आजीविका बनाए रखने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सुधार किया जाए।

महोदया, अन्य स्रोत वह है जहां सरकारी ठेके इस प्रकार से दिए जाते हैं जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ गलत हो रहा है। इसलिए हमें एक लोक प्रापण अधिनियम बनाने की आवश्यकता है, जैसाकि कुछ अन्य देशों में है और यह अपनी ठेका प्रणाली को इस प्रकार से सुचारू बनाने के लिए है जिसमें भविष्य में भ्रष्टाचार की कम संभावना होगी।

महोदया, कतिपय क्षेत्रों में स्वयं अधिक प्रतिस्पर्धी से भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी परंतु हम जानते है कि अवसंरचना के क्षेत्र हैं जहां सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा सीमित होगी।

विनियमन की भी संभावना है। हमने पिछले कुछ वर्षों में विनियमक तंत्र बनाया है परंतु इन विनियामक तंत्रों का वर्गीकरण विशेषकर अवसंरचना प्रबंधन के संबंध में थोड़ा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह एक और ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपने विनियामक तंत्र को सुचारु बनाने हेतु अथोपाय तलाश सकते हैं ताकि भ्रष्टाचार की संभावना कम रहे।

मैं अपनी बात को जारी रख सकता था परंतु मैंने जो कुछ लाल किले की प्राचीर से कहा था उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं सभा को आश्वासना देता हूं कि हमने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए जनता की जानकारी में पूर्ण प्रयास

करेंगे। मैंने श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है जो केन्द्र के मंत्रियों के पास रहने वाले स्वविवेक को कम करने के लिये उसके क्षेत्र का अध्ययन करेगा।। इस समूह ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाएगा और जनता के हित को नुकसान पहुंचाए बिना अथवा जनहित के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसके लिए विवेकाधीन शक्ति के दुरूपयोग की संभावना कम करने अथवा विवेकाधीन शक्ति को समाप्त करने हेतु तंत्र बनायेंगे।

महोदया, यह भ्रष्टाचार के संदर्भ में है जिसमें पिछले कुछ सप्ताहों में बड़े घटनाक्रम देखें हैं। श्री अन्ना हजारे अनशन पर चले गए हैं उनकी दलीले है कि हम उनके द्वारा बनाए गए जनलोकपाल विधेयक को अनाएं। इस पूरे प्रयास की पृष्ठभूमि से यह सम्मानित सभा भलीभांति अवगत है। हमने स्वयं अन्ना हजारे सहित उनके पांच प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की थीं जो पांच प्रतिनिधियों से मिले और हमें किस प्रकार का विधेयक बनाना चाहिए उसके बारे में अधिकांश सहमति हो चुकी थी। कतिपय मामलों पर असहमति थी और इस असहमति को दूर नहीं किया जा सका तथा इसीलिए हमने उस मामले को सर्वदलीय बैठक में विचार हेतु भेजा और यह सर्वसम्मति बनी की सरकार को अपना विधेयक लाना चाहिए और विभिन्न दलों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी कि उस विधेयक का क्या किया जाए। हमने यह दायित्व विभाग हमने विधयेक संसद में प्रस्तुत किया अब इसे स्थायी समिति को भेज जा चुका है।

यह स्थायी समिति सभी विकल्पों पर विचार कर सकती है और हम यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय कर सकते हैं कि श्री अन्ना हजारे द्वारा तैयार किये गये विधेयक पर इस समिति द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है। और इसके साथ अन्य विचार भी है। डॉ. जय प्रकाश के समूह ने विधेयक प्रस्तुत किया है, श्रीमती अरूणा राय द्वारा एक पत्र में विचारों का उल्लेख किया गया है। स्थायी समिति में इन सभी मामलों पर चर्चा और वाद-विवाद किए जा सकते हैं और सर्वसम्मति बनाई जा सकती है। हमने सभी सुझावों के लिए विकल्प खुले रखे हैं। हम सशक्त, प्रभावी और राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ लोकपाल बनाने हेतु इस सभा के सभी वर्गों के साथ कार्य करेंगे।

हमने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जो हमारी सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। परंतु हम विचार-विमर्श के लिये खुले मन से तैयार हैं और जब इस विधेयक पर संसद अथवा स्थायी समिति में चर्चा करेंगे तो हम एकत्रित होकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे कि हम भावी पीढ़ी को ऐसा लोक पाल विधेयक देंगे जो पिछली बातों को पीछे छोड़ दें और भ्रष्टाचार की चुनौती से निपटने हेतु हमारी चिंताओं का समाधान करे।

महोदया, कल सभी राजनीतिक दलों की बहुत अच्छी बैठक हुई थी। सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत थे कि हमें श्री अन्ना हजारे से अपना अनशन समाप्त करने का अनुरोध करना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय तलाशने चाहिए कि जो विचार जब लोकपाल विधेयक में प्रतिबिंबित किए गए थे उन पर संसदीय प्रक्रियाओं में पर्याप्त विचार किया जाए और हमें सशक्त प्रभावी विधेयक लाना चाहिए जिसे पूरे देश का व्यापक समर्थन प्राप्त हो। मैं इस सदन को पूरा करने हेतु सभा के सभी वर्गों के साथ कार्य करने के लिए अपनी सरकार की ओर से वचनबद्ध हूं। इसलिए मैं सभा के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे मेरे साथ मिलकर श्री अन्ना हजारे से अपील करें कि वह अपनी बात कह चुके हैं। यह बात हमारे ध्यान में रख ली गई है। मैं उनके आदर्शवाद का सम्मान करता हूं। एक व्यक्ति के रूप में मैं उनका आदर करता हूं। वह भ्रष्टाचार के प्रति घृणा और उससे निपटने हेतु वह जनता के लिए प्रतीक बन चुके हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं उन्हें सलाम करता हूं। उनका जीवन अति मूल्यवान है और इसलिए मैं श्री अन्ना हजारे से आग्रह करता हूं कि वह अपना अनशन समाप्त करें।

हम विधेयक के सरकारी संस्करण और श्रीमती अरूणा राय के विधेयक और डॉ. जय प्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत विचारों के साथ जनलोकपाल विधेयक पर चर्चा करने हेतु प्रभावी उपाय तलाशेंगे। सभी विचारों पर चर्चा और वाद-विवाद किए जाने चाहिए ताकि हम एक ऐसा विधेयक बना सकें जो यथासंभव सर्वोत्तम विधेयक हो, जो भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने में हमारी सहायता करें।

महोदया, मुझे बताया गया है कि श्री अन्ना हजारे और उनके सहयोगी उस बात के लिये अति उत्सुक हैं कि उनके विधेयक पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। मैंने इस मामले पर गहराई से विचार नहीं किया परंतु मुझे ध्यान आता है कि शायद हम जनता से जुड़े उन सभी विधेयकों पर इस सभा में चर्चा कर सकते थे और हम इस बात पर चर्चा कर सकते थे कि विभिन्न विधेयकों के कमजोर मुद्दे क्या हैं और विभिन्न विधेयकों के मजबूत मुद्दे क्या हैं और उस वाद-विवाद के अंत में पूरे रिकार्ड को विचार-विमर्श हेतु संसदीय स्थायी समिति को भेजते हैं। मेरा मानना है कि इससे श्री अन्ना हजारे की यह मांग पूरी हो जाएगी जो श्री अन्ना हजारे और उनके साथी करते आ रहे हैं कि संसद विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने से पहले संसद को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, मैं इस सम्मानीत सभा से निवेदन करता हूं कि यह उपाय संसदीय सर्वोच्चता का सम्मान करेगा और ऐसे में ससंद श्री अन्ना हजारे तथा उनके साथियों द्वारा लोकपाल विधेयक में वर्णित विचारों पर चर्चा कर पाएगी।

महोदया, मैं इस सभा के सभी वर्गों से अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो मैंने श्री अन्ना हजारे से की है कि उनका जीवन अति मूल्यवान है।

हम चाहेंगे कि वह दीर्घजीवी हों तथा अपनी जनता की सेवा में प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिएं।

उन्होंने अपनी बात कह दी है। इसलिए हम आदरपूर्वक उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपना अनशन समाप्त करें मेरे विचार है कि यदि वह ऐसा करते हैं तो यह भ्रष्टाचार और इससे निपटने के मामले पर इस अति रचनात्मक वाद-विवाद का समुचित समापन होगा जो इस सभा में कल से चल रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने अन्ना हजारे जी से अनशन त्यागने की जो अपील की है, मुझे लगता है कि यह अपील सारे सदन की अपील बन जाए तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। मैं विपक्ष की तरफ से स्वयं को संबद्ध करते हुए यह अपील करना चाहूंगी कि श्री अन्ना हजारे अपना अनशन त्याग दें। उनकी प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल लाने की जो मांग है, मैं यहां से कहना चाहती हूं कि देश एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब यहां जो बैठे हुए हैं, एक बहुत प्रभावी लोकपाल बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम ऐसा बिल लाएंगे। हम इस सदन से उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमें कितना भी संशोधन करना पड़े, हम इस सदन से एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल निकालकर लाएंगे। यह सदन उनसे अपील करता है कि आपका जीवन अमूल्य है, इसलिए आप अपना अनशन त्याग दें। यह पूरे सदन की तरफ से अपील अन्ना हमारे जी को चली जाए। इसके लिए मैं खड़ी हुई हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मेरे विचार से सभी इस बात से सहमत हैं और सभी अपने को इससे संबद्ध करना चाहेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो अपील आयी मैं भी चाहूंगी कि पूरे सदन की तरफ से यह एक आवाज अन्ना हजारे जी के पास जाए कि वह हम सब की अपील पर अपना अनशन अब समाप्त करें। उनका जीवन बहुमूल्य है और उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, उस पर हम लोगों ने गहन विचार-विमर्श किया है, आगे भी इस पर करेंगे और एक बहुत ही प्रभावी कदम भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उठाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री दारा सिंह चौहान एवं श्री शैलेन्द्र कुमार इस विषय से अपने को संबद्ध करते हैं

अपराह्न 12.28 बजे

(दो) श्रीलंका में तमिलों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके कल्याण हेतु अन्य उपाय-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब मद सं. 14, श्री टी.आर. बालू

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत भारी मन से मैं श्रीलंकाई तमिलों के नरसंहार और दुर्दशा पर यह चर्चा शुरू करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मैं समझता हूं कि ऐसा इस सभा में तीसरी बार है कि मैं इस कष्टप्रद मामले को उठा रहा हूं। माननीय संसद माननीय सदस्यगण सभा को बाधित नहीं करेंगे क्योंकि मैं श्रीलंकाई तमिलों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरूआत कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

महोदया, उस दिन मैंने श्रीलंकाई तमिलों के नरसंहार और दुर्दशा के बारे में उल्लेख किया।...*(व्यवधान)* यह मनगढ़ंत नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है, जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पुष्टि की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: चेयरमैन के रूप में इंडोनेशिया के श्री मारजुकी डारूसमैन, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्री स्टीवेन रैटनर और दक्षिण अफ्रीका की महोदया यासमीन सुका वाले पैनल

...*(व्यवधान)*

यह मनगढ़ंत नहीं बल्कि उनकी दुर्दशा की सच्ची कहानी है। इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से की जा सकती है। इस तरह के अनगिनत संख्या में दृष्टांत हैं यह भारत के हेडलाइंस टुडे की खबर है। एक दूसरी सच्ची कहानी का प्रसारण लंदन के बीबीसी के चैनल चार द्वारा किया गया है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जब पूरे विश्व में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा सामने लाये गये हैं जिसकी यदि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा जांच की जाती है तो व्यक्ति विशेष द्वारा सही समय पर दिखाया जा सकता है।

महोदया, इस माननीय सभा के संदस्यों के लाभ हेतु कृपया मुझे संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट का एक या दो पैरा पढ़ने की अनुमति प्रदान करें ताकि वे समझ सकें कि श्रीलंका में सिविल बार के दौरान क्या हुआ है। मैं संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट उद्धृत कर रहा हूं। विशेषकर पैनल ने युद्ध के अंतिम चरण से जुड़े विश्वसनीय आरोप पाये।

"सितम्बर, 2008 और 19 मई, 2009 के बीच श्रीलंकाई सेना ने बड़े पैमाने पर और व्यापक तौर पर गोलीबारी करके बन्नी में अपना सैन्य अभ्यिान आगे बढ़ाया जिसके कारण भारी संख्या में नागरिकों को मौत हुई।

सरकार ने लगातार तीन निषिद्ध गोलीबारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की जहां इसने यह दर्शाते हुए नागरिक आबादी को इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया था कि वह भारी हथियारों का प्रयोग नहीं करेगी। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के शिविरों, खाद्य वितरण स्थलों ओर रेड क्रास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समिति के पोलों के निकट भी गोली बारी की जो समुद्र तटों से जख्मी व्यक्तियों और उनके संबंधियों को लेने आ रहे थे। इसने अपनी आसूचना प्रणालियों द्वारा दी गई जानकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ, आईसीआरसी और अन्य की अधिसूचना के द्वारा इसके प्रभाव की जानकारी के बावजूद गोलीबारी की। युद्ध के अंतिम चरण में नागरिकों के मारे जाने की अधिकांश घटनाएं सरकार द्वारा गोलीबारी के कारण हुई। सरकार ने प्रणालीबद्ध तरीके से मोर्चे पर स्थित अस्पतालों पर गोलीबारी की। बन्नी में सभी अस्पतालों पर मोर्टारो और तोपखानों द्वारा हमला किया गया और उनमें से कुछ पर तो सरकार की उन स्थानों के बारे में अच्छी तरह जानकारी होने के बावजूद बार-बार हमला किया गया। सरकार ने संघर्ष क्षेत्र में नागरिकों को जानबूझकर खाद्य और चिकित्सा आपूर्तियों विशेषकर शल्य चिकित्सा आपूर्तियों के रूप में माननीय सहायता रोकी जिससे उन लोगों की मुश्किलें ओर बढ़ी। इसके लिए सरकार ने जानबूझकर संघर्ष क्षेत्र में बच गए नागरिकों की संख्या का वास्तविक संख्या से कम आंकलन किया। जनवरी से मई, 2009 के बीच में हजारों लोगों की जाने गईं और उनमें से अधिकांश अंतिम कुछ दिनों के कत्लेआम में गुमनाम तरीके से मारे गए।

सरकार ने लोगों द्वारा संघर्ष क्षेत्र छोड़ने के बाद भी युद्ध के पीड़ितों और बच गए लोगों को और वंचित रखा और उनकी मुश्किलें बढ़ाई। संदेहास्पद लिट्टे की जांच बिना किसी पारदर्शिता या बाह्य संवीक्षा के हुई। उनमें से छांटे गये कुछ लोगों को बचाव का मौका दिये बिना फांसी दे दी गई और कुछ महिलाओं का बलात्कार किया गया । शिविर में कुछ लोगों से पूछताछ की गई और उनका उत्पीड़न किया गया।

इस प्रकार सारांशत: पैनल ने विश्वसनीय आरोप पाया जिसमें श्रीलंका सरकार द्वारा किए गए गंभीर उल्लंघनों की पांच महत्वपूर्ण श्रेणियां शामिल थी।"

(एक) भारी गोलीबारी के द्वारा नागरिकों की हत्या; (दो) अस्पतालों ओर माननीय सहायता की चीजों पर गोलीबारी) (तीन) माननीय सहायता से इनकार करना) (चार) संघर्ष में बचे खुचे लोगों या पीड़ितों का मानवाधिकार हनन; और अंतत: (पांच) जनसंचार माध्यमों तथा सरकार के अन्य आलोचकों के विरूद्ध संघर्ष क्षेत्र के बाहर मानवाधिकार उल्लंघन।

यह दुखद प्रकरण कुछ और नहीं बल्कि एक त्रासदी है। इस तरह का अत्याचार और दुर्गति ऐसे गांधीवादी देश की नाम के नीचे है जो आज भी शेष दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। इस तरह का अत्याचार जैसे देश के निकट हुआ है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों और सिद्धांतो के द्वारा संचालित होता है। मीडिया केवल यह कहेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें पंचशील के बारे में सीख दी है। ऐसा अत्याचार हमारे देश के समीप हुआ है। जब हमारे भाइयों और बहनों की श्रीलंका में हत्या की गई और बहनों का बलात्कार किया, जब हमारी बहनों का श्रीलंका के जंगलों में अपहरण और बलात्कार हुआ, जब हमारे तमिल बच्चों को बुरी तरह मार के श्रीलंका की गलियों में लटकाया गया, जब हमारे तमिल नस्ल का श्रीलंका नामक देश द्वारा उपहास उड़ाया गया, जब हमारे तमिलों श्रीलंका का श्रीलंका के मानचित्र से धीरे-धीरे सफाया कर दिया गया तो भारतीय तमिलों और पूरे विश्व के तमिलों ने यह महसूस किया कि ताकतवर भारत सरकार को और निर्दोष तमिलों को मुक्त कराया जाए, यह देखने के लिए निर्दोष हत्याएं न हो सहायता के लिए आगे आना चाहिए जैसाकि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए मुक्ति वाहिनी भेजकर पूर्वी पाकिस्तान में किया गया था। यही हमने सोचा। भारत सरकार को बिल्कुल यही करना चाहिए था। यह राजनीतिक था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मुझे आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन मैं अभी भी इस बात की ओर इंगित करना चाहती हूं कि यह एक दूसरा देश है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यह एक संवदेनशील मुद्दा है और आप बोलते हुए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे।

श्री टी.आर. बालूः जी हां, महोदया, मैं इससे सहमत हूं। इसके साथ ही उन कष्टों का मूल कारण विश्व को, विशेषकर हमारे संसद सदस्यों को समझना होगा। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही है कि मैं ये सारी बाते कह रहा हूं। लेकिन 61 वर्षों से यही संघर्ष चल रहा है। लेकिन 1948 से 1967 के बीच महान व्यक्तित्व श्री थानथाई सलेवा तथा 1977 से 1983 के बीच श्री अमृत लिंगम द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री थानथाई सेलवा और स्वर्गीय श्री अमृत लिंगम-तमिलों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रूप से लड़ाई लड़ी लेकिन वे सफल नहीं हुए। हम समझ सकते हैं कि गांधीवादी तरीका अपनाने के कारण वे असफल रहे।

अंत में युवाओं, श्रीलंकाई तमिल युवाओं ने हथियार उठा लिए। इसमें क्या गलती हुई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। सशक्त संघर्ष एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में मुक्ति आंदोलन में होता है। इसे मुक्ति आंदोलनों में स्वीकार किया गया है। चाहे जो भी हो दुर्भाग्य से नरसंहार सफल रहा है। युवा लोग बुरी तरह से असफल हुए हैं।

युवाओं को कई बातों के कारण असफलता मिली जिन पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे नेता डॉ. कलैगनार करूणानिधि की सलाह के बावजूद उन्होंने सही ढंग से समन्वय स्थापित नहीं किया, उन्होंने परस्पर सहयोग नहीं किया। भाई-भाई में अनावश्यक झगड़े हुए। अंततः संघर्ष का बुराहाल हुआ और असफल हो गया। मुझे इसके लिए दुःख है। लेकिन मेरे नेता डॉ. कलैगनार करूणानिधि 1956 से ही लगातार और जोरदार ढंग से श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसी कारण दो बार उनकी चुनी हुई सरकार चली गई। विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने महासचिव प्रो. अंब्तलगन के साथ विधायक के पद से त्याग पत्र दे दिया था। उनकी नेतृत्व वाली डीएमके ने रैलियां की, धरना प्रदर्शन पिकेटिंग और बंद का आयोजन किया। मैं भी 25 बार से ज्यादा, विशेषकर थालापति एव.के. स्टालिन और स्व. मुरासोती मारन के साथ, गिरफ्तार हुआ था। एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर वाली 105 से ज्यादा प्रतियां इस मामले में महायसचिव के हस्तक्षेप के लिए संयुक्त राष्ट्र को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भेजी गई। डॉ. कलैगनार करूणानिधि के द्वारा मूसलाधार वर्षा के दौरान लगभग सौ किलोमीटर लम्बी मानवश्रृंखला बनाई गई। मदुरै में 0 लाख से ज्यादा लोगों का टी. ई.एस.ओ. और सम्मेलन और ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें श्री वाजपेयी जी, श्री ए.टी.आर.,श्री बरनालाजी, प्रो. मधु दंडवते, श्री जसवंत सिंह, श्री फारुख अब्बदुल्लाह जी, श्री एच.एन. बहुगुणाजी, श्री महंताजी, प्रो. इनबालगन, मेरे नेता (स्व.) श्री मुरासोती मारन, स्व. श्री उपेन्द्र असिरियार वीरामनी पी. नेदूमारन और श्री बाइको, मेरे पुराने मित्र ने रैली को संबोधित किया था। वे श्रीलंकाई तमिलों को सही निदान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मेरे नेता डॉ. कलैगनार करूणानिधि के नेतृत्व में ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। अंततः, सिविल युद्ध के बाद उन्होंने मेरे नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल शरणार्थियों के शिविरों के दौरे के लिए भेजा और हमने पाया कि 3,30000 से अधिक लोग कंटीले तारे के बाड़े में रह रहे थे। उन्हें मवेशियों की तरह रखा गया था। हमने दुखते दिल ओर नम आंखों से यह सब कष्टदायी नजारा देखा। हम यहां आए और हमने भारत के प्रधानमंत्री को इन सबसे अवगत कराया। हमने सभी नेताओं को इस स्थिति से अवगत कराया। लेकिन क्या हुआ था? कोई भी स्पष्ट समाधान आज तक सामने नहीं दिखा रहा है।

सबसे खराब पक्ष यह है कि न केवल श्रीलंकाई तमिलों की बल्कि हमारी तमिल भाषा की भी खिल्ली उड़ाई गई थी। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। मुझे एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाई गई है जिसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने यहुदियों की पुस्तकों को जला दिया था महान वैज्ञानिक अलबर्ट आइंसटाइन, सिगमंद फ्रायड ने इतनी सारी किताबों लिखी थी। उन पुस्तकों को नाजियों द्वारा जलाकर राख कर दिया गया।

उपद्रवियों के साथ नाजियो का दस्ता बर्लिन लायबेरी में गया और हजारों पुस्तकों को जला डाला। जाफना में भी ऐसा ही हुआ। विश्व प्रसिद्ध जाफना पुस्तकालय में 97000 से अधिक तमिल भाषा की पुस्तकें जला दी गई। तमिल पुस्तकें श्रीलंका के दो मंत्रियों ने जलाई थी।

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य पड़ोसी राष्ट्रों से हमारा घनिष्ठ और मित्रवत संबंध है। कृपया इस बात को ध्यान में रखिये। और जब आप अपनी बात कह रहे हो तो यह सुनिश्चित कीजिए कि आप कुछ ऐसा न बोले जिससे हमारे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह एक अनुरोध है। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे यह जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा रखती हूं।

श्री टी.आर. बालूः जी, महोदया।

महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि न केवल तमिल लोगों का बल्कि तमिल भाषा का भी मजाक उड़ाया गया। उन्होंने हमारी

भाषा की खिल्ली उड़ायी। यही कारण है कि जाफना लाइब्रेरी में 97000 पुस्तकें जला दी गई। उन्होंने न केवल हमारी भाषा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की बल्कि उन्होंने हमारी तमिल संस्कृति पर भी हल्ला बोला। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं उस कहानी को सुनाता हूं जिसे श्री ग्राहम विलियम ने यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किया था। वे कहते हैं "उत्तरी श्रीलंका में तमिल क्षेत्र से गुजरते समय वहां की भूमि की स्थलाकृति में आए बदलाव को देखकर आप को गहरा आघात लगेगा। एक समय जहां तमिल लोगों का निवास था, जहां की भूमि में तमिल संस्कृति तथा धरोहर रखी स्पष्ट झलक मिलती थी अब सिंधली सेना के अधीन है।" उन्होंने आगे लिखा है, "तमिलों के निचले हिस्सों ने पूरी यात्रा के दौरान हम सिंघली विजयवाद को देख सकते हैं। तमिल क्षेत्रों में सिंघली सैन्य शिविर और सिंघली सैनिक आम बात है। तमिल भूमि के कुल 18,880 वर्ग किलोमीटर में से श्रीलंकाई सेना ने 7000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।" वह आगे लिखते हैं "युद्ध में लगभग 2500 मंदिर और 500 गिरजाघरों को तोड़ दिया गया है।" हमें इस बिंदु को समझना चाहिए। यह और कुछ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति पर हमला है।

बोसानिया में क्या हुआ है। युगोस्लाविया के बंटवारे के दौरान जनरल रासको मलाडिक और श्री राडोवान कराड्जिन ने 8000 बोस्वानिया के मुस्लिमों की हत्या कर दी थी।

अध्यक्ष महोदया: श्री बालू मैं बार-बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहती लेकिन हमें तमिलों के पुनर्वास और उनकी राहत पर चर्चा करनी चाहिए। इन सब बातों के बजाए हम उस पर चर्चा करें। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, आप इसके बारे में जानते हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदया, यह एक तथ्य है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक आयोग नियुक्त करने का संकल्प लिया था। आयोग ने जांच की और अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को दी। 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने एक अधिकरण नियुक्त किया था। 1993 में इस अधिकरण ने उन दोनों लोगों को इस जघन्य अपराध को दोषी पाया था। अब इन दोनों लोगों पर 8000 मुस्लिमों की हत्या के मामले में हैग के अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण में मुकदमा चल रहा है। यदि रात्को मलाडिक और राडोवान काराद्जिक के विरूद्ध 8000 लोगों की हत्या के आरोप में हेग में अधिकरण में मुकदमा चल सकता है; यदि 2009 के चुनावों में सैकड़ों लोगों की हत्या के लिए इराक की भर्त्सना हो सकती है, यदि बशर-अल-असद सीरिया में लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले 1300 सीरियाई लोगों की हत्या के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगाए जा सकते है; यदि उत्तरी सूडान में उमर-अल-अब्बासिद को दो लाख लोगों की हत्या के लिए सुयुक्त राष्ट्र संघ वारंट जारी कर सकता है, तो लाखों श्रीलंकाई तमिलों की हत्या के लिए क्यों नहीं...क्यों नही ...*? के विरूद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती।

मैं आपकी मदद से यहां केवल अपनी भावनाए रख सकता हूं। मेरे मित्र, विदेश मंत्री के जो कुछ कहा उसका मतलब यही था। विदेश मंत्री यहां नहीं है। वे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। वस्तुत: वे मेरे मित्र है, लेकिन दूसरे मंत्री यहां हैं।...*(व्यवधान)* आप यहां है, मैं आप से सहमत हूं। यदि वे यहां होते, तो मेरी बातों से काफी प्रभावित होते और वे अवश्य ही ज्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): वे यहां आ सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदया, पिछले दिन विदेश मंत्री ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था:

"मैंने श्रीलंका के अपने समकक्ष को वहां पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।"

मेरे मित्र अपने श्रीलंकाई समकक्ष से अनुरोध करते हैं। महोदया, क्या आप इसे समझ रही हैं? हमारी समस्या केवल उस प्रशासन विशेष से है। लेकिन मेरे मित्र इन सभी बातों को जानते हुए, यह जानते हुए कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं, इसे कार्यवाही सारांश में से हटा दिया जाए।

श्री टी. आर. बालू: महोदया, क्या यह सही होगा? मैंने जो अभी-अभी कहा है उसे संभवत: आपने समझ लिया होगा। ...* क्या यह सही होगा महोदया नहीं यह सही नहीं होगा।

आज कल भारतीय तमिलों द्वारा हमारे अपने ही मित्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी आवाज नहीं रख पा रहे है, बल्कि हमारे मित्रों को सुनने वाली मशीन की जरूरत है। मैं यही कह सकता हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उनको इस बात को समझाने के लिए इतना कहना ही काफी है।

युद्ध के बाद श्रीलंका में क्या हो रहा है। ये मुद्दे या मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे मित्र इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। लंदन से पी.टी.आई. के लिए एक कहानी है। गृह युद्ध समाप्त होने के बाद, जेनरल, जो श्रीलंकाई सिविल प्रशासन के आदेशों का पालन कर सकता था,*... अब कारागार में है। संयुक्त राष्ट्र के मेरे मित्र विशेषज्ञों के पैनल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अनुरोध किए जाने पर यह पता करने के लिए की वहां क्या हुआ था, वहां गये थे। वे इस बात को समझने के लिए कि सिविलवार के दौरान क्या हुआ था, उन्होंने पूरे लंका का दौरा किया। वे विशेषकर उस विशेष जनरल से पूछताछ करना चाहते थे। उन्हें वहां जाने और यह पता लगाने की कि गृह युद्ध के दौरान क्या हुआ था, उन्हें अनुमति नहीं दी गई। वह अब कारागार में है, प्रशासन ने उसके पास जाने और उससे मिलने की अनुमति नहीं दी।

लंदन से पी.आई.आई की एक कहानी इस प्रकार है:

श्रीलंका सरकार ने कारागार में बंद देश के पूर्व सेना प्रमुख और युद्ध के नायक को फांसी देने की धमकी दी है,...* यदि वह अभी भी समझते हैं कि शीर्ष अधिकारियों ने उस रक्त रंजीत सिविलवार के अंतिम क्षणों में युद्ध अपराधों के लिए आदेश दिया होगा। यह धमकी उस देश के शक्तिशाली रक्षा सचिव जो राष्ट्रपति के भाई हैं, द्वारा किया गया है।...*

उसने कहा...* कि कथित युद्ध अपराधों के जांच के समक्ष वह कोई भी साक्ष्य देगी तो उसे फांसी दे दी जाएगी।"

अध्यक्ष महोदया: नहीं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री टी.आर. बालू: * ने साक्ष्य देने के...* संदर्भ में क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की।"

अध्यक्ष महोदया: नहीं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री टी.आर. बालू: "वह ऐसा नहीं कर सकता। वह कमांडर था।"

अध्यक्ष महोदया: श्री बालू कृपया संयम रखिये। मैंने आपको बार-बार चेतावनी दी है। कृपया स्वयं पर संयम रखिये।

श्री टी.आर. बालू: जो, महोदया, मैं स्वयं को अपने भाषण तक सीमित रखूंगा।

जी, महोदया, एक दूसरी कहानी है। मेरे मित्र, माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी विदेश मंत्री थे, ने यह बात कही थी। आपकी अनुमति से मैं उनके पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं।

"प्रिय श्री बालू,

मैं आपको श्रीलंका के संबंध में घटनाक्रम से अवगत रखने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि वह श्रीलंका की स्थिति पर एक ऐसी राजनीतिक समाधान ढूंढे जिसमें सभी समुदाय, विशेषकर तमिल समुदाय, राहत महसूस करे और अखण्ड श्रीलंका के ढांचे के अंतर्गत अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। इस प्रयास के एक भाग के रूप में हमने श्रीलंकाई सरकार पर श्रीलंका के संविधान में किए गए उस 13वें संशोधन के क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास करने का दबाव बनाया है जो 1987 के बीच हुए (भारत-श्रीलंका) समझौते के तहत किया गया था। श्रीलंका सरकार के साथ हाल के संपर्कों, जिसमें हमारे विदेश सचिव का 16-17 जनवरी, 2009 को कोलंबों का दौरा भी सम्मिलित है, के परिणामस्वरूप मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले महीनों में (उन्होंने यह जनवरी में कहा था) हम तमिलों के निवास के प्रांतो में चुने हुए प्रतिनिधियों को वास्तव में शक्तियां हस्तांतरित करने की दिशा में प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं।"

उनके पत्र में यही लिखा गया है। राष्ट्रपति की जो प्रतिक्रिया थी, उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया: कृपया नाम मत रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदया, मुझे खेद है। मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया उद्धृत करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* नियंत्रण रखने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये। मुझे सभा पर इस सभा में बहुत संवदेनशील चर्चा चल रही है। कृपया बैठ जाइये। मैं जानती हूं कि क्या करना है।

श्री टी.आर. बालू: महोदया, मुझे खेद है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। यह वह मंच है जहां हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं अन्यथा हम कहां जाये।

अध्यक्ष महोदया: परंतु आपको बोलते समय संयम बरतना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू: यह बहुत जटिल मुद्दा है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र कुछ करने के लिए आएंगे परंतु किसी तरह मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। माननीय मंत्री जी ने यह पत्र जनवरी में लिखा था। अब तक क्या हुआ? लाखों लोगों को अपना जीवन गंवाना

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पड़ा। हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। मैं नहीं समझता कि हम उनसे पुनः मिल सकते हैं। मैं किसी विशेष देश के एक महान व्यक्ति को उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने कहा:

"एक राजनीतिक समाधान तैयार करने की कोई जल्दी नहीं है। यदि कोई समाधान है, तो यह केवल स्वयं करना होगा।"

ठीक है, उन्हें स्वयं करने दीजिए। यह एक बहुत रूचिकर कहानी है। आप देखिए, महोदया, उन्होंने यह कहते हुये जोड़ा:

"महोदया हमें समाधान ढूंढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा, यह पत्र जनवरी में लिखा गया था और अब अगस्त का महीना चल रहा है और आप इंस्टैंट नूडल्स जैसे किसी इंस्टैंट समाधान की मांग नहीं कर सकते।"

किसी व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है कि वह इस तरह की बात करे। हम इंस्टैंट नूडल्स जैसा तुरंत समाधान नहीं मांग सकते। इस तरीके से श्रीलंका के तमिल और समग्र तमिल समुदाय के साथ व्यवहार हो रहा है। यह 13वें संशोधन पर उनकी प्रतिक्रिया है। कृपया इन्हें समझें।

एक ओर कहानी है।

अध्यक्ष महोदया: आप कितनी कहानियां सुनायेंगे?

श्री टी.आर. बालू: केवल एक कहानी बची है।

अध्यक्ष महोदया: प्रत्येक बार आप एक नयी कहानी शुरू कर देते हैं। जिसमें एक नये देश का उल्लेख होता है।

श्री टी.आर. बालू: महोदया, मैं कोई कहानी ऐसे नहीं कह रहा है जैसे कोई दादा अपने पोते को कहानी सुनाता है। मैं तथ्यों को बता रहा है। आजकल मीडिया में जो तथ्य आ रहे हैं वे कहानी के रूप में कहे जाते हैं।

आज हेडलाइन्स में, हमारे अपने भारतीय टेलीविजन पर श्रीलंका सेना के प्रभावी एक अधिकारी-महोदया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपने मुझे नाम लेने से मना किया है-श्रीलंका की सशक्त सेना के सचिव को उद्धृत किया गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

राजनीतिक समाधान और 13वें संशोधन के मामले में उन्होंने कहा:

"लिट्टे के जाने के बाद संविधान में और संशोधन की आवश्यकता नहीं है।"

यह 'हेडलाइन्स टुडे' द्वारा रिपोर्ट किए गए अधिकारी का वक्तव्य है जो कि एक भारतीय टीवी चैनल है। हमें महसूस हो रहा है कि भारतीय तमिल और विश्वभर के तमिलों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। न केवल हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है बल्कि हमारे पड़ोसी द्वारा सशक्त भारत सरकार की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है। मैं केवल शेक्सपियर के नाटक से कह सकता हूं: 'ओ सीजर, आइडीस ऑफ मार्च से सावधान हो जाओ।' मेरे विचार से मेरे सभी मित्र इस पंक्ति के बारे में जानते होंगे। यह जूलियम सीजर की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैं केवल हम सदन के माध्यम से अपने मित्र को यह बात भेज सकता हूं। महोदया मैं समाप्त कर रहा हूं।

अब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेसीडियम का नेतृत्व कर रहा है। भारत इसका नेता है। भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य यदि सभा सहमत हो तो हम लोग आज भोजनावकाश नहीं करेंगे?

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी.आर. बालू: दो मिनट के भीतर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: इतने कम समय में आपने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है। कृपया तमिलों के लिए राहत और पुनर्वास के मुद्दे पर आएं क्योंकि यह नियम 193 के अधीन चर्चा का विषय है। आप इधर-उधर घूम रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ पर कायम रहे जिसमें श्रीलंका ने 1983 से 2009 के बीच मानवाधिकार के उल्लंघन की व्यापक जांच करने का आदेश दिया जाये; मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को चाहे वे कितने भी उच्च पद पर क्यों न हों, उन्हें इण्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष अभियोजन के लिए पेश किया जाए। तीसरे, मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए।

चौथी मांग तमिल लोगों की समस्या का राजनीतिक समाधान हेतु एक जनमत-संग्रह किए जाने का आदेश दिया जाना चाहिए। ये सभी मांगे कोयम्बटूर में द्रमुक पार्टी की आम परिषद की हाल की बैठक के दौरान डॉ. कलमंगार द्वारा की गयी थी। अंततः मै। हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहता हूं कि विदेश मंत्री कृपया मेरे भाषण को पढ़ लें और श्रीलंका के तमिलों को नाम दिलाएं।

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग): अध्यक्ष महोदया, मेरे पास कितना समय बचा है?

अध्यक्ष महोदया: आपके पास 26 मिनट हैं।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं अपना हस्तक्षेप तदनुसार रखूंगा। यह वास्तव में एक असाधारण परिस्थिति है जिसमें हम इस अति संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने विशिष्ट मित्र श्री टी.आर. बालू जिनके साथ मुझे एक ही मंत्रिमंडल में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके तथा उनके अन्य मित्रों की भावनाओं के साथ सहानुभूति व्यक्त करता हूं। वह भलीभांति जानते हैं कि जहां मैं उनकी भावनाओं के साथ सहानुभूति व्यक्त करता हूं तो मुझे उनके द्वारा व्यक्त की गई राय को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। परंतु इससे स्थिति की समग्रता से ध्यान नहीं हटता है। यह अति दुखद चुनौतीपूर्ण और कठिन स्थिति है जिसमें हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हमारी प्रिय सरकार कुछ समझ नहीं पा रही है। अब मेरी भावना है कि इस सरकार के समक्ष क्षमता की चुनौती है, इसके समक्ष क्षमता और सक्षमता की कमी की भी चुनौती है जिसके कारण यह बिना सोचे समझे चली जा रही है और यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी और यह बात इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जो हम यहां कहते हैं उसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और उस पर कम से कम अपनी बची खुची सक्षमता से कार्रवाई की गई है जिसे इस विषय के मामले में देखा जा सकता है।

मैं इस अवसर पर अपने प्रिय और विशिष्ट मित्र विदेश मंत्रालय में मंत्री के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मै। नहीं चाहता था कि इस पीड़ा का असर उन पर हो।

[हिन्दी]

क्योंकि रोजे के दिन हैं। अब उनको ऐसे मौकों पर यह तकलीफ दी जाए, मेरे मित्र शायद मुझे माफी बख्शेंगे पर यह वक्त मैंने नहीं किया था अगर आपबी नमाज में कोई अड़चन आती हो, तो मुझे माफी बख्शें।

महोदया, यह विशेष चर्चा वास्तव में बड़ी-बड़ी अथवा ऊंची बातें करने अथवा भाषण देने के लिए नहीं है। फिर भी हम सच्चाई से नहीं भाग सकते। इसलिए चर्चा के आरंभ में मैं आपको बता दूं कि राजग उस विषय पर टिका था क्योंकि ये पांच या छह मुद्दे हैं जो पूरे मामले पर हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करेंगे और जिनके लिए मेरा मानना जारी रहेगा कि वे अब भी प्रासंगिक और यथावत हैं और यदि उन पर कार्रवाई की जाए तो जो एक समस्या लगती है उसका उत्तर ढूंढ़ा जा सकता है।

पहला यह है कि राजग के श्रीलंका की संवैधानिक और सीमांत अखंडता का समर्थन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग में भी इसी नीति को अपना लिया है क्योंकि यह सही नीति है और यह विवेकसंगत नीति है तथा हमें श्रीलंका की संवैधानिक और सीमांत अखंडता के लिए यही रूख अपनाना जारी रखना चाहिए।

तेरहवें संशोधन के बारे में प्रश्न उठाया गया था यह संशोधन श्रीलंका के संविधान में संशोधन करने का है। हम इस संशोधन का समर्थन करते हैं परंतु यदि वर्तमान श्रीलंका सरकार इसे 13वां संशोधन नहीं कहना चाहती तो वह इसे 14वां अथवा 15वां अथवा जो भी पसंद करें वे इसे कह सकते हैं परंतु यह संशोधन एक आवश्यक कदम है। यह एक ऐसा जरूरी कदम है जिसे डाला जाना चाहिए क्योंकि इसका कतिपय प्रयोजन है। यह दप्रयोजन को पूरा होना चाहिए। यही हमारी सिफारिश होगी न कि कोई सरूत प्रतिबद्धता, केवल शब्दानुसार, यद्यपि 13वें संशोधन के शब्द का प्रतीकवाद है।

एक तीसरी सिफारिश और बहुत ही दृढ़ उल्लेख जो उस सुन्दर देश श्रीलंका में मैं अपने मित्र से चाहता हूं कि यहां पर शांति और समृद्धि बहाल होनी चाहिए। परंतु शांति ओर स्थायी समृद्धि बहाल करने की दिशा में उन्हें तमिलों और लिट्टे के बीच अंतर समझना होगा। इस भ्रम से भारी गलती होती है। संभवत: यह ऐसा भ्रम है जिससे हममे से भी कुछ लोगों को प्रभावित करती है। हमें लिट्टे को संपूर्ण तमिल लोगों से जोड़ने की सोच को बदलना होगा भले ही वे श्रीलंका के हो अथवा तमिलवंशी हो अथवा अन्य तमिल हों जिनके पास अपार प्रतिभा और योग्यता और सक्षमता है जो तमिलनाडु राज्य ने भारत को दी है।

महोदया, निश्चित रूप से जब ईश्वर द्वारा लोगों को सक्षमता बांटी जा रही थी तो मैंने स्वयं को इस बात पर ठगा हुआ महसूस किया कि ये सभी गुण राजस्थान के मरुस्थल से तमिलनाडु को दिए गए। हमारे पास 'सक्षमता' नहीं बची।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य आपको ठगा हुआ महसूस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: परंतु मैं हम सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस विशिष्टता पर ध्यान केंदित करें। मैं लिट्टे के मूल उत्पत्ति में नहीं जाना चाहता। यह मूल गलती कैसे की गई वह अब इतिहास बन गया है। यह हमारी आज की चर्चा के लिए बिल्कुल भी प्रसांगिक नहीं है। इसलिए मैं स्वयं को केवल उस तथ्य तक सीमित रखता हूं जो हम स्वयं के लिये कर सकते हैं।

अगला मुद्दा पुनः एक सुझाव है। मेरे विचार से इसमें बड़ी समझदारी की आवश्यकता है और शायद तमिलनाडु में भी हमें अल्पसंख्यकवाद और जातियता में अंतर करना चाहिए। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक मात्र नहीं है। वे एक जातीय समूह हैं और उन्हें एक पहचान और सम्मान मिलना चाहिए तथा उन्हें एक जातीय समूह माना जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो समस्याओं का मूल कारण पता चल जाएगा और हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि ये राजग की कुछ घोषणाओं में से एक थी। यह नीति की केवल घोषणा मात्र नहीं है। परंतु मैं तमिलनाडु विधानसभा द्वारा विचार की सर्वसम्मत अभिव्यक्ति में अपनी राय जोड़ना चाहता हूं। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा विचारों की यह सर्वसम्भव अभिव्यक्ति एक अधिकार संप्रभु कृत्य और कर्त्तव्य हैं और यह तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्तमान निर्वाचित तमिलनाडु विधान सभा के रूप में वाकई एक कर्त्तव्य है। पूरी तमिलनाडु विधानसभा द्वारा व्यक्त विचारों को कम करके आंकना भारत में अथवा भारत के बाहर उचित नहीं है। मैं इस मुद्दे पर अधिक जोर नहीं देना चाहता हूं। निश्चित रूप से समझना होगा क्योंकि यदि मेरे पास समय हो तो मैं आज की विदेश नीति के परिवर्तित स्वरूप पर एक-दो विचार व्यक्त करूंगी।

महोदया, यहां मैं संक्षिप्त रूप से एक और बात कहना चाहूंगा। इसे मेरे विशिष्ट मित्र और विपक्ष के नेता ने एक बार उठाया था। और यह करचाईथीतू के बारे में है। अब यह कटचाईथीतू क्षेत्र जिसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई थी उसे मुख्य रूप से मत्स्यम हेतु श्रीलंका के लिये हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। परंतु तमिल मछुआरों के मत्स्यम अधिकारों का पूरी तरह सुरक्षित रखा गया था। यह एक बात है। दूसरे, कैथोलिक, यदि मैं गलत नहीं हूं। तो चर्च हैं हमारे माध्यम के मामले में पूरी तरह तटवर्ती मत्स्यम की समस्याएं है। यह औद्योगिक मत्स्यन नहीं है और तटवर्ती मत्स्यन के कारण करचाईथीतू के आस-पास जल क्षेत्र में कई अवसरों पर जब श्रीलंकाई मछुआरे आते है, अपने जाल सुखाते हैं, अथवा भारतीय मुछआरे वहां जो हैं परंतु उन अवसरों का तमिल मछुआरों को गोल मारने अथवा उनकी हत्या करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि सर्वप्रथम हम इस समझ को पूरी तरह अमल नहीं कर पा रहे हैं जो इस द्वीप को बांटने के बारे में है।

मैं सरकार से केवल आग्रह करता हूं कि वह यह करे कि इस समझ को पूरी तरह लागू किया जाए। इसका एक दूसरा पहलू भी है। मुझे इसमें विश्वास है और मैंने इसे पहले अपने माननीय सहयोगियों के साथ साझा किया है हमारे लिए और सरकार के लिए कदम उठाने की आवश्यक है क्योंकि हमारे यहां समुद्रतटीय मत्स्य पालन है और गुजरात से बंगाल तक चारों और लाखों लाख मछुआरे हैं। आप समुद्रतटीय भारत का चक्कर लगा सकते हैं। वे सभी समुद्रतटीय मत्स्य पालन है। इसलिए हमारे पास समुद्रतटीय मत्सय की का बहुत सीमित विकल्प है। समुद्रतटीय मत्स्य-पालन हेतु दक्षेस वु सभी देशां के साथ एक दक्षेस समझौता या समझौता ज्ञापन या प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्य करें।

महोदया, अब मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। यद्यपि मैंने बहुत अधिक समय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदयाः आपके पास बोलने के लिए समय है।

श्री जसवंत सिंहः मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन ये ऐसे मामले हैं जिसे तमिलनाडु की मौजूदा चिंताओं से जोड़ा गया है। नीति की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए जो तमिल लोगों और लिट्टे के बीच सरकार द्वारा अब मान्यता प्राप्त सुस्पष्टता हो। यह अवश्य किया जाना चाहिए और एक अच्छे पड़ोसी के रूप में श्रीलंका को भी इसे समझना चाहिए।

दो या तीन सामान्य बातें हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। विदेश नीति की दो या तीन सूक्ष्म बाते हैं। एक है जिसे मैं "परिस्थितियों के अनुसार काम करें" को बताना चाहता हूं। मैं नही समझता हूं कि भारत की विदेश नीति का मूल तत्व वर्तमान परिस्थिति से भिन्न संचालित होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। लेकिन प्रतिगामी स्थिति है और भी घातक है और यह इसमें शामिल न होना और "परिस्थितियों के अनुसार काम न करना" मैं भारत सरकार से अपील करता हूं वे दोनों मामलों में न फंसे। इस बात को समझना आवश्यक है कि भारत की भूमिका इस कारण से नहीं है कि दक्षिण एशिया में हम लोग ताकतवार हैं। परन्तु हमें लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी सभी पड़ोसियों के प्रति है और इस आवाज को अभिव्यक्त करना और नेतृत्व और निर्देशन करना होगा और यह हमारी जिम्मेदारी है हमारे प्रधान मंत्री ने पूर्व में जो हस्तक्षेप किया वो सूझबूझ वाला कार्य था। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं, लोग उसे समझेंगे।

स्पष्टतः कोई भी भ्रष्टचार के लिये नहीं खड़ा होता है लेकिन नीतिगत भ्रष्टचार भी हो सकता है और आपके समक्ष ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें नीतिगत भ्रष्टचार के कारण ऐसी नीति से उत्पन्न हुई सामूहिक बुराई भारत में देखी जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर की चर्चा करनी चाहिए, क्या हमें तिब्बत की चर्चा करनी चाहिए, क्या चीन या आईपीकेएफ की चर्चा करनी चाहिए और क्या श्रीलंका में स्थिति की चर्चा करनी चाहिए लेकिन मैं पुरानी गलतियों में नहीं जाना चाहता हूं। फिर भी आप इस पर प्रकाश डालें।

मैं श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक बहुत ही अच्छे भाषण को सभा में उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मुझे उनके साथ कई वर्षों तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमने कई मामलों को सुलझाया तथा जो उस समय अलोकप्रिय कदम प्रतीत हुआ जो श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है और जो अब फल फूल रहा है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक लाभान्वित हुये हैं। महामहिम चन्द्रिका कुमारतुंगा- मैं एक उद्धरण के साथ समाप्त करता हूं। दो वर्ष पूर्व समाप्त युद्ध के परिणाम पर उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पर बोलने के लिये शान्त जुलाई रविवार चुना है। यह एक समाचार है जो उनके बयान को उद्धृत करता है।

"विजयी सरकार और सिंहली समुदाय को यह अवश्य समझना चाहिए कि तमिल समुदाय लिट्टे से अलग हैं।"

मैं इस भावना को बयान करने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं आगे यह उद्धृत करता हूं कि:

"मैं भी बेहद खुश और प्रसन्न हूं कि युद्ध समाप्त हो गया है और आतंकवाद की हार हुई है। लेकिन मैं इस तथ्य की बिलकुल अनदेखी नहीं कर सकता कि यद्यपि हमने सिविल वार जीत ली है लेकिन हमने शांति स्थापित करने के प्रयासों की शुरूआत नहीं की है"

यह श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति का बहुत ही बुद्धिमानी भरा वक्तव्य है और यदि अध्यक्ष महोदया मैं इसका उल्लेख करुं तो वे आंतकवाद की लगातार घटनाओं की शिकार हुईं। उनके पिता श्रीलंका के एक प्रख्यात नेता और उनके पति और अन्य आंतकवाद के शिकार हुये। वे स्वयं अपने ऊपर हुये हमले में उनकी एक आंख चली गई। उनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह वास्तव में हम जैसे लोगों जो विदेश नीति और समसामयिक मामलों के छात्र हैं को बहुत बल देता है लेकिन वे सक्रिय है।

"शांति, के लिये एक अनिवार्य पूर्वापेक्षित एक मजबूत और सुदृढ़ सरकार और समृद्धि लोकतांत्रिक, बहुलवादी राज्य है। यह केवल एक जादुई ऐहसास है जो मैं जानता हूं जो विविध लोगों को एक सूत्र में बांधता है और मैं अनेक नस्लों बहु भाषाओं, कई धर्मों और हमारे जैसे विविध संस्कृति वाले देश जैसाकि हमारा देश है अविभाजित और मजबूत राष्ट्र है, जिसे साथ बांध रखना जानती हूं।"

और यह जारी रहेगा। मैं इसके अन्य भागों को पढ़ना नहीं चाहता हूं। यह लंबा भाषण है। यह बहुत उपयोगी है। मैं तमिलनाडु के प्रतिष्ठित मित्रों और सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि यदि उस उद्धरण को अच्छी तरह पढ़े तो वे संभवत: इसमें भी बेहतर एहसास से गुजरेंगे। एक अंतिम संकल्प की ओर आगे देने का प्रयास कर रहे हैं जिसने इन सभी वर्षों में श्रीलंका राष्ट्र को अशांत कर दिया है।

महोदया, राजग गठबंधन में छोटे घटक के रूप में मैं ऐसे मामले के सुलझाने हेतु काम करने का भी प्रयास किया था जिसके लिए हमें कार्य करने को जारी रखना चाहिए। उदासीन रहने का सिद्धांत जो भारत सरकार की नीति प्रतीत होती है कारगार नहीं होगी। हमें इसमें शामिल होना होगा क्योंकि तमिलनाडु के लोग एक नस्लीय समुदाय के रूप में, अपनी भावनाओं में बह जाते हैं उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की हम अनदेखी नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भारत की आंतरिक स्थायित्व की कीमत पर ही ऐसा करेंगे। क्येांकि यह भारत का आंतरिक व्यक्तित्व है जिसके सामने पहले ही भारी चुनौतियां है, और हमारी सरकार भी असहाय सरकार है।

इसका समाधान यही पाया गया है कि इन दोनों के बीच यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

महोदया, इस अपील के साथ आप के दल की ओर से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे श्रीलंका में तमिलों को राहत और पुर्नवास तथा उनके कल्याण के लिए उठाए गए अन्य उपायों के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नियम 193 के अधीन चर्चा के दौरान बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, हम जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच के साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जातीय और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं।

अपराह्न 1.24 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदया, मैं तीन दशकों से श्रीलंका के तमिलों की समस्या से जुड़ा हुआ हूं। मुझे याद है क अक्टूबर 2009 में माननीय संसद सदस्यों की जो 10 सदस्यीय दल श्रीलंका के दौर पर गया था मैं उसमें सम्मिलित था।

एस.टी.टी.ई. के विरुद्ध युद्ध के बाद इस द्वीपीय राष्ट्र के उत्तर और पश्चिम के भागों में पुर्नवास प्रक्रिया के बारे में हमने स्वयं जानकारी हासिल की थी। श्रीलंका सेना ने 25 माह पूर्व एल.टी.

टी.ई. को हराया था। उत्तरी श्रीलंका में तमिलों का दमन करके वहां श्रीलंकाई सेना ने भारी बर्बादी, विध्वंश और विनाश किया था। श्रीलंका में 2009 के युद्ध के कारण तीन लाख लोग विस्थापित हुए जो महीनों कटीले तारों के बाड़े में पुनर्वास शिविर में रहने के लिए बाध्य किए गए। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आई. डी.पी.) के मानसिक संताप और कष्टों को कोई शब्द दूर नहीं कर सकता। वर्तमान में, इन शिविरों में अमानवीय स्थितियों में 10,000 लोग रहे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार को श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वहां बिना किसी और विलम्ब के उन्हें वहां से मुक्त करें।

22 जून, 2009 को सिविल युद्ध समाप्त हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासिचव ने सही स्थिति का अध्ययन करने तथा वहां का दौरान करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त किया था। विशेषत:, उस पैनल ने सितम्बर, 2008 और 19 मई, 2009 के बीच हुए युद्ध के अंतिम चरणों से जुड़े आरोपों को विश्वसनीय पाया। मैं उसको उद्धृत करता हूं। "फरवरी, 2009 से एल.टी.टी. ई. ने उन नागरिको को नजदीक से गोली मारनी शुरू कर दी जिन्होंने संघर्ष क्षेत्र से भागने की कोशिश की और इससे युद्ध के अंतिम चरण में इस कारण मृतकों की संख्या काफी बढ़ गई। हमने आई.डी.पी. के बड़े समूहों के नजदीक में गोला बारूद दागा और आई.डी.पी. या सिविल संस्थानों गैस अस्पताल आदि के निकट सैन्य उपकरण रखे।' पैनल को श्रीलंका सरकार के विरुद्ध मुख्यत: पांच प्रकार के आरोपों का पता चला। इसलिए उसे उद्धृत करता हूं: "निष्कर्षत: पैनल को विश्वसनीय आरोपों की जानकारी हुई जिनमें श्रीलंका सरकार द्वारा संभावित मुख्यमंत्री पांच प्रकार के अपराध किए गए 1 व्यापक गोला-बारी से नागरिकों की हत्या 2. अस्पतालों और माननीय सहायता से जुड़े संस्थानों पर गोलाबारी 3. मानीय सहायता न पहुंचाना 4. संघर्ष के पीड़ितों और बच गए लोगो, जिसमें आई.डी.पी. और संदिग्ध एल.टी.टी.ई. राडर सम्मिलित है, के मानवाधिकारों का उल्लंघन 5. संघर्ष जोन के बाहर मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा मीडिया और सरकार के अन्य आलोचकों के अधिकारों का उल्लंघन भी इसमें सम्मिलित है।'

इसके साथ ही मैं उद्धृत करता हूं:

"युद्ध के अंतिम चरण से जुड़े एल.टी.टी.आई. के विरूद्ध विश्वसनीय आरोपों का पैनल द्वारा निर्धारण में संभावित गंभीर उल्लंघनों के छह प्रकार के अपराधों का पता चला है। नागरिकों को मानव बफर के रूप में इस्तेमाल करना 2. एल. टी.टी.ई. के नियंत्रण से भागने की कोशिश करने वाले नागरिकों की हत्या 3. नागरिकों के आस-पास सैन्य उपकरणों का उपयोग 4. बच्चों की जबरन नियुक्ति 5. जबरन श्रम और 6. आत्मघाती हमलों के माध्यम से नागरिकों की हत्या।"

ये रिपोर्टें श्रीलंका की वास्तविक स्थिति की जानकारी देते हैं। हमारी सरकार द्वारा श्रीलंका सरकार पर इन सभी विस्थापित लोगों को उनके अपने अपने स्थानों पर पुनर्वासित करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, मई, 2009 में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के कारण लगभग आधे मिलियन लोग विस्थापित हुए। परेशानियां और कष्ट आज भी जारी हैं। दो लाख से अधिक विस्थापित लोगों को अभी भी उनके मूल स्थानों में पुन: बसने की अनुमति नहीं दी गई है। यहां तक कि जिन लोगों को अपने गांवों में जाने की अनुमति दी गई वे भी अस्थायी आश्रमों में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त हजारों लोग बेघर हो गए; अनगिनत लोग बेघर हो गये; 50,000 से अधिक बच्चे और बूढ़े दयनीय रूप से अपंग हो गए; एक लाख से अधिक युवतियों ने अपने पति खो दिये और बेसहरा विधवाएं बन गईं। 15 लाख से अधिक लोगों ने अपने निकट संबंधियों को खो दिया। कैद किए गए हजारों लोग जीवन काल में ही मौत का अनुभव कर रहे हैं। एक लाख से अधिक छात्र शिक्षा से वंचित हो गए हैं।

महोदय, हमारी संप्रग सरकार उत्तरी श्रीलंका में ध्वस्त अवसंरचना को पुन: खड़ा करने में मदद कर रही है और युद्धोपरांत पिछले दो वर्षो के दौरान वहां सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल करने के लिए तमिलों की आजीविका संबंधी चिंताओं को दूर करने में भारत की सक्रियता दर्शाती है।

हमारी सरकार ने श्रीलंका में राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए दो किस्तों में 500 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की।

लम्बी अवधि वाली परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार ने श्रीलंका में मुख्य रूप से आई.डी.पी. के लिए 50,000 स्थायी घरों के निर्माण का वादा भी किया था। कल, हम श्रीलंका के तमिल राष्ट्रीय संगठन में सांसदों से मिले थे। उन्होंने बताया कि अब तक केवल 100 घरों का निर्माण हुआ है।

भारत ने छत्त वाले 4 मिलियन शीट और 40,000 टन सीमेंट उपलब्ध कराया है। पुनर्वासित लोगों द्वारा कृषि गतिविधियां शुरू करने के लिए 3.2 मिलियन अमेरीकी डॉलर के मूल्य के बराबर कृषि संबंधी प्रारंभिक पैक के रूप में भारत ने 95000 पैक उपलब्ध कराये। विगत वर्ष में हमारी सरकार ने 500 हेक्टर और 75 बसों की आपूर्ति की थी। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार द्वारा दिए गए इन ट्रेक्टरों को अन्य स्थानों, विशेषकर गैर-तमिल क्षेत्रों में भेज दिया गया। यह अत्यंत निंदनीय है।

महोदय, हमारी सरकार ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र पुट्टालम में युवाओं ने दक्षता विकास के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है तथा इसके अतिरिक्त बट्टी कलोवा में भी दो ऐसे ही केन्द्र स्थापित किए हैं। हमने किलीनोयी और मुल्लाईतिबू क्षेत्रों में 100 विद्यालयों के नवीकरण के लिए भी एक परियोजना शुरू की है। हमने जाफना प्रशिक्षण अस्पताल को 1400 से अधिक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इसको 1.1 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई है तथा हमने डिकोया में 150 ब्रेडवाला एक अस्पताल भी बनवाया है। श्रीलंका में मेडावाच्छिया से तलाइमनार के बीच उत्तरी रेलवे का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बारूदी सुरंग हटाने वाले सात भारतीय दल उत्तरी श्रीलंका में और अधिक क्षेत्रों को साफ करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कांके सांथुराई हवाई अड्डा को भी हमने विकसित करने वाले हैं। तमिल मछुआरों को अपनी मछली पकड़ने के कारोबार को शुरू करने के लिए उन्हें मछली पकड़ने वाले उपकरण और नावें दी गई हैं। पश्चिम में मुस्लिम आई.डी.पी. को भी 175 नावे वितरित की गई हैं।

तथापि, समझौता से संबंधित मुद्दे अभी हल किए जाने हैं। जो लोग युद्ध के दौरान गुम हो गए हैं उनका पता लगाना है। तमिलों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजनीतिक हल अभी भी खोजा जाना बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा में यह दर्ज कराना चाहता हूं कि श्रीलंका में तमिलों की समस्या को हल करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान किसी भी अन्य पार्टी के योगदान से कम नहीं है चाहे वह तमिलनाडु की बात हो या समग्रदेश की बात हो। 1983 में जातीय ढंग के बाद भारत ने खुले दिल से लगभग $1^1/_2$ लाख श्रीलंकाई तमिल शणार्थियों को आश्रय दिया। हमारा देश उस अनुबंध-ग को नहीं भुला सकता जिसे हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार किया गया। हमारे युवा प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी की पहल पर ही सभी उग्रवादी दल और श्रीलंका सरकार थम्फू में समझौता टेबल पर साथ-साथ आए। 19 दिसम्बर की घोषणा के साथ उनके ऊपर शुरू की गई शांति की पहल को याद करते हुए मैं इस सम्मानीय सभा में इस बात को दर्ज कराना चाहता हूं। जब लंका में तमिलों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी गई तो श्री राजीव गांधी ने ही बंगलौर एयर बेस से हमारे एयरफोर्स के वायुयानों के माध्यम से उत्तरी श्रीलंका में तमिलों को 19 आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए कदम उठाया था। अपनी वायुसेना के वायुयानों से 4 टन से अधिक खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए श्री राजीव गांधी के बहादुरी पूर्ण प्रयास को इतिहास कभी नहीं भूला सकता। यद्यपि यह अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन था। 1987 में 29 जुलाई को हमारे नेता श्री राजीव गांधी श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए श्रीलंका गए। वहां पर एक नौ सेना के सैनिक द्वारा उनको जान से मारने के प्रयास को भी हम नहीं भूला सकते जिसमें उस सैनिक ने अपने राइफल के बट से उन पर हमला किया था। यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे नेता राजीव गांधी इतने दयालु थे कि उन्होंने श्रीलंका सरकार से उस सिंहली सैनिक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। इस विशेष घड़ी में हम अपने स्वर्गीय नेता श्री जी.के. मूपनार की और हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम की उपस्थिति को नहीं भूल सकते। होनहार युवा नेता श्री राजीव गांधी, जिन्होंने भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने का निश्चित किया था, को श्री पेरम्बुदूर में एक मानव बम्ब द्वारा अमाननीय ढंग से हत्या कर दी गई। देश इसे न तो भूला सकता है नहीं इसे क्षमा कर सकता है। इन सारी दु:खद घटनाओं के बावजूद हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने उस महिला को फांसी से बचाने का आग्रह किया जो श्री राजीव गांधी की हत्या में संलिप्त थी। हम उस नेता की उस त्यागपूर्ण लोच को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं। हाल ही में श्रीलंका के उत्तरी प्रांतो में सम्पन्न स्थानीय चुनावों में तमिल राष्ट्रीय गंठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। इस संकट की घड़ी में तमिलनाडु में क्रियाशील कुछ असामाजिक तत्वों की दुष्टतापूर्ण गतिविधियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता के विरूद्ध नफरत और घृणा फैला रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि हमारे भोले-भाले युवक इन तत्वों के बहकावे में न आए। भारत सरकार को ऐसे लोगों पर अवश्य नजर रखनी चाहिए। आतंकवाद खत्म हो गया है लेकिन कुछ अतिवादी तत्व अभी भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। सरकार को अवश्य ही सावधान रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय हमारी सरकार का ध्यान मुख्यत: श्रीलंका में तमिलों की भलाई पर केन्द्रीत होना चाहिए। पुनर्वास और घरों को फिर से बनाने के काम को शीर्ष तथा अति तत्काल प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनकी एकमात्र उम्मीद भारत सरकार है। श्रीलंका सरकार द्वारा पारित तेरहवां संशोधन के आधार पर व्यापक अधिकार देकर समस्या का राजनीतिक समाधान ही एक मात्र समाधान है।

भारत सरकार को चाहिए कि वह श्रीलंका सरकार को निम्नलिखित कार्य करने के लिए उस पर दबाव बनाए:

(एक) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन के मामलों की सही जांच शुरू करना (दो) राज्य प्रयोजित सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करना, सभी विस्थापित लोगों को

मुक्त करना, सभी जीवित बचे लोगों को राहत पहुंचाना जारी रखना, नागरिकों के विरूद्ध अत्यार खत्म किया जाना चाहिए, बल पूर्वक जिन लोगों को गायब कर दिये जाने की रिपोर्ट है उनके भविष्य और स्थिति के बारे में जांच करना तथा उस पर चर्चा करना, (तीन) युद्ध के अंतिम चरण में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मृत्यु के संबंध में अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारी के बारे में एक सार्वजनिक औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी करना।

उपाध्यक्ष महोदय कल भारत के सांसद श्रीलंका के सांसदों से मिले थे। आठ तमिल दल तथा पांच श्रीलंका के संसद सदस्य थे। इस संबंध में निम्नलिखित कार्य तत्काल किये जाने चाहिए: (i) उच्च सुरक्षा क्षेत्र आदि के नाम पर सेना द्वारा तथा कथित क्षेत्र पर कब्जा तत्काल खत्म किया जाए, (ii) उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों से सेना को तत्काल तत्काल वापस बुलाया जाए (iii) भूमि हड़पने संबंधी सारी योजनाओं को रोका जाए (iv) सभी राजनीतिक बंदियों को तुरन्त रिहा किया जाए (v) भारत में शरणार्थी के रूप में रहे रहे लोगों के लिए उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका ममें वापस लौटने के लिए तथा अपने मूल स्थानों पर जीवनचर्या शुरू करने के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए। (vi) देश में आपातकाल खत्म करने के साथ ही साथ प्रावधान किए जाए और आतंकवाद विरोधी अधिनियम को अनिवार्यत: निरस्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 4 अगस्त को इस सम्मानीय सभा में कहा था कि उत्तरी श्रीलंका में पुनर्वास और पुन: निर्माण की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। इस राजनीतिक समस्या का एक उचित समाधान सबसे महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में श्रीलंका में तमिलों को उस द्वीप के अन्य लोगों के बराबर समझा जाना चाहिए। हमारी सरकार को यह देखना चाहिए कि तमिलों को समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व भावना प्राप्त हो। तमिल समुदाय शांति और सहिष्णुता के साथ रह सकें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 193 के तहत श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। यह मेरा सौभाग्य भी था कि टी.आर. बालू साहब ने और हमने एक साथ नोटिस डाला था और यह नोटिस 193 में इस सदन में चर्चा के लिए स्वीकार भी हुआ। आज उसी पर बोलने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी बहुत ही गंभीरता से टी. आर. बालू साहब को सुना और हमारे विद्वान और पूर्व विदेशी मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी ने भी अपनी बात रखी, मैं उसकी बातों को भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। स्पीकर महोदया की भी इस हाउस से एक अपी थी कि हम बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही संवदेनशील मुद्दे पर यहां चर्चा कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री जी भी यहां बैठे हैं और मेरे ख्याल से वे सभी की बातों को बहुत गंभीरता से सुनकर यह कोशिश जरूर करेंगे कि हमारे और श्रीलंका के बीच के सम्बन्ध सुधरें।

महोदय, अगर आज देखा जये तो भारत ही नहीं विश्व में भी जो हमारे तमिल भाई हैं, उनका एक-दूसरे का आपस में बहुत ही अटूट सम्बन्ध रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1962 में जब चाइना ने भारतवर्ष पर हमला किया था तो तब श्रीलंका अकेला ऐसा देश था, जिसने ललकार कर यह कहा था कि चाइना की सेना अपनी हद में रहे और वापस जाये। उस समय के सम्बन्ध से लेकर आज तक और जो बीच के सम्बन्ध रहे हैं, उन पर हमें गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा और यह कोशिश करनी पड़ेगी कि वे क्या कारण हैं, जिनके कारण हमारे और श्रीलंका के बीच जो सम्बन्ध थे, उनमें बहत खटास आयी है। आज अध्यक्ष महोदया भी अपील कर रही थीं कि कोई ऐसी बात न हो, जिससे हमारे जो सम्बन्ध सुधरे हैं, उनमें कुछ इत्तेफाक आये। मै। उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1962 की लड़ाई में और उसके पहले, उस समय हम छोटे थे, उस समय रेडियो पर भी रेडियो सिलोन आता था, सीलोन का नाम ही बदलकर श्रीलंका पड़ा। वहां पर जो बहुसंख्यक सिंहली हैं, उनका हमेशा वहां सर्वस्व रहा है। वहां हमारे तमिल भाई अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। उनके सम्बन्ध हमारे देश से भी थे, विदेशों में भी जो हमारे तमिल भाई थे, उनसे भी बड़े अच्छे और अटूट सम्बन्ध रहे हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो मैंने देखा कि बहुत सी किताबें भी मुझे अध्ययन करने कै लिए मिलीं। अब तक लगभग एक लाख तमिलों की हत्याएं हो चुकी हैं। यह बहुत ही अमानवीय अपराध है, उन पर अत्याचार हुए हैं। बुकलेट भी हमारे तमाम सम्मानित सदस्यों ने दी हैं। यह चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि जो अमानवीय अत्याचार, नरसंहार, जो जघन्य अपराध हुए हैं, उसकी पुरावृत्ति अब नहीं होनी चाहिए। यही नहीं तमिल और सिंहली भाइयों के बच एक बहुत बड़ी गहरी खाई है। आज वहां जो भी हमारे तमिल भाई हैं, उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी पार्टी बनायी, वहां तमाम पार्टियां बनीं और सभी तमिल भाईयों ने अपनी स्वायत्ता को लेकर, अपनी आजादी को लेकर, अपनी स्वायत्ता के लिए उनका जीवन संघर्षमय बीता है, जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। वहां पर स्थिति आज भी दयनीय है, इसके पहले भी स्थिति दयनीय थी। वहां के नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, उनको अध्ययन करने से रोका गया। क्या कारण है कि श्रीलंका विश्वविद्यालय में तमिलों की संख्या दिन प्रतिदिन दिन कम होती जा रही है? यही कारण था कि तमिल नौजवानों ने अपनी स्वायत्तता के लिए

हथियार उठाए। यही नहीं, उनको भावनात्मक रूप से भी ठेस पहुंचाई गई, उनकी भाषा पर भी हमला किया गया। जाफना में पुस्तकालय में आग लगाई गई। उसमें भी तमाम तमिल साथी मारे गए लेकिन मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा चूंकि मेरे ख्याल से शुरू से अंत तक बोलूगा तो भाषण बहुत लंबा हो जाएगा और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे जो अच्छे संबंध हैं, वे बने रहें। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तमिलों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। महोदय, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, वही स्थिति आज श्रीलंका में हो रही है और उसी प्रकार सिंहलियों ने तमिलों पर अत्याचार करना शुरू किया है। आज भी अमानवीय और जघन्य अपराध उनके साथ हो रहे हैं। इस पर भारत सरकार हस्तक्षेप करे। प्रधान मंत्री जी इस पर वार्ता करें या हमारे विदेश मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे वार्ता करें कि वे भी भाई हैं, हम भी भाई-भाई हैं, हमारे यहां भी तमिल हैं, हमारी संवेदना उनके प्रति जुड़ी है कि उन पर कोई अत्याचार न हो। वहां के नवयुवक जिन्होंने हथियार उठाए थे, एलटीटीई बनी थी, मैं नहीं कहना चाहूंगा, उसमें वहां के राष्ट्रपति से लेकर प्रधान मंत्री तक तमाम मंत्रियों की हत्याएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। राजनीति में वैचारिक लड़ाई और विभोद हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार की लड़ाइयां नहीं हुई हैं कि वहां के राष्ट्रपति और हमारे यहां के भी पूर्व प्रधान मंत्री जी की हत्या हुई है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री जी जो यहां बैठे हैं, उनको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि तमिलों पर अत्याचार बंद हो और तमिल विद्यार्थी जो वहां पर हैं, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कैसे रोजगार उनको मिले। आज यह स्थिति है कि वे रोजगार भी नहीं कर सकते। आप वहाँ के राष्ट्रपति से वार्ता करें कि वहां के लोग आकर यहां पर रोजगार पाएं, यहां पर व्यवसाय करें और वहां के जो तमिल हैं, जिनका संबंध हमारे देश से है, वे भी रोजगार और व्यवसाय करें ताकि उनका जीवन-स्तर उठ सके, अच्छा हो सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सबसे पहले हमारी भारत सरकार में प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को यह प्रयास करना चाहिए कि जो नरसंहार हुए हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज भी छुटपुट हो रही हैं। मैं देखता हूं कि सोमालिया में अगर जहाज़ का अपहरण होता है जिसमें हमारे लोग भी बंधक बनाए गए थे, तो हमें कितना दर्द होता है। पूरा देश और पूरा इलाका चिन्तित हो जाता है। विदेश के किसी भी व्यक्ति पर अगर यहां अत्याचार होता है तो वहां की सरकारें हस्तक्षेप करती हैं। हमारे जो तमिल भाई वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उन पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को गंभीरत से सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, हमारे विदेश मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि अब तक श्रीलंका और हमारे बीच में क्या संबंध हुए हैं, किस पर आपने समझौता किया है, उन संबंधों में कितनी प्रगति हुई है, कितनी खटास आई है? अगर और वार्ता करने की जरूरत है तो उनसे वार्ता करनी चाहिए। यहीं पर श्रीलंका की पार्लियामैंट के अध्यक्ष आए थे। उनका डैलीगेशन भी आया था। हमारे कुछ सम्मानीय सदस्यों ने उठकर उनका विरोध किया था। अध्यक्ष जी ने हस्तक्षेप किया। हमें भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग नहीं करना चाहते। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता हमेशा इतनी मजबूत रही है कि हमने दुनिया को सीख दी है। हम एक संदेश देना चाहते हैं। 'अतिथिदेवो भव' भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता रही है। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। तमिलों की जो हत्याएं वहां हो रही हैं, वह तत्काल बंद होनी चाहिए। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, रोजगार, व्यवसाय या वाणिज्यिक क्षेत्र में आपके उनके साथ क्या व्यापारिक-आर्थिक समझौते हुए हैं, विदेश नीति आपकी क्या कहती है? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। अगर इनसे हमारा संबंध अच्छा नहीं रहा तो हम दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बड़े-बड़े देशों से हम सामना नहीं कर सकते। हम विकासशील देश हैं, हम विकसति देश बनना चाहते हैं। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि जो भी तमिलों पर अत्याचार और नरसंहार हो रहा है, वह तत्काल बंद हो, हमारे संबंध सुधरें, राजनीतिक संबंध सुधरें, व्यावसायिक संबंध सुधरें, वहां के लोगों को रोजगार व्यवसाय मिले, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा यही प्रयास होना चाहिए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्री बालू ने 193 के तहत जो बात उठाई है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बालू जी द्वारा 193 के तहत बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें सदन और देश के संज्ञान में लाना चाहता हूं। विदेश मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। वर्तमान समय में भारत एक बहुत बड़ी इमरजिंग इकोनोमी और सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया में स्थापित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी भूमिका हमारे पड़ोसियों के साथ किस तरह की होनी चाहिए, इस बारे में हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमने लगातार देखा है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलका आदि, सभी हमारे एक परिवार की तरह ही हैं। नेपाल के साथ हमारे किस तरह के रिश्ते रहे, पाकिस्तान हमसे अलग हो कर बना, बंगलादेश भी हमसे अलग हो कर बना। श्रीलंका भी भारत से ही अलग हो कर एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ। श्रीलंका से हमारे सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक रिश्ते हर तरीके से आदिकाल से

चले आ रहे हैं। निश्चित तौर पर विगत कुछ समय से जब से एलटीओईई का उदय हुआ, श्रीलंका में तमिलों के साथ निरंतर अत्याचार होता रहा है और भारत ने अपना सक्रिय हस्तक्षेप करके वहां की समस्याओं का समधान करने का भी निरंतर प्रयास किया है। जब से श्रीलंका सरकार एलटीटीई के साथ युद्ध समाप्त हुए है, तो निश्चित तौर पर वहो जो तमिल निवास कर रहे हैं, उनके साथ अभी भी श्रीलंका की सरकार, हमें कहीं न कहीं महसूस होता है कि श्रीलका की सरकार फील करती है कि तमिल लोगों का एलटीटीई के साथ संबंध है, जबकि भारत सरकार को पुरजोर तरीके से हस्तक्षेप करके श्रीलंका की सरकार को कन्विन्स करना चाहिए कि वहां रहने वाले सभी तमिल आतंकवादियों से नहीं मिले हुए हैं और न ही उनका किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि में हस्तक्षेप है। इस वजह से वहां के सिविलियन्स को तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। भारत सरकार को श्रीलंका सरकार के साथ बात करनी होगी कि वहां रहने वाले लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसे भी दूर करने का प्रयास करे। बीच में इंडियन ओशन का जो डवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से चीन की इंडियन ओशन को लेकर सक्रियता बढ़ी है, वर्ष 2010 में इंडिया ट्रेड के मामले में सबसे ज्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में हुहा है, तो भारत का हुआ है। आज धीरे-धीरे चीन की वहां पकड़ बनती जा रही है। सामारिक तौर पर भी यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह जी सदन में बैठे हैं। इन्होंने हमेशा चिंता व्यक्त की है कि भारत को किसी भी पड़ोसी मुल्क से प्रतिस्पर्धा या चिता करने की जरूरत है तो वह देश चीज है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो व्यवसाय के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें अपने देश को चीन के मुकाबले विकसित करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वहां के तमिल लोगों का पूरी तरह से डवलपमेंट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा का क्षेत्र हो। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये का सहयोग वेलफेयर के लिए किया था। मैं चाहता हूं कि भारत और ज्यादा वेलफेयर के लिए श्रीलंका सरकार को सहयोग करे और खास तौर से वह पैसा तमिल लोगों के उत्थान के लिए और खास कर जो नार्थ-ईस्ट क्षेत्र जाफना है, इस एरिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि वहां के लोगों की जीवन सुविधा बेहतर की जा सके और उनके जीवन में बहाली आ सके।

मैं एक बात जरूर निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। पहले श्रीलंका और भारत द्विपक्षीय वार्ता करे। वहां की ह्यूमन राइट्स को अगर हम रिस्टोर कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा है, नहीं तो भारत को एक अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यह मामला ऑलरेडी यू.एन.ओ. भी गया था। यह मेरा अपना सुझाव है कि भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम में ले जाकर वहां के तमिल लोगों के मानवाधिकार को बहाल कराने का प्रयास करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वहां के लोग निश्चित तौर पर हमसे बहुत ज्यादा जुडे हुए हैं। इसलिए कि लगभग 10000 से ज्यादा श्रीलंकाई प्रति वर्ष यहां आते हैं जब हमारे सामाजिक रिश्ते इतने मजबूत हैं तो मैं चाहूंगा कि हम सरकारी तौर पर इसी रिश्ते को और मज़बूत बनाने का प्रयास करें। वहां तमिल लोगों को भारत आने के लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां वीजा के जो नियम है वे थोड़ कड़े हैं। निश्चित तौर पर भारत सरकार को बात करनी चाहिए कि वहां वीज़ा नियमों में थोड़ी शिथिलता बरती जाए जिससे तमिल लोगों को आसानी से आने-जाने में सुविधा हो। पूरे तरीके से मेरा मनना है कि श्रीलंका में जो तमिल लोगों का मुद्दा है, उससे पूरा हिन्दुस्तान, सभी दल के लोग अपने आपको डीपली कंसर्न्ड महसूस करते हैं। हमारा पूरा राष्ट्र तमिल लोगों के साथ किसी भी स्थिति में खड़ा है। श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते बेहतर रहे हैं श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम भी एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। हमारी भी कुछ बाध्यताएं हैं। उन बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए हमें पड़ोसी के नाते श्रीलंका के साथ बेहतर रिश्ते कायम करते हुए वहां के लोगों के मानवाधिकार को सुरक्षित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह इस राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर चाहूंगा कि जब वे अपना वक्तव्य दें तो निश्चित तौर पर सदन के अंदर यह एश्योर करें कि भारत सरकार वहां पर रहने वाले तमिल लोगों की बेहतरी के लिए प्रयास करेगी। वहां पर जो तमिल नेशनल एलायन्स पार्टी है, वह अपने अंदरूनी मामलों को एक डेमोक्रेटिक तरीके से डील नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर, भारत सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वहां श्रीलंका की सरकार इस पूरे मामले को डेमोक्रेटिक तरीके से देखे, न कि एक तरफा तरीके से कि जिसकी बहुलता है उसकी बात सुनी जाए। हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, धीरे-धीरे उसी दिशा में बढ़ें। श्रीलंका में हर वर्ग की नुमाइंदगी थी। जिस तरह से भारत में हर धर्म और हर वर्ग की सदन से लेकर सड़क तक नुमाइंदगी है, उस तरह भारत को चाहिए कि अपने पड़ोसी मुल्कों में भी इस तरह का वातावरण तैयार करे। मैं स्वागत करता हूं कि अभी हाल में भारत के प्रयास से बांग्लादेश में कुछ इस तरह की स्थितियां तैयार हुई हैं। उसी तरीके से भारत को श्रीलंका में भी वातावरण निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। मैं बार-बार कहता हूं कि हम तमिलियन लोगों के जीवन को जितना बेहतर करने का प्रयास कर सकें, उतना ही अच्छा होगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, तमिल मूल से लोगों की श्रीलंका में जो हालत है, वह बयान नहीं हो सकता। हर तरह से चाहे वह पढ़ाई हो, लिखाई हो, इलाज हो और कई तरफ से जो रिप्रेशन हैं, उसको आप बयान नहीं कर सकते।

श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और हम श्रीलंका के दु:ख और तकलीफ़ में हर तरह की सीमा को लांघ कर उनके साथ खड़े रहे हैं। आज वहां तमिल लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, वह ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक अधिकार की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने फिल्म देखी है श्री वायको आए थे, उन्होंने तमिलियन्स के ऊपर मुझे एक फिल्म दी।

अपराह्न 2.00 बजे

उस फिल्म को देखने के बाद आप अंदाज नहीं करेंगे कि वहां किस तरह से लोगों को तबाह किया जा रहा है। यदि हमारा देश उनके बारे में नहीं सोचेगा, उनकी बात को नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? हमारे रिश्ते ठीक होने चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन किस कीमत पर होने चाहिए। वहां जो लोग हैं, पूरी आबादी दोयम दर्जे के नागरिक में बदल दी गई है। हमारी सरकार ने प्रयास करके कई बार वहां बातचीत की है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा एवं कोई फल नहीं है। उस बातचीत से वहां कोई राहत पैदा नहीं हुई है, उस बातचीत से वहां के जो तमिलियंस हैं और पूरे तमिलनाडु में जो जनता है, वह इतनी बेचैन है, लोग इतने चिन्तित हैं। हिन्दुस्तान के तमिलनाडु के लोग तकलीफ में हो तो हिन्दुस्तान सुख एवं शांति से नहीं रह सकता है। उनकी जो बेचैनी है, वह बेचैनी इस देश की ओर हमारी बेचैनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा, आपने बातचीत की है, ठीक है। लेकिन बातचीत में यह भी पक्का होना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, हम अपने यहां उनकी रक्षा करते हैं, श्रीलंका की बनावट में हमारी सदियों पुरानी विरासत मिली हुई है। वे उस विरासत को अलग करके अकेले सिंहली लोग श्रीलंका पर राज करें और राज करें तो कोई बात नहीं है, राज करिए, लेकिन आप तमिलियंस के ऊपर दोयम दर्जे का व्यवहार करें, यह हिन्दुस्तान के लिए मुश्किल सवाल है, इसे सहन नहीं किया जा सकता। मैं विदेशी मंत्री जी से कहूंगा कि जब से सत्र शुरू हुआ है तब से बालू जी से लेकर तमिलनाडु के जितने एमपीज हैं, वे सब इस सवाल को उठाने के लिए कितने बेचैन रहे। लेकिन सदन की जो परिस्थिति बनी, आज बड़ी मुश्किल से यह सवाल उठा है। इस सवाल को उठाने के लिए ये लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं। मंत्री जी, हमारे अड़ोस-पड़ोस में जो हालत है, आज नेपाल की जो हालत है वह कितनी विकट है। जैसे इस देश में एक सिविल सोसायटी का आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहां पूरी सिविल सोसायटी, पूरा देश टर्माइल में है। वहां सरकार बनती है, टूटती है। जिस नेपाल के साथ हमारे हर तरह के रिश्ते हैं। नेपाल हिन्दुस्तान से कोई किसी तरह की बोली, संस्कृति, तहजीब, रिश्ते-नाते में पीछे नहीं है। यह हिन्दुस्तान की सीमा से नौ सौ किलोमीटर उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा हुआ है। हमारी विदेशी नीति इतनी असफल है, उनके साथ इतना करीबी रिश्ता होने के बाद भी वहां की परिस्थिति, लोकतंत्र, स्थाई शांति से हमारा मुल्क बंधा हुआ है। इसी तरह तमिल, श्रीलंका में तमिललियंस बहुत बेचैन और परेशनन हैं। वहां अस्पतालों और स्कूलों का खस्ता हाल है। वहां सारी फौज ने जाकर वहां के मकान से लेकर सब चीजों को तबाह किया हुआ है। निश्चित तौर पर यह हमारे दोनों पड़ोसी देश हैं। इनमें शान्ति और स्थायित्व हो, यह भारत की विदेश नीति का हिस्सा है, लेकिन हिस्से के साथ-साथ यह भी है कि नागरिक आजादी के लिए जैसे हम यहां सतर्क हैं, वहां के बारे में भी सतर्क हों। हमारे ये दोनों देश जो हैं, ये हमारे दोनों हाथ हैं, ये भारत राष्ट्र शरीर के हिस्से हैं। देश अलग हैं, लेकिन इनके यहां कोई भी किसी तरह की उथल-पुथल हमारे यहां भी असर करती है, दिक्कत करती है ओर इसमें दिक्कत और तकलीफ हमको होती है। इसलिए मैं विदेश मंत्री जी से कहूंगा कि बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत निर्गुण नहीं, इस बार सगुण होनी चाहिए, ताकत के साथ होनी चाहिए और तमिलियंस का जो ह्यूमिलिएशन है, वह वहां बन्द होना चाहिए।

हम सदियों से उनके साथ हैं। हमारे रिश्ते भी उनसे हैं। एक समन्दर बीच में है। तमिलनाडु और तमिलियंस एक हैं और वहां जो परिस्थिति है, वह बिगड़ती जा रही है, उसे रोकना चाहिए और किसी तरह से भी उसका रास्ता निकलना चाहिए। सभापति जी, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अकेले तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु के साथ पूरा देश है, क्योंकि तमिलनाडु हमारे देश की अनोखी जगह है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के कमजोर तबकों के लिए कोई सूबा उनके एहसान से बरी नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान में कमजोर वर्गों के लिए अगर कोई पहला संविधान संशोधन हुआ तो वह तमिलनाडु में कोई गड़बडी होती है। बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने और पेरियार साहब ने हिन्दुस्तान के गरीब लोगों के बारे में कोई मामूली काम नहीं किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु पेरियार की धरती है, जो हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था के खिलाफ हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा संग्रामी आदमी था। हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था के दिन बदले, लेकिन हिन्दुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस दिन बनेगा, आपके कहने से नहीं बनेगा, 21वीं शताब्दी में देश बनेगा, यह गलत है, जिस दिन पेरियार ने कहा कि जाति प्रथा को समाप्त करो, इसको, बचाओ, इसको खत्म करो, तब यह देश बनेगा।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ प्रयास की जरूरत है, ज्यादा शिद्दत से यह बेचैनी जो तमिलनाडु में है और तमिलियंस लोग जो वहां परेशान हैं, उसके निवारण का रास्ता जरूर निकलना चाहिए, यही मेरी आपसे विनती है। वह रास्ता निकालने के लिए संकल्प आपका जरा मजबूत होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदया: श्री पी.एल. पुनिया को श्री शरद यादव के साथ एसोसिएट करने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

***श्री पी.आर. नटराजन** (कोयम्बटूर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में तमिलों को समानता और समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए और अब हम इस मुद्दे को इस महान सभा में उठा रहे हैं। यह दुखद मामला अभी तक नहीं सुलझा है और इसमें सबसे बड़ी रूकावट यह है कि दो वर्ष पहले आतंकवादियों और श्रीलंकाई सेना के बीच सैन्य संघर्ष खत्म होने के बाद भी तमिल क्षेत्रों में सेनाओं की तैनाती है। जब सैन्य संघर्ष चरम पर था तो श्रीलंकाई सेना ने बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और अत्याचार किए। श्रीलंकाई सेना युद्ध काल के दौरान अपनाए जाने वाले बुनियादी मानदंडों का भी उल्लंघन कर रही थी। श्रीलंकाई वायु सेना ने तमिल क्षेत्रों पर भारी गोलाबारी और बमबारी की तथा युद्ध क्षेत्रों को भी नहीं बख्शा और अस्पतालों, विद्यालयों और पूजा स्थलों पर भी हमला किया। लोगों को पुनर्वास शिविरों के नाम पर प्रतिबंधित क्षेत्रों में बंधक बना दिया गया और भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया ऐसे लोग जो समर्पण करना चाहते थे, उन्हें गोली मार दी गई और यातना दी गई। यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के निर्देश पर तीन सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र पैनल ने यह साबित किया है कि कैसे हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम लोगों की पहचान और दंडित करने जिन्होंने यह ज्यादती की है। इस प्रकार हम यह अनुरोध करते हैं कि एक शीर्ष स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर गंवाए हैं और जिन्हें शिविरों में रखा गया हैं, को अपने निवास क्षेत्रों में वापस भेजा जाना चाहिए। पुनर्वास उपायों में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि वे धीमी गति से चल रहे हैं और अब उनमें विलंब हो रहा है मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं कि उनके घरों के पुनर्निमाण हेतु हमारे सरकार द्वारा दी गई वित्तीय और अन्य सहायता जरूरतमंद श्रीलंकाई तमिल लोगों के पास नहीं पहुंची है। श्रीलंकाई सरकार वैसे लोगों की सूची जारी नहीं कर रही है जिन्हें अब तक अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि लिट्टे से संपर्क रखने की आशंका में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने हेतु पर्याप्त कदम उठाया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रीलंकाई तमिलों को सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन मिले और वे इज्जत और आत्म-सम्मान के साथ जीएं। उनके जीवन में सुकुन वापस आना चाहिए ताकि वे अपनी खोई हुई शांति को वापस ला सकें। सिविल युद्ध की समाप्ति के बाद भी श्रीलंका सशस्त्र सेनाएं अभी भी तमिल आवासीय क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही है। न केवल सरकारी भूमि बल्कि प्रदान की गई भूमि लोगों पर भी सैन्य शिविर स्थापित करने के लिए अधिग्रहण किया। यह केवल भविष्य में और तनाव तथा संभावित संघर्षो को जन्म देगा। सैन्यकरण प्रक्रिया न केवल अब तमिलों की हानि पहुचाएगी बल्कि निकट भविष्य में श्रीलंका में विभिन्न भाषा बोलने वाले सभी लोगों को प्रभावित करेगी। इसलिए हम श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा इस सैन्यकरण का विरोध करने के लिए सभी लोकतांत्रिक ताकतो से पुरजोर अपील करते हैं।

पिछले कई वर्षों में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान बहुत लंबे समय तक आपातकाल लगाया गया। इन संघर्षों की समाप्ति के बाद भी अभी भी आपातकाल लागू है और अभी तक आपातकाल नहीं उठाया गया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे क्षेत्र में कम से कम अभी आपातकाल उठाने के लिए उस द्वीपसमूह राष्ट्र के प्राधिकारियों से अनुरोध करें। वहां की सरकार ने अभी तक विशेषकर 13वें संशोधन के उपबंधों को लागू नहीं किया है जो भारत-श्रीलंका समझौता के फलस्वरूप संपन्न हुआ। श्रीलंका सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है और तमिलों के लिए शक्तियां हस्तांतरण के अपने वादे से मुकर गई है तथा उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय करते हुए तमिल गृह भूमि की तैयारी कर रही है। भारत में राज्य अधिक शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन कानून व्यवस्था तथा पुलिस बल अभी भी राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार में बताया है कि पुलिस बल, भूमि और भूमि स्वामित्व से जुड़े कानून केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार के पास रहेंगे। यह केवल प्रांतों में शक्तियों के हस्तांतरण की अवधारणा को समाप्त करेगा। हम यह इंगित करना चाहते हैं कि यह हमें सिंहली तमिल संघर्ष को समाप्त करने में मदद करेगा। यह तभी हो सकता है जब श्रीलंका में सभी राजनीति दल बातचीत के लिए तैयार हों तथा शक्तियों के हस्तांतरण की आवश्यकता को समझे तो मौजुदा समस्याओं और इसके समाधान की समझ के माध्यम से किया जा सकता है।

दूसरे, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वे इस बात पर ध्यान दें कि विस्थापित लोगों को पुनर्स्थापित होने के लिए अपने मूल आवासीय स्थल पर वापस जाने की अनुमति प्रदान करें।

तीसरी बात जिन लोगों ने सशस्त्र संघर्ष के दौरान ज्यादतियां की, एक शीर्ष स्तरीय जांच समिति के माध्यम से उनकी पहचान की जानी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए।

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतरण

चौथी बात उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में प्रशासन में सेना के हस्तक्षेप को समाप्त किया जाना चाहिए। आपातकाल हटाया जाना चाहिए। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए श्रीलंका प्राधिकारियों के साथ मामले को दृढ़ता से उठाए और सभी तमिलों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करे।

भारत सरकार को पुर्नस्थातिप श्रीलंकाई तमिलों पुनर्स्थापित करने में सहायता प्रदान करे और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या यह सचमुच जरूरतमंद तमिलों तक पहुंच रही है। हमारे समक्ष ऐसी कई शिकायतें हैं कि तमिलों को दी गई सहायता उन्हें नहीं मिल रही है।

मैं तमिलनाडु की विधान सभा द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प के बारे में श्रीलंका के रक्षा सचिव द्वारा की गई उपहास पूर्ण टिप्पणी के बारे में इंगित करना चाहता हूं।

हम जब भी श्रीलंका की बात करते हैं तो हम सदैव इसका ध्यान रखते हैं और हमें प्राय: पुन:स्मरण कराया जाता है कि यह हमारा मित्र देश है लेकिन इसकी श्रीलंका में प्राधिकारियों द्वारा अनदेखी की गई हैं। उन्होंने तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प की आलोचना की है। यदि हमारी विदेश मंत्रालय भारत में श्रीलंका के राजदूत को बुलाकर तमिलनाडु की विधान सभा में पारित सर्वसम्मत संकल्प के बारे में उन्हें सूचित करें तो यह स्थिति पैदा नहीं होगी। मैं पुरजोर ढंग से इस महान सभा में यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को तमिलनाडु की विधान सभा द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प पर श्रीलंका के रक्षा सचिव द्वारा की गई उपहास पूर्ण टिप्पणी की दृढ़ता से आलोचना करनी चाहिए।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस तथ्य पर ध्यान दे कि विश्व के राष्ट्रों में एक उभरती शक्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उस पैनल रिपोर्ट पर ध्यान देना परम कर्त्तव्य है जो उन लोगों की ओर इशारा करती है जिन्होंने लाखों निर्दोष, निहत्थे नागरिकों के प्रति अपराध किए हैं और उनकी हत्या की है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह दोषियों और युद्ध अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त एवं प्रभावी कदम उठाए।

इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं।

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): उपाध्यक्ष महोदया, जिस मुद्दे पर आज चर्चा की जा रही है उस पर इस सम्मानीत सभा में काफी वाद-विवाद और चर्चा हो चुकी हैं। इस पर लोक सभा तथा राज्य सभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से चर्चा हो चुकी है। इस सभा मे, इसे स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण के माध्यम से तथा 'शून्य काल' के दौरान भी उठाया जा चुका है।

मैंने स्वयं भी वाइको को देखा है जो किसी समय हमारे साथी थे और माननीय श्री टी.आर. बालू तथा हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। अब श्री बालू ने श्रीलंका में मानवता की रक्षा करने हेतु आज इस मुद्दे को उठाया है। मैं अध्यक्ष महोदया के निर्देश का पालन कर रहा हूं जैसा कि उन्होंने हमें सचेत किया है कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह वास्तव में अति खतरनाक और अति संवेदनशील मुद्दा है।

मुख्य वाद-विवाद पर आने से पूर्व मैं माननीय विदेश मंत्री, जो कि पूर्व मुख्य मंत्री भी हैं श्री एस.एम. कृष्णा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं श्री अहमद का भी आभारी हूं। कल, मैंने कुछ तमिलों, कुछ उड़ीसा और कुछ बिहारियों के बारे में उनसे चर्चा की थी जो इस समय लीबिया की राजधानी त्रिपोल्मी में हैं जहां मैं बमबारी के समय सात दिनों पूर्व का शांति मिशन के अध्यक्ष डॉ. पॉल को भी घेरा गया है।

मैं प्रधानमंत्री से पहले ही अपील कर चुका हूं। मैं पहले से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का अ.शा. पत्र लिख रहा हूं। मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारतीय व्यक्तियों की जान बची रहे और उनसे सहस्तक्षेत्र का भी अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री ने आज मुझे बताया और परसों भी यह बताया कि वे कुछ सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु सूचना तंत्री पूरी तरह से अवरूद्ध है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह बार-बार प्रयास करें। वे सूठान से भी सूचना प्राप्त करने के प्रयास करें। जहां पर उड़ीसा के काफी लोग हैं यद्यपि यह आज के वाद-विवाद हेतु चर्चा के विषय के अंतर्गत नहीं आता है तथापि मैं माननीय मंत्री और इस सभा का भी ध्यान वहां पर फंसे उड़िया लोगों को बचाने और उनकी सुरक्षा करने की ओर आकर्षित करता हूं।

अब मैं मुख्य वाद-विवाद पर आता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान वर्ष 1991 में जाफना की ओर आकर्षित करता हूं। जब सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और मैं वहा गया था। उस समय, श्री बीजू पटनायक मुख्यमंत्री थे और मैं उनका मंत्रिमंडल सहयोगी था। उस समय, मैंने तमिलों की त्रासद स्थिति को व्यक्तिगत रूप से देखा था।

आज मैंने तमिलों द्वारा मुझे प्रस्तुति फोटो अपनी आंखों से देखे जो पुस्तक में चिपके हुए थे। उसको देखना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों और महिलाओं की नृशंस हत्या की गई और किस

प्रकार से वे उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। यह सब मानवता से परे है और कोई भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है।

भूमि हमारी है।

[हिन्दी]

मिट्टी जन्म से उर्वर है।

[अनुवाद]

मिट्टी जन्म से उर्वर है परंतु

[हिन्दी]

इन्सान जन्म से बर्बर है।

[अनुवाद]

मनुष्य जन्म से बर्बर है। यदि आप देखें कि तमिलों पर किस प्रकार से इंसानियत की सीमा पार करके कैसे अत्याचार किया जा रहा है तो अन्य बर्बरता देख सकते हैं। हम सं.रास.सं. में प्रचार कर रहे हैं और विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तथा उन्हें शांति को बढ़ावा देने के विरूद्ध युद्ध करने के बारे में बता रहे हैं। यह युद्ध क्या है? मैंने यह व्यक्तिगत रूप से देखा है और मैं यह महसूस करता हूं।

आप यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय अध्यक्ष को दिखा सकते हैं जो कल मुझे प्रस्तुत किया गया था और यह देखकर आप की आंखों में आंसू आ जाएंगे। विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ है...*(व्यवधान)* हम वैश्विक सोच रखते हैं परंतु हमें स्थानीय रूप से सोचना चाहिए। मैं जानता हूं कि तमिलों की बड़ी विरासत और समृद्ध साहित्य है। आप वहां जाइए और जाफना विश्वविद्यालय देखिए। इसमें पूर्णतः तोड़फोड़ की गई है और इसे क्षतिग्रस्त किया गया है। आप अस्पताल देखिए। रोगी कहां जाएंगे? आपको जाकर देखना चाहिए जहां मछुआरे प्रतिदिन जाते हैं। महा सागर हर किसी का है। विश्व सबका है। मिट्टी सबके लिए है और वस्तु हमारी है परंतु हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हमारे देश ने महान प्रधानमंत्री को खोया। ऐसे में इस सबके बावजूद उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को भी खोया।

हमारी संसद, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि 500 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस राशि को 5000 करोड़ रुपये किया जाए। प्रतिदिन लोग घोटालों को मानकर करोड़ों रुपये खाकर हजम कर रहे हैं। अन्य उन्हें आश्रय उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका बनाए रखने हेतु तत्काल 5000 करोड़ रुपये स्वीकृत क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा से प्रार्थना करता हूं कि मानवता हेतु संघर्ष किया जाना चाहिए और मानवता का बचाव इस सम्मानित सभा की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

हम श्रीलंका के लोगों से काफी समय से जुड़े हुए हैं। श्री बीजू पटनायक की सरकार ने दंडकारण्य परियोजना में आश्रय उपलब्ध कराया। मैंने मलेशिया और इंडोनेशिया में देखा है कि तमिल व्यक्ति परिश्रमी है, मेहनती है, वे बहुत अच्छे कामगार है, और भूमि की किसानों की तरह जुताई करते हैं। ये किसान अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं और इसे बनाए रखा जाना चाहिए।

डॉ. एम तम्बिदुरई (करूर): श्रीलंकाई तमिलों के इस अति संवदेनशील मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने पर धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इस अति गंभीर मामले पर चर्चा करने और भावनात्मक तथा निष्ठापूर्वक अपने विचार व्यक्त करने वाले अपने मित्र अधिकांश मित्रों का धन्यवाद करता हूं। वे यह देखना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से श्रीलंका में तमिलों की समस्या का समाधान करें।

मैं इस तथ्य पर आपत्ति व्यक्त करता हूं कि आरंभ में, हमने सूचना दी है और जैसाकि "संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में कबुलाया गया है, "हमने वर्ष 2009 में श्रीलंकाई सेवा दल श्रीलंकाई तमिलों की कथित हत्या" विषय को सम्मिलित किया है। दिनांक 10 अगस्त, 2011 बुधवार की संशोधन कार्य सूची भी एक बार पुनः शीर्षकः "संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के श्रीलंका सेना द्वारा वर्ष 2009 में श्रीलंकाई तमिलों की कथित हत्या संबंधी चर्चा करना" के रूप में इसका उल्लेख करती है" यही वह शीर्षक है जो हमने दिया था। परंतु इस शीर्षक को क्यों बदल दिया और मैं यह समझ नहीं पाया कि वे ऐसा अन्य शीर्षक क्यों लाए? हमारी भारत सरकार क्यों इतनी संकोच में है और श्रीलंकाई सरकार से क्यों डरी हुई है? मैं तो यही कहूंगा कि यह डर है। एक बार हमारे सभी सदस्यों ने सूचना दे दी और आपने इस बुलेटिन में रख दिया तो फिर आपने शीर्षक क्यों बदल दिया? आप यह कहकर प्रतिबंध क्यों लगा रहे है कि सिंहली सेना द्वारा तमिलों की हत्याओं के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए।

हम अच्छे मित्र हो सकते हैं अर्थात् श्रीलंका भारत का अच्छा मित्र हो सकता है परंतु यह अलग मुद्दा है। हमें अपने साथी पड़ोसी देशों से मित्रता बढ़ानी होगी। जब भारत ऐसा करने का प्रयास कर रहा है तो वह कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है? पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे और वह क्या कर रहा है? नेपाल, बांग्लादेश और चीन के बारे में क्या कहेंगे? वे हमारे

साथ किस प्रकार की मित्रता निभा रहे हैं? इसी प्रकार, श्रीलंका क्या कर रहा है? वास्तव में, श्रीलंका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि वे भारत का मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं परंतु वास्तव में हमारे सच्चे मित्र नहीं है। भारत सरकार ने श्रीलंका गणतंत्र दिवस समारोह के लिए श्रीलंका के राष्ट्रनपति को निमंत्रण देकर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया। परंतु उनके रक्षा सचिव अपने देश में क्या कहते हैं? "हमारे कुछ और मित्र बन रहे हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं हमें वह करने की जरूरत नहीं है। उनके रक्षा सचिव ने हाल में यही कहा। इसके तत्काल बाद, श्रीलंका के राष्ट्रपति यह दर्शाने के लिए चीन गए कि वह भारत की अपेक्षा उनका अधिक मित्र है। यह देश यही कर रहा है।

इसीलिए आपने वह शीर्षक बदल दिया है जिसके माध्यम से हम जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में वास्तव में जो कहा गया है हम इसी पर चर्चा करना चाहते थे। हम इसी पर चर्चा करना चाहते थे। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में है। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि यह सब मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में है। ऐसा किस देश के बारे में है अथवा कहां हो रहा है, यह भूल जाइए। जहां कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम उसे भारत में उठाएं। इस मुद्दे को केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमरीका में भी उठाया गया था और उन्होंने इस बारे में एक संकल्प पारित किया था। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था और एक संकल्प पारित किया था। यदि हम इस मुद्दे पर विशेषकर उस समय जब मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला हो, तब संसद में इस पर चर्चा करने में क्या गलत है?

दूसरे, माननीय विदेश मंत्री ने हाल में एक वक्तव्य दिया है। मैं अपने विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में तीन बातों को अति महत्वपूर्ण मानता हूं। वह कहते हैं:

> "मई 2009 में श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष की लंबी अवधि की समाप्ति पर आंतरिक रूप से विस्थापित (आईडीपी) लगभग 3,00,000 व्यक्ति उत्तरी श्रीलंका में शिविरों में रह रहे है तथा इस संघर्ष के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना का काफी विनाश हुआ है"

उन्होंने यही कहा था सिर्फ इस युद्ध के कारण 3,00,000 तमिल विस्थापित हुए हैं। अलग मुद्दा है।

> "श्रीलंका में लंबे संघर्ष के अंत के बाद युद्ध से संबंधित प्रश्न भी उठे हैं। इस संघर्ष में हमने श्रीलंका में जवाबदेही के संबंध संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा गठित विशेषकर दल द्वारा जारी एक रिपोर्ट देखी है"

यह आपका वक्तव्य है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। यहां, आपने यह उल्लेख नहीं किया है कि विशेषज्ञ दल के निष्कर्ष क्या है। आपने केवल यह कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य पहलू वह है जो आपने तेरहवें संशोधन के बारे में कहा है। मैं आपके वक्तव्य से आगे और उद्धरण देना चाहता हूं:

> "श्रीलंका के हत्या क्षेत्र" नामक "चैनल" वृत्ति चित्र के प्रखण्ड के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया भी आती रही है।"

आपने इन सभी पहलुओं का उल्लेख किया है। इसलिए हमने इस मद्दे को उठाने हेतु सूचनाएं दी हैं। हमने स्वैच्छिक रूप से वे सूचनाएं नहीं दी हैं। हमने विदेश मंत्री के वक्तव्य के आधार पर ही तमिलों पर श्रीलंकाई सेना के अत्याचारों और उनकी हत्या विषय पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं।

मानवीय अध्यक्ष को शीर्षक को बदलने का पूरा अधिकार है। पीठासीन अधिकारी को विशेषधिकार है। परंतु साथ ही जब हमारे मित्र कुछ कह रहे हों तो आपको भी उनकी बात सुननी होगी। हम जानबूझकर किसी पड़ोसी देश की आलोचना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ऐसा इरादा नहीं है।

यहां हम इस पर केवल चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए इस संबंध में निर्वाचित सरकार द्वारा तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया था। आपको इसका सम्मान करना होगा। आप तमिलों के हित और उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लड़ाई हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यह भारत के सभी वर्गों की जनता की आकांक्षाओं की दर्शाता है क्योंकि अब न केवल तमिल बोल रहे हैं बल्कि भारत के सभी वर्गों की जनता बोल रही है वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही है। केवल तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरा भारत इसमें सम्मिलित है। आपको इस पर ध्यान देना होगा। इसीलिए, तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया हाल ही में विधानसभा गठित होते ही संकल्प लाई थी। वह जो पहला संकल्प लाई थी वह यह है। इसमें कहा गया है:

> "पेशरिग्नार अन्ना ने कहा है कि तमिल संस्कृति न किसी के अधीन होगी और न ही अन्य संस्कृतियों को अपने अधीन लाएगी।"

हमारा इरादा यह नहीं है। तमिल लोग ऐसे नहीं है। हम अन्य लोगों के प्रति मित्रता चाहते हैं। हम किसी अन्य लोगों के साथ शत्रुता नहीं चाहते। तमिलनाडु के हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पेशरिग्नार अन्ना की धारणा यही है।

"इस तरह की आदर्श संकल्पनाओं के साथ तमिल लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका में तमिलों के बीच भाषायी और सांस्कृतिक एकजुटता के बारे में सबको पता है"।

यह भावनात्मक संबंध है, वे पड़ोसी और मित्र हैं। उनके साथ हमारे नस्लीय संबंध भी है। केवल श्रीलंका में नहीं बल्कि अधिकांश जगहों पर, जहां भी तमिल हैं, उनकी अपनी संस्कृति है। हमारे देश का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करना है। हमें शांतिपूर्वक रहना होता है हमारी तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री सुश्री जयललिता जी ने कहा:

"यद्यपि श्रीलंका स्वतंत्र हो गया है लेकिन उस देश में रह रहे तमिलों के साथ हो रहे दोयम दर्जे के नागरिक के अन्याय के खिलाफ वे कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं।'

हमारा देश एक बहुभाषायी देश है। हमारे यहां विविधता होते हुए भी भारत देश एक है। हम सभी का सम्मान कर रहे हैं। यही भारतीय संस्कृति है। हम चाहते हैं कि सभी अल्पसंख्यकों का सम्मान हो। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार यह भी कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं। वहां के तमिलों के बारे में आपको क्या कहना है? उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है इसलिए वे उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।

"उनकी मांग के औचित्य की प्रशंसा करने के बजाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रीलंकाई तमिल अनिवार्य संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सम्मान, समान अधिकार और आत्म सम्मान के साथ जीएं, श्रीलंकाई सरकार उन्हें निष्कासित करने के लिए सभी कार्रवाई कर रही थी।"

बल्कि हम भी जब इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो वे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और तमिलों के निष्कासन को नहीं रोक रहे हैं।

फिर संयुक्त राष्ट्र पैनल की रिपोर्ट का क्या होगा? आपने उल्लेख नहीं किया है मैं तो कहना चाहता हूं उसका तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. जयललिता जी ने तमिलनाडु विधान सभा में संकल्प पारित किया है और उन्होंने उल्लेख किया है:

"संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव द्वारा गठित पैनल श्रीलंकाई सरकार के विरूद्ध निम्नलिखित गंभीर विश्सनीय आरोप मिले:

(एक) व्यापक गोलाबारी के माध्यम से नागरिकों की हत्या;

(दो) अस्पतालों और मानवीय वस्तुओं पर गोलाबारी;

(तीन) मानवीय सहायता से इनकार;

(चार) आंतरिक रूप से विस्थापित और संदेहास्पद लिट्टे कैडर संघर्ष के पीड़ित और बच गए दोनों के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन और

(पांच) संघर्ष क्षेत्र से बाहर जनसंचार माध्यम और सरकार के अन्य आलोचकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन।"

ये ऐसी बातें हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने पाया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। मुझे इसका उल्लेख किए जाने की उम्मीद थी लेकिन माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख नहीं किया। अत: तमिलनाडु की हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें यह कहा गया है:

"इसलिए यह विधान सभा भारत सरकार से यह अनुरोध करने का संकल्प लेती है। विवाह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मामले को उठाने और युद्ध अपराधों के लिए पाए गए दोषियों को अपराधी घोषित करे।"

हमारी सरकार इस कर्त्तव्य से बंधी हुई है। इस विधान सभा में इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अपराधी घोषित किया जाए, आपसे अनुरोध करने हेतु संकल्प पारित किया। यदि उन्होंने यह बिल्कुल नहीं किया है तो माननीय विदेश मंत्री जी यह कर सकते हैं। उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

"इसके अतिरिक्त यह विधान सभा भारत सरकार से यह अनुरोध करने का संकल्प लेती है कि वह शिविरों में अभी रह रहे तमिलों का उनके स्थानों पर पुनर्वास करने तथा सिंहली के समान सम्मानपूर्वक और अन्य समान संवैधानिक अधिकारों के साथ जीने, यह सुनिश्चित करने तक श्रीलंका सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए अन्य देशों के साथ कार्य करके कार्रवाई करने का संकल्प लेती है।"

यह संकल्प है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे मित्र श्री जसवंत सिंहजी ने कहा कि हाल ही में निर्वाचित तमिलनाडु सरकार ने पहला संकल्प पारित किया है। हमने बहुमत के बाद राज्य में सरकार बनाई है। यह संकल्प सात करोड़ तमिलों की आकांक्षा है। हम सरकार से इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस संकल्प पर विचार करें। हम किसी और चीज की मांग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सीमाएं जानते हैं। हम इसके बारे में भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से अनुरोध करेंगे। हम यही कह सकते हैं। इसलिए हम इस मामले को यहां उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं समयाभाव के बारे में जानता हूं। इसके बावजूद मैं आपसे थोड़ा बोलने के लिए

अनुमति देने का अनुरोध करूंगा। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल कुछेक बोतों को उद्धत करूंगा क्योंकि हमारे मित्र श्रीलंका में तमिलों की मुश्किलों का संपूर्ण वृत्तान्त पहले ही दे चुके हैं। मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि सिंहली तमिलों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपनी बात केवल यहीं तक सीमित रख रहा हूं कि हम क्या चाहते हैं।

जैसाकि हमारे मित्र ने कहा है कि श्रीलंका के रक्षा सचिव ने उक्त संकल्प और तमिलनाडु की हमारी मुख्य मंत्री भीमालोचना की है। मैंने यह मामला 'शून्य काल' के दौरान उठाया। यह एक निंदनीय बात है। हम किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं। जब यह संकल्प विधान सभा में पारित हुआ तो इसे केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया। मैंने शुरु में ही कहा कि इंडिया टुडे में यह कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में चेतावनी दी है और कहा कि श्रीलंका में युद्ध अपराधों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए थी। यहां तक कि अमेरिका ने भी ऐसा कहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं है। ब्रिटेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने भी यह विचार व्यक्त किया है। सभी देश इस प्रकार के मुद्दे को उठा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 40000 से अधिक तमिल नागरिक युद्ध के अंतिम चरण के दौरान मारे गए। श्रीलंकाई सेना पर 'सुरक्षित क्षेत्र' के रूप में विनिर्दिष्ट स्थानों पर गोलाबारी और बमबारी करने का आरोप लगाया गया। लेकिन वास्तविक अनुमान है कि एक लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। ऐसे स्थान, जहां अभी भी एक लाख लोग ठहरे हैं, कटीले तार लगे हुए हैं।

मैं अब कार्रवाई वाली बात पर आना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि सैन्य शिविर स्थापित करने के लिए श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों में तमिलों से भूमि अधिग्रहीत जा रही है। लेकिन कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। वे लोग कुछ और जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि वहां तमिल लोगों को डराने के लिए सेना को रखा जा सके। वे लोग यही सब कर रहे हैं। भारत सरकार यह दिखावा चाहती है कि वह भारत और श्रीलंका के बीच मिलों की समस्या को बीच में लाए बिना द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाना चाहती है। हम ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह देखना चाहती है कि यह समस्या अपने आप खत्म हो जाए। क्या यह भारतीय शासन की सोची समझी रणनीति है? मैं यह जानना चाहता हूं। आप इसे क्यों टालते जा रहे हैं। भारत श्रीलंका के साथ वहां रह रहे तमिलों की कीमत पर दोस्ती कायम करने की रणनीति पर चल रहा है। भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। उसका क्या हुआ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसे सही ढंग से खर्च किया है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि केवल 100 करोड़ रुपये दिये गए हैं और शेष 400 करोड़ रुपये सिंघली लोग ले गए। हम जो कुछ भी दे रहे हैं उसे दूसरे पक्ष को दे दिया जाता है।

एक बात और है। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी श्रीलंका गए थे तो वहां उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? इसके बारे में सभी को पता है। कांग्रेस के हमारे मित्रों ने बताया कि हमें अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं भी इस बात का सम्मान करता हूं कि अपने अतिथियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। जब श्री राजीव गांधी एक अतिथि के रूप में श्रीलंका गए तब उस दिन उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया ? जब वे गॉर्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के साथ सिंघली लोगों का ऐसा बर्ताव था। जब वे वहां अतिथि के रूप में गए तो उन्होंने उनको वहीं मारने का प्रयास किया। श्रीलंका ऐसा ही है। श्रीलंका दिखावा कर रहा है। मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था श्रीलंका हमें डरा रहा है कि यदि हम श्रीलंका के साथ मित्रवत् व्यवहार नहीं करते और यदि तमिल मुद्दे पर अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं तो वह चीन के साथ दोस्ती करेगा। वहां चीन पहले से ही मौजूद है। कुछ लोगों ने कच्चथीबू की चर्चा पहले ही की है। श्रीलंका कच्चाथीबू में क्या कर रहा है? उन्होंने चीनियों को उस क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दे रखी है। वहां पानी में मछली पकड़ने के नाम पर चीनी लोग श्रीलंका में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीलंका ने अपने यहां चीन के साथ बड़ी पूंजी निवेश कर समझौता किया है। चीन वहां कमोवेश अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वे वहां क्या कर रहे हैं?

जब श्री राजीव गांधी ने श्रीलंका का दौरा किया, उन्होंने जयवर्धने के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन का जिक्र था। क्या उन्होंने यह संशोधन किया है? राजीव-जयवर्धने समझौता के अनुसार वे पूर्वी और उत्तरी भाग का विलय करने वाले थे तथा यह सुनिश्चित करना था कि वहां तमिलों के रहने के लिए एक अलग क्षेत्र बन सके। क्या उन्होंने उस समझौता को लागू किया? 13वें संशोधन के अनुसार वे तमिलों को समान अधिकार भी देने वाले थे। क्या उन्होंने समानता का अधिकार प्रदान किया है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि माननीय जयललिता द्वारा पारित तमिलनाडु में पारित संकल्प को क्रियान्वित किया जाए। इसमें ये मांगे सम्मिलित है कि युद्ध अपराधियों को दंडित किया जाए, उन पर यू.एन. के माध्यम से मुकदमा चलाया जाए और उन पर प्रतिबंध लगायाा जाए।

हम यह अनुरोध करते हैं कि जब तक श्रीलंका के तमिलों का पुनर्वास नहीं हो जाता, वहां पर प्रतिबंध लगा रहे।

श्री टी.आर. बालू: (श्री पेरूम्बुदूर): महोदय, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव की भाषा को बदलने के बारे में कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय: उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूं। लेकिन प्रस्ताव के रूप में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रारंभ में यह प्रस्ताव डी.एम.के. द्वारा लाया गया था जिसकी भाषा इस प्रकार थी:

"40,000 और इससे अधिक श्रीलंकाई तमिलों की हत्या और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई तथा बाद की रिपोर्ट।" लेकिन अध्यक्ष महोदया, ने अपने विवेक से उसकी भाषा को इस रूप में बदल दिया। इसका कारण है कि विभिन्न पार्टियों का विभिन्न प्रकार का आकलन था। संभवत: वह इन चीजों को ठीक करना चाहते थे।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: श्री शेलेन्द्र सिंह का संकल्प भी इसी जैसा था। यह कैसे बदल गया है? इसे बदलने की अनुमति किसने दी?

***श्री पी. लिंगय** (तेनकासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान में श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकारों का हनन तथा उनके नरसंहार की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तमिलों को वहां समान अधिकार मिले तथा उनके साथ समानता का व्यवहार हो और मानवाधिकारों के उल्लंधनकर्त्ताओं को सजा मिले। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक और उपयुक्त कदम उठाए।

हम जानना चाहते हैं कि वहां पर अत्याचार क्यों किए गए? वहां क्या हो रहा है? 1956 से ही तमिल समानता और समान अवसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या 1956 में 35 प्रतिशत थी जो अब घटकर 24 प्रतिशत हो गई है। सरकारी सेवाओं में भी तमिलों की संख्या केवल 7 प्रतिशत है। इससे भी एक कदम आगे जाएं तो पाएंगे कि श्रीलंकाई सेना में तमिलों को कोई पद नहीं दिया जाता। उत्तरी और पूर्वी, दोनो प्रान्तों में उनके लिए निर्धारित 3 प्रतिशत भी उनको उपलब्ध नहीं है। अपने अधिकारों से वंचित होकर तथा समानता का अधिकार खोकर तमिल, जिन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1956 में शुरू किया गया उनका शांतिपूर्ण संघर्ष 1983 तक चलता रहा। शासन द्वारा उन पर गंभीर हमले के बाद उन्होंने हथियार उठाया था और यह संघर्ष अपरिहर्य रूप से सशस्त्र युद्ध में बदल गया जिससे हिंसक हमले शुरू हो गए। उसके बाद भी यह देश कई संघर्ष, लड़ाइयां युद्ध और यातनाओं से गुजरा है।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतरण

1983 में, जब सिंघली सेना ने तमिलों पर घातक हमले किए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रभावित तमिलों के लिए खाद्य सामग्री भेजी थी। मैं श्रीलंकाई सेना को सिंहली सेना कहना चाहूंगा क्योंकि इसमें तमिलों के लिए कोई जगह नहीं है। 1987 में जब स्थिति एक बार फिर खराब हो गई, हमारे लोक प्रिय प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी तमिलों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शांति संधि तैयार कराने हेतु वहां गए थे। उन्होंने उस समझौते में तमिल बहुल क्षेत्र उत्तर-पूर्वी दोनों प्रांतों को मिलाकर एक तमिल होम-लैड बनाने के लिए प्रावधान किया था। उस समझौते के तहत श्रीलंका के संविधान के दायरे में रहते हुए और स्वायत्तता के साथ उन्हें और अधिकार दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन संविधान में किए गए उस संशोधन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा श्री लंका सरकार द्वारा उसकी अनदेखी की गई। यह कहा गया कि वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने इस खारिज कर दिया था। यहां तक की आज भी वहां तमिल दूसरे दर्जे के नागरिक बन कर रहे रहे हैं। 1,46,000 से अधिक श्रीलंकाई तमिलों की सरकारी तंत्र द्वारा तथा संघर्षों में हत्या कर दी गई। 5 लाख से ज्यादा तमिल अपने घरों से भाग गए हैं और विश्व के कई देशों में शरण लिए हुए हैं। केवल भारत में ही 1.5 लाख से ज्यादा श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को विभिन्न शरणार्थी शिविरों में रखा गया है। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस मामले की अनदेखी क्यों कर रही है और हमारे पड़ोस में कष्ट झेल रहे तमिलों के कारणों के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा रही है और यद्यपि यह इतने लम्बे समय से चल रहा है और यह ऐसे समय पर हो रहा है जब हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की धरोहर का दावा करते हैं और एक ऐसे संविधान का दावा करते हैं जिसमें हमारे चारों ओर समानता स्थापित करने की दिशा में हमारी भूमिका का उल्लेख है। मैं अपनी आशंका व्यक्त करना चाहता हूं और इस सम्मानीय सभा में इसे दर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश की सरकार अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही है। जिनका हमारे देश के साथ सांस्कृतिक संबंध है और जो शीघ्र ही किसी दिन हमारे विरूद्ध उठ खड़े होंगे। हम बार-बार श्रीलंका से कह रहे हैं कि श्रीलंका हमारा भिन्न राष्ट्र है। वहां गृह युद्ध की समाप्ति पर उस देश के राष्ट्रपति ने कहा था कि उनकी जीत भारत की भूमिका के कारण ही संभव हो सकी। राष्ट्रपति जिन्होंने इस ग्रह युद्ध में अपना विजय का जोर शोर से प्रचार किया, कहा था कि उस युद्ध में जी के लिए भारत की पूरी मदद और वित्तीय सहायता मिली। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि हमारे देश ने श्रीलंका की मदद कैसे की। यह नोट किया जाना चाहिए कि श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है और हम इसमें सबसे नजदीकी पड़ोसी हैं। हमें यह भी नोट करना चाहिए कि श्रीलंका अन्य सभी देशों से दूर अवस्थित है इसलिए इसका कोई शत्रु नहीं है। यदि भारत ने श्रीलंका को अस्त्र-शस्त्र और उपकरण दिए हैं तो हमें अवश्य ही यह याद रखना चाहिए कि भविष्य में इसका

मेरे विरूद्ध ही इस्तेमाल किया जाएगा। हम केवल यही कह रहे हैं कि यह एक मित्र देश है। जब बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए भारत-पाक युद्ध हुआ था तब पाकिस्तानी सेना के लिए श्रीलंका ने अपनी जमीन को बेस के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तब युद्धक विमान हमारे हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड रहे थे। श्रीलंका सदैव हमारे हितों के खिलाफ काम करता रहा है। आज भी ऐसी रिपोर्ट है कि श्रीलंका में चीनी और पाकिस्तानी सैन्य शिविर और संस्थान हैं। मुझे नहीं पता हम अभी भी श्रीलंका को अपना भिन्न राष्ट्र कैसे कह रहे हैं।

मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों और निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का संज्ञान लेते हुए संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के आदेश से एक तीन सदस्यीय यू.एन. पैनल को वहां भेजा गया था। उस यू.एन. पैनल की रिपोर्ट में वहां पर मानवाधिकारों में उल्लंघन और युद्ध अपराधों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। उस पड़ोसी देश के शासन के खिलाफ अनेक देशों ने आवाज उठाई है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की है। 47 से अधिक देशों ने इस संबंध में एक संकल्प पारित किया है। ऐसे समय में जब हम सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, हमें इन 47 देशों द्वारा पारित संकल्प को ध्यान में रखना चाहिए जो श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा युद्ध अपराधों के संबंध में है। मुझे भय है कि हमें स्वयं को विश्व के समक्ष इतना कमजोर नहीं बनाना चाहिए जो यह पूछ सके कि जो राष्ट्र अपने पड़ोस में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकता वह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की मांग कैसे कर सकता है। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह 47 देशों द्वारा पारित उस संकल्प का समर्थन करे। उस द्वीपीय राष्ट्र में स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए कम से कम इस अवसर का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए।

हाल में तमिलनाडु की विधान सभा में इस संबंध में एक सर्वसम्मत संकल्प लाया गया। इसमें यह भी कहा गया था कि श्रीलंका के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध लाया जा सकता है। इसे एक स्थायी समाधान हेतु श्रीलंका को समझौते के लिए सहमत करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु की सरकार का अनुसरण करने का अनुरोध करता हूं तथा इसी प्रकार का एक संकल्प पारित करने तथा इसे भारत की संसद में पारित कराने का अनुरोध करता हूं। हम अपने पड़ोस में मानवाधिकारों के उल्लंघन को चुपचाप नहीं देख सकते और हहमें यह समझना चाहिए कि यह तमिलनाडु 7.5 करोड़ लोगों की पीड़ा जो श्रीलंका के तमिलों के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीलंका में तमिलों के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र संभव सकारात्मक कदम उठाए।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाने वाली किसी भी संभावित कार्रवाई के आड़े न आए बल्कि वह विश्व के कुछ अन्य देशों द्वारा इसके विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई का समर्थन करे। भारत सरकार श्रीलंका में तमिलों के लिए न्याय सुनिश्चित करे। यू.एन. पैनल के निष्कर्षों पर आधारित 47 देशों के संकल्प का भारत द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों को समानता और समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हमें वहां पर एक निश्चित भूमिका अदा करनी होगी और श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

भिन्न राष्ट्र के नाम पर श्रीलंका अपनी मनमानी नहीं कर सकता और भारत बहुत दिनों तक मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। श्रीलंका भारत के खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए हमें श्रीलंका पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें श्रीलंका के साथ अपने राजनायिक संबंधों की समीक्षा करने की जरूरत है और इस बात का पूरी तहत पता लगाना होगा कि श्रीलंका हमारा वास्तविक मित्र है अथवा नहीं। भारत एक विशाल देश है और उभरती हुई शक्ति है और किसी के द्वारा हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें अपने एक ऐसे छोटे से पड़ोसी राष्ट्र के हाथ स्वयं को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसे हम अपने मित्र राष्ट्र मानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सावधानी बरते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री ए. गणेशमूर्ति** (इरोड): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सहयोगी जो मुझसे पहले हैं उन्होंने श्रीलंका में मौजूदा व्याप्त स्थिति और वहां तमिलों की दुर्दशा के बारे में इस सम्मानित सभा का ध्यान आकृष्ण किया है। मैं विशेषकर बीजू जनता दल के श्री पाटसाणी द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होनें तमिलों और उनकी समस्याओं को अपना अभिन्न अंग माना है। लगभग उन सभी ने इस बात को दोहराया है कि श्रीलंकाई तमिलों के साथ उस देश में दोयम दर्जे के नागरिकों का व्यवहार किया जाता है। जैसाकि श्री टी.आर. बालू और तम्बिदुरई द्वारा यह सही बताया गया है कि समस्या हाल फिलहाल की नहीं है। जब भारत को अपनी आजादी मिली तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग पाकिस्तान की आवाज उठाई और इसलिए भारत का विभाजन हुआ और दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अंग्रजों ने तमिल और सिंहली द्वारा शासित दो अलग राष्ट्रों पर शासन किया। जब अंग्रेजों ने स्वीकृत सिलोन छोड़ा जो अब श्रीलंका है तो वहां दो राष्ट्र नहीं थे। यह

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतरण

भी नोट किया गया कि तमिलों ने अंग्रेजों से संपूर्ण एकीकृत देश हेतु आजादी पाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तमिल केवल सत्ता का और सत्ता में भागीदारी अंतरण चाहते थे और उन्होंने उस समय अलग देश की मांग नहीं की। अब वे अपने किए हुए कार्य की सजा पा रहे हैं।

1956 से आज तक वे आंदोलन कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे है। उनका संघर्ष जिसकी एक शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलन के रूप में शुरूआत हुई, की बहुसंख्यक सिंहली द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई और उनके विधायी अधिकारों को नहीं माना गया तथा उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में निरंतर बर्ताव और समान अधिकार नहीं प्रदान किए जाने तथा उन पर सशस्त्र सेनाओं द्वारा हिंसक हमलों ने तमिल युवकों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। असहाय होकर उन्होंने हथियारों और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता आख्तियार किया। अब हम अपने आपको ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां लिट्टे का नाम लेना भी अनुचित समझा जाता है। विश्व अब इसे अपनी आंखों से देख रहा है। अनेक देशों ने यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि श्रीलंका में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। संयुक्त राष्ट के तीन सदस्यों वाले पैनल ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि वहां विश्व के कई देशों के द्वारा हथियारों की आपूर्ति सहायता से नरसंहार किया गया है। श्रीलंका सरकार ने तमिलों के मानवाधिकार का उल्लंघन किया है और वहां युद्ध अपराध की जैसी स्थिति पैदा हो गई है। श्रीलंका सरकार ने जेनेवा कन्वेशन द्वारा निषिद्ध प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग करके तमिलों का सफाया किया है। यह कैसा समाधान है? मैं अन्य लोगों द्वारा दिए गए तर्कों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिल आतंकवादियों ने श्रीलंकाई प्राधिकारियों के चंगुल से तमिल बहुल क्षेत्र को मुक्त कराया और वे तमिल ईल्स के नाम से अपना एक अलग राष्ट्र चला रहे थे। भारत उनका सफाया करने के लिए श्रीलंका की सहायता के लिए सबसे आगे था। अब वहां कैसी स्थिति है अब हम इस मामले को उचित ढंग से उठाने में भी हिचकते हैं। यदि हम अपनी आवाज उठाने पर भी आशंकित है तो वहां तमिलों की हितों की रक्षा करने वाला कौन है? यहां तक कि जब पूरा विश्व तमिलों के साथ अपनी सहानुभूति जताने के लिए अपनी आवाज उठा रहा है तो लेकिन हम अभी भी इस मामले में पीछे हट रहे हैं अभी हम उस सम्मानित सभा में इस सरकार द्वारा श्रीलंका में तमिलों की सहायता के लिए उठाये गए पुनर्वास उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो दिन पहले श्रीलंकाई संसद में भी इसी तरह की चर्चा हुई। तमिल नेशनल एलायंस के एक संसद सदस्य श्री श्रीन्द्रन ने यह कहते हुए अपने यहां की संसद में यह आवाज उठाई कि अज्ञात लोग निर्दोष तमिलों पर उनके रिहायशी क्षेत्रों में हमला कर रहे हैं। पूर्व में जो भय व्याप्त था अब वह उत्तर तक फैल गया है। इस तरह के हिंसक सशस्त्र हमलावर खुलेआम शस्त्र के साथ भी आ जाते हैं और वे बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों पर हमला कर देते हैं और जब उनका पीछा किया जाता है तो वे भाग जाते हैं और बिना किसी जांच के सैन्य शिविर और पुलिस स्टेशनों में घुस जाते हैं। जब शिकायत की जाती है तो निर्दोष लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। यह किस प्रकार का न्याय है। जाफना क्षेत्रों में, जहां लोग भयभीत रहते हैं, इस तरह की धटानाएं किलोनची में फैल चुकी है और भारतीपुरम में जहां लोग अज्ञात लोगों के अप्रत्याशित हमले की आशंका से पूरी रात नहीं सोते हैं। श्रीलंका में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है जहां तमिल बिना किसी सुरक्षा और संरक्षा के भयभीत होकर जीते हैं। जब वहां इस तरह की स्थिति हो जैसाकि उनके संसद में बताया गया तो हम भारतीय संसद में सहातया के बारे में बात कर रहे है जो हमने तमिलों के पुनर्वास हेतु उन्हें प्रदान की है लेकिन यह सहायता जरूरत मंदों तक नहीं होती है। हमारी सभी राहत सामग्री जरूरतमंद तमिलों तक नहीं पहुंची है। इसके लाभार्थी कौन हैं। क्या हम यह पता लगाने की स्थिति में है क्या हमारे द्वारा दी गई सहायता का वास्तव में निर्धारित प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वहां मौजूद वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विश्व के देशों का शिष्टमंडल वहां नहीं जा सकता है। मौजूदा वहां जो लोग गए हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि तमिलों को श्रीलंकाई सरकार से केवल उदार सहायता दी जा रही है कि उन्हें अस्थायी तंबू बनाने के लिए 4 खंभे तथा तिरपाल प्रदान किया गया है।

भारत सरकार सीमेंट और अन्य सामग्री के कई थैलों में उन्हें भेजी गई सामग्री और वित्तीय सहातया की बार-बार प्रशंसा कर रही है। लेकिन विस्थापित तमिलों के लिए बनाए जाने वाले घर उठकर उन्हें नहीं मिल रहे हैं। सच्चाई यह है कि सिंहलियों को उन निर्मित घरों में बसाया जा रहा है। सिंहलियो को श्रीलंका सरकार द्वारा शरणबद्ध तरीके से तमिल बहुल क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। यह निर्बाध रूप से हो रहा है। श्रीलंकाई सरकार द्वारा जो युद्ध छेड़ा गया वह आतंकवाद समाप्त करने के लिए नहीं था बल्कि यह उस द्वीपसमूह राष्ट्र के मूल निवासी तमिल प्रजाति को समाप्त करने के लिए था। उन्होंने यह युद्ध उस राष्ट्र से तमिल प्रजाति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मात्र इरादे से पूरा किया था। भारत सरकार ने इसमें उनकी सहायता की थी।

भारत ने उन्हें शस्त्र प्रदान किए। यह बीजद सदस्य द्वारा भी बताया गया था जो मुझसे पहले 1989 में श्रीलंका में तमिलों के प्रति किए गए बर्ताव के बारे में बोले थे। हमारे नेता वाइको और श्री बालू जैसे माननीय सदस्य इस सभा में पहले भी इसके बारे

में चर्चा कर चुके हैं। हमारी आवाज इस सरकार द्वारा अनसुनी कर दी गई। आपने उन्हें वित्तीय सहायता दी, आपने उन्हें शस्त्र प्रदान किए आपने अपनी सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों को भी भेजा था, आपने अपने देश की नौसेना की अधिसूचना जानकारी हासिल करने के लिए उनके साथ समझौता भी किया। भारत ने आतंकवादियों की उनके अधिकारों के लिए संघर्ष में सहायता हेतु विश्व के देशों के पोत डुबाने के लिए अपने जंगी नौसेना को भी भेजा था।

इस सरकार ने हमारे भाइयों, हमारे रक्त संबंधियों और हमारी जाति के व्यक्तियों को समझपत करने उनका नरसंहार करने के कार्य का समर्थन किया है जिनका हमारे साथ अविच्छिन्न संबंध रहा है। श्रीलंका ने स्वयं ही घोषणा की कि भारत उनके साथ था और तमिलों के विरूद्ध लड़ाई में उनकी मदद की जो कि और कुछ नहीं बल्कि नरसंहार था। भारत ने तो श्रीलंका के खिलाफ 17 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष लाए गए प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। आज भी, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ पैनल रिपोर्ट में उल्लिखित श्रीलंका सरकार द्वारा किए गए नरसंहार, मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा युद्ध अपराध का भी संज्ञान नहीं लिया है। यहां तक कि जिस समय विश्व के सभी देशों की आंखे खुल चुकी हैं और वे अपने आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, भारत सरकार ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली है। वे अब तक नरसंहार के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। परंतु अब श्रीलंका सरकार बिना हथियारों के सुनियोजित तरीके से नरसंहार कर रही है।

श्रीलंका सरकार जो दावा कर रही है कि युद्ध समाप्त होने के साथ उन्होंने लिट्टे का पूरी तरह से सफाया कर दिया है, नरसंहार जारी रखे हुए है। तमिलों को अपने मूल निवास क्षेत्र से खदेड़ा जा रहा है। उन्हें अपने घरों को लौटने की इजाजत नहीं दी जा रही है। श्री श्रीधान ने श्रीलंका की संसद में इस ओर ध्यान दिलाया कि किल्लीनांची क्षेत्र में तमिलों का लगभग पूरा सफाया हो चुका है। यहां तक कि बट्टीकोला क्षेत्र में भी मूल रूप से तमिलों के लिए बने घरों से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। यहां तक कि अब सशस्त्र सेना रात के अंधेरे में लोगों को धमका रही है। सरकार द्वारा किए गए लम्बे-चौड़े वादों के बावजूद कि उन्होंने आतंकवाद का सफाया कर दिया है, तमिलों के जान-माल सुरक्षित नहीं है।

मैं निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा एक और नृशंस कृत्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल के गद्दारों को नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और उन्हें भारत लाकर भारत के संसद सदस्यों के द्वारा उनसे बातचीत की जा रही है। कांग्रेस सदस्य द्वारा बताया गया कि कल वे अनसे मिले थे। हम कहां जायें? तमिलनाडु में अशांति है। आपको वहां के लोगों की संवदेना समझनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की मिली जुली बड़ी चाल है कि हो-हल्ला मचा कर सच को छिपाया जाए। मेरा आरोप है कि यह श्रीलंका सरकार की हमारी सरकार से सांठगांठ कर श्रीलंका में बसे तमिलों को हमेशा के लिए पूर्णत: समाप्त किए जाने की योजना है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह श्रीलंका सरकार के नापाक इरादों के चंगुल में न फंसे।

अपराह्न 3.00 बजे

भारत सरकार को यह समझना चाहिए कि उन्होंने इन वर्षों में मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के नाम पर बहुत हो चुका। श्रीलंका में तमिलों के ऊपर काफी अत्याचार होने दिया और उन्हें समाप्त होने दिया। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि श्रीलंका में एक ऐसी जाति को शिकार बनाया जा रहा है जो कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्सों में रहने वाले तमिलों के निकट है। कृपया श्रीलंका सरकार के साथ मित्रता के नाम पर तमिलों का बलिदान न दें। सम्प्रभुता केवल लोगों के ऊपर सरकार का शासन नहीं है परंतु यह सरकार में लोगों की आस्था भी है। लोगों को निश्चित रूप से यह अवश्य होना चाहिए कि उनका संरक्षण किया जा रहा है और उनकी सरकार द्वारा उनके हितों की सुरक्षा की जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तमिलों की भावना को समझे जिन्होंने भारत सरकार की सम्प्रभुता में अपनी आस्था व्यक्त की है।

हम एक बहुत पुरानी जाति हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि "काल खेंदरा मान थोंदरा कला थे,

मुन थोंदरि मुठा कुदी" इसका अर्थ यह है कि हमारी तमिल जाति एक प्राचीन जाति है जो पाषाण युग से भी पहले इस धरती पर आए थे। केवल श्रीलंका के साथ मित्रवत संबंधों के लिए आपने कचारिवू उन्हें थाली में परोस कर दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका नौसेना द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। कृपया तमिल जाति को हमेशा के लिए पूरी तरह सफाया करने में श्रीलंका को मदद न करे। भारत की सम्प्रभुता में हमारे विश्वास को जारी रखने और उसे बचाए रखने में हमारी सहायता करें। कृपया तमिलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर चीजों को निपटाने के तरीकों में बदलाव लाएं और हमारी भावनाओं को समझते हुये तद्नुसार कार्य करें।

तमिल ईलम के निर्माण के बगैर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मै। सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जनमत-संग्रह के लिए कदम उठाए जैसा कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कतिपय देशों में किया गया है। श्रीलंका के सभी तमिलों को मतदान करने और अपना भविष्य चुनने की अनुमति दी जाए।

श्रीलंका के सभी तमिलों की भागीदारी, जो इस द्वीप पर रहते हों तथा वे जो विश्व के विभिन्न स्थानों पर रहे रहे हैं के साथ एक आम जनमत संग्रह कराया जाए। हाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में इस बात की पुष्टि हुई है। वहां के तमिलों की पृथक तमिल ईलम की आंकाक्षा प्रतिबिम्बित हुई थी। यह नोट किया जाना चाहिए कि तमिल ईलम की हिमायती पार्टी की जीत हुई है। इसलिए, तमिल ईलम के बारे में निर्णय किए जाने के लिए जनमत-संग्रह किए जाने की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह निकट भविष्य में इस प्रकार के जनमत संग्रह करवाए जाने में सहायता करे। इससे भारत में मुख्य तमिल भूमि में रहने वाले तमिलों का विश्वास भारत सरकार की सम्प्रभुता में बना रहेगा।

इसके साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अपराह्न 03.04 बजे

[**श्री इंदर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति देने हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नियम 193 के अधीन इस चर्चा में भाग लेकर प्रसन्न हूं जिसे हमारे माननीय सदस्य श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाया गया था। इस चर्चा की विषय-वस्तु में सुधार किया गया था और इसे श्री तम्बिदुरई सहित कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुमादित किया गया ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय मुझे इस पर आपत्ति है। इस पर चर्चा नहीं की गयी थी।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: आप भी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: यही कारण है कि मैं इस पर आपत्ति कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चौधरी यहां इसका संदर्भ दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री अधीर चौधरी: उन्होंने इसका संदर्भ दिया था और इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया। इस पर बीएपी के सदस्यों के साथ परामर्श कर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि कुछ भी आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री तम्बिदुरई आप कहते हैं कि इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा नहीं की गई थी।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय, वह सभा को गुमराह कैसे कर सकते हैं?

सभापति महोदय: तो विषय का शीर्षक कैसे बदल दिया गया था?

डॉ. एम. तम्बिदुरई: इसीलिए मैंने इसे उठाया और इस पर आपत्ति की। इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा नहीं की गई।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: यह माननीय अध्यक्ष का स्वविवेक है और यही नहीं कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों से परामर्श करके...*(व्यवधान)*

श्री एस. सेम्मलई (सेलम): परामर्श नहीं किया गया था. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री तम्बिदुरई, चूंकि यह परिवर्तन माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसलिए मेरे विचार से कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय, यह अलग है। वह सदस्य के नाम पर क्यों ला रहे हैं...*(व्यवधान)*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, माननीय अध्यक्ष को इसमें परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्षा ने अपने विवेकानुसार इसमें परिवर्तन किया है, वह आपत्ति क्यों उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: यह सदस्यों से परामर्श करके नहीं किया गया था...*(व्यवधान)*

श्री एस. सेम्मलई: इसमें परिवर्तन कैसे किया गया?... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डॉ. तम्बिदुरई आप क्या कहना चाहते है?

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय मैं, सिर्फ स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के साथ परामर्श करके परिवर्तन किया गया था। यह गलत है। मैं पहले ही कह चुका हूं। मैंने उस समय कहा था कि माननीय

अध्यक्ष का स्वविवेक है। मैंने अलग प्रकार की सूचना दी है परंतु इसमें परिवर्तन किया गया है। मेरा विरोध यही है। परंतु माननीय सदस्य ने कहा कि यह कार्य सदस्यों के साथ परामर्श से किया गया था। यह गलत है। मैंने यही कहा था और मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए...*(व्यवधान)* वह इस प्रकार से सभा को गुमराह नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: परिवर्तन करना माननीय अध्यक्ष के क्षेत्र अधिकार में है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैंने जो कहा था वह यह है कि वह भी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमने पिछला प्रस्ताव भी पढ़ा जो उस प्रस्ताव से बिल्कुल अलग था जिस पर चर्चा चल रही। परंतु जब माननीय अध्यक्ष ने अपनी सहमति दी तो मेरे विचार से समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, माननीय सदस्यों हम विभिन्न अपने प्रारूप में अनेक प्रस्तावों पर सूचनाएं देते हैं। अब अंतिम प्रारूप जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। आज उस पर चर्चा चल रही है। आपने सही कहा, जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो आप इस पर विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चौधरी आप कृपया विषय पर बोलिए।

श्री अधीर चौधरी: श्रीलंकाई तमिल मुद्दे के संबंध में किसी को राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह मेरा पहला तर्क है।

सभापति महोदय: श्री चौधरी एक मुद्दा वह है। चूंकि मामला अति संवेदनशील और भावनापूर्ण है तो मेरे विचार से अन्य राज्यों के माननीय सदस्यों को भी और अधिक बोलना चाहिए। यह केवल तमिलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस मामले से पूरे देश का संबंध है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, यह मुद्दा श्रीलंकाई तमिलों से जुड़ा है। हम ईमानदारी से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि पाक स्ट्रेट तक शांति बहाल हो जाए। श्रीलंका में तमिलों का बसना एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। हम इससे इंकार नहीं कर सकते। अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंता के अतिरिक्त मैं तमिल नेताओं और साथ ही भारत सरकार का भी ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 1980 में जब वहां गृह युद्ध छिड़ा तो उस समय लाखों श्रीलंकाई तमिलों की श्रीलंका से पलायन करना पड़ा और उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में बसना आरंभ किया। प्रवासी तमिलों ने अपने कौशल, बुद्धि और गतिशीलता के दम पर अपना भाग्य निर्धारित किया है। परंतु अब गृह युद्ध समाप्त हो चुका है। इसलिए, मेजबान देश जिसने दशकों पूर्व तमिल प्रवासियों का आतिथ्य सत्कार किया था अब वह उन्हें उनके मूल स्थान अर्थात् श्रीलंका प्रत्यर्पित करने का प्रयास कर सकता हैं। यहां, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रवासित तमिलों का उनके अपने मूल देश में पुनर्वास किया जाना चाहिए। मैं सरकार से इसकी जांच करने का अनुरोध कर रहा हूं।

मैं यदि मैंने सही समझा है अपने पूर्व माननीय विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा की गई इस टिप्पणी पर थोड़ी अपील व्यक्त करता हूं कि भारत सरकार तमिलों की समस्या को समझ नहीं पा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी देश के पूर्व विदेश मंत्री होने के नाते उन्हें कूटनीतिक युक्ति चालन की सीमाएं पता होनी चाहिए। यदि यह सही है कि इस बाते से इंकार नहीं किया जा सकता कि शत्रुतापूर्वक पड़ोसियों से घिरे हैं। यह भी सच है कि हमारा विदेशी माहौल हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है। पहले ही, हमारे शत्रु पड़ोसी द्वारा हमें घेरने की नीति बनाई जा रही है। अत:, हमें सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखना होगा।

जब 60 के दशक में हिंदी भाषा की अवधारणा लागू करने की बात हुई तो तमिलनाडु में विरोध हुआ परंतु यह स्थिति गृह युद्ध में परिवर्तित नहीं हुई परंतु जब जातीय तमिलों पर सिंहली भाषा लागू की गई तो श्रीलंका में यही स्थिति देखी गई, इसका विरोध हुआ। इससे सभी प्रभावित हुये और सबका नुकसान हुआ यह पहले से युद्धग्रस्त श्रीलंका में गृहयुद्ध की स्थिति में परिवर्तित हुई जिसने पहले ही विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। हम युद्धग्रस्त देश के बाद के प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। इसी कारण हमारे अति प्रिय नेता श्री राजीव गांधी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस देश के हिस्से में षडयंत्र रचकर उनकी हत्या की गई थी। इसीलिए हमें कोई कदम उठाने से पूर्व इस राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, वर्ष 1974 में कच्छथीबू द्वीप श्रीलंका के लिए छोड़ दिया गया था। श्री जसवंत सिंह जी द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया था। ऐसा अपने पड़ोसी देश के प्रति सद्भावना दर्शाने के लिए था कि छोटे से कच्छथीबू द्वीप को इस शर्त पर छोड़ गया था कि भारतीय मछुवारों को अपने मत्स्यम जाल उस द्वीप में सुखाने का हक होगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: हमने ब्रिटिश स्टेशन चैनल-4 पर दिखाए गए श्रीलंका नृशंस हत्या प्रकरण को देखा है। इससे हम सभी भयभीत हुए। यह एक अन्याय और बर्बरतापूर्ण कर्म है।

महोदय, वर्ष 1987 में हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने शांति के हस्तांतरण हेतु श्रीलंका सरकार के साथ एक समझौता किया था। मैं संबधित मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 13वें संशोधन और अंतरण पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है जिसका उस समझौते में प्रस्ताव किया था क्योंकि हमें पता चला था कि विलय के मुद्दे को निरस्त कर दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अंतरण पैकेज और 13वें संशोधन को तमिल नैशनल अलायंस की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए उस देश की सलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। सच्चाई यह है कि जिस दिन हमारे माननीय मंत्री ने संसद में यह वक्तव्य दिया कि श्रीलंका में तमिल लोगों के मामले में तेजी से प्रगति हो रही है, उसी दिन श्रीलंका सरकार और तमिल नैशनल अलायंस के बीच वार्ता विफल हो गई ...*(व्यवधान)*

सभापित महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय: मैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति कुमारतुंगा जी द्वारा कही गई कुछ पंक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूं। ''श्रीलंका का चौथा कार्यकारी राष्ट्रपति कौन था, वर्तमान राष्ट्रपति के बड़े विरोध में कौन आया है (कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया) उसे श्रीलंका के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों में मिल नागरिकों के के लिए उकसाने वाली ताकत माना जाए। जिसके परिणामस्वरूप दो वर्ष पूर्व संभवत: 1,00,000 से अधिक व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक बेहरमी से हत्या के रूप में हुई जिसमें अधिकांश नागरिक थे।''...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त की कीजिए। नाम को लोप किया जाए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, हम यह जानने के लिए बड़े चिंतित हैं कि श्रीलंका में तमिल लोगों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। महोदय हम नहीं चाहते कि तिब्बत में हमलों की पुनरावृत्ति हो हम तिब्बत वाली स्थिति की अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में पुनरावृत्ति नहीं चाहते। इसीलिए सरकार को श्रीलंका में लंबे समय से चल रही तमिलों की समस्या का निपटारा करने हेतु अपने संसाधनों और अपनी रोजनयिक कुशलता का पूरा उपयोग करना चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों:, नियम 193 के अधीन इस चर्चा पर बोलने के लिए चार और वक्ता है। जो सदस्य अपने लिखित भाषण सभापटल पर रखना चाहें रख सकते हैं। कार्यवाही वृत्तांत का भाग माना जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, यह ह्दय विदारक ग्रंथ है। श्री वी.आर. कृष्ण अय्ययर हमारे यहां जज हुए हैं, इसमें से मैं कुछ पंक्तियां कोट करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

''मुझे भेजी नई पुस्तक में तस्वीरों से हमलों में लोगों की दयनीय स्थिति का पता चलता है और तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत रक्तपात ने मेरी नींद उड़ा दी है। क्या आदमी इस हद तक जानवर बन सकता है कि वह छोटे बच्चों की हत्या करे, लड़कियों का बलात्कार करे, पुरुषों और महिलाओं को विकलांग करे और नरसंहार करे?

सिन्हला लोगों की अमानवीयता है। महात्मा बुद्ध जो कि सर्वोत्तम मानव है। सिन्हल अवतार भगवान बुद्ध प्रकाश, दयालुता, मानवता, दया, चमत्कारपूर्ण संघीय शासन व्यवस्था के द्वारा पुर्नावास करे। कोई भी बुद्ध अच्छा नहीं है। शांति बुद्ध नहीं है।

''सत्यमेव जयते''

[हिन्दी]

यह श्री कृष्ण अय्यर ने लिखा है। वहां तमिलों पर जो अत्याचार हुआ है, उसके बारे में ही इसमें सब है। मैं आज सदन को यह समर्पित कर दूंगा। आज से करीब 55 साल पहले जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे, तो भूगोल में पढ़ाया जाता था कि हिन्दुस्तान और श्रीलंका दो देश हैं, लेकिन हिन्दुस्तान का नक्शा जब बनता है तो उसमें श्रीलंका भी जरूर रहता है। पुराने जमाने में दोनों का फोटो एक साथ दिखाया जतता था। अब नहीं दिखता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दुस्तान से श्रीलंका का संबंध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अपनेपन का रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यहां से सम्राट अशोक का लड़का महेन्द्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे। तब से वहां पर बुद्धीज़्म है। चौथी शताब्दी में जब फाह्यान हिन्दुस्तान आए थे तो उन्होंने लौटते हुए श्रीलंका में सेमिनार किया था। वहां बुद्धीज़्म का जिक्र हुआ था। भारत और श्रीलंका की सांस्कृतिक मित्रता है, लेकिन वहां तमिलों पर जुल्म हो रहा है। वहां यूनाईटेड नेशन की टीम गई, जिसने इसकी छानबीन की और दुनियाभर के मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि तमाम तमिलों को एलटीटीई मानकर जुल्म किया जा रहा है।, वहां की आर्मी और सरकार के द्वारा उनको सरकार का कोई प्रोटैक्शन नहीं है। उनको मार कर उनकी संख्या को घटा दिया गया है। आर्मी के अटैक में 40 हजार सिविलियन तमिल मारे गए। सभी तमिलों के साथ एलटीटीई मान कर व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें आतंकवादी माना जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन से एक दल वहां

गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी। इसी पर तमिलनाडु विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है। मैं स्पैसिफिक बात जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने यूएनओ की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की? क्या उस रिपोर्ट को पढ़कर कुछ विचार-विमर्श किया गया है? दूसरी बात, भारत की डिप्लोमैसी कहां है? भारत-श्रीलंका मित्र हैं, मित्र हैं, लेकिन वहां तमिलों को मारा जा रहा है। यह कैसा मित्र है? मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी डिप्लोमैसी कहां है, कहां है उनका व्यवहार? भारत सरकार ने वहां के तमिलों को बचाने के लिए क्या किया? वहां तमिलों पर हो रहे अत्याचार से क्या वह बेखबर हैं?

इन्हें खबर ही नहीं है कि वहां तमिलियन्स पर जुल्म हो रहे हैं। यह सवाल नम्बर दो है कि क्या हुआ? उनके राहत और पुनर्वास की व्यवस्था का क्या हुआ? वहां लोग विस्थापित हो गए, वे बाहर में रह रहे हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी आबादी करीब 30 लाख होगी। पुराने ज़माने में जो लोग नाव से वहां चल गए होंगे, वे ज़ाफना और उसके अगल-बगल में बसे हुए हैं। तमिल संस्कृति बहुत पुरानी है। महोदय, आपने संत तिरूवल्लुवर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तिरूवल्लुवर का तिरूक्कुरल ग्रंथ है, जिसको पढ़ने से दुनिया के लोगों को यह संदेश जाता है कि मानवता क्या है और मानवता की सेवा कैसे की जानी चाहिए। कहां है वहां मानवाधिकार? कहां है यू.एन.ओ. और वह क्या कर रहा है? हमारी सरकार क्या कर रही है? इसलिए हम इस पक्ष में हैं कि यहां भी भारत के संसद से सर्वसम्मत संकल्प पारित किया जाना चाहिए कि वहां तमिलियन पर जोर और जुल्म बंद हो, उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, उनके मानवाधिकार की रक्षा हो। हमारे अगल-बगल के पड़ोस में जुल्म हो और हम चुप बैठे रहेंगे? वहां तिब्बत में चाइना वाले तिब्बतियों पर जुल्म कर रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं हम चुप कैसे बैठे रहेंगे। हमारे अगल-बगल के मुल्क में मानवता पर हमला होगा और यहां हिन्दुस्तान में हम चुप बैठे रहेंगे। हमारे यहां चुप बैठने की संस्कृति नहीं है। यहां के आम नागरिक इस बात को अपने व्यवहार में लाते हैं कि 'मैं उस देश का वासी हूं, जिस देश में गंगा बहती है'यहां लोग कहते है कि अतिथि जो हमारा होता है, वह जान से प्यारा होता है, 'अतिथि देवो भव:'। अगल बगल के मुल्क के लोगों की संस्कृति और उनकी भाषा पर हमले हो रहे हैं। श्री बालू साहब अभी भाषण दे रहे थे कि वहां सब किताबों को जला दिया गया। तमिल संस्कृति हमारीबहुत पुरानी संस्कृति है। उसका एक-एक ग्रंथ है। हस्तलिखित किताब, ताम्रपत्र सबको जला दिया गया। महोदय, इस किताब में भी उसका वर्णन है। इसलिए इस किताब को हमने उलट-पलट कर सरसरी निगाह से देखा है। इसको जिन्होंने तैयार किया है, उनका नाम मैं बता देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

दस्तावेज पैनी क्यूईक पब्लिकेशन्स का पहला प्रयास है। जॉन पैनी क्यूइक औपनिवेशक भारत में कार्य करने वाले ब्रिटिश इंजीनियर हैं। वह एक महान मानवतावादी थे। उन्होंने अपने प्रयासों से वर्ष 1895 में तमिलनाडु राज्य, भारत में मुल्लाखैरियार बांध का निर्माण किया।

[हिन्दी]

उसने मेहनत करके इस किताब को तैयार किया है। मैं जस्टिस कृष्णा अय्यर की रिपोर्ट पढ़ चुका हूं।

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, जरा आप इधर देखिए। आप आसन की ओर देखकर बोलें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी महोदय, मैं आपको सुना रहा हूं। यहां जिज्ञासा जाहिर की गयी कि क्या ग्रंथ है? यह ग्रंथ हृदय विदारक है। वहां महिलाओं और बच्चों पर कितना जुल्म हुआ, यह देखते से कलेजा फटने लगता है।

[अनुवाद]

डॉ. ऐलिन शंकर ने अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन से स्नातक किया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक समस्यओं का उपचार करने हेतु सहायता करने के लिए 'टीचिंग माइंड बॉडी कनेक्शन' को समर्पित "हीलिंग सेमीनार की स्थापना की।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: धन्यवाद। आप गिनती भूल जाते हैं, मैं क्या करूं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, बस दो पंक्ति और हैं।

[अनुवाद]

तमिल लोगों को श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा मताधिकार से वंचित किया जा रहा है यह अन्याय बंद होना चाहिए। तमिलों को अपने देश में सुख समृद्धि के साथ रहने दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीतुंगा जयसूर्या कौन हैं? यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। ये वहीं के हैं जहां हमारे खानदान के लोग समूह में होंगे।

[अनुवाद]

वह तमिलों के मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक स्पष्ट रूख अपनाया है। उन्होंने द्विभाषीय पत्र अकनुमा शुरु किया है।

[हिंदी]

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, ये पुस्तक हमें भी मिली है और अन्य माननीय सदस्यों को भी मिली है। मैंने भी इस पुस्तक को पढ़ा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री विराज मेंडीस कौन है?

[अनुवाद]

श्री विराज मेंडीस जर्मनी में शरणार्थी संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष हैं।

[हिन्दी]

भारत सरकार को आगे आना चाहिए, यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु विधानसभा का संकल्प जो पारित हआ, बालू साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिया, इस पर भारत सरकार आगे आकर तमिलों के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। भारत दुनिया में, यूएनओ में तमिलों की संस्कृति के ऊपर उन्हें बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए सवाल उठाए, यही हमारी मांग है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं, सरकार साफ-साफ बताए कि ये क्या करने जा रहे हैं? भारत की डिप्लोमेसी कहां है?...*(व्यवधान)* तमिलों की रक्षा की जाए, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): मैं नियम 193 के अधीन चर्चा-श्रीलंका में तमिलों को राहत और उनका पुनर्वास चर्चा में कुछ सुझाव देना चाहता हूं:

(क) भारत को श्रीलंका में रह रहे तमिलों के जीवन की रक्षा करने हेतु श्रीलंका सरकार के एक पार्क समझौते के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए।

(ख) हमारी विदेश नीति के अनुसार तटवर्ती क्षेत्र की परंपरा की रक्षा की जांच की जानी चाहिए ताकि तमिल समुदाय के मछुवारों को राहत मिल सके और उनके पुनर्वास हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सके।

****श्री नृपेन्द्र नाथ राय** (कूच बिहार): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे इस सम्मानीय सभा में श्री बालूजी द्वारा नियम 193 के अंतर्गत लाए गए प्रस्ताव पर बोलने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। हम बहुत लंबे समय से श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से और श्रीलंका की भाषा, संस्कृति और धर्म एक जैसा है। प्रत्येक देश में अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना बहुसंख्यक आबादी का दायित्व है। भारतीय मूल के तमिल हजारों वर्षों से द्वीपसमूह राष्ट्र में रह रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1956 में स्वायत्तता, आत्म निर्णय, भाषा, शिक्षा और रोजगार हेतु आंदोलन की शुरूआत की थी। लेकिन श्रीलंका सरकार ने उनेक अधिकारों को मान्यता नहीं प्रदान की और उन्हें लिट्टे आतंकवादी की संज्ञा दी। सभी श्रीलंकाई तमिल आतंकवादी नहीं है। उनसे वे कुछ लोग अनजान रूप से भटक गये लेकिन उनमें से अधिकांश साधारण लोग हैं। वर्ष 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने आतंकवाद को कुचलने के नाम पर उनका उत्पीड़न और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हम सभी श्रीलंका के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध चाहते हैं, हम उस देश के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। हम किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी देश की आंतरिक नीति को आतंक के साये में नहीं आनी चाहिए और भारत को आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने में विश्वास नहीं है। लेकिन जैसाकि माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने अभी उल्लेख किया और जैसाकि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा दी जा रही रिपोर्ट के अनुसार द्वीपसमूह राष्ट्र की सरकार द्वारा तमिल नागरिकों पर अत्याचार किया जा रहा है। लिट्टे आतंकवादियों के सफाए के नाम पर वहाँ मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है। श्रीलंका के किसी भी अस्पताल में आप जाइए तो आप पांएगे कि श्रीलंकाई सेना द्वारा किए गए हमले के बाद सैकड़ों असहाय तमिल जख्मी पड़े हुए हैं। इन लोगों को अपराधी के रूप में नामकरण कर दिया गया है। श्रीलंकाई तमिलों को मूल आवास स्थलों से विस्थापित कर दिया गया है। भारत सरकार को इस मामले को गंभीरता से सुलझाना चाहिए। तमिलों के विकास हेतु भारत द्वारा भेजे जाने वाले अनुदान वास्तव में लक्षित समूह तक नहीं पहुंच रहे हैं।

श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। यद्यपि हमें श्रीलंका के साथ अपने संबंध में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत को वहां होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय के विरूद्ध अपनी आवाज उठाने का प्रयास करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इस मुद्दे को शीघ्र और पुरजोर रूप से प्रकाश में लाया जाना चाहिए।

श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी हमारे अच्छे पड़ोसी देश हैं और हमें प्रत्येक देश के साथ अपने संबंधों को

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतरण।

प्रोत्साहित और सुदृढ़ करना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य यूरोपीय देशों की रिपोर्ट सदमा पहुंचाने वाली हैं और तमिल नागरिकों पर अत्याचार की घटनाएं हृदय विदारक हैं इस प्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे मामले को श्रीलंकाई सरकार के साथ उठाएं और मौजूदा संकट के सौहार्द्रपूर्ण समाधान निकालें। भारत को भी इस मसले को सुलझाने के लिए एक उचित नीति अपनाने की आवश्यकता है तथा मानवाधिकार के उल्लंघन तथा घोर अन्याय जो श्रीलंका में हो रहा है के विरूद्ध आवाज उठाने हेतु एक दृढ़संकल्प की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अवसर के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कुछ लोग और भी बांग्ला में बोलेंगे तो आसन को भी समझने में सुविधा होगी।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदय, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और हमारे उस देश के साथ पुराने संबंध हैं। हम इतिहास का भाग होने के नाते इस बात से अवगत हैं कि अशोक ने अपने दूत को उस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने हेतु भेजा था। भारत और श्रीलंका मित्र राष्ट्र हैं। लेकिन आप हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो वहां मानवाधिकार और घोर उल्लंघन की घटना से जुड़ा है। हम जानते हैं कि युग समाप्त हो चुका है लेकिन आम आदमी के अधिकारों को अभी भी सेना की सहायता से किसी भी तरह कुचला जा रहा है। उत्तरी और पश्चिमी श्रीलंका तमिल बहुल क्षेत्र हैं। सेना नागरिकों को उनके पैतृक घर से हटाने का प्रयास कर रही है और उन पर हमला कर रही है तथा उनका बुरी तरह उत्पीड़न कर रही है। यद्यपि युद्ध समाप्त हो चुका है तथा एक युद्ध की तरह स्थिति अभी भी पैदा की जा रही है और तमिलों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं।

पूरे विश्व के शांतिप्रिय लोग जो लोकतांत्रिक रूझान वाले हैं को अब अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। यह उचित समय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट जिस तरह सामने आ रही है हमें दुःखी करती है और सदमा पहुंचाती है। उसमें कहा गया है क 40,000 से अधिक तमिलों को युद्धोपरान्त परिदृश्य में श्रीलंकाई सरकार द्वारा संहार किया जा चुका है। भारत सरकार को तत्काल अन्याय के विरूद्ध आवाज उठानी चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने अपनी आवाज उठाई हैं। अब हमारी बारी है क्योंकि हमारे लोग कष्ट में हैं। मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाना चाहिए।

इस स्थिति की शुरूआत 1956 में हुई थी। भारी संख्या में तमिल श्रीलंका में रहते हैं लेकिन उनके साथ सदैव दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जाता है। हर तरह से उन्हें वंचित रखा गया है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में तमिलों का कोई दखल नहीं है और कोई प्राथमिकता नहीं है। भारत सरकार से जो सहायता भेजी जानी है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। उनके लिए अधिक अनुदान नियत की जानी चाहिए।

भारत में साढ़े सात करोड़ से ज्यादा तमिल लोग हैं। उनकी एक समृद्ध संस्कृति, धरोहर और भाषा है। वे अच्छे लोग हैं और उनको इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। लेकिन श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक समझा जाता है। इसलिए भारतीय सरकार को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पैसा श्रीलंका को भेजा जा रहा है। उसे वास्तव में तमिलों के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विदेश मंत्रालय द्वारा भी उस पर दबाव बनाया जाना चाहिए। जिससे श्रीलंका में रहने वाले हमारे तमिल भाइयों को कुछ मदद और राहत मिले। हमारे विदेश मंत्रालय और सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें इस संबंध में अवश्य कुछ करना चाहिए।

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्दिष्ट): श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार हमारे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। श्रीलंका में कृषि के संवर्धन और औद्योगिक प्रगति को तेज करने में श्रीलंका के तमिलों का योगदान काफी रहा है। लेकिन, तमिलों के प्रति श्रीलंकाई सरकार की सोच अच्छी नहीं है और इस सोच के कारण तमिलों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी जानकारी पूरे विश्व को है।

अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि श्रीलंकाई सेना और तमिल संगठनों के बीच के संघर्ष में हजारों निर्दोष तमिल अपनी जानें और सम्पत्ति खो चुके हैं और अब वे ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो हमारा कर्त्तव्य है। कोई भी समाज जिसमें नजर में मानवाधिकारों का मूल्य है, उसे इस विषय पर सोचना चाहिए। भारत सरकार को श्रीलंका में तमिलों की जान-माल की हानि का आकलन करना चाहिए तथा तमिलों को उनके घरों

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतरण

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए।

आज समय की मांग है कि राजनयिक स्रोतों के माध्यम से तमिलों की समस्याओं के अंत के लिए प्रयास किए जाएं और उनके लिए ऐसा माहौल वहां बनाया जाए कि वे शांति और सम्मान के साथ जी सकें।

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय मैं अंतर्राष्ट्रीयतावाद की सच्ची भावना में विश्वास करता हूं। मैं महसूस करता हूं। कि तमिल समुदाय की हमारी बहनें और भाई जिनकी श्रीलंका में हत्या हो गई, वे हमारे अपने लोग थे। वे हमारे माता-पिता हैं। मैं तो भारतीय लोगों को तमिलों, केरलवासी, बंगाली, काश्मीरी, गुजराती आदि के श्रेणी में नहीं बांट सकता। मैं समझता हूं कि सभी भारतीय हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। हम व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारतीय भाग के लोग हैं।

लिट्टे से लड़ने के नाम पर श्रीलंकाई सेना द्वारा 1983 से हाल के दिनों तक ही श्रीलंका में तमिलों की भयावह निर्दयतापूर्ण और अमाननीय रूप से हत्या हुई है। श्रीलंकाई सेना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं और प्रतिज्ञापत्रों को ताक पर रखकर का उल्लंघन हुआ। हजारों तमिल बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की हत्या कर दी गई उन्हें अपंग बना दिया गया और बच्चों को अनाथ बना दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार चार्टर को एकदम खारिज कर दिया गया और ऐसा एक कथित सभ्य सरकार द्वारा किया गया है। मैं पुरजोर शब्दों में श्रीलंकाई सरकार के इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं।

यह घटना हमें अबू गरीब और गुआटानामों खाशि की जेलों में अमेरिकी साम्राज्यवादी बलों द्वारा उत्पन्न डर, आतंक और अमाननीय पीड़ा की याद दिलाता है। यह हमें अमरीकी सेना द्वारा वियतनाम में किए गए नरसंहार तथा पूर्व यूरोपीय देशों और जर्मनी में फासिवादी एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार की याद दिलाता है। यह हमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय की नृशंसेता, बर्बरता और युद्ध अपराधों की याद दिलाता है।

महोदय, हमें लिट्टे की मांगों और उनके द्वारा अपनाए गए रास्ते पर कुछ मत भिन्नता हो सकती है। लेकिन श्रीलंका के तमिलों की स्वायत्तता, जातीय पहचान समानता और गैर-तमिलों के साथ उनके अधिकारों की अनुमति उनकी संरक्षा और संवर्धन अवश्य किया जाना चाहिए। उनकी संस्कृति, भाषा, मूल्यों और जातीय पहचान को संरक्षण और सम्मान प्रदान किया चाहिए और उन्हें श्रीलंकाई सीमाओं के भीतर अपना भविष्य बनाने तथा अपनी प्रगति के बारे में निर्णय करने का अधिकार दिया जाए।

भारत सरकार को उनके पुनर्वास, विशेषकर आर्थिक मामला श्रीलंका सरकार के साथ उठाना चाहिए। जिन लोगों की हत्या कर दी गई है, जो अपंग हो गए हैं या जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गई है उनकी अंतर्राष्ट्रीय मानकों अनुसार पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जाए। जो लोग विस्थापित हो गए है, यदि वे चाहते हैं तो उन्हें पुनः श्रीलंका में वापस बसाया जाना चाहिए।

श्रीलंका में तमिलों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी से राजनीतिक चर्चा की जानी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा देश जहां बौद्ध संस्कृति और प्रभाव बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है वहां पिछले तीन दशकों से रक्त पात हो रहा है और बार-बार नीले समुद्री तट को रक्त रंजित बना रहा है। उसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीलंका एक पूंजीवादी देश है और हमारे जैसा सार्क का एक सक्रिय सदस्य है। यह भी विश्व के अन्य पूंजीवादी देशों की भाति ही पूंजी संबंधी संकट से ग्रस्त है। आज हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वही लोकतांत्रिक देश जो स्वतंत्रता मातृत्व, समानता की बात करता था और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव जाति के सर्वांगीण विकास का पक्षधर था, साम्राज्यवाद के संकट की घड़ी में मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का दमन कर रहा है। मानवतावाद, मानवीय मूल्य और सामाजिक आचार से रहित पूंजीवाद की असलियत सभी के सामने आ गई है।

सभापति महोदयः मंडली जी, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह चर्चा भारत सरकार द्वारा तमिलों के पुनर्वास से संबंधित है।

डॉ. तरूण मंडलः महोदय, मुझे पता है। मैंने इसका उल्लेख किया है। मैं पनुः इसका उल्लेख करता हूं। इस संदर्भ में, मैं बताना चाहता हूं कि श्रीलंकाई सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों जोकि तमिल भी हो सकते हैं के विरूद्ध अपनी सेना का प्रयोग किसी भी सभ्य समाज द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारे देश में भी विभिन्न जातीय, प्रांतीय, धार्मिक, भाषाई और आर्थिक रूप पिछड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक शक्तियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है जो समस्या को और जटिल बना रहे हैं। जैसा कि श्रीलंका की सरकार कर रही है, सैन्य शक्ति का प्रयोग समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनैतिक बातचित ही इसका समाधान हो सकता है।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं। मैं संकट ग्रस्त पूंजीवादी देश इस दमनकारी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई बार इस प्रकार की आंतरिक समस्याओं को बनाए

रखना चाहते हैं ताकि इस प्रकार से जाति, विश्वास, धर्म और जातीयता के आधार पर विभाजित लोग एक होकर ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सकें। केवल एक सच्चे समाजवादी और साम्यवादी समाज में ही हम मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को रोक सकते हैं और इस प्रकार की जातीय समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): आदरणीय सभापति जी, श्रीलका में तमिलों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं एवं बच्चों को भी हैरान परेशान किया जा रहा है। श्रीलंका हमारा अच्छा पड़ोसी है। हमारा दोस्त है, हमारे संबंध अच्छे हैं फिर भी तमिलों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, फिशरमैनों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उनके राहत पुनर्वास एवं कल्याण के लिए हमारी सरकार को त्वरित कार्यवाही करके उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम): सभापति महोदय, तीन सप्ताह के सतत् प्रयास के बाद हमने अंततः यह चर्चा कराने में असफलता प्राप्त की जिसमें श्रीलंका के तमिलों के कष्टों को उजागर किया गया है। मैं पीठासीन अधिकारी को इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। अब हम भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। हम अत्यंत आशावान हैं और यह विश्वास करते हैं कि केवल भारत सरकार ही श्रीलंकाई तमिलों के मामले में सकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप करके उनकी संरक्षा और-सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। हम भारत के लोग सही मायने में इस देश के नागरिक के रूप में ईलम के तमिलों के हितों का समर्थन करते हैं और इस मुद्दे को सम्मानीय सभा में उठा रहे हैं। हम कुछ अविलम्बनीय आवश्यकताओं को सभा के समक्ष रखना चाहते हैं। केवल भारत ईलम के तमिलों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। चूंकि हम सभी यह आशा करते हैं कि केवल भारत सरकार के ईमानदार प्रयासों से ही वहां की समस्या का स्थायी समधान और शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए हम सरकार से हम बार-बार अपील कर रहे हैं। यह केवल तभी संभव है जब भारत सरकार मानवीय सहायता प्रदान करें।

हमारे माननीय विदेश मंत्री ने इस सम्माननीय सदन में अपने वक्तव्य में उल्लेख किया कि दो सप्ताह पहले लगभग 50 हजार घर आंतरिक रूप से विस्थापित तमिलों के पुनर्वास के लिए बनाए जाएंगे और लगभग हजार घरों की नींव का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। पर सच्चाई इसके विपरीत है और इन दो वर्षों में 100 आवास भी नहीं बनाए गए हैं। कुछ भी नहीं किया गया है क्योंकि पहले से ही विद्यमान घरों को गिरा दिया गया और श्रीलंका की सशस्त्र सेना ने उन भूमियों और प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है। एक प्रश्न के उत्तर में कि किस प्रकार हमारी भारत सरकार ऐसी स्थिति बनाने में पसफल होगी जिसमें कि वहां पर तमिलों की सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी होगी। मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सीमाओं में बंधना पड़ रहा है। हम इस पर अपना क्रोध व्यक्त करते हुए रो भी नहीं सकते। हम वह कह नहीं पा रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। हम स्वयं कोई विषय चुनकर उस पर बोल भी हो सकते। यह दुःखद है कि इस सभा में भी हमें स्वतंत्रता नहीं सकते जिस क्षण यह घोषणा की गयी कि श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा इस सदन में उठाया जाएगा, इस सम्मानीय सदन के 20 प्रतिशत से अधिक सदस्य सभा से चले गए। यह निसहाय तमिलों की दुःखद दशा के प्रति इस सरकार, इस सभा का रवैया दर्शाता है। मुझे निःसन्देह विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को देखकर राहत मिली है जिन्होंने श्रीलंका में तमिलों की दयनीय स्थिति के बारे में हमारी भावनाओं से जुड़े विचारों को व्यक्त किया है। क्या हम उनके लिए रो नहीं सकते? क्या हम तमिलों के वैधानिक अधिकारों के बारे में बात नहीं कर सकते? हमने पहले ही 2 लाख लोगों को खो दिया है। 15 लाख से अधिक तमिल पूरे विश्व में निराश्रितों और शरणार्थियों के रूप में भटक रहे हैं। सिंहली लोगों ने आक्रामण तरीके से तमिलों के गृह देश, मूल निवास क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। एक लाख से अधिक औरतें विधवा हो गयी हैं। 15,000 से अधिक लोग विकलांग हो गए हैं। एक लाख से अधिक छात्र स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। भारत सरकार उन्हें किस प्रकार की सहायता दे रही है? 500 करोड़ रुपए की अनुकम्पा सहायता से उनके आंसू नहीं पोछे जा सकते। इससे बहाए गए खून को पोंछा नहीं जा सकता। उनके लिए एक पृथक गृह देश की स्थापना से ही स्थायी समाधान निकल सकता है। केवल तमिल ईलम देश की स्थापना से ही स्थायी समाधान हो सकता है और हम भारत सरकार से इसका समाधान करने की आशा करते हैं।

जब हमारी सरकार, हमेशा श्रीलंकाई सरकार के समर्थन में रही, तो उन्होंने उसका सही प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्होंने कभी भी ईमानदारी से किसी भी समझौते को लागू नहीं किया। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी देश जिनसे हमारा मनमुटाव रहा है, उनसे निकट सम्पर्क बनाया। परंतु हमारे तमिल लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। 1927 में जब महात्मा गांधी श्रीलंका गए, केवल तमिलों ने ही फूलों का गुलदस्ता देकर उनका गर्मजोशी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतरण

से स्वागत किया था। तमिलों ने गांधीजी को अपना पिता माना। उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन को अपनाया और वहां पर तमिल राष्ट्रीय कांग्रेस भी शुरू किया। जब कभी भी भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ तमिलों ने हमेशा भारत का पक्ष लिया। तमिल जब भी भारत को जीतते देखते थे वे पटाखे छोड़ते थे और उत्सव मनाते थे। श्रीलंकाई तमिलों ने हमेशा भारत को अपना गृह देश माना और मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि उन लोगों की भारत सरकार द्वारा उपेक्षा की गयी। न केवल श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले तमिल बल्कि सैंट्रल हिल प्रोविंस में रहने वाले तमिल भी बंधुआ मजदूर की तरह दयनीय अवस्था में रह रहे हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसे इस तथ्य की जानकारी है कि इस द्वीप की सरकार ने सेंट्रल हिल रितन के तमिलों की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए वर्ष 1964 में किया गया शास्त्री-श्रीमावो समझौते को अधर में ही छोड़ दिया। आज भी वे वहां पर राज्य विहीन निराश्रित लोगों की तरह रह रहे हैं जिनके पास नागरिक और मतदान का अधिकार नहीं है।

हमारे मछुआरे कट्चाटिबू टापू के निकट नहीं जा पा रहे हैं जो उन्हें इस समझौते के आधार पर दिया गया कि मछली पकड़ने का हमारा अधिकार बना रहेगा। भारतीय मछुआरों पर बार-बार हमला हो रहा है और भारत सरकार ने एक बार भी गंभीरता से इसकी निंदा नहीं की। पिछले 25 वर्षों में 300 से अधिक भारतीय तमिल मछुआरे मारे जा चुके हैं 300 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं मैं इस सम्मानीय सभा में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार और क्यों हमारी उपेक्षा की जा रही है। क्या यह इसीलिए है कि हमारी शक्तिशाली सरकार किसी चीज से डरी हुई है या तमिलों तथा उनकी समस्याओं के बारे में कभी भी चिंता नहीं करती है? हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा अपमान होना ही है। हमने भारत सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और हम हमेशा भारत का हिस्सा बने रहेंगे, हम इस देश को सीमा के भीतर रह रहे हैं और हम इस देश का हिस्सा हैं। इस विश्वास के आधार पर मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वे हम तमिल मामले को हमारी भावनाओं की अनदेखी किए बिना जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं।

भारत में तमिल जाति एक राष्ट्रीय जाति के रूप में है और यह एक प्राचीन जाति है जिसका एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास रहा है और भारत में उनकी संख्या लगभग साढ़े सात करोड़ से अधिक है तथा 10 करोड़ से अधिक तमिल विश्व भर में विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं।

हम सभी तमिलों की ओर से भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह श्रीलंका में युद्ध अपराधों और मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में संयुक्त राष्ट्र पैनल की रिपोर्ट पर ध्यान दे और भारत सरकार वहां पर तमिलों के कल्याण में गहरी रूचि दिखाए। तमिलनाडु विधानसभा ने इस संबंध में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार इसके बारे में अब तक मौन क्यों हैं? हमें मानवतावादी दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार युद्ध के दौरान लाखों मिलों की हत्या के समय मूक दर्शक बनी रही। मुल्लीवइक्कल में दिन दहाड़े $1^1/_2$ लाख तमिलों की हत्या कर दी गई और जब यह नरसंहार हो रहा था उस समय पूरा विश्व और भारत इसे देख रहे थे।

सभापति महोदय: यदि युद्ध आपत्तिजनक है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए।

श्री थोल तिरूमावलावन: नरसंहार के अपराधी और उन व्यक्तियों*(व्यवधान)...** पर युद्ध अपराधों के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें कड़ा दंड दिया जाना चाहिए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित नामों को हटा दिया जाना चाहिए।

श्री थोल तिरूमावलावन: भारत की जनसंख्या 120 करोड़ है जब कि श्रीलंका की जनसंख्या केवल 1 करोड़ है। इतना शक्तिशाली भारत अब भी अपना दबदबा रख सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो हमें अपनी पूर्णशक्ति के साथ हस्तक्षेप करने पर विचार करना चाहिए। हम उनसे डरे हुए क्यों हैं? हमें क्या आशंका है? तमिल लोगों को उनके मूल निवास स्थान भेजा जाना चाहिए। हमें अभागे तमिलों की भूमि और संपत्ति लेने के लिए उनकी सशस्त्र सेना द्वारा चलाई जा रही दमन कार्रवाई को बंद करना चाहिए। उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है। हिंदू के पूजा स्थलों को तोड़ जा रहा है। वे उनके बजाय वहां पर बुद्ध बिहार बनाना चाहते हैं। तमिलों की संस्कृतिक पहचान को मिटाया जा रहा है। उन्होंने तमिलों की बस्तियों में घरों को ढहा दिया है। अंग्रेजी में इसे वे 'नेनोसाइडल अटैक' कहते हैं।

सभापति महोदय: वह क्रांतिकारी वक्ता हैं।

श्री थोल तिरूमावलावन: वहां इस प्रकार की ज्यादती हो रही है। 21वीं सदी क्र सबसे बड़े *(व्यवधान)...** ऐसे लोगों की खुद अपराधों हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाना होगा।

सभापति महोदय: नामों और अन्य आपत्तिजनक शब्दों का हटाया जाना चाहिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री थोल तिरूमावलावन: श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग से राज्य बनाए जाने पर ही हम वहां पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। जब राजीव गांधी थे तो उन्होंने प्रभावित तमिलों हेतु खाद्य सामग्री भेजने का सहासिक निर्णय लिया। मैं वर्तमान सरकार से अग्रह करता हूं कि वह ऐसे साहसिक निर्णय ले। हमें वहां पर तमिलों हेतु अलग राज्य बनवाना होगा। यदि आवश्यकता हो तो हमें सैनिक हस्तक्षेप का सहारा लेना चाहिए। केवल भारत ही अलग तमिल ईलम बनवा सकता है। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि कुछ भी आपत्तिजनक है तो उसे हटाया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित नामों को हटाया जाना चाहिए। वह क्रांतिकारी वक्ता है। नाम और अन्य आपत्तिजनक शब्द हटाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): माननीय सभापति महोदय श्रीलंका तमिल बंधुओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वह काफी निदंनीय है। यह मेहनत से अपने परिवार के लिये धनोपार्जन करते हैं वहीं अपनी संस्कृति को भी पोषित करते रहते हैं किंतु वह पिछले 3 दशकों से काफी संकटों का सामना कर रहे हैं उन्हें उनके रोजगारों से छीना जा रहा है उनके मकानों में घुसकर सामूहिक नरसंहार किया जा रहा है। वृद्ध बच्चे एवं महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है हमने हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार किया है। बंगलादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारी सरकार एवं लोगों ने काफी योगदान दिया अत: जो तमिल श्रीलंका में रहे रहे रहे हैं भारत को गंभीर प्रयास करके वहां की सरकार से बात कर उनको पुनर्वास एवं संरक्षण दिलाना चाहिये।

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): माननीय सभापति महोदय, यह एक अत्यंत खेद की बात है, जो हमारे तमिलियन पर वार किया गया है वह सचमुच में मानवाधिकार का हनन करने के बराबर है। आज हमारे देश के लोग विश्व के सभी भागों में अपने रोजी रोटी के लिए अपने व्यापार के लिये फैले हुए हैं।

सभापति महोदय एक मनुष्य का अधिकार होता है कि वह किसी देश भी देश में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है।

मैं यहां केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन तमिलों के ऊपर जो श्रीलंका के द्वारा अत्याचार किया गया है, उसे रिसेटलमेंट और उचित न्याय का प्रावधान करें।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, श्रीलंका में तमिलों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों और उनके कल्याण को बढ़ावा देने हेतु किए नए अन्य उपायों के लिए नियम 193 के अधीन चर्चा पर बोलने पर अवसर देने हेतु धन्यवाद।

गृह युद्ध के बाद श्रीलंका सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह श्रीलंका में मुस्लिम तमिलों को उनके अपने पुनर्वास करेगी।

अत: मानवीय आधार पर भारत सरकार ने अत्यंत प्रभावित तमिल भाषी लोगों के पुनर्वास हेतु भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये दिए।

हमारी सरकार को श्रीलंका सरकार से तमिल भाषी लोगों के पुनर्वास हेतु 50,000 मकानों का निर्माण करने का आग्रह करना चाहिए जिसके लिए हमने धनराशि आबंटित की है। तमिल लोगों को श्रीलंका में पूरी आजादी और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। श्रीलंका सरकार को यह समझना चाहिए कि तमिल भाषीय व्यक्ति उनके नागरिक अर्थात श्रीलंकाई नागरिक हैं। श्रीलंका सरकार को अपने देश में स्वयं सिंहलियों और तमिलों के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए। श्रीलंका में तमिलों के ऊपर सैनिक नियंत्रण को हटाया जाना चाहिए।

भारत का श्रीलंका के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध होना चाहिए। शांतिपूर्ण ओर मैत्रीपूर्ण निपटारा करना श्रीलंका सरकार की भी जिम्मेदारी है।

कट्यटीर के निकट मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न भारतीय मछुआरों को श्रीलंका नौसेना और श्रीलंकाई मुछआरें बार-बार मार डालते हैं। इस प्रकार की समस्या समाप्त होनी चाहिए। हमारी सरकार को भारतीय मछुआरा समुदाय की रक्षा करने हेतु मैत्रीपूर्ण समझौता करना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

चूंकि श्रीलंका पड़ोसी देश है इसलिये हमारी सरकार को सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिये। साथ ही, हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह श्रीलंका सरकार को तमिल लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने तथा आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये बसाने हेतु मानवीय आधार पर व्यवस्था करने के लिये सलाह दे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का इस अत्यंत आवश्यक मुद्दे से इस सम्माननीय सभा में तथा श्रीलंका के तमिल लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं से संबंधित अनेक आवश्यक मुद्दों को उठाने हेतु धन्यवाद करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: सभापित महोदय, माननीय विदेश मंत्री को आकर इस चर्चा का उत्तर देना है। यह अत्याधिक महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील मुद्दा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अध्यक्षपीठ उनके उत्तर देने पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि वे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, स्पष्टीकरण संबंधी अनेक प्रश्न होंगे। क्या विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री के लिये उनका उत्तर देना संभव होगा?

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: महोदय, माननीय विदेशमंत्री उत्तर समाप्त होने से पहले आ सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बालू, आप भी मंत्री थे। यह मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: इस चर्चा की समाप्ति के समय माननीय विदेश मंत्री यहां पर मौजूद नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर दूसरे सदन में भी चर्चा हो रही है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर बालू: यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*। तब हमें बाहर जाना चाहिये।

सभापति महोदय: मुझे नहीं लगता यह व्यवस्था का सही प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: संबंधित केन्द्रीय मंत्री को आना है। जब मैंने यह प्रस्ताव पेश किया था तब भी वे यहां पर नहीं थे। अतः चर्चा समाप्त होने के समय भी वे यहां पर नहीं है।

सभापति महोदय: श्री बालू, यह अच्छा होता कि केन्द्रीय मंत्री यहां होते। परन्तु राज्यमंत्री को भी बोलने का पूरा अधिकार है।

श्री टी.आर. बालू: नहीं, हम उनके स्थान पर राज्यमंत्री से उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं...*(व्यवधान)*। उन्हें आकर इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री ई. अहमद: महोदय, वे राज्यसभा में हैं...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: कृपया मेरी बात सुनिये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बालू जी, मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: उन्हें आकर उत्तर देना चाहिये। इसे जारी रखने का कोई अन्य तरीका नहीं है...*(व्यवधान)* जब मैंने प्रस्ताव पेश किया था तो उस समय भी केन्द्रीय मंत्री यहां पर मौजूद नहीं थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मैं बोल रहा हूं। कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइये। कृपया गरिमा बनाये रखिये।

नारायणसामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा तथा राज्य सभा में श्रीलंका के संबंध में चर्चा चल रही है। अब, माननीय केन्द्रीय मंत्री राज्य सभा में वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। वे वहां पर बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: लोक सभा किसी भी तरह अधीनस्थ नहीं है।

श्री वी. नारायणसामी: ऐसा नहीं है...*(व्यवधान)*

महोदय, इसके अतिरिक्त, नियमों के तहत राज्य मंत्री उत्तर देने हेतु पात्र हैं...*(व्यवधान)* अन्यथा भी, राज्य मंत्री भी उत्तर देने हेतु पात्र है

सभापति महोदयः जी, हां।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः डॉ. तम्बिदुरई, आप बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं। श्री बालू स्वयं भी मंत्री थे। अब, मंत्री का तात्पर्य मंत्रिपरिषद का सदस्य है तथा इसमें मंत्रिमंडल का सदस्य, राज्यमंत्री, उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव शामिल है।

...*(व्यवधान)*

श्री आधि शंकर (कल्लाकुरिची): परन्तु महोदय, यह साधारण मुद्दा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु जब मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया था तो माननीय मंत्री यहां पर मौजूद नहीं थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि केन्द्रीय मंत्री यहां पर उपस्थित होते तो यह अच्छा होता। परन्तु यदि वे राज्य सभा में उत्तर दे रहे हैं तो वे किस प्रकार एक साथ यहां पर भी बोल सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, केन्द्रीय मंत्री राज्य सभा में है तथा वे वहां बोल रहे हैं। वे वहां से सभा को छोड़ कर नहीं आ सकते...*(व्यवधान)*

महोदय, हम माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइये

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मैं जानता हूं कि मैं यहां पर मंत्री था. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मुझे अपना विनिर्णय देने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिये. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री नारायणसामी, कृपया बैठ जाइये। मैं आपको समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः डॉ. तम्बिदुरई, आप अपनी बात केवल एक मिनट में कहिये।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय, यह बहुत ही गंभीर ममाला है। विभिन्न सदस्यों ने इस मामले पर अपनी बात कही है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल है। दूसरे, आपने यह कहा कि नियमों के अनुसार कोई मंत्री अथवा राजय मंत्री आवेदन कर सकता है। मंत्री का अर्थ है संबंधित मंत्री, जिसने वक्तव्य दिया है। राज्य मंत्री ने वक्तव्य नहीं दिया है। वस्तुतः श्री एस.एच. कृष्णा जी द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है। नियमों के अनुसार जो मंत्री वक्तव्य देता है, उसे ही उत्तर देना होता है।

सभापति महोदयः डॉ. तम्बिदुरई आपने उस दिन देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था परन्तु उत्तर, गृह मंत्री ने दिया था।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: वह एक अपवाद था।

सभापति महोदयः उस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था तथा उत्तर गृह मंत्री ने दिया था।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय कृपया पहले की बात न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. सेम्मलई: जांच का उल्लेख किया गया था। श्री एस.एच. कृष्णा ने वक्तव्य का उल्लेख किया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बालू जी नारायणसामी जी क्या कह रहे हैं, उसे सुनने तो दीजिए।

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, हम नियम 193 अल्पावधि की चर्चा के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। अल्पावधि की चर्चा में मंत्री के किसी वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

श्री टी.आर. बालू: नहीं, बहुत से सदस्यों ने वक्तव्य का हवाला दिया है...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: उन्हें उत्तर देने का अधिकार है... *(व्यवधान)*

मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं। वह दूसरी सभा में उत्तर दे रहे हैं। जब वे वहां उत्तर दे रहे हैं तो यहां कैसे आ सकते हैं?... *(व्यवधान)*

अपराह्न 4.0$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री सी. शिवासामी तथा अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय: कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं अपनी विनिर्णय देने जा रहा हूं। नहीं, डॉ. तम्बिदुरई कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं अपनी विनिर्णय देने जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय श्री सी. शिवासामी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री ई. अहमद: माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। संवधिान तथा प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत मुझे उत्तर देने का पूरा अधिकार है। यदि माननीय सदस्य एक राज्य मंत्री की बात नहीं सुनना चाहते तो उन्हें कैबिनेट मंत्री के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। या तो आप सभा को स्थागित करें अथवा कुछ और करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मै। एक कार्य कर सकता हूं। बालू जी, डॉ. तम्बिदुरई जी, संपत जी, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं माननीय राज्य मंत्री को हस्तक्षेप करने के लिए बुला रहा हूं परंतु माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा कल अंतिम वक्तव्य दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: सभापति महोदय, आपके पास केवल एक विकल्प है, या तो आप एक कैबिनेट मंत्री के आने तक सभा को प्रतीक्षा करने दीजिए अथवा कोई अन्य विषय ले लीजिए। यह आपका विशेषाधिकार है।

सभापति महोदय: परन्तु, आप कुछ समय के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री ई. अहमद: नहीं, यदि वे मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं हैं तो मैं यहां क्यों बोलूं? मैं बोलने के लिए तैयार हूं। मैं उत्तर दे सकता हूं। मै। दूसरी सभा में उत्तर दे रहा हूं तथा इस सभा में भी...*(व्यवधान)* उस दिन डॉ. तम्बिदुरई ने स्वयं कहा था कि राज्य मंत्री बोल सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है... *(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: मंत्री महोदय कल सभा में उत्तर दे सकते हैं।

श्री ई. अहमद: हां, कल वे ऐसा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

मैं यह नहीं कह सकता कि हम गलत हैं परन्तु आप यह नहीं कह सकते है कि मैं गलत हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि उनकी आपत्ति गलत है, परन्तु उनको यह नहीं कहना चाहिए कि मैं गलत हूं। संविधान तथा प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत मुझे पूरा अधिकार है।

श्री टी.आर. बालू: नहीं, महोदय मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बालू जी मैं माननीय सदस्यों की भावनओां को समझता हूं कि वे कैबिनेट मंत्री से उत्तर लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत से प्रश्न पूछे जाने हैं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं। बालू जी कि राज्य मंत्री को उत्तर देने का पूरा अधिकार है। परन्तु इसके बावजूद मैं अगली मद ले रहा हूं तथा उत्तर कल दिया जाएगा।

श्री टी.आर. बालू: मंत्री महोदय, दोनों ही सभाओं में उपस्थित नहीं है। मंत्री महोदय राज्य सभा में नहीं हैं। वे वहां नहीं हैं।

सभापति महोदय: हम मद सं. 10 ले रहे हैं।

श्री टी.आर बालू: वे वहां नहीं हैं।

सभापति महोदय: मैं विधायी कार्य को ले रहा हूं। मै। विनिर्णय दे चुका हूं। इसमें गलत क्या है? वह कल उत्तर देंगे।

श्री ई. अहमद: राज्य मंत्री की व्यवस्था इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए की जाती है। एक मंत्री एक साथ सभी कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक ही मंत्री को सभी कार्य करने हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं सहमत हूं।

श्री ई. अहमद: मुझे बालू जी जैसे वरिष्ठ मंत्री को यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

अपराह्न 4.05 बजे

सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011-*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा में अब मद सं. 10 पर चर्चा होगी।

अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): सभापति भी, सबसे पहले तो मैं आपसे यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: आपको अनुमति दी जाती है।

श्री उदय सिंह: धन्यवाद सभापति जी, वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन में पिछले शुक्रवार को ही इस विधेयक को पेश किया गया था।

अपराह्न 4.06 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

उस समय उन्होंने सिफारिश की थी कि इस बिल को पारित किया जाए, लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ बोलें, समय खत्म को गया था और उस कारण आज हम इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन उस आधे मिनट के अंतराल में जब यह फैसला हो रहा था कि इस बिल का क्या किया जाए, उसी दिन चर्चा हो या बाद में हो, तो एक विचित्र स्थिति देखने को मिली। मैंने भी देखी और सबने वह स्थिति देखी कि यहां जितने भी केन्द्रीय मंत्री थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों कृपया शांति बनाए रखें। माननीय सदस्य के बोलने में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह: वे सभी चाहते थे कि यह बिल बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाए। लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी की जो अभी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने जैसे ही यह सुना कि हम इस बिल पर कुछ कहना चाहते हैं, वह तुरंत तैयार हो गए। इस बात की मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन साथ में मैं चाहता हूं कि काश इस सरकार के अन्य मंत्री भी प्रणब दा से यह सीख सकें, खासकर हमारे संसदीय कार्य मंत्री, जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, वह इस चीज को समझ सकें कि तीखी परंतु सकारात्मक बहस लोकतंत्र के लिए संसद और सरकार सबके लिए अच्छी होती है। आज बाहर जो स्थिति निर्माण हो रही है, यह संवादहीनता के कारण मिर्नाण हो रही है। लोगों का लोकतंत्र में विश्वास उठता जा रहा है, संसद से विश्वास उठता जा रहा है।

सरकार ने इस बिल को यहां इसलिए देश किया है कि वह चाहती है कि यह सदन उसे फिर से वह अधिकार दे दे जो एक फैसले से उच्चतम न्यायालय से वापस ले लिया था। वह अधिकार है कि कस्टम विभाग के डिफरेंट ब्रांचेज़ में अलग-अलग श्रेणी के जो कस्टम अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब तक वे खासतौर से अधिकृत न हों, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर ऑफिसर कहा है, तब तक वे दूसरी श्रेणी के कस्टम अधिकारी कस्टम ड्यूटी देने के लिए न तो नोटिस दे सकते हैं और न ही टैक्स वसूल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इससे एक संकट खड़ा हो गया है और सरकार को चिंता है कि अगर ऐसा हुआ तो दो दशकों से जो कर लिया गया है, वह भी वापस करना पड़ेगा तथा आगे के राजस्व में भी दिक्कत होगी।

मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य समय में शायद इस एक विधेयक पर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज देश में सामान्य स्थिति नहीं बनी हुई है। आज निरंतर बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, चरम सीमा पर पहुंचे हुए भ्रष्टाचार की वजह से सारा देश आंदोलित हो उठा है। यह विधेयक जितना सरकार को अधिकार देने के बारे में है, उतना ही इसका सम्बन्ध भ्रष्टचार से है। मैं समझाना चाहूगा मंत्री जी को कि इसका भ्रष्टाचार से

क्या ताल्लुक है। मेरा तो यह मानना है मंत्री जी कि आपके मंत्रालय में जो टैकेसेशन विभाग हैं, कस्टम और इनकम टैक्स, अगर उनमें से आप भ्रष्टाचार हटा दें तो बाहर प्रदर्शन पर जो लाखों लोग बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बहुत हद तक उनकी वह मांग पूरी हो जाएगी। आप किस से राय-विचार करते हैं, आप राय-विचार करते हैं मुट्ठी भर उन उद्योगपतियों से जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसलि के सदस्य भी होते हैं, जो फिक्की और सीआईआई जैसे फोरम, में जाकर अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आपने कभी देश के लाखों मध्यमी और छोटे उद्यमियों से बात की है कि उनकी क्या-क्या परेशानियां हैं। आप संसद में आते हैं, संसद आपको कानून बनाकर देती है। लेकिन उन कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए नियम कौन बनाता है, नियम आपके मंत्रालय के विभाग बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि नियम बनाने का भी एक नियम है। वह नियम क्या है कि जो नियम बने, उसमें पारदर्शिता न हो, वह ओपेक होना चाहिए, क्योंकि अगर नियम बने और उसमें पारदर्शिता आ गई, फिर तो खेल खत्म हो गया, फिर तो सरकार को ही राजस्व मिलेगा। इस तरह जो राजस्व लेने वाला आदमी है, वह तो सूखा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जानने की कोशिश करें कि आपके कस्टम विभाग से जो आयातक और निर्यातक हैं, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है।

मैंने सुना है कि आप जीएनसी प्लेटफार्म जॉइन करना चाहते हैं, आपको जॉइन करना चाहिए। आपको विश्व के साथ जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए कि और देशों में कस्टम कैसे काम कर रहा है, किस चीज पर कर लग रहा है? क्या आपने कभी चिंता की है कि अपने देश में कस्टम विभाग में जो कम्प्यूटर सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, वह काम करता है या नहीं? अगर आप उसकी लॉग-बुक मंगवायेंगे, आप देखेंगे कि अधिकतर दिनों में या तो वह कम्प्यूटर सिस्टम डाउन रहता है या धीमी गति से चलता है। यह सब जान-बूझकर होता है। अगर ऐसा नहीं तो फिर कमाई कैसे होगी? अगर कम्प्यूटर न चले तो वह बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी, अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी तो न इम्पोर्ट हो सकता है न एक्सपोर्ट हो सकता है, तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर क्या करें? वह मुर्गों की तरह इधर से उधर छटपटाता है। लेकिन अगर धीमे चलते हुए कम्प्यूटर पर महात्मा गांधी वाला छपा हुआ कागज रख दिया जाता है तो वह धीमा कंम्प्यूटर तेज हो जाता है और उन लोगों का काम हो जाता है। लेकिन जो लोग गांधी वाले कागज का आदान-प्रदान नहीं कर सकते, उनके लिए वह कम्प्यूटर नहीं चलता है।

आपको मालूम होगा कि विमान से वही लोग अपना सामान मंगवाते हैं जिनको सामान मंगवाने की जल्दी होती है या वह खराब होने वाला सामान होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सामान्यतः वह सामान कितने दिनों में छूटना चाहिए? अन्य देशों में जो सामान विमान से अताा है वह कितने घंटों में छूटता है? मेरी खबर के अनुसार चार-पांच घंटों के अंदर इम्पोर्ट करने वाले व्यक्ति अपने साथ अपना ले जा सकता है। हमारे यहां एक हफ्ते का समय लगता है। अब आप बताइये कि जो व्यक्ति विमान से सामान इम्पोर्ट करेगा, वह एक हफ्ते इंतजार करेगा कि कस्टम क्लीयरेंस हो गयी है, मैं अपना सामान ले आऊं। विचित्र तरह के आप लोगों ने कानून बना रखे हैं, जिनकी वजह से भ्रष्टाचार की कोई हद नही रहे गयी है।

आप संसद आते हैं, फाइनेंस बिल पेश करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, कुछ संशोधनों के साथ वह पारित हो जाता है। आपको क्या अधिकार है कि आप उसके बाद जाकर एक स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच बना लें। क्यों बना लें, ताकि आपकी निर्धारित ड्यूटी की जो दर है उस पर वह ड्यूटी लोड करे, क्योंकि आपको राजस्व ज्यादा चाहिए। यह बात अधिकांश माननीय सदस्यों को मालम नहीं होगी कि जिस दर को हम लोग पारित करते हैं, उस दर से ज्यादा आप एसवीबी के माध्यम से लोगों से लेते हैं। यह एसवीबी क्या चीज है इसका भी मैं खुलासा कर दूं।

एसवीबी यानी स्पेशन वैल्यूएशन ब्रांच के बारे में कुछ प्रश्न आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसमें एक प्रश्न है कि

[अनुवाद]

क्या आपूर्तिकर्ताओं की मूल्य सूची की प्रतिया हैं और क्या ये भारत तथा अन्य देशों में सभी क्रेताओं पर लागू हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

किसी सामान का इम्पोर्ट करता हूं तो क्या अपने सामान को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने लगूं कि वह सामान और किसने मंगवाया है, कितने में मंगवाया है और अगर तब भी मालूम न पड़े तो पूरे विश्व मैं ढूंढने लगूं कि किसने मंगवाया है। अगला सवाल सुनिये।

[अनुवाद]

विभिन्न क्रेताओं से आयात मूल्यों की तुलना तथा मूल्य में अंतर के कारण यदि हों, तो

[हिन्दी]

यह पता करना क्या मेरा काम है? मैंने ईमानदारी से एक सामान यहां मंगवाया, अब मैं पूरी दुनिया में पता करूं कि वह सामान और किसने और कितने में मंगवाया? आगे सुनिये

[अनुवाद]

क्या वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता ने अन्य देशों में क्रेताओं/शाखाओं/कोलाबोरेटर्स को एक जैसी, समान अथवा संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति की है, यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में इस प्रकार का लेन-देन किस मूल्य पर हुआ।

[हिन्दी]

जो फार्म आप मांगते हैं वह तो कोई इम्पोर्टर दे नहीं सकता है। इसके बदले में वह गांधी जी के नोट का चढ़ावा चढ़ाता है और आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आज माननीय प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि हम बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। इसे कोई लोकपाल या दूसरा कोई नहीं सुधार सकता है, यह तभी सुधर सकता है जब आपकी मानसिकता में परिवर्तन होगा, आपकी नीयत बदलेगी। जिस दिन सरकार की नीयत बदलेगी, यह भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। आप कस्टम ऑफिसर्स को कहते हैं कि हमें तो राजस्व चाहिए, क्योंकि बहुत पैसे खर्च करने हैं। कहां खर्च करने हैं, इस बात पर मैं बाद में बात करूंगा। कस्टम आफिसर इम्पोर्टसे से अनाप-शनाप पेपर्स मांगता है। मेरे खयाल से कुछ सदस्यों को इस बात की जानकारी जरूरी होगी। अगर आप एक सामान मगाते हैं, तो उसके केटलोग से ले कर, उसके कैमिकल कम्पोजिशन से ले कर जितने तरीके से वह परेशान कर सकता है, वह ऑफिसर इम्पोर्टर को परेशान करता है। इम्पोर्टर के पास दो ही रास्ते बचते हैं या तो वह सारे कागजात पूरे करे या बढ़ावा दे। आपने प्रोविजनल ड्यूटी बांड बनाया है। यह इसलिए बनाया जाता है कि यदि इम्पोर्टर के हिसाब से और कस्टम के कानून के हिसाब से किसी चीज पर 10 प्रतिशत ड्यूटी लगनी चाहिए और कस्टम ऑफिसर कहे कि नहीं इस पर 15 परसेंट ड्यूटी लगनीचाहिए, तो पांच परसेंट का विवाद खड़ा हो जाता है और जल्दी सामान निकालने के लिए इम्पोर्टर के पास अधिकार है कि प्रोविजनल ड्यूटी बांड दे और 10 परसेंट ड्यूटी दे कर वह सामान ले जाए। जब उस विवाद का समाधान हो जाएगा और इम्पोर्टर को पता लग जाएगा कि बाद में पांच परसेंट देना है, तो वह बाद में पांच परसेंट दे देगा। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन क्या आपने कभी प्रोविजनल ड्यूटी बांड देखा है। उसका नाम अगर बदल कर प्रोक्लेम्ड ओफेन्डर्स बांड कर दें, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें इम्पोअर्र के कपड़ों के नाप के अलावा सब कुल पूछा जाता है। आप सोचिए कि अगर पांच परसेंट ड्यूटी का विवाद है, तो पांच प्रतिशत का बांड लेनाचाहिए, लेकिन मंत्री जी 110 प्रतिशत का बांड लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सभी टाटा या अम्बानी नहीं हैं। मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के जो इम्पोर्टर हैं, इन्हें बहुत कष्ट होता है और ये विवश हो कर इस समस्या से निकलने के लिए गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी जी अलग-अलग ढंग से गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा।

योजना आयोग ने आपको लिख कर सुझाव दिए कि आप सेल्फ असेस्मेंट कर दें। आप फिजिकल वेरीफिकेशन ऑफ गुड्स रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में करें, लेकिन आपके विभाग वालों ने आपको समझाया कि यदि आपने ऐसा कर दिया, तो जुल्म हो जाएगा। लोग बिना कर दिए सामान ले जाएंगे। क्या हमारा देश चोरों का है? क्या जितने व्यवसायी हैं, वे बेईमान हैं? क्या सिर्फ कस्टम अधिकारी ही ईमानदार हैं? आप लोगों पर विश्वास करना सीखिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, यह बिल्कुल खोखली बात है।

मैं इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 में उस समय की सरकार ने एक नियम बनाया कि पैसेंजर की ड्यूटी फ्री अलाउंस को 25 हजार रुपए दिया। आप सोचिए कि हर रोज हमें क्या सुनने को मिलता है। मैं इंडियन एक्सप्रेस से कोट कर रहा हूं-

[अनुवाद]

"ये नियम जैसा कि इनमें अभिकथित है कि 'आयोग की गयी निजी वस्तुएं' निःशुल्क हैं... संभवतः यही कारण है कि अभिनेत्री बिपाशा बसु कुछ दिनों पहले ग्रीन चैनल से यह सोच कर जा रही थी कि सैंडल, पर्स और चश्मे इसके अधीन आते हैं।

यदि यह उनका विश्वास था तो यह अनुचित नहीं था परन्तु मुम्बई विमानपत्तन के सीमा-शुल्क अधिकारी ऐसा नहीं मान रहे थे जो किसी एक-दो मशहूर लोगों पर जुर्माना लगाकर या उन्हें रोक कर हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं।

बसु पर अंततः 12000 रु. का जुर्माना लगा और उन्हें जाने दिया गया क्यों? क्योंकि उसका चश्मा और हैंडबैग तथा सैंडल शीर्ष ब्राण्डों की थी जिनका प्रत्यक्ष मूल्य 25,000 रुपए से अधिक था, शुल्क मुफ्त भत्ता...

[हिन्दी]

मंत्री जी आप भी विदेश जाते होंगे। हमारे दूसरे साथी भी विदेश जाते होंगे और जहां जाते होंगे, उस देश की दुकानों में रौनक लग जाती होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 हजार रुपए में आप एक सूटकेस नहीं खरदी सकते हैं। 25 हजार रुपए का मतलब 500 डालर हैं। मैं गूची कम्पनी के सूटकेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सैमसोनाइट कम्पनी के सूटकेस की बात कह रहा हूं। पांच सौ डालर में सैमसोनाइट कम्पनी का सूटकेस नहीं मिलता है।

यूजवल अफैक्ट की क्या परिभाषा है? मैंने घड़ी एक दिन पहनी, वो यूज्ड है या घड़ी को मैं पांच साल से पहन रहा हूं।, वह यूज्ड है? मेरी समझ से घड़ी अगर मैंने ले ली और पहन ली तो यूज्ड पर्सन अफैक्ट हो गया। चश्मा मैंने ले लिया और पहन लिया तो यूज्ड पर्सन अफैक्ट हो गया। इस तरह से हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, काम से जाएं या घूमने के लिए जाएं, जब वापस आते हैं, उनको जो इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह गलत है। इससे मैंने आपको दिखाया कि आपका कर देने का तरीका गलत है। आप गलत ढंग से कर लेते हैं, इस पर मेरा प्रश्न है कि मैं सरकार को यह अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है तो यह वापस क्यों दिया जाए?

अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं कि कर आप क्यों लेते हैं? हर लोक सभा में, हर सरकार के बजटरी प्रोविजन्स को स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि सरकार को राजस्व की आावश्यकता है। राजस्व अगर सरकार के पास नहीं आएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे खर्च होगा? देश के विकास पर कैसे खर्च होगा? लोक हित के कार्यक्रमों पर कैसे खर्च होगा? लेकिन अगर आप मुझे जवाब दें कि आप कैसे खर्च करते हैं। यह अच्छा है कि प्रफुल भाई भी बैठे हैं। आपकी सरकार की गलत नीति की वजह से एयर इंडिया मिट्टी में मिल जाए और क्या आप राजस्व के लिए उनको हजारों करोड़ रुपये ऑक्सीजन के तौर पर जीवित रखने के लिए देंगे? क्या इसलिए आप टैक्स लेते हैं? आप टैक्स इसलिए लेते हैं कि आपन कॉमन वैल्थ गेम्स में हजारों करोड़ रुपए दे दें और उसको इस्तेमाल करने वाले लोग हजारों करोड़ों रुपये की लूट मचा लें और देश को शर्मसार कर दें? आपको हम इसलिए यह कर लेने देते हैं। आप हजारों करोड़ रुपये का अनाज गोदामों में सड़ा देते हैं और हमारे गरीब लोगों के पास वह अनाज नहीं पहुंचता है, कीमतें आसमान को छू लेती हैं। क्या हम इसलिए आपको कर लेने देते हैं? क्या हम इसलिए आपको कर लेने देते हैं कि आप मनरेगा जैसी स्कीम डकैतो के लिए चलाइए? सदन से मैं यह जरूर कहूंगा कि भावनात्मक होकर हमने महात्मा गांधी जी का नाम जरूर उसके साथ जोड़ दिया लेकिन महात्मा गांधी जी को उस स्कीम से तकलीफ होती होगी क्योंकि किसी गरीब के पास वे पैसे नहीं पहुंचते क्योंकि वे पैसे बिचौलियें के पास पहुंचते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ शामिल नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री उदय सिंहः अभी आप अच्छी तरह से घूमिए।...*(व्यवधान)* मंत्री जी, कस्टम्स का एक रुपया न रह जाए। कस्टम्स का कोई आदमी एक रुपया न रख ले तो आपके पास क्या-क्या हैं? आपके पास कस्टम्स हैं, कस्टम प्रिवेंटिव है, डाइरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस है, वगैरह वगैरह हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश के लाखों करोड़ो रुपये लुट जाते हैं तो देश का प्रिवेंटिव कहां गया? हमारे देश का प्रिवेंटिव कौन है? आप एक-एक बच्चे से इस देश में पूछिएगा तो वह कहेगा कि राज्यों में मुख्यमंत्री और केन्द्र में प्रधान मंत्री अपने मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। अपने मंत्रिमंडल के कामकाज पर नज़र रखता है और अगर उस कामकाज में गड़बड़ी हो तो मंत्री बदल दिया जताा है या हटा दिया जाता है। हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां यह होता है कि टूजी के मामले में बात करें, अभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी बहुत-बहुत भावुक तरीके से अपनी बात कह गये। मुझे नहीं लगता कि हममें से किसी ने उन पर व्यक्ति आरोप लगाया हों। लेकिन वे प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और हमें उनके सुनना तो होगा ही। टूजी के मामले में क्या सुनने को मिलता है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंहः प्रधानमंत्री दूसरे पक्ष को देखते ही नहीं है। वे क्या देख रहे थे? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस और देखते हैं वे चाहे किसी भी ओर देखें, हमारे देश को लूटा जा रहा है और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है।

[हिन्दी]

सीडब्ल्यूजी के स्कैम के बारे में...*(व्यवधान)* जब सीडब्ल्यू जी के स्कैम की बात हुई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य कृपया अपनी बात पूरी करें। मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैंने आपको पहले ही बोलने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। मैं आपको अपनी बात पूरी करने के लिए एक मिनट का और समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंहः कृपया मुझे बालने के लिए दो मिनट का समय दें।

सभापति महोदयः ठीक है, परंतु आप अपनी बात केवल दो मिनट में समाप्त कर लें।

श्री उदय सिंहः महोदय हमारे देश को लूटा जा रहा है और जो लोग बाहर विरोध कर रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है।

[हिन्दी]

सर, मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा। सीडब्ल्यू जी मामले में प्रधानमंत्री से वहां से टिप्पणी आती है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री-कार्यालय इससे दूरी बनाए रखना चाहता है। यह दूरी कितनी ज्यादा है? क्या यह बार्ज पोल के बराबर है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दूसरी ओर लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सबसे ज्यादा तो अभी सरकार के एक आला अधिकारी की यह टिप्पणी आई कि

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कोई सुपर मंत्री नहीं है। यदि वह पर्यवेक्षी मंत्री नहीं है।

[हिन्दी]

तो यूपीए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा बदल दी है। अगर बदल दी है तो फिर प्राइमन मिनिस्टर से ऑफिस का नाम बदलकर*...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण अपने विषय तक सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंहः फिर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है,*. ..*(व्यवधान)* इसलिए क्या जरूरी है कि हम यह अधिकार आपको दें।?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

सभापति महोदयः मैं अगले वक्ता को बुलाने जा रहा हूं। श्री शैलेन्द्र कुमार कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंहः कस्टम के मामले में आप अधिकार मांग रहे हैं, आप अपने उत्तर में बताइए कि हम लोगों की आपत्तियों के बारे में क्या कर रहे हैं? अगर संतोषजनक उत्तर हुआ तो हम जरूर इस बिल का समर्थन करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री शैलेन्द्र कुमार, मैं आपको तीन मिनट दे रहा हूं, इसलिए कृपया विषय पर ही बोलें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे साथी उदय सिंह जी ने जो प्रेक्टिकल हो रहा है, उसके बारे में खुलकर विस्तार से कहा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा। आप सीमा शुल्क अधिकारियों को आयात शुल्क आकलन के लिए प्राधिकृत करने वाला संशोधन विधेयक बिल लेकर इस सदन में आए हैं। करोड़ों रुपए के सीमा शुल्क की वसूली सुनिश्चित हो सके, इसलिए आप यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। सीमा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शुल्क अधिकारी, जो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं उसे वैध करार दिया जाए, इसलिए यह संशोधन विधेयक है। उच्च न्यायालय के तमाम फैसले आए हैं उसे अवैध ठहराया गया, जैसा कि उदय जी कह रहे थे कि अगर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है तो मेरे ख्याल से तमाम आपत्तियों पर लोगों में बहस हुई होगी तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया होगा। इसके बारे में बहुत विस्तार से उदय जी ने कहा है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार के राजस्व में करोड़ों रुपए का टैक्स वसूलने की बात है, सरकार को राजस्व नहीं मिल पाएगा, करोड़ो रुपए की वसूली रुक जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया तो उच्च न्यायालय की जो मंशा रही होगी, उस तरफ भी तमाम लोग गए होंगे।

आप सब उदय जी को सुन रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से यह बात कही है कि चोरी करनेवालों का पता लगाने के लिए अधिकारियों को पूरी तरह से बेलॉस कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं जिनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। विदेशों में तमाम एक्टर्स जाते हैं और जब वहां से आते हैं, वे कस्टम के ग्रीन या रैड चैनल से गुजरते हैं तो कुछ सामान पकड़ा जाता है। यहां तक कि 50 लाख के हीरे पकड़े गए लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि उस पर क्या जुर्माना लगा है, क्या दर थी, जब्त किए गए या नहीं? इस तरह के तमाम संशय हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को जरूर बताएं कि अधिकारियों को जो ताकत और अधिकार दिए हैं, उनका कितना सदुपयोग हो पाएगा? खास तौर से आयात-निर्यात पर अधिकारियों के अधिकार का असर पड़ेगा, कितने राजस्व की वसूली होगी? आम लोगों को आयात-निर्यात के लिए कितना प्रोत्साहित करेंगे? हमारे यहां विदेशी पूंजी का कितना लाभ मिलेगा? माननीय मंत्री जी इन सब बातों का उत्तर अपने जवाब में दें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह अधिकार की बात है। इस विधेयक पर उदय जी ने बातें कही हैं और मैं मंत्री जी के जवाब के बाद ही कुछ कह पाऊंगा कि मैं इस पर सहमति दूंगा या नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर उ.प्र.): सभापति महोदय, यह अमैंडमैन्ट होना बहुत आवश्यक है। पहले सैक्शन-28 में कस्टम ऑफिसर डिफाइन नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कस्टम ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया, रिकवरी नोटिस दिया, उसे इनवेलिड कर दिया, टैक्निकल ग्राउंड पर जो सक्षम अधिकारी है, उसे इन परसोनेम आथॉराइजेशन नहीं था। जैसा कि इनके नोट में हैं कि उससे 7600 करोड़ रुपये की जो रिकवरी थी, वह अंडर क्लाउड आ गई। इसलिए यह अमैन्डमैन्ट बहुत जरूरी था। हमें अफसोस है कि यह केविएट है, यह फैसला चार-पांच साल पहले हुआ, लेकिन गवर्नमैन्ट ने इसके पहले अमैन्डमैन्ट क्यों नहीं कराया।...*(व्यवधान)* क्योंकि यह 2002 की अपील है। चलिये, 2001 में हुआ है।

दूसरा हमारा यह कहना है कि इस कस्टम एक्ट में ट्रांसपेरेन्सी लाई जाए। अभी भी उदय सिंह साहब ने जो कहा, वह ज्यादा डिटेल में कहा। हमनें कस्टम एक्ट में देखा कि जो ऑफिसर है, उसे वाइड डिसक्रिशन है। वह किसी चीज को नई कह दे, किसी चीज को पुरानी कह दे, किसी का चौगुना दाम लगा दे। इसका नतीजा यह होता है कि जब डिसक्रिशन आर्बिट्रेरी होता है तो फिर करप्शन भी चलती है। इसलिए इसे ट्रांसपेरेन्ट करें। मैं बताया हूं कि आप जैसे दिल्ली में चले जाइये और हर बाजार में हर गाड़ी का इम्पोर्टेड सामान ले लीजिए। ये कैसे आ रहा है? हमारे देश में रोयस जैसी बड़ी-बड़ी सैकड़ों गाड़ियां बिना कस्टम दिये आ गई हैं और कस्टम न देने के कारण जब पकड़ी गईं तो पता चला। इसलिए हमारा कहना है कि इसमें इस विभाग और इन अफसरों की अकाउन्टेबिलिटी क्या है? मैंने वकालत में भी यह देखा कि जो बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, कस्टम डिपार्टमैन्ट से उनकी डायरेक्ट सांठ-गांठ चलती है।

महोदय, अभी अखबार में निकला कि सीबीआई ने कस्टम ऑफिसर्स के यहां छापा मारा, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये की आमदनी हुई, सीबीआई को यह खबर मिली...*(व्यवधान)* यह देखिये, इस अखबार में या निकला है। मैं इस पढ़ देता हूं"छापेमारी" सीबीआई को खबर मिली कि बड़े-बड़े कस्टम ऑफिसर से साठ-गांठ है, इससे उन्हें 1400 करोड़ रुपये की आमदनी हुई... *(व्यवधान)* मैं आपको बता दूंगा, जब आप हमारे साथ प्राइवेटली काफी पीयेंगे।

[अनुवाद]

दल के सौजन्य से उनको आम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा।

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, इनकी अकाउन्टेबिलिटी फिक्स की जाए और इनके डिसक्रिशन को ट्रांसपेरेन्ट बनाया जाए, इनके वाइड डिसक्रिशन को कंट्रोल करने के लिए आप रेट लिस्ट बनाइये। जैसे मैं कैमरा लाना चाहता हूं तो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं यह कैमरा लाता हूं तो

इसमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। ताकि वहां जो सफेद कपड़े पहने हुए कस्टम अफसर खड़े हैं, हम उनके डिसक्रिशन या रहमो-करम पर न रहें।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय ने लेकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस एक्ट में आर्बिट्रेरीनैस है और उसके डिसक्रिशन पर चैक एंड बैलेंस नहीं है, उस एक्ट का हमेशा एक्यूज होगा और यदि एब्यूज होगा तो करप्शन बढ़ेगा। आप इसका भी इंतजाम करें। इसी के साथ मैं इस अमैंडमैन्ट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमैन्ट से अगर यह अमैन्डमैन्ट नहीं आता तो 7600 करोड़ रुपये की रिकवरी पानी में चली जायेगी।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले सीमा-शुल्क (संशोधन आङ्वैर विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011 जो माननीय मंत्री जी सदन में लाये हैं, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश में राजस्व की प्राप्ति कैसे हो ताकि देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की क्षमता से बिऑन्ड जाकर नोटिस जारी करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार लगी कि जो सक्षम पदाधिकारी नहीं है, वे टैक्स वसूलने का नोटिस जारी करते हैं। इससे सरकार को लगभग 7.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सरकार इसमें संशोधन के लिए बिल लाई है, जिसके माध्यम से उस पदाधिकारी को सक्षम बनाया जाए, जिनके नोटिस के माध्मय से कर की वसूली होनी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब कोई बात सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में जाए या न्यायालय की ओर से कोई आदेश हो तब आप संशोधन विधेयक लेकर पार्लियामेंट में आते हैं। विभाग को बने हुए इतने वर्ष हो गए हैं। आजादी के बाद धन प्राप्ति के लिए आपके जितने भी यूनिट हैं, उनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यूनिट यह भी है। आपके मंत्रालय के पास इनती सूझ-बूझ नहीं, इतनी जानकारी नहीं कि कौन से पदाधिकारी किस काम के लिए अधिकृत हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तब आप बिल लेकर आ जाते हैं। आप साधारण सी बातें भी लोक सभा में लेकर आते हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि विभाग को कैसे जिम्मेदारी दी जाए न कि एक-एक विषय पर संशोधन किया जाए। इससे ज्यादा जरूरी है कि विभाग की कार्यकुशलता को ठीक किया जाए, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को फिक्स किया जाए। जरूरत पड़े तो इसको रीआर्गनाइज़ करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

इस संशोधन विधेयक में दूसरी बात यह सामने आई है कि अधिकारियों को अधिकार देकर टैक्स की वसूली की जाएगी। हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है। अधिक टैक्स वसूल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा मानना है कि जहां तक आपका निर्धारित कर है, जो फिक्स है, जिन पर जिम्मेदारी है, जिनका कर निर्धारित है, आप उसको भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि कस्टम के माध्यम से जो मैकेनिज़म कर वसूल करने का है, वह ठीक नहीं है इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि निर्धारित कर भी अनावश्यक विवादों के कारण रूके नहीं और सरकार का टैक्स रूकने न पाए।

मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर सरकार वसूली नहीं कर पाई है। कमिश्नर के यहां सन् 2009-10 में आय कर के 2 लाख 7 हजार 7 सौ मामले विचाराधीन हैं। बहुत ही प्रयास किया तो इन्होंने महज तीस प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया है। कर वसूली के इस तरह के जो मामले हैं, अगर उनका निष्पादन कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार कल्पना नहीं करती होगी, उससे भी ज्यादा राजस्व की वसूली हो सकती है।

सभापति जी, सीएजी की एक रिपोर्ट है कि सरकार द्वारा टैक्स में जो रियायत दी जाती है, उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिलता है। उसका लाभ बड़ी-बड़ी कंपनियों, बड़े-बड़े उद्योग-धंधों और बड़े-बड़े व्यवसायों के लोगों को मिलता है। इस देश के 80-90 फीसदी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। यही आपका कर प्रबंधन है और यही आपकी कर में छूट देने की स्थिति है। सन् 2010-11 में इस देश का जो उत्पादन शुल्क था वह 1 लाख 33 हजार 3 सौ करोड़ रुपये था, वही आप 1 लाख 98 हजार 291 करोड़ रुपये की रियायत देते हैं।

वहीं सीमा शुल्क में आप 1 लाख 31,800 करोड़ रुपया कर से वसूल करते हैं और 1 लाख 74,118 करोड़ रुपये की आप रियायत देते हैं। कहने का मतलब है कि आप जितनी टैक्स की वसूली करते हैं, जितना आप कर लेते हैं, उससे ज्यादा आप रियायत देते हैं। आप कर तो सबसे लेते हैं, लेकिन रियायत कुछ खास मुट्ठी भर लोगों को देते हैं। आपके वित्तीय प्रबंधन और कर वसूली के जो तौर-तरीके हैं, आपका जो मैकेनिज्म है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। माननीय मंत्री महोदय आप इस विभाग को चुस्त-दुरूस्त कीजिये ताकि यह लाभकारी कर हो सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): सभापति महोदय, मै। सीमाशुल्क (संशोधन) विधिमान्य-प्रकरण विधेयक, 2011 से संबंधित चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 में संशोधन करने के लिये सरकार द्वारा की गई पहल का स्वागत करता हूं।

सीमाशुल्क के बारे में बात करते समय हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि सरकार की यह शाखा न केवल देश के लिये राजस्व अर्जन करती है बल्कि देश की सुरक्षा, अखण्डता और एकता की रक्षा रकती है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाये रखने के साथ घरेलू हितों की रक्षा भी करती है।

मैं हजारों करोड़ों रुपये के कर की वसूली के लिये यह संशोधन लाने के लि भी सरकार का धन्यवाद करता हूं। सीमाशुल्क अधिनियम, 1362 में संशोधन करके विर्निष्ट सीमाशुल्क अधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से आयात शुल्क के आकलन का अधिकार प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन से मात्र तकनीकी आधार पर सीमाशुल्क कर अपवंचको को लाभ न मिले और राजकोष का घाटा न हो। यह करअपवंचक इस बात का लाभ उठा रहे थे कि अधिकारियों द्वारा उन्हें जारी की गई सूचनाएं विधिमान्य नहीं है चूंकि जिन अधिकारियों ने इन्हें जारी किया था वे ऐसे सीमाशुल्क कर अपवंचको के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये सक्षम नहीं है। अत: इस संशोधन से समय की आवश्यकतानुसार इस समस्या का निकरण हो जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सीमाशुल्क कर अपवंचकों को मामूली कारणों से करअपवंचन का अवसर न मिले।

विश्व के प्रत्येक देश में मजबूत सीमाशुल्क विभाग और सख्त कानून हैं। हमें भी अपने सीमाशुल्क विभाग को मजबूत बनाना चाहिये। ऐसा नहीं है कि सीमाशुल्क विभाग के अपने अधिकारियों पर हमें संदेह है। हमें ऐसे नियम बनाने चाहिये कि भारतीय पत्तनों और विमानपत्तनों पर केवल वहीं माल पहुंचे जो आयात किये जाने के लायक हो। भारत के बाजार विश्वभर के उत्पादों वैसे भरे पड़े हैं चाहे इनकी हमें आवश्यकता हो या न हो। किन्तु विश्वभर के देश भारत के लचीले नियमों का लाभ उठा रहें हैं और सीमाशुल्क करअपवंचक वर्तमान सीमाशुल्क अधिनियम की तकनीकी खामियों का लाभ उठा रहे हैं। आज हमारे सीमाशुल्क विभाग के गोदामों में विदेशी माल भरा पड़ा है जिनका दावा करने वाला कोई नहीं। यह माल भारत कैसे पहुंचा? इस तरह माल की भरमार करने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये।

मैं यहां एक और बात कहना चाहता हूं कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों को अन्य प्राधिकारियों के साथ मिल कर कार्य करना चाहिये ताकि भारत की भूमि का नशीले दवाओं और अन्य विस्फोटक उत्पादों के व्यापार के लिये न किया जाये जिससे कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और देश को नशीली दवाओं के व्यापार और आतंकवादियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध करने को अंजाम देने अड्डा बनने से रोका जा सके।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज सीमाशुल्क विभाग राजस्व अर्जन करने वाले सरकार के प्रमुख विभागों में से एक है। देश की औद्योगिक प्रगति धीमी होने के कारण ऐसा है। हम देख रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही है। भारतीय उपभोक्ताओं का विदेशी माल की तरफ रूझान बढ़ रहा है और हमारी जनता विदेशी माल पर निर्भर हो रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने चाहिये। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि विदेशी माल के प्रति बढ़ते रूझान से सीमाशुल्क विभाग में सव्यवहार स्वाभाविक रूप से बढ़ जायेगा। हमें विदेशी माल के आयात संबंधी प्रत्येक लेनदेन की व्यापक जांच करनी चाहिये। हमें यह समझना चाहिये कि हम अपने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा कर माल का आयात कर रहे हैं। अत: समय की मांग यह है कि हमें विदेशी माल का प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिये कोई उपाय ढूंढ़ना चाहिये।

सीमाशुल्क विभाग को और अधिक आधुनिक बनाया जाना चाहिये और इसके कार्मिकों को और अधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। सीमाशुल्क अधिकारियों के स्थानांतरण की नीति का भी उपयुक्त तरीके से अनुपालन किया जाना चाहिये ताकि सीमाशुल्क संव्यवहार को और पारदर्शी बनाया जा सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस संशोधन से सीमाशुल्क कर अपवंचको से करोड़ों रुपये की वसूली करने में सक्षम होगी। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

डॉ. के.एस. राव (एलुरू): मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिये धन्यवाद।

इस विधेयक का प्रयोजन सीधा-सा है। इसका आशय अधिनियम की खामियों का लाभ उठाने वाले व्यापार जगत की इस प्रवृत्ति की रोकथाम करना है।

मेरे विचार में सरकार का ध्यान न्यायालयों में लंबित अनेक मामलों, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जारी सूचनाओं की ओर गया है जिन्हें न्यायालय द्वारा इस तर्क पर खारिज कर दिया गया

था कि उनके पास व्यापारी समुदाय द्वारा अदा किये जाने वाले कि शुल्क के आकलन का अधिकार नहीं है।

व्यापार जगत और कारपोरेट जगत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी प्रकार से कानून के पाश से बचना चाहते हैं। यदि नैतिक पहलू पर विचार करते हुए आयात करने वाला व्यापार जगत अथवा व्यक्ति सीमाशुल्क और कर नियमों के अनुसार सीमाशुल्क का भुगतान कर दे तो इस सबकी आवश्यकता नहीं है किन्तु दुर्भाग्यवश, बुद्धि का प्रयोग अच्छाई के बदले बुराई के लिये ज्यादा किया जा रहा है। एक व्यापारी जहां तक संभव होता है, सीमाशुल्क आयकर अथवा अन्य करों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, किन्तु यदि कारपोरेट और व्यापार जगत ईमानदार होता तो हमें बार-बार इतने विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

इस संदर्भ में तत्काल यह विधेयक लाने के लिये मैं माननीय मंत्री की सराहना करता हूं ताकि सरकार का काफी राजस्व बचया जा सके। मै। समझता हूं कि सभी लंबित मामलों जहां कतिपय न्यायालयों की इस व्याख्या कि अधिकारियों के पास शुल्क आकलन का अधिकार नहीं था के के आधार पर दिये गये उनके निर्णय के आधार पर लिया जायेगा और इस संशोधन से ऐसे मामलों से बचा जा सकेगा।

यदि ऐसे संशोधन 30, 50 अथवा 100 सालों से विद्यमान सभी पुराने विधानों में किये जायें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगीं ऐसा करके हम सभी कदाचारों को रोक पायेंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भविष्य में और सख्त प्रावधानों के साथ ऐसे संशोधन लायेंगे।

हम अपने पूरे के पूरे विवेक का उपयोग करके कुछ भीह यहां इस विधेयक में दे दें फिर भी करोबारी समुदाय का विवेक इसका उल्लंघन करने में ज्यादा होता है। हांलाकि हम विधायक और सांसद लोग इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने का भरसक प्रयास करेंगे।

मेरा कारोबारी समुदाय तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र से यह अनुरोध है कि वे जायज बात को समझें और नैतिक मूल्यों को भी समझें ताकि कम-से-कम अधिनियम में जो दिया गया है उसका तो अनुपालन हो सके। यदि अधिकारी ही गलत मूल्यांकन कर बैठें तो बात समझ में आती हैं। परन्तु वे प्रत्येक शब्द का सदुपयोग करें उसके तकनीकी पहलू को उसके अभिप्राय को समझें। उसकी व्याख्या करें और फिर कर की उपेक्षा करने का प्रयास करें।

अत:, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि यह बहुत ही सरल है फिर भी इससे सरकार को बहुत सारा राजस्व मिलेगा जिसके अनेक प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किया जायेगा जिससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के सोसाइटी के गरीब लोगों के तबकों को मदद मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें। यदि सीमा शुल्क जिसकी उपेक्षा कारोबारी समुदाय द्वारा की जाती है को एकत्र करके यदि यह निधि करोड़ों रुपयों में होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के गरीब वर्गों की मदद करने के विशिष्ट प्रयोजन हेतु इसका उपयोग करने के संदर्भ में सोच जाये।

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): धन्यवाद। कानूनों तथा नियमों की सभी खामियां केवल अधिकारियों द्वारा कारोबार में लगे लोगों को ध्यान में लायी जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना होगा। इस प्रयोजनार्थ एक शक्ति सम्पन्न निगरानी प्रणाली की आवयकता है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करनी होगी।

जब कभी भी हम हवाई अड्डे जाते हैं तो हम 'कास्टम ड्यूटी' देखते हैं। उससे आगे हम 'निगोसियेशन प्वांइट' भी देखते हैं। यह 'आज दा टेबल' निगोसियेशन नहीं है, पन्तु यह 'अंडर दा टेबल' निगोसियेशन है। हमें सीमा-शुल्क विभाग तथा केन्द्रीय उत्पादन कर विभाग में भ्रष्टाचार को कम करना है। इस उद्देश्य हेतु सीमा-शुल्क विभाग तथा केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग में विद्यमान सभी रिक्तियों को तुरंत भरा जाना चाहिये। इस उद्देश्य हेतु अतिरिक्त पदों का अवश्य ही सृजन किया जाना चाहिये।

मैंने यह सुना था कि कुछ अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के समय तक भी उनके विरुद्ध अनेक जांचे लंबित होती हैं। वे सभी चल रही होती हैं। उनको तुरंत निपटाना होगा।

इस सभी टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय सभापति महोदय, आज सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 में एक नई उप-धारा को जोड़ने हेतु संशोधन विधेयक विचाराधीन है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के प्रस्तावित संशोधन में कारण बताओं नोटिसों के अंतर्गत 7,500 करोड़ रुपयों से या ज्यादा की राशि सरकार के राजस्व को बचायेगी। यह मानकर चलिये कि इससे न्यायिक तथा अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कार्यवाहियों का निपटान, किये जाने से राजस्व संबंधी मामलों में निश्चितता मिलेगी क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से संशोधन के भूतलदी प्रभाव पड़ेगे। इस मुद्दे का यही तोड़ है।

हम आज विधेयक को पारित करने जा रहे है जिसका भूतलदी प्रभाव पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा छह माह पूर्व फैसला देने

के पश्चात् इस सभा के समक्ष यह विधेयक लाया गया है। मेरे विचार से इस सभा में उपस्थित माननीय सदस्य इसे समझेंगे विशेषकर डॉ. के.एस. राव। जब मैंने यह सुना कि डॉ. के.एस. राव आज बोल रहे हैं तो मैं केवल यही मान चला कि वह गले से बोल रहे हैं, अपने दिल से नहीं बोल रहे हैं। निस्संदेह वह व्यापारियों तथा कारोबारियों के विरूद्ध बोल रहे थे। महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं जब कारण बताओ नोटिस पिछले कई वर्षों से लंबित थे। इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है कि वर्ष 1991 से लंबित है अथवा 1971 से अथवा 1985 से। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। माननीय मंत्री हमें यह बताये कि ये कारण बताओं नोटिस कब से लंबित हैं। हमें प्रदान की गई सूचना से हम पाते हैं वह यह है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर गौर करके दिनांक 18 फरवरी, 2011 को इस पर फैसला दिया। यह सीमा-शुल्क आयुक्त बनाम सैयद अली तथा अन्य, 2002 का मामला संख्या 42944295 आदि।

उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था? उसने यह कहा था कि आप उस व्यक्ति की पहचान कीजिये जो उस उत्पाद जिसका आयात किया जा रहा है का मूल्य जानते हो। प्रत्येक सीमा-शुल्क अधिकारी उत्पाद का मूल्य नहीं जानता होगा क्या इस विधेयक में वह उपबंध है। महोदय, इसमें यह उपबंध नहीं है। क्या आप यह जानते हैं कि ये कारण बताओं नोटिस कब से तथा कितने कारण बताओ नोटिस लंबित हैं? हम केवल यह जानते हैं कि 7,500 करोड़ रुपये रूक गये हैं। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से इस राशि को वापिस नहीं पाया जा सकता है। मैं इस सभा में यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बताओ कि क्या सरकार इस सभा में यह गारंटी दे सकती हैं कि कारण बताओ नोटिसों की वास्तविकता को बाद में प्रमाणित किया जा सकता है? क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि सभी मामलों को प्रमाणित किया जायेगा? यह न्यायालय पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि 7,500 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि को वसूला जायेगा। केवल बात तो यह है कि इस पर फैसला दिया जायेगा।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक संभावित (प्रत्याशित) विधेयक है। सीमा-शुल्क अदा न करने वाले क्षेत्राधिकार से संबंधित तकनीकी आधार पर कारण बताओ नोटिस को चुनौती नहीं दे पायेंगे। यही इस विधेयक का आशय है। यदि यही इस विधेयक का आशय है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह विधेयक नुकशान न पहुंचाने वाला प्रतीत होता है फिर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। कुछ हद तक मेरे माननीय सहयोगी श्री उदय सिंह ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है।

मैं यह समझता हूं कि जब बहुत ज्यादा खरीदारी बाहर से की जा रही हो और अपने बाजार में कारोबार किया जा रहा हो तो कस्टम विभाग को बहुत सख्त होना होता है। परन्तु इस विधेयक के माध्यम से हम कस्टम अधिकारी को इस देश के किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को, जब वह विदेश से वापिस आता है तो उसे अपमानित करने से रोकने हेतु अधिकार सम्पन्न कर रहे हैं।

हमारे में से कई व्यक्ति बाहर जाते हैं। आपने स्वयं भी अवश्य ही प्रत्येक वर्ष बाहर के देश की यात्रा की होगी। हमारे में से कई व्यक्ति बाहर जाते हैं, परन्तु हम स्वयं को संसद सदस्य के रूप में चिन्हित नहीं करते हैं। हम स्वयं को इस देश के नागरिकों के रूप में चिन्हित करते हैं हम स्वयं घोषणा नहीं करते कि हम इस देश से क्या लेकर जा रहे हैं क्योंकि सभी कुछ इस देश में उपलब्ध है।

यहां पर मैं उपयोग किये जा रहे शब्दों के बारे में कहूंगा।

"जीवन की दैनिक आवश्कताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित व्यक्तिगत प्रभावों का उपयोग करना।"

उस प्रिंट में ये दो लाइनें है जो वहां पर हैं यह कह सकते हैं: टूथब्रश, शेविंग क्रीम आदि।

सभापति महोदयः आपने अपनी बात कह दी है अब आप ट्थब्रुश के बारे में बोल रहे हैं। यह असंगत है।

श्री भर्तृहरि महताबः ये दैनिक आवश्यकतायें हैं जैसाकि घड़ियां, चश्में आदि। यदि वे हमें बता सकें तो बतायें। परंतु अनेक डिजाइवर उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं जो कि भारत में बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं। तथापि, विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क है। घोषणा के भ्रामक नियम वैसे ही बने हुए हैं जैसे वे पहले के समय में थे जो कि दशकों पहले जैसे बने हुए हैं। नियम कहता है कि इस्तेमाल किया गया निजी सामान निशुल्क हो सकता है। हममें से काफी व्यक्ति विदेश यात्रा के समय कलाई घड़ियों, चश्में, पेन आदि तथा लैपटोप, आईपोड और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण भी साथ ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा के समय इसकी शायद ही घोषणा करता है। वह जब वापस आता है अथवा आती है तो उसे 25000/- रुपये की कोई तथाकथित विदेशी मद घर के जाने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2001 में, 10,000 को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था। दस वर्ष पहले ही बीत चुके है। उत्तरवर्ती सरकारों ने इसमें सुधार नहीं किया है और 25000/- रुपये की इस सीमा में वर्ष 2001 के बाद से परिवर्तन नहीं हुआ है। जब यह विधेयक अधिनियम बना तो, मुझे मेरी आशंका के अनुसार किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी को अनके द्वारा 25000 रुपये से अधिक की विदेशी वस्तु ले जाने पर आपका निजी सामान जब्त करने और आपको कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने विनिर्दिष्ट अधिकारी की पहचान करने के लिए बिल्कुल सही उल्लेख किया है मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि संबंधित विमानपत्तनों अथवा प्रवेश द्वार पर विनिर्दिष्ट अधिकारी नियुक्त करने में क्या समस्या हो सकती है जो कि सीमा शुल्क का आकलन कर सके? इस संशोधन द्वारा हमें उच्चतम न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए कहा जा रहा है।

अत: इस संशोधन के माध्यम से हम सीमा शुल्क अधिकारी को भारतीय यात्रियों का उत्पीड़न करने की अपार शक्ति दे रहे हैं। वे अपराधी नहीं हैं। मैं सीमा शुल्क अपवंचकों के पक्ष में नहीं हूं परंतु अपवंचकों के जीवन को मुश्किल बनाने के प्रयास में सीमा शुल्क अधिकारियों को चर्चा में आने हेतु प्रोत्साहित मत कीजिए। मुंबई विमानपत्तन पर अधिकांशत: यही हो रहा है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: भारतीय यात्रियों के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम ऐसी चीजों की लालच में खरीदने हेतु विदेश यात्रा नहीं करते हैं जो यहां उपलब्ध नहीं है अथवा विदेश में खरीदारी करना बंद हो जाना था मैं ऐसे विनियम चाहता हूं जो उन्हें पहचान सके जिन्हें व्यक्तिगत उपयोग हेतु खरीदा जाता है और जिन्हें बिक्री हेतु खरीदा जा रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी से केवल यह आग्रह करूंगा कि वे इस मामले की जांच कराएं।

डॉ. के.एस. राव: सभापति महोदय, एक मिनट...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे समाप्त करने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले उन्हें समाप्त करने दीजिए। तब मैं अन्य विषय पर आएंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सीमा शुल्क से संबंधित और संशोधन लाइए क्योंकि विदेश जाने वाले वास्तविक भारतीय यात्री के लिए यह आवश्यक है। जब वह वापस आता है तो उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। परंतु व्यवस्था के लिए मेरे विचार से, यह आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डॉ. के.एस. राव: मैं व्यापारियों और व्यवसायी समुदाय के विरूद्ध नहीं बोल रहा हूं। मैं उन व्यापारी और व्यवसायी समुदाय के विरूद्ध हूं जो वास्तविक अपने शब्दों में तकलीफ का इस्तमोल करके वास्तविक सीमा शुल्क से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

श्री एस. सेम्मलई (सेलम): मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद सभापति महोदय। सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्य श्री महताब द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री के अनुसार यह छोटा संशोधन हैं तथापि इसके निहितार्थ काफी व्यापक हैं जिसके कारण प्रशासनिक अव्यवस्था हो सकती है।

यह संशोधन कहता है कि सारे सीमा शुल्क अधिकारी समुचित अधिकारी हैं। सरकार ने पीओ के कर्त्तव्य का सम्मान करने और इसे सीओ तक फैलाने का निर्णय क्यों लिया है? मुझे यह समझ में नहीं आता। उच्चतम न्यायालय ने भी सैईद अली के मामले में यही प्रश्न उठाया है।

अपराह्न 5.01 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

मुख्य अधिनियम में धारा 4 सीमा शुल्क अधिकारियों के बारे में कहता है। ''धारा 2, उपैरा धारा 34'' ''उपायुक्त को परिभाषित करता है। उपयुक्त अधिकारी को सीमा शुल्क अधिकारियों में से चुना जाता है। अत: इससे यह समझ सकते हैं कि पीओ सीओ हैं परंतु सभी सीओ पीओ नहीं हैं। फिर भी दोनों का संवर्ग एक ही है, अधिनियम उन्हें दिए गए उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रकार के संबंध में दोनों अधिकारियों के बीच पर्याप्त अंतर करता है। पीओ के लिये कुछ पहलू हों जिसके आधार पर वे पीओ चयनित होते हैं।

माननीय वित्त मंत्री इस बात से भली भांति अवगत है कि पुलिस विभाग में भी केवल चुंनीदा व्यक्ति विश्वसत्रीय और निष्ठावान व्यक्तियों को ही आसचूना स्कंध में कार्य करने के लिए चुना जताा है। इसी प्रकार सीमा शुल्क में भी आंकलन का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र है। भ्रष्टाचार जैसी सारी शिकायतें आकलन के मुद्दे हैं। यदि सभी सीमा शुल्क अधिकारियों को उपयुक्त माना जाता

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है अथवा पीओ की ड्यूटी दी जाती है तो निश्चित रूप से इसकी कुछ अनावश्यक प्रतिक्रियाएं होंगी। यदि सभी अधिकारियों को शक्ति दी जाती है तो इसका परिणाम को सक लोक प्रिय कहावत बनती है उसमें कह सकते हैं: 'सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और परम सत्ता उसे पूर्णत: भ्रष्ट बनाती है।'

यदि माननीय वित्त मंत्री इस आधार पर अधिनियिम में विशेष रूप से संशोधन करना चाहते हैं तो विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि आंकलन की शक्ति सभी पीओ को नहीं दी जानी चाहिए और यह शक्ति व्यक्तियों की विश्वसनीयता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठ को ध्यान में रखकर चयनात्मक आधार पर दी जानी चाहिए।

इस विधेयक पर मेरे यही विचार हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सरकार ने सन् 1962 के सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन लाया है। इन्होंने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते वे कठिनाई में पड़ गए थे, उसके हल करने के लिए ये विधेयक लाए। विधेयक में यह है कि पहले के समय में जो खास अधिकारी, कस्टम कमिश्नर अथवा बोर्ड के द्वारा जो अधिकृत थे, उन्हीं को ही एक्साइज अथवा कस्टम आदि सब देखना था। लेकिन इनका अधिकारी पहले के समय में जो सीमा-शुल्क आयुक्त निवारक, प्रिवेंशन वाले जो सीमा-शुल्क कमिश्नर थे, उन्होंने कार्यवाही कर दी। उनकी कार्यवाही पर जब उलझन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका तो पूछने का दायित्व नहीं था। इनका काम बंटा हुआ है। जिन्हें कस्टम बोर्ड और कस्टम कमिश्नर अधिकृत किया, वही प्रोपर ऑफिसर और उचित पदाधिकारी होंगे। यह मामला 2002 का है, इस पर बड़े जोर से भाषण हो रहा था। सन् 2002 में ये सब गड़बड़ हुई और उसी समय केस हुआ, सीमा-शुल्क आयुक्त बनाम सैयद, 2002 में हुआ था। श्री अर्जुन राय जी चले गए, वे भी बोल रहे थे। एक कानूनी बात है और तकनीकी उलझन हुई। इसलिए अब यह आया है कि कोई अधिकारी जो सीमा-शुल्क में है, सभी को पावरफुल बना दिया। अब इसके बाद क्या पेच होगा, इसमें में सवाल उठा रहा हूं। इसमें अधिकारियों को आपने खुली छूट दे दी। पहले तो अधिकारी प्राधिकृत थे या पार्ट प्राधिकृत थे, अब कहते हैं कि कस्टम विभाग में जो भी काम करने वाले अधिकारी हैं, सब को ये अधिकार दे रहे हैं, तब तो और अनर्थ अब होगा, और गलत होगा। इनका चैक बेलैंस आपके पास क्या है कि सारे अधिकारी लगेंगे। फिर उसमें भी 10 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक फाइन करने की सब अधिकारियों को पावर दे दी। अधिकारियों को ज्यादा पावर देना और खुले आम छूट देना, इससे जो गड़बड़ी होगी, इसका क्या उपाय है?

इसमें टैक्स का सवाल आया, टैक्स का सिद्धांत भंवरा वाला है कि भंवरा जैसे फूल में से पराग ले लेता है या मधु ले लेता है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, उसी तरह से टैक्स वसूली का सिद्धांत है, फिर उसका खर्चा करने का सिद्धांत है, नदिया का पानी, नदिये जो, हमर नुआं सुखे लेजो। तमाम लोगों से टैक्स वसूल करके जनता पर खर्च करना, यह सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर टैक्स वसूली हो, चाहे डायरैक्ट हो, इनडायरैक्ट हो, सभी तरह की वसूली होती है और जनता के ऊपर खर्चा करने का प्रावधान है।

एक्साइज़ और कस्टम वाला मामला स्मगलिंग से संबंधित है, जो इस टैक्स के बिना देश में आवाजाही होती है, उसको तस्करी कहते हैं, उसको स्मगलिंग कहते हैं। स्मगलिंग का कितना बोलबाला है, हम लोगों का, बिहार का 709 किलोमीटर बोर्डर एरिया है, सारे सामान की आवाजाही वहां है, वहां कहां कस्टम विभाग है और देखने वाला है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का बोर्डर है। यह तो सरजमी वाला हुआ। फिर पनिया बोर्डर जो समन्दर के किनारे-किनारे है, उस पर जहाज के जहाज में इधर से उधर सामान होता रहता है और उसमें स्मगलिंग की ज्यादा गुंजाइश है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसीलिए हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि कस्टम में कितने अधिकारियों की जरूरत है और एक्साइज और कस्टम्स में कितने अधिकारी-कर्मचारी हैं। उसमें बहुत सी जगह खाली हैं। इस तरह से जो आमद वाला विभाग है, यह खर्चे वाला विभाग नहीं है, यह सरकार की आमद वाला विभाग है और उसमें भी पोस्ट खाली हैं। अगर पोस्ट खाली रहेगी तो कौन काम करेगा, कौन टैक्स देखेगा, कौन असैसमेंट करेगा, कौन वसूली करेगा? इसीलिए मैंने बताया कि देश भर में कितनी पोस्टें खाली हैं और उनको कब तक बहाल कर देंगे?

सभापति महोदय: संक्षिप्त करें। अब अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: दूसरा मामला है कि जो मामले वर्षों से लम्बित हैं, उनमें लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का सीज़ है, दबा हुआ है, उसका कब तक ये समाधान करेंगे? इनके पास क्या व्यवस्था है? नहीं तो ये सभी मामले हैं, जो सीमा शुल्क के हैं। महोदय, इसमें बड़ी गड़बड़ी की सम्भावना है, जो विधेयक ये लाये हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इन्होंने पावर दे दी, अब अधिकारी जाकर पूछ लेंगे, व्यापार को 4-4 ऑफिसर पूछते हैं,

उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई भी पूछ सकते हैं, ऐसा विधेयक ये लाये हैं, इसलिए ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। इन्होंने सब को असैसमेंट की, खोजने की, देखने की पावर दे दी तो उसमें वह अधिकारी अपनी नाजायज़ कमाई के लिए खूब नोटिस जारी करेगा, खूब खोज शुरू कर देगा, इसलिए वह बात साफ होनी चाहिए कि क्या किसको अधिकार है। यह इसमें स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट के नाम पर हम लोग इसे पास कर देंगे और बाद में एनार्की हो जायेगी, अराजकता हो जायेगी, जो चाहेगा, नाजायज़ वसूली करेगा और खोज करेगा।

सभापति महोदयः अब समाप्त करें। मंत्री जी जवाब देंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सभी बातों की सफाई होनी चाहिए, तब यह विधेयक पास हो।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): महोदय, दस माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। सीमा शुल्क विभाग के कार्यकरण में काफी दिलचस्पी दिखाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उनके मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने इन जानकारियों पर ध्यान दिया है जिससे सीमा शुल्क विभाग की प्रचालनात्मक दक्षता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इसमें पहले कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का जवाब दूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि सही-सही भुगतान नहीं किए गए शुल्क के मामले में वसूली के लिये कराधान विधियों में कार्रवाई किए जाने की जरूरत हैं। सीमा शुल्क के मामले में यह कार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क अधिकारी तथा राजस्व आसूचना महानिदेशालय, सीमा शुल्क आयुक्त (निरोधक) और अन्य समान अधिकाारियों को सौंपा जाता है।

18 जनवरी, 2011 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सैयद अली और अन्य (2002 का सी.ए. सं. 4294-4295 और 2005 का सी.ए. सं. 4603-4604) मुकदमे में यह निर्णय दिया था कि केवल सीमा शुल्क अधिकारी जिसे उस अधिकार क्षेत्र के जहां संबंधित आयात हुआ है, में शुल्क के निर्धारण और पुनःनिर्धारण का कार्य या तो बोर्ड द्वारा या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 2(34) की शर्तों के अनुसार सौंपा गया हो, वही इस अधिनियम की धारा 28 के तहत सूचना जारी करने के लिए सक्षम होगा।

तथापि, डी.आर.आई के सीमा शुल्क अधिकारी आदि को क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क अधिकारियों को दी गई निर्धारण की शक्तिया उन्हें विशिष्ट रूप से नहीं दी गई हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर इस तकनीकी आधार पर बड़ी सरकार में सूचनाएं अवैधानिक हो जाएंगी जिससे बड़ी मात्रा में राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भविष्य के लिये सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 6 जुलाई, 2011 से उपचारात्मक कदम उठाए हैं। सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011 पूर्व में जारी की गई सूचनाओं को वैधता प्रदान करेगा।

माननीय सदस्यों द्वारा कई संबंधित प्रश्न अठाए गए हैं। मैं उनमें से कुछ का उत्तर देना चाहता हूं। श्री उदय सिंह ने सीमा शुल्क के कम्प्यूटर नेटवर्क के बारे में उनके धीमा होने या काम नहीं करने से संबंधित मुद्दा उठाया था। कुछ हद तक मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और हमने अपनी प्रणाली को उन्नत कर दिया है। यह मुख्यतः प्रारंभिक दिक्कते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं की मदद के लिए 24 घंटे सहायता केन्द्र उपलब्ध है।

उनके द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। एक विशेष मूल्यांकन शाखा का उल्लेख किया गया था। एस.बी.बी. कम मूल्यांकन के मामलों पर रोक लगाता है जिससे सही शुल्क लिया जा सके। प्रश्नावली सूचना पाने के लिए पारदर्शी तरीका है यदि आयातकों के पास कोई सूचना नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है। एस. वी.बी. के कार्यकरण की पहले से ही समीक्षा चल रही है। इस बात की जांच चल रही है कि क्या इसे और अधिक व्यावसायिक बनाने के लिए इसे एक निदेशालय के अधीन लाया जा सकता है। उन्होंने पुनः एक प्रश्न उठाया कि वर्तमान में 25000 रुपये का बैगेज भत्ता कम है। इसकी निर्गमित समीक्षा होती है। अंतरिम ड्यूटी बॉड का संदर्भ दिया गया था। इस बांड राशि में शुल्क का अंतर तथा संभावित दंड सम्मिलित है। सीमा शुल्क संबंधी नियम बहुत ही पेचीदे हैं और अनुमति लेने में काफी समय लगता है। इस साल के बजट में हमने आयातकों और निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क के स्व. आंकलन की प्रथा शुरू की है। आगे 60 प्रतिशत माल की स्वीकृति स्व-आंकलन के आधार पर बिना जांच के दे दी जाती है। हवाई अड्डों पर 98 प्रतिशत से अधिक यात्री सीमा शुल्क अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना ग्रीन चैनल से गुजरते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार ने इस संशोधन के राजस्व निहितार्थ के बारे में सवाल उठाए हैं। मोटे तौर पर इसका राजस्व निहितार्थ 7600 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया था कि उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार के निर्णय देने से पहले इन सभी विचारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जी हां, उच्चतम न्यायालय का यह आदेश इस कानून के तर्क की व्याख्या पर आधारित है। इसी आदेश में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को शुल्क वसूली की अनुमति दी है।

मेरे मित्र श्री विजय बहादुर सिंह ने दो या तीन संबंधित प्रश्न उठाये हैं कि सीमा शुल्क अधिकारियों को जरूरत से अधिक विवेकाधिकार प्राप्त हैं। लेकिन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 इसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार लिये गये निर्णय और आंतरिक प्रशासनिक सतर्कता तंत्र इसके दुरूपयोग को रोकती है।

उन्होंने बिना शुल्क कारों के आयात का मामला उठाया है। कुछ लोगों ने उन लोगों को दी गई सुविधा का दुरूपयोग किया जिन्हें भारत में अपने निवास अंतरित करने के लिए यह सुविधा दी गई थी। शीघ्र उपचारात्मक कार्रवाई की गई और इन मामलों की जांच चल रही है।

उन्होंने एक और प्रश्न उठाया था कि आयातित वस्तुओं की कीमत/मूल्य निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों होने चाहिए। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनके सुझाव का स्वागत है। पहले से ही एक मूल्यांकन आंकड़ा है और इस डेटाबेस के आधार पर जांच करके सभी आयातित वस्तुओं की अनुमति दी जाती है।

माननीय सदस्य श्री आर थामराई सेलवन भारत के विदेशों से लाई गई खराब वस्तुओं को सस्ते दामों में बेचने के लिए संबंध में एक प्रश्न उठाया था। मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं और जब कभी जरूरत होती है हम सस्ते में घटिया माल बेचने के इस कृत्य के विरूद्ध कदम उठाते हैं।

श्री भर्तृहरी महताब ने तीन-चार संबंधित प्रश्न उठाये थे। उसमें से एक कारण बताओ नोटिस की लंबित अवधि के बारे में था। इस विधेयक के माध्यम से उन सभी सूचनाओं को नियमित किया जाएगा जिन पर निर्णय नहीं हुआ है तथा जो अभी भी अपील के विभिन्न चरणों में लम्बित है। उच्चतम न्यायालय के तकनीकी आधार पर इस कार्रवाई को अवैध करार दिया और अब इस संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया है।

माननीय सदस्य श्री पी.आर नटराजन ने विभाग में रिक्तियों के संबंध में प्रश्न उठाया था। जी हां, कुछ रिक्तियां है और संवर्ग पुर्नरचना विचारधीन है।

श्री महताब ने यह भी प्रश्न उठाया था कि हम विशिष्ट अधिकारी को मनोनीत क्यों नहीं कर सकते? हमने हवाई अड्डों पर पहले से ही अधिकारी मनोनीत किये हैं। यह विधेयक मूलतः डी.आर.आई और निवारक स्कंध से संबंधित अधिकारियों के लिए है। उन्होंने एक प्रश्न यह भी उठाया था कि इस विधेयक से अंतर्राष्ट्रीय यात्री अपमानित किये जायेंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा केवल पूर्व में जारी की गई सूचनाओं को वैधता प्रदान की जाएगी और इसमें यात्रियों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

महोदय, माननीय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीमा शुल्क अधिकारियों और विभाग अन्य अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए जाने के बारे में एक प्रश्न पूछा है। यह विधेयक केवल पिछली अवधि 6 जुलाई, 2011 से पहले का है। इस समय यह अधिकार केवल क्षेत्राधिकारियों, डी.आर.आई, केन्द्रीय उत्पाद आसूचना अधिकारियों, निरोधक अधिकारियों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों तक ही सीमित है। इस तरह से सभी क्षेत्राधिकारी हैं।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि सभा अब इस बात को समझ रही है कि कोई भी इस बात के विरूद्ध नहीं है कि उचित सीमा शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। सरकार केवल चाहती है कि जिन लोगों ने उचित रूप से शुल्क का भुगतान नहीं किया है उन्हें इस तकनीकी रूप से कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा में विचार किए जाने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप केवल एक प्रश्न पूछिये।

श्री उदय सिंहः महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि मैंने जो प्रश्न पूछा है माननीय मंत्री महोदय ने उनकी अनदेखी की है। इसलिए, यदि आप मुझे सिर्फ एक प्रश्न पूछने की ही अनुमति देगें तो यह अनुचित होगा।

अब मैं बताना चाहता हूं कि मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मेरा मतलब है कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसी आयातित सामान का सही मूल्यांकन क्या होगा क्योंकि उनका कहना है कि सही मूल्यांकन कर सही शुल्क लगाने के लिए एस.वी.बी. मौजूद है। आप सही मूल्यांकन कैसे करते हैं?

सभापति महोदयः माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री उदय सिंहः पी.डी. बांड पर आलोक दंड का प्रावधान है। वे कहते हैं कि यह शुल्क और आर्थिक दंडाराशि के बीच अंतर के लिए है। यदि मूल विवाद 5 प्रतिशत के लिए था तो यह शास्ति 100 प्रतिशत कैसे हो सकती है? यह अस्पष्ट है।...*(व्यवधान)*। मेरे दूसरा उठाए गए मुद्दों में से कुछ इसी प्रकार के हैं।

सभापति महोदयः अब मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने दीजिए।

श्री नमोनारायन मीणाः प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि मैंने उदय सिंह सहित सभी माननीय सदस्यों की चिंताओं, उनके द्वारा

की गई जानकारियों और सुझावों को नोट कर लिया है। स्थापित नियमों के अनुसार मूल्यांकन लेन-देन के आधार पर होता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपने जो कुछ कहा है मैंने उसको नोट कर लिया है। इससे विभाग को लाभ होगा और हम सुधारात्मक कदम उठाएंगे।

श्री उदय सिंह: मैं उनकी बात से संतुष्ट हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड कर विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नमो नारायण मीणा: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.24 बजे

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, विधेयक, 2011

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा मद संख्या 11 पर चर्चा करेगी। माननीय मंत्री बोलें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं श्री कपिल सिब्बल की ओर से प्रस्ताव* करती हूं:

"कि तमिलनाडु राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने तथा उसके निगमन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: माननीय मंत्री क्या आप बोलना चाहती हैं? यदि आप बोलना चाहती हैं तो आप बोल सकती हैं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, माननीय सदस्यों के चर्चा में भाग लेने के बाद मैं बोलूंगी।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि तमिलनाडु राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने तथा उसके निगमन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब हुक्मदेव नारायण यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, जिस उद्देश्य के लिए इस विधेयक को लाया गया है, वह सराहनीय और स्वागत योग्य है। देश में ऐसे जितने भी संस्थान विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा देने वाले हैं, वैसे सभी ख्याति प्राप्त संस्थानों को भारत सरकार अपने हाथों में लेकर उन्हें उन्नत और विकसित करने का काम करे। भारतवर्ष में विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा भारतवर्ष विकसित होगा। लेकिन आज विज्ञान और तकनकी के जितने ज्ञान दिए जा रहे हैं, उनमें यह ख्याल रखना चाहिए कि देश में दो तरह के विज्ञान हैं-आधुनिक और परम्परागत विज्ञान। जो ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंस और टैक्नोलॉजी है उसके मॉडीफिकेशन, अपग्रेडेशन, मॉडर्नाईजेशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहा जाता है। भारतवर्ष के प्राचीन समय से, ऋगवेद काल से जो सिद्धांत है, हम उसे भूलते चले जा रहे हैं। हमारे पास जो परम्परागत तकनीक, ज्ञान, विज्ञान है, हम समझते हैं कि हमारे ऋषि-मुनि, बांप-दादा

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

मूर्ख थे। उनको कोई तकनीकी ज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं था। वे हवा में बात करते थे। लेकिन वे हवा में बात नहीं करते थे, उनका अपना एक विज्ञान है। आज गांव में जो किसान है, उस किसान के पास परम्परागत कृषि यंत्र, उपकरण और खेती के औजार हैं उनके भी अपने वैज्ञानिक आधार हैं। आज के जो यंत्र, उपकरण हैं, उनके भी वैज्ञानिक आधार हैं। लेकिन भारतवर्ष के लोगों को ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा दी जाए तो उनके लिए हितकारी और जीवन-जीविका के लिए उपयोगी हो। हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में आज जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे बच्चे बाहर तो निकलते हैं, लेकिन वे नौकरी करें या सड़क पर भटके। वे स्वयं आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खड़े हों, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भता के साथ जीवन में आगे बढ़े ताकि समाज के लिए भी कुछ कर सके। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक केवल पश्चिमी तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर भारत के लोगों को शिक्षित करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। इसलिए आज दोनों को जोड़ने और एक साथ मिलाने की आवश्यकता है। आप जो उसे बढ़ा रहे हैं, जब आपने इसका निर्माण किया और जो आपने इसमें लिखा है, उस समय क्यों नहीं सोचा कि इसमें कितने प्रोफेसर हैं या ज्ञान देने वाले हैं या फैकल्टी है। आप धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: आपने एक बार जो बनाया, एक दीर्घकालिक दृष्टि है और एक तात्कालिक दृष्टि। आपने तात्कालिक तौर पर निर्माण किया, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि रखकर कि उस शिक्षण संस्थान का जो विस्तारीकरण होगा, उसमें आगे और जो विभाग खुलते जाएंगे, उनमें जो आधुनिक मशीनें आएंगी, उन सबके लिए जब तक हमारे पास बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हो, तब तक आप किसी संस्था का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, भारत सरकार के अधीन कर दीजिए, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम पिछड़े इलाके हैं। इन पिछड़े इलाकों में आज जो तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का जो अभाव है, वहां इस तरह के इंस्टीट्यूशन्स को स्थापित कीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में इसे ले जाइए।...*(व्यवधान)* इसे ऐसे पिछड़े इलाकों में ले जाएं।

मैं आपका ध्यान एक बिन्दु की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके क्लॉज़ 11 में जहां आप बोर्ड का निर्माण करेंगे, उसमें 10 आदमी निर्वाचित होंगे। मै। बुनियादी प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने लिखा है कि इसमें जो पढ़ने वाले होंगे, उनमें जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग का भेद नहीं रहेगा, लेकिन उसके नियंत्रण बोर्ड में पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई प्रतिनिधि होगा या नहीं, इसे साफ कीजिए। जब तक किसी भी संस्था के नियंत्रण, प्रबंधन में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का स्थान नहीं होता है, तो जैसे उनके बच्चों को एम्स में पीटकर निकाल दिया जाता है, अपमानित होना पड़ता है वैसे ही हर शिक्षण संस्थान में अपमानित होना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: हमारे बच्चे वहां अपमानित न हों, इसलिए उस बोर्ड में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व जितना आरक्षण है, उतना संविधान के आरक्षण के अनुसार होना चाहिए, तभी हमें इसका कुछ लाभ मिल सकेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. विश्वनाथन (कांचीपुरम): सभापित महोदय, अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांचीपुरम की जनता की ओर से मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011 को सभा-पटन पर रखने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं।

कांचीपुरम 'सिल्क सिटी' के नाम से जाना जाता है तथा देश में उत्तम सिल्क साड़ियों के उत्पादक के रूप में 400 वर्ष पुरानी परम्परा तथा ख्याति प्राप्त है। यहां पर 1000 से अधिक मंदिर है, कांचीपुर को एक 'टेम्पल सिटी' के नाम से भी जाना जाता है। कांचीपुरम महाबलीपुरम मूर्तिकला के समूहों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

आज इसकी ख्याति प्राप्त परम्परा विरासत और इतिहास के अलावा कांचीपुरम औद्योगिक जिलों में से एक है तथा भारत के सबसे बड़े विनिर्माण हबों में से एक है। यह जिला हुंडई, फोई, बीएमडब्ल्यू निसान, टीवीएस, नोकिया, सैमसंग, डेल, सेंट गोबेन आदि जैसे विनिर्माण एकक स्थापित हैं। यह जिला भारत में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में बूम भी है। बहुत सी बहुराष्ट्रीय आई. टी. कम्पनियां जैसे टाटा कनसल्टैंसी सर्विसस (टी.सी.एस.) इन्फोसिस, विप्रो टेक्नॉजी, कागजेन्ट टेक्नालॉजी सल्यूशन आदि ने अपने कार्यालय कांचीपुरम जिले में स्थापित किये हैं।

कांचीपुरम जिले में 76 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज, 11 मेडिकल कॉलेज के अलावा उच्च शिक्षा देने वाले बहुत से संस्थान

हैं। मुझे विश्वास है कि इस बिल के पारित होने से उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हजारों विद्यार्थियों के सपने पूरे होने में सहायता मिलेगी। इससे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांचीपुरम को लाभ होगा जो दक्षिण भारत के नक्शे में प्रमुख स्थान के रूप में जाना जाता है। जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विनिर्माण क्षेत्र की सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करना है। इसके अलावा, इस महत्वपूर्ण संस्थान आईआईआईटी डी एम की औपचारिक स्थापना से गौण उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान की मुख्य भूमिका अदा करेगा तथा विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिरोधी लाभ को बढ़ावा मिलेगा। यह संस्थान उत्पाद जीवन शैली प्रबंधन के क्षेत्र, में चारों ओर डिजाइन और विनिर्माण, विश्वभर में उद्योग के आधुनिकतम अवधारणाओं, यंत्रों, प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों का उपयोग शामिल है, में भी अन्तर अनुशासनिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, कांचीपुरम के लोगों की ओर से एक बार पुन: यह पहल करने के लिए अपनी सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिससे कि यह संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान के रूप स्थापित होना सुनिश्चित हो सकेगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का स्वागत करता है और समर्थन भी करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि छह बजे तक इस बिल को पास करना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय सूचाना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे विद्वान मंत्री सिब्बल साहब भी सदन में आ गए हैं, यह और भी अच्छी बात है। कांचीपुरम जो राष्ट्रीय संस्थान है, इसके राष्ट्रीय महत्व को और बढ़ावा देने के लिए आप जो बिल सदन में लाए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हमने विस्तार से चर्चा की थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो स्वायत्तता आप बढ़ रहे हैं, चाहे वह डिग्री, डिप्लोमा और शैक्षिक अनुदानों का पूरा अधिकार देने की बात आप कह रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो नौजवान ऐसे संस्थानों से पढ़कर निकल रहे हैं, उन्हें कैसे रोजगार दे पाएं।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम एजीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज तो काफी खोल रहे हैं, आईआईआईटी, आईआईटी जैसे, जिनकी मांग भी है, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सरकार ने इस बारे में काफी छूट दी है, उनके बजट में भी प्रावधान किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद का उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जैसे हम संस्थान खोल रहे हैं, इजीनियर्स की संख्या भी बढ़ रही है, पढ़कर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्हें खुद का उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। यह तब ही हो जाएगा, आप ऐसे कालेजेज़ को आप बजट देकर टेक्नीकलाइज कर रहे हैं, कि जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उन्हें रोजगारपरक बनाना पड़ेगा। उन्हें अपना उद्यम शुरू करने की जरूरत है।

अभी हमारे पूर्व साथी हुक्मदेव नारायण यादव जी ने बहुत मार्के की बात कही है। मेरे पास इलाहाबाद मोती लाल इंजीनियरिंग कालेज, आईआईआईटी का एक डेलीगेशन आया था। जो छात्र मेरे पास आ थे, उन्होंने कहा कि हम लिखित परीक्षा में तो पास हो जाते हैं, लेकिन प्रक्टिकल में एक या आधे नम्बर से हमें फेल कर दिया जाता है, जिससे हमारा भविष्य संकट में पड़ जाता है। इसलिए जो भी ऐसे टेक्नीकल एजुकेशन के जो भी रीडर्स, प्रोफेसर्स या शिक्षक हैं, उसमें हमें एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करना पड़ेगा, ताकि इन वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। इसके साथ ही साथ हमें रोज़गार पैदा करने के लिए अपने तंत्रों की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए मंत्री जी विशेष ध्यान दें।

मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से यहां से बोलना चाहूंगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011 बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जितने भी एक्सीलैंस के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, इनके बनने में, इनकी तादाद बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस बिल में कहीं यह क्लियर नहीं होता कि वास्तव में नेशनल इंस्टीट्यूट तो अपने बना दिया, इनका आउटपुट, इनका एकेडमिक एक्सीलैंस का स्टेंडर्ड रहेगा या नहीं। किसी को नेशनल इस्टीट्यूट बनाने से ही उसके एक्सीलैंस का दर्जा नहीं मिलता। अगर है ता जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईएम, अहमदाबाद हो, उसके बराबर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। बीसियों ऐसे एक्सीलैंस इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भारत सरकार चला रही है, लेकिन उनके कैम्पस

सैलेक्शन में कोई जाता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक्सीलैंस वाला, यह बेसिक एजुकेशन नहीं है, इनके एक्सीलैंस में एजुकेशनल स्टेंडर्ड इंजीनियरिंग का, टेक्नीकल का स्तर भी वही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं हो पाता, उसकी क्या वजह है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम इसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन इनका एक्सीलैंस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, तब ही ये उनके बराबर हो पाएंगे, अन्यथा इनका महत्व इतना नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन इस टिप्पणी के साथ कर रहा हूं कि आरक्षण नीति को बनाए रखने, रोजगार सृजन क्षमता में सुधार के लिए हम प्रकार के संस्थान की निश्चित रूप से सरकार द्वारा सहायता की जानी चाहिए और यह जारी रहना चाहिए। सभी निजी संस्थाओं के अतिरिक्त इस प्रकार के सरकारी संस्थानों की भी सहायता और समर्थन किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संसीान, कांचीपुरम को इस विधेयक के खंड 2 के माध्यमों एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मुझे यह कहने में बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने इस संस्थान को एक राष्ट्रीय महत्व वाला संस्थान के रूप में घोषित किया था जो संयोग से कांचीपुरम नामक स्थान में अवस्थित है जो की मंदिरों का शहर है, जो ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान है जो न केवल तमिलनाडु राज्य से संबंधित है बल्कि पूरे देश और विश्व से संबंधित है।

इस संस्थान को एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए सही समय पर कार्रवाई करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। जिन छात्रों ने इस संस्थान में प्रवेश लिया है और डिग्री पूरी की उन्हें डिग्री कम प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया जो भारत और विदेश में भी उच्च शिक्षण संस्थाओं की नजर में वैध था और जिनको कॉरपोरेट घरानों द्वारा भी मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन इस विधेयक से केवल उन छात्रों उच्च शिक्षा के लिए की मदद नहीं हागी जिन्होंने इस संस्थान में पढ़ाई की है बल्कि वे इससे नौकरी भी हासिल कर और इससे अकादमी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलो में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

जब हम सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र बहुत कारगर रहा है। एन.ए.एस. एस.सी. और एम. डिलोईट स्ट्डी के अनुसार, देश के सकल घरेलू उत्पाद में आई.टी. और आई.टी.डे.एस. उद्योग देश के जी.डी.पी. में योगदान का हिस्सा 1998 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 5.2 प्रतिशत हो गया है। पुन:, आई.टी. और बी.पी.ओ. उद्योग से राजस्व की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा आकलन है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा बाजार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजार के रूप में कायम रहेगा।

विश्व में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में आई.टी. सॉफ्टवेयर और सेवाओं की मुख्य भूमिका है। विगत वर्षों में हमने देखा है कि "वैश्वीकरण 3.0" के कारण आउटसोर्सिंग और ऑफ-सोर्सिंग चीन, वियतनाम, फिलिपिन्स जैसे देशों तथा पूर्वी यूरोप के देशों तक फैल गया है। नैसवगॉम के सर्वेक्षण के अनुसार आज की तारीख में महाविद्यालयों से निकलने वाले अधिकांश स्नातक रोजगार दिए जाने योग्य नहीं हैं। हमें महाविद्यालयों में छात्रों की प्रतिभा को न केवल तकनीकी तौर पर बल्कि सॉफ्ट स्कील्स के मामले में भी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। यह प्रशिक्षण संकायों को भी दिया जाना चाहिए जिससे कि एक बेहतर सुसज्जित प्रतिभा समूह को तैयार किया जा सके। ये कदम आई.टी. कंपनियों द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है जिससे भर्ती के बाद आई.टी. कंपनियों के प्रशिक्षण लागत को कम करने में मदद मिले।

यह सत्य है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के समक्ष कुछ चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं लेकिन यदि कारगर कदम उठाए जाएं तो भविष्य में भी यह स्पर्धा में बने रहने में मदद करेगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं मंत्री महोदय को इस संस्थान के लिए और अधिक धन आबंटित करने तथा इसे और अधिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। चूंकि इस संस्थान को केन्द्र एक सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं इस विधेय का समर्पण करता हूं।

श्री एस. सेम्मलई (सेलम): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान का दर्जा प्रदान करता है।

इसलिए इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने संबंधी कदम एक अच्छा कदम है।

हमारे माननीय मंत्री अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक लाए हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान दो बिन्दुओं की ओर दिलाना चाहता हूं। पहला खंड 11 है जो निदेशक मंडल के गठन से संबंधित है। कुल मिलाकर 10 सदस्य हैं। उनमें से केवल एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है। राज्य प्रतिनिधित्व का उल्लेख स्थानीय जरूरतों को सुनिश्चित करना होता है। इसलिए, यह बेहतर होगा कि बोर्ड में राज्य सरकार की ओर से कम से कम तीन सदस्यों को मनोनीत किया जाए।

खंड 29 में कर्मचारियों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थम के लिए अधिकरण के गठन का वर्णन है। इस अधिकरण में तीन सदस्य हैं। सदस्यों की योग्यता को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें सदस्यों के लिए कोई योग्यता विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन सदस्यों में से कम से कम एक व्यक्ति विधिक मामलों का जानकार होना चाहिए। वह व्यक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है।

अंतत: खंड 29(2) में यह कहा गया है कि अधिकरण के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। माननीय मंत्री महोदय, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। यह अविवेकपूर्ण और असंवैधानिक होगा यदि कर्मचारियों को गलत निर्णयों के विरूद्ध अपील करने का अधिकार उनसे नहीं छिना जाना चाहिए जो अधिकार उनको दिया गया है। लोगों से उनके अपील करने के अधिकार को कोई भी कानून छिन नहीं सकता। इस विधेयक में अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि खंड 29(2) किसी भी न्यायालय में जाकर निर्णय पर प्रश्न चिह्न लगाने से रोकता है। महोदय इस प्रकार इस अधिकार के बारे में यह ज्ञात होना चाहिए कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदर्श के विरूद्ध भी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। इसलिए, यह खंड खत्म किया जाना चाहिए और अपील करने के प्रावधान को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन सुझावों पर विचार करें और इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन करे।

डॉ. के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। माननीय मंत्री बहुत ही विद्वान और सक्षम व्यक्ति हैं।

अभी हमारे लिए अभी समय नहीं आया है कि हम इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान के बारे में सोच सकें। इस देश के लिए उत्पाद कौशल की आवश्यकता है। जब तक कि नागरिकों का कौशल नहीं बढ़ता है, यह देश प्रगति नहीं कर सकता।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान तथा विकास, डिजाइन आदि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्य पहलू यह है कि वहां पर अभियांत्रिकी और आयुर्विज्ञान के संकाय सदस्यों की अत्यधिक कमी है जैसा कि आप किसी और दिन बता रहे थे। इसलिए मेरा विचार यह है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए शिक्षण संस्थान शुरू करने पर विचार करने की बजाए, आप क्यों नहीं स्थापित, प्रत्यापित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह तुरंत बिना कोई समय बर्बाद किए किया जा सकता हैं आप कल ही इसका निर्णय ले सकते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजों को उन्हें अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू करने के लिए कह सकते हैं। तत्पश्चात् उनकी कोई कमी नहीं रह जाएगी। इससे देश में अभियांत्रिकी शिक्षा की गुणवत्ता और उसका स्तर काफी बढ़ जाएगा।

जैसा कि मेरे मित्र पहले कह रहे थे कि जैसे ही हम किसी संस्थान को 'उत्कृष्ट संस्थान' कहते हैं तो उस से निकलने वाले छात्र उद्योग के लिए उपयोगी होने चाहिएं। वह रोजगार के योग्य होना चाहिए। उसका निश्चित रूप से सीधे कैम्पस से चयन होना चाहिए। केवल तभी हम उस संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान कह सकते हैं।

मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध है। आप गुणवत्ता और मानक में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं और तत्काल सभी आवश्यक कदम उठा कर बड़ी संख्या में संकाय सदस्यों को उपलब्ध करा सकते हैं। आपको संख्य सुझाव मिले हैं परंतु कृपया समय बर्बाद नहीं करें। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे सबसे बड़ी प्रौद्योगिक जनशक्ति है परंतु उनमें से कितने उत्पादक रोजगार के लिए उपयुक्त हैं यह एक प्रश्न है।

इसलिए मेरा यह अनुरोध है। कृपया इन बातों पर ध्यान केन्द्रित करें। यदि आवश्यक हो, आप उद्योग को सीधे संस्थान से जोड़ सकते हैं। चार वर्ष के पाठ्यक्रम में से कम से कम आधा समय उन्हें अवश्य उद्योग में व्यतीत करना चाहिए यदि उनका ज्ञान व्यवहारिक और फिर डिजाईन अभिमुख हो सके।

महोदय, आप में ऐसा करने की क्षमता है, आपके पास वह सोच है और आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। महोदय, मै। चाहता हूं कि आप इस संबंध में शिक्षकों को तैयार करने में अब और देर नहीं करें।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सभी विशिष्ट सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने न केवल इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया वरन् कुछ बहुत उपयोगी सुझाव भी दिए।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। सर्वप्रथम, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भारत में शिक्षा संस्थानों की स्थापना हमारे सामाजिक-आर्थिक परिवेश के संदर्भ में एक अत्यंत जटिल कार्य है।

[हिन्दी]

क्योंकि होता ऐसा है कि हमें कई बार कहा जाता है और हुक्मेदव जी ने कहा भी कि ऐसे प्रदेश जो पिछड़े हैं, वहां उच्च स्तर संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि अगर पिछड़े प्रदेशों में स्थापना नहीं होगी तो वे बढ़ेंगे कैसे? अब हमारे सामने दुविधा यह रहती है कि अगर ऐसी बैकवर्ड जगह पर उच्च स्तर शिक्षा की स्थापना करने जाते हैं तो वहां सवाल उठता है कि उच्च स्तर शिक्षा के लिए उच्च स्तर के अध्यापक चाहिए और इनके बिना उच्च स्तर शिक्षा नहीं मिलेगी। उच्च स्तर अध्यापक के लिए उच्च स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कोई कहता है मेरे बच्चों के लिए स्कूल अच्छा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट की सुविधाएं होनी चाहिए। अगर हमें उच्च स्तर के अध्यापक नहीं मिलेंगे तो उच्च स्तर शिक्षा नहीं मिलेगी। यह विडंबना हमारे सामने हमेशा आती है इसलिए हमें दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ जहां तक प्रदेश की अपनी संस्थाएं बनाने की नीति की बात है, केंद्र सरकार को पूरी तरह से मदद करनी चाहिए ताकि जहां भी पिछड़े इलाके हैं, वहां इन्वेस्टमेंट हो। जहां हमें उच्च स्तर की संस्थाएं बनानी हैं, वे केवल चंद ही हैं,

[अनुवाद]

ऐसा नहीं है कि हम यदि सैकड़ों संस्थान स्थापित कर दें। हमने केवल कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, भारत में कुल 30 हैं। ये तीस विश्वविद्यालय भारत की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यदि हम उन विश्वविद्यालयों की स्थापना अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में करें तो हम उत्कृष्ट संस्थाओं की स्थापना कहां करेंगे। यह एक कठिन समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्र को प्रगति करनी चाहिए। हमें उच्च स्तर के शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी करनी चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम उन संस्थानों की स्थापना करते हैं, बेहतर संकाय, बेहतर छात्र और बेहतर बुनियादी संरचना उपलब्ध हों।

इन्हीं बातों के मद्देनजर हम अपनी नीति निर्धारित करते हैं। जैसे-जैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे हम उन सभी बतों का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे जो आपने जाहिर की है परंतु अधिकांश समय हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है।

[हिन्दी]

कुछ जगह इस तरह की स्थापना की है, मुझे अब शिकायत मिलती है कि वाइस चांसलर वहां जाते ही नहीं हैं। वह कहते हैं कि हमें जाने में आठ घंटे लगते हैं, हम कैसे काम करें? कहीं एयरपोर्ट नहीं है और कहीं कुछ और सुविधाएं नहीं हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए हम कह रहे हैं कि बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें आपके साथ किसी मतभेद की बात नहीं है लेकिन हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हमने 374 डिग्री कॉलेज की स्कीम बनाई, वह बैकवर्ड एरिया की स्कीम है, हमसे आप मदद लीजिए। मॉडल स्कूल बनाए हैं, बैकवर्ड एरिया के लिए बनाए हैं, आप हमसे मदद लीजिए। एक नीति बैकवर्ड एरिया के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि हमारी सरकार की आज के दिन यह नीति नहीं है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमालच प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, केंद्र सरकार को ज्यादा तवज्जोह देनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लिए तो बिना सोचे समझे तवज्जोह होगी क्योंकि हम नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर को अलग नजरिए से देखते हैं।...*(व्यवधान)* मैंने राजस्थान का नाम लिया है, आप चाहते हैं तो मैं राजस्थान का नाम दोबारा ले देता हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पिछड़े इलाकों को ज्यादा तवज्जोह नहीं देंगे तो वे पिछड़े ही रह जाएंगे। वहां की जीईआर सबसे कम है।...*(व्यवधान)* मैं तो बिहार से सांसद रहा हूं। मैं तो बिहारी में ही बोलता हूं, हम बिहारी में बतियाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब मंत्री जी को उत्तर देने दें। कृपया बैठ जाएं।

श्री कपिल सिब्बलः महोदय, इसलिए मैं केवल पृष्ठभूमि बताना चाह रहा था। पृष्ठभूमि मैंने बता दी है, हां, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्कृष्ट संस्थाओं से जो भी इंजीनियर इनसे पास होकर निकलते हैं रोजगार के योग्य हों। परंतु यह भी बहुत जटिल है और कारण बहुत सरल है। प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जो आज कुशल हैं वे प्रौद्योगिकी के अत्यधिक विस्तार और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के मद्देनजर अकुशल हो जाएंगे।

इसलिए हमें अपने संकाय के भीतर ज्ञानार्जन और पुन: ज्ञानार्जन का निरंतर प्रवाह बनाए रखना होगा। हमारे पास इसके लिए कोई प्रणाली नहीं है। महोदय, मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूं। मैं वकील था और न्यूयार्क में प्रैक्टिस कर रहा था। मैं वाल स्ट्रीट में प्रैक्टिस कर रहा था और न्यूयॉर्क बार में प्रवेश के नियमों के अनुसार, मैं 1970 के दशक की बात कर रहा हूं। मुझे हर वर्ष अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए एक पाठ्यक्रम करना पड़ता था यहां तक कि मुझे अपना लाइसेंस का नवीकरण करवाने के लिए भी मुझे प्रत्येक वर्ष एक नियमित पाठ्यक्रम को पूरा करना पड़ता था।

डॉ. के.एस. राव: आप यह यहां भारत में भी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हों?

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: यहां तो बवाल हो जाएगा। आप ही लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि भैया, ये तो हमारे वकील लोग कहते हैं कि आपने क्या कर दिया?...*(व्यवधान)* हमें माइंड सैट चेंज करना पड़ेगा। अगर देश को तरक्की करनी है तो बिना माइंड सैट चेंज किए तरक्की नहीं होगी। अपग्रेड करना पड़ेगा और कुछ मुश्किलें आएंगी लेकिन उनका सामना करना पड़ेगा। जब तब उच्च स्तर की संस्थाएं नहीं बनाएंगे तब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी। जब क्रिएटीविटी नहीं होगी तो आईपीआर डेवलप नहीं होगा। जब आईपीआर डेवलप नहीं होगा तो कैसे इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी के रास्ते से ही नेशनल वैल्थ बढ़ेगा? वही नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम अब ये कर रहे हैं कि जो उच्च स्तर की संस्थाएं हैं।

[अनुवाद]

हमारे उद्योगपति वहां जा सकते हैं और कुछ केन्द्र स्थापित कर सकते हैं उन्हें उनके साथ सहयोग करना चाहिए और हमें उन विश्वविद्यालयों को स्टग करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए।

[हिन्दी]

आज मंत्री चाहते हैं कि हमारे ही कहने से सब कुछ हो। क्या यह सही बात है? हमारे कहने से ही सब कुछ हो, जो हम चाहें तुम वही करो, नहीं तो पैसा नहीं देंगे। यह माइंड सैट गलत है। उन्हें स्वायत्तता दीजिए, ऑटोनमी दीजिए, उन्हें काम करने के लिए जो सुविधाएं चाहिएं दीजिए और ट्रस्ट रखिए। जैसे आज के दिन सादा कुछ लोग सोचते हैं कि हम सब भ्रष्ट हैं, हम पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है।...*(व्यवधान)* ट्रस्ट नहीं रखें तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम जानते हैं कहां-कहां भ्रष्ट लोग हैं। सबको मालूम है। कैसे उन्हीं लोगों के पास बाहर से पैसा आता है, यह भी हमें मालूम है। कैसे ट्रांसपोंडर द्वारा थोड़ी सी फीस लेकर अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, वह भी हमें मालूम है। लेकिन आप सभी को एक दायर में डालेंगे और लोगों को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें यह सोचकर चलना पड़ेगा कि विश्वास के बिना कभी प्रगति नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): आप हिंदी में बोलते हैं तो तालियां बजती हैं।

श्री कपिल सिब्बल: बोलना क्या मैं तो हिंदी में सोचने लगा हूं।

[अनुवाद]

महोदय, आपने इस विधेयक के उपबंधों में कुछ संशोधनों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि हम सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थायें (आईआईटी) को शामिल करने वाला एक व्यापक विधान लाने जा रहे हैं। जब हमारे पास यह व्यापक विधान होगा तो हम इन सभी समस्याओं का ध्यान रखेंगे, वास्तव में हम एक न्यायाधिकरण विधेयक लाने जा रहे हैं। इसलिए आपने अपील की कमी सहित इन सभी चिंताओं के बारे में बात की उन्हें न्यायाधिकरण विधेयक के माध्यम से सुलझाया जाएगा। इसलिए आप इसके बारे में चिंता न करें। मैंने आपकी चिंताओं को नोट कर लिया है। किसी भी हाल में माध्यस्थम न्यायाधिकरण के किसी निर्णय को उच्च न्यायालयों में चुनौती दिए जाने की सदैव अनुमति प्रदान की जाएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है। हम उन सभी चिंताओं पर ध्यान देंगे। हम अपने बच्चों को सशक्त करना चाहते हैं।

राव साहब ने सही कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम तुरंत एक नीति लाएं जिसके माध्यम से हमारे शिक्षण संकाय को सशक्त किया जाए और संख्या को बढ़ाया जा सके। हम ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में 12वीं योजना में ही मुख्यत: संकाय को बढ़ाया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण संकाय इसका केन्द्र बिन्दु होगा।

सायं 6.00 बजे

इसलिए मैं इन शब्दों के साथ इस विधान का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इससे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री को उत्तर देने दो।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी, आप जवाब दें।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सर जो 11 मैम्बर्स की कमेटी है, यह उसकी बात कर रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: मैं कह रहा हूं कि जब हम सारी आईआईटीज, का कम्प्रिहैन्सिव लेजिस्लेशन बनायेंगे तो आपने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए अपनी तरफ से कोशिश करके हम उनका पालन करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: आप अभी शुरू कीजिए... *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: हम पूरा ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा द्वारा पारित करने हेतु सिफारिश करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर हाउस की अनुमति हो तो इस बिल के पास होने तक और जीरो ऑवर समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि तमिलनाडु राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने तथा उसके निगमन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्तुत स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 34 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्तुत स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब, सभा शन्य काल शुरू करेगी।

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने का मौका दिया। केन्द्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना रोजगार हमी योजना के नाम से महाराष्ट्र से शुरू हुई थी और अब केन्द्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पैसा जाता है। पिछले दो सालों से यह योजना चल रही है, फिर भी महाराष्ट्र में इस

पर प्रोफेशनल टैक्स लिया जा रहा है। हमारा यह कहना है कि जब यह केन्द्र सरकार की योजना है और पूरा पैसा केन्द्र सरकार दे रही है तो फिर इस पर प्रोफेशनल टैक्स न लाया जाए। इसका कारण यह है कि आज प्रोफेशनल टैक्स से कोई अछूता नहीं रहा है। दस हजार से अधिक जिसकी इंकम है या तनख्वाह है, उसके साल में ढाई हजार रुपये कटते हैं। इसी प्रकार से चाहे नगरपालिका के कर्मचारी हों या अन्य सभी वर्गों के कर्मचारी हों, इन सबका टैक्स कटता है।

दूसरी बात की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नगरपालिका के 'क' वर्ग पर लागू करने की आवश्यकता हैं। मैं दोनों बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नगरपालिका के 'क' वर्ग में भी यह योजना लागू हो और महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया जाए कि जब केन्द्र सरकार पूरा पैसा दे रही है तो किसी भी हालत में वह प्रोफेशनल टैक्स से लोगों को राहत प्रदान करे। ताकि महंगाई के इस समय में लोगों को कुछ दिलासा मिल सके। यदि प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो जाए तो उससे उसके घर की गैस का चूल्हा आराम से चल सकता है। इस दृष्टिकोण से इस योजना को देखने की आवश्यकता है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इस टैक्स को हटाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को तुरंत निर्देश दे।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): मुझे 'शून्यकाल' में अविलंबीय लोक महत्व के विषयों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद, सभापति महोदय।

महोदय, संप्रग-नीत केंद्र सरकार ने यूरिया के मूल्य को नियंत्रण मुक्त और इसके मूल्य में 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है। सौ मित्र चौधरी सीमित ने आरंभ में यूरिया के मूल्य को नियंत्रण मुक्त करने और इसके मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि करने की सिफारिश की थी और बाद में इसे अक्टूबर 2011 तक राजसफलता आधारित पोषक तत्व के अंतर्गत ले आए।

अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने इस सिफारिश को दिनांक 5 अगस्त को स्वीकृति दी।

5130/- तक का वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रति टन मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि से किसानों पर 530 रुपये से अधिक अतिरिक्त व्यय का भार पड़ेगा जिनकी स्थिति पूरे देश में अति दयनीय है। अगले वर्ष से कंपनियां स्वतंत्र होंगी और यूरिया के फार्म गेट मूल्यों का निर्धारण उनके द्वारा किया जाएगा।

उर्वरक राजसहातया की निष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी नियंत्रण महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को दिनांक 5 अगस्त 2011 को सभापटल पर रखा गया जिसमें कहा गया था कि 45 प्रतिशत किसान अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि का भुगतान करते हैं। रिपोर्ट में कीलरों द्वारा बाजार खुदरा मूल्य से बहुत अधिक मूल्य वृद्धि करने के लिए अधिक मांग के समय के दौरान कृत्रिम कमी की समस्या को ओर भी इंगित किया है।

कालाबाजारी और भ्रष्ट-तरीकों को रोकने के बजाय सरकार का उपाय किसानों को सिर्फ उर्वरक के बड़े-बड़े व्यापारियों की दया पर छोड़ने का काम करने जा रही है।

'सरकार ने दिनांक 8 जुलाई 2011 को अधिसूचना द्वारा पहले ही कंपनियों द्वारा गैर-यूरिया उर्वरकों के बढ़ते मूल्यों पर किसी रोक को वापस ले लिया और कहा कि डीएपी और एमओपी जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों के बाजार मूल्य खुले होंगे तथा इसके द्वारा गैर-यूरिया उर्वरकों के मूल्य दिनांक 5 मई, 2011 के साल के मूल्य से भी काफी अधिक बढ़े। अतः, सरकार द्वारा गैर-यूरिया उर्वरकों के मूल्य को नियंत्रण मुक्त करने का कदम उस समय उठाया जा रहा है जब किसान पहले से ही गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए भारी राशि का भुगतान कर रहे हैं और खेती की बढ़ती उत्पादन लगात से नुकसान हो रहा है।

यूरिया कृषि की मूलभूत आवश्यकता है। डीएपी और अन्य मिश्रित उर्वरकों के मामले की तरह यूरिया में मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने से खेती बाड़ी पर बड़ा भार पड़ेगा और उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इससे किसानों की स्थिति और बिगड़ेगी जो कि इस समय काफी हद तक अपने उत्पादों को उत्पादन लागत से कम मूल्यों पर बेचने के लिए बाध्य है। देश के कुछ भागों में किसानों के पास ऋणग्रस्त होने के कारण आत्महत्या के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं सूझता है। सरकार के इस कदम से किसानों की स्थिति और बिगड़ेगी।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह यूरिया के मूल्य को नियंत्रण मुक्त करने और 10 प्रतिशत मूल्य में वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी वापस लें।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): सभापति महोदय, मैं अपने आपको शेख सैदुल हक द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूं।

सभापति महोदयः ठीक है आपका नाम उस मुद्दे से संबद्ध किया जाएगा।

एडवोकेट श्री ए. सम्पत कृपया संक्षेप में कहिए और अपनी मांग प्रस्तुत कीजिए।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): सरकार से मेरा अनुरोध है कि स्वतंत्रता के बाद से केरल के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे की सीबीआई जांच का आदेश दें। यह दिनांक 2 मई, 2003 को हुआ। एक शाम, नौ व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह कोसिकोड जिले के मराड में हुआ है। तदुपरांत, तत्कालीन केरल सरकार, यूडीएफ सरकार ने न्यायमूर्ति थामस पी. जोसफ की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया। उस आयोग ने कतिपय रहस्यो उद्घाटन किए। तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया कि यह एक सुसंगठित संगठन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। यह अचानक किया गया हमला था। ऐसा हमला 10 मिनट के समय में पूरा हो गया। इतना ही नहीं इस आयोग ने यह भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसके पीछे कुछ विदेशी तत्वों का हाथ है। आयोग के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों ने एक वित्त मंत्री के बारे में भी बताया। वित्तीय राशि दी गई और हथियारों को इकट्ठा करके भंडार किया गया था।

सभापति महोदयः कृपया अपनी मांग रखिए।

श्री ए. सम्पतः षडयंत्र रचनात्मक था और उसके आधार पर हमला किया गया। एलडीएफ सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने भारत सरकार को पत्र लिखा। उनके पहले पत्र की तिथि 12 सितंबर 2006 थी। केरल सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो और राजस्व आसूचना निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच का अनुरोध किया था। उन्हें इसकी जांच करने और मराड सांप्रदायिक दंगों के पीछे असली दोषियों को सामने लाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। अत: केरल राज्य के साथ न्याय होना चाहिए।

श्री पी.के. बिजू: सभापति महोदय, मैं भी अपने आपको श्री ए. सम्पत के मुद्दे के साथ संबद्ध करना चाहता हूं।

सभापति महोदयः ठीक है। आपका नाम इस मुद्दे के साथ संबद्ध कर दिया जाएगा।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्रवासी भारतीयों द्वारा फर्जी शादियों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। ऐसा देखा गया है कि प्रवासी भारतीयों से फर्जी शादी कराके हजारों भारतीय महिलाओं के साथ धोखा किया गया है।

पहले से विवाहित प्रवासी भारतीयों पुरुषों की वैवाहिक स्थिति को छिपाकर सारी फर्जी शादियों की जाती हैं। ऐसे पुरुषों से शादी करने वाली निर्दोष महिलाओं को अपनी शादी के बाद यह महसूस करने में कई दिन अथवा महीने लग जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस समय, प्रवासी भारतीयों की वास्तविक वैवाहिक स्थिति की सूचना प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। विदेशों में प्रवासी भारतीयों को ऐसा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना चाहिए जिससे शादी करने के लिए वैवाहिक स्थिति सिद्ध होती हो। भारत में ऐसा कोई तंत्र नहीं है इसलिए, प्रवासी भारतीयों द्वारा फर्जी शादियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

इस अवसर पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विदेश में अपने मिशनों के माध्यम से प्रवासी भारतीय नागरिकों की वास्तविक वैवाहिक और रोजगार संबंधी स्थिति की सूचना एकत्रित करने हेतु तंत्र स्थापित करे। यदि ऐसा तंत्र बनाया जाए तो इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह विदेश में अपने मिशनों में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य करे कि प्रवासी भारतीय नागरिक मेजबान देश में विवाहित नहीं है। विदेश में हमारे मिश्नों को इस संबंध में मेजबान देश के संबद्ध प्राधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि सरकार को पीड़ित महिला को मुकदमा दायर करने हेतु दस्तावेज और आंशिक कार्य में सहायता देने के लिए प्रत्येक मामले में 1500 डालर की धनराशि प्रदान करती है तथापि, यह धनराशि विधिक प्रक्रियाओं और अन्य संबद्ध मामलों हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में धनराशि बढ़ाई जाए।

[हिन्दी]

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आज देश को आजाद हुए 64 साल हो गये हैं, लेकिन हमारा पाली और जालौर जिला इतने सालों के बाद भी ट्रेन के द्वारा दिल्ली और जयपुर से जुड़ हुआ नहीं है। मैं ट्रेन की व्यवस्था करने के लिए इस विषय को आपको बताना चाहता हूं, आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में जब लाखों की संख्या में हमारे लोग यहां पर मजदूरी करने के लिए आते हैं और हमारे यहां के लाखों आदमी देश में इधर-उधर जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रेन के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि भीलड़ी से

भीनमाल से जालौर, से लुणी, पाली होते हुए अजमेर, जयपुर होते हुए दिल्ली के लिए रेलगाड़ी चलायी जाये।

महोदय, मैं दूसरी मांग यह करता हूं कि बिलाडा से बर नई रेल लाईन सर्वे में आ चुकी है, मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी यह सीधी लाईन जोड़ी जाये। मैं आपसे एक नयी मांग कर रहा हूं कि पिपाड़ रोड से भोपालगढ़, असोप, शंखवास होते हुए मुण्डवा तक सीधी लाईन। इससे रेलवे को बहुत फायदा होगा। आज 64 साल हो गये हैं, लेकिन वहां के लोगों ने रेल की सीटी नहीं सुनी है। वहां पर रेल की सीटी सुनाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर ट्रेन चालू की जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री देवजी एम, पटेल और श्री शिवकुमार उदासी अपने आप को श्री बद्रीराम जाखड़ जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज): सभापति महोदय, 'शून्यकाल' के दौरान मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं।

सरकार ने गत वर्ष के रेल बजट में बुधपारा से चकुलिया तक लगभग 35 कि.मी. की नई रेल लाइन का बजट प्रावधान किया था। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि जबकि रूपसा से बुधपारा तक रेल लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। बुधपारा से चकुलिया तक के इसके दूसरे संपर्क भग पर कार्य अब तक शुरू नही हुआ है। यह कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा शुरू किया गया था और इस संबंध में लगभग 22.14 करोड़ रूप से संस्वीकृत और आबंटित किए गए हैं।

इस संबंध में, मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कोई और देरी किए बिना बुधमारा से चकुंलिया के बीच रेल लाइन का निर्माण शुरू करने हेतु कदम उठाए। प्रस्तावित रेल लाइन से झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र और तटवर्ती ओडिशा के धतमरा पत्तन के बीच सीधे और संपर्क उपलब्ध कराने में सहातया मिलेगी। इससे नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक 66 से 70 कि.मी. की दूरी कम होगी। कुल मिलाकर यह रेल नेटवर्क जनजातीय क्षेत्र में स्थित खनन कार्यक्रलापों के विकास हेतु अवसर प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जबलपुर में मैडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का शासकीय कैन्सर चिकित्सालय संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र का एकमात्र कैन्सर चिकित्सालय है। यहां लगभग 300 किलोमीटर दूर तक से मरीज़ उपचार के लिए आते हैं। इस मैडिकल कॉलेज में रेडियाथैरेपी कार्यक्रम में दो पीजी सीट्स हैं जिनमें छात्रों के प्रवेश पर पिछले चार वर्षों से एमसीआई द्वारा रोक लगाई गई है। मैडिकल कॉलेज द्वारा एमसीआई से इस पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए लगातार इंस्पैक्शन कराया जा रहा है। सबसे पहले 2003 में इंस्पैक्शन हुआ। उसें जिन कमियों का उल्लेख किया गया, उनकी पूर्ति कर दी गई। इसके पश्चात् 2008 में दूसरा इंस्पैक्शन हुआ जिसमें एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में मान्यता न होने के कारण रेडियोथैरेपी कोर्स को मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद आखिरी इंस्पैक्शन 8 अप्रैल, 2010 में हुआ जिसमें दो कारणों से मान्यता को रोका गया। पहला कारण रेडियो-सर्जरी के उपकरणों का न होना और दूसरा एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में कमियां होना।

महोदय, सरकार की जानकारी के लिए एमसीआई रूल बुक के अनुसार एमडी (रेडियोथैरेपी) पाठ्यक्रम को चलाने के लिए दोनों चीज़ें की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी यदि ऑब्जैकशन की बात करें तो तथ्य यह है कि पूरे देश में रेडियो-सर्जरी उपकरण मात्र चार-पांच निजी और सरकारी मैडिकल कॉलेजों में उपलब्ध हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो देश के केवल इन कॉलेजों को छोड़कर बाकी सभी कॉलेजों की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। इसी तरह से दूसरे ऑब्जैशन के बारे में भी स्थिति यह है कि एमडी (रेडियोथैरेपी) पाठ्यक्रम, एमबीबीएस पाठ्यक्रम का मात्र एक ऑप्शनल विषय है जिसका एमबीबीएस पाठ्यक्रम की मान्यता से कोई संबंध ही नहीं है। जबलपुर मैडिकल कॉलेज से पिछले वर्षो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश में ऐसे कई मैडिकल कॉलेज एमसीआई की मान्यता से चल रहे हैं जहां पर रेडियो-सर्जरी उपकरण नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि एमसीआई द्वारा जबलपुर मैडिकल कॉलेज को मान्यता देने में बिना वजह आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

महोदय, आज देश में कैन्सर के रोगियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यह ऐसा रोग है जिसका उपचार प्रारंभिक अवस्था में किया जाना आवश्यक होता है। इसवे लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता भी होती है लेकिन एमसीआई की हठधर्मिता के कारण ऐसे चिकित्सक छात्रों ओर चिकित्सकों की कमी हो रही है जिसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अत: आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि नेताजी सुभाश चन्द्र बोस मैडिकल

कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जबलपुर में एमडी (रेडियोथैरेपी) पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए।

सभापति महोदय: श्रीमती ज्योति धुर्वे एवं श्री हंसराज गं. अहीर का नाम श्री राकेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री निलेश नारायण राणे (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदय, मेरा प्रश्न पर्यावरण और वन मंत्रालय से है। यह गाडगिल समिति के बारे में है जिसे पर्यावरण मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की पर्यावरणीय चिंताओं को समझने के लिए भेजा गया था। जहां तक मैं समझता हूं और मैंने इस समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है उससे मुझे यह समझ आता है कि प्रस्तावित विनियमन में किसी भी विकास कार्यों के पूरी तरह से विरूद्ध हैं। उदाहरण के लिए एक आम ग्रामीण एक निर्धन ग्रामीण को अपने घर की छोटी सी ईंट को हटाने या निकालने के लिए भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के पास जाना पड़ता है। अत: इस समिति के प्रतिवेदन के कारण उद्योग, अवसंरचना और सड़क प्रतियोजनाओं पर प्रभाव पड़ने वाला है।

अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रतिदिन पर पुनर्विचार करे क्योंकि इस क्षेत्र में विकास कार्यों के कारण इस पर वास्तव में प्रभाव पड़ेगा।

इसके कारण जिले का आर्थिक ढांचा प्रभावित होगा। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रतिवेदन को पूरी तरह से रद्द करे या इस पर पुनर्विचार करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों की शिव कुमार उदासी और श्री देवज एम. पटेल, श्री संजीव गणेश नाईक, श्री जयवंत गंगाराम आवले, श्री भारत राम सैनुजी कौवाले, श्री एकनाथ, महादेव गायकवाड और श्री भास्कर पाटील खतगांवकर के नाम भी श्री निलेश नारायण राणे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध किए जाते हैं।

श्री एम.आई. शानवास (बयनाड): धन्यवाद सभापति महोदया। मैं सम्मानीय सभा का ध्यान उनकी राजनीतिक संबद्धता के बावजूद सभी सदस्यों से संबंधित अति अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि रामलीला मैदान में एक आंदोलन चल रहा है। मैं श्री अन्ना हजारे के आंदोलन के गुण-दोषों का उल्लेख नहीं करना चाहता परंतु मुझे चिंता है, मुझे स्वयं भी पीड़ा है और वाकई मुझमें गुस्सा की है जिस पकार से यह आंदोलन चल रहा है। रामलीला मैदान से सांसदों के घरों का घेराव करने का आह्वान किया गया है। अत: देश के अनेक भागों में कई घटनाएं हो रही है।

हम सांसद, संविधान के संरक्षक हैं, हम विधि-निर्माता और है, और हम इस देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हमें डराया-धमकाया जाता है, यदि हमें ब्लेक-मेल किया जाता है और यदि हम अपने परिवार के साथ घरों में नहीं रह सकते और विधायी कार्य नहीं कर सकते तो यह देश के लिए बड़ी आपदा होगी। हम, सांसद, पिछले वर्षो से संविधान और संसदीय लोकतंत्र की सुरक्षा करते रहे हैं, और यदि संसदीय लोकतंत्र के जड़ें काट दी जाती हैं तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। जब सिविल सोसायटी ने वर्ष 1930 में कुछ अधिकार देने हेतु सम्राट के महल तक मार्च किया तो उस समय क्या हुआ था? मुसीलिनी को शक्ति दी गई थी, वह तानाशाह बन गया, और छह करोड़ व्यक्ति मारे गए।

महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यदि अन्ना को टीम के घरों की ओर मार्च करेंगे तो क्या होगा? यदि कल भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सांसदों के घरों की ओर मार्च करेंगे और आंदोलन करेंगे तो हम क्या करेंगे। यदि कांग्रेस सांसद भाजपा सांसदों के घरों की ओर मार्च करेंगे तो क्या होगा? इसके परिणामस्वरूप अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। अत:, आपके माध्यम से मैं इस सरकार से इस मुद्दे के संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करूंगा। इससे पहले कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। यदि आज ऐसा होता है तो कल माओवादी यह घातक तरीका अपनाएंगे। अत:, हमें इसे नियंत्रित करना होगा और हमें इसे रोकना होगा। सांसदों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। भले ही यह आह्वान किसी ने भी किया है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिंता को लें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी, श्री एंटो एंटनी, श्री रतन सिंह और राजा रामपाल और श्री प्रताप सिंह भाजपा के नाम भी श्री एम.आई. शानवास द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संवाद किये जाते हैं।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरूपुर): सभापति महोदय, मैं कोयंबटूर के महत्व को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जोकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है और इस औद्योगिक कस्बे को राष्ट्रीय राजधानी के साथ जोड़ने वाली उड़ान सेवाओं को प्रभावी तरीके से बढ़ाने के महत्व की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। अपराह्न 3. 10 बजे को कोयंबटूर से दिल्ली के लिए जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान जो मुंबई होते हुए आती है से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने में $5^1/_4$ घंटे का समय लेती है। स्पाइस जेट नामक प्राइवेट एयरलाइंस कोयंबटूर से हैदराबाद होते हुए दिल्ली की उड़ान में लगभग 4 घंटे का समय लगाती है। इसी समय पर एक अन्य प्राइवेट एयरलाइन इंडीगो सीधी उड़ान सेवा चलती है जो कोयंबटूर और दिल्ली के बीच यात्रा में केवल 2 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। चूंकि एयर इंडिया दोगुना समय लेती है इसलिए अधिकांश यात्री सरकारी एयरलाइंस से यात्रा करना पसंद नहीं करते। मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा कि इसके कारण एयर इंडिया घाटे में चल रही है जिसका कारण कृत्रिम रूप से बनाई गई अलाभ प्रदत्ता है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि एयर इंडिया कोयंबटूर से दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरु करने वाली प्रथम एयरलाइन थी परंतु इंडीगो ने उसका स्थान ले लिया है। इससे हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या यह इस तर्क को बल देने के लिए जानबूझकर किया गया था। प्राइवेट एयरलाइंस ही लाभ कमाकर आपनी सेवा चला सकते हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कोयंबटूर-दिल्ली-कोयंबटूर की सीधी उड़ान सेवा शुरू करे। कोयंबटूर और चेन्नई तथा तिरूचिरापल्ली और चेन्नई के बीच एयर इंडिया की पुन: निर्धारित उड़ान सेवा शुरू किया जाना भी जरूरी है। यह कार्य एयर इंडिया द्वारा किया जाना चाहिए और एयर इंडिया को इस घाटे की स्थिति से बाहर आना चाहिए तथा इस रूटों पर सेवा प्रचालित कर रही प्रावेट एयरलाइंसों से अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। इससे बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी और एयर इंडिया की प्रभावी प्रचालन व्यवहारिकता बनेगी। मैं नागर विमानन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह इसकी जांच करे और यथाशीघ्र नई उड़ान शुरू करे। इस शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरुदासपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने राज्य पंजाब से संबंधित इस अति महत्वपूर्ण मामले को उठाने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

जब हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एक परिसर में समेकित विनियामक और सहायक प्रकाश उपलब्ध नहीं हैं और यह महससूस किया जा रहा था कि विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के कार्यकरण के समन्वय हेतु कोई एजेंसी जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने देश में 13 एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने का निर्णय लेकर सरकार ने इस स्थिति का निर्धारण करने का प्रयास किया।

*मूलत तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

तागाह में ऐसी एकीकृत जांच चौकी बन जाने के साथ इसे स्मर्पित माल भाड़े गलियारे के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अमृतसर तक बढ़ाए जाने के बाद मैं पंजाब में यही चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यक है: (1) भंडारण गोदाम और अन्य सुविधाओं के साथ अटारी रेलवे स्टेशन पर पूर्णत: विकसित रेलवे साइडिंग स्थापित की जानी चाहिए। और (20) कंटेनरीकृत आवागमन के लिए रेल मार्ग खोलने की भी आवश्यकता है जैसाकि सभी अंतर्राष्ट्रीय भू पत्तनों में किया जा रहा है।

सरकार एक सरकारी निजी भागीदारी प्रारूप के माध्यम से इनमें से कुछ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस क्षेत्र में निजी साझेदारों की ओर भी देख सकती है क्योंकि ऐसी अनेक कंपनियां अपने उत्पाद पाकिस्तान भेजने के लिए इच्छुक हैं। तथापि कंटेनरीकृत आवागमन का अभाव बाधाएं खड़ी कर रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अपनी डिमान्ड रखिए।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा: अत: माननीय रेल मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले पर ध्यान दें और इसका विस्तार अमृतसर तक करने के बाद समर्पित माल-भाड़ा गलियारा के साथ समेकित चेक पोस्ट को जोड़ने के इस प्रस्ताव पर विचार करें क्योंकि यह न केवल पाकिस्तान के लिए एक सफल प्रवेश द्वारा खोलगा बल्कि बहुत हद तक अफगानिस्तान, इराक में बांदस अब्बास और रूस में रौंट पीट्सबर्ग के साथ व्यापार की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान पंजाब के नांगल स्थिति बी.बी.एम.बी. वर्कशॉप के तरस योग्य हालात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं।

महोदय, आप सब जानते हैं कि जब भाखड़ा नंगल डैम बन रहा था तो बहुत बड़ी वर्कशॉप की जरूरत महसूस की गयी। उस समय रोपड़ के नांगल शहर में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मेंटनेंस वर्कशॉप थी, यह बनाई गयी। यह वर्कशॉप रेलवे ट्रैक के साथ जोड़ी गयी क्योंकि बहत सामान लेकर आना और बाहर लेकर जाने की जरूरत थी। इस वर्कशॉप में किसी समय 5000 लोग काम

करते थे। इस वर्कशॉप में किसी समय सूई से लेकर जहाज तक बनाने की सामर्थ्य थी। भाखड़ा डैम के अलावा देश में जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम तिलवाड़ा, थीम, किन्नौर डैम की बात करें, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस वर्कशॉप ने दिया है। चंडीगढ़ जो हमारे देश का सबसे सुन्दर शहर है, उसके जो हाथ का लोगों है, वह भी यहां से बनकर तैयार हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहां रोजगार की भारी कमी है। आज 70 प्रतिशत नौजवान हमारे नशे के आदी हो रहे हैं। इसलिए महोदय मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि यह जो बी.बी.एम.बी. की वर्कशॉप है, इसमें आज सिर्फ 200 लोग काम कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि यह जो करोड़ों रुपए की सरकार की संपत्ति है, इस वर्कशॉप को बदल कर या तो रेल कोच फैक्ट्री में तब्दील किया जाए, या कोई डिफेंस लगायी जाए जिसके कारण हमारे 10000 नौजवान सीधे तौर पर इससे जुड़ सकें और हमारे क्षेत्र का भला हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम किशुनजी, आप की सूचना में आरोप लगाये गये है।

[हिन्दी]

कृपया, व्यक्ति विशेष का नाम न लें।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश के कारागार, जेलों के विषय में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में लगातार जेलों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया। चाहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर लखनऊ में डिप्टी सी.एम.ओ. की हत्या का सवाल हो, अभी ज्ञानपुर में दैनिक जागरण में यह छपा हुआ है।

सिपाहियों द्वारा उन बंदियों की पैर बांध कर पीटते हुए तस्वीर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसे संज्ञान में लिया। इसी प्रकार बनारस में भारतीय जनता पार्टी सहित कई राजनैतिक दल के लोग जेलों में बंद थे। चंदासी कोयला व्यापार मंडल के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र महिला नेता बंद थी। उन्हें जो कमरा मिला, उसमें मात्र 80 महिलाओं के रहने की जगह थी, लेकिन उसमें 180 से ज्यादा महिलाएं बंदी बनाई गई थीं। वे पांच या सात दिन उस जेल में रही, उस राजनैतिक बंदी महिला को एक दिन भी वहां सोने नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इन गंभीर सवाल को सदन में रखना चाहता हूं, कारागार की जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो मानव अमानवीयकृत हो रहे हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ज्ञानपुर में तालीबानी कानून है, वहां कैदियों को पीटा जा रहा है। राजनैतिक बंदियों को भी जेलों में कैदियों के साथ रखा जा रहा है। उनके भोजन आदि का कोई इंतजाम नहीं है। मैं जब बनारस जेल के अंदर गया तो मुझे वहां कई ऐसे कैदी और राजनैतिक बंदी मिले, जिनकी हालत चिन्ताजनक है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहता हूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाकर उन जेलों का निरीक्षण करे ओर स्वयं केन्द्र सरकार इसे संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करे कि इन जेलों में जो गलत काम हो रहे हैं, जेलों में डिप्टी सीएमओ सहित कई लोगों की हत्या हुई, जो अपराधी जेलों में बंद हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसे रोका जाए। जेलों में सुधार करने का जो एक मानदंड है, उसका पालन किया जाए।

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य इस विषय से अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे स्लीप भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री कमल किशोर कमांडो अपने आपको श्री रामकिशुन जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, गुजरात में 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और 42 बंदरगाह हैं, जो गुजरात के औद्योगिक विकास और देश के कई वस्तुओं के आयात-निर्मात के लिए बहुत सहायक है। भारत के संविधान के मुताबिक छोटे बंदरगाहों का संचालन राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार ने उनके विकास हेतु मेरी टाइम बोर्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत गुजरात मेरी टाइम बोर्ड की स्थापना की थी। मार्च, 2002 तक इंकम टैक्स कानून धारा 10(20) के अंतर्गत मेरी टाइम बोर्ड को लोकल ऑथोरिटी माना जाता था, जिससे बोर्ड को कर मुक्ति थी, किन्तु अधिनियम 2003 में मेरी टाइम बोर्ड को लोकल ऑथोरिटी से दूर किया गया, जिससे बोर्ड को आयकर भरना पड़ता है।

सभापति महोदय, गुजरात मेरी टाइम बोर्ड एक सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित नोन प्रोफिट मेकिंग संस्था है। इस बोझ को कम करने के इरादे से गुजरात मेरी टाइम बोर्ड इंकम टैक्स एक्ट 1961 धारा 13 ए.ए. के अंतर्गत उपरोक्त बोर्ड इंकम टैक्स के तहत कराया गया था, फिर भी इंकम टैक्स एक्ट 1961 में सैक्शन 2(15) से चेरीटेबल ऑर्गेनाइजेशन की

व्याख्या में सुधार के परिणाम स्वरूप बोर्ड जैसी संस्थाओं को चेरीटैबल संस्था के अनुसार मिलने वाले लाभ बंद हुए। वर्ष 2008-09 से गुजरात मेरी टाइम बोर्ड को सामान्य संस्था के जैसे टैक्स देना पड़ रहा है। गुजरात सरकार ने वित्त मंत्री जी एवं प्रधान मंत्री जी को पत्राचार द्वारा स्टेट मेरी टाइम बोर्ड को कर मुक्ति दिलाने एवं इंकम टैक्स एक्ट 1961, धारा 2(15) में एिक गए परिवर्तन निरस्त करने की विनती की है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त मामले में पुनर्विचार करें तथा स्टेट मेरी टाइम बोर्ड को इंकम टैक्स एक्ट 1961 के चुंगल से मुक्त करें। धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री शिवकुमार उदासी और श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्रीमती जयश्रीबेन पटेल के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मिनी रत्न कम्पनी बी.ई.सी. आई.एल. (ब्रोड कॉस्ट इंजीनियरिंग कंसलटैंट्स इंडिया लिमिटेड) है। इसमें अनुबंधित कर्मचारी हैं, इन अनुबंधित कर्मचारियों की जो मांग है, मुझे लगता है कि यह मांग मानवीय आधार पर पूरी की जानी चाहिए। इन अनुबंधित कर्मचारियों में कॉपी रायटर और कार्यकारी निर्माता आदि पांच-छ: सालों से वहां कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें नियमित नहीं किया गया है और नियमित नहीं किए जाने के साथ-साथ इन्हें वेतन भी काफी कम मिलता है।

इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि भी सन् 2009 से लम्बित है। इसके अलावा प्रसार भारती ने यह निर्णय लिया है कि अनुबंधित कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा, लेकिन आज तक इन अनुबंधित कर्मचारियों को यह वेतन नहीं मिल रहा है। नियमित कर्मचारी न होने के कारण इनके पास कोई सुविधा नहीं है, जैसे चिकित्सा की या प्रोविडेंट फंड की सुविधा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसे तुरन्त संज्ञान में ले और इसके साथ ही जो ये अनुबंधित कर्मचारी हैं, भविष्य में प्रसार भारती में जो भर्तियां होनी हैं, चूंकि 4 से 6 वर्ष तक इन्होंने लगातार वहां पर सेवा की है, इसलिए इनके अनुभव को, इनकी सेवाओं को देखते हुए इन्हें प्राथमिकता के तौर पर भर्ती में प्राथमिकता दी जाये। इसके साथ ही इन अनुबंधित कर्मचारियों की तमाम मानवीय मांगों को पूरा किया जाये।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया-धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री शिवकुमार उदासी और श्री देवराज सिंह पटेल को कुमारी सरोज पाण्डेय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री के.डी. देशमुख।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, मैं यहां से बोलूं?

सभापति महोदय: हां-हां, बोलिये। आप आगे आ जाइये, आगे से बोलिये।

श्री के.डी. देशमुख: महोदय, मैं पहली बार ही आगे आया हूं।

सभापति महोदय: हम तो चाहते हैं कि आप और आगे आयें।

श्री के.डी. देशमुख: महोदय, देश में मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, छिन्दवाड़ा, मंडला इत्यादि जिलों में, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुन्द जिलों में तथा महाराष्ट्र के भण्डारा, गोंदिया, नागपुर, रामटेक इत्यादि जिलों में गोवारा, गोवारी, ग्वाला और गवली जाति के लोग बहुतायत में निवास करते हैं। ये लोग प्रतिदिन मजूदरी करके अपना पेट पालन करते हैं। इस जाति के लोग प्राय: गरीबी रेखा के नीचे हैं और समाज के सम्पन्न लोगों के यहां घरेलू कार्य कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जिसके कारण इन में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। ये लोग भूमिहीन हैं।

आजादी के बाद से अभी तक इस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस जाति के लोग अपनी मांग हेतु लगातार कई वर्षों से आन्दोलन करते आ रहे हैं। गोवारा, गोवारी, ग्वाला ओर गवली जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु नागपुर में विधान सभा के सामने कुछ वर्ष पूर्व 100 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण इन जातियों के लोगों में तीव्र आक्रोश है।

अतएव आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि गोवारा, गोवारी, ग्वाला एवं गवली जाति को अनुसुचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल, कुमारी सरोज पाण्डेय, श्री रमेश बैस और श्री गणेश सिंह को श्री के.डी. देशमुख के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है

श्री कमल किशोर (बहराइच): सभापति महोदय, आज आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर और गरीब हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच है, जो उत्तर प्रदेश के अन्दर आता है, जिसकी आधे से ज्यादा आबादी अल्पसंख्यक है। वहां अल्पसंख्यक ही ज्यादा निवास करते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं। उनके व्यवसाय के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए या तो वे बकरियां पालकर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं या अन्य ऐसा ही कोई काम करते हैं, जिससे उनकी रोजी-रोटी चलती रहे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए बहराइच जनपद में अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में बैंकों की तमाम शाखाएं खोली जायें, जिससे वे बैंक में जो प्रावधान बने हैं, उनके अंतर्गत बैंक से ऋण ले सकें और वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें। उत्तर प्रदेश में खास करके बहराइच सबसे गरीब इलाका है, जहां पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नगण्य है। देश में जो शिक्षा है, वहां वह केवल 27 परसेंट है। मैं भारत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उत्तरा प्रदेश सहित हिन्दुस्तान में यह आदेश जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के हर तरह के विकास के लिए, उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। जो भी मदद भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को जाती है, वहां वह सारा धन किसी अन्य काम में खर्च हो जाता है। मैं यह भी मांग करूंगा कि आज तक वहां उन्होंने कोई बड़ी रेलवे लाइन नहीं देखी है, जबकि गोंडा से लेकर बहराइच तक और नागपाड़ा से रूपेडीहा तक रेलवे लाइन सैक्शन हो चुकी है।

मेरा यह निवेदन है कि यदि वह रेलवे लाइन जल्द से जल्द तैयार हो जाती है तो अल्पसंख्यक लोग, जिनकी बहराइच में आधे से ज्यादा संख्या है, वह वहां से बाहर निकलकर कोई न कोई व्यवसाय करेंगे और उनकी रोजी-रोटी का साधन बनता जाएगा। इसके साथ-साथ मैं चाहूंगा कि बैंक में कार्य करने के लिए, कार्य को सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): माननीय सभापति जी, मुझे सदन में शून्य काल में बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाबू जगजीवन द्वारा बनाए गए इन्द्रपुरी बराज से डेहरी ओनसोन, जो कराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के चोपन में एकमात्र पुल है, सासाराम के संसदीय क्षेत्र में यानी डेहरी ओनसोन में, जिसकी दूरी लगभग साढ़े चार सौ किलोमीटर है। कराकाट, डेहरी ओनसोन से लेकर झारखंड के पलामू लोकसभा, गढ़वा ओर उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं भी पुल नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वहां के जनहित को देखते हुए, मेरा संसदीय क्षेत्र अति पिछड़ा है, गरीब क्षेत्र है, भुखमरी का क्षेत्र है, उग्रवादियों का क्षेत्र है, जिसमें तीन लोकसभा यानी उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र और बिहार के दो लोकसभा क्षेत्र हैं, एक कराकाट लोकसभा क्षेत्र और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदया मीरा कुमार जी का संसदीय क्षेत्र सासाराम है और इसके साथ पलामू का लोकसभा क्षेत्र हैं, इन तीन-चार लोकसभा क्षेत्रों में जनता के लिए आने-जाने के लिए सोन नदी पर कोई सड़क पुल नहीं है। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान कराऊंगा और निवेदन करूंगा कि वहां तत्काल जनहित में पुल बनाया जाए। उसके लिए हमने जगह भी चिन्हित करके दी है। सासाराम लोकसभा का नोहरा प्रखंड के फडुका गांव और पलामू लोकसभा के प्रखंड भवनाथपुर के श्रीनगर गांव के बीच की दूरी कम है और नदी के दोनों ओर पीडब्ल्यूडी की सड़क नदी के किनारे निर्मित है, जो काफी कम चौड़ाई में बनेगी। इसकी काफी कम लागत आएगी। मैं सरकार से मांग करता हूं तत्काल वहां पर पुल निर्माण किया जाए, ताकि जनता को काफी फायदा हो सके और लोगों के आवागमन के लिए रास्ता खुल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): सभापति महोदय, आज की लोकसभा कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुमति आपने दी, इसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए विभागीय विजिलेंस बना दिए गए हैं, लेकिन इन्हें न कोई अधिकार मिला और न ही कोई संसाधन। इसलिए विभागों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं और उनका पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जांच करने वाले विभाग के अधिकारी होते हैं और उन्हें विभाग के अधिकारियों की जांच करनी होती है। विभाग का बॉस जैसे चाहे, वैसे ही उनकी इंक्वायरी होती है। जिन विजिलेंस अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को उजागर किया और कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की तो उनका बॉस द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाता है। केवल स्थानांतरण ही नहीं होता है, उनकी पोस्टिंग सजा के रूप में कर दी जाती है, जिसके कारण विभागों का विजिलेंस बेदम हो गया है।

यह भी देखा गया है कि विभाग के बॉस, हेराफेरी करने वालों की जांच हेराफेरी करने वालों के द्वारा ही करा रहे हैं। केंद्र सरकार के इस खेल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि आखिर सरकार भ्रष्टाचार को कानूनी रूप क्यों नहीं दे देती है, क्यों न हर केस को निपटाने के लिए रिश्वत की राशि तय कर दी जाए? इस टिप्पणी ने केंद्र सरकार की पोल खोल दी है।

"अलविदा हो हिंद से इन्साफ, जन्नत को गए हैं
मखलुस की इमदाद करने तीन बेटे रह गए हैं।
सबसे बड़ा बेटा रिश्वत अली, दूसरा सियासत खान है
तीसरा सिफारिश बेग है जिनकी निराली शान है।"

अत: मैं सदन के माध्यम से, सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि विजिलेंस कार्यों की समीक्षा की जाए और विभाग के विजिलेंस अधिकारियों को सीधे विभाग के अधीन न रख कर उन्हें सीबीआई के अधीन रखा जाए। उन्हें प्रस्तावित लोकपाल के अधीन रखा जाए। इन्हीं शब्दों के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, आप के परमिशन से मैं आपको एक तकलीफ देना चाहूंगा। आप जानते हैं कि पूरे देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण नाम की एक योजना चल रही है। इसमें हमारी जो तकलीफ है वह मैं आप से कहना चाहता हूं कि वह आप की भी तकलीफ होगी, पूरे देश की होगी। उस जमाने में जो कोर नेटवर्क कंसर्निंग इंजीनियर ने बनाया था और उसके बाद जब वह बन कर आया, पहले आप जानते हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थी उसको इसमें मिक्स किया गया और जब बन कर आया तो उसके मुताबिक इन्हें जो स्कीम सैंग्शन्ड करनी थी, जो अमाउंट देना था उसका तीसरा हिस्सा दिया। दो हिस्से जो कोर नेट पर बना था, वह माइन्स हो गया। यह केवल मेरा ही नहीं, पूरी कंट्री का हो गया। हमने प्रॉमिस किया था कि वर्ष 2012 तक देश में कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं होगी। हर जगह बिजली जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि जो बाकी रह गए उनके लिए क्या प्लान किया जा रहा है? अगर इसमें नहीं हुआ तो उन के लिए और कौन सी स्कीम बनाई जाएगी? मेरी आपसे विनती है कि इस स्कीम को, जो बन कर आया है उसको फौरन लागू कीजिए और फरदर पैसे भेजिए और उनको एंटर करिए।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आम आदमी की सरकार नहीं है। वहां लोकशाही नहीं है। वहां तानाशाही चल रही है। अगस्त महीने में अंडमान निकोबार प्रशासन ने ऐसा बस किराया बढ़ाया, सरकारी बस किराया बढ़ा दिया गया जो भारत के लिए विरता होगा, एक नई चीज होगी। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि वर्ष 2003 में अंडमान ट्रैंक रोड, पोर्टब्लेयर से डिगनीपुर तक एक ही रोड है जिससे लोगों को आना-जाना पड़ता है। वर्ष 1003 में सरकारी बस किराया 100 रुपया था और वर्ष 2011 में उसका किराया 230 रुपया कर दिया गया। पिछले आठ साल में सरकारी बस का किराया 100 रुपये से बढ़ाकर 230 रुपये कर दी। अभी हाल में क्या किया कि स्टूडेंट्स का जो फेयर था उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया। गाराचार से पोर्टब्लेयर तक मामूली सात किलोमीटर की दूरी का बस किराया 7 रुपये था अभी उसे बढ़ाकर 13 रुपये कर दिया है। आप सोचिए कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें स्कूल जाने में 13 रुपये और आने में 12 रुपये लगते हैं। क्या यह संभव होगा? सीनियर सिटीजन के लिए भी बुरा हालात हैं।

सभापति महोदय: कृपया आप मांग रखिए।

श्री विष्णु पद राय: यह बड़ी दु:ख की बात है कि सरकार कहती है कि यह आम आदमी की सरकार है, मजदूर की सरकार है। मैं उदाहरण देना चाहा हूं कि मजदूर व्यक्ति उम्बरलिगंज से बांबुफ्लैट आएगा। वह बांबुफ्लैट से बोट पकड़ेगा। बोट पकड़ कर, बोट का किराया देगा। फिर वहां से काम करने के लिए प्रथरापुर जाएगा। एक मजदूर आदमी का आने-जाने में बोट और बस का किराया लगेगा 100 रुपये तो मजदूर क्या कमाएगा? क्या यह लोकशाही है? पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थोड़ा-बहुत लोकशाही था। मैं अनुरोध करूंगा कि एक एलजी का एडवायजरी कमेटी होती है, होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी होती है, पीआरए का मेम्बर होता है, एमपी होता है, वे तय करते हैं। अभी नया आ गया तानाशाही जो अन्ना हजारे के ऊपर कांग्रेस चला रही है। वह अंडमान में शुरू हो गयी। वह कमेटी है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसके कौन-कौन मेम्बर है-आईजीपी, डायरेक्टर (ट्रांसपोर्ट), मैकेनिकल इंजीनियर ट्रांसपोर्ज, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट, एसपी जो जिन्दगी में बस में नहीं चढ़ा। उनकी तनख्वाह लाखों रुपये हैं। उन्होंने बस किराया बढ़ा दिया। मैं मांग करूंगा कि तुरंत बस किराया वापस ले। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अंडमान गेस्ट हाउस, निकोबार प्रशासन का गेस्ट हाउस तमिलनाडु, कोलकाता और दिल्ली में है। हमारे द्वीप के लोग इलाज के लिए इन गेस्ट हाउस में जाते थे और रह कर इलाज कराते थे।

सभापति महोदय: आपका एक ही विषय आएगा, दूसरा विषय नहीं आएगा।

श्री विष्णु पद राय: यह हमारे इश्यू में है। यह राइटिंग में है, केवल दो मिनट लगेगा। हमारे तमिलनाडु, दिल्ली और कोलकाता नॉन एसी गेस्ट हाउस का 80 रुपया किराया था उसे बढ़ा कर 400 रुपये कर दिया। एसी रूम का किराया सौ रुपये था, लेकिन उसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया।...*(व्यवधान)* बाकी राज्यों के जो गैस्ट हाउस दिल्ली में हैं, उनका मामूली किराया है और उनमें बढ़ोतरी भी नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं मांग करता हूं कि गैस्ट हाउस का जो किराया बढ़ा दिया गया है, उसे कम किया जाए।. ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(*व्यवधान*)*

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार, खास तौर से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में की जा रही धांधली और मनमानेपन की ओर आकृष्ट करना चहाता हूं। लंबी जद्दोजहद के बाद केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि सदियों से वंचित ये जातियां समाज की मुख्य धारा में आ सकें और आगे बढ़ सकें। सरकार के इस निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने भी अपनी मुहर लगा दी। पर निहित स्वार्थ के कारण नौकरशाही ऐसा काम करती है ताकि पिछड़ों को उनका वाजिब हक न मिल सके। यही कारण है कि आज तक न तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पदों को भरा जा सका और न ही पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों को।

महोदय, मैं इस संबंध में एक चौंकाने वाले तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्रतियोगी परीक्षा के बाद विगत 15 दिसम्बर, 2010 को 363 टीजीटी ड्राइंग शिक्षकों की नियुक्ति की सूची जारी की। पर इस नियुक्ति सूची में उच्च जाति/सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में डालकर नियुक्ति दे दी गई जिसके दस्तावेज, सबूत भी हैं। ऐसी आशंका है कि इसी तरह के कार्यकलाप अन्य विभागों में भी किए जा रहे हैं। अतः हमारी सरकार से मांग है कि 15 दिसम्बर, 2010 को जारी नियुक्ति आदेश की सूची की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए उसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, आसन की सदाशयता ने मेरे प्रभु जो मेरी जनता है, उसकी पीड़ा को सहलाने का इस सार्वभौम सदन में जो अवसर दिया है, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, बिहार में नवादा, जिला के अंतर्गत अपर सकरी, धनंजय, खूड़ी और ढाढर जैसी अनेक नदियां हैं जो गर्मी के समय सूख जाती हैं और बरसात में जिले के निवासियों को उसका पानी अपने प्रवाह से भ्यानक कटाव करके हजारों लोगों को विस्थापित कर देता है। 1983 में तत्कालीन बिहार सरकार के मुख्य मंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने अपर सकरी डैम परियोजना के माध्यम से सिंचाई के प्रबंध की ओर कदम उठाया था। उद्देश्य था वर्षा के पानी को नदी में रोके रखना और डैम बनाकर हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचित करना। उन्होंने इसके लिए 1984 में इसका शिलान्यस भी किया, पर आज तक वह योजना अधर में लटकी हुई है। इसी तरह केन्द्र सरकार ने 1987-88 में ढांढर, खूड़ी और धनंजय नदियों में डैम बनाने की योजना का कार्यक्रम बनाकर उस दिशा में कदम उठाया था, पर यह भी कार्यान्वयन के रास्ते में ही रहा और विस्मृति के गर्भ में समा गया। नवादा शास्वत क्रोनिक सुखाड़ के रूप में लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियों की बहार नहीं आने दी। आजादी के 65वें वर्ष के बाद भी नवादा के विकास के लिए न तो किसी राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार ने पहल की। वर्षों तक सुखाड़ की मार से नवादा की धरती की छाती में दरार पड़ती गई। संघीय व्यवस्था होने के कारण केन्द्र सरकार अपनी वरीयता को ध्यान में रखते हुए नवादा के सुखाड़ को समाप्त करने के लिए अपर सकरी, धनंजय, खूड़ी और ढांढर नदियों में डैम बनाकर वर्षों के पानी का संयोजन कर, नहरें निकालकर हजारों एकड में सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री जयवंत गंगराम आवले (लातूर): सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लातूर में किसानों पर भारी समस्या आन पड़ी है। वहां किसानों ने सोयाबीन बीज बोने के लिए खरीदा था, लेकिन वह नकली साबित हुआ। इलाके की लगभग पांच हजार एकड़ खेती में यह बीज नहीं उगा, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसान अपनी कॉस्ट बिगड़ने से सदमें में है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा राशि उपलब्ध करायी जाये और नकली बीज सप्लाई करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये, क्योंकि इन गरीब किसानों की रोजी-रोटी गयी है। यह बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाये।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, देश में आज किसानों की जो स्थिति है, उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। देश के किसान कभी सूखे, कभी अतिवृष्टि से प्रभावित होते हैं। इस सदन में लगातार चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों या सरकार हो, किसानों की बेहतरी के लिए बातें खूब करती है। पिछले समय यूपीए सरकार ने किसानों का बड़े पैमाने पर ऋण माफ किया था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय उन किसानों का ऋण माफ हुआ, जिन्होंने कर्जा नहीं दिया, यानी जो बेइमानी कर रहे थे। लेकिन जिन किसानों ने छोटा ऋण कहीं डीजल इंजन के लिए, कहीं भैंस के लिए और कहीं ट्रैक्टर के लिए लिया था, वे लगातार ऋण दे रहे थे। वे ईमानदार लोग थे, लेकिन उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक्स समस्त शहरों और कस्बों में हैं। लेकिन जो किसानों के हित में जो अराष्ट्रीकृत बैक्स हैं, वे गांवों में हैं। भारत सरकार नैशनलाइज्ड बैंकों को तो सब्सिडी देती है लेकिन अराष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, जिससे किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता।

अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि नैशनलाइज्ड बैंकों की तरह अराष्ट्रीयकृत बैंक्स भी छोटे किसानों को दीर्घकालीन ऋण दे सकें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी प्रदान करने का काम करें।

सभापति महोदय: श्री कमल किशोर 'कमोडो' अपने आपको श्री राजा रामपाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के हस्तिनापुर विकास खंड में सिंचाई विभाग ड्रेनेज खंड पंचम, मेरठ द्वारा लगभग साढ़े छ: करोड़ रुपये की लागत से चौदह बाढ़ राहत चबूतरों का निर्माण किया गया था, जिसे नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया था। बाढ़ आने की स्थिति में प्रभावित गांवों के लाग अपने पशुओं के साथ इन पर शरण ले सके, इस कारण निर्माण के समय इन चबूतरों की ऊंचाई लगभग आठ से दस फीट रखी गयी थी। दिनांक 26.05.11 को जब मैं हस्तिनापुर विकास खंड में मनरेगा के अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचा, तो वहां के निवासियों ने मुझसे इन बाढ़ राहत चबूतरों का भी निरीक्षण करने का आग्रह किया। उस समय मैंने पाया कि आपात स्थिति में जीवन रक्षा के लिए बनाये गये इन चबूतरों का निर्माण बेहद घटिया स्तर का था, जिसकी चर्चा मैंने स्थानीय प्रशासन से भी की थी। दिनांक 17 अगस्त को बाढ़ आने के बाद जैसाकि आशंका थी, ग्राम खेड़ीवाला का चबूतरा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जबकि अन्य चबूतरे तीन से चार फीट तक धंस गये हैं। सारे के सारे बाढ़ राहत चबूतरे फटने की स्थिति में हैं। इनमें से एक भी चबूतरा प्रयोग में नहीं आ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के निवासियों की जान-माल को गंभीर खतरा बना हुआ है। 'हिन्दुस्तान' जो प्रतिष्ठित अखबर है, उसमें इसका पूरा विवरण छपा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपनी मांग रखिये।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सम्पूर्ण निर्माण की जांच करायी जाये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये, क्योंकि उन्होंने जीवन रक्षा के लिए बनाये गये चबूतरों में घोटाला किया है। इसके साथ-साथ इन बाढ़ राहत चबूतरों का मानकों के अनुरूप निर्माण शीघ्र कराया जायें, ताकि बाढ़ के समय प्रभावित गांवों के नागरिकों की जीवन रक्षा हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: ठीक है।

सांय 7.00 बजे

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित दोहरीघाट, जो सरयू नदी के किनारे गोरखपुर और मऊ के मध्य स्थित है और हमारे संसदीय क्षेत्र का आखिरी छोर है। वहां पर बहुत पहले से छोटी रेल लाइन चली आ रही है। वहां पर छोटी लाइन मऊ से इन्दारा केवल 35 किमोमीटर है, जो अंग्रेजों के जमाने की है। उसका सर्वे भी चुका है और वहीं से सहजनवां गोरखपुर का भी सर्वे हो चुका है, लेकिन आज तक कई बार मांग करने के बाद भी वह छोटी लाइन बड़ी लाइन में नहीं बदल सकी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वह दोहरीघाट, जहां आदमी अपने अंतिम क्षणों में अंतिम संस्कार के लिए वहां जाता है, दूर-दूर से लोग वहां आते हैं, वहां के लोगों को अपनी नई जिंदगी शुरू करने का आज तक मौका नहीं मिला। इस रूट पर चार-चार टाउन एरिया हैं, बबिला, दोहरीघाट, घोसी, कोपागंज हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्दारा और दोहरीघाट को बड़ी लाइन से जोड़कर वहां के लोगों को नई जिंदगी शुरू करने का अवसर दिया जाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): महोदय, मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्र को शिक्षा का अधिक अधिनियम 2009 में प्रदान करने के लिए संप्रग सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों, द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने को रोकने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, बाल श्रम को रोकने, उनके असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से रोकने की आवश्यकता है। केवल शिक्षा के माध्यम से ही वे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं और इससे उनके देश में प्रतिस्पर्धा करने हेतु आत्मविश्वास पैदा होगा। यह स्वरोजगार सृजित करने पर निरक्षरता के कारण वे स्वास्थ्य से जुड़े खतरों और मौसम से होने वाली बीमारियों से अवगत नहीं हैं। गुणवत्ता शिक्षा के द्वारा मैं इस बात से आश्वस्त हूं वे इन चीजों से उबर सकते हैं।

विजयनगरम जिले में 34 मंडलों में से दस से अधिक मंडलों में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जन जातियां रहती हैं। मैं आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को इस बात का आवश्वासन

दे सकता हूं कि वे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 20 एकड़ भूमि दे सकते हैं। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की सहायता करेगा।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विजय नगरम जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें।

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर): महोदय, भरतपुर शहर के पास दो ओवरब्रिज रेलवे लाइन्स पर पिछले ढाई वर्षों से निर्माणाधीन हैं। एक ओवरब्रिज भरतपुर से कुम्हेर व दूसरा भरतपुर से मथुरा सड़क व रेलवे क्रांसिंग पर निर्माणधीन है। एक ब्रिज एलसी 252 व दूसरा एलसी 244 पर निर्माणाधीन है। निर्माण कार्यों की गति अत्यधिक धीमी है, प्राय: बंद ही है। सभी यात्री और लोकसभा क्षेत्र भरतपुर के सभी व्यक्तियों का आवागमन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। कई-कई घंटे परिवहन अवरूद्ध रहता है, परिवहन सुविधा हेतु यहां कोई उपयुक्त बाईपास सर्विस रोड भी नहीं बनी हुई। माननीय रेल मंत्री महोदय से सदन के माध्यम से निवेदन है कि इन दोनों रेलवे ओवरब्रिजेज को शीघ्र बनाने हेतु आदेश दें। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आपने एप्रोच ब्रिजेज के निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए हैं। माननीय रेल मंत्री महोदय इन दोनों ब्रिजेज के शीघ्र निर्माण के लिए आदेश प्रदान करें जिससे परिवहन सुगम व सहज हो सके। हम सभी बहुत आभारी होंगे।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। शिक्षा का अधिकार अधिनयम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति से यह विषय संबंधित है। समूचे देश भर के सभी राज्यों का विषय है। भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से समाज के वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को गैर-अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश दिलाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 12 (1)(सी) के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त निर्देश का पालन करते हुए ही विद्यालय में प्रवेश दिलाया है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 65 करोड़ रुपये का व्यय राज्य सरकार पर आएगा। इसी तरह प्रत्येक वर्ष कक्षा एक के छात्र अगल कक्षा में प्रवेश करेंगे।

कक्षा आठ तक के स्कूल्स की फीस की भागीदारी की राशि लगभग 520 करोड़ रुपए होगी, जो कि अकेले राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरी नहीं कर सकती। केन्द्र सरकार के अधिनियम की धारा सात के तहत भागीदारी करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं प्राइवेट स्कूल्स में प्रवेश पाने वाले बच्चों को यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकों के लिए 35 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अत: मेरी भारत सरकार से मांग है कि अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार को सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र की 65 प्रतिशत योजना के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाए। यह सिर्फ हमारे राज्य का ही नहीं, पूरे देश का सवाल है। सभी राज्यों में ऐसी ही स्थिति है। केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार एक कानून बना दिया, लेकिन राज्य सरकारों को अगर वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी तो गरीब बच्चों को लाभ नहीं मिल पाएगा।

सभापति महोदय: ठीक है, अब आप बैठ जाएं।

श्री गणेश सिंह: सभापति जी, आपके पहाड़ी क्षेत्र में भी यही स्थिति है। सभी राज्यों का यह विषय है।

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य अपने को गणेश सिंह जी द्वारा उठाए विषय से सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे लिखकर अपना नाम दे दें। श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, डॉ. राजन सुशांत, श्री अर्जुनराम मेघवाल और श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, एफसीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक की लापरवाही के कारण दो हजार गेहूं के बोरे सड़ गए हैं। माल गोदाम अधीक्षक के बार-बार अनुरोध के बावजूद भी गेहूं नहीं उठाया गया। खुले आसमान में ये बोरे पड़े रहे, जिस कारण सारा गेहूं सड़ गया। और सात लाख रुपए रेलवे ने वार्षिक लगाया और 1,24,000 रुपया उतरने का भाड़ा भी लगाया। क्षेत्रीय प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अभी तक गरीबों को अन्न का वितरण नहीं किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सम्बन्धित पदाधिकारी पर जांच कराकर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही गरीबों में अन्न का वितरण किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कारगिल युद्ध जब हुआ था तो उस समय आर्मी द्वारा किसानों के खेत लिए गए। इसके अलावा उनके घर भी ले लिए गए। यह युद्ध नौ-दस महीने चला। उसके बाद जिन लोगों के खेत लिए गए न तो उन्हें पूरा मुआवजा दिया गया और जिनके घर

लिए गए थे, उन्हें भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब इस बात को दस वर्ष से अधिक हो गए हैं, हालत यह है कि जिन किसानों के घर लिए गए थे, उनके घरों में बिजली के कनेक्शन थे। आर्मी चली गई, लेकिन उनके बिल उन गांव वालों को, जिनके घर लिए गए थे, भरने पड़ रहे हैं, जबकि युद्ध के दौरान वे उन घरों में नहीं रह रहे थे।

सभापति जी, आप खुद संसद की रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित समिति के चेयरमैन हैं। यह बहुत बड़ी बात है और रक्षा मंत्रालय इसकी पूर्ति नहीं कर रहा है। यह कहते हैं कि हम इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस तरह से तो भविष्य में कोई अपना खेत, जमीन या घर नहीं देगा। सेना के प्रति जो विश्वास है, वह विश्वास ग्रामीणजनों में कम होगा। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वह इस पर ध्यान दे और सरकार तुरंत इस पर कार्यवाही करे और ग्रामीण जनों को पूरा मुआवजा मिले।

सभापति महोदयः श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री गणेश सिंह और डॉ. राजन सुशान्त श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय से अपने आप को सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर अत्यधिक मानसून से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे क्षेत्र में पौंग बांध हैं, उसका पानी छोड़ने से, वहां के निचले क्षेत्र रियाली, मजीर और मंड के लोग बेघर हो गए हैं पहले ही हमारे पर्वतीय क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क बहुत कम है। मैं बताना चाहता हूं कि चक्की खड पर जो पुल है, वह ध्वस्त हो गया है। जिससे पठानकोट-जोगिन्दरनगर की सारी रेलगाड़ियां प्रभावित हो गई है। गरीब जनता के आवागमन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र में मंदिरों में जो पर्यटक आते हैं, वे भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत इन मंड क्षेत्र के लोगों को सुविधा दी जाए और जाकर उपाय किए जाएं। इसके साथ ही चक्की पुल जो ध्वस्त हुआ है, उसकी जांच करके निर्माण किया जाए तथा जसूर से जोगिन्दरनगर ज्यादा से ज्यादा जो रेलगाड़िया बंद हो गई हैं, उन्हें चालू करारा जाए।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, महाराष्ट्र में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना, जो राष्ट्रीय परियोजना है, उसके लिए हमें केन्द्र सरकार के वित्त पोषित प्रावधानों के तहत धनराशि प्राप्त हुई है। पिछले दो वर्षों से इस परियोजना के काम की प्रगति के लिए और विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने करीब 2500 करोड़ रुपया दिया हैं लेकिन जिस परियोजना से दो लाख हेक्टेयर भूमि को आर.आर. पालिसी 2007 के अनुसार उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए, वह भी नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी धनराशि सरकार ने दी है उसका दुरुपयोग हुआ है, उसमें अनियमितताएं हैं, ठेकेदारों को पूरे धन का वितरण किया गया है और कार्य होने से पहले ही एडवांस देकर सारा भ्रष्टाचार किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि वहां एक जांच दल भेजा जाए और विस्थापितों तथा सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दूरसंचार मंत्रालय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज झारखंड में बीएसएनएल है, दिल्ली में एमटीएनएल है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह इतनी खराब है कि बात करते-करते वह फोन कट जाता है। जब हम पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं तो वे जवाब देते हैं कि सर, बस थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो बोकारो जिला है, वहां पर जेरिडी ब्लॉक है, वहां पर बंगाल का टावर पकड़ता है, जबकि वह क्षेत्र झारखंड राज्य में है। बैलडीह एक गांव है, जहां के लोगों को डबल भुगतान करना पड़ रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि वहां बैलडीह गांव में एक नया वीटीएस लगे और जो बीएसएनएल की कमजोर फ्रीक्वेंसी है, उसे ठीक किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

सांय 7.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 26 अगस्त, 2011/4 भाद्रपद, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री भूपेन्द्र सिंह	321
2.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	322
3.	श्रीमती अन्नू टंडन	323
4.	श्री आनंदराव अडसुल श्री प्रदीप माझी	324
5.	श्री उदय प्रताप सिंह श्री लालचन्द कटारिया	325
6.	श्री दत्ता मेघे श्री पुलीन बिहारी बासके	326
7.	श्रीमती सीमा उपाध्याय श्रीमती सुशीला सरोज	327
8.	श्रीमती दर्शना जरदोश श्री हरिन पाठक	3289
9.	श्री चार्ल्स डिएस	329
10.	श्री नित्यानंद प्रधान श्री वैजयंत पांडा	330
11.	श्री राजेन गोहैन श्री धनजंय सिंह	331
12.	श्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीमती सुमित्रा महाजन	332
13.	श्री जफर अली नकवी	333
14.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह श्री सोमेन मित्रा	334
15.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	335
16.	श्री गोविंद प्रसाद मिश्र	336
17.	श्री अवतार सिंह भडाना	337
18.	श्री पशुपति नाथ सिंह श्री नीरज शेखर	338
19.	डॉ. कृपारानी किल्ली श्री अशोक कुमार रावत	339
20.	श्री विजय बहादुर सिंह	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	3689, 3846
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3794, 3841
3.	श्री आनंदराव अडसुल	3841
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3787, 3904
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3716, 3857
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	3683, 3886
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3882
8.	श्री सुरेश अंगड़ी	3763, 3783
9.	श्री अशोक अर्गल	3770
10.	श्री गजानन ध. बाबर	3797, 3841
11.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	37003, 3797
12.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	3825
13.	श्री कामेश्वर बैठा	3824
14.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3836
15.	डॉ. बलीराम	3771, 3893
16.	श्री सुदर्शन भगत	3755
17.	श्री ताराचन्द भगोरा	3900
18.	श्री समीर भुजबल	3764, 3781, 3899
19.	श्री पी.के. बिजू	3758, 3883
20.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3750, 3819, 3871, 3872
21.	श्री सी. शिवासामी	3780, 3795
22.	श्री हरीश चौधरी	3736, 3884, 3910
23.	डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3759
24.	श्री संजय सिंह चौहान	3803
25.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	3901

1	2	3
26.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3765, 3767
27.	श्री भूदेव चौधरी	3762, 3764
28.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3702, 3703
29.	श्री अधीर चौधरी	3785
30.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3743
31.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	3740, 3829
32.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3760, 3884
33.	श्री के.डी. देशमुख	3706
34.	श्रीमती अश्वमेध देवी	3823, 3837
35.	श्रीमती रमा देवी	3769, 3800
36.	श्री के.पी. धनपालन	3767, 3826
37.	श्री संजय धोत्रे	3754, 3878
38.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3786, 3903
39.	श्री चार्ल्स डिएस	3866
40.	डॉ. रामचन्द्र डोम	3837
41.	श्री निशिकांत दुबे	3766, 3839, 3889
42.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3732, 3740
43.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3767, 3890
44.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3775, 3840, 3894
45.	श्री वरुण गांधी	3724, 3862
46.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3797
47.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3764, 3822
48.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	3807
49.	श्री राजेन गोहन	3868
50.	श्री एल. राजगोपाल	3728, 3837, 3909
51.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3757, 3838, 3879, 3882
52.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	3722
53.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	3773
54.	शेख सैदुल हक	3837
55.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3721, 3800
56.	श्री बद्रीराम जाखड़	3684, 3806, 3853
57.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3851
58.	श्रीमती जयाप्रदा	3811
59.	श्री जिगजिणगी रमेश	3764
60.	श्री नवीन जिन्दल	3707, 3777, 3835
61.	श्री कैलाश जोशी	3710
62.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3763, 3799
63.	श्री प्रहलाद जोशी	3750
64.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3682, 3854
65.	डॉ. ज्योति मिर्धा	3806
66.	श्री पी. करुणाकरन	3837
67.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3734
68.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3687, 3776, 3895
69.	श्री नलिन कुमार कटील	3827, 3838
70.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	3820
71.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3799
72.	श्री चंद्रकांत खैरे	3701
73.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	3873
74.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	3695, 3835, 3848, 3879
75.	श्री पी. कुमार	3780, 3795
76.	श्री सुखेदव सिंह	3744, 3835
77.	श्री पी. लिंगम	3830, 3900

1	2	3
78.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3713, 3856
79.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	3832
80.	श्री नरहरि महतो	3798
82.	श्री प्रदीप माझी	3738, 3794, 3860
83.	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	3780, 3839
84.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	3792
85.	डॉ. तरुण मंडल	3729
86.	श्री जोस के. मणि	3715
87.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	3802
88.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3869
89.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	3843
90.	श्री सोमन मित्रा	3902
91.	श्री पी.सी. मोहन	3804
92.	श्री विलास मुत्तेमवार	3789, 3906
93.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3769, 3879
94.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3729, 3737
95.	डॉ. इंदर सिंह नामधारी	3809
96.	श्री जफर अली नकवी	3870
97.	श्री नारनभाइ कछाड़िया	3831
98.	श्री संजय निरुपम	3747, 3876
99.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	3753
100.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3717, 3758, 3858
101.	श्री जगदम्बिका पाल	3730
102.	श्री वैजयंत पांडा	3837, 3867
103.	श्री प्रबोध पांडा	3756, 3818, 3864, 3900
104.	श्री राकेश पाण्डेय	3736
105.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3698, 3785, 3879
106.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	3815

1	2	3
107.	श्री जयराम पांगी	3692
108.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3726, 3775, 3840, 3894
109.	श्री देवजी एम. पटेल	3688, 3845
110.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3719, 3742, 3885
111.	श्री बाल कुमार पटेल	3834
112.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3738, 3794, 3860
113.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	3696, 3835, 3839, 3849
114.	श्री हरिन पाठक	3898
115.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3804
116.	श्रीमती भावना पाटील गवली	3740
117.	श्री सी.आर. पाटिल	3742
118.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3775, 3840, 3894
119.	डॉ. पदम्सिंह बाजीराव पाटील	3814
120.	श्री सोहन पोटाई	3731
121.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3817
122.	श्री नित्यानंद प्रधान	3837, 3867
123.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3733, 3838, 3861
124.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	3901
125.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	3736, 3748, 3882
126.	श्री एम.के. राघवन	3859
127.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	3693
128.	श्री अब्दुल रहमान	3757, 3801, 3865
129.	श्री प्रेम दास राय	3810

1	2	3
130.	श्री रमाशंकर राजभर	3778, 3879
131.	श्री एम.बी. राजेश	3749, 3785
132.	श्री पूर्णमासी राम	3792, 3879
133.	प्रो. राम शंकर	3838
134.	श्री रामकिशुन	3685, 3799
135.	श्री जगदीश सिंह राणा	3793, 3864, 3907
136.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3709, 3764
137.	श्री रामसिंह राठवा	3691, 3892
138.	श्री अशोक कुमार रावत	3736, 3770, 3882, 3908
139.	श्री अर्जुन राय	3799
140.	श्री रुद्र माधव राय	3736, 3741, 3750, 3838
141.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3775
142.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3744
143.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	3775
144.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3768, 3792, 3891
145.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3779, 3839, 3897
146.	श्री महेन्द्र कुमार राय	3837
147.	श्री सी.एल. रुआला	3772
148.	श्री एस. अलागिरी	3788, 3884
149.	श्री एस. सेम्मलई	3752, 3877
150.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3718, 3845
151.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3728
152.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3690, 3764, 3847, 3887
153.	डॉ. अनूप कुमार साहा	3771, 3808
154.	श्री ए. संपत	3746, 3838, 3875

1	2	3
155.	श्री तूफानी सरोज	3711, 3855
156.	श्री हमदुल्लाह सईद	3792
157.	श्री एम.आई. शानवास	3784
158.	श्रीमती जे. शांता	3714, 3868, 3901
159.	श्री जगदीश शर्मा	3736, 3789
160.	श्री नीरज शेखर	3859, 3882
161.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3764, 3816, 3837, 3901
162.	श्री एंटो एंटोनी	3775, 3828
163.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	3735, 3742, 3885
164.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3694, 3771, 3905, 3909
165.	डॉ. भोला सिंह	3819
166.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3836, 3845, 3863
167.	श्री गणेश सिंह	3740, 3812, 3890
168.	श्री जगदानंद सिंह	3745, 3838, 3874
169.	श्रीमती मीना सिंह	3762, 3791
170.	श्री राधा मोहन सिंह	3762
171.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3871
172.	श्री रवनीत सिंह	3697, 3901
173.	श्री उदय सिंह	3774
174.	श्री यशवीर सिंह	3882, 3811
175.	चौधरी लाल सिंह	3723
176.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	3790
177.	श्री धनंजय सिंह	3850
178.	श्री रेवती रमण सिंह	3751
179.	श्री राधे मोहन सिंह	3736, 3805

1	2	3
180.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3763
181.	श्री उदय प्रताप सिंह	3864
182.	श्री विजय बाहदुर सिंह	3852
183.	डॉ. संजय सिंह	3721, 3788, 3910
184.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3834
185.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3739, 3750, 3881
186.	श्री के. सुधाकरण	3720, 3903
187.	श्री ई.जी. सुगावनम	3686, 3844
188.	श्री के. सुगुमार	3702, 3879
189.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3727, 3757, 3864, 3887
190.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3712, 3819, 3868, 3880
191.	श्री मानिक टैगोर	3764, 3821, 3890
192.	श्री बिभू प्रसाद तराई	3699, 3900
193.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	3782

1	2	3
194.	श्री मनीष तिवारी	3725, 3839, 3879
195.	श्री जगदीश ठाकोर	3708
196.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3687
197.	श्री आर. थामराई सेलवन	3799, 3813
198.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3777, 3896
199.	श्री पी.टी. थॉमस	3833
200.	श्री मनोहर तिरकी	3780, 3839
201.	श्री लक्ष्मण टुडु	3756
202.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3748
203.	श्री सज्जन वर्मा	3764, 3888
204.	श्री पी. विश्वनाथन	3681, 3794, 3842
205.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3872
206.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	3705
207.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3704, 3794, 3841, 3879
208.	श्री ओम प्रकाश यादव	3796
209	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3761
210	श्री योगी आदित्यनाथ	3785, 3905

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	
कार्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	331
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	321, 332
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	329
अल्पसंख्यक कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	324, 336
रेल	:	322, 325, 328, 330, 334, 335
ग्रामीण विकास	:	326, 327, 338
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	340
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	323, 333, 337, 339

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	3697, 3713, 3714, 3729, 3732, 3735, 3736, 3741, 3743, 3745, 3768, 3771, 3779, 3783, 3796, 3805, 3808, 3817, 3819, 3828, 3843, 3845, 3849, 3862, 3880, 3886, 3892, 3893, 3898, 3910
कार्पोरेट कार्य	:	3696, 3718, 3727, 3765, 3788, 3798, 3856
पेयजल और स्वच्छता	:	3749, 3882, 3903
पृथ्वी विज्ञान	:	3701, 3739, 3810, 3873, 3889
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3686, 3704, 3710, 3730, 3752, 3844, 3846, 3850

विधि और न्याय	:	3681, 3684, 3699, 3709, 3719, 3720, 3722, 3723, 3724, 3725, 3728, 3785, 3793, 3821, 3835, 3842, 3854, 3857, 3858, 3860
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	3754, 3763, 3780, 3804, 3839, 3840, 3877, 3894, 3897, 3899, 3909
अल्पसंख्यक कार्य	:	3698, 3747, 3758, 3766, 3801, 3813, 3815, 3866
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	3690, 3692, 3694, 3702, 3705, 3712, 3721, 3726, 3733, 3737, 3760, 3772, 3774, 3777, 3789, 3803, 3811, 3822, 3827, 3829, 3831, 3832, 3833, 3859, 3865, 3874, 3884, 3887, 3896, 3901, 3902, 3905
रेल	:	3682, 3685, 3688, 3689, 3693, 3703, 3706, 3707, 3708, 3711, 3715, 3716, 3717, 3742, 3744, 3746, 3750, 3751, 3753, 3756, 3757, 3759, 3762, 3764, 3769, 3770, 3776, 3781, 3782, 3791, 3794, 3800, 3802, 3807, 3809, 3812, 3814, 3816, 3818, 3820, 3824, 3826, 3834, 3837, 3838, 3847, 3848, 3851, 3852, 3853, 3855, 3863, 3864, 3869, 3870, 3871, 3872, 3875, 3876, 3878, 3888, 3890, 3891, 3895, 3900, 3906, 3907, 3908
ग्रामीण विकास	:	3683, 3687, 3691, 3731, 3734, 3740, 3755, 3761, 3767, 3775, 3778, 3792, 3795, 3799, 3830, 3836, 3841, 3861, 3867, 3879, 3885, 3904
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3823
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	3738
जल संसाधन	:	3695, 3700, 3748, 3773, 3784, 3786, 3787, 3790, 3797, 3806, 3825, 3868, 3881, 3883.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/18/17/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।